द्वादश माला, खंड 2, अंक 10

मंगलवार, 9 जून, 1998
19 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री सुरेन्द्र कौशिक
निदेशक
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्री गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)
मंगलवार, 9 जून, 1998/19 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

शुद्धि पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
4	23	(द)	(छ)
387	अंत में	पाद टिप्पण "कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया" जोड़ें ।	

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

[द्वादश माला, खंड 2, दूसरा सत्र 1998/1920 (शक)]

अंक 10, मंगलवार, 9 जून 1998/19 ज्येष्ठ 1920 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	182 से 185	2–33
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	186 से 201	34–59
अतारांकित प्रश्न संख्या	1898 से 2127	59–360
सभा पटल पर रखे गए पत्र		361–379
समिति के लिए निर्वाचन		379–380
रेल सम्बन्धी स्थिति पत्र पर विचार करने के बारे में प्रस्ताव रेल बजट, 1998–99 – सामान्य चर्चा और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1995–96		394–407
श्री नीतीश कुमार		394–406
विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक		408–409
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्री नीतीश कुमार		408
खण्ड 2, 3, और 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव		
श्री नीतीश कुमार		408
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		409–424, 429–434
ऑस्ट्रेलिया से हानिकारक गेहूं का आयात		
श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण		409, 412–417
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला		410–412, 430–434
श्री अजीत जोगी		417–420
डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी		421–424
श्री आर. साम्बासिवा राव		429
श्री मनोरंजन भक्त		429–430

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
मुरादाबाद और हैदराबाद में साम्प्रदायिक स्थिति	424–429
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	424–426
कार्यमंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव	434
नियम 377 के अधीन मामले	434–440
(एक) मध्य प्रदेश स्थित डॉ० सर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	434–435
(दो) राबर्ट्सगंज संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में केन्द्रीय परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों को मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामशकल	435
(तीन) कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 सितम्बर, 1993 को राजपत्र में जारी अधिसूचना में क्रमांक 46 में उल्लिखित शब्द ''तेली'' (राठौर) में उचित संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र शेखर साहू	435–436
(चार) वाराणसी जिले में बलुआ में गंगा नदी पर पुल के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को समुचित धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री आनन्द रत्न मौर्य	436
(पांच) स्वदेशी तेल उद्योग को बचाने के उद्देश्य से खाद्य तेलों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा	436–437
(छह) राजस्थान में चुरू में भूमिगत जल में व्याप्त प्रदूषण को दूर करने तथा पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री नरेन्द्र बुडानिया	437
(सात) पश्चिम बंगाल के उलूबेरिया संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के महत्वपूर्ण नगरों में रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री इन्नान मोल्लाह	437–438

(आठ) योजना आयोग द्वारा अपनाई गई गरीबी रेखा की नई परिभाषा के कारण उत्पन्न विसंगति को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि मेहताब 438

(नौ) राज्य स्तर के मजदूर संगठनों को मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. कुप्पुसामी 438–439

(दस) बान्द्रा (पूर्व) में पर्याप्त डाक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मधुकर सरपोतदार 439

(ग्यारह) केरल के वायनाड जिले में जनजातीय लोगों के लिए टी.वी. कार्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु माननथुडी में कम शक्ति वाला ट्रासंमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन 439–440

विद्युत विनियामक आयोग अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प – *अस्वीकृत*

और

विद्युत विनियामक आयोग विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव 440–513

श्री बसुदेव आचार्य 440–441, 505–507
श्री पी.आर. कुमारमंगलम 441–454, 501–505
श्री बारकला राधाकृष्णन 450–451, 469–474
श्री के.एस. राव 455–460
श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या 460–463
श्री पी. शिवशंकर 463–466
श्री टी.आर. बालू 466–469
श्री आर. मुथैया 474–475
श्री मोहन सिंह 476–477
श्री वी. धनंजय कुमार 478–480
श्री वीरेन्द्र सिंह 480–482
डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी 482–483
श्री विक्रम देव केशरी 483–484
डॉ० उल्हास वासुदेव पाटील 485–486
श्री वैको 486–488
श्री रामदास आठवले 488–490
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 490–491
श्री शैलेन्द्र कुमार 491–492
डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी 492–495
श्री तथागत सत्पथी 495–496
श्री के.डी. सुल्तानपुरी 496–497
श्री सानघुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 497–498

खंड 2 से 61 और 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव 509–513

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक 517–520

श्री बसुदेव आचार्य 517–519

लोक सभा

मंगलवार, 9 जून, 1998/19 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष मंडोदय *पीठासीन हुए*]

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, आई.डी.पी.एल. के हजारों मजदूर संसद भवन के सामने धरने पर बैठे हैं। *.....(व्यवधान)* उन्हें कई महीनों से उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, सैकड़ों आई.डी.पी.एल. के मजदूरों को उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को 'शून्यकाल' में उठा सकते हैं।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। यह एक घंटे का समय बड़ा महत्वपूर्ण है।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चेनी प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, गाजियाबाद से आकर लोग जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं। उनको दिल्ली में जंतर-मंतर तक आने नहीं दिया जा रहा है। यह एक तरीके से जनतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात है। उत्तर प्रदेश सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, इसलिए उनको दिल्ली आना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की सब सीमाएं सील कर दी गयी हैं। गृह मंत्री जी यहां बैठें हैं, सरकार को निर्देश दिया जाए कि गाजियाबाद के लोगों को अपनी बात कहने के लिए दिल्ली में आने दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*.....(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

शासन द्वारा निर्धारित मूल्य प्रणाली

+

***182. श्री आर. साम्बासिवा राव :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों की शासन द्वारा निर्धारित मूल्य प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के बारे में सुझाव देने वाले निर्मल सिंह पैनल की सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पैनल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं;

(ग) उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) निर्मल पैनल की सिफारिशों को अंतिम रूप से लागू करने के लिए निर्धारित अनंतिम समय-सीमा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाजपेयी के. राममूर्ति) : (क) से (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को समाप्त करने की स्थिति में शुल्क संरचना के अलग-अलग स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव (रिफाइनरीज) श्री निर्मल सिंह की अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की थी। विशेषज्ञ तकनीकी दल की मुख्य सिफारिशें अनुबंध-I में दी गई हैं। संलग्न अनुबंध-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विशेषज्ञ तकनीकी दल की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने नवम्बर, 1997 में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) को 1998-99 से आरंभ करके चार वर्ष की समयावधि में समाप्त करने का निर्णय लिया था। समाप्ति के लिए अंतिम वर्ष 2001-02 होगा और अंतिम वर्ष के लिए शुल्क संरचना अनुबंध-III में दी गई है।

2. पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था को चरणों में समाप्त करने की प्रक्रिया 1.4.98 से आरंभ कर दी गई है। स्वदेशी कच्चा तेल उत्पादकों के लागत जमा सूत्र वापस ले लिया गया है,

तथापि एक अस्थायी उपाय के रूप में एक न्यूनतम मूल्य नियत किया गया है। सभी रिफाइनरियों के लिए प्रतिधारण मूल्य निर्धारण की प्रणाली समाप्त कर दी गई है। तथापि, विद्यमान रिफाइनरियों के लिए ''समायोजित आयात समता'' मूल्य के सिद्धांतों पर एम.एस., एच.एस.डी., एस.के.ओ., एल.पी.जी. और ए.टी.एफ. जैसे नियंत्रित उत्पादों के रिफाइनरी द्वारा मूल्य नियत किए जा रहे हैं। एम.एस., एच.एस.डी., एस.के.ओ. (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), एल.पी.जी. (घरेलू उपयोग के लिए) और ए. टी.एफ. के उपभोक्ता मूल्य अभी भी प्रशासित हैं और पांच में से एक उत्पाद अर्थात एच.एस.डी. का उपभोक्ता मूल्य भंडारण-स्थल स्तर तक आयात समता मूल्य निर्धारण के सिद्धांतों पर नियत किया जा रहा है। नाफ्था, एफ.ओ., एल.एस.एच.एस, बिटुमेन, पैराफीन मोम आदि जैसे अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य 1.4.98 से नियंत्रणमुक्त कर दिए गए हैं और तेल कंपनियों को बाजार की परिस्थिति के आधार पर अपने मूल्य नियत करने की अनुमति दे दी गई है। कच्चे तेल की जहाजरानी के लिए लागत ... वापस ले लिया गया है।

... क्रूड (स्लोप क्रूड और क्रूड कंडेनसेट), एन.जी.एल., ए. टी.एफ., एम.एस. और एच.एस.डी. को छोड़कर सभी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात और निर्यात संक्रमण अवधि के दौरान नियंत्रणमुक्त कर दिया जाएगा। 2.6.98 से कच्चे तेल पर सीमाशुल्क 27 प्रतिशत से कम करके 22 प्रतिशत कर दिया गया है।

अनुबंध-I

विशेषज्ञ तकनीकी दल की मुख्य सिफारिशें

विशेषज्ञ तकनीकी दल की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

(क) दल ने प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 4-5 वर्ष की चरणबद्ध अवधि की सिफारिश की।

(ख) स्वदेशी कच्चे तेल उत्पादकों के संबंध में लागत-जमा सूत्र को वापस लिया जाना चाहिए, तेल उत्पादकों द्वारा प्राह्य मूल्य को संक्रमण अवधि के दौरान कच्चे तेल के वास्तविक आयातों के भारित औसत एफ.ओ.बी. मूल्य के पूर्वघोषित वर्तमान प्रतिशत का भुगतान करके एक चरणबद्ध तरीके से अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों तक बढ़ाया जाएगा।

(ग) अवधारण मूल्य निर्धारण प्रणाली सभी (विद्यमान एवं नई) रफाइनरियों के लिए समाप्त की जानी चाहिए तथा रिफाइनरी द्वार पर पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्यनिर्धारण आयात समता की ओर अग्रसर होना चाहिए, तथापि संक्रमण अवधि के दौरान विद्यमान रिफाइनरियों के लिए नियंत्रित उत्पादों अर्थात एम.एस., एच.एस. डी., एस.के.ओ., एल.पी.जी. तथा ए.टी.एफ. के रिफाइनरी द्वार मूल्य ''समायोजित आयात समता'' पर नियत किए जाने चाहिए, रिफाइनरियों द्वारा अन्य सभी उत्पादों की बिक्री बाजार मूल्यों पर की जानी चाहिए।

(घ) प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता मूल्य, बाजार मूल्यों की ओर अग्रसर किए जाने चाहिए, एच.एस.डी. का मूल्य तत्काल प्रभाव से भंडार बिंदु स्तर तक आयात समता मूल्य निर्धारण के सिद्धान्त पर नियम किया जाएगा तथा अन्य प्रमुख उत्पादों एल. पी.जी., ए.टी.एफ., एस.के.ओ. तथा एम.एस. के मूल्य एक चरणबद्ध तरीके से आयात समता सिद्धांत की ओर अग्रसर किए जाने चाहिए तथा पैराफिन-मोम, बिटुमेन, नाफ्था, एफ.ओ. एवं एल.एस.एच.एस. का मूल्यनिर्धारण तत्काल प्रभाव से नियंत्रणमुक्त होना चाहिए।

(ङ) संक्रमण अवधि, सरकार द्वारा तेल कंपनियों को जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित तेल बाण्डों के सेवार्थ इनसे संबंधित देयताओं को चुकाने के लिए उपयोग की जानी चाहिए, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, क्रूड एवं पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य तेल समन्वय समिति द्वारा इसकी वर्धित स्वायत्त शक्तियों से नियत किया जाना चाहिए।

(च) संक्रमण अवधि के दौरान क्रूड (स्लोप क्रूड तथा क्रूड कन्डेन्सेट), एन.जी.एल., ए.टी.एफ., एम.एस. तथा एच.एस.डी. के सिवाय सभी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात एवं निर्यात नियंत्रणमुक्त कर दिए जाने चाहिए, तथापि क्रूड तथा क्रूड जुटाने तथा इसके आयात के संबंध में वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसिंग नीति के तहत संयुक्त एवं निजी क्षेत्र रिफाइनरियों को तत्काल प्रभाव से अनुमति दी जानी चाहिए।

(छ) संलग्न परिशिष्ट में दिए गए माडल में सिफारिश के अनुसार क्रूड तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर देय शुल्कों का एक चरणबद्ध तरीके से युक्तिकरण किया जाना चाहिए।

(ज) शोधन क्षेत्र में किए जाने वाले निवेशों को परिवहन ईंधनों अर्थात एम.एस., एच.एस.डी. तथा ए.टी.एफ. के लिए उपयुक्त सीमा शुल्क संरक्षण तथा विपणन अधिकार उपलब्ध कराके प्रोत्साहित किया जाना चाहिए परन्तु शर्त यह हो कि ऐसी स्वामित्व वाली तथा प्रचालनकर्ता रिफाइनरियों का निवेश कम से कम 2000 करोड़ रुपए हो अथवा ऐसी तेल अन्वेषण तथा उत्पादन कंपनियां वार्षिक रूप से कम से कम 3 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन कर रही हों।

(झ) कच्चे तेल की जहाजरानी से संबंधित लागत-जमा सूत्र वापस लिया जाना चाहिए तथा इस संबंध में दरें बाजार संबंधित दरों की ओर तत्काल प्रभाव से अग्रसर होनी चाहिए।

(ञ) दूर दराज क्षेत्रों के लिए की जाने वाली आपूर्तियों पर देय भाड़ा राज सहायता राजकोषीय बजट के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए तथा

(ट) डाइड्रोकार्बन क्षेत्र के अंतर्गत इसकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण करने तथा इसके अंतर्गत एक प्रतिस्पर्धी फ्रेमवर्क प्रवर्तित करने के लिए एक नियामक फ्रेमवर्क स्थापित करना।

परिशिष्ट

तकनीकी समिति की रिपोर्ट के अनुसार

चरणबद्ध शुल्क संरचना

(प्रतिशत)

सीमा शुल्क	वर्तमान	प्रस्तावित				
	96-97	97-98	98-99	99-00	00-01	01-02
क्रूड	27	20	15	10	0	0
एचएसडी/एलडीओ	32	25	25	25	15	15
एमएस	32	30	25	25	15	15
एटीएफ	32	30	25	25	15	15
एलपीजी	12	10	10	10	10	10
एलएनजी	12	0	0	0	0	0
एफओ/एलएसएचएस	32	25	20	15	10	10
नाफ्था/एनजीएल	0	5	5	5	5	5
कैरोसीन	0	0	0	0	0	0
बिटुमेन	32	30	25	20	15	15
अन्य	32	30	25	20	15	15

उत्पाद शुल्क	वर्तमान	प्रस्तावित				
	96-97	97-98	98-99	99-00	00-01	01-02
एमएस	20	20	25	25	165	165
एलपीजी	10	10	10	10	10	10
एलएनजी	10	10	10	10	10	10
एफओ, नाफ्था और एलएसएचएस-सामान्य उपयोग के लिए	15	15	15	15	15	15
एफओ, नाफ्था और एचएसएचएस-उर्वरक	0	0	0	0	0	0
कैरोसीन	10	10	10	10	10	10
एचएसडी/एलडीओ	15	15	15	15	15	15
एटीएफ	15	15	15	15	40	40
बिटुमेन	15	15	15	15	15	15
अन्य	15	15	15	15	15	15

1. अधिभार सहित
2. अधिभार रहित

अनुबन्ध-II

सुधारों का चरणबद्ध कार्यक्रम

विवरण		मॉडल
1		2
अंतरण चरण		4 वर्ष
वर्ष-1		(1998-1999)
i	कॉस्ट प्लस फार्मूला समाप्त करना और क्रूड उत्पादकों को वास्तविक आयात के पोत पर्यन्त भाड़ा कीमत के भारित औसत के रूप में भुगतान।	75 प्रतिशत
ii	अंतरण अवधि के दौरान नियंत्रित रखे जाने वाले उत्पाद	एमएस, एचएसडी, केरोसिन, एटीएफ, और एलपीजी।
iii	रिफाइनरियों के लिए रिटेंशन मार्जिन संधारणा और नियंत्रित उत्पादों लिए रिफाइनरी गेट कीमतों की वापसी	वर्तमान रिफानरियों को समायोजित आयात समतुल्य कीमतें तथा नई रिफाइनरियों को टेरिफ समायोजित आयात समतुल्य कीमतें।
	डाकंट्रोल किए जाने वाले उत्पाद	नेफ्था, एफ.ओ., एलएसएचएस, बिटुमिन पेराफिन वैक्स।
v	एक्जिम नीति	क्रूड (स्लाप क्रूड और क्रूड कंडन्सेड) एनजीएल, एटीएफ, एम.एस. और एच.एस.डी. को छोड़ कर सभी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/निर्यात का डीकेनालाइजेशन।
vi	क्रूड की उपलब्धता	क्रूड की उपलब्धता का उदारीकरण और संयुक्त तथा निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों को वास्तविक उपयोगकर्ता लाइसेंस के अंतर्गत आयात की अनुमति।
vii	सीमा शुल्क	चरणबद्ध तरीके से युक्तिकरण
viii	निम्नलिखित की कीमतों में वृद्धि	
	केरोसीन (सा. वि. प्र.)	वर्तमान भंडारण प्वाइंट का 30 प्रतिशत।
	एल. पी. जी. (घरेलू)	पास की जाने वाली सबसिडी का 33 प्रतिशत।
ix	भाड़ा और अन्य अंडररिकवरिज	33 प्रतिशत समान रूप से पास किया जाएगा।
x	कच्चे तेल का नौवहन	कच्चे तेल के लिए कॉस्ट प्लस फार्मूला को वापस लेना और संबद्ध बाजार दरों की ओर जाना।
वर्ष-2 (1999-2000)		
i	पोतपर्यन्त भाड़े भारित की औसत के रूप में कच्चे तेल के उत्पादकों को भुगतान।	77.5 प्रतिशत
ii	निम्नलिखित की कीमतों में वृद्धि	
	कैरोसिन (सा. वि. प्र.)	एक वर्ष के अंत तक संशोधित भंडारण प्वाइंट कीमत का 30 प्रतिशत।
	एल.पी.जी. (घरेलू)	33 प्रतिशत की और सबसिडी पास की जाए।

1		2
iii	भाड़ा और अन्य अंडररिकवरिज	33 प्रतिशत सामान रूप से पास किया जाएगा।
iv	शुल्कों का युक्तीकरण	जारी रखा जाए।
वर्ष 3 (2000-01)		
i	पोतपर्यन्त भाड़ा कीमत की भारित की औसत के रूप में कच्चे तेल के उत्पादकों को भुगतान	80 प्रतिशत।
ii	एटीएफ	आयातों और कीमत निर्धारण डीरेगुलेशन।
iii	निम्नलिखित की कीमतों में वृद्धि	
	कैरोसिन (सा० वि० प्र०)	वर्ष के आरंभ में संशोधित भंडारण प्वाइंट कीमत का 20 प्रतिशत।
	एलपीजी (घरेलू)	आयात समानता में 15 प्रतिशत सब्सिडी स्तर तक पहुंचने के लिए कीमतों में उपयुक्त समायोजन।
iv	भाड़ा और अन्य अंडर-रिकवरिज	बकाया सब्सिडी को समानरूप से पास किया जाए।
वर्ष - 4 (2001-2002)		
i	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में भारित औसत के प्रतिशत के रूप में क्रूड उत्पादकों को भुगतान	82.5 प्रतिशत
ii	कैरोसिन की कीमतों में वृद्धि	आयात समानता के 33.33 प्रतिशत सब्सिडी स्तर तक पहुंचने के लिए कीमतों में उपयुक्त समायोजन।
	2002 से आगे	पूर्ण विनियंत्रणा सरकार के राजकोषीय बजट में एस.के.ओ. (पी.डी.एस.) और एल.पी.जी. की सब्सिडी का अंतरण।

अनुबंध-III

2001-02 के लिए शुल्क संरचना

(प्रतिशत)

सीमा शुल्क	वर्तमान दरें	प्रस्तावित
1	2	3
क्रूड	22	0 से 5
एचएसडी/एलडीओ	32	15
एमएस	32	15
एटीएफ	32	15
एलपीजी	12	10
एलएनजी	12	0 से 5
एफओ/एलएसएचएस	32	10
नाफ्था/एनजीएल	0	5
कैरोसीन*	0	0
बिटुमेन	32	15
अन्य	32	15

उत्पाद शुल्क	वर्तमान दरें	प्रस्तावित
		01-02
1	2	3
एमएस	32	165
एलपीजी	10	10

1	2	3
एलएनजी	10	10
एफओ, नाफ्था एवं एलएसएचएस-सामान्य उपयोग	15	15
एफओ, नाफ्था एवं एलएसएचएस-उर्वरक	0	0
कैरोसीन	10	10
एचएसडी/एलडीओ	15	15
एटीएफ	15	40
बिटुमेन	15	15
[illegible]	15	15

1998-99 में समानांतर विपणन के लिए कैरोसीन पर बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया गया है।

1. सरचार्ज सहित।

श्री आर. साम्बासिवा राव : सभापति महोदय, विशेषज्ञ तकनीकी दल ने प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को समाप्त किए जाने की सिफारिश की थी। ऐसी स्थिति में मूल्य निर्धारण व्यवस्था पेट्रोलियम पदार्थों में आत्म निर्भरता को प्राप्त करने में सहायक होगी जोकि इस समय लगभग 40 प्रतिशत है और जिसके और ज्यादा कम होने की संभावना है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं।

श्री वाजपायी के. राममूर्ति : अध्यक्ष महोदय, नियुक्त की गई समिति ने प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की है और हमने इसे 1 अप्रैल, 1998 से ही हटाना शुरू कर दिया है। उस तारीख से चरणबद्ध तरीके से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि क्या यह मूल्य निर्धारण व्यवस्था हमें तेल उत्पादन में आत्म निर्भर बनाएगी। इसका उत्तर है निश्चित रूप से नहीं। इसमें हमें इस दिशा में कोई सहायता नहीं मिलेगी। इस समय हम 37 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक आत्म निर्भर हैं। मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कारण मैं सभा को आश्वस्त नहीं करता हूँ कि भविष्य में कभी हम तेल उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भर होंगे।

श्री आर. साम्बासिवा राव : सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि वित्त मंत्री ने विशेषज्ञ तकनीकी दल के प्रतिवेदन की सिफारिशों, जिसमें कच्चे तेल पर शुल्क को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने का सुझाव दिया गया है, पर सिद्धान्त रूप से सहमति दी है।

श्री वाजपायी के. राममूर्ति : सभापति महोदय, यह सही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों ने निर्मल सिंह समिति की सिफारिशों का विश्लेषण किया है और शुल्कों को चरणबद्ध ढंग से कम करने का परामर्श दिया है। तेल उद्योग को पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त करने के लिए अंतिम वर्ष 2002 निर्धारित किया गया है। इस वर्ष के बजट में, वित्त मंत्री ने कच्चे तेल पर शुल्क 5 प्रतिशत घटाया है। 2002 तक हमें कच्चे तेल के आयात पर शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर न्यूनतम स्तर तक लाना है।

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूँ कि निर्मल सिंह पैनल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के द्वारा धन और सामग्री के रूप में हमें किस प्रकार के आर्थिक लाभ मिलेंगे?

श्री वाजपायी के. राममूर्ति : आज की स्थिति के अनुसार हमारे देश में, जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों का सवाल है, पहले हमने द्वि-मूल्य नीति और साथ ही प्रशासित मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाया था, जिसके द्वारा हमने कृत्रिम मूल्य वृद्धि की स्थिति पैदा कर दी थी। सबसे पहले समिति ने सुझाव दिया है कि भार का वहन उपभोक्ताओं द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरी बात, समाप्ति वर्ष 2002 तक तेल उत्पादों को पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त कर दिया जाना चाहिए और उस समय बाजार निर्धारित मूल्य ही प्रचलित रहेंगे। उस समय हमें आशा है कि समाप्ति वर्ष में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य कम होंगे।

तीसरी बात, चरणों में, हम प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं। इसके साथ उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क भी कम कर रहे हैं। इससे हमारी राष्ट्रीय तेल कम्पनियों को देश में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के व्यापारियों का सामना करने के लिए अपने आप को समर्थ बनने में सहायता मिलेगी। वे उनसे प्रतियोगिता को झेलने में भी समर्थ हो पाएगी। मुझे आशा है कि समाप्ति वर्ष 2002 में, बाजार निर्धारित मूल्य से निश्चित रूप से तेल मूल्यों में कुछ कमी आएगी।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान अनुबन्ध-I की ओर आकर्षित करता हूँ जहां यह उल्लिखित है कि सुदूर स्थित क्षेत्रों के लिए आपूर्ति पर माल भाड़े में दी जाने वाली राज सहायता वित्तीय बजट में से दी जाएगी। मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूँ कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में, जो कि देश के अत्यधिक सुदूर और अगम्य द्वीपीय क्षेत्र हैं, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण ये अत्यन्त त्रुटिपूर्ण प्रणाली अपनाई जा रही है कैम्पबेल, कार निकोबार, डिगलीपुर, मायाबन्दर और रणगट जैसे द्वीपों में पेट्रोलियम का मूल्य 40 रुपये प्रति लीटर या 50 रुपये प्रति लीटर है। इसी प्रकार, सभी पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बहुत ज्यादा हैं।

इसीलिए मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि इन सुदूर वर्ती क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि उपभोक्ताओं को हानि न उठाना पड़े और उन्हें पेट्रोलियम उत्पादों के लिए अत्यधिक मूल्यों का भुगतान न करना पड़े।

श्री वाञ्छापडी के. राममूर्ति : महोदय, समाप्ति वर्ष, 2002 में हम एल.पी.जी. और मिट्टी के तेल पर जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जा रहा है, क्रमशः 15 प्रतिशत और 33.3 प्रतिशत राज सहायता देते रहेंगे। यह राज सहायता वित्तीय बजट में से दी जाएगी। हम इसे रोकेंगें नहीं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों, जहां हम पेट्रोलियम पदार्थ, एल.पी.जी. और मिट्टी के तेल सहित की आपूर्ति कर रहे हैं, के लिए एक और राज सहायता और अन्य प्रकार की रियायत जारी रखी जाएगी।

माननीय सदस्यों ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में जनता की मुसीबतों पर प्रकाश डाला है। महोदय, वे मेरे पास आकर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। हम सभी सम्भाव्य कदम उठाएंगें। हम निश्चित रूप से संतुष्टि के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों की जनता की कठिनाईयों को अवश्य दूर करेंगे।.....*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : क्या आप इस समस्या के अध्ययन के लिए एक दल को भेजेंगें ?

श्री वाञ्छापडी के. राममूर्ति : हम विचार करेंगे।

श्री वी. सत्यमूर्ति : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने बताया है कि हमें पेट्रोलियम पदार्थों ने बताया कि हमें पेट्रोलियम पदार्थों की कुल आवश्यकता का मात्र 30 प्रतिशत भाग ही मिल पा रहा है। क्या हमारे देश की यही नियति है कि हम हमेशा दूसरे देशों पर हमेशा निर्भर रहे ? हमारे पास ऐसा कोई मास्टर प्लान है जिससे कि हम निकट भविष्य मे आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकें। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ क्या आत्म निर्भरता प्राप्त करने की कोई योजना है।

श्री वाञ्छापडी के. राममूर्ति : महोदय, यदि ईश्वर ने चाहा तो हमारे सभी अन्वेषण कार्यों में सफलता मिलेगी और हमारे माननीय सदस्य की सदिच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। जहां हमारे अनुभव की बात है, इस समय भारत में अपर्याप्त भण्डार है। इसीलिए इससे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मौंग और हमारी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होंगी मैं कह नहीं सकता कि कम या ज्यादा समय में हम आत्म-निर्भरता प्राप्त कर पाएंगे। हमें कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के लिए विश्व के समृद्ध और संसाधनसम्पन्न राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा।

[हिन्दी]

बेरोजगारी

*183. **श्री चिन्ता मोहन** :
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1997 तक बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 58 मिलियन तक पहुंच गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सन् 2002 तक देश में बेरोजगारी समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस हेतु प्रतिवर्ष सृजित किए जाने वाले रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का प्रतिशत क्या है ?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) 9वीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी एवं अल्परोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वतः ही सृजित होगा। सरकार द्वारा 9वीं योजना दस्तावेज को अंतिम रूप देने के पश्चात् ही विस्तृत जानकारी मिल सकेगी।

श्री चिन्ता मोहन : महोदय, रोजगार एक महत्वपूर्ण विषय है। लोक सभा चुनाव से पहले, भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि प्रति वर्ष एक करोड़ नौकरियां सृजित करेंगे। वे सत्ता में भी आ गए हैं। उन्होंने बजट प्रस्तुत कर दिया है। मैं मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट में कितनी नौकरियां सृजित की हैं। यह मेरे अनुपूरक प्रश्न का पहला भाग है।

भाग दो है कि गत वर्ष संयुक्त मोर्चा सरकार ने कृषि श्रम विधेयक प्रस्तत किया था। गत वर्ष अचानक लोक सभा भंग हो गई। मैं मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि वे विधेयक को चर्चा के लिए कब प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर इसमें अभी विलम्ब है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं कि रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे सामने यह एक जटिल समस्या है। वास्तव में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस सस्मया पर यह कहते हुए बल दिया था कि हमारी सरकार इस समस्या के समाधान के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि स्वरोजगार की वर्तमान ''नाबार्ड स्कीम'' का विस्तार करके इस वर्ष लगभग 40 लाख परिवारों की दो लाख समूहों के रूप में सहायता की जाएगी। उसके अतिरिक्त वर्तमान कार्यक्रमों द्वारा इस वर्ष लगभग 7-8 मिलियन रोजगार मिलेंगे। ऐसा वर्तमान बजट में किए गए आवंटन के अनुसार होगा। यह उत्तर उनके पहले अनुपूरक प्रश्न के पहले भाग के संदर्भ में है।

जहां तक मेरा विचार है कृषि विधेयक के संबंध में सरकार सैद्धान्तिक रूप से वचनबद्ध है। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि जैसे ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। माननीय श्रम मंत्री जी इसे प्रस्तुत कर देंगे।

श्री चिन्ता मोहन : पिछली सरकारों ने विशेष रूप से कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी हटाने के लिए जवाहर रोजगार योजना लागू की थी तथा नगरपालिका विधेयक प्रस्तुत किया था। इस बारे में मैं श्रम मंत्री जी से विस्तार से जानना चाहूंगा। क्या भाजपा सरकार ऐसी कोई स्कीम प्रस्तुत करने की योजना बना रही है? यदि हाँ, तो वे क्या हैं? यह मेरे दूसरे अनुपूरक प्रश्न का भाग एक है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री चिन्ता मोहन : बेरोजगार स्नातक, अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर इस सरकरार की ओर देख रहे हैं कि किसी प्रकार का प्रोत्साहन या मदद मिले। क्या उन्हें रोजगार के लिए किसी प्रकार की मदद के लिए सरकार के पास कोई योजना है?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं कहना चाहूंगा कि पूछा गया [illegible] उन्मूलन के बारे में है जिसे एक अलग प्रश्न [illegible] ना चाहिए। तथापि मेरे मित्र ने यह प्रश्न इस सभा में पूछा है अतः मैं उन्हें यह बता दूं कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि वर्तमान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाया जाएगा तथा मजदूरी रोजगार योजना को तेजी से लागू किया जाएगा।

योजनाओं की संख्या का विशेष ब्यौरा देने के लिए मुझे एक विशेष सूचना देनी होगी। परन्तु सामान्य रूप से मैं उन्हें आपके माध्यम से यह आश्वासन दे सकता हूँ कि यही हमारा लक्ष्य क्षेत्र है और हम निश्चय ही इसे प्रोत्साहित करेंगे तथा युवाओं के संबंध में मैंने पहले ही कहा था कि 40 लाख परिवारों को लेकर बना दो लाख स्व-सहायता समूहों की आगामी पांच वर्षों में माइक्रो क्रेडिट स्कीम द्वारा सहायता की जाएगी अर्थात् 10,000 स्व-रोजगार समूहों में दो लाख से अधिक परिवार शामिल होंगे यह सहायता इसी वर्ष दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदय, देश में अशिक्षा और गरीबी की बीमारी के साथ-साथ युवकों में जो बेरोजगारी फैली हुई है, जिससे उनके माता-पिता भी चिंतित हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने नेशनल अजेंडा में सन् 2002 तक देश को इस रोग से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस समय देश में लगभग 58 मिलियन लोग बेरोजगार हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सही तरीका नहीं है। कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदय, देश में रोजगार उत्पन्न होने का रेट 2 प्रतिशत है, लेकिन देश को बेरोजगारी से मुक्त कराने के लिए 3 परसेंट एंप्लायमेंट जेनरेट होना आवश्यक है। इसको पूरा करने के लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने की जो बात कही गई है, उसके लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदय, रोजगार की तलाश में विदेशों में जाने वाले नौजवानों की एजेंटों द्वारा जो लूट हो रही है, इस पर रोक लगाने के लिए क्या श्रम मंत्रालय में कोई स्पेशन सैल बनाया जाएगा, ताकि इस लूट पर रोक लग सके और लोगों को रोजगार भी मिल सके।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न कई भागों में है। आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भाग में उन्होंने 58 मिलियन बेरोजगार लोगों की बात की है। मैं उनके मूल्यांकन को सही करना चाहूंगा कि यह अनुमान लगाया गया था कि 1992-97 अर्थात् आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 58 मिलियन लोगों को रोजगार की आवश्यकता होगी। अगर उन वर्षों में रोजगार की वृद्धि दर 3.64 प्रतिशत होती तो हम यह लक्ष्य प्राप्त कर चुके होते। परन्तु हम आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिवर्ष लगभग छह मिलियन नौकरियां ही सृजित कर सके थे अर्थात् लगभग 28 मिलियन नौकरियां लक्ष्य के अनुसार प्राप्त नहीं की जा सकी हैं। 1992 से लेकर 2002 तक दस वर्षों में 94 मिलियन नौकरियां सृजित की जाएंगी। यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य 3.64 प्रतिशत था परन्तु हमने केवल 2.03 प्रतिशत लक्ष्य ही प्राप्त किया है।

वास्तव में, योजना के मध्य में दुबारा 2.7 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था परन्तु वह भी पूरा नहीं किया गया था। हम अपने लक्ष्य में पीछे रह गए हैं। आज नौवीं योजना के मसौदे को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यह परिकल्पना वर्ष 2007 के अंत तक के लिए की गई थी, अर्थात दसवीं योजना के अंत तक, हम इस सभा में आ सकेंगे और यह कह सकेंगे कि हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं। जहां बेरोजगारी नियंत्रण में है या हम सभी को रोजगार प्रदान करने के स्थान पर पहुंच गए हैं। परन्तु यह स्थिति वर्ष 2007 तक प्राप्त होगी न कि 2002 तक जैसी पहले परिकल्पना की गई थी क्योंकि आठवीं योजना में हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सके थे।

जहां तक सघन कृषि का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि नौवीं योजना में हम कृषि पर आधारित और लघु उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। वास्तव में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि आगामी दस वर्षों में कृषि उत्पादन को दोगुना करने के लिए कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला अर्थात् 66 प्रतिशत रोजगार देने वाला क्षेत्र है। और हम इस पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे।

श्री राजेश पायलट : क्या आप अपने बजट में प्रस्तावित आठ प्रतिशत का कर लगाकर कृषि उत्पादन बढ़ाएंगे। इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैं अपने माननीय मित्र की टिप्पणियों पर ध्यान दूंगा और इससे वित्त मंत्री जी को अवगत करा दूंगा। मैं समझता हूँ कि वे इसके द्वारा कुछ कहना चाहते हैं। मैं इससे दूर नहीं होना चाहता क्योंकि आखिर कभी हम भी एक ही मुद्दे पर बहस करते थे और आज भी करते हैं।

परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि विदेशों में रोजगार के संबंध में श्रम मंत्रालय में एक प्रकोष्ठ है और विदेशों में रोजगार देने वाले प्राधिकृत एजेन्टों को हम प्रमाणपत्र देते हैं। मैं समझता हूँ कि आज लगभग आठ लाख लोगों को विदेशों में रोजगार मिला हुआ है। हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं और इसकी जांच करेंगे। लोगों को विदेश जाकर नौकरी करने के लिए कहने से बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होता। हमारा यह उद्देश्य नहीं है। यह उद्देश्य काफी स्पष्ट है कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें अधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों का विकास करना होगा।

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, पश्चिम बंगाल की बेरोजगारी की समस्या काफी गंभीर है। यह कहा गया है कि 1977 में पश्चिम बंगाल में पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या 16 लाख थी। अब 1998 में यह संख्या बढ़कर 60 लाख हो गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री के पास प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के बेरोजगारों का अलग-अलग ब्यौरा है? यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि जवाहर रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसी युवाओं को रोजगार देने वाली रोजगारदायी स्कीमों के लिए आवंटित राशि का पश्चिम बंगाल में दुरूपयोग हुआ और क्या वे निधियां निजी स्रोतों में चली गई या उनका अन्य कहीं उपयोग हुआ? मेरे प्रश्न के ये दो भाग हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक व्यक्ति दो अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : जी, नहीं। मैं उनका उत्तर देने का इच्छुक हूँ। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि श्री पांजा जी ने जो आंकड़े पूछे हैं उनका उत्तर देने के लिए एक अलग नोटिस देना होगा। ये आंकड़े हमारे पास हैं परन्तु मैं उन्हें यह लिखित रूप में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन लोगों की संख्या क्या है जिनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है। परन्तु मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यह ठीक रहेगा कि उन्हें यह बताएं कि इसका यह अर्थ नहीं है कि रोजगार कार्यालय में पंजीकृत सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं परन्तु फिर भी अपना नाम पंजीकृत करवाना चाहते हैं क्योंकि हमारे देश में यह प्रवृत्ति है कि सही नौकरी केवल सरकारी नौकरी है। इसलिए वे निजी क्षेत्र की नौकरी की घोषणा नहीं करते। यही जीवन की वास्तविकता है। अतः रोजगार कार्यालय में बढ़ती हुई संख्या का यह अर्थ नहीं है कि बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की स्थिति के संबंध में उनका कहना ठीक है परन्तु पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य नहीं है जहां बेरोजगारी बढ़ रही है.....*(व्यवधान)* मैंने कहा है कि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य नहीं है जहां बेरोजगारी बढ़ रही है? इससे अधिक वे क्या चाहते हैं? वे ठीक ही कह रहे हैं।

श्री अजित कुमार पांजा : वे कह रहे हैं कि हर जगह बेरोजगारी है। तो क्या इसलिए पश्चिम बंगाल के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए? मैं माननीय मंत्री जी से वास्तविक आंकड़े जानना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री अजित कुमार पांजा : यह सही तरीका नहीं है कि मंत्री जी निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं। क्या जांच की गई है?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैंने माननीय सदस्य से कहा है कि मैं उन्हें आंकड़े बता दूंगा। दुर्भाग्यवश, इस प्रश्न के संबंध में मैं बाध्य नहीं हूँ। परन्तु मैं आश्वासन देता हूँ कि उन्हें आंकड़े मिल जाएंगे.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप पर ही आ रहा हूँ।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : योजनाओं के खातों के बारे में संबंधित मंत्री जी को उत्तर देना ही होगा न कि मुझे। और इसके लिए एक अलग नोटिस देना होगा। चूंकि उन्होंने एक विशेष प्रश्न पूछा है इसलिए अगर हमारे पास इस बारे में सही नोटिस मिलता है तो संबंधित मंत्री को ही उत्तर देना होगा न कि मुझे। मैं जानकारी प्राप्त करके उन्हें भेज दूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, उन ग्रुपों के बारे में जिन्हें कुछ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यह कहा गया है कि उन्हें वित्तीय सहायता आदि दी जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार विपणन के बारे में भी कुछ सोच रही है क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रशिक्षित स्वरोजगार ग्रुपों को विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि उनके उत्पादों के विपणन में उन्हें किस प्रकार कुछ सहायता दी जाए जिन्हें सरकार कुछ सहायता दे भी रही है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से यह प्रश्न और सुझाव बहुत ही प्रासंगिक है। जब भी हम स्वरोजगार कार्यक्रमों को चलाते हैं। उनके अन्त में अन्ततः हमारे समक्ष एक स्थिति पैदा होती है कि जब वे विनिर्माण आरंभ करते हैं तो [illegible]ओं को अपने उत्पादों के विपणन में कठिनाई का [illegible]है। मैं निश्चित तौर पर माननीय सदस्य द्वारा [illegible]गंभीरता से लूंगा और इसके बारे में वित्तमंत्री और ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री को सूचित करूंगा।

श्री प्रकाश यशवंत आम्बेडकर : अध्यक्ष महोदय, यहां दिया गया उत्तर यह है कि वर्ष 1997 तक बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 58 मिलियन तक नहीं पहुंची है। मेरे प्रश्न का पहला भाग है : फिर सही आंकड़े क्या हैं? दूसरा, स्वयं मंत्री जी ने श्रम साधन प्रौद्योगिकी पर बल दिया है।

महोदय खादी और ग्रामोद्योग आयोग में अनेक योजनाएं इस आधार और इस सिद्धान्त पर चलाई जाती हैं। जहां तक मैं जानता हूँ संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी आई है जिसका कारण नई प्रौद्योगिकी लाया जाना है। जो योजनाएं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से कार्यान्वित की जाती थी वे पूरी तरह बदल गई हैं। जो योजनाएं राजसहायता के अन्तर्गत चलाई जाती थी उन्हें अब ऋण के अन्तर्गत चलाया जाता है, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि क्या वे इस बारे में विचार करेंगे और बदलाव लाएंगे क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों या सीधे समितियों को दी जा रही सारी राशि अनप्रयुक्त पड़ी है और इसके कारण जो रोजगार सृजन होना था, उसमें कमी हो रही है?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि प्रश्न के दूसरे भाग का सभा में पूछे गए प्रश्न से संबंध नहीं है किंतु मेरा विचार है कि उन्होंने जो सुझाव दिया है वह सकारात्मक है और मैं इससे संबंधित मंत्रियों को अवगत करा दूंगा। किंतु आंकड़ों के बारे में मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि 58 मिलियन 1992-97 के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की कुल अनुमानित संख्या का आंकड़ा है। यह रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या थी और पूछा गया प्रश्न था कि क्या 1997 तक बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 58 मिलियन तक पहुंच गई थी। जिसका उत्तर मैंने "नहीं" दिया है।

सर्वेक्षण के अनुसार 1997 के वास्तविक आंकड़े 28 मिलियन थे। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताता हूँ कि मैंने इस आंकड़े की गणना किस प्रकार की है। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 58 मिलियन तक पहुंचने की संभवना थी। पांच वर्षों में प्रतिवर्ष छह मिलयन रोजगार के अवसर सृजित किए गए, इसलिए 58 मिलियन से 30 मिलियन घटाकर 28 मिलियन रहता है।

हमें यह समझना चाहिए कि ये आंकड़े केवल बोधक हैं। ये आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के हैं। सच्चाई यह है कि अंतिम सर्वेक्षण 1994 में किया गया था। 1994 के सर्वेक्षण के अनुसार कुल 20 मिलियन बेरोजगार व्यक्ति दूसरे शब्दों में बिल्कुल बेरोजगार थे अर्थात उनके पास कोई रोजगार नहीं था, सी.डी.ए. योजनाओं के अन्तर्गत आंशिक रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 20 मिलियन है। यह संख्या 1994 में थी, अब जुलाई में हम अगला नमूना सर्वेक्षण कराने जा रहे हैं। यह 1998-99 में कराया जाएगा। सामान्यतः यह प्रत्येक चार वर्ष में किया जाता है। इसलिए वास्तविक सही आंकड़े नमूना सर्वेक्षण कराने के बाद ही दिए जा सकते हैं। फिलहाल मैं माननीय सदस्य को अनुमानित संख्या बता रहा हूँ. .....*(व्यवधान)*

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील : बेरोजगारी समस्या देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इससे केवल युवा पीढ़ी में ही नहीं अपितु देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। इससे प्रत्येक क्षेत्र यथा कृषि, उद्योग और कई अन्य क्षेत्रों की प्रगति में विशेष रूप से बाधा आ रही है। रोजगार की लक्षित वृद्धि को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाई गई किंतु वे बुरी तरह विफल रही हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूँ कि क्या वे बेरोजगारी के समग्र मुद्दे पर नजर रखने के लिए स्पष्ट समीक्षा करेंगे।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : यह एक स्वागत योग्य सुझाव है। मैं इसके बारे में श्रम मंत्री को सूचित करूंगा। मुझे यकीन है वे आपको इस बारे में जानकारी देंगे।

राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

*

***184. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री ए. वैंकटेश नायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं और उनकी राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों की ओर से राज्यों में सहायक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव विश्व बैंक को भेजे हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो उन पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) देश में नौवीं योजना के दौरान सहायक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए कितनी धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वजित एजिजमलाई) : (क) से (च) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है।

(ख) से (ङ) विश्व बैंक सहायता से राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य चरण-1 और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पंजाब (चरण-ii) में चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित की जा रही हैं। उड़ीसा (चरण-iii) में राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना के लिए दिनांक 16 से 22 अप्रैल, 1998 तक विश्व बैंक से बातचीत की गई है। महाराष्ट्र के लिए परियोजना प्रस्ताव को भी चरण-iii में शामिल करने हेतु इसे विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, दिल्ली और राजस्थान राज्यों से भी सरकार को परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निम्न स्वास्थ्य सूचकों वाले राज्यों को प्राथमिकता देते हुए विश्व बैंक के साथ चरणबद्ध ढंग से उठाने का प्रस्ताव है।

(च) स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9वीं योजना में द्वितीयक स्वास्थ्य पद्धतियों के लिए निधियां निर्धारित नहीं की हैं क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है।

अनुबन्ध

30.6.97 की स्थिति के अनुसार चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1335	207
2.	अरूणाचल प्रदेश	47	9
3.	असम	619	105
4.	बिहार	2209	148
5.	गोवा	18	5
6.	गुजरात	960	186
7.	हरियाणा	397	64
8.	हिमाचल प्रदेश	260	42
9.	जम्मू व कश्मीर	335	45
10.	कर्नाटक	1509	232
11.	केरल	956	80
12.	मध्य प्रदेश	1376	190
13.	महाराष्ट्र	1695	300
14.	मणिपुर	72	16
15.	मेघालय	81	10

1	2	3	4
16.	मिजोरम	38	6
17.	नागालैंड	33	5
18.	उड़ीसा	1056	157
19.	पंजाब	484	105
20.	राजस्थान	1616	261
21.	सिक्किम	24	2
22.	तमिलनाडु	1436	72
23.	त्रिपुरा	56	11
	प्रदेश	3761	262
	...चम बंगाल	1556	89
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	17	4
27.	चंडीगढ़	–	1
28.	दादरा व नागर हवेली	6	–
29.	दमण व दीव	3	1
30.	दिल्ली	8	–
31.	लक्षद्वीप	4	3
32.	पांडिचेरी	43	4
	अखिल भारत	22010	2622

[हिन्दी]

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह कहा गया है कि महाराष्ट्र के लिए जो प्रस्ताव है, वह विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। मैं इस प्रकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि विश्व बैंक भारत के प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए तैयार था, लेकिन केन्द्र सरकार ने उसमें किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब इसमें क्या देरी है और सरकार इस पर विश्व बैंक से कब बातचीत करने वाली है।

[अनुवाद]

श्री दलित एजिलमलाई : वर्तमान में उड़ीसा के प्रस्तावों की विश्वबैंक द्वारा जांच की जा रही ही और किसी भी क्षण हमें परियोजना की स्वीकृति मिलने की आशा है। महाराष्ट्र से संबंधित प्रस्तावों को हम अगले चरण में लेंगे।

[हिन्दी]

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का मामला कितने दिन पेंडिंग रहा है और उसके बारे में क्या अब बातचीत हो गई है, क्या इस बारे में आप कोई कांक्रीट रिप्लाई देंगे तथा परमाणु विस्फोट के बाद विश्व बैंक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को मिलने वाले अनुदान तथा ऋण में कोई कटौती की है? यदि कटौती की है तो सरकार की उस बारे में आगे क्या पॉलिसी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर में दिया है कि नौवी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता चूंकि राष्ट्रीय पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार नौवीं पंचवर्षीय योजना में एक रूरल हैल्थ पॉलिसी बनायेगी, जिससे कि 21वीं शताब्दी में स्वास्थय का सबसे अच्छा लाभ प्राप्त हो सके।

[अनुवाद]

श्री दलित एजिलमलाई : जहां तक महाराष्ट्र की परियोजनाओं का संबंध है। इनका विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बंध है हमने किसी भी बाह्य एजेंसी से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पहले से स्वीकृत

धनराशि को रोकने के बारे में या किसी प्रकार की समस्या के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

इसलिए परमाणु विस्फोट और उसके बाद के बारे में पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में मुझे कुछ नहीं कहना है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो आंकड़े दिये गये हैं कि इतने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा इतने सामुदायिक केन्द्र हैं, इसमें प्रदेशों में विसंगतियां नजर आती हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपनी पर्वतीय क्षेत्र उत्तरांचल की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां आज भी 24 घंटे पैदल चलने के बाद भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं। हमें बताया गया है कि मापदंड इस प्रकार के बनाये गये हैं और जनसंख्या के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूरे हो गये हैं। माननीय मंत्री जी में जानना चाहता हूं ये मापदंड कब के बने हुए हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र और पिछड़े इलाकों को देखते हुए मापंदड किस प्रकार बनाये गये हैं जहां पर बहुत लम्बे समय तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं, सामुदायिक केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं। आपके मापदंड क्या हैं, कितने समय में आदमी पैदल चलकर या गाड़ी से वहां पहुंच सकता है, क्या इस पर आधार पर बनाये गये हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल के लिए 95 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आज केन्द्र सरकार के पास रूके हुए हैं, उनकी जितनी ऑथोराइज्ड जनसंख्या थी उसके आधार पर वे पूरे हो गये हैं। क्या आप 95 स्वास्थ्य केन्द्रों की उत्तरांचल के लिए स्वीकृति देंगे? कृपया इस बारे में बतायें।

[अनुवाद]

श्री दलित एजिलमलाई : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा एए.एच.सी. ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा देखा जाता है। उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में है। इसलिए उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को देखना उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है.....*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी एवीएसएम : मैं मानदंड की बात कर रहा हूं। उन्होंने मानदंड के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमें किसी प्रकार के मानदंडों की आवश्यकता है। इसका उत्तर नहीं दिया गया है। मानदंड योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे उसका उत्तर दे रहे हैं।

.....*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी एवीएसएम : मैं उन मानदंडों की बात कर रहा हूं जिन्हें केन्द्र सरकार ने निर्धारित किया है।

श्री दलित एजिलमलाई : पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, विशेषकर 3000 और 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए मानदण्डों को उदार बनाया गया है। इसे इस तरह उदार बनाया जा रहा है.. ....*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चंद्र खण्डूड़ी, एवीएसएम : मैं पैदल दूरी की बात कर रहा हूं। आज किसी गर्भवती महिला को 24 घंटे चलना पड़ता है। जबकि वे जनसंख्या की बात कर रहे हैं .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए।

श्री दलित एजिलमलाई : तदनुसार, हमने संबंधित राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश दे दिए हैं। यह राज्य सरकारों का काम है कि पर्वतीय क्षेत्रों की ओर ध्यान दें.....*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंण्डूड़ी, एवीएसएम : मैं जनसंख्या नीति की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि पैदल दूरी की बात कर रहा हूं। उन्होंने उत्तर नहीं दिया है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री के.एच. मुनियप्पा।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री के.एच. मुनियप्पा को बोलने की अनुमति दी है।

श्री के.एच. मुनियप्पा : महोदय, 1993 में भारत सरकार ने ऐसे जिला अस्पतालों का नाम सुझाने के लिए राज्य सरकारों से कहा था जिनमें 200 अतिरिक्त बिस्तर मुहैया कराए जाएं। तदनुसार, कर्नाटक सरकार ने 10 जिला अस्पतालों में 200 बिस्तर (बेड) लाकर सुधार करने का प्रस्ताव किया था। कोलार जिला ऐसा ही एक जिला है जहां यह सुविधा प्रदान की जानी है। यह विश्व बैंक की सहायता से की जानी है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि ये परियोजाएं कब शुरू की जाएंगी और कब पूरी होंगी?

श्री दलित एजिलमलाई : ये परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही हैं..... *(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रौसेया : महोदय, लगभग सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति बहुत खराब और अस्वास्थ्यकर है। कई केन्द्रों में डॉक्टर नहीं बैठते।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आपने श्री मुनियप्पा के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे दिया है?

श्री दलित एजिलमलाई : हमारी प्राथमिकता है। जो भी राज्य अपनी परियोजना लेकर आता है। हम उनमें प्राथमिकता निर्धारित करते हैं। अब चरण-I और चरण-II का काम शुरू किया गया है।

परन्तु जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है। विश्व बैंक ने पहले ही काम शुरू कर दिया है। जहां तक कर्नाटक का संबंध है परियोजना के लिए अब तक आने वाली लागत 546 करोड़ रुपये है। और इस परियोजना की अवधि साढ़े पाँच वर्ष है। इस परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक के 21 जिला अस्पतालों, 117 मंडलीय अस्पतालों तथा 74 सामुदायिक अस्पतालों का विस्तार और नवीकरण किया जाएगा।

श्री कोनिजेटी रोसैया : महोदय, लगभग सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थिति काफी खराब है। राज्य के कई अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं बैठते। भारत सरकार का लक्ष्य ''सन् 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं'' हैं। लगभग सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की इतनी बुरी हालत होने से आप सन् 2000 तक [illegible] के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का अपना लक्ष्य कैसे [illegible] क्या आप यह स्पष्ट करेंगे ?

श्री दलित एजिलमलाई : मैं माननीय सदस्य की बात से असहमत नहीं हूँ। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी ही स्थिति है। परन्तु फिर भी हम संबंधित राज्य सरकारों से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या अन्य स्वास्थ्य संस्थान जिनसे वहां रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं स्थापित करें और उनमें सुधार करें इसलिए, केन्द्र सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में सीधे हस्तक्षेप करके कुछ करने की बात ही नहीं है।

श्री कोनिजेटी रोसैया : क्या आप स्वास्थ्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाकर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुधारने के लिए कुछ विचार बताएंगे ?

श्री दलित एजिलमलाई : यह प्रश्न पूछने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले हम इस महीने की 19 और 20 तारीख को आंध्र प्रदेश में दक्षिण क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने वाले हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे कि विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की ओर ध्यान दिया जाए।

प्रो० ए.के. प्रेमाजम : हमारा ध्येय 'सन् 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य' सेवाएं उपलब्ध कराना है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है वहां स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का जाल बिछा हुआ है। परन्तु शहरी केन्द्रों में स्थिति अच्छी नहीं है। मेरा प्रश्न यही है। क्या प्रजनन और शिशु सुरक्षा केन्द्रों को महत्व देने के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री दलित एजिलमलाई : मैं एक बार फिर माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूँ। मुझे देश के ग्रामीण क्षेत्रों की दयनीय स्थिति के बारे में और कुछ नहीं कहना है। यह थोड़े समय में पैदा नहीं हुई है।.....*(व्यवधान)*

प्रो० ए.के. प्रेमाजम : मेरा प्रश्न शहरी केन्द्रों के बारे में है। क्या शहरी क्षेत्रों की स्थिति सुधारने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव या परियोजना है क्योंकि जैसा कि हम सोचते हैं होना चाहिए, शहरी क्षेत्रों की स्थिति ठीक नहीं है। क्या केरल के संबंध में कोई प्रस्ताव है ?

श्री दलित एजिलमलाई : मैं यह नहीं कहता कि यहां या वहां सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से पीड़ित है बल्कि शहरी क्षेत्र के लोग भी दुखी हैं।

प्रो० ऐ.के. प्रेमाजम : क्या शहरी क्षेत्रों के लिए कोई नया प्रस्ताव है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए। कृपया बैठ जाइए।

श्री दलित एजिलमलाई : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दूंगा कि शहरी क्षेत्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए वे समिति का गठन करने या कोई प्रस्ताव बनाने जैसा जो भी सुझाव वे देना चाहेंगी, हम उस पर विचार करेंगे।

श्री सी. गोपाल : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि विश्व बैंक के लिए चुने जाने के लिए राज्यों के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाएगा।

श्री दलित एजिलमलाई : एस.एच.एस.डी. परियोजना के लिए राज्यों को चुने जाने के मानदण्ड हैं। प्राथमिक और द्वितीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी, संबंधित राज्य में महामारी की स्थिति, सरकार की स्वास्थ्य सुधार की वचनबद्धता और समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राज्य सरकार की पर्याप्त निधियां प्रदान करने की वचनबद्धता।

इस मानदण्ड में विशेष रूप से राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना तथा परियोजना अवधि पूरी होने पर उसके कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेवारी लेना, राज्य का आर्थिक पिछड़ापन जिसमें ग्रामीण जनसंख्या शामिल है तथा बाह्य रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में राज्य विशेष का पिछला रिकॉर्ड शामिल है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने से संबंधित कुछ स्कीमें वर्ल्ड बैंक द्वारा ली गई हैं जिनके लिए वर्ल्ड बैंक ने मापदंड निर्धारित किए हैं। हमारे देश में कई ऐसे प्रांत भी हैं, जैसे उड़ीसा, बिहार जिनके साथ सरकार ने किसी तरह का पत्राचार नहीं किया। इस कारण कई ऐसे राज्यों में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो सके जो काफी पिछड़े हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जिन प्रांतों से प्रस्ताव नहीं आए हैं, वहां से प्रस्ताव मंगाकर, क्या वर्ल्ड बैंक स्कीम में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ?

[अनुवाद]

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो केन्द्र सरकार के पत्राचार का मुश्किल से उत्तर देती है। न

केवल वे केन्द्र सरकार के प्रति जवाबदेही की चिंता करती हैं। बल्कि वे बाहरी एजेन्सियों की भी चिंता नहीं करते जो स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके राज्यों में अग्रणी भूमिका निभाती हैं विशेषतौर पर जिन राज्यों का वह जिक्र कर रहे थे। काफी प्रयास के बाद, उड़ीसा सरकार ने अब इस परियोजनओं को अंतिम रूप दिया है। विश्व बैंक ने भी इस परियोजना को स्वीकार कर लिया है। अब इस पर कार्यवाही हो रही है।

राम मन्दिर का निर्माण

*185. **श्री जी.एम. बनातवाला :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राम मंदिर के ढांचे का निर्माण अयोध्या और पिडंवारा में किया जा रहा है जिसे अयोध्या में जन्मभूमि स्थल पर कार सेवकों द्वारा जोड़ दिया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) न्यायालयों के आदेशानुसार यथास्थिति बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अयोध्या में विवादित राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। तथापि, विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं मिली हैं कि अयोध्या में विवादास्पद स्थल से दूर कुछ स्थानों तथा राजस्थान के कुछ गांवों में पत्थर के स्तम्भों की कटाई और नक्काशी का कुछ काम चल रहा है। अयोध्या में विवादास्पद राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद स्थल से दूर पत्थरों ..ो नक्काशी करने से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होता है। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.10.1994 के निर्णय के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार, स्टैट्यूटरि रिसीवर के रूप में, इस विवादित स्थल में यथा-स्थिति बनाए रखने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है।

श्री जी.एम. बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि विवादित स्थल से दूर कुछ कार्य चल रहा है। इसका कोई महत्व नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऐसा जानबूझ कर किया जा रहा है।

जानकारी मिली है कि 30 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा किया जा चुका है और सामान अयोध्या भी भेजा जा रहा है। सरकार अब एक दृष्टिकोण अपनाती है और कहती है जो कार्य विवादित स्थल से दूर चल रहा है वह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। यही इस बात का महत्वपूर्ण बिंदु है।

अब मैं कहता हूँ कि यह विश्व हिन्दू परिषद् की भाषा है और सरकार विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष की भाषा बोल रही है जिन्होंने कहा है कि विवादित स्थल से भिन्न स्थानों पर तैयारी करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है।

मैं दो बातें कहना चाहता हूँ.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री जी.एम. बनातवाला : उस स्थल के बारे में न्यायालय के आदेश की पवित्रता को भंग करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री जी.एम. बनातवाला : ये तैयारियाँ गैर कानूनी गतिविधियां हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला अन्य सदस्य भी प्रश्न पूछने वाले हैं। आप कृपया पहले अपना प्रश्न पूछिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : कृपया नाराज न हों। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन तैयारियों को गैर कानूनी गतिविधियां नहीं मानती है जो विवादित स्थल पर पूर्वनिर्मित ढांचों को लाने के घोषित लक्ष्य से विभिन्न स्थानों पर चल रही हैं ? क्या सरकार इसे गैरकानूनी मानती है या नहीं ? और क्या सरकार ऐसी गतिविधियों को साम्प्रदायिक दृष्टि से उत्तेजक, साम्प्रदायिक सौहार्द, शांति और हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए घातक नहीं समझती है ? और इसलिए क्या सरकार ऐसी गैर कानूनी, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाली गतिविधि के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगी ? ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि वे उच्चतम न्यायालय की परवाह नहीं करेंगे और विवादित स्थल पर पूर्वनिर्मित ढांचे लाते रहेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या अयोध्या में विवादित स्थल से दूर या राजस्थान के किसी गांव में चल रहा निर्माण कार्य अवैध है या नहीं ? मैं उस बात को पुनः जोर देकर कहता हूँ जो कल सरकार और प्रधानमंत्री ने कही थी, मैं जो बात यहां जोर देकर कहना चाहता हूँ वह न इस सरकार का विचार है और न ही विश्व हिन्दू परिषद् के विचार हैं अपितु यह गुजराल सरकार के विचार हैं। जब श्री इन्द्रजीत गुप्त गृह मंत्री थे। जो उन्होंने कहा था मैं उसे एक बार पुनः उद्धृत करना चाहता हूँ क्योंकि यह निर्माण कार्य 1991 से चल रहा है। 1997 के मध्य में जब इस निर्माण कार्य के बारे में आपत्ति उठाई गई तो श्री इन्द्रजीत गुप्त ने श्री मौलाना आजाद मदानी के प्रश्न के उत्तर में कहा था, "मैंने मामले की जांच कर दी है, कोई भी निर्माण कार्य.....*(व्यवधान)*"

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय इसे यहां उद्धृत नहीं किया जा सकता। यह गलत है दूसरे सदन में दिए गए उत्तर को यहां उद्धृत नहीं किया जा सकता.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिये।

.....*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : यह नियम का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह उचित नहीं है।

श्री जी.एम. बनातवाला : जो कुछ किया जा रहा है वह उचित नहीं है। यह नियम विरूद्ध है। इस बारे में स्पष्ट निर्णय हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये। आपको दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह प्रश्न काल है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय यह 24 जनवरी, 1998 को लिखा गया पत्र है। मैं इसमें से कुछ अंश उद्धृत करता हूं: ''मैंने मामले की जांच की है। विवादित स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। यह सत्य है कि विश्व हिन्दू परिषद द्वारा स्थापित एक कार्यशाला में पत्थरों के कटाई और तराशी का कार्य चल रहा है जो विवादित स्थल से 2 कि.मी. दूर है। चूंकि यह कार्य अपने आपमें किसी भी कानून का उल्लघन नहीं है अतः भारत सरकार या जिला प्रशासन के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह इस मामले में कोई कार्यवाही करे।'' .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझ से पूछा गया प्रश्न यह है कि इस बारे में हमारी सरकार का क्या दृष्टिकोण है। यह सरकार गुजरात सरकार द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन करती है।

श्री जी.एम. बनातवाला : यह केवल कुछ निर्माण कार्य किया जाना मात्र नहीं है किंतु अब निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है जिसके बड़े साम्प्रदायिक प्रभाव होंगे और इस बात को समझा जाना चाहिए। सारी बात का संदर्भ समझा जाना चाहिए कि जब साम्प्रदायिक खतरा है तो उस खतरे को समझा जाना चाहिए और साम्प्रदायिक सौहार्द तथा शांति के हित में.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए। कृपया स्थिति को समझें। अन्य सदस्य भी इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, कृपया मेरी बात भी समझिए।

अध्यक्ष महोदय : फिर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय मैंने स्पष्टतः कहा है कि विभिन्न स्थानों पर जोर-शोर से चल रहा निर्माण कार्य साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए घातक है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर मंत्री ने पहले ही दे दिया है।

श्री जी.एम. बनातवाला : उन्होंने केवल एक बात का उत्तर दिया है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अकबर अहमद कुछ धैर्य रखें।

श्री जी.एम. बनातवाला : माननीय मंत्री ने हमें बताया है कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। क्या वे हमें उन सभी संभावित कदमों के ब्यौरे के बारे में बताएंगे जो यथास्थिति बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं? वे कदम क्या उठाए जा रहे हैं विशेष रूप से उस स्थिति में जब व्यापक पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं और सरकार यथास्थिति के उल्लंघन में जोरों पर चल रहे निर्माण कार्य की मूक-दर्शक बनी हुई है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, अपने वक्तव्य में मैंने उच्चतम न्यायालय के 24.10.94 के निमार्ण का उल्लेख किया है। निर्णय के अनुसार विवादित क्षेत्र से संबंधित सभी लम्बित वाद और अन्य कार्यवाही को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवाद के अंतिम निर्णय के लिए पुनरुज्जीवित किया है। निर्णय द्वारा केन्द्र सरकार को हक वादों के निर्णय तक उसमें किए गए अंतिम निर्णय के कार्यान्वयन के लिए विवादित क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है अब उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 7 (2) के अन्तर्गत डिवीजनल कमीश्नर, फैजाबाद को प्राधिकृत व्यक्ति नियुक्त किया है और इस निर्णय को दिए जाने के समय से विगत कई वर्षों से 1994 से आज तक विवादित स्थल पर यथास्थिति को निष्ठापूर्वक बनाए रखा गया है। यथास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, आप समझते होंगे कि अयोध्या मुद्दा एक अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे की संवेदनशील प्रकृति के कारण हमारे शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में अयोध्या मुद्दे का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। न्यायालय के निर्णय के अनुसार विवादित क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। देश की अखण्डता के हित में हमें इस मामले पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। विवादित क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्य के बारे में सरकार का रूख क्या है? क्या सरकार सतर्कता बरतेगी और आवश्यक कदम उठाएगी ताकि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न हो, लोगों की भावनाएं आहत न हों और देश की जनता को कोई गलत संदेश न जाए?

हिन्दू और मुसलमानों को मिलकर कार्य करना चाहिए..... .*(व्यवधान)* हमें दलीय आधार पर बात नहीं करनी चाहिए। मैं इस प्रश्न को देश हित में पूछ रही हूँ.....*(व्यवधान)* सरकार को इस सभा को आश्वासन देना चाहिए कि अयोध्या में विवादित क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्र में भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं इस संबंध में मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहती हूँ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिंता को समझता हूं। इस मुद्दे पर हमारी चिंता व्यक्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष के पत्र के उत्तर में कहा;

> ''जब मेरी सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडे का प्रारूप तैयार किया गया और उसे स्वीकार किया गया तो मेरी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने सर्वसम्मति से और जानबूझ कर अयोध्या मुद्दे को इससे अलग रखने का निर्णय किया। हमने ऐसा इसलिए किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा, साम्प्रदायिक सौहार्द और सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति हमारी उच्च वचनबद्धता है। हमने ऐसा इसलिए भी किया कि हमें विवादास्पद मुद्दों को शांति और सर्वांगीण विकास की शर्तों के साथ सौहार्दपूर्वक हल करने में भारतीय जनता की बुद्धिमत्ता में पूरा विश्वास है।''

महोदय, मुझे पुनः उसी बात को दोहराते अफसोस है जिसे मैं पहले ही कह चुका हूँ। सरकार अयोध्या मुद्दे को केन्द्र बिन्दु से अलग रखने के लिए उत्सुक है किंतु विपक्ष उसे पुनः केन्द्र बिन्दु में लाने का प्रयास कर रहा है।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री द्वारा माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद यादव : मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।.....*(व्यवधान)* गृह मंत्री को स्मरण होगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में वे उन दिनों थे और उसमें उन्होंने कहा था कि मस्जिद के पाए एक भी मच्छर नहीं फटेगा। हम सिर्फ परिक्रमा करेंगे और मस्जिद को कोई क्षति नहीं पहुंचायेंगे। आपके उस वचन का वायलेशन हुआ। मस्जिद को ध्वस्त किया गया। उसमें आप विफल हुए।.....*(व्यवधान)* मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ।

दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने आदेश का पालन न करने के कारण एक दिन की सजा दी। वायलेशन करने वाले लोग हैं, मस्जिद गिराने वाले लोग हैं, मस्जिद गिराने वाला जो सजायाफ्ता है, वह प्रोटेक्टर बना हुआ है।..... *(व्यवधान)* इसलिए मैं गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वह डिसप्यूटिड मस्जिद को सेना के हवाले से करना चाहते हैं या नहीं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

परिवार नियोजन कार्यक्रम

***186. प्रो० पी.जे. कुरियन :**
श्री रंजीव बिस्वाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम में भारी गतिरोध उत्पन्न हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए कोई संशोधित कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(च) इस संबंध में चालू शताब्दी के किए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(छ) परिवार नियोजन के संबंध में राज्यवार क्या-क्या उपलब्धि हासिल की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (छ) यह कहना सही नहीं है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा है। दरअसल, पूरे देश के लिए जन्म दर 1991 में प्रति 100 जनसंख्या पर 29.5 से घटकर 1996 में प्रति 1000 जनसंख्या पर 27.5 रह गई है और इस अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 80 से घटकर 72 हो गई है। भारत के महापंजीयक द्वारा किए गए 1996 के नमूना पंजीयन पद्धति सर्वेक्षण के अनुसार 1996 के दौरान जन्म दर को कम करने में पिछले वर्षों की अपेक्षाकृत काफी सुधार हुआ है। शिशु मृत्यु दर में भी महत्वपूर्ण कमी हुई है। तथापि, यह सही है कि सभी राज्यों में स्थिति एक जैसी नहीं है। जबकि केरल, तमिलनाडु और गोवा राज्यों ने पहले ही 2.1 अथवा इससे कम के प्रजननता के प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) स्तर को हासिल किया है और महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में वर्ष 2000 के लिए नियत किए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और असम जैसे कुछ राज्यों को अपने कार्यक्रमों को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने 2000 ईसवी तक जन्म दर को कम करके 21 तक लाने और शिशु मृत्यु दर को कम करके 60 से नीचे लाने के लक्ष्य को स्वीकार किया था। राज्यवार उपलब्धियों के आंकड़े विवरण में दिए गए हैं।

सरकार द्वारा 1995 में की गई एक महत्वपूर्ण पहल वर्ष 2000 तक देश से पोलियो के उन्मूलन का प्रयास करना था। इस उद्देश्य से पल्स पोलियो प्रतिरक्षण की कार्यनीति, जिसके अंतर्गत पांच वर्ष से नीचे की आयु के सभी बच्चों को हर वर्ष सर्दी के मौसम के दौरान लगभग छह सप्ताहों के अंतराल पर दो दिन पोलियो वैक्सीन ड्राप्स दी जाती हैं, के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दिवसों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। राज्य सरकारों की मदद से और गैर सरकारी संगठनों की व्यापक गतिशीलता के फलस्वरूप प्रभावी आयोजन से पल्स पोलियो प्रतिरक्षण की सफलता सुनिश्चित हुई है। दिसम्बर, 97/जनवरी, 98 के दौरान आयोजित पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राप्त की गई कवरेज 105 प्रतिशत रही है। इस वर्ष 131 मिलियन बच्चों को पोलियो वैक्सीन खुराक (ड्राप्स) दी गई हैं। इसके परिणामस्वरूप पोलियो की घटना 1994 में 4,791 से कम होकर 1996 में 1,005 रह गई है।

सरकार ने अप्रैल, 1996 से अलग-अलग गर्भ निरोधकों के लिए ऊपर से मनमाने ढंग से लक्ष्य नियत करने की पद्धति को छोड़ने का महत्वपूर्ण नीति संबंधी सुधार किया है। अलग-अलग निरोधकों के लक्ष्य नियत करने की पद्धति इन दोषों से ग्रस्त है कि लक्ष्यों में लोगों की महसूस की गई जरूरतों को प्रतिबिम्बित नहीं किया गया। लक्ष्यों में केवल संख्या को प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है जिससे परिचर्या की गुणवत्ता गौण हो जाती है और लक्ष्य में किसी भी प्रकार से उपलब्धि को दर्शाने के लिए कुछ झूठी सूचनाएं दी जा रही थीं। लक्ष्यों को वापिस लेने के बाद के महीनों में बंध्यीकरण, आई.यू.डी. निवेशनों और कंडोम उपयोगकर्ताओं के सूचित किए गए आंकड़ो में कमी दर्ज की गई। कुछ हद तक ऐसी कमी प्रत्याशित थी क्योंकि जैसे-कैसे लक्ष्यों का पूरा करने के लिए कोई भी दबाव नहीं था। लेकिन कुछ हद तक कुछ राज्यों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में आत्म-संतोष देखा गया। सरकार ने कारगर उपचारात्मक उपाय किए। सहभागिता, नियोजन और ग्रामीण स्तर पर परामर्श करके स्थानीय समुदाय की जरूरत का पता लगाने का तंत्र तैयार किया गया और स्वास्थ्य कार्मिकों की मदद के लिए लक्ष्यमुक्त मैनुअल तैयार किया गया और उसका देशभर में प्रचार-प्रसार किया गया। सभी स्तरों के स्वास्थ्य कार्मिकों का राष्ट्रव्यापी गहन प्रशिक्षण आयोजित किया गया और उसके फलस्वरूप 1997-98 में बंध्यीकरणों में 1996-97 के स्तर के मुकाबले 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आई.यू.डी. निवेशनों में 7.3 प्रतिशत का सुधार हुआ है और खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ताओं में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि कंडोम के उपयोगकर्ताओं की संख्या मोटे तौर पर पिछले वर्ष के स्तर पर टिकी है। सरकार इस दिशा में लगातार गहन प्रयास कर रही है और समुदाय के साथ परामर्श करने संबंधी तंत्र के लिए मैनुअल में संशोधन किया गया है और इसका प्रचार-प्रसार किया गया है। स्वास्थ्य कार्मिकों के पुनर्प्रशिक्षण को जारी रखा जा रहा है और 1998-99 के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अधिक सुधार होने की प्रत्याशा है।

दीर्घकाल में जनसंख्या लोगों की प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने से नियंत्रित होती है। अतः जहां सरकार गर्भ निरोधक तरीकों के प्रयोग द्वारा अनचाहे गर्भ से बचने के लिए लोगों की मदद करने हेतु उपायों को सुदृढ़ कर रही है, प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए सुदृढ़ किया गया प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997-98 से चलाया जा रहा है। प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आपाती प्रासंगिक परिचर्या के लिए प्रबंधों को काफी हद तक सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रतिरक्षण, मुखीय पुनर्जलपूर्तिकरण (ओरल रिहाइड्रेशन) और विटामिन "ए" देने संबंधी कार्यक्रमों को 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रशिक्षण व सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रमों को इस प्रयास में मुख्य रूप से पंचायती राज कार्यकर्ताओं को शामिल करके सुदृढ़ किया जा रहा है।

विवरण

राज्यों की 1991 और 1996 की अशोधित जन्म दर और नवजात शिशु मृत्यु दर

क्र0	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	नवजात शिशु मृत्यु दर		अशोधित जन्म दर	
		1991	1996	1991	1996
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	73	65	26.0	22.8
2.	असम	81	34	30.9	27.6
3.	बिहार	69	71	30.7	32.1
4.	गुजरात	69	61	27.5	25.7
5.	हरियाणा	68	68	33.1	28.8
6.	कर्नाटक	77	53	26.9	23.0
7.	केरल	16	14	18.3	18.0
8.	मध्यप्रदेश	117	97	35.8	32.3
9.	महाराष्ट्र	60	48	26.2	23.4
10.	उड़ीसा	124	96	28.2	27.0
11.	पंजाब	53	51	27.0	23.7
12.	राजस्थान	79	85	35.0	32.4
13.	तमिलनाडु	57	53	20.8	19.5
14.	उत्तर प्रदेश	97	85	35.7	34.8
15.	पश्चिम बंगाल	71	55	27.0	22.8
16.	अरुणाचल प्रदेश	अनुपलब्ध	54	30.9	21.9
17.	गोवा	अनुपलब्ध	15	16.8	14.4

1	2	3	4	5	6
18.	हिमाचल प्रदेश	75	62	28.5	23.0
19.	जम्मू व कश्मीर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
20.	मणिपुर	अनुपलब्ध	28	20.1	14.6
21.	मेघालय	अनुपलब्ध	48	32.4	30.4
22.	मिजोरम	अनुपलब्ध	25	अनुपलब्ध	15.1
23.	नागालैंड	अनुपलब्ध	07	15.8	अनुपलब्ध
24.	सिक्किम	अनुपलब्ध	47	22.5	20.0
25.	त्रिपुरा	अनुपलब्ध	49	24.4	18.4
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	अनुपलब्ध	27	20.0	18.5
27.	चंडीगढ़	अनुपलब्ध	45	13.9	17.5
28.	दादरा व नागर हवेली	अनुपलब्ध	71	31.1	28.9
29.	दमण व दीव	अनुपलब्ध	43	27.9	21.6
30.	दिल्ली	अनुपलब्ध	44	27.4	21.6
31.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	36	27.1	23.4
32.	पांडिचेरी	अनुपलब्ध	25	19.2	18.1
अखिल भारत		80	72	29.5	27.5

स्रोत : महापंजीयक, भारत की नमूना पंजीयन पद्धति

जनजातियों की वयनीय दशा

***187. श्री भेरूलाल मीणा :**
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्रियान्वयनाधीन जनजातीय विकास उप योजना पर कार्य होने के बावजूद देश के विभिन्न भागों विशेष रूप से राजस्थान में जनजातियों की दशा में सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार तथ्य क्या है;

(ग) इस उप-योजना के कार्य पर 1994-95 से राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है और कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) धनराशि के आंबटन के लिए अपनायी जा रही प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रतिवर्ष किए गए व्यय और कार्य की कोई निगरानी की जाती है; और

(च) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) आदिवासी उप योजना कार्यनीति के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम अनुसूचित जनजाति संख्या के अनुपात में निधियां निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है। केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, राज्य योजना तथा संस्थागत वित्त जैसे स्रोतों से निधियों का एकत्रीकरण भी परिकल्पित है।

आदिवासी उपयोजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उस माडल को चलाने की भी सलाह दी गई है जिसे महाराष्ट्र में पहले ही अपना लिया गया है। इस मॉडल के अनुसार सम्पूर्ण आदिवासी उप योजना निधियां राज्य आदिवासी कल्याण विभागों में सौंप दी जाती हैं जो अंतर-क्षेत्रीय प्राथमिकता देने और विभिन्न विभागों को निधियों के आबंटन के लिए उत्तरदायी हैं।

(ङ) जी, हाँ।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1994-95 से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए राज्य योजना संसाधनों में से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटित तथा खर्च की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95		1995-96		1996-97		1997-98	
		आबंटित राशि	खर्च की गई राशि	आबंटित राशि	खर्च की गई राशि	आबंटित राशि	खर्च की गई राशि	आबंटित राशि	खर्च की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	78.76	56.44	125.88	69.89	55.19	55.20	191.93	
2.	असम	109.75	#	147.00	114.65	113.68	*116.07	132.65	
3.	बिहार	597.02	#	687.02	#	–	#	–	

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. गुजरात	237.75	223.91	308.76	259.16	339.70	339.71	489.06	
5. हिमाचल प्रदेश	58.50	#	67.50	#	81.00	#	90.72	
6. जम्मू एवं कश्मीर	87.87	#	119.57	#	-		231.12	
7. कर्नाटक	47.85	#	67.68	#	79.81	#	84.98	
8. केरल	24.65	#	24.32	#	30.45	#	19.42	
9. मध्य प्रदेश	627.72	515.94	685.66	587.66	623.24	623.24	590.64	
10. महाराष्ट्र	330.00	#	412.50	#	535.00	#	550.00	
11. मणिपुर	85.72	86.12	119.88	92.98	126.93	126.93	160.77	
12. उड़ीसा	348.40	#	568.85	#	432.35	#	576.62	
13. राजस्थान	187.12	#	305.45	#	342.22	#	390.17	
सिक्किम	17.00	#	13.12	#	-	#	11.56	
15. तमिलनाडु	28.33	20.05	36.39	24.63	39.42	30.00	-	
16. त्रिपुरा	88.75	81.25	93.84	86.21	107.28	107.98	125.94	
17. उत्तर प्रदेश	2.60	#	2.87	#	-	#	32.00	
18. पश्चिम बंगाल	77.03	#	75.67	#	54.86	#	102.79	
19. अंडमान व निकोबार	24.19	2.23	30.74	1.55	-	1.62	25.52	
20. दमन व दीव	2.22	1.72	2.80	2.28	3.06	3.06	2.73	
कुल	3061.23	987.66	3895.50	1239.01	2964.19	1403.81	3808.62	

सूचित नहीं किया गया।

* प्रत्याशित व्यय

- आदिवासी उप-योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

महिला और बाल कल्याण

***188. श्री माधवराव पाटील :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु बाल सुरक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के राज्यवार कितने जिलों को शामिल किया गया है; और

(घ) महिला और बाल कल्याणार्थ सरकार द्वारा चलायी गई अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वजित एजिजमलाई) : (क) से (घ) छह वैक्सीन निवार्य रोगों के समग्र प्रतिरक्षण के लिए चल रहे कार्यक्रमों, अतिसार से होने वाली पानी की कमी (डि-डाइड्रेशन) के कारण होने वाली बच्चों की मौतों को रोकने के लिए मुख्या सेव्य पुनर्जलपूर्तिकरण (ओरल रिडाइड्रेशन) थिरेपी और सम्बंध विशिष्ट उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम को 1992-93 में शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के रूप में सुदृढ़ और एकीकृत किया

गया। ऐसा एकीकरण इसलिए आवश्यक समझा गया क्योंकि विभिन्न मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं।

शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत 1996-97 तक देश के सभी जिलों को कवर कर लिया गया था। सरकार द्वारा शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अनुमोदित किया गया और 1992-98 के दौरान कार्यान्वित किया गया था।

इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक इस प्रकार थे :

(i) समग्र प्रतिरक्षण कार्यक्रम--महिलाओं और बच्चों को छह वैक्सीन निवार्य रोगों अर्थात् डिफ्थीरिया, काली खांसी, बाल्यावस्था क्षयरोग, पोलियो, खसरा और नवजात टेटनस से बचाव के लिए व्यापक प्रतिरक्षण।

(ii) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौतों में कमी लाने के लक्ष्य वाला अतिसार नियंत्रण कार्यक्रम।

(iii) तीव्र श्वसनी संक्रमण (निमोनिया) नियंत्रण कार्यक्रम।

(iv) विटामिन ''ए'' की कमी का निवारण और नियंत्रण।

(v) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप जिला स्तर पर प्रथम रेफरल एककों की स्थापना करके आपाती प्रासविक परिचर्या में सुधार लाना।

(vi) सुरक्षित प्रसव सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए दाइयों का प्रशिक्षण।

सहायक नर्सधात्री के माध्यम से नियोनिया-रोधी औषध उपलब्ध करके श्वसनी संक्रमणों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय करना और आपाती प्रासविक परिचर्या प्रदान करने के लिए 1748 उप-जिला अस्पतालों को प्रथम रेफरल एककों के रूप में सुदृढ़ करना, शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम की बहुत बड़ी अतिरिक्त उपलब्धियां थीं।

1997-98 से शुरू करके शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम को आगे पुर्नगठित किया गया है और प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में सुदृढ़ किया गया है। यह कार्यक्रम सितम्बर, 1997 से चल रहा है। प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम सम्बद्ध कार्यक्रमों के एकीकरण की नीति को लगातार जारी रखे हुए है ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य मामलों से संबंधित नागरिकों की सभी संगत जरूरतों को कारगर ढंग से पूरा किया जा सके।

इस तथ्य के मद्देनजर कि प्रजनक ट्रैक्ट संक्रमण/यौन संचारित संक्रमण काफी बड़ी संख्या में पुरूषों और महिलाओं को प्रसित करते हैं जिससे न केवल उनका स्वास्थ्य और कल्याण प्रभावित होता है अपितु नवजात शिशु का स्वास्थ्य भी बार-बार प्रभावित होता है, देश भर में जिला और उप-जिला स्तरों पर प्रजनक ट्रैक्ट संक्रमणों/यौन संचारित रोगों के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रजनक शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से सम्बद्ध मामलों के लिए सुविधाएं जारी रखी जाएंगी और उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा, लेकिन विशेष रूप से आपाती प्रसूति परिचर्या, गर्भ चिकित्सीय समापन और सांस्थानिक प्रसवों के लिए सुविधाओं को जिला और उप-जिला स्तरों पर सुदृढ़ किया जाएगा। इस तथ्य के मद्देनजर कि सामान्य ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में आदिवासी जनसंख्या और शहरी मलिन बस्तियों की जनसंख्या की प्रजनक शिशु स्वास्थ्य संबंधी स्थिति दयनीय है, और इस बात पर विचार करते हुए कि जनसंख्या के इन वर्गों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं विगत में कमजोर रही हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था की गई है। प्रजनक शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में मुख्य बल नागरिकों की सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने और उपयोगकर्ताओं की महसूस की गई जरूरतों को प्राथमिक महत्व देने पर दिया जा रहा है। प्रजनक शिशु स्वास्थ्य के अंतर्गत सहायक और अनुसमर्थन कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा और गैर सरकारी संगठनों, और गैर-सरकारी चिकित्सा क्षेत्र सहित गैर सरकारी क्षेत्र को लोगों की सेवाओं की उलब्धता में सुधार करने में कार्य में शामिल किया जाएगा।

बाल श्रमिकों का कल्याण और पुनर्वास

***189. श्री मदेश कनोडिया :**
श्री रामटहल चौधरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बाल श्रमिकों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में राज्यवार कितने बाल श्रमिक हैं; और

(ग) इन बाल श्रमिकों के कल्याण और पुनर्वास हेतु राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.12.1996 के अपने अधिनिर्णय में खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बालकों को कार्य से निकालने के तरीके और गैर-खतरनाक व्यवसाय में कार्यरत बालकों की कामकाजी दशाओं को विनियमित करने और उनमें सुधार करने के तरीके के संबंध में कतिपय दिशा निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश खतरनाक और गैर खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बालकों की पहचान करने का सर्वेक्षण एक वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त किए जाने से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों ने कामकाजी बालकों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किया है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए 5.12.1997 का एक शपथपत्र

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सर्वेक्षण के दौरान पहचान किए गए बालकों की संख्या को दर्शाया गया था। सर्वेक्षण के पहले चरण में पहचान किए गए बालकों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

बाल श्रम की समस्या एक अत्यन्त गहरी सामाजिक आर्थिक समस्या है जिसे हल करने के लिए एक लम्बे समय तक सतत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस समस्या की प्रकृति और विकरालता पर विचार करते हुए बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए एक क्रमिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बालकों के पुनर्वास को पहले चरण में लिया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अन्तर्गत कामकाजी बालकों को पुनर्वासित करने के लिए विशेष स्कूल खोले गऐ हैं जिनमें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, स्वास्थ्य देखरेख आदि की व्यवस्था की गई है। अभी तक खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख बालकों को पुनर्वासित करने के लिए 76 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं गठित की गई हैं।

विवरण

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण के प्रथम चरण के दौरान पहचान किये गये बालकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

		खतरनाक व्यवसाय	गैर खतरनाक व्यवसाय	कुल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित क्षेत्र)	0	38	38
2.	आन्ध्र प्रदेश	7769	39000	46769
3.	अरूणाचल प्रदेश	24	1095	1119
4.	असम	92	9712	9804
5.	बिहार	24879	अभी पूरा किया जाना है।	24879
6.	चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	0	44	44
7.	दादर और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0
8.	दमन और दीव सं.शा. क्षेत्र	0	0	0
9.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	10	960	970
10.	गोआ	35	74	109
11.	गुजरात	1417	172	1589
12.	हरियाणा	7	2813	2820
13.	हिमाचल प्रदेश	83	231	314
14.	जम्मू और कश्मीर	19818	4417	24235
15.	कर्नाटक	7190	89077	96267
16.	केरल	1081	8986	10067
17.	लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	11242	3567	14809
19.	महाराष्ट्र	1031	20302	21333
20.	मणिपुर	0	589	589
21.	मेघालय	240	3636	3882
22.	मिजोरम	0	0	0
23.	नागालैंड			
24.	उड़ीसा	23761	191461	215222
25.	पांडिचेरी सं.शा.क्षेत्र	0	617	617
26.	पंजाब	91	3523	3614
27.	राजस्थान	3026	5064	8090
28.	सिक्किम	0	अभी पूरा किया जाना है	0
29.	तमिलनाडु	9493	8828	18321
30.	त्रिपुरा	11	264	275
31.	उत्तर प्रदेश	15105	18043	33148
32.	पश्चिम बंगाल	254	15792	16046
	योग (अनन्तिम)	126665	428305	554970

[हिन्दी]

मोतियाबिंद के रोगी

*190. श्री मोतीलाल वोरा :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में मोतियाबिंद के रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो 31 मार्च, 1998 तक प्रतिवर्ष इस रोग से पीड़ित होने वाले रोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रोग के उन्मूलन के लिए कोई ठोस कदम उठाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) वयोवृद्ध जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण मोतियाबिंद के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि मोतियाबिंद एक व्यपजनक रोग है जो वृद्ध आयु समूहों को प्रभावित करता है।

(ख) मोतियाबिंद दृष्टिहीनता की वार्षिक घटना 20 लाख होने का अनुमान है।

(ग) से (ङ) मोतियाबिंद दृष्टिहीनता का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने 1976 में एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य इसके व्याप्तता स्तर को जनसंख्या के 1.49 प्रतिशत से कम करके 2000 ईसवी तक जनसंख्या का 0.3 प्रतिशत करना है। इस कार्यक्रम के अधीन क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थाओं, मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और ब्लाक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों का उन्नयन किया गया। उन्हें सुदृढ़ किया गया और उनके लिए स्टाफ को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने और उपकरणों तथा उपभोज्य वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु प्रावधान किया गया।

मोतियाबिंद से ग्रस्त व्यक्तियों के भारी बैकलॉग को समाप्त करने हेतु आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों जिन्होंने दृष्टिहीनता के स्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्शाए हैं, में विश्व बैंक से लिए गए ऋण के साथ एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अधीन राज्यों को प्रदान की गई सहायता में उपकरणों की सहायता, नेत्र वार्डों/आपरेशन थियेटरों का निर्माण, इंट्रा-आकुलर लैंसों के प्रतिरोपण में नेत्र शल्य चिकित्सकों का प्रशिक्षण और स्वैच्छिक संगठनों की सहायता जुटाना आदि शामिल है। इस परियोजना को शुरू करने से इस कार्यक्रम के बजटीय आवंटन, जो 1994 से पहले 20 करोड़ रुपये थे, बढ़ कर चालू वर्ष के दौरान 75 करोड़ रुपये हो गए हैं और की गई वार्षिक शल्य प्रक्रियाओं की संख्या 19.13 लाख से बढ़कर 30 लाख हो गई है।

[अनुवाद]

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

***191. श्री चेंगारा सुरेन्द्रन** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विनिवेश आयोग ने अब तक कुल कितने मामलों में शेयरों का विनिवेश करने का सुझाव दिया है;

(ख) कितने मामलों में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आयोग ने फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के 51 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश करने की सिफारिश की है;

(घ) क्या फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे भेंट की थी और उनसे उक्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार न करने का आग्रह किया था; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) विनिवेश आयोग ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पांच सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार इक्विटी के विनिवेश का सुझाव दिया है। ये सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं : (1) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम.एफ.एल.), (2) पायराइट्स फास्फेट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (पी.पी.सी.एल.), (3) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ.ए.सी.टी.), (4) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एन.एफ.एल.) और (5) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.)।

(ख) आर्थिक आधार पर मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड (एम. एफ.एल.) के 50 प्रतिशत शेयरों की बिक्री के लिए उचित कदम उठाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हाँ।

(ङ) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ. ए.सी.टी.) में सरकारी इक्विटी के विनिवेश के लिए विनिवेश आयोग की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

रक्त का आयात

***192. श्री पी. उपेन्द्र :**
डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अस्पतालों तथा विभिन्न ब्लड बैंकों में रक्त की कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो रक्त की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और रक्त की कुल कमी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रक्त का आयात करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो रक्त आयात करने के मुख्य कारण क्या हैं तथा रक्त की कुल कितनी मात्रा का देशवार आयात किए जाने की संभावना है;

(ङ) इसके आयात पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(च) आयातित रक्त में एच.आई.वी. संक्रमण के खतरे से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या एहतियात बरती जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वजित एजिजमलाई) : (क) यद्यपि देश के कुछ अस्पतालों और रक्त बैंकों में कभी-कभार और मौसमी रक्त की कमी हो जाती है। कुल मिलाकर, इसकी कोई गंभीर कमी होने की सूचना नहीं है।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार, प्रति अस्पताली पलंग की प्रतिवर्ष रक्त की 7 यूनिटों के दर से लगभग 42.00 लाख यूनिट रक्त की आवश्यकता है। इसके मुकाबले रक्त की उपलब्धता 30.39 लाख यूनिट है। ये दोनों आंकड़े केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो की 1987-89 की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

(ग) जी, नहीं।

च) प्रश्न नहीं उठते।

बहुउद्देशीय पहचान-पत्र

*193. **श्री सी.डी. गाम्मीत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी व्यस्क नागरिकों को बहुउद्देशीय पहचान-पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य बातों के साथ-साथ इसके कारणों सहित इसकी क्या आवश्यकता है तथा इस पहचान-पत्र का किस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से इसके संबंध में परामर्श किया है;

(घ) यदि हाँ, तो इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नागरिकों को पहचान-पत्र जारी करने पर कितनी धनराशि खर्च होगी और और इसके किसी हिस्से का वहन राज्यों द्वारा किए जाने की संभावना है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (छ) 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का प्रस्ताव है। 14 वर्ष की आयु से छोटे व्यक्तियों के नाम, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से दर्ज होने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के नाम उनके माता/पिता के कार्ड में शामिल करने का प्रस्ताव है। गैर-नागरिकों के लिए अलग रंग के कार्ड जारी करने का प्रस्ताव है। बहुउद्देशीय पहचान पत्रों से अवैध अप्रवासन और घुसपैठ को रोकने के लिए व्यक्तियों की शिनाख्त करना आसान होगा तथा अपराधियों तथा विद्रोहियों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। इन कार्डों का प्रयोग, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड जारी करने, स्वास्थ्य की देखभाल, शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, सार्वजनिक/प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार, जीवन और सामान्य बीमा तथा भूमि रिकार्ड के अनुरक्षण और शहरी सम्पत्ति धृति आदि के प्रयोजनार्थ भी किया जाएगा।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग और कुछ राज्य सरकारों ने भी पहले राष्ट्रीय पहचान पत्रों की जरूरत पर बल दिया था। इस स्कीम पर होने वाले खर्च के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। यह प्रस्ताव है कि यह खर्च केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर बांट लिया जाए। इस स्कीम को अन्तिम रूप देने में राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय विधायन के अधिनियमित हो जाने के बाद इसका कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा।

कैंसर प्रवण क्षेत्र

*194. **श्री एम. डेनिस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में मुख कैंसर की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश के कैंसर प्रवण क्षेत्रों का पता लगाया है;

(घ) यदि हाँ, तो अब तक पता लगाए गए ऐसे क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में कैंसर की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाने और उसे कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वजित एजिजमलाई) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे पांच शहरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों (मुम्बई, बंगलौर, मद्रास, दिल्ली और भोपाल) में स्थिति कैंसर रजिस्ट्रियों के अनुसार पिछले एक दशक में मुख में होने वाले कैंसर की स्थिति केवल मद्रास

को छोड़कर, जहां पुरूषों में मामूली वृद्धि देखी गई है, कमोबेश स्थिर रही है। तम्बाकू का सेवन सम्पूर्ण देश में मुख के कैंसर का प्रमुख कारण है।

(ग) और (घ) कैंसर की घटनाएं देश भर से सूचित की गई हैं।

(ङ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कैंसर का आरम्भिक स्थिति में पता लगाने, जागरूकता पैदा करने और उपचार के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं

i. विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों का उन्नयन।

ii चुने हुए मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में अर्बुद विज्ञान विंगों का विकास।

iii देश के विभिन्न भागों में कोबाल्ट थिरेपी सुविधाओं की स्थापना

iv जिला कैंसर नियंत्रण परियोजना

v कैसर का आरम्भिक स्थिति में पता लगाने और जागरूकता कार्यकलापों के लिए गैर सरकारी संगठनों की वित्तीय सहायता।

दवाएं और फार्मूलेशन

*195. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान और इस वर्ष कुछ दवाइयों और फार्मूलेशन की कीमतें संशोधित की गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसा संशोधन करने के उत्तरदायी तथ्य क्या हैं और इसके पीछे क्या परिस्थितियां थीं; और

(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक दवाएं किस प्रकार आम आदमी की पहुंच के भीतर रहेगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) जी, हाँ। पांच प्रपुंज औषधों (रेनिडीटाइन, रिफैम्पिसीन, मेबहाइड्रोलिन, नेपाडिसाइलेट, मेट्रोनिडाजोल और बेन्जोएट की कीमतें कम कर दी गई हैं और एक प्रपुंज औषध (फेनिरामाइन मेलिएट) के मामले में बढ़ोतरी की गई है। प्रपुंज औषधों पर आधारित सूत्रयोंगों की कीमतें तदनुसार संशोधित की जाती हैं।

(ग) डी.पी.सी.ओ. 1995 के पैरा 3,7,8,9,10 और 11 के प्रावधानों के अनुसार और सीमा शुल्क, रुपए की विनिमय दरों आदि में परिवर्तन को मद्देनजर रखते हुए कीमतें संशोधित की गई हैं।

(घ) प्रतियोगी कीमतों पर अधिक उपलब्धता प्राप्त करने के लिए उन औषधों, जिसकी जरूरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन रोगों के उपचार के लिए होती हैं, सहित लगभग सभी मामलों में, कुछ औषधों को छोड़कर सितम्बर, 1994 में घोषित ''औषध नीति, 1986 में संशोधन'' के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। अधिक कारोबार वाली औषधों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन रोगों के उपचार के लिए अपेक्षित औषधों जैसे रिफैम्पिसिन, क्लोरोक्विन, इन्सुलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि औषध नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कीमत नियंत्रण के अधीन है।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक कॉलेज

*196. **श्री चिन्मयानंद स्वामी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे आयुर्वेदिक कॉलेजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में नये आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हाँ। केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में नए आयुर्वेदिक कॉलेजों की स्थापना करने की मांग बढ़ रही है। 1989-90 से 1997-98 तक की अवधि के लिए देश में चल रहे कॉलेजों की वर्षवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) इस समय विभाग के पास नया आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) विभाग ने पहले ही राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर की स्थापना कर दी है और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, जामनगर का वित्तपोषण कर रहा है। विभाग मौजूदा स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कॉलेजों को सुदृढ़ करने तथा उनका दर्जा बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।

(च) विभाग घटिया आयुर्वेदिक कॉलेजों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के बारे में चिन्तित है और पहले से मौजूद आयुर्वेदिक कॉलेजों में सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा उनके शिक्षा स्तर में सुधार करने पर बल दिया जा रहा है।

विभाग उन्हीं कॉलेजों को ऐसे क्षेत्रों में खोलने का समर्थन करेगा जहां वास्तव में इनकी विशुद्ध मांग है और जो केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित शिक्षा के न्यूनतम मानकों को पूरा करेंगे।

विवरण-I

देश में चल रहे आयुर्वेदिक कालेजों का राज्यवार विवरण

क्र0 सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्नातक कालेजों की संख्या	स्नातकोत्तर कालेजों की संख्या
1	2	3	4
	्रदेश	4	1
	ाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	1	0
4.	बिहार	9	1
5.	दिल्ली	1	0
6.	गोवा	1	0
7.	गुजरात	9	2
8.	हरियाणा	4	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0
10.	जम्मू कश्मीर	0	0
11.	कर्नाटक	40	2
12.	केरल	5	1
13.	मध्य प्रदेश	7	2
14.	महाराष्ट्र	37	15
15.	मणिपुर	0	0
16.	मेघालय	0	0
17.	मिजोरम	0	0
18.	नागालैंड	0	0
19.	उड़ीसा	4	1
20.	पंजाब	8	1
21.	राजस्थान	5	2
22.	सिक्किम	0	0
23.	तमिलनाडु	4	0
24.	त्रिपुरा	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	12	4
26.	पश्चिम बंगाल	1	1
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0
28.	चंडीगढ़	1	1
29.	दादर व नगर हवेली	0	0
30.	दमन व द्वीव	0	0
31.	लक्ष्यद्वीप	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0
कुल योग		154	33

नोट : 0 = सूचना शून्य

X = एक 1.4.1998 की स्थिति

XX = 1.4.1997 की स्थिति आंकड़े अनन्तिम हैं।

विवरण-II

1989-90 से आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर कालेजों की वर्षवार वृद्धि

आंकड़े अनन्तिम हैं।

वर्ष	कालेजों की संख्या
1989-90	98
1990-91	104
1991-92	118
1992-93	132
1993-94	134
1994-95	135
1995-96	139
1996-97	144
1997-98	154

औषधीय पौधों संबंधी योजना

*197. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री पंकज चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह योजना चलाई जा रही है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस योजना को सभी राज्यों में क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वल्लित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, हाँ। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग के पास औषधीय पादपों को उगाने और इन औषधीय पादपों की खेती करने की कृषि तकनीकों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं :

i औषधीय पादपों के विकास और खेती की केन्द्रीय योजना।

ii आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होमियोपैथी में उपयोग किए जाने वाले औषधीय पादपों की कृषि तकनीकों के विकास और खेती की केन्द्रीय योजना।

iii परिवार कल्याण विभाग ने औषधीय पादपों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी शुरू की हैं;

iv भारतीय चिकित्सा पद्धति के उपचारों और उनकी उपलब्धता के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

v वनस्पति वन लगाना।

(ग) जिन राज्यों में उपुर्यक्त क्रम संख्या (i) और (ii) में इंगित की गई योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है, उनकी सूची संलग्न विवरण में है।

(घ) और (ङ) इन योजनाओं के लिए निधियों का राज्यवार कोई आबंटन नहीं है। इन योजनाओं को संगठनों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को परियोजनाएं प्रस्तुत करने के लिए परिचालित किया जाता है। परियोजनाओं पर पात्रता-मानदण्डों, प्रस्तावों की उपयुक्तता और सम्पोषिता को ध्यान में रखते हुए निधियों के अनुमोदन के लिए नामित जांच समिति विचार करती है। क्रम संख्या (i) और (ii) पर इंगित की गई योजनाओं के लिए 150.00 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है। उपर्युक्त क्रम संख्या (iii) और (iv) पर उल्लिखित की गई योजनाओं के लिए कोई पृथक निधियां नहीं रखी गई हैं।

विवरण

1. आन्ध्र प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम
4. दिल्ली
5. गुजरात
6. हरियाणा
7. हिमाचल प्रदेश
8. जम्मू व कश्मीर
9. केरल
10. कर्नाटक
11. मध्य प्रदेश
12. महाराष्ट्र
13. उड़ीसा
14. पंजाब
15. राजस्थान
16. त्रिपुरा
17. तमिलनाडु
18. उत्तर प्रदेश
19. पश्चिम बंगाल

[अनुवाद]

तम्बाकू के सेवन से होने वाली मौतें

*198. श्री मुकुल वासनिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मई, 1998 के "दि एशियन एज" में "टोबैको यूज किल्स 10 लाख इंडियन्स पर इयर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का तम्बाकू के सेवन को रोकने के लिए कोई व्यापक एवं प्रभावी कार्ययोजना शुरू करने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) सरकार को इस समाचार की जानकारी है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अनुमानों से पता चलता है कि भारत में तम्बाकू के सेवन के कारण हर वर्ष लगभग 8 लाख व्यक्ति मर जाते हैं।

सरकार ने तम्बाकू के सेवन से लोगों को निरूत्साहित करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रशासनिक अनुदेशों के अन्तर्गत भारत सरकार के नियंत्रणाधीन अस्पतालों, औषधालयों और अन्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थाओं, सम्मेलन कक्षों, घरेलू उड़ानों, रेलगाड़ियों में वातानुकूलित कुर्सीयानों, तथा वातानुकूलित शयनयानों, उपनगरीय रेलगाड़ियों और वातानुकूलित कक्षों में धूम्रपान निषेध हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में स्थानों और सार्वजनिक वाहनों में भी धूम्रपान करना इसके अतिरिक्त तम्बाकू सेवन को निरूत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) सिगरेट (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियम) अधिनियम, 1975 के अनुसार सभी सिगरेट के सभी डिब्बियों/पैकेटों पर स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

(ii) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अन्तर्गत चबाने वाले तम्बाकू के उत्पादों पर "तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" चेतावनी देना अनिवार्य है।

(iii) दूरदर्शन और आकाशवाणी पर तम्बाकू अथवा तम्बाकू से संबंधित उत्पादों के सीधे विज्ञापन देने की मनाही है।

(iv) सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे गुटके सहित चबाने वाले तम्बाकू से युक्त उत्पादों के सेवन को निरूत्साहित करें। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है कि स्कूलों, कॉलेजों जैसी शैक्षिक संस्थाओं के आस-पास तम्बाकू उत्पाद न बेचे जायें।

(v) स्वास्थ्य शिक्षा।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कैंसर के बारे में जागरूकता और इसका शुरू में पता लगाने की बात पर जोर दिया जा रहा है।

देश में तम्बाकू के इस्तेमाल के विरूद्ध एक व्यापक विधान लाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यह मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि चबाने वाले तम्बाकू और गुटके के प्रयोग को रोकने/निरूत्साहित करने के लिए और क्या कदम उठाये जा सकते हैं।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का औषध उद्योग

*199. **श्री आर.एस.गवई** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से औषध उद्योग में निवेश करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उनका कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक मंजूर किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) औषध उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किये जाने के बारे में सरकार की नीति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) औषण एवं भेषज क्षेत्रों में विदेशी निवेश से संबंधित नीति सितंबर, 1994 में घोषित "औषध नीति 1986 में संशोधन" में निहित है, जो कि संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। संक्षेप में, प्रपुंज औषधों, उनके अंतर्वर्तियों तथा सूत्रयोगों के मामलों में 51 प्रतिशत तक निवेश की इजाजत है। 51 प्रतिशत से अधिक निवेश के मामले उन क्षेत्रों में - जहां निवेश नहीं आता, विशेषतः मूलावस्था तथा उनके अन्तरवर्तियों से बनाए जाने वाले प्रपुंज औषधों तथा रिकॉम्बीनेंट डी.एन.ए. तकनीक तथा विशिष्ट सेल/टिशु लक्ष्यित सूत्रयोगों के प्रयोग से उत्पादित सूत्रयोगों के मामलों में प्रत्येक मामले के आधार पर विचार किया जाता है। 51 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर स्वतः पूर्ण माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक स्वयं निर्णय करता है तथा उसके लिए सरकार के पास मामला नहीं भेजने की जरूरत होती। 51 प्रतिशत से अधिक निवेश के मामलों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। वर्ष 1997-98 के दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची, उनके विवरण तथा लिए गए निर्णय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	विदेशी कंपनी का नाम	प्रस्तावित कार्य क्षेत्र	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	मे. जेनिथ लि., मारीशस	100 प्रतिशत निर्यात के लिए भेषज का उत्पादन के लिए	अनुमोदित
2.	मे. फाइनचीमिका, इटली	100 प्रतिशत निर्यात के लिए सेफ्टाजिडाइन सूत्रयोग का उत्पादन	अनुमोदित

1	2	3	4
3.	मे. इथाइलफार्मा ए.ए., फ्रांस	सूत्रयोग के विपणन के लिए 100 प्रतिशत सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए	अस्वीकृत क्योंकि यह प्रस्ताव औषध नीति में संशोधन, 1986 में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार नहीं हैं।
4.	मे. स्मिथलाइम बीकैम, पीएलसी, यू.के	भेषजों के उत्पादन, विपणन और वितरण के लिए सूचीबद्ध उत्पादन एनालजेसिक, एंटीपायरेटिक, एन्टेसिड और लैक्जेटिव आदि थे।	अस्वीकृत क्योंकि यह प्रस्ताव ''औषध नीति में संशोधन, 1986'' में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार नहीं है।
5.	(1) मे. बर्लिन कैमी ए.जी., बर्लिन	मेडिकेमेंट्स जिसमें एंटिबायोटिक्स, विटामिन मेडिकेमेंट्स और अन्य शामिल हैं, के उत्पादन के लिए।	अस्वीकृत, क्योंकि यह प्रस्ताव ''औषध नीति में संशोधन 1986'' में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार नहीं हैं।
	(2) मे. मीनीरिनी पार्टीसिपेशन्स एस.ए. लक्समबर्ग		

[अनुवाद]

''हेपाटाइटिस वायरस'' से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क टीकाकरण सुविधाएं

***200. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ''हेपाटाइटिस वायरस'' से पीड़ित पांच वर्ष की आयु से कम बच्चों को निःशुल्क टीकाकरण सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी संक्रमण से सुरक्षा करने में प्रभावकारी है। यदि इसे बाल्यावस्था में दिया जाए तो यह बच्चों को संक्रमित होने से बचायेगा और इससे रोगाणु वाहकों में कमी आएगी। तथापि जो व्यक्ति पहले से हेपेटाइटिस बी वाइरस से संक्रमित हो चुके हैं, उनका इलाज टीकाकरण से नहीं किया जा सकता है जो कि एक निवारक उपाय है। हेपेटाइटस बी टीकाकरण को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

चूंकि हेपेटाइटिस बी विशिष्ट मार्गों अर्थात अन्तः शिराओं, यौन सम्पर्क अथवा संक्रमित रक्त अथवा रक्त उत्पादों के प्रयोग से फैलता है, इसलिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कई अन्य निवारक उपाय आरम्भ किए गए हैं जैसे अस्पताली कार्यकर्ताओं को टीके लगवाना, रक्ताधान के समय दान में प्राप्त रक्त की अनिवार्य जांच, सुरक्षित यौन सम्बन्धों को बढ़ावा और विसंक्रमित सुइयों और सिरिंजों का प्रयोग करना।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

***201. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री विजय कुमार ''विजय''

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच वर्ष से अधिक समय से सरकार के पास स्वतंत्रता सेनानियों के कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ख) उनका अब तक का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का पात्र बनने के लिए जेल की न्यूनतम अवधि को छह महीने से घटाकर तीन महीने करने का है;

(घ) क्या स्वतंत्रता की पचासवीं वर्ष गांठ के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) ऐसा कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों की विभिन्न श्रेणियों और उनके पात्र आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन की राशि दोगुनी कर दी गयी है और उसे मूल्य सूचकांक से भी जोड़ दिया गया है। भूतपूर्व अंडमान राजनैतिक कैदियों को शताब्दी/राजधानी एक्सप्रैस गाड़ियों से यात्रा करने की अनुमति दी गयी है और वर्ष में एक बार, एक साथी के साथ कलकत्ता/मद्रास से पोर्ट ब्लैयर तक मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा भी दी गयी है।

इसके अतिरिक्त, मुफ्त चिकित्सा उपचार, दिल्ली में अतिथि गृह सुविधा, दीर्घ अवधि के रेल पास जारी करने जैसी अन्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने के प्रस्ताव भी सरकार को प्राप्त हुए हैं।

विदेशी उग्रवादी

1898. **श्री विजय गोयल :**
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में इस समय कितने आतंकवादी ग्रुप अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने ग्रुप विदेशी हैं और राज्य में हाल ही में किए गए संहार में क्या उनकी भूमिका थी;

(ग) क्या सरकार ने भाड़े के विदेशी सैनिकों के इस मुद्दे को संबंधित देशों की सरकारों के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) इस समय जम्मू और कश्मीर में लगभग दस आतंकवादी संगठन हैं। उनके नाम निम्नलिखित हैं।

1. हिजबुल मुजाहिद्दीन
2. हरकत-उल-अंसार
3. लस्कर-ए-तोइबा
4. अल-बर्क
5. वहरीक-उल-मुजाहिदीन
6. अल-जेहाद
7. जम्मू और कश्मीर लिबरेशनफ्रंट
8. अल-उमर-मुजाहिद्दीन
9. हिजबुल्लाह
10. दुख्तरान-ए-मिलाव

(ख) उपर्युक्त दस संगठनों में से हरकत-उल-अंसार और लस्कर-ए-तोइबा, पी.ए.एन. इस्लामिक गिरोह हैं और पाकिस्तान में स्थित हैं। अन्य संगठनों को भी पाकिस्तान से सक्रिय रूप से समर्थन और वित्तीय सहायता मिलती है तथा इनमें से कुछ के अड्डे पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर में भी हैं।

हरकत-उल-अंसार, हिजबुल-मुजाहिद्दीन, लस्कर-ए-तोइबा सबसे अधिक सक्रिय उग्रवादी संगठन हैं जो इस समय जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में लगे हैं। तथापि, ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं है जिससे हाल में पठानकोट में हुए हत्याकांड में लिप्त विशेष ग्रुप का पता चल सके तथा इस हत्याकाण्ड के लिए अभी तक किसी गुट ने जिम्मेवारी भी नहीं ली है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर में आंतकवादी के लिए सहायता देने और उस बढ़ावा देने में पाकिस्तान के संलिप्त होने के संबंध में पाकिस्तान के अधिकारियों से, प्रत्येक उपलब्ध अवसरों पर चर्चा की है। भारत में आतंकवादी गतिविधियों में लगे संगठनों को पाकिस्तान द्वारा दी जा रही सहायता के बारे में सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अवगत कराया है।

[अनुवाद]

असम की राजनैतिक और आर्थिक समस्याएं

1899. **डॉ0 जयंत रंगपी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम के पर्वतीय क्षेत्रों की राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं से अवगत है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इन मसलों से निपटने के लिए असम की स्वायत्त पर्वतीय परिषद् की बैठक आयोजित करेगी; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान्, असम के पहाड़ी जिलों में दो स्वायत्त परिषदों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए गृह मंत्रालय में असम सरकार, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग के अधिकारियों और कारबी आँगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ी स्वायत्त परिषद् के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक 18.6.1998 को नई दिल्ली में बुलाई जा रही है।

(ग) भारत सरकार कारबी ऑगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ी जिलों के संगठनों के प्रतिनिधियों के मध्य 1.4.1995 को हुए समझौते को कार्यान्वयन करने के प्रति वचनबद्ध है। तद्नुसार, असम सरकार से लंबित मुद्दों को समाधान करने का अनुरोध किया गया है।

भारत सरकार का इन स्वायत्त परिषदों को छठवीं अनुसूची क्षेत्रों में और अधिक कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां और स्वायत्तता

प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। इस संबंध में असम सरकार को प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है।

असम में रह रहे अल्पसंख्यक

1900. श्री माणिकराव डोडल्या गावीत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने असम में इस समय रह रहे अल्पसंख्यकों की संख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1971 में बौद्ध, इसाई, मुस्लिम और हिन्दू सहित अल्पसंख्यकों की कितना संख्या थी; और

(घ) 1971 तक या उसके बाद किस हद तक अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ी है या घटी है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 1971 और 1991 की जनगणनाओं के अनुसार असम में बौद्धों, ईसाइयों, मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों की संख्या और साथ ही साथ हिन्दुओं की जनसंख्या तथा 1971-1991 के बीच प्रतिशत अन्तर नीचे दिया गया है :

धर्म का नाम	जनसंख्या		प्रतिशत अन्तर
	1971 की जनगणना	1991 की जनगणना	1971-1991
कुल जनसंख्या	14,625,152	22,414,322	+53.26
हिन्दू	10,604,618	15,047,293	+41.89
मुसलमान	3,592,124	6,373,204	+77.42
ईसाई	381,010	744,367	+95.37
सिक्ख	11,920	16,492	+38.36
बौद्ध	22,565	64,008	+183.66
जैन	12,914	20,645	+59.87

बेरोजगारों को वेतन

1901. श्री समीक भादिड़ी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बेरोजगारों को बेरोजगार वेतन देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार मुख्यतः संसाधन बाधाओं के कारण बेरोजगारों को बेरोजगार वेतन देने के प्रावधान पर विचार नहीं कर रही है।

सुपर बाजार में वस्तुओं की कीमतें

1902. श्री विजय सोनकर शास्त्री :
श्री जंगबहादुर सिंह पटेल :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** सुपर बाजार में दोगुने मुनाफे के बारे में दिनांक 16 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2967 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार अपनी कांउटर बिक्री का 15 प्रतिशत लाभ नहीं बनाए रख पा रहा है;

(ख) यदि हाँ तो 15 प्रतिशत से अधिक लाभ अर्जित करने के क्या कारण हैं और कई बार तो केन्द्रीय भंडार/एन.सी.सी.एफ. द्वारा अपने बिक्री काउंटरों पर बेची जाने वाली वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्यों से भी अधिक कीमत वसूल करता है;

(ग) केन्द्रीय भंडार और एन.सी.सी.एफ. द्वारा बेची जा रही वस्तुओं की तुलना में सुपर बाजार द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्यों पर बेची जा रही वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) लाभ को सीमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या स्थानीय खरीद के बारे में 5 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1906 के उत्तर में दिये गए हैं;

(च) क्या इस संबंध में सरकारी विभागों को जारी अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(छ) यदि नहीं, तो उन सरकारी विभागों से सुपर बाजार को आपूर्ति क्रयादेश न प्राप्त होने के क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार उनके द्वारा सरकारी विभागों से लिया जाने वाला लाभ का मार्जिन (दिनांक 16.8.94 के लोक सभा के लिखित प्रश्नसंख्या 2967 के उत्तर के अनुसार) केवल लेखन सामग्री की मदों से सम्बन्धित है।

(ख) से (घ) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा अब अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुसार हालांकि व्यापार मार्जिन एक प्रतिशत से लेकर

15 प्रतिशत से अधिक के बीच बताया जाता है, लेकिन औसत सकल मार्जिन लगभग 8.5 प्रतिशत बनता है। सुपर बाजार, दिल्ली ने अपनी क्रय प्रक्रिया को और अधिक सुप्रवाही बनाया है, जिससे अधिप्राप्ति के मूल्य/लागत को कम करने में सहायता मिली है। मूल्यों में की गयी इस कमी का लाभ विक्रय मूल्यों में कमी करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डार तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेची जा रही मदों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) और (च) दिनांक 5.3.97 का लिखित प्रश्न संख्या 1906 दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर स्थित सरकारी विभागों द्वारा लेखन सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की स्थानीय खरीद्दारी से सम्बन्धित हैं। सभी सरकारी विभागों/कार्यालयों से लेखन सामग्री तथा अन्य मदों की खरीददारी के संबंध में इन अनुदेशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रश्न का उत्तर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा दिया गया था न कि खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा।

छ) और (ज) तथापि, सरकारी विभागों/कार्यालयों के पास ल्प है कि वे केन्द्रीय भण्डार अथवा सुपर बाजार या राष्ट्रीय भोक्ता सहकारी संघ में से किसी को भी अपना क्रय आदेश दे सकते हैं।

किराए के भवनों में चल रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय

1903. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किराये के भवनों में चल रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार ने राज्यवार इन भवनों के लिए कुल कितना किराया अदा किया;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों को चलाने के लिए अपने भवनों का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी औषधालयों को कब तक सरकारी भवनों में स्थानान्तरित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रयोजन हेतु राशि निर्धारित की है; और

(च) अब तक आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एन्निमलाई) : (क) और (ख) दिल्ली में किराए के भवनों में चलने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संलग्न विवरण-I पर देखे जा सकते हैं। 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान किराए के इन भवनों के लिए सरकार द्वारा भुगतान की गई कुल रकम का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

दिल्ली से बाहर की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध ढंग से अपने लिए निजी भवनों का निर्माण करती है।

(ङ) और (च) यद्यपि नए भवनों के निर्माण के लिए अलग से निधियां आवंटित नहीं की जाती तथापि पूंजी संकर्म के लिए अलग से बजट का आवंटन किया जाता है। पूंजी संकर्मों के लिए आवंटन में शामिल हैं: नए भवन का निर्माण करना, मौजूदा भवनों की मरम्मत करना, मौजूदा भवनों में विद्युत कार्य कराना, सरकार द्वारा खरीदे गए नए भू-खंडों पर चहार दिवारियों का निर्माण करना और पहरा तथा निगरानी आदि पर व्यय।

विवरण-I

किराए के भवन में चल रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

(1) सब्जी मंडी
(2) करोल बाग
(3) पटेल नगर-I
(4) पुल बंगश
(5) पटेल नगर-II
(6) शाहदरा
(7) राजौरी गार्डन
(8) शकूर बस्ती
(9) जी.के.जी.
(10) अशोक विहार
(11) त्रि नगर
(12) लक्ष्मी नगर
(13) गुडगांवा
(14) जनक पुरी-II
(15) विवेक विहार
(16) सुन्दर विहार
(17) यमुना विहार
(18) नोएडा
(19) रोहिणी
(20) दिलशाद गार्डन

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अदा किए गए किराए की कुल रकम

1995-96	37,89,528/-
1996-97	37,89,528/-
1997-98	37,89,528/-

पुलिस द्वारा झूठे गवाह पेश करना

1904. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मई, 1998 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "पुलिस इन्ट्रीड्यूस्ड फाल्स विटनैसेस इन कोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करना है कि झूठे गवाह जुटाने पर तथा बिना कानूनी साक्ष्य/दस्तावेज के केवल किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के कथन पर जाली मामले बनाने पर पुलिस कार्मिकों से सख्ती से निपटा जाए;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा दिए गए निर्देश/दिशानिर्देश का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जी हाँ, श्रीमान्। श्री हरिचन्द्र चौहान की हत्या के लिए 6 व्यक्तियों के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 302/506/147/148/149/120-ख तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27/54/59 के अधीन एक प्रथम सूचना रिपोर्ट मामला संख्या 349/89 दिनांक 23.10.1989 को दर्ज किया गया। श्री के.एस. खुराना, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली, के न्यायालय में मामले पर मुकद्मा चलाया गया। अभियुक्त को सन्देह का लाभ देकर रिहा करते समय माननीय न्यायाधीश ने, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा कि जांच अधिकारी ने मामले को हल करने के लिए झूठी गवाहियां प्रस्तुत की। 25.4.1998 के निर्णय के निदेशानुसर, प्रश्नगत पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक सतर्कता जांच बिठाई गई है।

(घ) से (च) यदि यह सिद्ध हो जाता है कि गवाह पेश किए गए हैं अथवा झूठे मामले दर्ज किए गए हैं तो दोषी जांच अधिकारी के विरुद्ध विभागीय/वैधानिक कार्रवाई की जाती है।

जांच अधिकारियों (आई.ओ.) को झूठी गवाही पेश करने अथवा झूठे मामले दर्ज करने के दुष्परिणामों के प्रति अवगत कराने के लिए समय-समय पर स्टाफ ब्रीफिंग्स/व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। मामलों की छानबीन के दौरान अभियोजन शाखा इन पहलुओं की अहमियत के बारे में भी उन्हें अवगत कराती है।

कल्याणकारी योजनाएं

1905. श्री टी. गोविन्दन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 15 अगस्त, 1998 तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आजादी की 50वीं वर्षगांठ में पहले से ही घोषित योजनाएं कौन-कौन सी हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शून्य।

[हिन्दी]

बालिका भ्रूण हत्या में वृद्धि

1906. श्री मणीभाई रामजी भाई चौधरी :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पाया है कि बालिका भ्रूण हत्या के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रथा को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कितना समय लिये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) यह ज्ञात है कि भारतीय समाज में नर संतति को अधिक प्राथमिकता देना, प्रायः मादा भ्रूण के गर्भपात का कारण बनता है। प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण के लिए चिकित्सा तकनीक की आसान उपलब्धता ने इस प्रेक्टिस को

अधिक सुकर बना दिया है। चूंकि इस प्रकार की प्रेक्टिस गुप्त और कपटपूर्ण होती हैं, इसलिए कोई प्रामाणिक और सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ) प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक केवल विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में ही अनुमत हैं। अधिनियम में भ्रूण के लिंग का प्रकटीकरण वर्जित है। कानून के उल्लघंन के लिए दण्ड निर्धारित हैं। अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियम 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी हो गए हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में सिर पर मैला ढोने वाले

1907. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिर पर मैला ढोने वालों को परेशान किए जाने, कठिनाइयों और मांगों के संबंध में अनेक अभ्यावेदन और प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 1.11.1995 से आज तक उनके ब्यौरे क्या हैं;

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार ने सिर पर मैला ढोने वालों को संरक्षण देने के लिए क्या निवारक उपाय किए हैं और उनकी मांगें मानने के लिए क्या उपाय किए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 8, उपधारा (1) खंड (ग) के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष सफाई कर्मचारियों से संबंधित उत्पीड़न कठिनायों तथा मांगों के मामलों का उल्लेख करने वाले अभ्यावेदनों तथा ज्ञापनों की जांच सांविधिक प्रावधान के अंतर्गत की जाती है। इस आयोग को यह भी आदेश है कि वह कार्यान्वयन न होने से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर अपने आप ध्यान दें :

(1) सफाई कर्मचारियों के किसी समूह से संबंधित कार्यक्रम या योजनाएं।

(2) सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने की ओर लक्षित निर्णय, दिशानिर्देश या अनुदेश।

(3) सफाई कर्मचारियों का सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के उपाय।

(4) सफाई कर्मचारियों पर किसी कानून के प्रावधान का अनुपयोग।

इस अधिनियम की धारा (8), उप धारा (2) के अंतर्गत अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में इस अधिनियम की उपर्युक्त उप धारा (1) के अंतर्गत इस आयोग को किसी सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से उप-धारा में निर्दिष्ट किसी मामले से संबंधित सूचना मंगाने की शक्तियां होंगी।

ऐसे सभी अभ्यावेदन, जो सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष समस्याओं से संबंधित हैं, जो उपयुक्त श्रेणी से संबंधित हैं, उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पास जांच के लिए भेजे गए हैं।

स्वास्थ्य योजनाओं पर हुआ खर्च

1908. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आठवीं पंचवर्षीय योजना तक स्वास्थ्य सेवाओं पर योजना-वार कुल कितना व्यय किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : योजना आयोग से यथाप्राप्त विभिन्न योजना अवधियों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र (केन्द्र, राज्यों/और संघ राज्य क्षेत्रों) में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण पर योजना निवेश के पैट्रन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न योजना अवधियों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र-केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण (योजना परिव्यय) पर निवेश का पैट्रन

(रुपये करोड़ों में)

क्र. सं.	अवधि	कुल योजना निवेश (सभी विकास शीर्ष)	स्वास्थ्य (केन्द्र व राज्य)		परिवार कल्याण	
			व्यय	3 का प्रतिशत	व्यय	3 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	पहली योजना (वास्तविक) (1951-56)	1960.00	66.20	3.33	0.10	0.01

1	2	3	4	5	6	7
2.	दूसरी योजना (वास्तविक) (1956-61)	4672.00	140.80	3.01	5.00	0.11
3.	तीसरी योजना (वास्तविक) (1961-66)	8576.50	225.90	2.63	24.90	0.29
4.	वार्षिक योजना (वास्तविक) (1966-69)	6625.40	140.20	2.12	70.40	1.06
5.	चौथी योजना (वास्तविक) (1969-74)	15778.80	335.50	2.13	278.00	1.76
6.	पांचवीं योजना (वास्तविक) (1974-79)	39426.20	760.80	1.93	491.80	1.25
7.	(1979-80) (वास्तविक)	12176.50	223.10	1.83	118.50	0.97
8.	छठी योजना (परिव्यय) (1980-85)	97500.00	1821.00	1.87	1010.00	1.04
	छठी योजना (वास्तविक)	109291.70	2025.20	1.85	1387.00	1.27
9.	सातवीं योजना (वास्तविक)	180000.00	3392.90	1.88	3256.30	1.81
	सातवीं योजना (वास्तविक)	218729.60	3688.60	1.69	3120.80	1.43
10.	1990-91 (वास्तविक)	61518.10	960.90	1.56	784.90	1.20
11.	1991-92 (वास्तविक)	65855.80	1042.20	1.58	866.60	1.30
12.	आठवीं योजना (परिव्यय) (1992-97)	434100.00	7582.20	1.75	6600.00	1.50

स्रोत : एफ.आर. डिवीजन, योजना आयोग।

राजसहायता प्राप्त उर्वरक

1909. श्री चंद्रेश पटेल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और देश के अन्य भागों में मिश्रित उर्वरक संयंत्र यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. आदि जैसे राज-सहायता प्राप्त उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मिश्रित उर्वरकों के इस्तेमाल को रोकना चाहती है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस समय ऐसे राज-सहायता प्राप्त उर्वरकों और उन पर दी गयी राज-सहायता का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बाड़ लगाने संबंधी कार्य

1910. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर के बीच सीमा की कुल कितनी लम्बाई है और कितने किलोमीटर दूरी तक कंटीले तार लगाए गए हैं और कितनी पर अभी कंटीले तार लगाए जाने हैं;

(ख) क्या कंटीले तार लगाने से जम्मू-कश्मीर सीमा से घुसपैठियों की संख्या में गिरावट आई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या घुसपैठ को रोकने के लिए अन्य कोई मितव्ययी विकल्प उपलब्ध है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) जम्मू व कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा करीब 1000 कि.मी. लम्बी है। भू-भाग ऊबड़-खाबड़ होने तथा इस भूभाग में नदियों, नालों और दरियाओं के कारण फासले होने तथा इस प्रकार की रूकावटों वाले स्थान पर लगातार निगरानी रखना तथा यहां गोली-बारी होते रहने के कारण नियंत्रण रेखा के साथ-साथ बाड़ लगाना व्यवहार्य नहीं है। अतः जम्मू अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर केवल 180 कि.मी./195.8 कि.मी. में बाड़, तेज रोशनी की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई थी। जुलाई, 1995 में यहां कार्य शुरू किया गया था, परन्तु पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारी और लगातार गोली-बारी के कारण, इस कार्य को रोकना पड़ा। तदोपरान्त, इस कार्य को पुनः शुरू करने की तैयारियां की गई थी परन्तु जम्मू व कश्मीर में संसदीय और विधान सभा चुनावों के कारण यह कार्य नहीं किया जा सका।

इस सैक्टर में कार्य पुनः शुरू करने पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। घुसपैठ को रोकने के लिए इस सैक्टर में एक प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन सिस्टम का कोई विकल्प नहीं है। यद्यपि, स्थाई रूप से बाड़ अभी तक नहीं लगाई गई है, फिर भी जम्मू सीमा पर संवेदनशील हिस्सों में अस्थाई बाड़ लगा दी और तेज रोशनी कर दी गई है, जो कि जम्मू सीमा पर घुसपैठ/सीमा पर से अपराधों को रोकने में अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हुई है।

[अनुवाद]

भारत का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त निगम का पुनर्गठन

1911. श्री ए.सी. जोस : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त निगम को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए इसको पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में निगम की संरचना क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक के अतिरिक्त सरकारी तथा गैर सरकारी निदेशक हैं।

आतंकवादी गतिविधियां

1912. श्री चमन लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री दिनांक 13 अगस्त, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3508 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1997 और 1998 के दौरान उक्त आरोप के संबंध में गिरफ्तार किए गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) जम्मू एवं कश्मीर सरकार को स्मरण दिलाया गया है कि वह अपेक्षित सूचना शीघ्रता से भेज दें।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही हैं और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

निर्वात प्रणाली द्वारा चीनी तैयार करना

1913. श्री अमर पाल सिंह : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दूर-दूर स्थानों पर स्थित खांडसारी इकाइयों को निर्वात प्रणाली द्वारा चीनी तैयार करने के लिए अनुमति देने के संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रावधान को समाप्त करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (घ) पहले खांडसारी यूनिटें खांडसारी का उत्पादन करने के लिए खुला पात्र प्रक्रिया का प्रयोग कर रही थीं। हाल ही में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इन यूनिटों को अपनी उत्पादन प्रक्रिया में निर्वात पात्र प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जाए।

निर्वात पात्र प्रौद्योगिकी अपनाने की अनुमति देने के संबंध में केवल इस बात को छोड़कर कोई मानदंड नहीं है कि ऐसी खांडसारी यूनिटें चीनी मिल के लिए आरक्षित क्षेत्र से बाहर अवस्थित होनी

चाहिए। चूंकि यह निर्णय हाल ही में लिया गया है इसलिए नीति में कोई परिवर्तन करने के संबंध में विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

गैर-आई.एस.आई. एल.पी.जी. सिलिंडरों के उपयोग के खिलाफ अभियान

1914. श्री के.एस. राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने अनेक अवैध बॉटलिंग प्लांटों का पता लगाया है जो दिल्ली के बाजारों में गैर-आई.एस.आई. एल.पी.जी. सिलिंडरों की भारी संख्या में आपूर्ति कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन सिलिंडरों के उपयोग से अनेक उपभोक्ताओं की जानें गई हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन अवैध सिलिंडरों के उपयोग से उत्पन्न खतरों के संबंध में सिलिंडर उत्पादकों, विक्रेताओं और खरीददारों को शिक्षित करने के लिये प्राधिकारियों ने कोई अभियान शुरू किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय दिल्ली में केवल तीन भरण संयंत्र हैं जो कि सारे के सारे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के हैं। इन भरण संयंत्रों की स्थापना गैस सिलेंडर नियम, 1981, अचल और सचल दबाव वैसल्स (अनफायरड) नियम, 1981 और तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय दिशा-निर्देशों की अपेक्षाएं पूरी करते हुए की गई है। प्रश्न में उल्लिखित गैर-कानूनी संयंत्र धूर्ततापूर्ण अन्तरण और सार्वजनिक धारिता की आड़ में अनधिकृत स्रोतों से प्राप्त किए गए सिलंडरों में दुकानों और गोदामों आदि में कुछ व्यक्तियों द्वारा सिलेंडरों की भराई की ओर इंगित करते हैं। ऐसे छोटे सिलेंडर समान्यतः प्रकाश करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। दिल्ली में हाल ही में एल.पी.जी. सिलेंडरों की गैरकानूनी भराई और आपूर्ति संबंधी मानव जीवनों की क्षति की कोई सूचना अथवा रिपोर्ट नहीं है। तथापि, दिल्ली पुलिस ने जून, 1977 से एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में एल.पी.जी. के गैर-कानूनी अंतरण के चार मामले दायर किए हैं।

(घ) और (ङ) सिलेंडरों सहित नकली/गैर-आई.एस.आई. एल.पी.जी. उपस्करों का इस्तेमाल रोकने के लिए तेल कम्पनियों द्वारा ग्राहकों के लिए व्यापक सुरक्षा प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इसके अलावा विभिन्न चरणों पर जोरदार निरीक्षण किए गए हैं। ग्राहकों की शिक्षा के लिए प्रैस विज्ञप्तियाँ भी निकाली जाती हैं।

चंडीगढ़ का हस्तांतरण

1915. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चंडीगढ़ और अन्य हिन्दी भाषी क्षेत्रों जो अब पंजाब में हैं, को हरियाणा को हस्तांतरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) इस समय, सरकार के समक्ष चंडीगढ़ की संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार चाहती है कि संबद्ध राज्य सरकारें इस मामले में अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लें और वह इस मामले में सहायता करने हेतु तैयार हैं।

[हिन्दी]

बाल चिकित्सा सुविधाएं

1916. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पांच वर्ष से कम आयु वाले कितने बच्चों की मृत्यु हुई, राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गुजरात के पिछड़े और जनजातीय बहुलता वाले क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलिराम एजिलमलाई) : (क) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण पद्धति बाल मृत्यु दर संबंधी सूचना प्रदान करती है जिससे एक वर्ष में 5 वर्ष से कम उम्र के मृतक बच्चों की संख्या उसी वर्ष समान उम्र वाली प्रति 1000 जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान बड़े राज्यों की बाल मृत्यु दर के राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण में है।

(ख) गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में 7274 उप-केन्द्रों, 960 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक विस्तृत नेटवर्क कार्य कर रहा है। मई, 1997 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 1929 उप-केन्द्र, 227 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 37 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे। ये केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या का एक विस्तृत पैकेज उपलब्ध करा रहे हैं जिनमें बच्चों में टीकाकरण, प्रवाहिका संबंधी रोगों का नियंत्रण, श्वसन संबंधी संक्रमणों का नियंत्रण, आवश्यक नवजात परिचर्या; और लौह तथा विटामिन "ए" की कमी का रोगनिरोध शामिल है।

सी.एस.एस.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं तथा बच्चों को आपात परिचर्या प्रदान करने हेतु 88 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का "प्रथम रेफरल यूनिटों" के रूप में कार्य करने हेतु उन्नयन किया गया है।

राज्य में 173 आई.सी.डी.एस. ब्लॉक कार्यरत हैं और ये बच्चों तथा माताओं को दूसरी सेवाओं जैसे अनुपूरक आहार के साथ-साथ चिकित्सीय परीक्षण उपलब्ध करा रहे हैं।

नौवीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वित किए जाने वाले प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को नवजात तथा बाल मृत्यु दर कम करने पर केन्द्रित उपायों के क्रियान्वयन में सुधार करने के साथ-साथ अतिरिक्त निवेश प्रदान किए जा रहे हैं।

विवरण

अनुमानित बाल मृत्यु दर (0-4) भारत और बड़े राज्य, 1993, 1994 और 1995

	1993	1994	1995
भारत	23.7	23.9	24.2
आंध्र प्रदेश	17.1	17.0	19.1
असम	29.7	24.7	24.7
बिहार	25.3	24.9	28.3
गुजरात	20.7	22.2	19.9
हरियाणा	20.3	22.3	22.7
हिमाचल प्रदेश	16.1	16.0	17.2
कर्नाटक	20.0	18.6	18.2
केरल	3.4	3.4	4.3
मध्य प्रदेश	36.9	34.8	33.0
महाराष्ट्र	14.1	14.4	14.0
उड़ीसा	33.7	31.6	32.2
पंजाब	16.1	15.7	14.9
राजस्थान	26.2	27.4	29.3
तमिलनाडु	13.6	13.4	14.5
उत्तर प्रदेश	32.9	33.0	30.8
पश्चिम बंगाल	17.0	19.8	18.6

विकलांगों को रोजगार में प्राथमिकता

1917. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों को यह स्थाई आदेश दिए हैं कि वे रोजगार में विकलांग उम्मीदवारों को प्राथमिकता दें;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी कार्यालयों में विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में प्रतिवर्ष कोई प्रतिशत निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा समान भागीदारी (अधिनियम, 1995 की धारा 33 में एक प्रावधान है कि उचित सरकार प्रत्येक स्थापना में तीन प्रतिशत से कम विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं करेगी जिसमें से निम्नलिखित प्रत्येक से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए गए पद में 1 प्रतिशत का आरक्षण होगाः

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि,

(ख) श्रवण विकलांगता, तथा

(ग) चलने संबंधी (लोकोमोटर) विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात इस कानून के लागू होने से पहले से ही समूह "ग" तथा "घ" में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण था। इस प्रावधान के अनुसरण में, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह "क" तथा "ख" में 3 प्रतिशत आरक्षण के विस्तार के लिए-दृष्टि, श्रवण तथा अस्थि विकलांगता प्रत्येक में एक प्रतिशत आरक्षण के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र संख्या 36035/16/91 स्थापना (एस.सी.टी.) दिनांक 18.2.1997 के तहत अधिसूचित किया गया है।

(2) विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार पाने में सहायता देन के लिए अनन्य रूपसे 50 विशेष रोजगार कार्यालय तथा 39 विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार कार्यालय भी उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों को सहायता करते हैं।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये भंडारण क्षमता

1918. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबों की मांग पूरी करने के लिये खाद्यान्न भंडारण हेतु देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कोई उचित व्यवस्था है;

(ख) यदि हाँ, तो मार्च, 1998 तक उनकी उपलब्ध भंडारण क्षमता क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उचित भंडारण के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास कुल उपलब्ध भंडारण क्षमता 223.69 लाख टन थी। इसमें किराए पर ली गई क्षमता शामिल थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल की खोज

1919. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा हाल ही में गोवा में समुद्र से दूर तटीय क्षेत्र में तेल की खोज के प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हाँ।

(ख) 1995-97 के दौरान गोवा अपतट के शेल्फ और गहरे समुद्र में द्विआयामी/त्रिआयामी भूंकपीय सर्वेक्षण किए गए हैं। ओ. एन.जी.सी. ने हाल ही में गोवा तट के दक्षिण-पश्चिम में एक अन्वेषणात्मक कूप का वेधन किया है।

क्षेत्र कल्याण अधिकारियों द्वारा अशोक चिन्ह का प्रयोग

1920. श्री अमर राय प्रधान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सरकारी अधिकारियों का पद क्या है जो शासकीय पत्र/अर्ध-शासकीय पत्र लिखते समय अशोक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ सरकारी अधिकारी जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा क्षेत्र कल्याण अधिकारी के सम्मानार्थ पद पर नियुक्त किए गए हैं, ने लेटर-हैड (शीर्ष-नामा) अपने निवास पते और वह भी सरकार के अशोक चिन्ह के समेत छपवाये हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के क्षेत्र कल्याण अधिकारी के सम्मानार्थ पद पर नियुक्त अधिकारियों को अपने लैटर-हैड पर अपने निवास पते के साथ अशोक चिन्ह का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) ऐसे दोषी क्षेत्र कल्याण अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करने संबंधी आदेशों में सरकारी अधिकारियों को राष्ट्रीय चिन्ह छपी अथवा उत्कीर्ण की हुई अर्ध-शासकीय लेखन सामग्री प्रयोग करने की अनुमति दी गयी है। तथापि, इन आदेशों में यह अपेक्षित है कि ऐसी लेखन सामग्री पर अधिकारी का नाम छपा हुआ नहीं होना चाहिए।

(ख) से (ङ) क्षेत्र कल्याण अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए सरकारी लेखन सामग्री के प्रयोग की अनुमति दी गयी है। तथापि, उन्हें अपने लैटर हैड पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के प्रयोग की अनुमति नहीं दी गयी है। ऐसे कुछ मामले ध्यान में आए हैं जिनमें क्षेत्र कल्याण अधिकारियों ने अपने लेटर हैड पर उक्त चिन्ह का प्रयोग किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सलाह दी गई कि वे सभी क्षेत्र कल्याण अधिकारियों को अपने लैटर हैड पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के प्रयोग को तत्काल बन्द करने के अनुदेश जारी करें।

[हिन्दी]

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू न किया जाना

1921. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1997-98 के दौरान वैशाली जिले की 50 पंचायतों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू न करने के कारणों की जांच की थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त सुविधा वंचित परिवारों को शीघ्र प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन जैसे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना और खाद्यान्नों का वितरण करना आदि की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों की है। भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार को खाद्यान्न सहित सभी सार्वजनिक वितरण जिन्सों का बल्क में आवंटन करती है। जिलों को खाद्यान्नों का आगे आवंटन संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि वैशाली जिला प्रशासन [illegible] गये सर्वेक्षण के आधार पर उस जिले में लक्षित सार्वजनिक [illegible]ाली के अधीन 127604 परिवार कवर किये जाते हैं। [illegible]कार के पास जिला प्रशासन के परवर्ती सर्वेक्षण में अपात्र परिवारों को शामिल किये जाने के संबंध में सूचना थी जिसके कारण ऐसा सूचित किया गया है कि बिहार सरकार ने आगे छानबीन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, वैशाली को अनुदेश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के नियंत्रण कार्यक्रम

1922. श्री चन्दूलाल अजमीरा : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों में एच.आई.वी./एड्स के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने तथा इस रोग पर नियंत्रण करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों को राज्यवार कुल कितनी सहायता राशि दी गई;

(घ) क्या सभी राज्यों में इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसमें राज्यवार मिली सफलता का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा एड्स के उन्मूलन तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगिलमलाई) : (क) और (ख) जी, हाँ। एच.आई.वी./एड्स, यौन संचारित रोग कैसे फैलते हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है और इनका संचरण किस प्रकार नहीं होता है, के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अंतरवैयक्तिक संचार सहित संचार के सभी प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एड्स जागरूकता गतिविधियों और उच्च जोखिम का व्यवहार करने वाले समूहों के बीच अंतरावर्तिता परियोजनाओं के कार्यान्वयन में गैर सरकारी संगठन भी संलग्न हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, हाँ। देश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ने निम्नलिखित उल्लेखनीय प्रगति की है :

1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक अलग एड्स सेल स्थापित किया गया।

2. 815 रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण।

3. 504 यौन संचारित रोग क्लीनिकों का सुदृढ़ीकरण।

4. 131 रक्तजांच केन्द्रों और 170 प्रहरी स्थलों की सहायता से निगरानी कार्यकलाप।

5. राष्ट्रीय एवं राज्य रक्ताधान परिषदों की स्थापना।

6. दूरदर्शन, रेडियो और जन अभियानों की सहायता से जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया।

7. योजना के कार्यान्वयन में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भाग ले रहे हैं।

(च) भारत में एच.आई.वी./एड्स के फैलाव के निवारण और नियंत्रण के लिए वर्तमान में पूरे देश में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

कार्यक्रम की कार्यनीतियों में शामिल हैं :-

(i) केन्द्र व राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंध क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण (ii) उच्च जोखिम का व्यवहार करने वाले समूहों और सामान्य जनता में एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करना, (iii) यौन संचारित रोगों का नियंत्रण (iv) रक्त निरापदता एवं रक्त के युक्तिसंगत प्रयोग को सुनिश्चित करना (v) निगरानी और निदान का सुदृढ़ीकरण और (vi) एच.आई.वी./एड्स के रोगियों का नैदानिक प्रबंधन।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

निधियों का समुपयोजन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96		1996-97		1997-98	
		रिलीज किए गए अनुदान	सूचित किया किया गया व्यय	रिलीज किए गए अनुदान	सूचित किया किया गया व्यय	रिलीज किए गए अनुदान	सूचित किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	432.00	293.93	425.00	434.30	425.00	86.59
2.	अरूणाचल प्रदेश	65.81	65.26	80.00	63.72	25.00	13.84
3.	असम	92.70	78.03	100.00	101.38	100.00	103.60
4.	बिहार	0.00	11.65	25.00	26.97	50.00	1.21
5.	गोवा	0.00	31.16	25.00	29.84	50.00	1.52
6.	गुजरात	131.26	154.79	300.00	63.36	250.00	56.48
7.	हरियाणा	0.00	42.70	130.00	66.19	75.00	75.00
8.	हिमाचल प्रदेश	156.75	86.63	155.00	200.88	225.00	55.33
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	7.50
10.	कर्नाटक	120.00	193.73	350.00	160.61	175.00	150.00
11.	केरल	172.62	185.43	225.00	136.68	100.00	80.00
12.	मध्य प्रदेश	137.00	157.59	425.00	268.18	150.00	182.00
13.	महाराष्ट्र	300.00	339.32	900.00	682.36	950.00	274.94
14.	मणिपुर	113.58	54.75	200.00	121.87	130.00	14.31
15.	मेघालय	18.00	27.06	35.00	15.51	25.00	17.83
16.	मिजोरम	74.00	93.63	150.00	126.98	100.00	21.66
17.	नागालैंड	107.00	128.95	190.00	175.06	155.00	125.98
18.	उड़ीसा	0.00	31.62	50.00	12.53	75..00	25.00
19.	पंजाब	80.00	98.08	225.00	51.30	75.00	59.45
20.	राजस्थान	90.00	70.30	375.00	222.14	225.00	234.00
21.	सिक्किम	25.00	20.29	50.00	23.11	50.00	11.11
22.	तमिलनाडु	650.00	679.73	1700.00	1304.51	2000.00	1216.39
23.	त्रिपुरा	38.00	39.30	50.00	56.04	50.00	40.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	204.31	450.00	310.98	495.00	219.63
25.	पश्चिम बंगाल	288.82	224.50	600.00	252.47	100.00	32.51
26.	पांडिचेरी	55.04	11.57	7.00	26.92	0.00	9.31
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	50.59	14.09	45.91	33.52	31.09	3.12

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	चंडीगढ़	51.70	31.72	46.93	29.10	28.00	3.12
29.	दादरा व नगर हवेली	42.00	21.05	17.00	54.42	16.00	2.57
30.	दमन व दीव	43.05	37.24	19.00	13.10	24.22	10.25
31.	दिल्ली	164.00	94.09	400.00	24.22	25.00	109.13
32.	लक्षद्वीप	53.54	4.37	16.71	6.00	15.42	5.00
	कुल	3552.46	3556.93	7752.55	5094.25	6239.73	2449.63

*अनंतिम

[हिन्दी]

विस्थापित लोग

.3. **डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मई, 1998 के ''दैनिक जागरण'' में ''सूरनकोट से 300 हिन्दुओं का पलायन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने राज्य में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि को रोकने के लिए कोई कठोर कार्यवाही की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कश्मीर से विस्थापित परिवारों को दी गई अनुग्रह राशि और ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ङ) कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पण्डित परिवारों और जम्मू और कश्मीर में विभिन्न शिविरों में रूके हुए परिवारों और अन्य राज्यों विशेषकर दिल्ली में इनकी संख्या कितनी है;

(च) सरकार ने इन कश्मीरी परिवारों के गृह राज्यों में सुरक्षित लौटने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(छ) आज तक घाटी में वापस लौटे परिवारों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जी हाँ, श्रीमान्। राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा सतत् अभियान चलाने के अलावा दोनों ओर से घुसपैठ को रोकने के लिए गहन गश्त लगाने और सीमा/नियंत्रण रेखा पर निगरानी रखने समेत, आतंकवादी विरोधी छानबीन अभियान चलाने, आसूचना तन्त्र को मजबूत करने के साथ-साथ विभिन्न एजेन्सियों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन किया जा रहा है। सुरक्षा प्रबन्धों की पुनरीक्षा करने और राज्य में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक कार्य योजना सुझाने के लिए एक विशेष ग्रुप का हाल में गठन किया गया है।

(घ) जम्मू व कश्मीर सरकार प्रवासियों को घाटी में पीछे छूट गई उनकी अचल सम्पत्ति को हुए नुकसान के लिए सम्पत्ति की हानि के मूल्यांकित मूल्य के 50/- की दर से, लेकिन अधिक से अधिक एक लाख रुपये तक, अनुग्रहपूर्वक राहत उपलब्ध कराती है। जम्मू व कश्मीर सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना और राज्य स्वःरोजगार योजना के अधीन कुछ प्रवासियों को ऋण भी उपलब्ध कराये हैं। राज्य सरकार ने मार्च 1998 तक आतंकवादी हिंसा (मृत्यू/सम्पत्ति की क्षति) के पीड़ितों को अनुग्रहपूर्वक राहत पर 24.17 करोड़ रुपये की राशि व्यय की है।

(ङ) जबकि विस्थापित परिवारों के समुदाय-वार आंकड़े देना संभव नहीं है, फिर भी, जम्मू में 29074 परिवार तथा दिल्ली में 19338 परिवार दर्ज किए गए हैं। बताया जाता है कि 2347 परिवारों ने देश के अन्य भागों को पलायन कर लिया है।

(च) प्रवासियों की समस्याओं के सभी पहलुओं पर विचार करने और उनका समाधान सुझाने के लिए जम्मू व कश्मीर सरकार के राजस्व, राहत और पुनर्वास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

(छ) ठीक-ठीक संख्या का पता लगाना कठिन है फिर भी, ऐसे परिवार जो घाटी को लौट गए हैं, बहुत कम हैं।

बिहार में अस्पताल परियोजनाओं को सहायता

1924. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में अस्पताल परियोजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता/ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसा आबंटन किन शर्तों पर किया गया था;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से राज्य में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए विकास और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वलित एजिलमलाई) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में अस्पताल परियोजनाओं को ऋण/वित्तीय सहायता रिलीज नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कैबिनेट मंत्रियों के लिए आचार संहिता

1925. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कैबिनेट के सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी आचार संहिता बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) मंत्रियों के लिए पहले से ही एक आचार संहिता है। इस संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ, मंत्रियों द्वारा परिसम्पत्तियों और देयताओं की घोषणा किए जाने की व्यवस्था है तथा उनके द्वारा उपहार/पुरूस्कार स्वीकार करने संबंधी दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए गए हैं। इस संहिता में यह भी अपेक्षित है कि मंत्री, प्रधान मंत्री के पूर्व अनुमोदन के बिना अपनी पत्नी/पति और आश्रितों को भारत में या विदेश में किसी विदेशी सरकार या किसी विदेशी संगठन (वाणिज्यिक संस्थान समेत) में रोजगार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम, भोपाल में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति

1926. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम, भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय में ए. जी.-तीन के पद पर अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई;

(ख) क्या भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में ये पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त व्यक्तियों का अन्य जोनों में स्थानांतरण कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) भोपाल में भारतीय खाद्य निगम का आंचलिक कार्यालय नहीं है। तथापि, भोपाल में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है जिसका प्रशासनिक क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश राज्य है। अक्टूबर, 1996 में शुरू किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विशेष भर्ती अभियान के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति से संबंधित 194 सहायक ग्रेड-3 (घ) की भर्ती की गई थी जबकि अनुसूचित जनजाति की उपलब्ध रिक्तियां 196 थीं।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) विनियमन के अनुसार क्षेत्र, उक्त पद की भर्ती के लिए यूनिट हैं। तथापि, इन कर्मचारियों के कैरियर के अवसरों में वृद्धि करने हेतु स्थानांतरण की यूनिट को ''अंचल'' के रूप में रखा जाता है। अंचल के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य शामिल होते हैं। इसलिए, मध्य प्रदेश में भर्ती किए गए व्यक्तियों का स्थानांतरण किया गया था और उन्हें अंचल के अंदर ही तैनात किया गया था जिसके लिए भर्ती करते समय उनकी सहमति ली गई थी।

[अनुवाद]

ट्रेनों में चोरी और डकैती

1927. श्री नरेश कुमार पुगलीया :
डॉ० सरोजा वी. :
श्री पी.सी. थॉमस :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रेन में यात्रा के दौरान विशेषकर लम्बी दूरी की ट्रेनों में रात के समय यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) ट्रेन यात्रा के दौरान छह माह के दौरान चोरियां तथा डकैती के कितने मामले घटित हुए; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ग) रेलों में होने वाले अपराधों के पंजीकरण, जांच और पता लगाने तथा रोकथाम करने का दायित्व राजकीय रेलवे पुलिस का है जोकि संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के नियंत्रण में कार्य करती है। रेल यात्रा के दौरान यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों की गतिविधियों को रोकने में राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता के लिए रेल प्रशासन ने भी निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी राजकीय रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस में उनके समकक्ष अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित कर रहे हैं।

(ii) आर.पी.एफ. और जी.आर.पी. में सभी स्तरों पर विशेष आसूचना और आपराधिक आसूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है।

अप्राधिकृत व्यक्तियों के सुपरफास्ट गाड़ियों में प्रवेश को रोकने के लिए रेलवे ने इस्टेट एक्शन ग्रुप का गठन किया है।

(iv) आर.पी.एफ. स्टाफ रात्रि के दौरान चलने वाली यात्री गाड़ियों में मार्गरक्षण के लिए जी.आर.पी. की सहायता करता है।

(v) जी.आर.पी. और आर.पी.एफ. द्वारा रेलवे में सक्रिय समाज-विरोधी तत्वों से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाई गई है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जुलाई, 1997 से दिसम्बर, 1997 तक की अवधि के दौरान गाड़ियों में डकैती के 61, लूटपाट के 119 तथा धोखाधड़ी के 28 मामले हुए हैं।

[हिन्दी]

खान दुर्घटना

1928. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी खान दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं में हताहत और घायल हुए श्रमिकों की संख्या कितनी थी तथा इस कारण कितने राजस्व की हानि हुई;

(ग) मृतकों के परिवारों को दिए गए मुआवजे की राशि कुल कितनी थी; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में खान दुर्घटनाओं की संख्या, उनमें हताहत और घायल हुए श्रमिकों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या खतक	गंभीर	व्यक्तियों की संख्या मारे गए	घायल
1995	203	1025	293	1092
1996	203	940	229	1006
1997*	216	898	244	967

*अनंतिम

इन दुर्घटनाओं के कारण हुई राजस्व हानि से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत घायलों अथवा मृतकों के परिवारों को मुआवजे की राशि भुगतान की जाती है जिसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

(घ) खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रावधान खान अधिनियम 1952 में समाविष्ट हैं और नियम एवं विनियम उनके अंतर्गत बनाए गए हैं इसके अलावा, खान सुरक्षा महानिदेशालय ने भी सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए प्रबंधन को परिपत्र के रूप में दिशा निर्देश जारी किए हैं। खान प्रबंधनों के लिए इन प्रावधानों का अनुपालन अपेक्षित है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने के लिए आवधिक रूप से खानों का निरीक्षण करते हैं। और चूक के मामले में खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हैं।

विधीय उपायों के अलावा, सरकार अन्य अनेक पहलों के माध्यम से सुरक्षा संवर्धन कर रही है, यथा :

(क) खानों में सुरक्षा के बारे में सम्मेलन।

(ख) प्रबंधनों द्वारा स्वतःविनिमन।

(ग) सुरक्षा प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता।

(घ) विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय पुनरीक्षाएं

(ङ) कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण।

(च) सुरक्षा सप्ताहों और सुरक्षा अभियानों का आयोजन तथा

(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान)

[अनुवाद]

हुर्रियत कांफ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तानी समर्थन

1929. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कश्मीर के हुर्रियत कांफ्रेस के प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) पाकिस्तान, भाड़े के विदेशी सैनिकों और शस्त्र और गोला बारूद भेजकर जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद को भड़का रहा है और उग्रवादियों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दे रहा है। रिपोर्टों से पता लगता है कि नई दिल्ली स्थित पाक उच्च आयोग के अधिकारियों ने हुर्रियत के नेताओं को अपना समर्थन देते रहने का आश्वासन दिया है।

(ग) किसी दूतावास/उच्च आयोग में जाने और राजनयिकों से मिलने पर किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, सरकार हुर्रियत नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। यदि कानून के उल्लंघन की कोई घटना सरकार के ध्यान में आती है तो तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी।

मालटा पोत दुर्घटना

1930. श्री माधव राव सिंधिया : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष यूनान के समुद्री तट पर मालटा पोत दुर्घटना के पश्चात् भारतीय श्रमिकों के अवैध तरीकों से निरंतर देश से बाहर जाने में कोई कमी नहीं आई है;

(ख) यदि हाँ, तो मालटा दुर्घटना के बाद इस प्रक्रिया में कितने अप्रवासी पकड़े गये; और

(ग) देश से लोगों को इस प्रकार बाहर जाने से रोकने के लिए क्या प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) सरकार को उन भारतीय प्रवासियों की विदेश में मौजूदगी के बारे में रिपोर्टें प्राप्त होती रही हैं जो गैर-कानूनी रूप से वहां रहते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, उनके वहां अभिकथित रूप से गैर-कानूनी तरीके से रहने के कारण, दिसम्बर, 1996 में हुई माल्टा नाव त्रासदी से विभिन्न विदेशी राष्ट्रों में लगभग 8,600 भारतीय नागरिकों के होने की आशंका व्यक्त की गयी है।

(ग) गैर-कानूनी प्रवास पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं :

(i) सभी उत्प्रवास प्राधिकारी, उत्प्रवास संरक्षी के पृष्ठांकन सहित यात्रा दस्तावेजों की अपने पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मिलान करके उनके सही होने तथा वैधता की जांच करते हैं तथा परा-बैंगनी लैम्प, मैनीफाइंग ग्लास और संदेहास्पद दस्तावेज परीक्षक की सहायता से अभिरक्षा विशेषताओं की जांच करके उनके असली होने की भी जांच-पड़ताल करते हैं। इसके अतिरिक्त आप्रवास अधिकारी यह देखने के लिए क्या यात्रियों की संख्या संदेहप्रद तो नहीं कम्प्यूटरीकृत स्क्रीनिंग का आश्रय लेते हैं। समय-समय पर अंतराष्ट्रीय वायुपत्तनों पर आप्रवास प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं/किए जाते हैं और उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे ऐसे मामलों में और अधिक सतर्कता बरतें।

(ii) राज्य सरकारों के गृह विभागों को सलाह दी गई है कि वे अनाधिकृत एजेन्टों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें।

(iii) उत्प्रवास संरक्षी उत्प्रवास क्लीयरेंश प्रदान करने से पहले रोजगार संविदा सहित यात्रा दस्तावेजों की पड़ताल करते समय पूरी सतर्कता रखते हैं।

(iv) विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे ऐसी दुश्रणाली की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, उत्प्रवास महासंरक्षी को धूर्त भर्ती एजेन्टों, नियोजकों के नामों की जानकारी दें।

(v) भर्ती एजेन्टों के विरुद्ध प्राप्त की गई शिकायतों की विदेश स्थित संबंधित भारतीय राजनियक मिशनों के परामर्श से जांच की जाती है और उनके पंजीकरण प्रमाण पत्रों को निलंबित/निरस्त करने के संबंध में मामले के गुणागुण आधार पर उत्प्रवास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों को गैस कनैक्शन देना

1931. श्री थावर चन्द गेहलोत :
श्री रामदास आठवले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के सदस्यों से एल.पी.जी. और टेलीफोन कूपन सुविधा वापस लेने के बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को एल. पी.जी. आबंटित करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) लोक सभा के सदस्यों को इस विशेषाधिकार से वंचित रखने के क्या कारण हैं जबकि यह सुविधा राज्य सभा के सदस्यों को उपलब्ध है;

(घ) क्या सरकार का विचार माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ परामर्श करके लोक सभा के सदस्यों को पुनः यह सुविधा उपलब्ध करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) लोक सभा सांसदों सहित सभी सांसदों के लिए टेलीफोन कनैक्शनों के आवंटन का विवेकाधीन कोटा किसी भी समय वापस नहीं लिया गया है। तथापि, लोक सभा में 26 फरवरी, 1997 को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष [illegible]थित लोक सभा सदस्यों के लिए एल.पी.जी. कनैक्शन जारी का विवेकाधीन कोटा बन्द करने के निर्णय के आधर पर लोक सभा सदस्यों के लिए एल.पी.जी. कनैक्शन जारी करने का विवेकाधीन कोटा अप्रैल, 1997 से बन्द कर दिया गया था।

(घ) जी हाँ, माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने 1.6.1998 को घोषणा की कि प्रत्येक संसद सदस्य (लोक सभा) को अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में कनैक्शन देने के लिए प्रतिवर्ष 160 एल.पी.जी. गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। तदनुसार लोक सभा सदस्यों को प्राथमिकता कूपनों का वितरण आरम्भ करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलें

1932. श्री हीरा लाल राय : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मादोदा, छपरा, बिहार में चीनी मिलें बंद पड़ी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रभावित किसानों और छंटनी किये गये श्रमिकों के पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा क्या प्रबंध किये जा रहे हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) बिहार राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मरहौरा जिला छपरा (बिहार) में स्थित चीनी मिल बन्द पड़ी है जो कानपुर शुगर वर्क्स लि० की एक इकाई है। इसका निवल मूल्य घट गया है। कम्पनी ने पुनर्स्थापना के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को आवेदन किया है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक वित्त आयोग

1933. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित अल्पसंख्यक वित्त आयोग की शेयरपूंजी में अपना शेयर देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति

1934. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति में विलंब के कारण हुई आर्थिक हानियों के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान की रामगढ़ एक्सटेंशन परियोजना को पूरी मात्रा में गैस आपूर्ति के लिए मूल और संशोधित समय-सूची क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति में विलम्ब हुआ है; और

(ङ) उक्त के परिणामस्वरूप राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को हुई आर्थिक हानियों के लिए मुआवजा देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) मूल कार्यक्रम के अनुसार रामगढ़ विस्तार परियोजना को गैस की आपूर्ति अप्रैल, 1995 में आरम्भ की जानी थी जबकि राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने उक्त परियोजना जनवरी, 1996 में पूरी की। गैस आपूर्ति ऑयल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रों से गैस उपलब्ध होने पर जून, 1996 से ही आरंभ हुई।

(ङ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

शैक्षिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

1935. श्री रामदास आठवले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) जी, नहीं। शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

महिलाओं पर अत्याचार

1936. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचारों की रोकथाम के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार संबंधित राज्य मंत्रियों और इस क्षेत्र में कार्यरत स्वंयसेवी एजेंसियों का कोई सम्मेलन बुलाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पत्रकारों की संविदात्मक नियुक्ति

1937. श्री मोहन सिंह : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बड़े समाचार-पत्रों के मालिक वेतन बोर्ड की सिफारिशों का उल्लंघन करते हुए पत्रकारों और कर्मचारियों की संविदात्मक नियुक्ति कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी नियुक्तियों पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) श्रमजीवी पत्रकार और गैर पत्रकार समाचार पत्र तथा समाचार एजेन्सी कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड की अनुशंसाएं स्वभावतः सलाहकारी हैं। सरकार को ठेका नियोजन आदि पर प्रतिबंध के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। फिलहाल इस संबंध में श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बच्चों को गोद लेना

1938. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम देशों के माता-पिता द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लेने की प्रवृत्ति में कमी आई है और भारत के कुछ एजेंट और सामाजिक कार्यकार्ता बच्चों को पड़ोसी देशों को भेजकर धन वसूल कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का उन्हें देश में तथा देश के बाहर पुनर्वास तथा उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) देश से बाहर भारतीय बच्चे के दत्तकग्रहण को सुव्यवस्थित रूप दिया गया है तथा 29 मई, 1995 में सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए संशोधित दिशा निर्देशों द्वारा नियंत्रित होता है। इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय बच्चों की तुलना में अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण के क्षेत्र में कार्यरत भारतीय तथा विदेशी दोनों एजेंसियों को इस शर्त पर मान्यता प्रदान करता है कि उपयुक्त दिशा निर्देशों को ये एजेंसियां कठोरता से पालन करें।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के नारायणा गोदाम में कदाचार

1939. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के नारायणा, दिल्ली के गोदाम में अस्वीकृत घटिया अनाज को अच्छी गुणवत्ता के अनाज के साथ मिलाने के कदाचार का दिसम्बर, 1997 के दौरान पता चला था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के कदाचार का भारतीय खाद्य निगम के अन्य गोदामों में भी पता चला है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस कार्य के लिए जिम्मेदारी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या किए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। न तो इस प्रकार की कोई पद्धति अपनाई गई है और न ही भारतीय खाद्य निगम के किसी भी गोदाम से इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस की डीलरशिप

1940. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुबनी जिले (बिहार) में क्षेत्र के थोगिरिया ब्लाक की 16 पंचायतें/ब्लाकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रसोई गैस की केवल एक डीलरशिप चल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस क्षेत्र में और रसोई गैस डीलरशिप की मांग है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) क्षेत्रगत मांग को पूरा करने के लिए बिहार राज्य के मधुबनी जिलान्तर्गत एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने से संबंधित अनुमोदित एल.पी.जी. वितरण योजनाओं में निम्नांकित पांच एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई हैं :

1. घोघरडीहा
2. करमाघ
3. जयनगर
4. बेनीपट्टी
5. मधुबनी

वितरकों का चयन जारी किए गए विज्ञापनों के प्रति आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के साक्षात्कार के माध्यम से डीलर चयन बोर्ड द्वारा किया जाना है।

[हिन्दी]

बेरोजगारी की समस्या

1941. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बेरोजगारी उन्मूलन के लिए श्रमोन्मुखी तकनीक को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) 9वीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी एवं अल्परोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वतः ही सृजित होगा।

[अनुवाद]

विदेशी भाड़े के सैनिक

1942. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में सक्रिय विदेशी भाड़े के सैनिकों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन भाड़े के सैनिकों की गतिविधियों को नियन्त्रित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) बताया जाता है कि जम्मू और कश्मीर में अनेक भाड़े के विदेशी सैनिक कार्य कर रहे हैं। भाड़े के विदेशी सैनिकों से बने मुख्य उग्रवादी गिरोह निम्न प्रकार हैं :

1. हिजबुल मुज्जाहिद्दीन

2. लस्कर-ए-तोयबा

3. हरकत-उल-अन्सार

4. तारिक-ए-जिहाद

(ख) सरकार को मामले की जानकारी है। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार सुरक्षा बलों के साथ हुई विभिन्न मुठभेडों में अब तक 713 भाड़े के विदेशी मारे गए और 151 गिरफ्तार किए गए। ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

सीमा/नियंत्रण रेखा पर तथा भीतरी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस प्रयोजनार्थ विभिन्न प्रबंध किए गए है जिसमें सम्मिलित है - गहन गश्त लगाना, नाईट विजन उपकरणों इत्यादि सहित निगरानी उपकरणों की व्यवस्था और उनका प्रयोग, नियंत्रण रेखा/सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों में तथा भीतरी क्षेत्रों में बलों की तैनाती, सीमा के पास कुछेक संवेदनशील क्षेत्रों में ग्राम सुरक्षा समितियां गठित करना, और सभी संबंधित सुरक्षा और आसूचना एजेन्सियों इत्यादि के बीच गहन और सतत् समन्वय। इन प्रबंधों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है तो उन्हें सुदृढ़/सुव्यवस्थित किया जाता है।

विवरण

जनवरी, 1990 से मई, 1998 के अंत तक मारे गए/गिरफ्तार किए गए भाड़े के विदेशी सैनिकों के ब्यौरे

क्र. सं.	देश का नाम	गिरफ्तार किए गए										मारे गए									
		90	991	92	93	94	95	96	97	98	कुल	90	91	92	93	94	95	96	97	98	कुल
1.	पाकिस्तान/पाक अ. कश्मीर	-	2	5	16	23	33	18	22	7	126	10	9	10	38	34	31	15	29	13	189
2.	अफगानिस्तान	-	-	1	1	9	-	1	10	-	22	4	2	4	50	49	14	13	12	1	149
3.	मिश्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
4.	सूडान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	7
5.	यमन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	4
6.	लेबनान	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	बहरीन	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
8.	चेचेनिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
9.	बोस्निया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
10.	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	35	40	105	156	22	359
कुल -		-	2	6	20	32	33	19	32	7	151	14	12	14	90	122	85	139	197	40	713

[हिन्दी]

हिन्दी माह

1943. श्री नरेन्द्र पुडानिया :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष हिन्दी माह मनाने पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इसके फलस्वरूप मंत्रालयों में कितने प्रतिशत कार्य मूल रूप से हिन्दी में किया जाता है;

(ग) क्या सरकार यह मानती है कि सरकारी कार्यालयों में हिन्दी को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका हिन्दी माह का आयोजन है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकारी काम-काज में हिन्दी को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) हिन्दी दिवस, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़ा या फिर हिन्दी माह के आयोजन देश भर के अनेकानेक कार्यालयों में हर साल होते हैं। इन आयोजनों पर हुए खर्च के आंकड़े राजभाषा विभाग में उपलब्ध नहीं होते। इन आयोजनों के फलस्वरूप राजभाषा नीति के प्रगामी प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनता है।

(ग) और (घ) राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जैसे कि राजभाषाई प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, पुरस्कार तथा प्रोत्साहन योजनाएं, इत्यादि।

[अनुवाद]

पामोलीन तेल का आयात और आवंटन

1944. श्री विन्ना पटेल :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पामोलीन तेल का वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान कितना आयात किया गया और विभिन्न राज्यों को उनकी मांग की तुलना में कितना वितरण किया गया;

(ख) गुजरात में प्रतिमाह पामोलीन की कितनी आवश्यकता होती है;

(ग) क्या गुजरात राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में कम तेल आवंटित किया गया था;

(घ) क्या इस राज्य ने पामोलीन की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक पामोलीन की पूरी मात्रा जारी करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) 1996-97 और 1997-98 के दौरान केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सरकारी खाते पर राज्य व्यापार निगम द्वारा क्रमशः 1.49 लाख टन और 0.89 लाख टन आर.बी.डी. पामोलीन का आयात किया गया है। पिछले वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में आर.बी.डी. पामोलीन की मांग, आवंटन और उठान निम्नानुसार रहा है :

(लाख टन में)

वर्ष	मांग	आवंटन	उठान
1996-97	4.57	1.93	1.80
1997-98	1.73	1.36	0.62

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान आर.बी.डी. पामोलीन के लिए गुजरात की मांग निम्नानुसार थी :

1996-97

अप्रैल-जुलाई, 1996 6,000 टन प्रति माह

अगस्त-अक्तूबर, 1996 9,000 टन प्रति माह

नवम्बर, 1996-मार्च, 1997 : 5,000 टन प्रति माह

1997-98

अगस्त-नवम्बर, 1997 5,000 टन प्रति माह

(ग) 1996-97 के दौरान गुजरात को किया गया 40,000 टन का आवंटन सबसे अधिक आवंटन किए जाने वालों में दूसरे स्थान का आवंटन था और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए कुल आवंटन का 20.74 प्रतिशत था। 1997-98 के दौरान किया गया 20,000 टन का आवंटन पूर्णतया वही आवंटन था जिसकी मांग गुजरात सरकार ने की थी।

(घ) से (च) गुजरात सरकार ने अगस्त से नवम्बर 1998 तक की अवधि के दौरान 9000 टन प्रति माह की दर से आर.बी.डी. पामोलीन का आवंटन करने के लिए कहा है। आर.बी.डी. पामोलीन का आवंटन करने के लिए गुजरात सहित सभी राज्यों की मांग पर वर्तमान वर्ष के दौरान आर.बी.डी. पामोलीन के आयात कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के पश्चात विचार किया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन, यदि दिया गया तो यह आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर मांग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए तेल की उपलब्धता, पत्तन के निकट के डिपुओं में राज्य व्यापार निगम के पास भंडारण क्षमता और पिछले आवंटनों के उठान की गति आदि के आधार पर किया जाएगा।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को सहायता

1945. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ संस्थान देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग के विस्तार और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संस्थानों को वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान शोध तथा खोज कार्य के लिए दी गई सहायता की राशि कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्यों पर खर्च की गई वास्तविक राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नियमित जारी परियोजनाओं के माध्यम से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग के विस्तार और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इन परियोजनाओं का वित्त पोषण सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के आंतरिक संसाधनों द्वारा किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड, अनुसंधान और अन्वेषण कार्य के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करके तेल उद्योग के प्रयासों को अनुपूरित करता है। वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान अनुसंधान और अन्वेषण कार्य के सम्बन्ध में वितरित/उपयोग किए गए ऋणों/अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जारी की गई और अन्वेषण और अनुसंधान पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क. अन्वेषण

क्र.सं.	संगठन का नाम	1995-96		1996-97		1997-98	
		ओ आई डी बी द्वारा दी गई धनराशि	संबंधित संगठन से प्राप्त सूचनानुसार उपयोग में लाई गई धनराशि	ओ आई डी बी द्वारा दी गई धनराशि	संबंधित संगठन से प्राप्त सूचनानुसार उपयोग में लाई गई धनराशि	ओ आई डी बी द्वारा दी गई धनराशि	संबंधित संगठन से प्राप्त सूचनानुसार उपयोग में लाई गई धनराशि
	ऋण						
1.	ओ.एन.जी.सी.					161.74	>56.00
2.	ओ.आई.एल.	133.87	103.06		#30.81	150.00	>112.39
3.	ओ.एन.जी.सी.(विदेश)	27.70	27.70	49.00	49.00		
		161.57	130.76	49.00	79.81	311.74	168.39
	अनुदान						
3.	डी.जी.एच.	8.57	1.62	19.77	9.78	14.06	11.20
		8.57	1.62	19.77	9.78	14.06	11.20
	कुल योग	170.14	132.38	68.77	#89.59	325.80	179.59

1995-96 में व्यय से बची धनराशि का उपयोग 1996-97 में किया गया।

> 1997-98 के दौरान उपयोग में न लाई गई निधियाँ 1998-99 में उपयोग में लाए जाने की आशा है।

ख. अनुसंधान और विकास

क्र.सं.	संगठन का नाम	1995-96		1996-97		1997-98	
		ओ आई डी बी द्वारा दी गई धनराशि	संबंधित संगठन से प्राप्त सूचनानुसार उपयोग में लाई गई धनराशि	ओ आई डी बी द्वारा दी गई धनराशि	संबंधित संगठन से प्राप्त सूचनानुसार उपयोग में लाई गई धनराशि	ओ आई डी बी द्वारा दी गई धनराशि	संबंधित संगठन से प्राप्त सूचनानुसार उपयोग में लाई गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	अनुदान@						
1.	पी.सी.आर.ए.	8.75	4.11	6.02	3.21	6.67	4.91
2.	सी.एच.टी.	6.20	4.02	11.80	9.02	4.97	3.35
3.	गेल	-	-	-	-	1.30	0.99
4.	ओ.एन.जी.सी.	-	1.75	-	2.81	*5.77	1.21
		14.95	9.88	17.82	15.04	18.71	10.46

* यद्यपि उक्त धनराशि संगठन द्वारा 1995-96 से 1997-98 के दौरान व्यय की गई थी तो भी उस राशि की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार की संस्वीकृति प्राप्त करने के बाद 1997-98 में ही की गई। 81 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति वर्ष 1995-96 से पहले संगठन द्वारा पहले ही किये गये व्यय के संबंध में 1997-98 के दौरान ओ.एन.जी.सी. को भी की गई क्योंकि उक्त व्यय के संबंध में केन्द्रीय सरकार की मंजूरी 1997-98 में ही प्राप्त हुई थी।

@ स्तम्भ 3, 5 और 7 में धनराशियों में सचिवालय व्यय और अन्य क्रियाकलापों के लिए अनुदान भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

"एड्स" नियंत्रण के लिए विश्व बैंक सहायता का उपयोग

1946. श्री रवि सीताराम नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "एड्स" नियंत्रण के लिए विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सहायता राशि में से अधिकांश राशि का उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) "एड्स" नियंत्रण के लिए इस सहायता राशि के पूर्ण रूपेण उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए. एजिलमलाई) : (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक के साथ 84 लाख अमेरिकी डालर का एक क्रेडिट अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है। विश्व बैंक ने पिछले तीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित राशि की प्रतिपूर्ति की है:

वर्ष	मिलियन अमेरिकी डालर
1995-96	9.16
1996-97	21.24
1997-98	13.67

(ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए पहले ही 67 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा राज्य एड्स कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के उचित समुपयोजन की मॉनीटरिंग स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एड्स समिति द्वारा सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड द्वारा एवं अतिरिक्त सचिव और परियोजना निदेशक द्वारा राज्य एड्स कार्यक्रम अधिकारियों के साथ बैठकों में की जाती है। मानव संसाधन विकास संबंधी संसद की स्थायी समिति भी इस मंत्रालय के बजट प्रस्ताव पर विचार करते समय इस कार्यक्रम की समीक्षा करती है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के उचित समुपयोजन की समीक्षा लेखा परीक्षा द्वारा भी की जाती है क्योंकि प्रत्येक वर्ष किए गए व्यय का लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र परियोजना के अंतर्गत एक अनिवार्य अपेक्षा है।

कार्यक्रम के पुनरीक्षित मुख्य घटक इस प्रकार हैं :

1. एच.आई.वी. नियंत्रण के लिए प्रबंध क्षमता को सुदृढ़ करना;
2. जन जागरूकता और समुदाय सहायता को बढ़ावा देना;
3. रक्त निरापदता और इसके विवेकपूर्ण प्रयोग में सुधार करना;
4. निगरानी व्यवस्था और नैदानिक प्रबंधन क्षमता तैयार करना; और
5. यौन संचारित रोगों को नियंत्रित करना।

ईंधन लिंकेज

1947. श्री दिलीप संघाणी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष परियोजनाओं के लिए नाफ्था के अतिरिक्त अन्य ईंधन लिंकेज लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नाफ्था को निर्धारित मूल्य तंत्र से मुक्त करने के बाद इस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) विद्युत की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के माध्यम से तरल ईंधनों पर आधारित 12,000 मेगावाट विद्युत के उत्पादन की अनुमति देने के सरकारी निर्णय के अनुसार स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के माध्यम से लगभग 10488 मेगावाट विद्युत के उत्पादन के लिए तकरीबन 9905 टी.एम.टी.पी.ए. नाफ्था और 3214 टी.एम.टी.पी.ए. एफ.ओ./एल.एस.एच.एस. का आबंटन किया जा चुका है।

उपर्युक्त के अलावा नौका-आधारित विद्युत संयंत्रों के माध्यम से 806 मेगावाट विद्युत के उत्पादन के लिए 620 टी.एम.टी.पी.ए. एफ.ओ./एल.एस.एच.एस. का आबंटन किया जा चुका है। इसके अलावा केरल राज्य विद्युत बोर्ड, कर्नाटक बुअरीज, एन.टी.पी.सी. और आई.पी.सी.एल. द्वारा 2964.5 मेगावाट विद्युत के उत्पादन के लिए 150 टी.एम.टी.पी.ए. एफ.ओ./एल.एस.एच.एस. और 3600 टी.एम.टी.पी.ए. नाफ्था का आबंटन किया जा चुका है।

(ग) चूंकि स्वदेशी नाफ्था ऐसे विद्यमान और भावी ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए पहले से ही वचनबद्धित है, जिन्हें आबंटन पहले ही किए जा चुके हैं, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के लिए तरल ईंधनों की आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाएगी।

नाफ्था और एफ.ओ./एल.एस.एच.एस. को 1 अप्रैल, 1998 से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। इसलिए इन उत्पादों के मूल्य अब आयात समता मूल्य और भंडारण, परिवहन, कम्पनी के लाभ सहित साज-संभाल प्रभारों के आधार पर बाजार-निर्धारित मूल्य-निर्धारण के अनुसार होंगे। तदनुसार, आदर्श ईंधन आपूर्ति करार (एफ.एस.ए.) के उपबंधों के अनुसार तरल ईंधनों के मूल्यों में आयातित उत्पाद की भारिता औसत उतराई लागत, आयात साज-संभाल प्रभार, संरचनात्मक प्रभार, सेवा प्रभार, गारंटी प्रभार और वास्तविक भाड़ा प्रभार अथवा काल्पनिक भाड़ा प्रभार (यथा लागू) सम्मिलित होंगे। विद्युत परियोजनाओं के नाफ्था मूल्य-निर्धारण की नियंत्रण मुक्त द्वारा प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 को लागू करना

1948. श्री मोहन रावले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 देश में समान रूप से लागू होता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसे लागू करने के लिए संबद्ध राज्य विधानमंडलों में औपचारिक रूप से स्वीकृत किया जाना होगा;

(ग) यदि नहीं, तो उन राज्य विधान मंडलों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने औपचारिक रूप से इसे स्वीकृत किया है, अधिसूचित किया है और वे संबद्ध राज्यों में इसे लागू कर रहे हैं; ।

(घ) क्या सरकार का ध्यान कुछ अन्य व्यक्तियों से धोखाधड़ी से गुर्दे निकालकर गुर्दा प्रत्यारोपण के कुछ मामलों की ओर गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(च) देशभर में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 को कड़ाई से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ। इसे संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा स्वीकार किया जाना है।

(ग) इस अधिनियम को स्वीकार करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम हैं : असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मेघालय, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, (आंध्र प्रदश ने सदृश सिद्धातों पर अपना एक अधिनियम पारित किया है)। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ प्रशासन, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(च) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 को स्वीकार करने का मामला राज्य सरकारों के साथ सर्वोच्च स्तर पर उठाया जा रहा है।

[हिन्दी]

आदिवासियों के लिए कल्याण योजनाएं

1949. श्री रामानंद सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय आदिवासी विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं;

(ख) इनमें से कितनी योजनाएं केन्द्र द्वारा प्रायोजित हैं और वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान अलग-अलग इन योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहायता के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश द्वारा केन्द्रीय सहायता में से अलग-अलग खर्च की गई, खर्च न की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त की गई सहायता धनराशि का पूरा उपयोग कर लिया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) निम्नलिखित योजनाएं चल रही हैं :-

(1) आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

(2) संविधान का अनुच्छेद 275 (1), (3) अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल

(4) अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल, (5) अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उप योजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल (6) अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए

निम्न साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर (7) अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगमों को सहायता अनुदान (8) आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को सहायता।

(ख) और (ग) अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रदान की गई धनराशि को दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) जी, नहीं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदानों की निर्मुक्ति किश्तों में योजना पर निर्भर करते हुए राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही की जाती है। कुछ योजनाओं के अंतर्गत प्रायः उसी वर्ष के दौरान अनुदान का उपयोग करना संभव नहीं होता है। जब कभी निर्माण कार्य शामिल होता है तो यह मंत्रालय शामिल प्रक्रिया के कारण उपयोग करने के लिए 2-3 वर्ष तक की अनुमति दे रहा है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान आदिवासी विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को निर्मुक्त निधियों के वर्षवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रदान की गई 1996-97 उपयोग	सहायता की गई	उपयोग नहीं की गई	1997-98	उपयोग की गई	उपयोग न की गई	संचित व्यय	व्यय न की गई शेष राशि
1.	एस.सी.ए. को टी.एस.पी.	7695.71	उपयोग की गई	-	9207.83	उपयोग के बारे में सूचित नहीं किया गया	-	-	-
2.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1)	1687.50	-तदैव-	-	1262.50	-तदैव-	-	-	-
3.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	अनुसूचित जनजाति के लिए टी.एस.पी. में आश्रम स्कूल	99.45	उपयोगिता के बारे में सूचना नहीं	-	-	-	-	-	-
6.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के शिक्षा में लॉ लिटरेसी	1.20	-तदैव-	-	50.19	-तदैव-	-	-	-
7.	स्वैच्छिक प्रशिक्षण केन्द्र	-	-	-	-	-	-	-	
8.	अनुसूचित जनजाति सहकारी निगम को सहायतानुदान	-	-	-	200.00	-तदैव-	-	-	-
9.	आदिवासी अनुसंधान संस्थान को सहायता	22.82	उपयोग की गई		49.96	-तदैव-	-	-	-
10.	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	973.62	973.18	0.44 उपयोग की गई	-	उपलब्ध नहीं	-	-	

[अनुवाद]

भारत नेपाल सीमा से आई.एस.आई. गतिविधियां

1950. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री आदित्यनाथ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के आई.एस.आई. एजेन्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पार स्थित भारत नेपाल सीमा से भारतीय क्षेत्र में अबाध रूप से और आर.डी.एक्स. व अन्य विस्फोटक पदार्थ के साथ आ रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान, ऐसे कितने दोषी व्यक्तियों को पकड़ा गया;

(घ) क्या सीमा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मस्जिदें बनाई जा रही हैं जहां ऐसे एजेन्ट शरण लेते हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (च) जी, हाँ। श्रीमान्, पाकिस्तान आई.एस.आई. के एजेन्ट और आतंकवादी, भारत-विरोधी गतिविधियां चलाने के अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अथवा दबाव पड़ने पर बचने के लिए भारत-नेपाल सीमा के सुभेद्य स्थानों का लाभ उठाते हैं। अलग से चलाए गए कई अभियानों में काफी मात्रा में आर.डी.एक्स. और अन्य विस्फोटक सामग्री तथा प्रस्फोटक यंत्र बरामद किए गए हैं और कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रिकों सहित 12 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं।

भारत-नेपाल सीमा के दोनों ओर विशेषकर, गोंडा, बहराईच, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले, जो उत्तर प्रदेश सैक्टर के केन्द्रीय और पूर्वी भागों में पड़ते हैं, में अनेक मदरसे/मजिस्दें देखने में आई हैं। राज्य पुलिस और केन्द्रीय सुरक्षा एजेन्सियां पाकिस्तानी आई.एस.आई. की कोशिशों के प्रति सजग हैं और स्थिति का प्रबोधन कर रही हैं तथा समय-समय पर सभी सम्भव निवारक उपाय करती हैं। इस बारे में हमारी सुरक्षात्मक चिन्ताओं को सभी उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ताओं में महामहिम नेपाली सरकार के ध्यान में लाया गया है। इन भारत-विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए महामहिम नेपाली सरकार की ओर से हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है।

दिल्ली में अपराध

1951. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वृद्ध दम्पत्तियों, युवा महिलाओं की हत्या तथा नाबालिग लड़कियों के अपहरण और बलात्कार के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान कितने मामले सुलझाए गए तथा ऐसे मामलों में कितने दोषियों पर अपराध का मुकद्मा चलाया गया और उन्हें क्या सजा दी गई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो निर्दोष लोगों की ज़ान बचाने और महिलाओं और नाबालिग बच्चों की इज्जत बचाने के लिए राज्य सरकार और पुलिस ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित किए इस प्रकार के मामलों की श्रेणी वार संख्या निम्न प्रकार से है :

शीर्ष	1995	1996	1997
वृद्ध दम्पत्तियों की हत्या	8	4	5
युवा महिलाओं की हत्या	89	90	107
नाबालिग लड़कियों का अपहरण	76	78	67
नाबालिग लड़कियों का बलात्कार	233	306	348

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है। इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ सम्मिलित है: चल गश्त को तेज करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियों की तैनाती, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना, अपराधियों के छिपने के संदिग्ध स्थानों पर कड़ी निगरानी रखना और बार-बार छापे मारना, हिस्ट्री शीटरों पर अधिक निगरानी रखना, पड़ौसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, और स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों और अन्य संदिग्ध स्थानों पर महिला पुलिस कार्मिकों की तैनाती करना।

विवरण

वर्ष	सूचित	रद्द किए गए	दर्ज किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध	बरी किए गए	विचारण के लिए लम्बित	जांच पड़ताल के लिए लम्बित	पता न लगा।
वृद्ध दम्पतियों की हत्या										
1996	4	–	4	4	3	–	–	3	1	–
1997	5	–	5	4	3	–	–	3	1	1
युवा महिलाओं की हत्या के मामले										
1996	90	1	89	74	72	–	6	66	12	5
1997	107	1	106	88	79	–	1	78	23	4
नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले										
1996	78	47	31	12	12	–	–	12	4	15
		29	38	18	11	–	–	11	23	4
लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले										
1996	306	13	293	276	261	3	9	249	18	14
1997	348	7	341	330	283	–	3	280	55	3

उचित दर की दुकानें

1952. श्री राजवीर सिंह : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में राज्यवार उचित दर की कितनी दुकानें हैं;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उचित दर की कुछ दुकानें बद कर दी गई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में उचित दर दुकानों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासन अपनी आवश्यकताओं/प्रशासनिक सुविधा के अनुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए उचित दर दुकानें खोलने या बंद करने के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार उचित दर दुकानों के बंद होने के ब्यौरे नहीं रखती है क्योंकि यह मामला पूर्णतया राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उचित दर दुकानों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	जोड़	निम्न माह को सूचित
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	32749	6974	39723	मार्च 98
अरूणाचल प्रदेश	842	103	945	नवम्बर 97
असम	27004	3300	30304	मार्च 96
बिहार	47293	10242	57535	नवम्बर 97

1	2	3	4	5
गोवा	429	161	590	दिसम्बर 97
गुजरात	10124	3812	13936	दिसम्बर 97
हरियाणा	4970	2628	7598	मार्च 98
हिमाचल प्रदेश	3418	240	3658	अगस्त 97
जम्मू और कश्मीर	2237	689	2926	सितम्बर 97
कर्नाटक	14523	5354	19877	मार्च 98
केरल	12254	2029	14283	दिसम्बर 97
मध्य प्रदेश	20453	3646	24099	दिसम्बर 97
महाराष्ट्र	31752	10856	42608	अगस्तर 97
मणिपुर	1742	186	1928	जनवरी 97
मेघालय	3262	574	3836	मार्च 97
मिजोरम	874	193	1067	फरवरी 98
नागालैंड	138	213	351	नवम्बर 97
उड़ीसा	20951	3620	24571	दिसम्बर 97
पंजाब	8680	3072	11752	मार्च 97
राजस्थान	13975	4494	18469	दिसम्बर 97
सिक्किम	519	359	878	मई 98
तमिलनाडु	21281	4235	25516	मार्च 98
त्रिपुरा	1184	174	1358	दिसम्बर 97
उत्तर प्रदेश	64393	12326	76719	दिसम्बर 97
पश्चिम बंगाल	15607	4832	20439	फरवरी 97
अंडमान व निकोबार	286	118	404	फरवरी 98
चंडीगढ़	46	201	247	फरवरी 98
दादर और नगर हवेली	78	0	78	दिसम्बर 97
दमन और दीव	7	6	13	दिसम्बर 97
दिल्ली	428	2739	3167	दिसम्बर 96
लक्षद्वीप	21	14	35	फरवरी 98
पांडिचेरी	153	208	361	नवम्बर 97
जोड़	361673	87598	449271	

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करना

1953. **डॉ० असीम बाला :**
श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गरीब कार्डधारकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य वैकल्पिक कदम उठाए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1954. **डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, हाँ। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे, कार्मिक शक्ति की तैनाती और सेवा प्रदानगी में कमियां और अन्तर हैं।

(ग) हाल में शुरू किए गए प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिए (i) प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए आधारभूत ढांचे में वृद्धि करने, (ii) ग्रामीण और शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य परिचर्या के लिए सुविधाओं में सुधार करने और उनका विस्तार करने (iii) रिक्तियों को भरने के लिए चिकित्सीय और पराचिकित्सीय कर्मचारियों को ठेके पर नियुक्ति; (iv) लोगों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए विशिष्ट कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति में आधारभूत ढांचे संबंधी अंतरालों को पाटने और प्रशिक्षित अतिरिक्त कार्मिक शक्ति की तैनाती करके तथा अनिवार्य औषधों और उपकरणों को जुटाकर स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी में सुधार लाने के लिए विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं और क्षेत्रीय परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

राष्ट्रीय रक्त नीति

1955. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद्" की सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में रक्त की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(घ) कुल कितने रक्त का आयात किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में हाल के उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर कार्यवाही की है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) राष्ट्रीय रक्त नीति की घोषणा कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क), (ख) और (छ) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के निर्देशों के अनुपालन में स्थापित राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद् द्वारा एक प्रारूप राष्ट्रीय रक्त नीति बनाई गई है। इस नीति की इस विभाग में जांच की जा रही है।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवर्ष अस्पताल पलंग 7 यूनिट रक्त के मानकों के अनुसार रक्त की वार्षिक जरूरत 42.00 लाख यूनिट है।

(घ) संपूर्ण मानव रक्त देश में आयात नहीं किया जाता है।

(ङ) और (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक लोकहित मुकद्मे में 4 जनवरी, 1996 को दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत संघ और राज्य सरकारों को रक्त के एकत्रीकरण, परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, भंडारण, अभिलेखन, युक्तिसंगत प्रयोग, मॉनिटरिंग, प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधी अपने सभी पहलुओं के समन्वित प्रबंधन और रक्त बैंकिंग क्रियाकलापों के नवीनीकरण हेतु विभिन्न कदम उठाने का निदेश दिया है। निर्णय के कुछ निर्देश इस प्रकार हैं :

(क) केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 15 जुलाई, 1996 तक सोसायटी पंजीयन अधिनियम 1960 के तहत "सोसायटी" के रूप में पंजीकृत राष्ट्रीय/राज्य रक्ताधान परिषदें स्थापित करेंगे। परिषदों के

गठन के उद्देश्य खंड में इसके सभी पहलुओं में रक्त बैंकिंग सेवाओं का समन्वित प्रबंधन सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।

(ख) 31 दिसम्बर, 1996 तक सभी रक्त बैंकों को लाइसेंस देना (बाद में 17 मई, 1997 तक बढ़ाया गया)

(ग) पेशेवर रक्तदान के प्रचलन को निरूत्साहित करने के लिए कदम उठाना जिससे 31 दिसम्बर, 1997 तक यह पद्धति पूर्णतः समाप्त हो।

(घ) उद्योग तथा व्यक्तियों से निधि की प्राप्ति को बढ़ावा देना; राष्ट्रीय/राज्य रक्ताधान परिषद् को दिए गए दान के संबंध में दाताओं को आयकर से शत-प्रतिशत छूट देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 जी को विधिवत संशोधित किया गया है।

(ङ.) रक्त बैंकों के संचालन को विनियमित करने के लिए अलग विधान बनाने के औचित्य पर विचार करना।

इस निर्णय में निरापद रक्त और रक्त उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए रक्ताधान सेवाओं में नवीनीकरण हेतु एक अच्छे साधन की व्यवस्था की गई है। मई, 1996 में राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद का गठन करना इस निर्णय की अनुवर्ती कार्यवाही थी। राज्य रक्ताधान परिषदें, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी स्थापित की गई हैं। 1996 में परियोजना निदेशक और अपर सचिव, नाकों की अध्यक्षता में राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद् स्थापित की गई। इस परिषद् के शासी निकाय में 14 सदस्य हैं। परिषद् ने अब तक पांच बैठकें की और अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिनमें से कुछ हैं :-

(क) परिषद् द्वारा प्रारूप राष्ट्रीय रक्त नीति तैयार करना (ख) रक्त निर्गत करने हेतु सेवा शुल्क की संस्तुति। इन निर्णयों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

नकली दवाइयों के सेवन के कारण मौत

1956. **श्री डी० एस. अहिरे :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 मई, 1998 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''स्यूरियस ड्रग्स टाल अपटू 15'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि राजधानी और गुड़गांव में बेतहाशा नकली दवाइयों के सेवन से जिसमें जहर मिले होने की आंशका व्यक्त की गई थी के कारण 15 बच्चे मर गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नकली दवाइयों के सेवन के कारण वास्तव में कितने बच्चे मरे और बुरी तरह प्रभावित हुए;

(घ) ऐसी नकली दवाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसी दवाइयों के विनिर्माताओं/कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिससे बच्चों की मौत हुई; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वजित एजिखमलाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, असाधारण नैदानिक संलक्षण वाले और अमूत्रता पश्चात् ज्वर, वमन, अतिसार के रोग लक्षण वाले तीव्र रीनल फेल्योर के 35 मरीजों की कलावती सरन बाल अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में 1.4.1998 से 18.5.1998 तक की अवधि के दौरान भर्ती किया गया। इनमें से 28 रोगियों के मर जाने की सूचना मिली। रोगियों के संबंधियों द्वारा प्रदत्त सूचनानुसार 29 रोगी गुड़गांव जिले के निवासी थे।

(घ) चिकित्सा व्यवसायियों/केमिस्टों और औषध विक्रेताओं द्वारा बच्चों के लिए लिखी गई/दी गई/वितरित की गई औषधों जिन्हें औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा संदेह के आधार पर परीक्षण के लिए चयन किया गया, के नमूनों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए :

1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समस्त लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को सतर्क कर दिया गया कि वे उन औषधों के सेवन पर तत्काल रोक लगाएं जिनसे शिशुओं में प्रतिकूल प्रतिक्रिया के उत्पन्न होने की शंका थी। इसके अतिरिक्त, लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को यह सलाह दी गई कि वे अस्पतालों, केमिस्टों, औषध विक्रेताओं आदि के पास मौजूद औषधों के अप्रयुक्त स्टॉक को जब्त/अभिगृहीत कर लें।

2. विनिर्माताओं, वितरकों आदि के परिसरों की छानबीन की गई तथा प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की शंका वाली औषधों के नमूने लिए गए हैं।

3. इन नमूनों को सरकारी परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेज दिया गया है। प्राप्त नमूनों के विश्लेषण से मिले परिणामों के आधार पर औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबंधों के अन्तर्गत दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ अगली कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

औषध नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा लिए गए और सरकारी जांच प्रयोगशालाओं को विश्लेषण हेतु भेजे गए औषध के नमूनों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	औषध का नाम	बैच संख्या	विनिर्माता का नाम
1.	नोबेमोल सस्पेंशन	2371	मैसर्स नोबल रेमेडीज, गुड़गांव (हरियाणा)
2.	नोबप्रिम सस्पेंशन	2365	-तदैव-
3.	पैरासिटामोल गोलियां	एमकेवी 7048	मैसर्स मेरिडं लिमिटेड, मुम्बई
4.	नोबेमोल सस्पेंशन	2348	मैसर्स नोबल रेमेडीज, गुड़गांव
5.	एन्फर सस्पेंशन	2242	-तदैव-
6.	नोबेमोल सस्पेंशन	2371	-तदैव-
7.	पैरासिटामोल आई.पी.	3850198	मैसर्स नलिन कैमिकल्स, भिवाड़ी (राजस्थान)
8.	नोबेप्रिम सस्पेंशन	2365	मैसर्स नोबल रेमेडीज, गुड़गांव
	ेमोल सस्पेंशन	2371	-तदैव-
	नकासिन इंजेक्शन (500 मि.ग्रा.)	010217	मैसर्स अरिस्टो फार्मा लि०, मंडीदीप, मध्यप्रदेश
11.	मिकासिन इंजेक्शन (200 मि.ग्रा.)	0204 ए 8बी	-तदैव-
12.	क्लोराम्फेनिकोल सस्सीनेट इंजेक्शन	1041	मैसर्स मैक लैब लि०, मुंबई
13.	जेंटामाइसिन इंजेक्शन	टी-803	मैसर्स ब्लू क्रॉस लैब्स लि०, नासिक
14.	जेंटामाइसिन इंजेक्शन	7950	मैसर्स फुलफोर्ड (आई) लि०, हैदराबाद
15.	क्लोराम्फेनिकोल पाल्मीटेंट ओरल सस्पेंशन	682	मैसर्स मिम्स लैब, सोनीपत।
16.	लोप्रेमाइड हाइड्रोक्लोराइड गोलियां	एलडीपी-06	मैसर्स साइफर फार्मा, नई दिल्ली
17.	इंजेक्शन फेब्रिनिल	एफबी 643 आर	मैसर्स अडेल लैब्स लि०, गोवा
18.	डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन	0191	मैसर्स मेरिन्ड लि०, मुम्बई।
19.	डेक्लोफेनक इंजेक्शन आई.पी.	345	मैसर्स क्रॉसलैंड रिसर्च लैब, मुंबई
20.	टॉक्सिम इंजेक्शन	टीएक्सएल-8610	मैसर्स अल्केम लैब लि०, मुंबई
21.	ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथाक्साजोल सस्पेंशन	जे-248	मैसर्स जगसन पाल, फार्मास्युटिकल्स, फरीदाबाद।
22.	जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन	एमएसजे-8126	मैसर्स संजीवनी पेरेंटरल्स लि०, ठाणे।
23.	एम्पीसिलिन इंजेक्शन	096	मैसर्स सेबन (आई) लि०, गुड़गांव
24.	नोबेमोल सस्पेंशन	2371	मैसर्स नोबल रेमेडीज, गुड़गांव
25.	एन्केस्ट एक्स.	2366	-तदैव-
26.	नोबेमोल सस्पेंशन	2348	-तदैव-
27.	-तदैव-	2310	-तदैव-
28.	-तदैव-	2371	-तदैव-
29.	एन्केस्ट एक्स०	2366	-तदैव-

असम में हिंसा

1957. **श्रीमती आभा मझतो :**
श्री अब्दुल हमीद :
श्रीमती रानी नरह :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान असम के कोकराझार और बोंगाइगांव जिलों में बोडो और धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो बेघर हुए और पीड़ित लोगों की संख्या क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए और पीड़ितों के परिवारों को कितनी अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मारे गए व्यक्तियों/उग्रवादियों/सुरक्षा कार्मियों के ब्यौरे सहित असम में हुए जातीय दंगों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान बलात्कार/अपहरण के शिकार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) बेघर परिवारों के लिए बनाए गए शरणार्थी शिविरों का ब्यौरा क्या है और उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) कोकराझार और बोंगाइगांव जिलों में अक्टूबर, 1993 में बोडो उग्रवादियों द्वारा साम्प्रदायिक नरसंहार किया गया, इस हिंसा में 23 व्यक्ति मारे गए। मई, 1994 में फिर एक बार, बोडो उग्रवादियों ने कोंकराझार जिले में धावा बोल और 22 व्यक्तियों की हत्या कर दी और कई अन्य को जख्मी कर दिया। बोडो उग्रवादियों ने फिर जुलाई, 1994 बारपेट जिले में धावा बोला और 70 व्यक्तियों की हत्या की तथा 50 अन्य को जख्मी किया। 50,000 से अधिक गैर-बोडो अपने घरों से पलायन कर गए और उन्होंने लगभग 20 शरणार्थी शिविरों में शरण ली।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुग्रह राशि की अदायगी सहित राहत और पुनर्वास के लिए कदम उठाए गए। असम सरकार द्वारा भी तदनुसार, इस दिशा में कदम उठाए गए और उपलब्ध जानकारी के अनुसार अधिकांश शरणार्थियों को पुलिस संरक्षण में उनके मूल गांवों को भेजा गया और 19 गांवों में अस्थायी टुकड़ियां तैनात की गयी।

(घ) बोडो उग्रवादी 240 से अधिक गैर-बोडो लोगों की हत्या के जिम्मेवार हैं, इसके अतिरिक्त 1996 के दौरान जवाबी कार्रवाई के दौरान 20 बोडो मारे गए। 1997 के दौरान जातीय दंगों की घटनाओं में बोडों उग्रवादियों द्वारा 51 व्यक्तियों की हत्या की गयी। चालू वर्ष के दौरान बोडो उग्रवादियों द्वारा अब तक (15 मई, 1998 तक) 52 गैर-बोडों की हत्या की गयी जबकि जवाबी कार्रवाई में 8 बोडों भी मारे गए।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(च) गत कुछ वर्षों के दौरान बोडों उग्रवादियों द्वारा की गयी साम्प्रदायिक/जातीय हिंसा के परिणामस्वरूप भारी संख्या में लोग विस्थापित और बेघर हो गए। राज्य सरकार ने शरणार्थी शिविर आरंभ करके और मूल आवश्यकताएं उपलब्ध कराकर तुरन्त राहत दिए जाने के लिए कदम उठाए। विस्थापितों को प्रत्येक वर्ष पुनर्वास अनुदान की अदायगी उपलब्ध कराकर उन्हें पुनः बसाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, असम राज्य सरकार द्वारा कोकराझार जिले में 18 राहत शिविर खोले गए। मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ नेताओं ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और जिले में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बोडों और संथाल, दोनों के प्रतिनिधियों के साथ अनेक शांति बैठकें की ताकि जिले में शांति बहाल हो सके। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कोकराझार जिले में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है।

राज्य सरकार ने मृतक के निकटतम संबंधी को एक लाख रुपए की अदायगी और जिन परिवारों के मकान जला डाले गए उस प्रत्येक परिवार को 10,000/- रुपये का अनुदान देने की घोषणा भी की है।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्ति

1958. **श्री कांतिलाल भूरिया :**
श्री जयसिंहजी चौहान :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने व्यक्ति, समान अवसर, पूर्ण भागीदारी और अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1995 बनने के बाद अनुवर्ती कार्यवाही की है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई लिपि तथा कार्यक्रम तैयार किया गया है और इन राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी सेवाओं में नियुक्त विकलांग व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और राज्यों में आरक्षण के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं; और

(ङ) राज्य-वार आरक्षित रिक्तियों की संख्या क्या है और इन रिक्तियों को सरकार द्वारा कब तक भर लिया जायेगा ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के छः विशेष प्रावधानों पर राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी विवरण-I और II संलग्न है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	धारा 33 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियमों की अधिसूचना	धारा 50 के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों सहित निःशक्त व्यक्तियों के लिए संगठनों को पंजीकरण के प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति	धारा 33 के अंतर्गत नौकरियों में 3% आरक्षण
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश	दिनांक 6.11.97 को नियम बनाए गए	जिलों में सहायक निदेशक, विकलांग कल्याण 3.7.98 को नियुक्त किया गया	3 प्रतिशत आरक्षण का अनुसरण किया जा रहा है। विशेष भर्ती अभियान आरम्भ किया गया है।
2.	असम	-	निदेशक, समाज कल्याण तथा मद्य निषेध नियुक्त किया गया	आदेश दिनांक 8.10.96 को जारी किया गया।
3.	त्रिपुरा	बनाए गए परन्तु अनुमोदन की प्रतीक्षा	विचाराधीन	3 प्रतिशत आरक्षण किया गया।
4.	गोवा	नियमों का मसौदा विधि विभाग को विधीक्षा के लिए भेजा गया।	निदेशक, समाज कल्याण को सक्षम प्राधिकारी के रूप में 10.9.96 को नियुक्त किया गया।	3 प्रतिशत आरक्षण पहले ही प्रदान किया गया है।
5.	मध्य प्रदेश	नियम 7.11.79 को बनाए गए	संयुक्त निदेशक, पंचायत तथा समाज कल्याण को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।	3 प्रतिशत आरक्षण को असली मायने में सुनिश्चित करने के लिए श्रेणी 2, 3 तथा 4 के अंतर्गत 6% आरक्षण प्रदान करने के लिए आदेश जारी किए गए।
6.	गुजरात		निदेशक, समाज रक्षा 4.6.96 को नियुक्त किया गया।	श्रेणी 3 तथा 4 के लिए 4% आरक्षण किया गया। विकलांग व्यक्तियों के लिए 4 विशेष रोजगार कार्यालय।
7.	राजस्थान		जिला कलेक्टर आदि को 11.9.97 को नियुक्त किया गया।	3 प्रतिशत पहले ही किया गया है।
8.	महाराष्ट्र		16.4.96 को नियुक्त	श्रेणी 3 तथा 4 में 3 प्रतिशत किया गया।
9.	हरियाणा	बनाए जा रहे हैं	राज्य के उपायुक्तों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में घोषित किया जाता है।	3% आरक्षण किया गया।
10.	पश्चिम बंगाल		निदेशक, समाज कल्याण को सक्षम प्राधिकारी के रूप में घोषित किया जाता है।	दिनांक 7.10.97 को 3 प्रतिशत किया गया (गैर पी.एस.सी. तथा गैर पदोन्नति के लिए गरीबी को लागू)।

1	2	3	4	5
11.	तमिलनाडु			
12.	पंजाब			3 प्रतिशत आरक्षण किया गया।
13.	उत्तर प्रदेश			
14.	मणिपुर		उप निदेशक को सक्षम प्राधिकारी के रूप में 27.6.97 को नियुक्त किया गया।	5% आरक्षण किया गया।
15.	कर्नाटक			
16.	केरल		संयुक्त निदेशक, समाज रक्षा को 5.2.98 को नियुक्त किया गया है।	

विवरण-II

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	धारा 13(1) के अधीन राज्य समन्वय समिति (एससीसी) का गठन	धारा 19(1) के अंतर्गत राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) का गठन	धारा 60 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त की नियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	एससीसी का गठन 11.12.96 को किया गया। सचिव, महिला एवं बाल विकास को पदेन सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।	एस.ई.सी. का गठन 11.12.96 को किया गया। सचिव महिला एवं बाल विकास को पदेन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।	एक नियमित आयुक्त की नियुक्ति होने तक सचिव, महिला व बाल विकास को 27.9.97 को नियुक्त किया गया।
2.	असम	एस.सी.सी. का गठन 8.10.96 को किया गया। मंत्री (समाज कल्याण) असम अध्यक्ष हैं।	एस.ई.सी. का गठन 8.11.96 को किया गया। आयुक्त तथा सचिव समाज कल्याण विभाग को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।	आयुक्त एवं सचिव, समाज कल्याण विभाग को 30.12.96 को नियुक्त किया गया।
3.	त्रिपुरा	एस.सी.सी. का गठन 15.1.97 को किया गया। बैठक 3.6.97 को हुई।	एस.ई.सी. का गठन 15.1.97 को किया गया।	आयुक्त 15.1.97 को नियुक्त किया गया।
4.	गोवा	29.7.97 को गठन किया गया बैठक 14.1.98 को हुई।	29.7.97 को किया गया।	विचाराधीन।
5.	मध्य प्रदेश	एस.सी.सी. का गठन 1.5.97 को किया गया। मंत्री (समाज कल्याण) को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।	सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में 5.5.97 को एस.ई.सी. का गठन किया गया।	आयुक्त व निदेशक, पंचायत तथा समाज कल्याण, आयुक्त के रूप में नामांकित।
6.	गुजरात	एस.सी.सी. 13.5.97 को गठित।	एस.ई.सी. का गठन 23.5.97 को किया गया	अपर मुख्य सचिव को आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।
7.	राजस्थान	एससीसी 26.7.97 को गठित	एस.ई.सी. का गठन 16.7.97 को किया गया	निदेशक, समाज कल्याण को 11.3.97 को आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	24.9.97 को गठित	24.9.97 को गठित हुई बैठक 8.12.97 को हुई	आयुक्त समाज कल्याण को दिनांक 28.7.97 को नियुक्त किया गया।
9.	तमिलनाडु	एस.सी.सी. दिनांक 27.5.97 को मंत्री, समाज कल्याण, की अध्यक्षता में गठित की गई।		
10.	नागालैंड	एस.सी.सी. का गठन मंत्री, समाज कल्याण की अध्यक्षता में किया गया।		
11.	उत्तर प्रदेश	एस.सी.सी. का गठन किया गया तथा अधिसूचना जारी की जा रही है।	एस.ई.सी. 20.11.97 को गठित की गई।	आयुक्त 11.3.97 को नियुक्त किया गया।
12.	पंजाब	एस.सी.सी. का गठन 30.12.96 को मंत्री, समाज कल्याण की अध्यक्षता में किया गया।	एस.ई.सी. का गठन 19.1.98 को किया गया।	निदेशक, समाज सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास को 14.2.97 को नियुक्त किया गया, कार्रवाई चल रही है।
13.	कर्नाटक	राज्य मंत्री (महिला व बाल विकास) की अध्यक्षता में 12.9.97 को गठन किया गया (मुख्यमंत्री के अधीन 23.8.97 को अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा)	विचाराधीन है	
14.	पश्चिम बंगाल	एस.सी.सी. 3.1.98 को गठित।	अंतिम चरणों पर	विशेष कार्य अधिकारी एवं समाज कल्याण के पदेन निदेशक को आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।
15.	अरूणाचल प्रदेश			सचिव, समाज कल्याण को आयुक्त के रूप में 15.1.98 को नियुक्त किया गया।
16.	उड़ीसा	मंत्री, महिला व बाल विकास की अध्यक्षता में 13.11.97 को गठित	एस.ई.सी. 13.11.97 को आयुक्त व सचिव, महिला एवं बाल विकास के अधीन गठित।	निदेशक, समाज कल्याण व महिला एवं बाल विकास, उड़ीसा सरकार को 13.11.97 को आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।
17.	महाराष्ट्र	प्रक्रिया में	एस.ई.सी. गठित	प्रक्रिया में
18.	केरल		अध्यक्ष, के.एस.एच.पी.डब्ल्यू.सी. को दिनांक 5.2.78 को नियुक्त किया गया।	
19.	हिमाचल प्रदेश	7.1.97 को गठित	7.1.97 को गठित।	

[अनुवाद]

महिलाओं के प्रति अत्याचार

1959. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी :**
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री डी.एस. अहिरे :
श्री पी.सी. थामस :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री माधवराव सिन्धिया :
डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नाबालिग बालिकाओं के साथ अपराधों, बलात्कार और अन्य प्रकार के यौन अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज तक तत्संबंधी अपराधवार, राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे मामलों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है जिनमें परिवार के सदस्य/रिश्तेदार और विदेशी लोग शामिल थे;

(ङ) ऐसी घटनाओं की संख्या कितनी है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के प्रति अपराध किए गए;

(च) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों तथा उपरोक्त अवधि के दौरान न्यायालयों में दायर किए गए मुकद्मों की संख्या कितनी है और विधि के अनुसार अंतिम रूप से दण्डित किए गए अपराधियों की संख्या कितनी है;

(छ) ऐसे मामलों में न्यायालयों में निपटान में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या बलात्कार के मामलों को रोकने तथा अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों को सख्त सजा देने हेतु कानून में संशोधन करने के लिए राज्य सरकारों को मदद तथा सहायता देने हेतु कोई ठोस योजना तैयार की जा रही है;

(झ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना विवरण-I और II में दी गयी है।

(घ) ऐसे मामलों की अलग-अलग संख्या से संबंधित विशिष्ट सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है जिनमें परिवार के सदस्य/रिश्तेदार और विदेशी लोग संलिप्त होते हैं।

(ङ) वर्ष, 1995 से 1997 तक की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ हुई बलात्कार की घटना से संबंधित सूचना नीचे दी गयी है :

अनुसूचित जाति की महिलाएँ			अनुसूचित जन जाति की महिलाएँ		
1995	1996	1997	1995	1996	1997
827	949	1034	369	314	312

(च) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के कारण गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या, न्यायालयों में दायर मामले और दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गयी है :

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	न्यायालयों में दायर मामलों की संख्या (विचारण के लिए मामलों की संख्या)	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या
1995	1,69,721	2,89,302	33,315
1996	1,95,436	3,38,387	32,362

(छ) मामलों के त्वरित निपटान के लिए सरकार ने विधि आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। विधि मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों और न्याय प्रशासन से संबंधित अन्य व्यक्तियों के सम्मेलन सावधिक रूप से आयोजित किए जाते हैं और इस प्रकार के विचार विनियम और परामर्श से पैदा होने वाली सिफारिशों और निष्कर्षों को कार्यान्वित किया जाता है और उनकी प्रगति का गहन प्रबोधन किया जाता है।

(ज) से (ञ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं और अपराध को दर्ज करने, जांच पड़ताल करने, पता लगाने और उसकी रोकथाम करने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के बारे में निवारात्मक, दण्डात्मक और पुनर्वासात्मक उपाय करने की आवश्यकता के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकारों को लिखती रही है। केन्द्र सरकार वर्तमान कानूनों को और सख्त बनाने की दृष्टि से उनमें आशोधन और संशोधन करती रही हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, महिला एककों सहित परामर्श केन्द्र एवं आश्रय गृह की स्थापना और पुलिस कार्मिकों को जेडर सेंसीटाइजेशन प्रशिक्षण देना शामिल है।

विवरण-I

वर्ष 1995 से 1997 के दौरान हुई बलात्कार, उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995			1996			1997		
		बलात्कार	उत्पीड़न	यौन उत्पीड़न (छेड़छाड़)	बलात्कार	उत्पीड़न	यौन उत्पीड़न (छेड़छाड़)	बलात्कार	उत्पीड़न	यौन उत्पीड़न (छेड़छाड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राज्य									
1.	आन्ध्र प्रदेश	856	2677	769	812	2559	994	206	2587	2552
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	11	0	37	29	1	47	31	0
3.	असम	586	572	15	550	567	8	645	178	5
4.	बिहार	1312	563	22	1433	533	107	1189	308	14
	गोवा	19	27	6	10	17	7	15	16	7
	गुजरात	309	1042	45	306	1077	81	28	1019	55
7.	हरियाणा	311	453	296	336	529	434	341	461	315
8.	हिमाचल प्रदेश	116	296	14	132	295	16	131	369	31
9.	जम्मू और कश्मीर	109	235	140	157	376	166	163	425	312
10.	कर्नाटक	263	1356	192	222	1310	166	245	1403	147
11.	केरल	266	810	14	389	1166	40	571	1569	75
12.	मध्य प्रदेश	3119	7355	765	3265	6838	705	3411	6777	1666
13.	महाराष्ट्र	1362	3475	808	1441	3227	970	1296	3117	974
14.	मणिपुर	12	24	0	14	19	0	2	12	0
15.	मेघालय	17	14	0	33	24	1	25	10	0
16.	मिजोरम	41	59	0	49	54	0	40	35	9
17.	नागालैंड	16	0	0	0	4	1	15	1	3
18.	उड़ीसा	553	1446	109	617	1690	175	432	344	155
19.	पंजाब	96	73	3	175	129	1	175	135	17
20.	राजस्थान	1036	2121	65	1167	2583	44	1255	2394	33
21.	सिक्किम	3	37	0	3	47	0	7	32	1
22.	तमिलनाडु	268	1212	1078	327	1253	1514	287	1029	2337
23.	त्रिपुरा	75	30	1	90	94	1	98	93	9
24.	उत्तर प्रदेश	1605	2631	154	1854	2520	118	1390	1975	2350
25.	पश्चिम बंगाल	797	1314	26	855	1254	22	824	1277	63
	कुल (राज्य)	13367	27913	4527	14340	23202	5472	13732	26314	10543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संघ शासित क्षेत्र										
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	5	13	1	7	9	2	9	10	0
27.	चंडीगढ़	5	10	2	9	13	4	9	8	89
28.	दादर और नगर हवेली	1	5	0	3	7	0	1	1	0
29.	दमन और दीव	2	0	0	1	0	0	1	0	0
30.	दिल्ली	372	520	223	184	674	189	458	666	209
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	2	14	3	2	14	4	5	14	12
	कुल (संघ शासित)	387	562	227	506	737	199	483	699	310
	कुल (अखिल भारत)	13754	28475	4756	14846	28939	5671	14215	27513	11153

स्रोत : 1. 1995 - मासिक अपराध आंकड़े और भारत में अपराध।
2. 1996 - भारत में अपराध आंकड़े।
3. 1997 - मासिक अपराध आंकड़े।

टिप्पणी : 1. बिहार, दमन और दीव, गुजरात और मेघालय राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए 1995 के कारण मासिक अपराध आंकड़ों से लिए गए हैं क्योंकि कि वार्षिक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।
2. 1997 के आंकड़े अनन्तिम हैं।
3. उड़ीसा के लिए 1997 के आंकड़े सितम्बर तक के हैं।

विवरण-II

1994 से 1996 के दौरान विभिन्न आयु ग्रुपों के अन्तर्गत बलात्कार के शिकार (राज्य और संघ शासित क्षेत्र-वार)

क्र.सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994				1995				1996			
		10वर्ष से कम उम्र	10-16 वर्ष	16-30 वर्ष	30 और इससे अधिक आयु	10 वर्ष से कम उम्र	10-16 वर्ष	16-30 वर्ष	30 और इससे अधिक आयु	10 वर्ष से कम उम्र	10-16 वर्ष	16-30 वर्ष	30 और इससे अधिक आयु
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	72	288	433	80	77	245	412	122	48	221	424	119
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	12	11	0	0	0	17	8	0	14	19	4
3.	असम	23	119	308	80	17	140	358	73	15	132	335	98
4.	बिहार	15	198	722	195	29	320	739	224	9	208	875	361
5.	गोवा	1	2	5	1	3	6	8	0	1	4	4	1
6.	गुजरात	20	93	186	57	17	79	174	39	15	102	101	22
7.	हरियाणा	29	90	114	25	27	65	167	32	38	87	121	28
8.	हिमाचल प्रदेश	9	30	61	10	18	35	51	12	8	44	68	12
9.	जम्मू और कश्मीर	3	2	72	35	1	11	32	5	0	20	125	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	कर्नाटक	27	72	161	21	22	57	153	31	26	62	195	29
11.	केरल	9	53	115	20	13	89	144	20	26	107	215	39
12.	मध्य प्रदेश	97	712	1680	440	107	826	1710	474	95	798	1748	624
13.	महाराष्ट्र	92	399	705	108	120	386	702	154	50	393	807	184
14.	मणिपुर	1	0	2	2	2	1	9	0	4	3	4	3
15.	मेघालय	0	7	24	3	6	1	10	0	4	6	22	1
16.	मिजोरम	2	15	23	4	3	4	27	7	5	24	14	6
17.	नागालैंड	0	0	10	2	0	0	13	3	0	0	6	3
18.	उड़ीसा	14	66	288	68	4	97	567	83	8	75	392	142
	पंजाब	8	34	52	14	6	25	30	15	46	60	61	11
20.	राजस्थान	76	129	644	153	26	98	680	232	21	97	756	283
21.	सिक्किम	3	1	4	1	0	3	0	0	2	2	2	3
22.	तमिलनाडु	9	23	179	26	19	37	193	19	31	76	201	18
23.	त्रिपुरा	1	12	32	16	2	16	37	20	5	15	58	12
24.	उत्तर प्रदेश	71	467	1205	335	76	408	1037	287	49	480	1002	317
25.	पश्चिम बंगाल	89	270	302	82	78	282	374	67	24	227	505	99
	कुल (राज्य)	676	3094	7338	1778	673	3255	7526	1929	540	3267	8090	2443
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1	0	2	2	1	0	3	1	1	3	3	0
27.	चंडीगढ़	2	1	1	2	2	0	2	1	0	1	6	2
28.	दादर और नगर हवेली	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	2
29.	दमन और दीव	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
30.	दिल्ली	54	146	98	16	71	63	219	23	67	292	178	40
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	1	2	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	58	150	104	20	74	65	226	26	68	208	191	42
	कुल (अखिल भारत)	734	3244	7442	1798	747	3320	7752	1955	608	3475	8281	2485

स्रोत : भारत में अपराध आंकड़े।

[हिन्दी]

एम.टी.ओ. और साल्वेंट की आपूर्ति

1960. **श्रीमती कमला रानी :**
श्री अशोक प्रधान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एस.के.ओ./एल.डी.ओ. वितरकों को मिट्टी के तेल और डीजल की पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा संशोधित प्रारूप 16 के अंतर्गत पेट्रोलियम नियम, 1976 के तहत आपूर्ति की जाती थी;

(ख) क्या एम.टी.ओ. और साल्वेंट जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण के लिए प्रारूप में संशोधन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एम.टी.ओ. और साल्वेंट को उक्त अधिनियम के कार्यक्षेत्र में लाने के लिए इसमें संशोधन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हाँ मिट्टी तेल और एलडीओ की आपूर्ति भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड सहित तेल उद्योग द्वारा एस.के.ओ./एल.डी.ओ. डीलरों को फार्म-13 (थोक भण्डारण लाइसेंस) के अन्तर्गत पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियम, 1976 के अधीन 1988 से पहले की गई थी।

(ख) और (ग) फार्म-13 थोक में भण्डार किए गए पेट्रोलियम उत्पादों (श्रेणी ''क'' और श्रेणी ''ख'' जिनमें मिट्टी तेल, एल.डी.ओ., एम.टी.ओ. और विलायक शामिल हैं) के भण्डारण के लिए हैं। फार्म-13 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। तथापि इसके अलावा फार्म-14 को पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियम, 1976 [दिनांक 16.3.1988 के सा.का.नि. 362 (ई) द्वारा] में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विशेषतः एस.के.ओ. आपूर्तियों के लिए शामिल किया गया था जिसमें टैंक लारियों को मिट्टी तेल खुदरा विक्रेताओं के परिसरों पर उनके स्वयं के कन्टेनरों में उडेल भरने की अनुमति दी जाती है।

(घ) एम.टी.ओ. और विलायक पहले ही फार्म-13 के अन्तर्गत पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियम, 1976 के अन्तर्गत शामिल हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाणपत्र जारी करना

1961. **प्रो० जोगेन्द्र कवाड़े** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पिछले कुछेक महीनों से जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नई नीति बनाई गई है, और

(घ) यदि नहीं, तो जाति प्रमाणपत्रों को जारी करने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) जी नहीं। वास्तव में तत्कालीन उपायुक्तों के कार्यालयों के 9 जिलों तथा 27 उप-डिविज़नों में बंट जाने के कारण जारी किए जाने संबंधी कार्य में सुधार हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कीटनाशक

1962. **श्री के. येरननायडू** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मद-वार कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन करने वाले निर्माताओं की संख्या कितनी है;

(ख) 1997-98 के दौरान इन उत्पादों के मूल्य सहित उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कीटनाशकों के उत्पादन में प्रयोग हो रहे तत्वों के आयात की लागत क्या है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान अन्य कीटनाशकों के आयात और निर्यात का मूल्य क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) और (ख) अधिकांश कीटनाशी अगस्त, 1991 से लाइसेंस मुक्त कर दिए गए हैं। देश में संगठित क्षेत्र में 125 से अधिक इकाइयाँ 60 से अधिक तकनीकी ग्रेड पेस्टिसाइडों के उत्पादन में लगी हुई हैं। विभाग को उपलब्ध अनन्तिम जानकारी के अनुसार, 1997-98 के दौरान तकनीकी ग्रेड पेस्टिसाइडों का उत्पादन लगभग 82,000 मीट्रिक टन है।

(ग) और (घ) चूंकि केन्द्रीय डाटा मानीटर नहीं की जाती है इसलिए कीटनाशियों के उत्पादन के लिए संघटकों के आयात की वास्तविक लागत पता नहीं लगाई जा सकती है। कीटनाशियों के निर्यात और आयात के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

निर्यातः	(रुपये करोड़)
1996-97	658 (अनन्तिम) स्रोत : डी.जी.सी.आई.एस.
1997-98	588 (अनन्तिम)
आयातः	
1996-97	120
1997-98	56 (अनन्तिम)

भारतीय तेल निगम शोधनशाला का विस्तार

1963. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय तेल निगम के तेल शोधक कारखानों का विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो विस्तार किये गये तेल शोधक कारखानों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का हल्दिया स्थित भारतीय तेल निगम के तेल शोधक कारखाना के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दो आई.ओ.सी. रिफाइनरियों की अधुनिकीकरण परियोजना के विस्तार को क्रियान्वन किया गया है जिनके नाम निम्नवत हैं:

1. बरौनी रिफाइनरी का 2.75 एम.एम.टी.पी.ए. (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) से 3.75 एम.एम.टी.पी.ए. तक विस्तार (पश्चिम बंगाल)

2. डिग्बोई रिफाइनरी का आधुनिकीकरण जिससे इसकी क्षमता 0.5 एम.एम.टी.पी.ए. से बढ़कर 0.65 एम.एम.टी.पी.ए. हो जाए (असम)

(ग) और (घ) 0.7 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता की नई द्वितीयक इकाई अर्थात् फ्लूडाइज्ड केटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट (एफ.सी.सी. यू.) की स्थापना करने का प्रस्ताव है। परन्तु, तत्काल क्रूड संसाधन क्षमता का विस्तार करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

चिकित्सा की आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों को प्रोत्साहन

1964. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभागों/रक्षा/रेलवे/आन्तरिक सुरक्षा विभागों में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या इन विभागों में उक्त औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन औषधालयों के कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलिराम एजिलमलाई) : (क) से (घ) सरकार ने पहले ही स्वास्थ्य, रेलवे और श्रम मंत्रालयों के अंतर्गत आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालय स्थापित कर दिए हैं। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त इस विभाग ने निदेशक, ए.एफ.एम.एस. रक्षा मंत्रालय से आर्मी अस्पतालों में आयुर्वेदिक क्लीनिक खोलने का अनुरोध किया है। उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालय खोलने के लिए अन्य मंत्रालयों से भी संपर्क करेगा।

[अनुवाद]

तटीय स्कंध होम गार्ड

1965. **डॉ० वल्लभभाई कथीरिया**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय स्कंध होम गार्ड बटालियन संगठित करने का गुजरात सरकार का प्रस्ताव अभी भी सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गुजरात में अन्तर्राष्ट्रीय और सीमा पर सुरक्षा के विषय में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) गुजरात की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ सतर्कता बनाए रखी जा रही है। इस राज्य में तटीय सुरक्षा के संबंध में विविध उपाय भी किए गए हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ, सीमा सुरक्षा बल वाटर विंग यूनिट की तैनाती, नेवी डिटेचमेन्ट की स्थापना, तटवर्ती इलाके के साथ-साथ गश्त, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, तटवर्ती जिले में स्थानीय पुलिस की मौजूदगी आदि शामिल हैं।

सी.जी.एच.एस. में तदर्थ आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक

1966. **श्री आरिफ मोहम्मद खान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अगस्त 1980 में तदर्थ आधार पर भर्ती किए गए आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों को अब तक नियमित कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो तदर्थ आधार पर इसी प्रकार भर्ती किए गए एलोपैथिक चिकित्सकों जिन्हें काफी पहले नियमित कर दिया गया था और जो अब सभी प्रकार के लाभ प्राप्त कर रहे हैं, की तुलना में इन्हें वेतनमान, पदोन्नति और वरिष्ठता संबंधी लाभ न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन चिकित्सकों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलिराम एजिलमलाई) : (क) से (घ) अगस्त, 1980 में तदर्थ आधार पर भर्ती किए गए चार आयुर्वेदिक काय चिकित्सकों की सेवाएं 21.8.97 से नियमित की गई थी। वे उक्त तिथि से सभी सेवा लाभों जैसे प्रोन्नति, वरिष्ठता आदि प्राप्त करने के हकदार हो गए हैं।

अगस्त, 1980 में तदर्थ आधार पर कोई यूनानी काय चिकित्सक भर्ती नहीं किया गया।

[हिन्दी]

नशामुक्ति

1967. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अप्रैल, 1998 तक देश में नशामुक्ति के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) जारी की गई धनराशि में से नशामुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत क्या-क्या कार्य शुरू किए गए; और

(ग) क्या सरकार ने नशामुक्ति के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) देश में 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में नशामुक्ति के लिए निर्मुक्त धनराशि क्रमशः 11.16 करोड़ रुपए, 9.73 करोड़ रुपए तथा 11.5 करोड़ रुपए है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल, 1998 तक 14.18 लाख रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई।

(ख) नशामुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए कार्य इस प्रकार हैं :

(1) पहचान नशामुक्त

(2) अंतः नशामुक्त कराना।

(3) व्यसनियों को उनके नशामुक्त संबंधी इलाज के दौरान परामर्श देना

(4) स्वास्थ्य लाभ तथा नशामुक्त व्यक्ति के रूप में व्यसनियों को समाज के साथ जोड़ना और

(5) अनुवर्ती कार्रवाई

(ग) मद्य निषेध तथा नशीली दवा दुरूपयोग निवारण की योजना एक समाज कल्याण योजना होने के कारण इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। तथापि इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप दिसम्बर, 1997 तक 2.21.191 व्यसनी पंजीकृत किए गए तथा 69,618 नशामुक्त किए गए।

[अनुवाद]

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

1968. **श्री तथागत सत्पथी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त सफलता की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि नहीं, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एड्स को फैलने से रोकने के लिए सरकार कोई जागरूकता अभियान चला रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एड्स उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलिराम एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, हाँ। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए देश के पांच राज्यों में निवारक सूचक सर्वेक्षण और अध्ययन किया गया था। अध्ययन के अनुसार अधिकतर शहरी क्षेत्रों में जागरूकता स्तर बढ़ गया है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्तर इतना नहीं बढ़ा। शहरी क्षेत्रों में यह स्तर कलकत्ता में 54.4%, मुम्बई में 55.1%, दिल्ली में 57.2% चेन्नई में 77.9% था। ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्तर पश्चिम बंगाल में 13.4, महाराष्ट्र में 27.5, हरियाणा में 43.6 और तमिलनाडु में 63.8 था।

(ग) जी, हाँ।

(घ) और (ङ) एड्स की रोकथाम पर बल दिया जाता है क्योंकि एड्स का कोई इलाज नहीं है। एच.आई.वी./एड्स के बारे में सूचना के प्रचार प्रसार के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न यूनिटों को भी लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से युवाओं के बीच एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से ''यूनिवर्सल टाक एड्स'' नामक एक योजना भी शुरू की गई थी। एड्स पर परामर्श देने के लिए दूरभाष संख्या 1097 के साथ एक राष्ट्रीय एड्स हैल्पलाईन भी स्थापित की गई है।

बंगलौर स्थित राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अस्पताल

1969. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य कर्मचारी बीमा निगम बंगलौर स्थित विशेषीकृत अस्पतालों में उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों पर होने वाले चिकित्सा व्यय का भुगतान कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो ई.एस.आई.सी. द्वारा घोषित उन विशेषीकृत अस्पतालों के नाम क्या हैं जहां कर्मचारी चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं;

(ग) ई.एस.आई.सी. द्वारा अप्रैल, 1997 से फरवरी, 1998 तक उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के चिकित्सा दावों के लिए कितनी धनराशि की अदायगी की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान बंगलौर स्थित विशेषीकृत अस्पतालों में उपचार कराने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हाँ।

(ख) कर्नाटक सरकार, जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा सेवा हेतु उत्तरदायी है, ने चिकित्सा विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित अस्पतालों को संस्वीकृति दी है :

(i) श्री जयदेव इंस्टीच्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी।

(ii) किदवई इंस्टीच्यूट ऑफ ऑंकोलॉजी।

(iii) नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरोसाईंसेज।

(iv) एम.एस. रमैया हास्पीटल

(v) येल्लम्मा दासप्पा हॉस्पीटल

(ग) कर्नाटक सरकार द्वारा 1997-98 के दौरान चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में 2,92,97,406/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

(घ) 206.

[हिन्दी]

बीड़ी कामगारों के लिए मकान

1970. **श्री दादा बापूराव परांजपे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बीड़ी कामगारों के लिये निर्मित मकानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने बीड़ी कर्मकारों के लिए 2390 मकान बनवाये हैं और 1663 मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्थान	निर्मित मकानों की संख्या	निर्माण वर्ष	केन्द्र द्वारा दी गई आर्थिक सहायता (रुपये में)
1.	सागर जिला सागर	152	82-63	2,28,000
2.	रायपुर जिला रायपुर	48	82-63	72,000
3.	मझोली जिला जबलपुर	250	90-91	14,50,000
4.	दमोह जिला दमोह	300	90-91	17,40,000
5.	जबलपुर	153	91-92	7,65,000
6.	बेगमगंज जिला रायसेन	250	91-92 एवं 92-93	14,50,000
7.	उरला जिला दुर्ग	100	91-92 एवं 92-93	5,00,000
8.	वरसीयोनी जिला बालाघाटा	100	92-93	5,60,000
9.	सागर प्रभाग*	1037	95-96 एवं 97-98	1,21,50,000
		2390		1,90,15,000

* वर्ष 1995-96 में बीड़ी कर्मकारों के लिए 2700 मकान निर्माण के लिए संस्वीकृत किये गए थे जिसमें से 1037 इकाइयां पूर्ण हो चुकी हैं और 979 इकाईयां सेन्टर स्तर पर तक बन चुकी हैं, शेष 684 निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

[अनुवाद]

त्रिपुरा में सी.जी.एच.एस. सुविधा

1971. **श्री बाजू बन रियान :**
श्री समर चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत लाभान्वित है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) त्रिपुरा को इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबित एन्जिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वर्तमान मानकों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों की 7,500 या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों तक ही विस्तारित की जा सकती हैं। सरकार की नीति के अनुसार, इसे प्रथमतः राज्यों की राजधानियों, जो मानकों को पूरा करती हैं, में लागू किया जाना है। संसाधनों की कमी के कारण, मानकों को पूरा करने वाले कुछ राज्यों की राजधानी वाले शहरों को अब तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल नहीं किया जा सका है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को त्रिपुरा तक विस्तारित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

सीमा विवाद

1972. **श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा :**
श्री रामदास आठवले :
श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सीमा विवाद संबंधी मामले लम्बित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये मामले किस-किस तारीख से लंबित हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन विवादों को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने महाजन आयोग की रिपोर्ट को पूर्णतः कार्यान्वित किया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) अनिर्णित पड़े मुख्य अंतर्राज्यीय सीमा विवाद निम्न प्रकार हैं:

(i) महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद। ये विवाद 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय से लंबित पड़े हैं।

(ii) पंजाब-हरियाणा सीमा विवाद। ये विवाद 1966 में संयुक्त राज्य पंजाब के पुनर्गठन के समय से लंबित पड़े हैं।

जबकि महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद कुछ सीमावर्ती गांवों और शहरों के बारे में परस्पर विरोधी राज्य क्षेत्रीय दावों से संबंधित हैं, पंजाब, हरियाणा सीमा विवाद का संबंध चंडीगढ़ का हस्तांतरण पंजाब को किए जाने और चंडीगढ़ के बदले कुछ हिन्दी भाषी क्षेत्रों का हस्तांतरण पंजाब से हरियाणा को किए जाने से संबंधित है।

बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच भी सीमा विवाद है। तथापि ये विवाद, नदियों के बदलते बहाव के कारण गांवों के हस्तांतरण/पुनर्हस्तांतरण द्वारा उत्पन्न राजस्व प्रबंधन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 में निर्धारित सीमा सिद्धांत अंगीकार किए जाने से प्रभावित प्राइवेट पार्टियों के बीच हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार का यह मत है कि यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है कि वे अपने मतभेद सौहार्दपूर्ण ढंग से आपस में मिलजुलकर सुलझा लें, केन्द्र सरकार ने इस संबंध में परस्पर स्वीकार्य किसी हल पर पहुंचने के लिए दोनों राज्यों को अपने सदप्रयास भी उपलब्ध कराए हैं।

महाजन आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच मतभेद अभी भी बरकरार हैं।

पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों के साथ बातचीत

1973. **श्रीमती रानी नरह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों के साथ बातचीत शुरू कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को उग्रवादी गुटों से सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) इस क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने हेतु सरकार उग्रवादी गुटों के साथ बातचीत करने के लिए वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री ने 15 अप्रैल, 1998 को गुवाहाटी में प्रैस को दिए अपने वक्तव्य में कहा है कि "मैं उन सभी को जो मैत्री के पथ से भटक गए हैं, चाहे वे असम में हों अथवा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में, आमंत्रित करता हूँ कि वे आगे आएं, हम आपस में विचार-विमर्श करें, हमारी सरकार शान्ति की बहाली के लिए बातचीत करने के लिए वचनबद्ध है यह कार्य हम अपने संविधान के दायरे में रहते हुए करें।"

नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैंड के इजाक मुईवाह ग्रुप के साथ बातचीत के पश्चात 1 अगस्त, 1997 से तीन माह के लिए युद्ध विराम करने हेतु आपस में सहमति हुई थी। इस युद्ध विराम अवधि को जुलाई, 1998 के अन्त तक बढ़ा दिया गया है।

प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर अन्य कोई भी विद्रोही गुट अभी तक बातचीत के लिए आगे नहीं आया है।

आतंकवाद

1974. **श्री पी.सी. थामस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धार्मिक कट्टरतावादी संगठनों का आतंकवाद बढ़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे संगठनों के कार्यकर्ताओं से प्रभावित राज्यों का ब्यौरा और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) धार्मिक कट्टरतावादी संगठनों की ओर से, विशेष रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में आतंकवाद में वृद्धि की गई है।

वर्ष 1997 के दौरान दिल्ली में 24 और गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में 3 विस्फोट हुए जिसमें 11 व्यक्ति मारे गए तथा 241 घायल हुए। इन विस्फोटों की जांच-पड़ताल के कारण एक समुदाय के 9 उग्रवादियों को पकड़ा गया जो दिल्ली और गाजियाबाद में विस्फोटों के लिए जिम्मेदार थे। ये उग्रवादी लश्कर-ए-ताईबा से संबंधित थे तथा कुछ पड़ोसी देशों द्वारा इन्हें प्रशिक्षित किया गया था तथा पाकिस्तान स्थित एक उग्रवादी ग्रुप द्वारा इन्हें प्रेरित किया था और इनका वित्त पोषण किया था।

14 फरवरी, 1998 को कोयम्बटूर में एक के बाद एक 14 विस्फोट हुए जिनमें 60 से अधिक व्यक्ति मारे गए तथा 190 घायल हुए। कोयम्बटूर में एक के बाद एक हुए इन बम विस्फोटों के लिए अल-उम्माह नामक एक कट्टरतावादी ग्रुप को जिम्मेदार पाया गया।

27 फरवरी, 1998 को मुंबई में तीन बम विस्फोट हुए जिसके परिणामस्वरूप 4 व्यक्ति मारे गए तथा 30 घायल हुए। इन विस्फोटों की जांच-पड़ताल से पता चला है कि ये विस्फोट पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा प्रशिक्षित और उत्प्रेरित उग्रवादियों द्वारा किए गए थे।

(घ) विभिन्न कट्टरतावादी संगठनों से उत्पन्न खतरे की विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सुरक्षा एजेन्सियों को जानकारी है तथा वे लगातार स्थिति का प्रबोधन कर रही हैं और अपनी चौकसी रख रही हैं।

मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना

1975. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए नई योजना के अंतर्गत अपना कारोबार शुरू करने के लिए सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को अग्रिम ऋण दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी स्वीकृत की गई पूरी धनराशि से वंचित रहे हैं और स्वीकृत की गई धनराशि का बड़ा हिस्सा फर्जी नाम से कुछ फर्मों/एजेंसियों द्वारा हड़पा जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हाँ। मार्च, 1992 में शुरू की गई सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता, सीमान्त राशि ऋण तथा बैंक ऋण प्रदान करते हुए सफाई कर्मचारियों को विभिन्न ट्रेडों तथा व्यावसायों में पुनर्वास के लिए राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगमों को केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है।

[हिन्दी]

बरौनी तेल शोधक कारखाना

1976. **श्री राजो सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हल्दिया से बरौनी तक पाईप लाईन बिछाने का कार्य चल रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा और इस पाईप लाईन को बिछाए जाने से बरौनी तेल शोधक कारखाने की क्षमता किस प्रकार प्रभावित होगी; और

(ङ) इसकी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए क्या कार्य योजना बनाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1997-98 के दौरान बरौनी रिफाइनरी का क्रुड थ्रुपुट 3.3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता के मुकाबले 2.18 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष था। क्षमता के कम उपयोग का कारण असम तेल क्षेत्रों से पर्याप्त कच्चे तेल की अनुपलब्धता है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) और (ङ) आई.ओ.सी. की हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन परियोजना जुलाई 1999 में पूरी की जाने के लिए निर्धारित है। इस पाइपलाइन का उपयोग बरौनी रिफाइनरी के पूर्ण क्षमता उपयोग को प्राप्त करने के लिए हल्दिया से बरौनी तक आयातित कच्चे तेल को पम्प करने के लिए किया जाएगा।

[अनुवाद]

महामारियों से हुई मौतें

1977. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में बच्चों की अत्यधिक संख्या में महामारी प्रदत्त रोगों से मृत्यु हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अभी तक उत्तर प्रदेश और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में महामारियों से बच्चों की कितनी मौतें हुई;

(घ) सरकार द्वारा इन महामारियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कोई धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष-वार किन-किन मदों पर यह धनराशि व्यय की गयी;

(ज) क्या सरकार महामारियों पर नियंत्रण करने में सफल हुई है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) से (झ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुरोध करने पर प्रकोप की जांच-पड़ताल और नियंत्रण में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने उत्तर प्रदेश में खसरा, जठरांत्रशोथ, पोलियो और मस्तिष्क विकृति के कुछ प्रकोपों की जांच-पड़ताल की है। बच्चे मुख्य तौर पर ग्रस्त थे।

राज्य के दो जिलों में प्रकोपों के संबंध में त्वरित कार्रवाई करने और रोग निगरानी को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को 1997-98 में 24.25 लाख रुपए आवंटित किए हैं। राज्य सरकार से उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई की सूचना एकत्र की जा रही है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

1978. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार को बढ़ते हुए तेल पूल घाटे को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में और वृद्धि करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) तेल पूल घाटे को काबू करने के साथ ही तेल कम्पनियों को विशेष बाण्डों के निर्गम द्वारा तथा इन्हें एक चरणबद्ध तरीके से हटाकर इसे क्रमिक रूप से पूरा करने के संबंध में भी पहले ही कदम उठाए गए हैं। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संग्रह को बढ़ाने के लिए राजकोषीय बजट वर्ष 1998-99 के अन्तर्गत अधिरोपित अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के कारण पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्य में हाल ही में वृद्धि की गई हैं। चार महानगरों में दिनांक 3 जून, 1998 से प्रभावी पेट्रोल (एम. एस. 87) के संशोधित खुदरा बिक्री मूल्य निम्नवत हैं:

	रुपए/प्रति लीटर
दिल्ली	23.94
कलकत्ता	24.70
मुम्बई	27.07
चेन्नई	28.14

जनगणना में जाति संबंधी कालम

1979. **श्री नावेन्दला भास्कर राव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी जनगणना में जाति संबंधी कालम का उल्लेख करने के संबंध में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय अखंडता के उद्देश्य को प्राप्त करने को दृष्टिगत रखते हुए स्कूलों में दाखिले के समय जाति संबंधी कालम भरने की प्रथा को समाप्त करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार के अधीन आने वाले विद्यार्थियों में विद्यमान पद्धति में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है जो कि इस प्रकार है : नवोदय विद्यालयों में दाखिले के फार्म में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कालम का प्रावधान है। केन्द्रीय विद्यालयों के दाखिले के फार्म में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कालम का प्रावधान है।

अभ्रक खान मजदूरों का कल्याण

1980. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपकर लागू करने से लेकर अभ्रक पर कितना उपकर लगा गया है;

(ख) अभ्रक खान के मजदूरों के लिए सरकार द्वारा क्या कल्याणकारी उपाय किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या अभ्रक की आन्तरिक खपत पर उपकर लगाया जा रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अभ्रक की आन्तरिक खपत पर उपकर शुरू करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) सन् 1976-77 से अभ्रक पर उपकर की उगाही को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, मनोरंजन और जल आपूर्ति के क्षेत्र में अभ्रक खान कर्मकारों और उनके परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए अनेक कल्याण योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण-II में है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कल्याण कार्यकलापों पर खर्च की गई राशि संलग्न विवरण-III में दर्शायी गई है।

(घ) से (च) हाल के वर्षों में अभ्रक के उत्पादन में लगातार कमी आई है जिसका मुख्य कारण सस्ते विकल्पों को विकसित किए जाने के कारण इसकी मांग में आयी कमी है। कोई अतिरिक्त उपकर या कर लगाए जाने से अभ्रक की कीमतों में वृद्धि किए जाने से इसकी मांग में और कमी आ सकती है और इसलिए ऐसा विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण-I

वार्षिक आय

अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के अधीन 1976-77

(लाख रुपए में)

वर्ष	आय
1976-77	88.94
1977-78	75.22
1978-79	89.12
1979-80	112.62
1980-81	101.29
1981-82	124.25
1982-83	96.73
1983-84	52.60
1984-85	166.34
1985-86	97.95
1986-87	128.28
1987-88	120.51
1988-89	149.12
1989-90	156.58
1990-91	143.57
1991-92	84.92
1992-93	176.00
1993-94	151.56
1994-95	148.92
1995-96	209.68
1996-97	212.34
1997-98	198.63

विवरण-II

माइका खानकामगारों के लिए कल्याण योजनाओं की सूची

क. स्वास्थ्य

1. टी.बी. अस्पतालों में बिस्तर आरक्षित किए जाने की योजना।
2. मानसिक रोगों से पीड़ित खान कामगारों के लिए उपचार की योजना।
3. कुष्ठ रोग से पीड़ित खान कामगारों के उपचार की योजना।

4. टी.बी. पीड़ित कामगारों के आवासीय उपचार की योजना।

5. महिला खान कामगारों के लिए प्रसूति लाभ योजना।

6. कैंसर से पीड़ित कामगारों को उपचार की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति।

7. चश्में खरीदने के लिए खान कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

8. कामगारों को बंध्याकरण करवाने पर अतिरिक्त आर्थिक प्रतिपूर्ति की अदायगी की योजना।

9. खान कामगारों को हृदय रोगों के उपचार के प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता।

10. खान कामगारों को गुर्दा प्रत्यारोपण से संबंधित खर्चे की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता।

11. खान कर्मकारों की घातक और गंभीर दुर्घटना के मामले में मुआवजे के भुगतान की योजना।

12. खान कर्मकारों को कृत्रिम अंग प्रदान करने की योजना।

(ख) आवास

1. कार्य स्थल के निकट खान कर्मकारों के लिए कम लागत वाले टाईप-I और टाईप-II मकानों के निर्माण के लिए खान प्रबंधनों को वित्तीय सहायता।

2. अपना मकान स्वयं बनाओ योजनाः खान कर्मकारों को अपना मकान बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण और आर्थिक सहायता।

(ग) शिक्षा

1. खान कर्मकारों के स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति देना।

2. खान कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को वर्दी, स्लेट, कॉपियां और पाठ्य पुस्तकों के एक सेट की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता की एक कम्पोजिट योजना।

3. केन्द्रीय पुस्तकालय चलाने के लिए खान मालिकों को सहायता।

4. खान प्रबंधनों को स्कूल बसें खरीदने के लिए सहायता।

5. पुस्तकालयों के रख-रखाव के लिए खान प्रबंधनों को सहायता।

6. दोपहर के भोजन की योजना।

7. हाई स्कूल से आगे विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन का भुगतान।

8. खान कर्मकारों की बालिकाओं को स्कूल में उपस्थिति के आधार पर 1/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना।

(घ) मनोरंजन

1. खान कर्मकारों के लिए खेलकूद, सामाजिक सांस्कृतिक-क्रिया कलाप आयोजित करना।

2. खान कर्मकारों के आवागमन के लिए बसें प्रदान करने की योजना।

3. दृश्य-श्रव्य सेटों की स्थापना/सिनेमा वैन/फिल्मों का प्रदर्शन।

4. भ्रमण और अध्ययन दौरे।

5. टी.वी. सैटों की आपूर्ति।

6. बहुउद्देशीय संस्थानों/विकसित बहुउद्देशीय संस्थानों की स्थापना।

7. कल्याण केन्द्रों की स्थापना।

8. बहुउद्देशीय संस्थानों/विकसित बहुउद्देशीय संस्थानों/कल्याण केन्द्रों को अनुदान।

9. खेल कूद मैदान।

10. हॉलीडे होम।

(ङ) जलापूर्ति

1. कुएँ खोदने के लिए छोटे खान मालिकों को वित्तीय सहायता।

2. जलापूर्ति योजनाओं के निष्पादन के लिए छोटे खान मालिकों को वित्तीय सहायता।

3. जलापूर्ति योजनाओं के निष्पादन के लिए बड़े खान मालिकों को वित्तीय सहायता।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों पर हुए खर्च को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये हजार में)

	1995-96	1996-97	1997-98
1. स्वास्थ्य	13366	12617	13033
2. शिक्षा	6051	6395	6672
3. मनोरंजन	529	514	644
4. जलापूर्ति	270	209	240

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प/एलपीजी एजेंसियाँ

1981. **श्री विजय सिंह सोय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम और अन्य कम्पनियों द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों

को आवंटित पेट्रोल पम्पों का ब्यौरा क्या है और कुल आबंटन में से इन वर्गों के लोगों के लिये निर्धारित आबंटन का प्रतिशत क्या है;

(ख) बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में पिछले वर्ष इन वर्गों के लिए घोषित रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में इन वर्गों से आमंत्रित आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इन वर्गों के लोगों को कितने पेट्रोल पम्प आवंटित करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) विद्यमान नीति के मुताबिक 25 प्रतिशत डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें राज्यवार आधार पर अ.जा/अ.ज.जा. के लिए आरक्षित हैं। तदनुसार, विगत दो वर्षों के दौरान इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा अन्य दूसरी तेल विपणन कम्पनियों ने इन समुदायों के लोगों को 13 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें आबंटित कर दी हैं।

(ख) और (ग) विगत एक वर्ष के दौरान तेल विपणन कम्पनियों ने सभी राज्यों से अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों के लोगों के लिए आरक्षित 297 स्थानों के संबंध में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे जिनमें बिहार राज्य तथा पश्चिम बंगाल के अन्तर्गत क्रमशः 41 और 18 स्थान सम्मिलित थे।

(घ) खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1996-98 के अन्तर्गत 124 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के लिए निर्धारित की गई हैं। वास्तविक आवंटन डीलर चयन बोर्ड द्वारा किए गए चयन के आधार पर किया जाता है। आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए चयन प्रक्रिया को पूरा करने के संबंध में कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

[अनुवाद]

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा गैस टर्मिनल लगाना

1982. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का विचार पूर्वी राज्यों में प्राकृतिक गैस भंडारण क्षमता बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा और अन्य पूर्वी राज्यों में कितने गैस टर्मिनल लगाये जाने का विचार है और इस उद्देश्य के लिये पहचान किये गये स्थानों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) बी.पी.सी.एल. के पूर्वी राज्यों या अन्य कहीं प्राकृतिक गैस के कोई भण्डार नहीं हैं। तथापि, बी.पी.सी.एल. का पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के निकट उलुबेरिया में 22 टी.एम.टी.पी.ए. क्षमता का एक एल.पी.जी. भरण संयंत्र है और उड़ीसा में खुरदा में 10 टी.एम.टी.पी.ए. क्षमता का एक संयंत्र है।

नौवीं योजना के अंतर्गत बी.पी.सी.एल. ने उड़ीसा राज्य में पारादीप में 0.6 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता वाले एल.पी.जी. आयात टर्मिनल की योजना बनाई है और इसका अनुमानित पूर्णता कार्यक्रम 2001-02 है।

[हिन्दी]

वोहरा कमेटी

1983. **श्री आदित्यनाथ** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वोहरा कमेटी ने अपराधियों, राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के बीच मिलीभगत पर अपनी रिपोर्ट में कोई टिप्पणी की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस स्थिति से निपटने के लिये कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) वोहरा समिति उपलब्ध सूचना का विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंची है:-

(i) हमारी विभिन्न संबंधित आसूचना, अन्वेषण और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा हासिल व्यापक अनुभव के आधार पर, यह स्पष्ट है कि आपराधिक सिंडिकेटों और माफिया संगठनों ने देश के विभिन्न भागों में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं।

(ii) विभिन्न आपराधिक सिंडिकेटों/माफिया संगठनों ने काफी अधिक धन तथा बाहुबल अर्जित कर लिया है और सरकारी पदाधिकारियों, राजनैतिक नेताओं और अन्य लोगों के साथ संबंध कायम कर लिए हैं जिससे वे बिना दंडित हुए अपनी गतिविधियां चला सकते हैं।

(iii) आसूचना एजेंसियों और राजस्व विभाग के अधीन विभिन्न एजेंसियों को अपने सामान्य कामकाज के दौरान आपराधिक सिंडिकेटों/माफिया संगठनों के संबंधों के बारे में सूचना मिलती रहती है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अंतर्गत उनसे ऐसी सूचना किसी पहचानशुदा नोडल एजेंसी को देने की आशा की

जाए। इस प्रकार की सूचना का आदान-प्रदान इस समय कभी कभार ही होता है और ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि इस प्रकार की सूचना का प्रवर्तनात्मक इस्तेमाल किया गया हो।

(iv) यदि किसी एजेंसी को अपराधिक सिंडिकेटों के संबंधों के बारे में कुछ सूचना मिलती भी है तो उसके पास कोई शासनादेश नहीं होता कि वह तत्काल उसे किसी एक या अधिक एजेंसियों तक पहुंचा सके। ऐसे संबंधों के बारे में जिस एजेंसी को सूचना प्राप्त होती है, वह इस बात से भी आशंकित होती है कि इस प्रकार सूचना प्रदान करने से वक्त से पूर्व इसके लीक हो सकने की वजह से इसके अपने कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। संक्षेप में, फील्ड में वर्तमान में कार्यरत विभिन्न एजेंसियां यह सावधानी बरतती हैं कि अपने कार्यक्षेत्र की ड्यूटियों, जिनके अंतर्गत उनके संगठन से संबंधित कानूनों के उल्लंघन से निपटना होता है, पर ही ध्यान केन्द्रित करें और ऐसे संबंधों के बारे में सूचना उन्हें मिलती हैं, उसे जानबूझ कर एक तरफ कर दें।

2. उपरिल्लिखित निष्कर्षों के मद्देनजर वोहरा समिति ने विभिन्न आसूचना एजेन्सियों से सूचना/आसूचना एकत्र करने और मिलाने के लिए तथा शिनाख्त शुदा संगठनों के माध्यम से कार्य करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक नोडल एजेन्सी स्थापित करने की सिफारिश की ताकि राजनीतिज्ञों, नौकरशाह और व्यापारियों के साथ अपराधियों का गठजोड़ समाप्त हो जाये। तद्नुसार 2.8.95 को गृह सचिव की अध्यक्षता में सचिव (राजस्व), सचिव (राजस्व), सचिव (रा.), निदेशक (आ.ब्यूरो) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य के रूप में लेकर एक नोडल ग्रुप की स्थापना की गयी। मंत्रिमंडल सचिव द्वारा इसके अध्यक्ष का पद सम्भालने के साथ गृह सचिव, सचिव (राजस्व), सचिव (रा.), निदेशक (आ. ब्यूरो), निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य के रूप में लेकर 5.1.96 को इस नोडल ग्रुप का पुनर्गठन किया गया।

3. बाद में, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुपालन में गृह सचिव को अध्यक्ष तथा सदस्य (जांच-पड़ताल), सी.बी.डी.टी., महानिदेशक (राजस्व आसूचना), निदेशक (प्रवर्तन) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य और सचिव (कार्मिक और प्रशिक्षण) सचिव (राजस्व), सचिव (रा.) और निदेशक (आ. ब्यूरो) को विशेष आमंत्रित व्यक्तियों के रूप में लेकर नोडल ग्रुप का जनवरी, 1998 में पुनर्गठन किया गया। नोडल ग्रुप की बैठक प्रत्येक माह होती है जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिए हैं।

[अनुवाद]

कश्मीरी हिन्दू

1984. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर घाटी में 1989 में और आज कश्मीरी हिन्दुओं की जनसंख्या का अनुपात कितना है;

(ख) आज देश में कश्मीरी हिन्दू शरणार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए पनून कश्मीर नामक एक सुरक्षित जोन का सृजन करने का है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जनसंख्या आँकड़े केवल दशवार्षिक जनगणना से उपलब्ध हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार घाटी में 3.89 प्रतिशत हिन्दू थे। जम्मू और कश्मीर में विक्षुब्ध स्थिति के कारण वहां 1991 की जनगणना नहीं हुई।

(ख) जम्मू में 28,867 कश्मीरी प्रवासी परिवार और दिल्ली मे 19,338 परिवार पंजीकृत हैं। देश के अन्य भागों में 2,347 कश्मीरी प्रवासी परिवार हैं। प्रवासी परिवारों के समुदाय-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी नही, श्रीमान्।

[हिन्दी]

बम विस्फोटों में विदेशी नागरिकों का संलिप्त होना

1985. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए बम विस्फोटों में विदेशी नागरिकों का हाथ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) 1997 के दौरान दिल्ली में 26, हरियाणा (1996-97) में 5 और उत्तर प्रदेश (अक्टूबर, 1997) में 3 बम विस्फोटों में 3 पाकिस्तानी और दो बंगलादेशी शामिल थे।

(ख) दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्रमिक विस्फोटों में शामिल पाकिस्तानी और बंगलादेशी नागरिकों को अन्य भारतीय नागरिकों के साथ फरवरी/मार्च, 1998 में गिरफ्तार किया गया था और रिमाण्ड के लिए हवालात में भेज दिया गया था। देश में कानून के अनुसार उन पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

प्रशासकों को वित्तीय शक्तियां

1986. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को प्रदत्त वित्तीय शक्तियां एक दूसरे से भिन्न हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रशासकों की शक्तियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रशासकों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान्। संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रदत्त वित्तीय शक्तियों की सीमा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। प्रदत्त शक्तियों की सीमा कार्यात्मक आवश्यकताओं और अन्य वित्तीय प्रतिफलों द्वारा निर्धारित की जाती है जो अलग-अलग संघ शासित क्षेत्रों में अलग-अलग होती है।

(ग) और (घ) प्रशासकों को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने की व्यवहारिकता की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को प्रदत्त वित्तीय शक्तियां

क्र.सं	मद	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	चण्डीगढ़	दादर और नगर हवेली	दमण और दीव	लक्षद्वीप	पांडिचेरी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
1.	पदों का सृजन	ग्रुप ख, ग और घ पद, योजना के अन्तर्गत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	ग्रुप ख, ग और घ योजना के अन्तर्गत	ग्रुप क, ख, ग और घ योजना और योजना भिन्न के अन्तर्गत
2.	योजना स्कीमों की स्वीकृति	5.00 करोड़ रु0 तक	5.00 करोड़ रु0 तक	5.00 करोड़ रु0 तक	5.00 करोड़ रु0 तक	5.00 करोड़ तक	10.00 करोड़ रु0 तक	50.00 करोड़ रु0 तक
3.	कार्य की स्वीकृति	2.00 करोड़ रु0 तक	1.50 करोड़ रु0 तक	1.50 करोड़ रु0 तक	1.50 करोड़ रु0 तक	2.00 करोड़ रु0 तक	पूरी शक्तियां	पूरी शक्तियां
4.	मांगपत्र/ठेका/खरीद							
(i)	सामान्य ठेका/ खरीददारी	2.00 करोड़ रु0 तक	0.20 करोड़ रु0 तक	0.20 करोड़ रु0 तक	0.20 करोड़ रु0 तक	0.20 करोड़ तक	5.00 करोड़ रु0 तक	5.00 करोड़ रु0 तक
(ii)	बातचीत से तय किया गया/सिंगल निविदा ठेका	0.80 करोड़ रु0 तक तक	0.02 करोड़ रु0 तक	0.02 करोड़ रु0 तक	0.02 करोड़ रु0 तक	0.02 करोड़ रु0 तक	1.00 करोड़ रु0 तक	1.00 करोड़ रु0 तक
(iii)	प्रोपराईटरी लेबर के स्टोर के लिए मांग पत्र	0.40 करोड़ रु0 तक तक	0.02 करोड़ रु0 तक	0.02 करोड़ रु0 तक	0.02 करोड़ रु0 तक	0.02 करोड़ रु0 तक	0.60 करोड़ रु0 तक	0.60 करोड़ रु0 तक
(iv)	आपात आवश्यकता के आधार पर सीधी खरीद	0.20 करोड़ रु0 तक तक	0.02 करोड़ रु0 तक	0.02 करोड़ रु0 तक	0.02 करोड़ रु0 तक	0.02 करोड़ रु0 तक	0.50 करोड़ रु0 तक	0.50 करोड़ रु0 तक

भविष्य निधि योजना

1987. श्री मुत्थापल्ली रामचन्द्रन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कामगारों के लिए भविष्य निधि पेंशन और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के निजीकरण संबंधी सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ विभिन्न मजदूर संघों द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों/अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. खुंगारमंगलम) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

द्वारा संचालित की जा रही क्रमशः कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा भविष्य निधि पेंशन/पेंशन योजना के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस तरह प्रस्ताव के विरुद्ध कामगार संघों के प्रतिनिधित्व तथा उस पर सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता।

भारत ओमान परियोजना

1988. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1998 के "द पायनियर" में "ओमान हैज 50 प्रतिशत स्टेक 100 प्रतिशत कन्ट्रोल फर्टिलाइजर स्कैम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान 29 मार्च, 1998 के पायनियर में "ओमान हैज़ 50 प्रतिशत स्टेक 100 प्रतिशत कन्ट्रोल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में इण्डो-ओमान संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजना के संबंध में लगाए गए आरोपों की ओर आकर्षित किया गया है। इस संबंध में संगत तथ्य नीचे दिये गये हैं।

ओमान में संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजना की कल्पना पारस्परिक लाभ के आधार पर की गई है। फरवरी, 1998 में संयुक्त उद्यम कम्पनी (जे.वी.सी.) के रूप में पंजीकरण से पहले, संयुक्त उद्यम परियोजना से संबंधित सभी निर्णय संयुक्त प्रबंध समिति (जे.एम.सी.), जिसमें भारत और ओमान का समान प्रतिनिधित्व था, द्वारा लिये जाते थे। तब से, संयुक्त उद्यम परियोजना से संबंधित सभी निर्णय जे.वी.सी. के बोर्ड द्वारा, जिसमें दोनों पक्षों का समान प्रतिनिधित्व है, किये जाते हैं।

इस परियोजना के लिए इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण (ई.पी.सी.) संविदा के लिए अधिमानित नीलामीदाता के रूप में मै० स्नैम प्रोगेटी और टैकनिप के संघ का चयन जे.एम.सी. ने फरवरी, 1997 में विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया के अनुसरण करने के पश्चात् किया। इनका मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ मापदण्ड पर आधारित था तथा जिसे स्वतंत्र तकनीकी और वित्तीय सलाहकारों की मदद से किया गया था।

इस निर्णय से खिन्न होकर, करूप्प-उहडे (उहडे) द्वितीय निम्नतम नीलामीदाता ने भारत सरकार को अभ्यावेदन दिया जिसमें इन नीलामियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की। इस मामले पर विचार करने के बाद सरकार को जे.एम.सी. के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं मिला और तदनुसार अप्रैल, 1997 को उहडे को सलाह दी। तथापि, उहडे अपने अभ्यावेदनों पर अड़ा रहा। पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, अन्ततः यह मामला जे.एम.सी. के विचारार्थ भेज दिया गया। जे.एम.सी. ने सितम्बर, 1997 में उहडे के अभ्यावेदन की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसे अपने पूर्व निर्णय को संशोधित करने का कोई आधार नज़र नहीं आता।

इस परियोजना में भारतीय संयुक्त उद्यम सहभागियों द्वारा निवेश के लिए सरकार का अनुमोदन दिसम्बर, 1997 में वरीय ई.पी.सी. नीलामीदाता के चयन से संबंधित सभी पहलुओं और अन्य संगत तथ्यों पर पूर्ण विचार करने के पश्चात् प्रदान किया गया था।

जयदेव हृदय रोग संस्थान, बंगलौर को केन्द्रीय सहायता

1989. श्री ए. सिवराजू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से जयदेव हृदय रोग संस्थान, बंगलौर के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता देने हेतु कोई आग्रह प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) श्री जयदेव इन्स्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलाजी बंगलौर ने भारत के प्रधानमंत्री को 2.12.1996 को एक ज्ञापन इस अनुरोध के साथ दिया था कि बंगलौर में उनकी नई कार्डियोलाजी संस्थान काम्पलेक्स परियोजना को पूरा करने के लिए 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता को जारी किया जाए।

(ग) "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है, राज्य या निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पतालों में सुविधाओं के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है।

खाद्य मूल्य

1990. श्री हरिन पाठक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितने खाद्य मूल्य/कैलोरी की आवश्यकता होती है तथा एक आम नागरिक को प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी उपलब्ध होती है;

(ख) क्या यह सच है कि गर्भावस्था के दौरान समुचित भोजन के अभाव के फलस्वरूप भारतीय शिशु सूखारोगग्रस्त तथा अंधे पैदा होते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) एक सामान्य कामकाजी वयस्क पुरुष

और महिला के लिए संस्तुत कैलोरी की जरूरत क्रमशः 2875 कैलोरी और 2225 कैलोरी है। शारीरिक स्तर पर ऊर्जा की औसत शुद्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2400 कैलोरी है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। जन्म के समय सूखे रोग और दृष्टिहीनता, जो गर्भावस्था के दौरान क्रमशः विटामिन ''डी'' और ''ए'' के संबंध में गंभीर मातृ कुपोषण के कारण हो सकते हैं, बहुत ही विरल हैं।

हैपेटाइटिस-बी विषाणु का संक्रमण

1991. श्री वसुदेव आचार्य :
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विशेषज्ञों के इन मतों की ओर दिलाया गया है कि हैपेटाइटिस-बी विषाणु जो ह्यूमन इम्यून डिफीसिएंसी वाइरस (एच.आई.वी.) से बहुत अधिक खतरनाक है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्लोबल हैपेटाइटिस-बी इम्यूनाइजेशन के अध्यक्ष ने बताया है कि जहां एक ओर एड्स से अब तक 367 रोगियों की मृत्यु हो चुकी है वहीं दूसरी ओर एच.बी.वी. से संक्रमित यकृत की बीमारी से प्रति वर्ष 1.5 लाख व्यक्ति मरते हैं और भारत में 50 मिलियन व्यक्ति हैपेटाइटिस ''बी'' और ''सी'' के वाहक हैं;

(ग) यदि हाँ, तो देश में क्षयरोग, एच.आई.वी., एड्स एच.बी.वी. और अन्य संक्रमणीय बीमारियों के वाहक व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) महज हेपेटाइटिस-बी संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या के कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस (सभी प्रकार के) के रोगियों की संख्या 1995, 1996 तथा 1997 (अनंतिम) के दौरान इस प्रकार रही है :-

वर्ष	संक्रमित व्यक्तियों की संख्या	मृतकों की संख्या
1995	98940	943
1996	117954	801
1997	89038	962

(ग) उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 3.5 प्रतिशत भारत की जनता में हेपेटाइटिस-बी संक्रमण के वाहक हैं। इसके मुकाबले अनुमानतः 14 मिलियन लोग सक्रिय क्षयरोग से पीड़ित हैं। 30.4.98 तक एच.आई.वी. सीरम निगरानी रिपोर्ट के अनुसार, जांचे गए 3310868 व्यक्तियों में से 76481 व्यक्ति जांच में सीरम पाजिटिव पाए गए। भारत में एड्स के सूचित कुल रोगी 5209 थे।

(घ) हेपेटाइटिस-बी संक्रमण की रोकथाम के लिए निम्न उपाय किए गए हैं:-

(i) रक्ताधान से पूर्व हेपेटाइटिस-बी विषाणु के लिए सभी रक्त दानों की जांच करना अनिवार्य है। (ii) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निरापद यौन व्यवहार के संवर्धन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। (iii) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बार टीकाकरण हेतु अलग-अलग सिरिंज एवं सुई का इंतजाम करना (iv) यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के अस्पताली कार्यकर्ताओं को हेपेटाइटिस-बी से रोग प्रतिरक्षित किया जाए। (v) प्रत्येक इन्जेक्शन के लिए अलग-अलग निर्जीवाणुकृत सिरिंज तथा सुई के इस्तेमाल तथा शल्यचिकित्सीय उपायों हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। (vi) स्वास्थ्य शिक्षा।

टीकाकरण की असफलता

1992. श्री सुव्रत मुखर्जी :
श्री सुधीर गिरि :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 फरवरी, 1998 के ''हिन्दू'' में प्रकाशित समाचार ''एन एस्टिमेटेड वन मिलियन चिल्ड्रन डैव डेवेलोपड वैक्सिन फेलियर पोलियों इन इंडिया इयोरिंग द एटीज एज ए रिजल्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एडरिंग टू दि डब्ल्यू.एच.ओ. नार्म दैट थ्री डोजिज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन किल बी एडिक्वेट फॉर इम्यूनाइजेशन'' की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अभी तक पोलियो वैक्सीन पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) क्या यह सच है कि क्रिस्टियन मेडिकल कॉलिज अस्पताल वेलुर के विषाणु विज्ञान और सूक्ष्म जैविक विज्ञान के प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष डॉ० जैकब जॉन के अनुसार एक दशक पहले पालीमाइलाइटिस रोग से इस पर व्यय किए गए कुल खर्चे के एक अंश से छुटकारा पाया जाता यदि भारत ने और अधिक आत्मनिर्भरता से काम लिया होता?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) यद्यपि वैक्सीन का कारगर न होना पोलियो वैक्सीन की विभेदक उदग्रहण मात्रा और अस्थायी कोल्ड चैन पद्धति की असफलता अथवा अन्य कारणों से प्रभावकारिता क्षति से पैदा होने वाली एक ज्ञात समस्या है, फिर भी सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि आठवें दशक के दौरान पोलियो की उच्च घटना तीन खुराकों की नीति को अपनाने के कारण हुई। तीन खुराक की कार्यनीति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में तकनीकी नेतृत्व और विशेषज्ञों की सुसंगत समय में सलाह पर आधारित थी। यह कार्यनीति आमतौर पर विश्व के विकासशील देशों द्वारा अपनाई जा रही कार्यनीति के समनुरूप थी।

(ग) घरेलू बजट में से 1990-91 से 1997-98 तक ओ.पी.वी. खरीद पर लगभग 190 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। बाह्य सहायता प्राप्त पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के लिए ओ.पी.वी. की स्थानीय खरीद पर 87 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च की गई। यूनिसेफ ने 1987 से 48.58 मिलियन अमेरिकी डालर की लागत की ओरल पोलियों वैक्सीन प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, 1996-97 और 1997-98 की अवधि के दौरान डेनमार्क और जापान सरकार से पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के लिए वैक्सीन खरीद हेतु लगभग 18 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि का वस्तुगत सहायता अनुदान उपलब्ध था।

(घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को विशेषज्ञों और राज्य स्तर के कार्यक्रम अधिकारियों, महामारी विज्ञानियों और भारतीय बाल चिकित्सक अकादमी से राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श करने के बाद अपनाया गया था और यह एक विश्वव्यापी प्रमाणित कार्यनीति है।

सेवारत चिकित्सकों के वेतन और परिलब्धियां

1993. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य विकसित और एशियाई देशों के मुकाबले सेवारत चिकित्सकों और निजी अस्पतालों में पेशेवर चिकित्सकों को मिलने वाले वेतनमानों, परिलब्धियों और पदोन्नति के अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में पेशेवर भारतीय चिकित्सकों को घटिया वेतन मिलने और उनकी उपेक्षा होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पांचवें वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए ''नॉन-प्रैक्टिसिंग'' भत्ते का भुगतान सरकारी चिकित्सकों को किया जा रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इन चिकित्सकों को ''नॉन-प्रैक्टिसिंग'' भत्ते का भुगतान कब से किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वलित एजिलमलाई) : (क) निजी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों और व्यवसायियों के वेतनमानों, परिलब्धियों (पर्क्स) और पदोन्नति के अवसरों के बारे में सरकार द्वारा सूचना का रख-रखाव नहीं किया जाता।

(ख) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों को प्रदत्त वेतन तथा अन्य भत्ते सरकारी सेवा में नियुक्त इसी प्रकार के तुल्य स्तर वाले अन्य अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों से पर्याप्त रूप से अधिक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टर वाहन भत्ता, अनुसंधान कार्य भत्ता तथा यथाप्रयोज्य स्नातकोत्तर भत्ता भी प्राप्त करते हैं।

(ग) से (च) 5वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों को हाल ही में प्रैक्टिस बंदी भत्ता दिया गया है।

कर्नाटक में आटा चक्कियों को गेहूं भेजना

1994. **श्री एच.जी. रामुलू** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए रखे गए 15,000 मिट्रिक टन गेहूं को रोलर आटा चक्कियों को भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने राज्य सरकार को अपने कोटे का एक-तिहाई भाग गेहूं की चक्कियों को दिए जाने की अनुमति प्रदान की है; और

(ग) यदि नहीं, तो भविष्य में राज्य में ऐसी प्रथा को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) रोलर फ्लोर मिलों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं की कस्टम मिलिंग किए जाने की योजना, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को मैदा/सूजी/परिणामी आटे में परिवर्तित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं प्राप्त करने की अनुमति थी, जो 11.12.1997 से बंद कर दिया गया है। तथापि, मांग पर राज्य सरकारों को आटे में परिवर्तित गेहूं की विशिष्ट मात्रा प्राप्त करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से इसकी बिक्री करने तथा मैदा/सूजी आदि में इसकी कस्टम मिलिंग कराने की भी अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आवंटन नहीं किया जाता है। अभी तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि कर्नाटक सरकार द्वारा रोलर फ्लोर मिलों को 15,000 टन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं का विपथन किया जा रहा है।

डोगरी भाषा

1995. **श्री वैद्य विष्णुदत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डोगरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी एक भाषा या अधिक भाषाओं को सम्मिलित करने के लिए मानदण्ड तैयार करने हेतु सरकार का एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय गठित करने का प्रस्ताव है।

पेंशन योजना में संशोधन

1996. **श्री सी. कुप्पुसामी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपदान संदाय अधिनियम, 1972 सहित कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पेंशन की गणना करने के क्या मापदण्ड हैं;

(ग) क्या पेंशन अर्हता अवधि को 33 वर्ष से घटा कर 30 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) तीन वर्षों के बदले हर दो वर्षों में समीक्षा की जाने वाली योजना क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) उपदान राशि की अधिकतम सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये करने के लिए उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन हेतु एक विधेयक फिलहाल संसद में लंबित है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत, 10 वर्षों की अंशदायी सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं। योजना के तहत, पेंशन निधि तथा वार्षिक आधार पर पेंशनीय लाभों की समीक्षा का प्रावधान है। इस तरह, पात्रता शर्त को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्षों की सेवा करने तथा हर दो वर्ष पर योजना की समीक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक पेंशन योजना में संशोधन करने का संबंध है यह एक सतत् प्रक्रिया है तथा आवश्यक समझे जाने पर संशोधन कर दिया जाएगा।

पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय

1997. **श्री के. पी. भानुमति** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण मंत्रालय का दुबारा नामकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) कल्याण मंत्रालय का दुबारा नामकरण "सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय" (मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इम्पावरमेंट) के रूप में किया गया है।

(ख) अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग ऐतिहासिक असमर्थता से अब भी पीड़ित हैं तथा वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता चाहते हैं न केवल कल्याण मंत्रालय के दुबारा नामकरण हेतु निर्णय कल्याण की अवधारणा के द्वारा सम्प्रेषित किए जाने की अपेक्षा समानता तथा सामाजिक-आर्थिक स्वतंत्रता के मूल्यों को सरकार की तरफ से एक अधिक पक्की प्रतिबद्धता द्वारा संचालित है।

(ग) केन्द्र सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों तथा सेवाओं में रिक्तियों में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है बशर्ते कि "क्रीमी लेयर" के रूप में अभिज्ञात सामाजिक तथा आर्थिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों को छोड़ दिया जाए। अन्य पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने व्यवहार्य स्व-रोजगार यूनिटों के लिए संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) शैक्षिक तथा तकनीकी संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक तथा सामाजिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू करना, तथा

(3) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में अधिक जातियों/समुदायों को शामिल करना।

दहेज संबंधी लंबित मामले

1998. डॉ० संजय सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने दहेज संबंधी मामले न्यायालय में लंबित हैं और ऐसे कितने मामलों में जांच चल रही है;

(ख) क्या भारी संख्या में महिलाएं अपने पति तथा रिश्तेदारों को तंग करने के लिए दहेज विरोधी प्रावधानों का दुरुपयोग कर रही हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का निर्दोष व्यक्तियों को बचाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि दिल्ली में न्यायालयों में 6386 दहेज विरोधी मामले विचारण के लिए लंबित हैं। ऐसे 900 मामलों की जांच पड़ताल चल रही है।

(ख) जी, नहीं, श्रीमान।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आरक्षण के लिए राज्य सरकार को अधिकार

1999. श्री टी.आर. बालू : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौकरी और शैक्षणिक अवसरों में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार देने हेतु संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू सत्र के दौरान विधेयक लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उद्योगों का बन्द किया जाना

2000. श्री बेनी प्रसाद वर्मा :
श्री अशोक प्रधान :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार बन्द हुए सरकारी और निजी क्षेत्र के उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने मजदूर बेरोजगार हुए;

(ग) ऐसे वित्तीय संस्थानों की संख्या क्या है जिनके ऋण का ऐसे उद्योगों द्वारा भुगतान नहीं किया गया और ऐसे ऋणों की धनराशि कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा इन बेरोजगार मजदूरों को वैल्पिक रोजगार प्रदान करने, ऐसे उद्योगों को पुनर्जीवित करने और वित्तीय संस्थानों की बकाया ऋण का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बन्द हुए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों की राज्यवार संख्या तथा बंदी के परिणामस्वरूप प्रभावित होने वाले कामगारों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों, गैर लघु उद्योग रूग्ण इकाईयों और गैर लघु उद्योग कमजोर इकाईयों पर बकाया बैंक ऋण के संबंध में संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 1997 तक इन इकाइयों पर 13,787 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया थी। रूग्ण और कमजोर इकाइयों को ऋण देने वाली संस्थाओं, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंक, राष्ट्रीय बैंक, अन्य निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक शामिल हैं, को संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

(घ) सरकार की विशेष योजनाओं का उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाना है जिनमें नेहरू रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना आदि शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रूग्ण कमजोर औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास और पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए वाणिज्यिक बैंकों एवं आवधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैंक द्वारा पैकेज के एक भाग के रूप में राहतें/रियायतें दिए जाने हेतु कतिपय व्यापक मानदण्ड विकसित किए गए हैं। रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों के वैयक्तिक मामलों को राज्य स्तरीय अंतर सांस्थानिक समिति की बैठक में निपटाया जाना होता है।

विवरण-I

1995-97 (अ) के दौरान बंदियों तथा प्रभावित कामगारों की राज्यवार संख्या

	1995		1996		1997	
	क	ख	क	ख	क	ख
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	1	64
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
असम	–	–	–	–	–	–
बिहार	1	90	2	45	2	43
गोवा	4	141	2	73	2	71
गुजरात	27	5,950	11	337	8	299
हरियाणा	6	229	15	880	–	–
हिमाचल प्रदेश	..		–	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	..		–	–	–	–
कर्नाटक	1	8	–	–	2	159
केरल	1	60	1	13	3	53
मध्य प्रदेश	–	–	7	588	2	2,688
महाराष्ट्र	33	657	2	87	7	207
मणिपुर	–	–	–	–	–	–
मेघालय	–	–	–	–	–	–
मिजोरम	–	–	–	–	–	–
नागालैंड	–	–	–	–	–	–
	3	106	7	209	4	352
	–	–	1	56	1	19
राजस्थान	4	94	9	1,294	8	1,469
सिक्किम	–	–	–	–		
तमिलनाडु	4	–	93	4,816	2	176
त्रिपुरा	34	2,730	24	1,082	55	3,247
उत्तर प्रदेश	11	3,615	19	1,802	22	3,003
पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–
चण्डीगढ़	40	598	2	12		
दादरा और नागर हवेली	1	16	–	–	–	–
दिल्ली	–	–	–	–	2	192
दमन व दीव	–	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
पॉण्डीचेरी	17	201	9	96	17	320
कुल योग	183	14495	204	11390	138	12362

क = बंद इकाइयों की संख्या
ख = प्रभावित कामगारों की संख्या
– = शून्य
.. = उपलब्ध नहीं
(अ) = अनंतिम
स्रोत = श्रम ब्यूरो, शिमला

विवरण-II

31.3.1997 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संस्थानों द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों तथा गैर लघु औद्योगिक इकाईयों, रुग्ण तथा कमजोर औद्योगिक इकाइयों को अग्रिम प्रदत्त बकाया बैंक ऋण

भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक	विदेशी बैंक
1	2
भारतीय स्टेट बैंक	अल्जीमीन
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	एम.एक्स.
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	अमेरिका
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	पैरिस
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	चार्टर्ड
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	सिटी बैंक
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	हांगकांग
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	मित्सु
राष्ट्रीयकृत बैंक	ग्रिंडलेज सोसाइटे जी
बड़ौदा	ओमान इंटेल
इलाहाबाद	
बी.ओ.आई.	
बी.ओ.एम.	
कैनरा	
देना	
इंडियन	
आई.ओ.बी.	
सी.बी.आई.	
यूनियन	
पंजाब नैशनल बैंक	
युनाइटेड	
यू.सी.ओ.	
सिंडिकेट	
आंध्रा	

1	2
कॉर्पोरेशन	
ओरिएंटल	
पंजाब एण्ड सिंध	
विजया	
भारतीय निजी क्षेत्र वाणिज्यिक बैंक	
यू.टी.आई.	
मदुरा	
राजस्थान	
एस.बी.आई. - सी.आई.बी.	
कैथोलिक	
सांगली	
फेडरल	
कर्नाटक	
विश्य	
यू.एन.आई. वेस्ट	
एस. इंडियन	
भारत	
लक्स विलास	
करूर विश	
बरेली	

महाराष्ट्र द्वारा कल्याण निधि का उपयोग किया जाना

2001. **श्री वत्ता मेघे** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष से दिए गए धन का उपयोग कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार को राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष से कोई धनराशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मातृक मौतें

2002. **श्रीमती मीरा कुमार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मातृक मौतें भयानक रूप से, यहां तक कि श्रीलंका और बंगलादेश जैसे देशों में तुलना में भी काफी अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए धन प्रदान किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वलित एजिलमलाई) : (क) भारत में मातृ मृत्यु दर अनुपात प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 420 है, जबकि बंगला देश में यह 390 है और श्रीलंका में यह 40 है। (स्रोत-क्षेत्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 1997 विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र)

(ख) भारत में मातृ मृत्यु दर के कोई वार्षिक राज्यवार अनुमान नहीं हैं। 1992-93 में किए गए नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से (एन.एफ.एच.एस.) भारत में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 437 मातृ मृत्यु दर के अनुमान का पता चलता है।

(ग) जी, हाँ। महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार और मातृत्व, नवजात व शिशु मृत्यु दरों को कम करने के उद्देश्य के साथ 1992-93 में राष्ट्रीय शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम शुरू किया गया था। शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के लिए 1992-93 से 1997-98 की अवधि के लिए 135231.29 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। अक्तूबर, 1997 में शुरू किए गए प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व के अधीन कवर किए गए घटकों को शामिल करके और उन्हें सुदृढ़ बनाते हुए दो अतिरिक्त घटक अर्थात प्रजनक पथ संक्रमण/यौन संचारित संक्रमण और सुरक्षित चिकित्सीय गर्भसमापन भी शामिल हैं। 1997-98 के दौरान प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को 10628.63 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

(घ) राज्यवार ब्यौरा विवरण-I और विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम 1992-93 से 1997-98 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई सहायता (वस्तुओं के रूप में और नकद)

(रुपये लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	593.33	933.15	1521.77	1769.09	2033.24	1844.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.32	22.62	55.73	142.39	68.80	109.25
3.	असम	366.99	524.33	1106.12	971.02	886.74	1172.79
4.	बिहार	721.10	1301.43	2494.33	2439.17	2898.35	2767.41
5.	गोवा	15.85	17.54	24.98	35.52	35.09	34.88
6.	गुजरात	486.44	730.19	1022.46	1222.94	1360.54	1322.72
7.	हरियाणा	269.74	336.92	489.47	632.82	592.40	576.18
8.	हिमाचल प्रदेश	122.54	182.00	235.15	252.14	297.49	303.65
9.	जम्मू व कश्मीर	88.04	228.95	274.76	362.53	295.13	293.16
10.	कर्नाटक	494.02	798.63	1133.84	1392.09	1635.84	1179.81
11.	केरल	294.27	472.84	723.33	770.43	777.03	960.02
12.	मध्य प्रदेश	886.23	1383.17	2518.37	2575.75	2771.73	2755.40
13.	महाराष्ट्र	676.40	1145.95	1638.46	2380.53	2766.12	1885.32
14.	मणिपुर	46.85	72.31	86.11	137.08	88.25	147.62
15.	मेघालय	41.03	45.89	56.91	107.60	84.85	105.46
16.	मिजोरम	24.69	25.69	28.69	65.51	50.36	84.07
17.	नागालैंड	35.33	36.72	44.24	100.10	71.43	81.59
18.	उड़ीसा	400.97	676.24	1330.37	996.53	1145.60	1148.88
19.	पंजाब	263.34	404.60	491.38	734.41	729.55	727.85
20.	राजस्थान	608.14	1091.24	2076.07	1783.84	2369.33	1604.56
21.	सिक्किम	18.25	21.50	23.76	47.37	35.29	52.81
22.	तमिलनाडु	573.45	978.38	1274.75	1676.26	1996.55	1622.13
23.	त्रिपुरा	34.65	56.50	77.12	97.14	106.79	125.29
24.	उत्तर प्रदेश	1599.55	2357.80	4558.07	4723.80	5473.95	3860.50
25.	पश्चिम बंगाल	739.02	845.12	1253.02	1788.04	1953.99	2341.29
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.60	6.69	6.07	28.56	21.29	26.46

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	चण्डीगढ़	4.94	5.85	11.93	27.63	23.19	14.80
28.	दादरा व नगर हवेली	1.56	2.93	9.81	11.35	10.99	10.00
29.	दिल्ली	55.30	137.91	284.72	250.17	239.84	275.71
30.	दमन व दीव	1.81	14.33	1.28	11.43	9.53	16.04
31.	लक्षद्वीप	3.38	1.73	1.02	10.71	7.03	8.29
32.	पांडिचेरी	26.18	20.51	26.12	40.46	24.07	44.60
कुल		9523.22	14879.66	24880.21	27584.41	30860.38	27503.41

(आंकड़े अनंतिम हैं)

टिप्पणी : (क) 1992-93 के दौरान बाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज की गई राशि शामिल हैं।

(ख) 1995-96 से 1997-98 के दौरान पी.पी.आई. के लिए रिलीज की गई निधियां शामिल नहीं हैं।

विवरण-II

प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997-98 के दौरान प्रदान की गई निधियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		राष्ट्रीय घटक	उप-परियोजनाएं	कुल योग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	40479831.00	31875000.00	72354831.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	13865826.00		13865826.00
3.	असम	37025883.00		37025883.00
4.	बिहार	55936120.00		55936120.00
5.	गोवा	3169895.00		3169895.00
6.	गुजरात	34912629.00	22500000.00	57412629.00
7.	हरियाणा	42110557.00	24800000.00	66910557.00
8.	हिमाचल प्रदेश	15724836.00		15724836.00
9.	जम्मू व कश्मीर	19323289.00		19323289.00
10.	कर्नाटक	32963323.00	23400000.00	56363323.00
11.	केरल	18104943.00	17500000.00	35604943.00
12.	मध्य प्रदेश	79968836.00	12500000.00	92468836.00
13.	महाराष्ट्र	42284165.00	22500000.00	64784165.00
14.	मणिपुर	7079730.00	5000000.00	12079730.00
15.	मेघालय	12135796.00		12135796.00
16.	मिजोरम	5225811.00		5225811.00
17.	नागालैंड	8497853.00		8497853.00

1 2	3	4	5
18. उड़ीसा	35766445.00	12500000.00	48266445.00
19. पंजाब	24204206.00	22500000.00	46704206.00
20. राजस्थान	44792744.00	40000000.00	84792744.00
21. सिक्किम	5459910.00		5459910.00
22. तमिलनाडु	39513792.00	50000000.00	89513792.00
23. त्रिपुरा	5715676.00		5715676.00
24. उत्तर प्रदेश	110047910.00		110047910.00
25. पश्चिम बंगाल	28263098.00		28263098.00
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	.00		.00
27. चंडीगढ़	2065976.00		2065976.00
28. दादरा व नगर हवेली	.00		.00
29. दिल्ली	5117973.00		5117973.00
[illegible] व द्वीव	2199850.00		2199850.00
[illegible]प	.00		.00
32. पांडिचेरी	5831952.00		5831952.00
कुल	777788855.00	285075000.00	1062863855.00

[हिन्दी]

सिक्किम को संरक्षण

2003. श्री भीम दाहाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की धारा 371 च के अंतर्गत सरकार सिक्किम के प्राचीन/पारंपरिक नियमों को दिए गए सरंक्षण को समाप्त करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सिक्किम से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 371-च में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी नागरिक

2004. श्री अजीत जोगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने इन विदेशी नगारिकों को उनके देश वापिस भेजने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन, देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने, उनका पता लगाने और वापस भेजने की केन्द्र सरकार की शक्तियां, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं, और ऐसे आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार, पड़ौसी देशों से चोरी-छिपे भारत में घुसकर देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों से संबंधित समस्या से अवगत है। देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की शिनाख्त करने और उन्हें वापस भेजने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए हैं/दोहराए गए हैं।

[अनुवाद]

परिवार कल्याण परियोजनाएं

2005. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में परिवार कल्याण परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान क्या उपलब्धियां रहीं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वजित एजिलमजाई) : (क) से (ग) विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत जनसंख्या परियोजना पूरे असम राज्य में 16 जून, 1994 से सात वर्ष की अवधि के लिए 101.22 करोड़ रुपये की कुल लागत से कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अधीन 800 केन्द्रों के लक्ष्य के मुकाबले 336 उपकेन्द्रों और 163 स्टाफ क्वार्टरों के लक्ष्य के मुकाबले 84 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया है। अन्य 247 उप केन्द्रों और 62 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा 100 राज्य औषधालयों के लक्ष्य के मुकाबले 48 मौजूदा राज्य औषधालयों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में उन्नयन किया गया है। उसी प्रकार 37 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों के लक्ष्य में से 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों का प्रथम रेफरल एककों के रूप में उन्नयन किया गया है। असम राज्य ने अब तक 30.4.1998 की स्थिति के अनुसार परियोजना के अधीन 38.51 करोड़ रुपये का व्यय किया है।

उर्वरक परियोजनाएं

2006. श्रीमती जयाबहन भरत कुमार ठक्कर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में स्थापित की गई उर्वरक परियोजनाओं का तिथि-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी इकाइयों का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य कितना है और उन्हें उपलब्ध कराई गई रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र में स्थापित ऐसी इकाइयों की संख्या कितनी है जिनमें विदेशी पूंजी निवेश किया गया है और वह कुल राशि का कितना प्रतिशत है;

(घ) क्या सरकार ने निजी उर्वरक उत्पादकों के समक्ष ऐसी इकाइयां स्थापित करने का स्थान चयन करने का कोई विकल्प रखा है; और

(ङ) उन निजी पूंजी निवेशकों के नाम क्या हैं जिन्होंने उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात में ऐसी उर्वरक इकाइयां लगाने हेतु आवेदन किया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए गए उर्वरक परियोजनाओं के आज की तारीख तक के उनके उत्पादन लक्ष्य के राज्य-वार ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिए गए हैं।

सामान्य रूप से उर्वरक परियोजनाओं को निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध हैं :

(i) नए संयंत्रों की स्थापना विद्यमान एककों के आधुनिकीकरण करने के लिए पूंजीगत मालों का शुल्क मुक्त निर्यात।

(ii) उर्वरक परियोजनाओं को पूंजीगत मालों के स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं को निर्यात समलाभ बशर्ते की ऐसी आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली पद्धति के तहत की जाए।

(iii) उर्वरक कच्चे मालों तथा मध्यवर्तियों का शुल्कमुक्त आयात।

(iv) यूरिया पर वर्तमान में लागू प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता स्कीम के तहत उद्यमियों को निवेश पर उचित लाभ।

(ग) चेन्नई स्थिति मै० मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० नामक सार्वजनिक क्षेत्र के एक एकक में विदेशी पूंजी सहभागिता है। इस कंपनी के 25.44% शेयर ईरान की मै० नेशनल इरानियन आयल कम्पनी के पास हैं।

(घ) और (ङ) दिनांक 24.7.1991 को घोषित की गई औद्योगिक नीति के अनुसार उर्वरक संयंत्रों की किसी भी स्थान पर स्थापना की जा सकती है बशर्ते कि (क) स्थल, 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर से 25 कि.मी. के भीतर नहीं है। (यदि यह एक पूर्व निर्धारित औद्योगिक क्षेत्र नहीं है); और (ख) यह पर्यावरण कानूनों, जोनिंग और भू-उपयोग विनियमों को पूरा करता हो।

इस नीति के अनुसार, नए उर्वरक संयंत्र की स्थापना हेतु निजी निवेशकों द्वारा सरकार को आवेदन किया जाना अपेक्षित नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित निजी निवेशकों ने बड़े उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का अपना इरादा अभिव्यक्त करते हुए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं :

क्र. सं.	निजी निवेशक का नाम	राज्य
1.	मै० ओसवाल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	उड़ीसा
2.	मै० रिलाएन्स इंडस्ट्रीज लि०	गुजरात
3.	मै० इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन लि०	गुजरात

विवरण

1997-98 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उर्वरकों का उत्पादन का एककवार, राज्यवार, तथा क्षेत्रवार लक्ष्य

("000" मी० टन)

क्षेत्र/राज्य/एकक का नाम	उत्पाद का नाम	लक्ष्य : 1997-98			उत्पादन : 1997-98		
		मात्रा	एन.	पी.	मात्रा	एन.	पी.
1	2	3	4	5	6	7	8
दक्षिण क्षेत्र (आन्ध्र प्रदेश)	यूरिया	110.0	50.6	0.0	101.4	46.6	0.0
एफ.सी. रामागुन्डम	ए/एस	43.3	9.1	0.0	44.0	9.2	0.0
उप-उत्पाद							
राज्य-योग		153.3	59.7	0.0	145.4	55.9	0.0
केरल							
फैक्ट-उद्योगमण्डल	ए/एस	210.0	44.1	0.0	184.5	38.7	0.0
	20:20	140.0	28.0	28.0	124.1	24.8	24.8
	योग यूरिया	350.0	12.1	28.0	308.6	63.6	24.8
फैक्ट-कोचिन-I		274.0	126.0	0.0	274.2	126.1	0.0
फैक्ट-कोचिन-II	20:20	510.0	102.0	102.0	517.6	103.5	103.5
	डी.ए.पी.	20.0	3.6	9.2	0.3	0.1	0.1
	योग	530.0	105.6	111.2	517.9	103.6	103.7
राज्य-योग		1154.0	303.7	139.2	1100.7	293.3	128.5
एफ.एफ.एल.-चैन्नई	यूरिया	245.0	112.7	0.0	62.7	28.8	0.0
	डी.ए.पी.	100.0	18.0	46.0	10.2	1.8	4.7
	14:28:14	100.0	14.0	28.0	10.3	1.4	2.9
	14:35:14	0.0	0.0	0.0	7.3	1.0	2.6
	17:17:17	566.0	96.2	96.2	430.9	73.3	73.3
	19:19:19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एम.एफ.एल.-चैन्नई	योग	1011.0	240.9	170.2	521.4	106.4	83.4
एन.एल.सी.-नेवली	यूरिया	124.0	57.0	0.0	102.7	47.2	0.0
राज्य-योग		1135.0	298.0	170.2	624.1	153.6	83.4
दक्षिण-क्षेत्र योग :		2442.3	661.4	309.4	1870.2	502.8	211.9
पश्चिम क्षेत्र							
मध्य प्रदेश							
एन.एफ.एल.-विजयपुर	यूरिया	788.6	352.8	0.0	851.4	391.6	0.0
एन.एफ.एल.-विजयपुर (विस्तार)	यूरिया	699.0	321.5	0.0	810.3	372.7	0.0
उप-उत्पाद	ए/एस	10.0	2.1	0.0	5.6	1.2	0.0
राज्य-योग		1497.6	686.4	0.0	1667.3	765.6	0.0
महाराष्ट्र							
आर.सी.एफ. ट्राम्बे	यूरिया	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15:15:15	360.0	54.0	54.0	331.7	49.8	49.8
आर.सी.एफ.-ट्राम्बे-IV	20:7:20:7	300.0	52.1	62.1	246.8	51.1	51.1
आर.सी.एफ.-ट्राम्बे-V	यूरिया	330.0	151.8	0.0	316.9	145.8	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
आर.सी.एफ.-थाल	यूरिया	1290.0	593.4	0.0	1401.8	644.8	0.0
आर.सी.एफ.-योग		2280.0	861.3	116.1	2297.2	891.4	100.8
एस.एस.पी. यूनिट्स	एस.एस.पी.	50.0	0.0	8.0	28.9	0.0	4.6
राज्य योग		2330.0	861.3	124.1	2326.1	891.4	105.5
राजस्थान							
एच.सी.एल.-खेतड़ी	एस.एस.पी.	30.0	0.0	4.8	16.3	0.0	2.6
पी.पी.सी.एल.-संलावीपूरा	एस.एस.पी.	80.0	0.0	12.8	87.0	0.0	10.7
राज्य-योग		110.0	0.0	17.6	83.3	0.0	13.3
पश्चिम-क्षेत्र योग		3937.6	1547.7	141.7	4076.7	1657.0	118.8
पूर्वी क्षेत्र							
बिहार							
एफ.सी.आई.-सिन्दरी	यूरिया	245.0	112.7	0.0	208.4	95.9	0.0
एच.एफ.सी.आई.-बरौनी	यूरिया	50.0	23.0	0.0	40.5	18.6	0.0
पी.पी.सी.एल.-अमझौर	एस.एस.पी.	210.0	0.0	33.6	205.3	0.0	32.8
उप-उत्पाद	ए/एस	36.3	7.6	0.0	41.2	8.7	0.0
राज्य योग		541.3	143.3	33.6	495.4	123.1	32.8
उड़ीसा							
एफ.सी.आई.-तालचर	यूरिया	100.0	46.0	0.0	100.0	46.0	0.0
सेल-राऊरकेला	सी.ए.एन.	174.0	43.5	0.0	94.9	23.7	0.0
पी.पी.एल.-पारादीप	डी.ए.पी.	616.0	110.9	283.4	776.1	139.7	357.0
	10:26:26	50.0	5.0	13.0	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	75.0	9.0	24.0	23.6	2.8	7.6
	योग	741.0	124.9	320.4	799.7	142.5	364.6
उप-उत्पाद	ए/एस	8.0	1.7	0.0	6.6	1.4	0.0
राज्य योग		1023.0	216.1	320.4	1001.2	213.6	364.6
पश्चिम बंगाल							
एफ.एफ.सी.-दुर्गापुर	यूरिया	50.0	23.0	0.0	3.3	1.5	0.0
उप-उत्पाद	ए/एस	32.4	6.8	0.0	7.8	1.6	0.0
राज्य योग		82.4	29.8	0.0	11.1	3.2	0.0
आसाम							
एच.एफ.सी.-नामरूप-I	ए/एस	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एच.एफ.सी.-नामरूप-II	यूरिया	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एच.एफ.सी.-नामरूप-III	यूरिया	210.0	96.6	0.0	197.0	90.6	0.0
एस.एस.पी. यूनिटस	एस.एस.पी.		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0							
राज्य योग		210.0	96.6	0.0	197.0	90.6	0.0
पूर्वी क्षेत्र योग		1856.7	485.8	354.0	1704.7	430.6	397.4
उत्तर क्षेत्र							
हरियाणा							
एन.एफ.एल.-पानीपत	यूरिया	511.5	235.3	0.0	562.3	258.7	0.0
राज्य योग		511.5	235.3	0.0	562.3	258.7	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
पंजाब							
एन.एफ.एल.–नांगल–I	सी.ए.एन.	232.5	58.1	0.0	175.7	43.9	0.0
एन.एफ.एल.–नांगल–II	यूरिया	350.0	161.0	0.0	406.4	186.9	0.0
एन.एफ.एल.–भटिंडा	यूरिया	511.5	235.3	0.0	567.4	261.0	0.0
राज्य योग		1094.0	454.4	0.0	1149.5	491.9	0.0
उत्तर प्रदेश							
एफ.सी.आई.–गोरखपुर	यूरिया	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
राज्य योग		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
उत्तर क्षेत्र योग		1605.5	689.7	0.0	1711.8	750.5	0.0
कुल योग		9842.1	3384.6	805.1	9363.4	3340.9	728.1
दक्षिणी क्षेत्र							
आन्ध्र प्रदेश		153.3	59.7	0.0	145.4	55.9	0.0
केरल		1154.0	303.7	139.2	1100.7	293.3	128.5
तमिलनाडु		1135.0	298.0	170.2	624.1	153.6	83.4
योग (दक्षिणी क्षेत्र)		2442.3	661.4	309.4	1870.2	502.8	211.9
पश्चिमी क्षेत्र							
मध्य प्रदेश		1497.6	686.4	0.0	1667.3	765.6	0.0
महाराष्ट्र		2330.0	861.3	124.1	2326.1	891.4	105.5
राजस्थान		110.0	0.0	17.6	83.3	0.0	13.3
योग (पश्चिमी क्षेत्र)		3937.8	1547.7	141.7	4076.7	1657.0	118.8
पूर्वी क्षेत्र							
बिहार		541.3	143.3	33.6	495.4	123.1	32.8
उड़ीसा		1023.0	216.1	320.4	1001.2	213.6	364.6
पश्चिम बंगाल		82.4	29.8	0.0	11.1	3.2	0.0
आसाम		210.0	96.6	0.0	197.0	90.6	0.0
योग (पूर्वी क्षेत्र)		1856.7	485.8	354.0	1704.7	430.6	397.4
उत्तरी क्षेत्र							
हरियाणा		511.5	235.3	0.0	562.3	258.7	0.0
पंजाब		1094.0	454.4	0.0	1149.5	491.9	0.0
उत्तर प्रदेश		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
योग उत्तरी (क्षेत्र)		1605.5	689.7	0.0	1711.8	750.5	0.0
कुल योग		9842.1	3384.6	805.1	9363.4	3340.9	728.1

एड्स के मरीजों का पुनर्वास

2007. डॉ० उल्हास वासुदेव पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी तक एड्स के कुल कितने मामले दर्ज किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार एड्स के मरीजों के पुनर्वास में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों को सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन मरीजों के पुनर्वास के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबित एनिङ्गमलाई) : (क) अप्रैल, 1998 तक दर्ज किए गए एड्स के कुल रोगियों की संख्या 5209 है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। फिर भी अस्पतालों की स्थापना करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सुविधाएं मुहैया कराने पर सरकार विचार कर रही है ताकि अन्त्यक रोग से पीड़ित रोगियों, जो सामाजिक रूप से निःसहाय हों, का चिकित्सीय उपचार किया जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

होमगार्ड में भर्ती

2008. श्री कीर्ति वर्धन सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस में होम गार्ड में भर्ती होने के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता क्या है;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस में निरक्षर व्यक्तियों को भी भर्ती किया जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और दिल्ली पुलिस में भर्ती किए गए निरक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या दिल्ली पुलिस ने होम गार्ड में भर्ती के लिए नए नियम बनाए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) इस समय, दिल्ली पुलिस में होम गार्डों की भर्ती की कोई प्रणाली नहीं है।

(ख) और (ग) वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार, किसी भी अशिक्षित व्यक्ति को पुलिस कर्मी के रूप में दिल्ली पुलिस में भर्ती नहीं किया जा सकता। तथापि, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन से पूर्व, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में अभी भी 14 अशिक्षित कांस्टेबल कार्य कर रहे हैं।

नियमों में, ग्रुप ''घ'' के कुछ पदों पर अशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान है। अतः इस समय दिल्ली पुलिस के रोल पर 587 अशिक्षित ग्रुप ''घ'' कर्मचारी (गैर पुलिस कर्मी) कार्य कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पदों के लिए भर्ती नियमों में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

डॉक्टर पति-पत्नी की तैनाती

2009. श्री भगवान शंकर रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निदेशानुसार सरकारी नौकरी में कार्यरत पति-पत्नी की नियुक्ति एक ही स्थान पर की जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरियों में कार्यरत डाक्टरों विशेष रूप से सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी, गुड़गांव में, कार्यरत डॉक्टरों से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निदेशों का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3.4.1986 के कार्यालय ज्ञापन में एक ही स्टेशन पर तैनाती के लिए पतियों/पत्नियों के अनुरोधों पर विचार करने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं।

(ग) से (च) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, गुड़गांव में इस समय तैनात एक डाक्टर ने भुवनेश्वर में तैनात करने का अनुरोध किया है और इस अनुरोध पर प्रशासकीय आवश्यकताओं और जनहित को ध्यान में रखकर विचार किया जायेगा।

केरल/तमिलनाडु को विश्व बैंक की सहायता

2010. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल तथा तमिलनाडु राज्य सरकारों से द्वितीयक स्वास्थ्य प्रणाली के उन्नयन तथा पुनर्गठन हेतु विश्व बैंक से सहायता लेने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को विश्व बैंक के पास अग्रेसित कर दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो परियोजना की व्यवहार्यता जानने के लिए विश्व बैंक के अधिकारियों द्वारा किए गए दौरों का तथा इन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने विश्व बैंक सहायता से द्वितीयक स्वास्थ्य पद्धतियों के उन्नयन का वित्त पोषण करने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं।

(ग) और (घ) 1995 में परियोजनाओं को तैयार करने के लिए पहले ही चुने गए राज्यों के अलावा उन राज्यों में नई परियोजनाएं

शुरू करने का निर्णय लिया गया था जिनमें स्वास्थ्य संकेतक अपेक्षाकृत कम थे। उन परियोजनाओं, जिनकी पहले ही समीक्षा की जा रही है को विचार विमर्श के लिए उपयुक्तता प्रमाणित हो जाने के बाद ही अन्य परियोजनाओं को प्रस्तुत किया जा सकता है।

राज्य परियोजनाएं विश्व बैंक के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करके विकसित की जाती हैं और पिछले अनुभव से पता चला है कि राज्य द्वारा परियोजनाओं की अभिकल्पना और बनाने पर लिए गए समय पर निर्भर करते हुए इन्हें फलीभूत होने में 12 से 24 महीने लग जाते हैं। इसके साथ बैंक अधिकारियों ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे उन राज्यों का दौरा किया है जिनमें राज्य स्वास्थ्य पद्धति परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

2011. श्री विजय गोयल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार में लाने का

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को सौंप दिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 239-क क के अधीन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा को राज्य सूची की प्रविष्टि-I (लोक व्यवस्था-2 पुलिस) और 18 (भूमि) से संबद्ध मामलों को छोड़कर, राज्य सूची अथवा मामले संवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी मामले, जहां तक ऐसा कोई भी मामला संघ शासित क्षेत्रों पर लागू होता है, के संबंध में संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (जो कि एक केन्द्रीय अधिनियम है) तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण, दोनों केन्द्र सरकार द्वारा शासित किए जाते हैं। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

गुटका पर प्रतिबंध

2012. डॉ0 टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान सभा ने "गुटका" की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कदम उठाने हेतु केन्द्र से अनुरोध करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश के विधानमंडल (प्रश्न) सचिवालय ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को दिनांक 9.9.1996 को एक पत्र लिखा और उसकी एक प्रतिलिपि उस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जिसमें यह सूचित किया गया कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने "जनस्वास्थ्य पर गुटका के दुष्प्रभाव" के बारे में श्री बालरेड्डी और अन्यों द्वारा दिए गए एक नोटिस को स्वीकार कर लिया है। उसके बाद आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 31.12.1996 के पत्र द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया कि पान मसाला/गुटका, जर्दा, खाने वाले तम्बाकू के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की संभाव्यता को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् से विचा करके जांच की जा सकती है।

(घ) सरकार ने अभी तक गुटका पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है।

आन्ध्र प्रदेश में अन्धता निवारण परियोजना हेतु विश्व बैंक सहायता

2013. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही अन्धता निवारण परियोजना, इस समय आन्ध्र प्रदेश में अधिक सफल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने मोतियाबिन्द के ऑपरेशन किए गए;

(ग) यह निर्धारित लक्ष्य से कितना अधिक है;

(घ) उन जगहों का विवरण क्या है जहां मोतियाबिन्द ऑपरेशन किए गए;

(ङ) आन्ध्र प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने अन्धेपन के मामले बचे हुए हैं;

(च) आन्ध्र प्रदेश में अन्धापन बढ़ने के मुख्य कारण क्या-क्या हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस रोग को समाप्त करने हेतु क्या अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) विश्व बैंक सहायता प्राप्त मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता निवारण परियोजना के क्रियान्वयन में आन्ध्र प्रदेश का निष्पादन मोतियाबिन्द सर्जरी के लक्ष्यों की प्राप्ति में अन्य परियोजना राज्यों की तुलना में द्वितीय सर्वोच्चता पर है।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान, 2,46,000 के लक्ष्य की तुलना में 2,95,735 मोतियाबिन्द सर्जरियां की गई।

(घ) मोतियाबिन्द सर्जरियां जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, जिला मोबाइल एककों, निजी अस्पतालों और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों और नेत्र शिविरों में की गई।

(ङ) और (च) वर्ष 1997-98 के दौरान किए गए त्वरित मूल्यांकन सर्वेक्षण के अनुसार 50-59 आयुवर्ग में दृष्टिहीनता की व्याप्तता में 16 प्रतिशत की कमी तथा 60-69 आयुवर्ग में 24 प्रतिशत की कमी सूचित की गई। इस प्रकार की जनसंख्या की 1.5 प्रतिशत सामान्य दृष्टिहीनता व्याप्तता दर की तुलना में यह अनुमान किया गया है। कि आन्ध्र प्रदेश में यह जनसंख्या का 1.24 प्रतिशत हो सकती है। मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता में वृद्धि वयोवृद्धों प्रौढ़ों की जनसंख्या में वृद्धि के कारण हैं क्योंकि मोतियाबिन्द एक व्यपजनक रोग है जो कि मुख्यतः वृद्ध आयुवर्गों में होता है।

(छ) मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है परन्तु नियंत्रित किया जा सकता है। अतः विश्व बैंक सहायता प्राप्त मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा केन्द्रों में क्षमता को मजबूत बनाना अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का उन्नयन, अन्तर्क्षेत्रीय सहयोग और सूचना शिक्षा संचार सेवाओं में बढ़ोतरी, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोयायटी को मजबूत करना तथा मोतियाबिन्द सर्जरी की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करना परियोजना, राज्यों में क्रियान्वित किए जा रहे कुछ क्रियाकलाप हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् की दुकानें

2014. डॉ0 विजय सोनकर शास्त्री : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् की कितनी दुकानों की बिक्री/खरीद नियमित की गई;

(ख) क्या इन दुकानों के स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् की दुकानों को नियमित करने/खाली कराये जाने की समीक्षा का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अपनी दुकानों का आवंटन, लाइसेंस आधार पर सामान्यतः पांच वर्ष की अवधि के लिए करती है। इन दुकानों का मालिकाना हक हमेशा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के पास होता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ने दुकानों को पुनः किराए पर देने, अथवा वैधानिक उत्तराधिकारी आधार पर, निर्धारित औपचारिकताएं इत्यादि पूरी कर लेने के बाद, 215 दुकानों का लाइसेंस हस्तांतरित किया है।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ने दिसम्बर, 1997 में एक नीतिगत निर्णय लिया है, कि उन सभी मामलों में जहां सम्पदा अधिकारी द्वारा बेदखली आदेश जारी किए हैं, लेकिन किसी अन्य कारणों से आदेशों का पालन नहीं किया जा सका, संबंधित आंवटी को उस अतिक्रमण को हटाने के लिए एक और अंतिम अवसर दिया जाए जिसके आधार पर बेदखली के आदेश पारित किए गए थे, और यदि आवंटी उस अतिक्रमण को हटाने में सफल नहीं होता है तो उन्हें सीधे बेदखल कर दिया जाएगा।

उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाना

2015. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक स्थितियों का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने 15 सूत्री कार्यक्रम के अप्रभावशाली क्रियान्वयन तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर दिए गए सुझाव का भी अध्ययन किया है;

(घ) क्या इस समिति ने गोपाल सिंह पैनल रिपोर्ट 1983 का भी अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हाँ। जून, 1997 में देश में प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा मुकाबला की जा रही समस्याओं पर अनन्य रूप से नए सिरे से व्यापक अध्ययन शुरू करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त अध्ययन समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन इस प्रकार है:-

अध्यक्ष

आ. डॉ0 जेम्स मैसी

सदस्य

1. श्री सोली जे. सरोबजी

2. श्री सईद हमीद

3. डॉ० डेनियल डी. चेटी

4. प्रो० इक्बाल ए. अंसारी

5. डॉ० असगर अली इंजीनियर

6. प्रो० (डॉ०) आंगने लाल

7. प्रो० सतिन्दर सिंह नूर

8. आ० डॉ० जॉन बालामट्टम

9. डॉ० मंजूर आलम

सचिव

आयोग के उप-सचिव (पदेन)

(ग) से (ङ) इस समिति के विचारणीय विषयों में 15 सूत्री कार्यक्रम की भूमिका, उपयोगिता तथा प्रभाव शामिल हैं। सह समिति गोपाल सिंह समिति रिपोर्ट, 1983 पर भी विचार करेगी।

(च) भारत सरकार निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन ही है :

(1) आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग की योजना।

(2) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम। इस निगम की स्थापना सितम्बर, 94 में 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत अंशपूंजी के साथ की गई थी। यह निगम उन अल्पसंख्यकों को जिनकी आय गरीबी की रेखा से दोगुना से नीचे अर्थात 22,000 रुपये वर्ष है स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार क्षेत्र गठन की योजना का कार्यान्वयन तथा अल्पसंख्यकों की बेहतर शिक्षा के लिए मदरसा का आधुनिकीकरण भी कर रही है।

केरल में स्वयंसेवी संगठन

2016. श्री टी. गोविन्दन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन स्वयंसेवी संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) केरल राज्य में उन स्वयंसेवी संगठनों, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय (पहले कल्याण मंत्रालय) द्वारा दी गई वित्तीय सहायता दी गई, के नामों से साथ वर्षवार वित्तीय सहायता की राशि को दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केरल राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	संगठनों के नाम	निर्मुक्त राशि		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
विकलांग व्यक्तियों का कल्याण				
1.	फेथ इंडिया, केरल	1.00	0.50	8.35
2.	एसोसिएशन फार वेलफेयर ऑफ हैण्डीकैप्पड, कालीकट	2.00	-	1.00
3.	केरल स्टेट हैण्डीकैप्पड वेलफेयर एसो. कोजीकोड	-	-	12.00
4.	आशा निलायान, पोनकुन्नम	2.47	2.17	2.57
5.	सेवा भवन सोसायटी, केरल	8.13	8.05	7.72
6.	संजोसे वेलफेयर सेंटर, कोट्टयम	1.50	1.64	1.79
7.	एसटी. कामील्लुस ट्रेनिंग सेंटर, कन्नूर	2.93	2.94	3.55
8.	एलपोनस सोशल सेंटर, ईर्नाकुलम	1.96	2.33	2.58

1 2	3	4	5
9. शांतीभवन सोशल सेंटर, चेल्लाकुंड्डी	4.41	4.37	4.28
10. एफ.आर. तेज्जास इनोट, वयाद	2.78	3.02	-
11. रोटरी इन्स० त्रिवेन्द्रम	7.47	7.52	7.55
12. चैरिटेबल सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ डिस्बलैड प्रिवाम	1.10	1.41	1.47
13. कोट्टयम सोशल सर्विस सोसायटी, कोट्टयम	1.08	1.07	1.19
14. शांतिनीलायम फॉर हैण्डीकैप्पड चिल्ड्रन, कोट्टयम	1.62	1.57	2.36
15. विमला महिला समाजम, केरल	11.81	9.84	10.81
16. वाई.डब्ल्यू.सी.ए. कोल्लाम	1.70	1.29	1.63
17. आल केरल ऐसासिएशन फॉर एमआर. त्रिवेन्द्रम	6.03	6.73	10.54
18. प्रतीक्षा ट्रेनिंग सेंटर, त्रिस्सूर	4.91	5.00	5.16
19. फेथ इंडिया, त्रिवेन्द्रम	18.90	17.74	18.22
20. सोशल सर्विस गुलड आफ एस्सीसी सिस्टरस, एर्नाकुलम	6.33	2.13	2.36
21. चेरूपुसपाम इंडस्ट्रीयल इंसटी. त्रिवेन्द्रम	3.42	3.38	3.46
22. केरल फेड. ऑफ दि ब्लांइड, त्रिवेन्द्रम	9.93	15.41	17.87
23. एसो. फोर दि वेलफेयर ऑफ हैण्डीकैप्पड, कालीकट	8.30	9.78	10.19
24. करथिका नायर स्मारका समिति, मुम्बई	2.26	2.40	-
25. डायरकटेड ऑफ सोशल एक्शन, पालक्काड	5.38	3.13	4.08
26. मैरिन सर्विस सोसायटी, पालक्काड	4.46	4.81	5.05
27. आशा निलायाम, पालाई	2.61	2.49	2.70
28. प्रतीक्षा भवन, इडुक्की	4.50	4.74	4.79
29. एर्नाकुलम वोमेन्स एसोसिएशन	0.24	0.29	-
30. पोप जोहन पाउल पीस होम, त्रिसुर	3.74	4.68	5.79
31. सोशल वेलफयेर सेंटर, त्रिसूर	14.21	18.19	18.89
32. सोशल ऑफ रिहब्ली. ऑफ मैंटली डिफिसिंट चिल्ड्रन, कान्नवे	2.61	2.61	2.37
33. अभय वर्दा नन्दवानम, त्रिवेन्द्रम	2.94	9.42	-
34. सानाथाना एडवेटा आश्रम, त्रिवेन्द्रम	1.17	-	-
35. वाईएमसीए, त्रिरूवल्ला	0.37	-	-
36. आशा किरन, कालीकट	-	2.25	1.12
37. रक्षा समिति, त्रिवेन्द्रम	-	3.79	1.91
38. माडोडना चैरिटेबल सोसाइटी, त्रिसूर	-	2.66	3.07
39. बाल विकास सोसायटी, त्रिवेन्द्रम	-	1.09	2.38

1	2	3	4	5
40.	हैलन केल्लेर इंस्टी. फार वीएच. पालाक्काड	–	0.17	1.76
41.	पोपे पाउल मर्सी होम, त्रिसूर	–	–	1.67
42.	कालीकट इस्लामिक कल्चर कालीकट	–	2.97	–
43.	सेवा निकेतन, कोट्टयम	–	–	1.39
अल्पसंख्यकों का कल्याण				
1.	मुजाहिद एज्यूकेशन ट्रस्ट, कालीकट	–	–	0.25
2.	आश्रिया जनाश्रिया, केरल	–	–	0.55
अनुसूचित जातियों का कल्याण				
1.	मथा अकतीट निन्दयामी मठ, कोल्लम	–	–	1.45
मद्य निषेध तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण				
1.	अभय, त्रिवेन्द्रम	8.24	5.25	7.38
	अल्कोहल एंड ड्रग एडीक्स रिसर्च एंड रिहैबलीटेशन एंड ट्रीटमेंट केन्द्र, कालई, कोट्टयम जिला	3.13	9.42	6.30
3.	कालीकट डिकोकेस सोशल सर्विस सोसायटी, कालीकट	2.44	–	2.68
4.	चांगनचेरी सोशल सर्विस सोसायटी, चांगनचेरी	3.43	–	6.74
5.	डाले विय, पौवाचल, त्रिवेन्यपुरम	4.53	8.68	7.75
6.	इंडियन फिसो सोशल सर्विस सोसायटी, चांनकारा, त्रिवून्थापुरम	1.20	–	2.32
7.	द इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेडी एंड डवल्पमेंट, कोल्लाम	5.63	9.76	5.41
8.	जवाहरलाल मैमोरियल सोशल वेलफेयर पब्लिक को-ओपरेशन सेंटर, थालायोलपारमबु, कोट्टयम	1.22	2.32	2.41
9.	के. वेलयधन मैमोरियल ट्रस्ट, शेरटल्ली	1.04	2.39	3.70
10.	केरल एसोसि. फॉर सोशल एंड वोमेन्स वेलफेयर कोल्लम	1.04	2.39	3.70
11.	कालांकारा ओर्थोडोक्स सयरीएन चर्च मैडिकल मिशन हास्पीटल, कोलेचरी, ईरनाक	2.57	5.29	8.20
12.	मुजाहिद एजूकेशन ट्रस्ट, कालीकट	11.76	8.84	8.38
13.	नारंगसाम रूरल विकास सोसायटी, पथनामथिट्टा जिला	1.28	3.37	2.49
14.	निर्मल निकेतन मुक्ति सदन कोछी	6.22	6.30	6.30
15.	श्री सत्य साई ह्यमन हेलपाज, पाल्लीपोर्ट	6.94	6.30	6.90
16.	सोशल एक्शन फोरम, त्रिसूर	8.78	4.38	13.10
17.	त्रिवेन्द्रापुरम सोशल सर्विस सोसायटी, त्रिवेन्द्रापुरम	3.12	4.68	7.07
18.	सम्पूर्ण रिपोन्स टू अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज, मंगलम, कोट्टयम (टीआरएडीए)	8.44	10.51	8.85

1	2	3	4	5
19.	यूनिटी ग्रुप, कोछि	1.28	3.75	2.46
20.	कोल्लम नाटक वडी, कोल्लम	1.20	0.60	–
21.	सवार्सया समाजम,	0.61	–	0.71
22.	डिवीन ट्रस्ट	0.43	–	–
23.	प्रथीक्षा डी-एडीक्शन केन्द्र, कन्नूर	–	–	3.72
	अनुसूचित जनजाति का कल्याण			
1.	केरल शिक्षार्थ समिति राजधानी बिल्डिंग ईस्ट कोर्ट, त्रिवेन्थापुरम	2.75	0.00	0.00
2.	श्री रामकृष्णा एडविटा आश्रम, पी.ओ. कालडी जिला, इमाकुआम, केरल	7.88	4.96	5.55
3.	हरिजन सेवक संघ, केरल ब्रांच, शांतिनिकेतन, त्रिवेन्थापुरम	5.19	2.64	5.73
4.	विनोबानिकेटान पी.ओ. विनोबानीकेटन जिला – त्रिवेन्थापुरम	9.92	10.28	4.25
5.	स्वामी विवेकानन्द मैडिकल मिशन वयानाद, जिला केरल	1.28	0.69	0.69
6.	अमरीथा नन्दयामी देवी माता पानीपल्ली, केरल	5.14	7.07	7.92
7.	स्वामी निकेतन मैमोरियल बालाथावना, पी.ओ. कायामकुलाम जिला अल्लापुझा, केरल	0.00	0.14	1.99
	वस्तुग्रहण संसाधन एजेंसी को अनुदान			
1.	देना सेवना सभा, केरल	2.76	0.87	2.43
2.	वीसीए, केरल	0.81	0.77	–
	वयोवृद्धों का कल्याण			
1.	वेलफेयर सर्विस ईर्नाकुलम कोछी	2.47	1.87	6.72
2.	इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी एंड विकास, कोल्लम	1.08	2.76	1.01
3.	एसोसिएशन फॉर दि वेलफयेर ऑफ हैण्डीकैप्पड, कालीकट	1.08	–	–
	बेसहारा बच्चों का कल्याण			
1.	त्रिवेन्द्रम डोन बोसको वीडु सोसाइटी, कालीपन कुलम रोड़, त्रिवेन्द्रम	–	9.42	7.05
2.	एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ दि हैण्डीकैप्पड, पी.ओ. बॉक्स सं0 59, कालीकट-673001	3.37	–	5.41
	वृद्धावस्था गृहों का निर्माण			
1.	स्नेह भवन, एसटी. स्टीफनस चैरिटेबल सोसायटी, केरल	–	–	2.50

[हिन्दी]

बिहार के लिए पैकेज

2017. श्री मोतीलाल वोरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री को बिहार को 56000 करोड़ रुपये का पैकेज देने संबंधी कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को अलग-अलग राज्य घोषित किए जाने के बाद और राज्यों को भी इसी तरह के पैकेज देने का है;

(ग) क्या सरकार को 18 अप्रैल, 1998 के पूर्व अथवा पश्चात् अन्य राज्यों में भी छोटे-छोटे राज्य बनाने संबंधी कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने पर [illegible] रही है; और

(च) उत्तराखंड, वनांचल और छत्तीसगढ़ राज्यों के बनने के परिणामस्वरूप कितना वित्तीय भार बढ़ेगा ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (च) वनांचल नामक नये राज्य के गठन की स्थिति में शेष बिहार राज्य के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करते हुए सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस पैकेज में कम से कम 50,000 करोड़ रुपये की एक मुश्त राशि की अदायगी के अलावा कम से कम अगले दस वर्षों तक 1500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष अदायगी करने की मांग की गई है। मामले की जांच की जा रही हैं। प्रस्तावित उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के गठन के संबंध में ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) छोटे राज्य निर्माण राष्ट्रीय मोर्चा से 12.8.1987 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जिसमें 12 राज्यों, अर्थात्, झारखंड, उत्तराखंड, गोरखालैंड, पंचाल प्रदेश (पश्चिमी उत्तर प्रदेश) बोडालैंड, तेलंगाना, पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश), विदर्भ, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, सौराष्ट्र और मालवा का सृजन करने की मांग की गयी है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में लगे ठेका मजदूर

2018. डॉ० जयन्त रंगपी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कुल कितने ठेका मजदूर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर स्थायी तथा वर्षभर रहने वाले कार्य में लगे ऐसे ठेका मजदूरों को वहीं खपाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में कार्यरत ठेका श्रमिकों की कुल संख्या से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) एयर इंडिया सांविधिक निगम आदि बनाम युनाइटेड लेबर यूनियन तथा अन्य के मामले में दिनांक, 6.12.1996 के भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, जहां ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (1) के तहत एक अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा समुचित सरकार द्वारा ठेका श्रम प्रणाली का उत्सादन किया गया है, ठेका श्रम का आत्मसात् करना, प्रधान नियोक्ता की सांविधिक बाध्यता है।

गुजरात में स्वयंसेवी संगठन

2019. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो गुजरात में स्वयंसेवी संगठनों का जिलावार ब्यौरा क्या है जहां उन्हें वित्तपोषित किया गया है;

(ग) गुजरात के भावनगर, अहमदाबाद जिलों में ऐसे संगठनों के नाम व स्थान क्या हैं जहां 1995 से आज तक उन्हें वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की गई है;

(घ) उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक संगठन को कितनी नकद रूप से तथा कितनी राशि अन्य रूप में वित्तीय सहायता मंजूर की गई तथा वितरित की गई;

(ङ) 1998, 1999 और 2000 के दौरान प्रत्येक संगठन के लिए ऐसे प्रावधान हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(च) क्या इन संगठनों द्वारा केन्द्र सरकार से प्राप्त धन का दुरूपयोग किया जा रहा है;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में मामले की जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान निर्मुक्त करने के लिए राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(च) गुजरात राज्य सरकार द्वारा ऐसे कोई मामलों की सूचना नहीं दी गई है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

गुजरात में स्वयंसेवी संगठन

क्र. स.	संगठनों के नाम	1995-96, 96-97, 97-98 के दौरान निर्मुक्त राशि (रुपये लाख में)		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
अहमदाबाद				
1.	ब्लाइंड मनस एसोसिएशन अहमदाबाद	46.00	18.28	22.76
2.	रचनात्मक अभिगुम ट्रस्ट, अहमदाबाद	2.12	2.16	1.98
3.	अंधे अपंग कल्याण केन्द्र, अहमदाबाद	0.67	0.92	1.00
4.	लाइट हाउस फॉर ब्लाइंड, अहमदाबाद	3.55	2.74	3.31
5.	चरीक्षित आश्रम शाला गांधी आश्रम, अहमदाबाद (रन वाई हरिजन सेवा संघ दिल्ली)	6.01	2.36	4.91
6.	गुजरात कलवानी ट्रस्ट, अहमदाबाद	11.72	10.42	9.47
7.	इंडियन कौंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर, अहमदाबाद	1.40	-	5.67
8.	नसबन्धी मंडल, अहमदाबाद	11.23	10.47	23.81
9.	रचनात्मक अभिगाम ट्रस्ट, अहमदाबाद	2.73	2.73	2.73
10.	भारत सेवाश्रम संघ, अहमदाबाद	1.07	1.12	-
11.	गुजरात कलवानी ट्रस्ट, अहमदाबाद	1.08	3.23	2.15
12.	रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट, अहमदाबाद	0.66	1.98	1.32
13.	अखण्डज्योति फाउंडेशन, अहमदाबाद	7.20	6.71	3.01
14.	इंडियन कौंसिल फॉर सोशल वेलफेयर, अहमदाबाद	3.70	11.09	7.39
15.	रचनात्मक अभिगाम ट्रस्ट, अहमदाबाद	7.40	7.39	7.39
भावनगर				
1.	के.एल. इन्स्टीट्यूट ऑफ डीफ, भावनगर	5.31	2.65	1.33
2.	श्री के.एल. इंस्टीट्यूट, भावनगर	2.40	3.75	2.18
वडोदरा				
1.	बी-वन सोसायटी, वडोदरा	1.74	-	9.67
2.	मेडिकल केयर सेंटर, वडोदरा	10.23	8.87	8.76

1	2	3	4	5
सुरेन्द्र नगर				
	श्री डी.एस. परकख डीफ एंड डम्प स्कूल, सुरेन्द्र नगर	0.42	0.43	0.43
2.	विकास विद्यालय सुरेन्द्र नगर	1.62	2.03	–
राजकोट				
1.	सोसायटी फॉर दिय मैन्टली रिटारड, राजकोट	2.02	2.33	2.39
2.	कठीयावर बालाश्रम, राजकोट	1.20	1.11	–
जामनगर				
1.	अधजन विवीध लक्ष्मी केन्द्र, जामनगर	4.20	4.45	3.89
साबरकंथ				
1.	श्री सन्तोक कृपा एज्यूकेशन ट्रस्ट, साबरकंथ	–	–	2.50
बड़ौदा				
1.	एस.सी. पटेल ट्रस्ट, बड़ौदा	6.47	6.53	6.51
	ाम ज्योत ट्रस्ट, बड़ौदा	3.35	6.68	6.90
३.	बड़ौदा सिटीजन कॉउन्सिल, बड़ौदा	3.39	–	4.04
जूनागढ़				
1.	श्री शिशुगंगल ट्रस्ट, जूनागढ़	1.41	–	5.27
बानसकरथा				
1.	श्री सर्वोदय आश्रम, बानसकरथा	7.88	1.92	2.69
2.	श्री मनी लाल गांगाधर पटेल सर्वोदय केन्द्र, बानसकरथा	3.09	1.97	1.54
कच्छ				
1.	ग्राम स्वराज संघ, कच्छ	2.55	1.69	1.88
2.	श्रीमती सुशीलाबेन मनीलाल संघवी मैमोरियल ट्रस्ट, कच्छ	3.10	1.75	3.16
3.	लोक निकेतन, कच्छ	5.86	1.43	4.54

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अस्पताल

2020. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पतालों के निर्मित भवनों की कुल संख्या क्या है और निर्मित भवनों के स्थापना स्थल कौन-कौन से हैं तथा प्रत्येक अस्पताल ने किस तारीख से कार्य करना शुरू कर दिया था;

(ख) प्रत्येक अस्पताल का निर्माण किस वर्ष में हुआ था और प्रत्येक अस्पताल ने किस तारीख से कार्य करना आरम्भ कर दिया था;

(ग) क्या अनेक अस्पतालों के भवनों का निर्माण तीन-चार वर्ष पहले होने के बावजूद वे अभी तक अनुपयोगी पड़े हैं;

(घ) इन भवनों के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ था और इनकी बिस्तर क्षमता कितनी है तथा बहिरंग रोगी विभाग में कितने मरीजों का इलाज होने की संभावना है; और

(ङ) इन अस्पतालों का उपयोग न होने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) से (ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस विभीषिका के पीड़ितों के लिए अस्पताल का निर्माण किया है और राज्य सरकार द्वारा भेजे गए ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	अस्पताल का नाम	स्थान	निर्माण लागत (रु० लाख में)	निर्माण का वर्ष	जिस तारीख को अस्पताल शुरू हुआ	भर्ती किए जाने वाले रोगियों के लिए बिस्तरों की स०	ओ० पी० डी० रोगियों की दैनिक संख्या	टिप्पणी
1.	जवाहर लाल नेहरू अस्पताल	बर्सिया रोड़, भोपाल	302.75	1986	13.1.85	125	851	
2.	पलमोनरी मेडीसन सेन्टर,	जहांगीराबाद, भोपाल	223.82	1993	1.12.94	30	198	
3.	मास्टर लाल सिंह अस्पताल	शाहजहांनाबाद, भोपाल	107.92	1989	29.12.89	30	316	
4.	शाकिर अली खान अस्पताल	नजदीक भारत टाकीज, हमीदिया रोड़, भोपाल	3.21	1988	2.12.85	30	761	
5.	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल	गांव मालीखेड़ी, भोपाल	32.82	1996	31.8.96	10	43	
6.	इंदिरा गांधी महिला एवं बाल चिकित्सालय	नजदीक यादगार शाहजहानी पार्क, सुल्तानिया रोड़	615.96	1994	अभी शुरू किया जाना है।	100	-	परम विशेष सुविधा देने के लिए उपस्कर खरीदे जाने हैं और स्टाफ की नियुक्ति की जानी है।
7.	कमला नेहरू अस्पताल	नजदीक हमनीदिया	-	-	निर्माणाधीन	-	-	

(स्रोत : मध्य प्रदेश सरकार)

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों में निरक्षरता

2021. श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त निरक्षता के प्रतिशत संबंधी तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हाँ। दशवार्षिक जनगणना में भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा साक्षरता तथा निरक्षरता पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। देश में वर्ष 1991 में पिछली जनगणना की गई। वर्ष 1991 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों के लिए साक्षरता दर 37.41% तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए यह दर 29.60 प्रतिशत है।

घुसपैठ

2022. श्री चमन लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश, बर्मा और अन्य देशों से बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक जम्मू में सीमापार की गतिविधियों में शामिल हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल, पुलिस और अन्य द्वारा कितने बांगलादेशी पकड़े गए और मारे गए;

(घ) क्या इन विदेशी नागरिकों को लाने वाले और जम्मू क्षेत्र की ओर ले जाने वाले कोई दलाल गिरफ्तार किए गए हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो उन दलालों की संख्या क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या बंगलादेशियों सहित कई विदेशी नागरिक अवैध रूप ज्य में रह रहे हैं और कुछ ठेकेदारों और निर्माण कम्पनियों काम कर रहे हैं; और

(ज) यदि हाँ, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कीटनाशकों का उत्पादन

2023. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कीटनाशकों का उत्पादन करने वाली कुछ और इकाइयों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य नीति

2024. श्री ए.सी. जोस : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोई नई खाद्य नीति बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों का उत्पादन

2025. श्री के.एस. राव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च और अप्रैल 1988 के दौरान उर्वरकों का संचित उत्पादन संभावना से अधिक हो गया है;

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्पादन लक्ष्य से अधिक है;

(ग) देश में विभिन्न उर्वरकों का क्षमता उपयोग कितना है;

(घ) उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) देश में उर्वरकों का क्षमता उपयोग कितना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) से (ङ) जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है, 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उर्वरक पोषकों का संचित उत्पादन, लक्ष्यों से आगे बढ़ गया है। अप्रैल, 1998 के दौरान, नाइट्रोजन पोषक का लक्ष्य अधिक हो गया था जबकि फास्फेट में सीमान्त गिरावट आ गयी थी। वर्ष 1997-98 तथा अप्रैल, 1998 के दौरान इन दोनों पोषकों के बारे में क्षमता उपयोगिता भी दिखायी गयी है :-

(लाख टन में)

अवधि	उर्वरक पोषक	लक्ष्य	वास्तविक	क्षमता उपयोगिता की प्रतिशतता
1997-98	नाइट्रोजन	96.10	100.86	101.5
	फास्फेट	28.60	29.75	101.7
अप्रैल, 1998	नाइट्रोजन	7.01	7.17	82.0
	फास्फेट	2.20	1.94	79.0

स्वदेशी उर्वरक उत्पादन को इष्टतम बनाने के लिए एक उपयुक्त नीतिगत ढांचा तैयार किया गया है। नीतिगत ढांचे के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं :

(i) घरेलू यूरिया उद्योग को प्रतिधारण मूल्य एवं राजसहायता स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) फीडस्टाक ईंधन, तथा रेल संचलन के संयोजन के लिए उर्वरक उद्योग को सहायता प्रदान की जाती है;

(iii) सरकार की उदारीकरण नीति के एक हिस्से के रूप में उर्वरक संयंत्र को स्थापित करने के लिए सामान्य रूप से कोई औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं है।

(iv) उर्वरक क्षेत्र में निवेश को, अन्य बातों के साथ-साथ आयात शुल्क छूट तथा डीम्ड निर्यात लाभों के रूप में उर्वरक उद्योग के लिए पूंजी माल की आपूर्तियों पर रियायतों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

(v) फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1998-99 के बजट में 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय सार्वजनिक, सहकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों ने उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए रणनीति अपनायी है :

(i) मौजूदा उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/रेट्रोफिटिंग/पुनरूद्धार;

(ii) नेफथा पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करके और मौजूदा संयत्रों तथा कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में दोहरी ईंधन तथा फीडस्टाक सुविधाएं करके प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में बाधाओं को दूर करना;

(iii) प्रचुर तथा सस्ते कच्चे माल संसाधनों वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना करना।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उर्वरक उपक्रमों को वजटीय सहायता भी प्रदान की गयी है ताकि वे अपना उत्पादन जारी रख सकें।

होम्योपैथी चिकित्सकों की कमी

2026. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 5 मई, 1997 और 6 अगस्त, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4630 और 2292 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं और यह जानकारी कब तक एकत्रित कर ली जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) दोनों प्रश्नों के संबंध में दिए गए आश्वासनों को पूरा करने संबंधी सूचना पहले ही एकत्र कर ली गई है और दिनांक 5 मई, 1997 के प्रश्न संख्या 4630 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को 29.5.1998 को पूरा कर दिया गया। कार्यान्यन रिपोर्ट की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। जहां तक 6 अगस्त, 1997 के प्रश्न संख्या 2292 का संबंध है आश्वासन को शीघ्र ही पूरा किया जा रहा है।

विवरण

11वीं लोक सभा 1997 का चतुर्थ सत्र

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय — आश्वासन पूरा करने की तारीख 29.5.1998
भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्यापैथी विभाग

क्र.सं दिनांक व संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया वचन	कैसे पूरा किया गया	विलंब का कारण
1	2	3	4	5
अतारांकित प्रश्न संख्या 4630 दिनांक 5.5.1997 श्री दिलीप संघाणी	होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति (क) दिल्ली के किन अस्पतालों में होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली में बहिरंग रोगी विभाग की शुरूआत की गई है; (ख) कितने स्थानों पर होम्योपैथी के चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है तथा अभी कितने स्थान रिक्त पड़े हैं तथा इनका वेतनमान क्या है; (ग) क्या होम्यापैथी के चार वर्ष के डी. एच.एम.एस. से डिप्लोमा (1980 के पूर्व उत्तीर्ण/पूर्ण) को सरकार द्वारा बी. एच.एम.एस. के समतुल्य मान्यता दी गई है; और	(क) से (घ) के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रखी जायेगी।	(क) जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के द्वारा सूचना दी गई है, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बहिरंग रोगी विभाग नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो कि इसके प्रशासनिक नियंत्रण में है, में चल रहा है। इसके साथ-2 यह सेवा दो गैर सरकारी अस्पतालों सर गंगाराम अस्पताल व बी. आर. सूद चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल में है। केन्द्रीय सरकार के	संबद्ध संगठनों से सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

1	2	3	4	5
	(घ) होम्यापैथी के चिकित्सकों के कितने पद किन-किन स्थानों पर रिक्त पड़े हैं तथा इन पदों को भरने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी तथा इन पर नियुक्तियां कब तक भरने की संभावना है।		अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का बहिरंग रोगी विभाग सफदरजंग अस्पताल में प्रारंभ किया गया है। (ख) विस्तृत जानकारी अनुबंध "क" में है (ग) जी हाँ, केवल सेवाओं हेतु डी डी.एच.एम.एस. (1980 से पूर्व उत्तीर्ण/पूर्ण) बी.एच.एम.एस. के समकक्ष मान्य है। (घ) विस्तृत जानकारी संलग्नक "अ" में है।	

अनुबन्ध - क

प्रश्न के भाग ख और घ के उत्तर में दिल्ली में तैनात होम्योपैथिक डॉक्टरों के ब्योरे को दर्शाने वाला विवरण

संलग्नक 'अ'

I. *केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत*

पदनाम	स्वीकृत पद	वेतनमान (संशोधन पूर्व)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	3	(3700-5000/-रु0)
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	12	(3000-4500/-रु0)
चिकित्सा अधिकारी	15	(2200-4000/-रु0)

II. चिकित्सालय का नाम	नियुक्त चिकित्सकों की संख्या	रिक्त स्थान
1 2	3	4
1. शाहदरा	2	-
2. तिमारपुर	2	1
3. दरियागंज	2	1
4. देवनगर	2	1
5. राजोरी गार्डन	2	-
6. तिलक नगर	2	-
7. रामाकृष्ण पुरम	3	-
8. पुष्प विहार	2	-
9. कालकाजी	2	-
10. रामकृष्ण पुरम सेक्टर-6	2	-
11. कस्तूरबा नगर	2	-
12. काली बाड़ी	1	1
13. साउथ एवेन्यू	2	-
	26	4*

* होम्योपैथी चिकित्सकों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए रिक्वीजीशन केन्द्रीय लोक सेवा आयोग को भेज दी है।

अनुबन्ध-ख

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के होम्योपैथी विभाग के अधीन

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	नियुक्त	रिक्त
1	2	3	4	5	6
अ.	*भा.चि.प. एवं होम्योपेथी निदेशालय (मुख्यालय)*				
1.	उप-निदेशक (होम्योपैथी)	3000-5000/-रु0	1	-	1
2.	सहायक निदेशक (होम्योपैथी)	3000-4500/-रु0	1	1	-
आ.	*नेहरू होम्योपेथी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल*				
1.	मुख्य अध्यापक	3700-5000/-रु0 (+प्रेक्टिसबंदी (भत्ता)	1	1*	-
2.	प्रोफेसर	3000-5000/-रु0 (प्रेक्टिसबंदी भत्ता)	4	-	4

1	2	3	4	5	6
3.	सहायक प्रोफेसर	3000-4500 (प्रेक्टिसबंदी भत्ता)	6	4	2
4.	व्याख्याता	2200-4000/-रु0 (प्रेक्टिसंबदी भत्ता)	6	3X	3
5.	चिकित्सा अधिकारी	2000-3500/-रु0 (प्रेक्टिसबंदी भत्ता)	2	2	–
6.	प्रदर्शक	1640-2900/-रु0 (प्रेक्टिसंवदी भत्ता)	18	17	1
ई.	*होम्योपैथी चिकित्सालय*				
1.	कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2200-3500/-रु0 (प्रेक्टिसबंदी भत्ता)	31	29	2
2.	चिकित्सा अधिकारी	2200-4000/-रु0 (प्रेक्टिसबंदी भत्ता)	16	9X	7

* 9 होम्योपैथी चिकित्सकों को 6000/-रु0 के समेकित वेतन पर 89 दिनों के लिए संविदा आधार पर नियुक्त किया गया।

आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि की दर

2027. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि की दर कम है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा मामलों को शीघ्र निपटाये जाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या पुलिस साक्ष्यों को छिपाने और निर्दोष लोगों को तंग करने के लिए दोषी पाई गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1993 से 1996 तक के वर्षों के दौरान भा.द.सं. के मामलों में दोष सिद्धि की प्रतिशतता निम्नानुसार थी:

वर्ष	दोषसिद्धि दर
1993	45.9%
1994	42.9%
1995	42.1%
1996	37.8%

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। इसलिए अपराध का पंजीकरण, जांच, पता लगाना और रोकथाम करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह देती रही है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सुप्रहित कार्यक्रम, पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण और दोषी पुलिस कर्मियों को निवारक; सजा प्रदान करना शामिल हैं।

मामलों के त्वरित निपटान के लिए केन्द्र सरकार ने विधि आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। विधि मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों और न्याय प्रशासन से संबंधित अन्यों के सम्मेलन सावधिक रूप से आयोजित किए जाते हैं और इस प्रकार के विचार विनिमय और परामर्श के बाद सामने आने वाली सिफारिशों और निष्कर्षों को कार्यान्वित किया जाता है और उनकी प्रगति का गहन प्रबोधन किया जाता है।

[हिन्दी]

ब्राजील के साथ भारत के सम्बन्ध

2028. श्री महेश कनोडिया :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्राजील ने स्वास्थ्य और भेषज विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) यह समझौता कब से लागू होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वलित एजिलमलाई) : (क) जी, हाँ। फीडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील और भारतीय गणतंत्र की सरकार के बीच करार के अन्तर्गत स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर भारत के माननीय राष्ट्रपति की उस देश की राजकीय यात्रा के दौरान हाल ही में 5 मई, 1998 को एक इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट — हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट की मानक शर्तों में भारत और ब्राजील के बीच निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग का प्रस्ताव है-

i. स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल उत्पादों में जैव-प्रौद्योगिकी

ii जानपदिक रोग विज्ञान

iii प्रहरी निगरानी

iv जनस्वास्थ्य प्रणाली प्रबंधन

v पारम्परिक चिकित्सा

vi फार्मेकालोजी और फार्मास्युटिकल्स

vii संक्रामक रोग और परजीवी रोग विज्ञान

viii मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या और परिवार नियोजन

ix व्यावसायिक स्वास्थ्य

x ट्रॉपीकल मेडिसिन

xi दोनों पक्षों के बीच सहमति वाला कोई अन्य क्षेत्र

सहयोग करार को निम्नलिखित प्रकार से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है -

(क) समान क्षेत्रों में सूचना का आदान-प्रदान और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण

(ख) पारस्परिक वैज्ञानिक सहयोग कार्यक्रम आरम्भ करना जिनमें कार्यशालाएं और फार्मास्युटिकल, स्वास्थ्य और चिकित्सीय पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान शामिल है।

(ग) आम सहमति और औपचारिक प्राधिकार से कार्यकलापों के अनुसार वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सूचना का प्रकाशन

(घ) पक्षकारों के बीच सहमत अन्य कोई कार्यक्रम और कार्यकलाप।

(ग) यह इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट 5 मई, 1998 को हस्ताक्षर करने की तारीख से लागू हुआ।

[अनुवाद]

भारत-बांगलादेश सीमा पर संयुक्त चौकसी

2029. श्री रंजीव बिस्वाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत-बांगलादेश सीमा पर संयुक्त चौकसी करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले में बांगलादेश सरकार ने भारत सरकार को कोई सुझाव दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) भारत-बांगलादेश सीमा पर संयुक्त रूप से गश्त लगाने संबंधी कोई भी प्रस्ताव बांगलादेश से नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

एक अंक वाली लाटरियों पर रोक

2030. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके एक अंक वाली लाटरियों पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप कितने लोग बेरोजगार हो जायेंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी तरह की लाटरियों पर रोक लगाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो यह रोक कब तक लग जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) एक अंक वाली और इन्स्टैंट लाटरियों के प्रचलन तथा इनके द्वारा उत्पन्न प्रलोभन अनेकों परिवारों, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए, सर्वनाश का कारण बना है। यह महसूस किया गया कि भोले-भाले गरीब लोगों के हितों के संरक्षण के लिए लाटरियों के संचालन को विनियमित करने के लिए एक केन्द्रीय विधायन का होना अनिवार्य है। मामले की आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए तथा संसद सत्र के चालू न होने के कारण, दिनांक 1.10.1997 को लाटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1997 प्रख्यापित किया गया था। उक्त अध्यादेश के प्रावधानों को सतत् प्रभावी रखने के लिए 30.12.1997 को लाटरी (विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1997 प्रख्यापित किया गया। चूंकि लाटरी (विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1997, दिनांक 5.5.1998 को व्यपगत होने जा रहा था, अतः 23.4.1998 को लाटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1998 प्रख्यापित किया गया।

यह अध्यादेश एक अंक वाली-इन्सटैंट लाटरियों की बिक्री को प्रतिबन्धित करता है। यह अन्य प्रकार की लाटरियों के संचालन और बिक्री को भी विनियमित करता है।

यह अध्यादेश, सामाजिक विधायन का एक भाग स्वरूप है। प्रश्न के भाग (ख) से संबंधित विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों के लिए गैस मूल्य का निर्धारण

2031. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न विद्युत संयंत्रों के लिए निर्धारित गैस के मूल्य क्या-क्या हैं;

(ख) राजस्थान के जैसलमेर जिले में रामगढ़ गैस विद्युत संयंत्र के लिए किस मूल्य पर गैस की आपूर्ति की जाती है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने गैस मूल्य की पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(घ) क्या रामगढ़ स्थित गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र को आपूर्ति की जा रही गैस में उष्मा ऊर्जा/विद्युत उत्पादन में कोई सहयोग न देने वाले नाइट्रोजन गैस की मात्रा बहुत अधिक होती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी और क्या लघु क्षेत्रों में गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उक्त संयंत्र से रियायती दर पर गैस की आपूर्ति के लिए विचार किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) अप्रैल-जून, 1998 की तिमाही के लिए दस हजार किलो कैलोरी प्रति घन मीटर के कैलोरिफिक मूल्य वाली प्राकृतिक गैस का उपभोक्ता मूल्य 2271 रुपए प्रति हजार घन मीटर (एमसीएम) है। तथापि, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का उपभोक्ता मूल्य 1250 रुपए प्रति एमसीएम है और इसमें मामला-दर-मामला आधार पर 300 रुपये प्रति एमसीएम की छूट का प्रावधान है। प्राकृतिक गैस के उपर्युक्त मूल्य में परिवहन प्रभार, रायल्टी और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं।

(ख) रामगढ़ विद्युत संयंत्र हेतु अप्रैल-जून, 1998 की तिमाही के लिए प्राकृतिक गैस का उपभोक्ता मूल्य 772 रुपए प्रति एमसीएम है जिसमें परिवहन प्रभार, रायल्टी और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं।

(ग) राजस्थान सरकारर ने रामगढ़ विद्युत संयंत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए उपलब्ध रियायती मूल्य जारी रखने का अनुरोध किया है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) राजस्थान में बेहतर संघटन के साथ प्राकृतिक गैस प्राप्त करने के लिए अन्वेषण प्रयास जारी रखे जा रहे हैं। रामगढ़ गैस विद्युत संयंत्र को गैस पहले ही रियायती दर पर दी जा रही है।

उपभोक्ता न्यायालयों में लम्बित मामले

2032. श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्री चमन लाल गुप्त :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में ''उपभोक्तावाद'' आन्दोलन ने जोर पकड़ लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों में दर्ज/निपटाए गए मामलों की स्तरवार और राज्यवार अद्यतन संख्या क्या है; और

(घ) देश में उपभोक्ताओं के हितों की और अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) देश में उपभोक्ता आन्दोलन ने गत तीन वर्षों में गति पकड़ी है।

(ख) देश में उपभोक्ता जागरूकता में तेजी आई है, जैसा कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में कार्यरत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की संख्या में वृद्धि से स्पष्ट है। इसी प्रकार देश भर में उपभोक्ता न्यायालयों में दायर मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1994 के अंत में यह संख्या 6 लाख थी, जो मई 1998 के अंत तक बढ़ कर 13.3 लाख हो गई है।

(ग) केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध की गई सूचना के आधार पर राज्य आयोगों तथा जिला मंचों में दायर मामलों तथा उनके द्वारा निपटाए गए मामलों की राज्यवार स्थिति क्रमशः विवरण-I व II पर अलग-अलग दी गई है। जहां तक राष्ट्रीय आयोग का संबंध है, 1.5.1998 की स्थिति के अनुसार अब तक वहां 13,713 मामले दायर किए गए हैं और 7903 मामलों का निपटान किया जा चुका है।

(घ) उपभोक्ताओं की शिकायतों का सरल, तीव्र तथा कम खर्च पर निवारण करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर तीन स्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष तंत्र स्थापित किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण व टेलीकास्ट हेतु श्रव्य-दृश्य सामग्री, पुस्तिकाओं, विवरणिकाओं, इश्तहारों, पोस्टकार्ड आकार की सामग्री के रूप में मुद्रित प्रचार साहित्य तैयार करना शामिल है। विभाग एक तिमाही पत्रिका ''उपभोक्ता जागरण'' भी प्रकाशित कर रहा है, जो उपभोक्ताओं को उपयोगी

सूचना देती है। मुद्रित सामग्री उपभोक्ता संगठनों को मुफ्त दी जाती है। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने तथा देश के सभी भागों में, विशेषकर ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों पर जोर देते हुए उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए पात्र एजेंसियों/संगठनों को वित्तीय सहायता देने हेतु उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित किया गया है।

विवरण-I

राज्य आयोग

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मामलों की संख्या		
	आरम्भ काल से अब तक दायर मामले	आरम्भ काल से अब तक निपटाए गए मामले	रिपोर्टिंग की अवधि
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	8852	7044	फरवरी, 98
अरुणाचल प्रदेश	14	12	फरवरी, 98
	951	321	दिसंबर, 97
बिहार	4026	1785	फरवरी, 98
गोवा	832	543	फरवरी, 98
गुजरात	5783	4066	सितम्बर, 97
हरियाणा	5615	4236	फरवरी, 98
हिमाचल प्रदेश	1756	1644	फरवरी, 98
जम्मू व कश्मीर	51	9	दिसम्बर, 96
कर्नाटक	6192	4127	फरवरी, 98
केरल	9871	9546	फरवरी, 98
मध्य प्रदेश	5667	3024	फरवरी, 98
महाराष्ट्र	37235	22678	दिसम्बर, 97
मणिपुर	78	33	फरवरी, 98
मेघालय	64	42	दिसम्बर, 97
मिजोरम	3	3	फरवरी, 98
नागालैंड	4	4	सितम्बर, 97
उड़ीसा	5459	2824	सितम्बर, 97
पंजाब	3534	1961	फरवरी, 98
राजस्थान	15363	4995	मार्च, 98
सिक्किम	12	12	फरवरी, 98
तमिलनाडु	8914	7086	जनवरी, 98
त्रिपुरा	192	135	फरवरी, 98
उत्तर प्रदेश	17317	4244	फरवरी, 98
पश्चिमी बंगाल	3963	2932	फरवरी, 98
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	14	11	फरवरी, 98
चंडीगढ़	1507	1365	फरवरी, 98
दादरा व नगर हवेली	-	-	फरवरी, 98
दमन व दीव	1	-	फरवरी, 98
दिल्ली	7177	5394	फरवरी, 98
लक्षद्वीप	7	7	फरवरी, 98
पांडिचेरी	418	399	फरवरी, 98
योग	150872	90482	

विवरण-II

जिला मंच

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मामलों की संख्या		रिपोर्ट की अवधि
	आरंभकाल से अब तक दायर मामले	आरंभकाल से अब तक निपटाए गए मामले	
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	93415	77439	फरवरी, 98
अरुणाचल प्रदेश	149	119	फरवरी, 98
असम	5318	3971	दिसम्बर, 97
बिहार	30985	20017	फरवरी, 98
गोआ	2639	2206	फरवरी, 98
गुजरात	46419	30875	सितम्बर, 97
हरियाणा	51940	38737	फरवरी, 98
हिमाचल प्रदेश	10068	8705	फरवरी, 98
जम्मू और कश्मीर	6882	5837	दिसम्बर, 96
कर्नाटक	52055	41180	फरवरी, 98

1	2	3	4
केरल	84289	78724	फरवरी, 98
मध्य प्रदेश	54086	33095	दिसम्बर, 97
महाराष्ट्र	270009	194224	दिसम्बर, 97
मणिपुर	671	647	सितम्बर, 97
मेघालय	193	152	दिसम्बर, 97
मिजोरम	196	177	फरवरी, 98
नागालैंड	60	42	सितम्बर, 97
उड़ीसा	25728	22042	सितम्बर, 97
पंजाब	23102	20612	फरवरी, 98
राजस्थान	103435	89489	दिसम्बर, 97
सिक्किम	77	72	फरवरी, 98
तमिलनाडु	41038	35371	जनवरी, 98
त्रिपुरा	557	487	फरवरी, 98
उत्तर प्रदेश	179554	126127	फरवरी, 98
पश्चिम बंगाल	35498	26692	फरवरी, 98
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	148	140	फरवरी, 98
चंडीगढ़	11178	6470	फरवरी, 98
दादरा एवं नगर हवेली	26	23	फरवरी, 98
दमन और दीव	58	30	दिसम्बर, 97
दिल्ली	43921	34043	फरवरी, 98
लक्षद्वीप	30	29	फरवरी, 98
पांडिचेरी	1348	1291	फरवरी, 98
योग	1166072	899065	

[हिन्दी]

दूसरे श्रम आयोग की नियुक्ति

2033. डॉ० चिंता मोहन :
श्री सुशील कुमार शिन्दे :
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघों ने दूसरे श्रम आयोग की नियुक्ति की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक कर लिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) एक अरसे से ऐसे अनेक मुद्दों को हल करने के लिए श्रम कानूनों का अधिनियमन किया है जो महत्वपूर्ण रहे हैं और एक निश्चित समय में ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश मुद्दे अभी भी अपना महत्व बनाये हुए हैं फिर भी इनमें से कुछ मुद्दे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका महत्व समाप्त हो चुका है। इसलिए आज इसबात की आवश्यकता है कि श्रम नीतियों का और उनके तहत बनाये गये कार्यक्रम और कानूनों की समीक्षा की जाए। इस प्रश्न पर स्थायी श्रम समिति की त्रिपक्षीय बैठक और भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार-विमर्श भी किया गया है और सरकार सिद्धांत रूप में एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय की स्थापना करके, इन कानूनों की समीक्षा कराने पर सहमत हो गयी है ताकि आर्थिक नीति में हो रहे सामान्य परिवर्तनों के सामंजस्य बनाए रखने के साथ-साथ श्रम जीवी वर्ग को बेहतर कल्याण प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

इंडियन रेडक्रास सोसाइटी द्वारा संग्रहीत रक्त का उपयोग न होना

2034. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक ओर तो रोगी रक्त न मिल पाने के कारण मर रहे हैं और दूसरी ओर इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा स्वेच्छा से रक्त दान करने वालों से संग्रहीत किया गया 200 यूनिट रक्त उसके उपयोग की अंतिम तिथि समाप्त हो जाने के कारण नष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उपयोग की अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले इस रक्त का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा कुल आवश्यकता की तुलना में प्रतिवर्ष कुल कितने यूनिट रक्त एकत्र किया जाता है; और

(घ) सरकार द्वारा रक्त की इस तरह बरबादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हर वर्ष भारतीय रेडक्रास सोसायटी, नई दिल्ली के रक्त बैंक द्वारा 40,000 से 50,000 यूनिट तक रक्त एकत्र किया जाता है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

एच.आई.वी. विषाणु से प्रभावित गर्भवती महिलाओं द्वारा बच्चों को जन्म दिया जाना

2035. प्रो० पी.जे. कुरियन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश भर में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि देश में दस में से नौ एच. आई.वी. विषाणुओं से प्रभावित गर्भवती महिलाओं को इससे प्रभावित होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या एच.आई.वी. महिलाओं के वायरस नवजात शिशु की प्रतिरोध क्षमता को प्रभावित नहीं करते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रतिवर्ष एच. आई.वी. विषाणु से प्रभावित गर्भवती महिलाओं द्वारा बच्चों को जन्म देने के संबंध में भारत में संकटपूर्ण स्थिति की भविष्यवाणी की है; और

(घ) यदि हां, तो इस विभीषिका को रोकने के लिए क्या निषेधात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) 30 से 50 प्रतिशत तक ऐसी संभावना होती है कि एच. आई.वी. पॉजीटिव महिलाओं के विषाणु नवजात जन्मे बच्चे में संचरित हों और बच्चे की रोग प्रतिरक्षण व्यवस्था में क्षति पहुंचे।

(ग) एच.आई.वी. पॉजीटिव महिलाओं के संबंध में भारत के परिदृश्य के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भविष्यवाणी उस महामारी के प्रारम्भिक वर्षों में उच्च जोखिम वाली आबादी-समूहों के बारे में निगरानी संबंधी आंकड़ों पर आधारित है जो आम आबादी को बहिवेशित की गई थी। यह बात जानपदिक रोग विज्ञानीय रूप से सही नहीं है।

(घ) इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रण प्रचार सांधनों, लोक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के कार्यकर्ताओं से लोक एवं अन्तर-वैयक्तिक सम्प्रेषण के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का कार्यान्वयन कुछेक निवारक उपाय हैं जो इस रोग की रोकथाम करने के लिए उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार गर्भावस्था के पिछले तीन महीनों में गर्भवती महिलाओं में ए.जैड.टी. रोग निरोधक के बारे में एक प्रायोगिक अध्ययन कराने के लिए सोच रही है जिसने विकसित देशों में संचरण दर को 66 से 70 प्रतिशत तक कम करने की बात सिद्ध कर दी है।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

2036. श्री रामदास आठवले :
प्रो० जोगेन्द्र कवाडे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान दादर, महीम, रामबाई नगर, माटुंगा में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र राज्य को कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) यदि हाँ, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने अनुदान का पूरी तरह उपयोग कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को 11,734.71 लाख रुपए (नगद और सामग्री दोनों रूपों में) की धनराशि जारी की गई। केन्द्र सरकार छोटी इकाइयों को थोड़ी-थोड़ी निधियां जारी न करके राज्यों को पूरी निधियां जारी करती है। निधियों का इकाई-वार वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) राज्यों को सहायतानुदान नगर और सामग्री दोनों रूप में दिया जाता है। सामग्रीगत सहायता में औषध किटें, औषधालय किटें और गर्भनिरोधक आदि शामिल हैं। यह सहायतानुदान उपयोग/आवश्यकताओं के आधार दिया जाता है और इसलिए यह सहायता फालतू नहीं होती है। नगर सहायता प्रारम्भ में वेतनों आदि के लिए आंकी गई आवश्यकता के आधार पर दी जाती है और अन्त में अंकेक्षित लेखों के आधार पर तय की जाती है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं

2037. श्री माधव राव पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र में चलायी जा रही स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये योजनाएं कब से कार्य कर रही हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र सरकार को योजना-वार कितनी धनराशि प्रदान की गयी है;

(घ) राज्य में उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना की प्रगति क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को योजना-वार कितना बजट आबंटन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वजित एजिलमलाई) : (क) से (घ) महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कार्यक्रमों तथा राज्य को प्रदान की गई निधियां तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत की गई प्रगति के विवरण को दर्शाने वाले ब्यौरे क्रमश विवरण-I और II पर दिए गए हैं।

(ङ) संसद द्वारा मंत्रालय के बजट को अनुमोदित कर दिए जाने के बाद राज्यों को योजनावार धन का आवंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत महाराष्ट्र को दी गई केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रचालक वर्ष	1995-96	1996-97	1997-98
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	1953	13.63	24.06	10.11 अनन्तिम
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	1955	1.64	2.71	2.64
3.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	1994*	3.70	1.18	1.33
4.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	1962	9.16	0.23	1.72
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	1992	3.00	9.00	5.00
6.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	1951	117.72	111.35	106.78

* विश्व बैंक सहायता मोतिया बिन्द दृष्टि हीनता नियंत्रण परियोजना अप्रैल, 1994 से सात वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र में कार्यान्वित की जा रही है।
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 तथा 1997-98 के दौरान जिला क्षयरोग सोसायटियों को 1.66 करोड़ रुपए की नगद सहायता प्रदान की गई।

विवरण-II

वर्ष, 1995-96 से 1997-98 के दौरान महाराष्ट्र राज्य के लिए प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्धियों को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्रम संख्या	योजना का नाम	1995	1996	1997(अनन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम			
	(i) मलेरिया के लिए जांच की गई जनसंख्या	12359334	13338232	13442669
	(ii) पता लगाए गए तथा उपचार किए गए रोगी	368796	307416	205146
	(iii) कीटनाशी छिड़काव के अन्तर्गत प्रतिरक्षित जनसंख्या (मिलियन में)	11.8	15.2	8.4

1	2	3	4	5
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	1995-96	1996-97	1997-98
	पता लगाए गए नए कुष्ठ रोगी	41621	40983	62473
	उपचार के अन्तर्गत लाए गए रोगी	41621	40983	62473
	छुट्टी दिए गए रोगी	58561	39698	054280
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम			(लाख में)
	पता लगाए गए कुष्ठ रोग के नए रोगी	2.05	1.91	2.03
	थूक की जांच	0.67	3.20	10.22
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम			
	मोतियाबिंद के किए गए आपरेशन	3.12	3.57	3.87
5.	परिवार कल्याण कार्यक्रम			
	(i) टीकाकरण कवरेज	उपलब्धियाँ (%)		
	डी.पी.टी.	97.20	96.10	96.60
	पोलियो	97.90	96.50	97.00
	बी.सी.जी.	101.60	100.80	102.90
	खसरा	91.00	91.00	91.00
	टी.टी. (गर्भवती महिलाएं)	85.70	84.50	87.50
	(ii) परिवार नियोजन कवरेज	उपलब्धियां (%)		
	नसबन्दी	5.66	5.19	5.71
	आई.यू.डी.	4.71	4.48	4.33
	परम्परागत गर्भनिरोधकों			
	के उपयोग कर्ता	13.61	9.65	5.86
	मुख्य सेवय गोलियों के उपयोगकर्ता 1997-98 के आंकड़े अनन्तिम हैं।	4.35	3.76	3.73
6.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	आधान हेतु सुरक्षित रक्त की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए 71 सरकारी रक्त बैंकों को आधुनिक बनाया गया है। सुरक्षित रक्ताधान प्रदान करने के लिए राज्य में 46 आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्र तथा 196 लाइसेंस वाले रक्त बैंक हैं। 38 यौन संचारित रोग क्लीनिकों को सुदृढ़ किया गया है और 18 प्रहरी स्थलों की स्थापना की गई है।		

जड़ीबूटियों का उपयोग

2038. श्री पी. उपेन्द्र : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप की प्रमुख औषधि कम्पनियां उन जड़ीबूटियों का उपयोग कर रही हैं और उचित पेटेन्टों के बिना उनका एलोपैथी नामों से विपणन कर रही हैं जो भारत और एशिया के अन्य देशों में बहुत पहले से जानी जाती हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) और (ख) ऐसी कोई सूचना प्रशासनिक विभाग, अर्थात् भारतीय औषधि पद्धति एवं होम्योपैथिक विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

संवैधानिक देयताओं का भुगतान

2039. श्री सी.डी. गामीत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को संवैधानिक देयताओं का भुगतान, रोजगार के अवसरों का कम होना और ठेके के आधार पर कर्मचारियों को भर्ती करने की प्रवृत्तियों पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो किन मुद्दों पर चर्चा की गई और उन पर लिए गए निर्णय क्या थे;

(ग) क्या सरकार ने उन जिलों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक

सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत आकर्षक लाभ देने का निर्णय लिया है जिनको फिर से चालू किए जाने की संभावना नहीं है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हाँ।

(ख) 13 मई, 1998 को विशेष त्रिपक्षीय समिति की बैठक में विचार किए गए मुख्य मुद्दों में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मकारों को सांविधिक देयों की अदायगी न किया जाना, संगठित क्षेत्र में चालू रोजगार परिदृश्य, श्रमबल का नैमित्तीकरण और कर्नकारों के लिए छंटनी/सेवानिवृत्ति पैकेज शामिल थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मकारों के कानूनी बकाया देयों को समाप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। यह सामान्य सम्मति की गई, कि ठेका श्रम अधिनियम में समुचित संशोधन करने और ठेका श्रम के लिए एक भावी रणनीति तैयार करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे यह निर्णय लिया गया कि कर्मकारों के लिए सेवानिवृत्ति/छंटनी पैकेज को और अधिक आकर्षक बनाए जाने के विकल्पों का पता लगाया जाए।

(ग) और (घ) 1998-99 के केन्द्रीय बजट में बन्द किए जाने के लिए नियत उद्यमों के कर्मकारों के लिए स्वै.से.नि.यो. पैकेज लाभ को और आकर्षक बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रयोजनार्थ एक पृथक पुनर्संरचना निधि की स्थापना की जा रही है।

[अनुवाद]

स्वदेशी चिकित्सा पद्धति

2040. श्री एन. डेनिस : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) भारत सरकार ने देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के साथ-साथ योग और प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालियों के विकास और संवर्धन के लिए मार्च, 1995 में एक नए विभाग की स्थापना की है। विभाग ने भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की शैक्षिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने और उन्हें समुन्नत करने, इन प्रणालियों की औषधों के मानकीकरण, औषधीय पादपों जैसी कच्ची सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि, अनुसंधान और विकास, स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय में वास्तविक भागीदारी के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनका ब्यौरा इस प्रकार है:

1. स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षिक संस्थाओं में सुविधाओं के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2. शिक्षकों, फीजिशियनों, अनुसंधानकर्ताओं को सतत् शिक्षा कार्यक्रम के एक अंग के रूप में तथा उनके कौशल को अद्यतन करने के लिए सेवाकालीन पुनराभिविन्यास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

3. इन चिकित्सा प्रणालियों में राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ संस्थान स्थापित किए गए हैं, जैसे जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, कलकत्ता में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, बंगलौर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, दिल्ली में मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ।

4. इन प्रणालियों के औषधों में भेषजकोशीय मानक तैयार करने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी में भेषज संहिता समितियां स्थापित की गई हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी से सम्बन्धित औषधियों के मानकीकरण और उनके परीक्षण के लिए गाजियाबाद में भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला और होम्योपैथिक भेषजसंहिता प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

5. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाली औषधियों के विकास और उनकी खेती पर बल दिया जा रहा है। विभाग द्वारा औषधीय पादपों की कृषि तकनीकों और उनकी खेती के विकास की एक योजना चलाई जा रही है।

6. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के के.स.स्वा. यो. औषधलाय खोले गए हैं।

7. आयुर्वेद एवं सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में विभिन्न केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों के माध्यम से भा.चि.प. एवं होम्योपैथी में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

8. दिल्ली में डॉ० राममनोहर लोहिया अस्पताल में यूनानी चिकित्सा के लिए और सफदरजंग अस्पताल, में आयुर्वेद और होम्योपैथी में विशेष नैदानिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं और वाह्य रोगी विभाग के रूप में कार्य कर रहे हैं।

9. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर में मानसिक रोगों के लिए आयुर्वेद विभाग को सहायता प्रदान की गई है।

10. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं को सहायता प्रदान करने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

11. एक्स्ट्रा-म्यूरल अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से निधियां भी प्रदान की जाती हैं।

12. इन प्रणालियों में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार से संबंधित कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने की एक योजना आरम्भ की गई है।

[हिन्दी]

पेट्रोल/डीजल भंडार

2041. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्री रामपाल सिंह :
श्री जगतवीर सिंह द्रोण :
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जहां गत तीन वर्षों और दौरान पेट्रोल/डीजल भंडार होने का पता चला है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जहां पेट्रोल/डीजल निकालने के लिए कुओं की खुदाई की जा रही है;

(ग) क्या इस कार्य को किन्हीं विदेशी कंपनियों के सहयोग से किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कुंओं की खुदाई में अद्यतन तकनीकों और उपस्करों का प्रयोग करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) विगत तीन वर्षों (1995-98) के दौरान बंबई अपतटीय क्षेत्र के अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में तेल एवं गैस के भंडार पाए गए हैं।

अब तक बंबई के अपतटीय क्षेत्र, कृष्णा-गोदावरी, कावेरी, कच्छ और अंडमान क्षेत्रों के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा में तेल एवं गैस भंडार पाए गए हैं। हाल में बिहार राज्य के अंतर्गत झरिया में कोल-बेड-मीथेन का पता लगा है।

(ख) हाल में बंबई के अपतटीय क्षेत्रों, कावेरी तथा कृष्णा-गोदावरी के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल में कूपों का वेधन जारी है।

(ग) और (घ) आर जे-ओ एन-90/1 (राजस्थान), कैम्बे/मातार, राव्वा, पन्ना, मुक्ता, मध्य एवं दक्षिण तापती तेल और गैस क्षेत्रों इत्यादि में निजी/विदेशी कंपनियों द्वारा वेधन कार्य जारी है/प्रस्तावित है। यह क्षेत्र अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के अंतर्गत निजी निवेश प्रोत्साहित करने की भारत सरकार की नीति के तहत निजी/विदेशी पक्षकारों को दिए गए हैं।

(ङ) और (च) नवीनतम तकनीकों और उपस्करों में से अधिकांश, देश के अंतर्गत वेधन प्रचालन करने में पहले से ही उपयोग में हैं।

क्षेत्रीय चयन बोर्ड का कार्यकरण

2042. **श्री आर.एस. गवई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में तथा विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों के वितरण के लिए क्षेत्रीय चयन बोर्ड द्वारा एजेंटों तथा वितरकों के चयन तथा नियुक्ति के लिए 1996-97 की विपणन योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के द्वारा क्षेत्रीय चयन बोर्ड के कार्यकरण को अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) महाराष्ट्र के लिए 1997-98 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में विपणन योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) पेट्रोलियम उत्पादों के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन विधिवत रूप से गठित चयन बोर्डों के माध्यम से किया जाता है। चयन के कार्यकलापों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए बोर्डों के कार्य की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और लोकहित में वांछनीय समझे जाने वाले सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। तदनुसार पिछले तेल चयन बोर्डों को समाप्त कर दिया गया और 1.4.1997 को 14 राज्य/क्षेत्र वार डीलर चयन बोर्ड (जिनमें पश्चिमी क्षेत्र के राज्य भी सम्मिलित हैं) गठित करने का निर्णय लिया गया, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और सदस्य तेल कंपनियों के उप महाप्रबंधक स्तर या उससे ऊपर के दो अधिकारी हैं। डीलरों के चयन के लिए चयन की प्रक्रिया और मानदंडों को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए नए दिशानिर्देश भी जारी किए गए।

(घ) 1996-98 की खुदरा बिक्री केन्द्र और एल.पी.जी. विपणन योजना में महाराष्ट्र के लिए क्रमशः 34 और 89 स्थान शामिल किए गए हैं।

[अनुवाद]

रियायती दरों पर डीजल की आपूर्ति

2043. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी मत्स्य पोतों को रियायती दरों पर डीजल की आपूर्ति करने का है; और

(ख) यदि हाँ,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे घरेलू मत्स्य उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक प्रशिक्षण परियोजना का कार्यान्वयन

2044. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षण स्तर बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा वाणिज्यिक प्रशिक्षण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत क्या-क्या उपलब्धियां रहीं ?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हाँ। सरकार एक व्यावसायिक (न कि वाणिज्यिक) प्रशिक्षण योजना को कार्यान्वित कर रही है।

(ख) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, शिक्षुता प्रशिक्षण योजना तथा अन्य संबद्ध योजनाओं के तहत प्रशिक्षण गतिविधियों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करने हेतु, विश्व बैंक की सहायता से एक व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना (वीटीपी) 1989 में आरम्भ की गई थी जिसमें 28 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था तथा जिसकी बुनियादी लागत 441 करोड़ रुपये थी। यद्यपि परियोजना का समापन वस्तुतः 1996 में किया जाना था तथापि, इसकी अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई जिससे कि चल रही गतिविधियों का समुचित प्रकार से समापन किया जा सके। परियोजना के प्रमुख घटकों का समापन दिसम्बर, 1997 में हुआ। दिसम्बर, 1997 में विश्व बैंक ने कुछ चुनिन्दा घटकों के लिए और एक वर्ष अर्थात् दिसम्बर, 1998 तक निधिकरण जारी रखने हेतु अपनी सहमति की सूचना दी।

(ग) विश्व बैंक मिशन ने जनवरी-फरवरी, 1998 में एक संयुक्त समीक्षा की जिससे यह स्पष्ट हुआ कि राज्य क्षेत्रों में लगभग समस्त वस्तुपरक उपलब्धियां प्राप्त कर ली गई हैं, यद्यपि, कुछ केन्द्रीय क्षेत्र के घटक निर्धारित समय से पीछे रहे। कुछ राज्यों का कार्य-निष्पादन बहुत अच्छा रहा तथा उन्होंने निर्धारित लक्ष्यों की सीमा भी पार कर ली। अध्ययन से आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र धारकों के रोजगार पर परियोजना का सुस्पष्ट प्रभाव भी परिलक्षित हुआ है जिसका श्रेय उपलब्ध कराई गई उन्नत सुविधाओं एवं प्रशिक्षण को दिया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली में बम विस्फोट

2045. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री मोहन सिंह :
प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1997 और 1998 के दौरान कितने बम विस्फोट हुए;

(ख) इन बम विस्फोटों में कितने व्यक्ति मारे गए और इनके परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति की अनुमानित कितनी क्षति हुई;

(ग) कितने मामलों को सुलझा लिया गया और दोषियों को पकड़ने तथा वास्तविकता को सामने लाने के लिए क्या कदम उठाए गए; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा प्रबंधों में खामियों को दूर करने और दिल्ली में बम विस्फोट की घटनाओं को रोकने के लिए आसूचना को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचना दी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1997 के दौरान 21 तथा 1998 में अब तक एक बम विस्फोट का मामला दर्ज किया गया है जिनमें 12 व्यक्तियों की जानें गयी हैं। इनमें अनुमानतः 1,01,000/- रुपये की सार्वजनिक सम्पत्ति और लगभग 1,97,000/- रुपए की निजी सम्पत्ति का नुकसान हुआ। पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन (मुख्य) दिल्ली में भा.द.सं. की धारा 121/121-ए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5, शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 तथा विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत दर्ज मामला एफ.आई.आर. संख्या 49 में 14 व्यक्तियों के गिरफ्तार करने से, अन्य राज्यों में सूचित 10 मामलों सहित पुलिस इनमें से 20 को हल करने में सफल हुई है।

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा तथा आसूचना संचयन को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) सीमा चौकियों पर निरन्तर सतर्कता,

(ii) संदेहास्पद गाड़ियों की चैकिंग,

(iii) संदिग्ध अतिथि गृहों/छिपने के स्थानों की चैकिंग,

(iv) नए किराएदारों का सत्यापन,

(v) संदिग्ध व्यक्तियों/वस्तुओं के बारे में सूचना देने की जरूरत के प्रति इलैक्ट्रानिक मीडिया आदि के माध्यम से जनता में जागरूकता पैदा करना,

(vi) फील्ड आसूचना अधिकारियों द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखना; तथा

(vii) केन्द्र तथा राज्य आसूचना एजेन्सियों के बीच निकट से तालमेल रखना।

सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस

2046. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) से चलने वाले वाहनों की सुविधा देने का सरकार प्रस्ताव है; और

यदि हाँ, तो इस दिशा में कार्य कर रही कंपनियों का ब्यौरा क्या है और उनकी लाभप्रदता क्या रही और यह सुविधा किन-किन राज्यों में देने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लेवी चीनी के आवंटन संबंधी मानदण्ड

2047. श्री किनशा पटेल :
श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया :
श्री जयसिंहजी चौहान :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को लेवी चीनी के आवंटन हेतु सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार 1996 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर राज्यों को लेवी चीनी का आवंटन करती है;

(ग) क्या गुजरात को इस आधार पर लेवी चीनी का आवंटन नहीं किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में राज्य से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(छ) कब तक 1996 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर इसकी आपूर्ति की जायेगी?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (घ) गुजरात राज्य सहित अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी की आपूर्ति के लिए 1991 की जनगणना के आधार पर 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास का मानदंड है। इसके अतिरिक्त, सरकार त्यौहार कोटे के रूप में लगभग एक लाख टन चीनी प्रति वर्ष रिलीज करती है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मासिक लेवी कोटे से संबंधित आनुपातिक आधार पर आबंटित किया जाता है।

(ङ) जी, हाँ।

(च) और (छ) वर्तमान लेवी चीनी फार्मूले के अधीन लेवी खाते में केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता से कम है। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार के लिए इसे हाल की जनसंख्या के आंकड़ों से जोड़ते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी के आबंटन में वृद्धि करना संभव नहीं पाया गया है। गुजरात सरकार को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

सरकारिया आयोग

2048. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की सिफारिशें लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सरकारिया आयोग की सिफारिशों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है कि केन्द्र-राज्य संबंध सौहार्दपूर्ण हों।

विद्युत की पूर्ति

2049. श्री जयसिंहजी चौहान :
श्री दिलीप संघाणी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने विद्युत की अपर्याप्त पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हाँ, तो बिटुमन की पर्याप्त तथा अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) कार्य मौसम के दौरान कोयली तेल शोधन कारखाने द्वारा बिटुमन टैंकर्स की आपूर्ति के लिए औसत प्रतीक्षा अवधि क्या है;

(घ) क्या कोयली तेलशोधक कारखाने में बिटुमन की लदान क्षमता मांग को पूरी करने के लिए पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा बिटुमन की पर्याप्त लदान क्षमता एवं पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी हाँ।

(ख) तेल कंपनियों को राज्य की संपूर्ण मांग पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

(ग) केवल व्यस्त अवधि के दौरान औसत प्रतीक्षा अवधि यदाकदा तीन से चार दिन होती है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) लोडिंग क्षमता सामान्य मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है। बेहतर निरीक्षण द्वारा लोडिंग कुशलता अपेक्षाकृत अधिक मांग के मामले में बढ़ जाती है।

कच्चे तेल पर रॉयल्टी

2050. श्री विलीप संघाणी :
डॉ0 वल्लभभाई कथीरिया :
श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया :
श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993-94 से प्रति वर्ष कच्चे तेल पर रायल्टी दर को उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया है;

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में इतने विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का तेल-उत्पादक राज्यों की बढ़ती हुई बकाया राशियों में वृद्धि को किस प्रकार पूरा करने का विचार है;

(घ) क्या इस संबंध में गुजरात और अन्य राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। कच्चे तेल के संबंध में रायल्टी तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के उपबंधों द्वारा शासित होती है। रायल्टी उत्पादन के आधार पर नियत नहीं की जाती।

(ग) रायल्टी की दरें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा विधिवत रूप से लेखापरीक्षित कच्चे तेल के उत्पादन की वास्तविक भारित औसत लगात के आधार पर आकलित की जाती है। 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए रायल्टी की अंतिम दर के नियतन तक रायल्टी का भुगतान अनंतिम आधार पर किया गया है। अनंतिम दरें नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से उत्पादन की लागत के लेखापरीक्षित आंकड़ों की प्राप्ति पर इस अवधि के लिए रायल्टी की अंतिम दर की अधिसूचना पर समायोजन के अधीन हैं।

(घ) और (ङ) असम और गुजरात की सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में कतिपय संशोधन आवश्यक समझे जाते हैं।

रेलगाड़ियों में बम विस्फोट

2051. श्री मोडन रावले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997 और 1998 के दौरान रेलगाड़ी-वार और स्थान-वार रेलगाड़ियों में बम विस्फोटों की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) प्रत्येक घटना में कितने व्यक्ति मारे गये, घायल हुए और इनमें सरकारी सम्पत्ति को कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) सरकार द्वारा रेलगाड़ियों में बम विस्फोट के शिकार हुए व्यक्तियों को अदा किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अस्पतालों की कमी

2052. श्री रामटहल चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अस्पतालों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए अस्पताल खोलने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हाँ तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन नए अस्पतालों को खोलने की प्रक्रिया कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वजित एजिजमलाई) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 13692 अस्पताल हैं। चूंकि ''स्वास्थ्य'' राज्य का विषय है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्यों में अस्पताल स्थापित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद

2053. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों को अंग्रेजी शासन के कानूनों के तहत अभी भी चोर और असामाजिक तत्व माना जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके जन्म दिवस एवं शहीदी दिवस को सरकारी समारोह द्वारा न मनाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया वास्तविक दर्जा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) सरकारी समारोहों द्वारा जन्म दिन तथा शहीदी दिवस मनाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, जब कभी भी ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाता है और गुण-दोष के आधार पर उसका निर्णय किया जाता है।

(ग) शहीदों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को निम्न के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है :

(i) जीवित बचे पात्र आश्रितों को सम्मान पेंशन प्रदान करके;

(ii) उनके नाम पर सार्वजनिक स्थानों का नाम रखकर;

(iii) जिला/राज्य स्तर पर उचित स्मारकों तथा नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण करने का प्रस्ताव करके; तथा

(iv) महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर शहीदों के नामों सहित पटिट्यां लगाने का प्रस्ताव करके।

कल्याण संगठनों को अनुदान

2054. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कुल कितने पंजीकृत कल्याण संगठन कार्यरत हैं;

(ख) इन संगठनों को राज्यवार कितनी वार्षिक अनुदान राशि का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) इन संगठनों द्वारा अनुदान राशि का सही उपयोग करने और इसके दुरूपयोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) समाज कार्यकलापों में लगे स्वयंसेवी संगठनों की कोई अनुमोदित सूची नहीं रखी जा रही है। तथापि, वर्ष 1997-98 के दौरान तत्कालीन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1862 स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई थी।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान इन संगठनों को राज्यवार दी गई कुल वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) (1) संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिशों पर अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं।

(2) प्रत्येक वर्ष संगठनों के लेखा परीक्षित लेखे तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाते हैं।

(3) संगठनों के आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं।

(4) कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन पर निर्भर करते हुए सहायता अनुदान प्रायः दो या इससे अधिक किश्तों में निर्मुक्त किए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1997-98 के दौरान निर्मुक्त धनराशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1021.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	113.20

1	2	3
3.	असम	101.86
4.	बिहार	309.16
5.	दिल्ली	568.59
6.	गुजरात	171.57
7.	गोवा	16.87
8.	हरियाणा	112.19
9.	जम्मू एवं कश्मीर	19.66
10.	कर्नाटक	444.70
11.	केरल	362.00
12.	मध्य प्रदेश	187.04
13.	महाराष्ट्र	349.50
14.	मणिपुर	136.36
15.	मेघालय	126.26
16.	मिजोरम	40.72
17.	नागालैंड	22.28
18.	उड़ीसा	429.52
19.	पंजाब	91.90
20.	राजस्थान	317.45
21.	सिक्किम	2.06
22.	त्रिपुरा	24.95
23.	तमिलनाडु	335.06
24.	उत्तरप्रदेश	642.89
25.	पश्चिम बंगाल	638.00
26.	चंडीगढ़	8.94
27.	पांडिचेरी	10.82
28.	हिमाचल प्रदेश	3.27

हथियारों की तस्करी

2055. डॉ0 असीम बाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उग्रवादी ग्रुपों द्वारा देश में हथियारों की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उग्रवादियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के किस रास्ते से हथियारों की तस्करी की जा रही है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि हथगोले, पिस्तौल, 9 मि. मी. की कार्बाईन, ए.के. राईफलें और यू.एम.जी. जैसे शस्त्रों की देश में तस्करी की जा रही है। समाज-विरोधी तत्वों ने शस्त्रों की तस्करी के लिए पश्चिमी भू-मार्गों और तटीय सीमाओं का प्रयोग किया है। पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा कुछ अन्य पड़ौसी देशों के माध्यम से शस्त्रों की तस्करी कराने की घटनाएं भी जानकारी में आई हैं।

(घ) इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्रीय स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है :

1. सूचना की विनिमय, आसूचना के आंबटन, रणनीति तैयार करने तथा समन्वित कार्रवाई करने जैसे संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकारें/आसूचना एजेंसियों/केन्द्र सरकार की जांच एजेंन्सियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना।

2. निम्नलिखित के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर संवेदनशील क्षेत्रों में बाड़ और तेज रोशनी की व्यवस्था करना।

(ख) सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को नाईट विजन डिवाईसिज़, हैण्ड हैल्ड सैटों, दूरबीनों, ड्रैगन लाईटों, इत्यादि की आपूर्ति करके मजबूत बनाना ताकि इनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके।

(ग) सीमा निगरानी चौकियों के बीच की दूरी कम करने के उद्देश्य से अतिरिक्त सीमा निगरानी चौकियां बनाना।

3. प्रभावित क्षेत्रों में जहां आवश्यक हो अर्ध-सैनिक बल तैनात करना तथा सशस्त्र बलों की सहायता उपलब्ध कराना।

4. पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु चालू आबंटन और शस्त्रों की आपूर्ति के अलावा प्रभावित राज्य सरकारों को विशिष्ट परिस्थितियों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

वाइरल ज्वर के मामले

2056. श्री नरेश पुगलीया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कुछ महीनों के दौरान राजधानी में वाइरल ज्वर के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन महीनों के दौरान विभिन्न सरकारी अस्पतालों और अन्य निजी क्लीनिकों में उपचार हेतु आए वाइरल ज्वर से पीड़ित रोगियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या राज्य सरकार इस बीमारी को रोकने में पूरी तरह असफल रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) गर्मी के महीनों के दौरान वायरल ज्वर होना आम बात है और सामान्यतया रोगियों का उपचार वाह्य रोगियों के रूप में किया जाता है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, ने दिल्ली में वायरल ज्वर के रोगियों की वृद्धि की कोई सूचना नहीं दी है और न ही हाल के महीनों में किसी वायरल के फैलने की छानबीन की गई है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

2057. **डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्रीमती कमला रानी :
श्री रंजीव बिस्वाल :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की राज्य-वार और क्षमता-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से भारतीय खाद्य निगम के और गोदामों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या 1998-99 के दौरान सरकार का विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे और गोदामों का निर्माण कराने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास कुल गोदामों (अपने और किराए के/ढकी हुई और कैप) की संख्या 1590 है जिनकी कुल भंडारण क्षमता 223.69 लाख टन है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम देश में केवल नोडल स्थानों पर ही गोदामों का निर्माण करता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में गोदामों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की संख्या और उनकी क्षमता

(लाख टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की संख्या	क्षमता
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	03	0.12
2.	आंध्र प्रदेश	150	21.33
3.	असम	42	2.80
4.	बिहार	55	5.61
5.	गोवा	*	0.15
6.	गुजरात	40	8.63
7.	हरियाणा	118	15.65
8.	हिमाचल प्रदेश	17	0.27
9.	जम्मू और कश्मीर	14	1.01
10.	कर्नाटक	48	4.78
11.	केरल	23	5.31
12.	मध्य प्रदेश	131	12.01
13.	महाराष्ट्र	39	14.16
14.	मणिपुर	03	0.13
15.	मेघालय	05	0.16
16.	मिजोरम	06	0.22
17.	नागालैंड	06	0.21
18.	उड़ीसा	52	4.42
19.	पंजाब	450	65.10

1	2	3	4
20.	राजस्थान	85	10.88
21.	सिक्किम	04	0.16
22.	तमिलनाडु	33	7.93
23.	त्रिपुरा	07	0.35
24.	उत्तर प्रदेश	193	25.89
25.	पश्चिम बंगाल	56	11.48
26.	चंडीगढ़	**	0.74
27.	दिल्ली	10	3.78
28.	पांडिचेरी	***	0.41
	जोड़	1590	228.69

* महाराष्ट्र में शामिल।

** पंजाब में शामिल,

*** तमिलनाडु में शामिल।

चीनी का आयात बन्द करना

2058. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :**
श्री त्यागत सत्पथी :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी की शुल्क-मुक्त आयात संबंधी नीति को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान चीनी का आयात करने का है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मात्रा तथा दर क्या होगी; और

(च) क्या सरकार का विचार चीनी आयात से संबंधित नीति का संशोधन करने का है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (च) वर्तमान नीति के अनुसार, चीनी के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस (ओ. जी.एल.) के अधीन दी जाती है तथा सितम्बर, 1997 से सरकार ने आयात संविदाओं का कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) के पास अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने की प्रणाली लागू की है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 28.4.1998 से आयातित चीनी पर 5 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क तथा 850 रुपये प्रति टन प्रतिशुल्क भी लागू किया है।

वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार के खाते में चीनी के आयात पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी के लिए कार्य योजना

2059 **श्री कांतिलाल भूरिया :**
श्री के. येरननायडू :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अप्रैल, 1990 से कोई कार्य योजना शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए और अतिरिक्त धनराशि मंजूर करने हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को कोई अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) केन्द्र सरकार द्वारा कार्य योजना के अन्तर्गत शेष राशि मध्य प्रदेश सरकार को कब तक दिए जाने का विचार है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनी, यूनियन कार्बाइड से मुआवजे की मांग करते हुए अमरीकी न्यायालय को स्पष्ट रूप से यह बताया था कि भोपाल के सभी 56 वार्ड गैस से प्रभावित थे; और

(ज) यदि नहीं, तो न्यायालय में कितने वार्ड सुनिश्चित किए गए थे?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) से (च) भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणानुकूल पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश सरकार की कार्य योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ में 01 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1995 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए मंजूर की गई थी। तत्पश्चात् यह 30 सितम्बर, 1998 तक बढ़ायी गई। इस कार्य योजना के लिए 163.10 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक परिव्यय

को राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद बढ़ाकर 258 करोड़ रुपए किया गया। जैसा कि वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गयी है, इस कार्य योजना का 75 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार द्वारा पूरा किया जाना है और शेष राज्य सरकार द्वारा। केन्द्र सरकार ने अब तक 166.37 करोड़ रुपए जारी किए हैं शेष धनराशि के लिए प्रावधान किया गया है किन्तु धनराशि देने पर विचार तब किया जा सकता है जब राज्य सरकार अनुदान के लिए शर्तों, जैसे किए गए खर्च संबंधी लेखा परीक्षित प्रमाण पत्र तथा वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि (के ब्यौरे) आदि पूरा करे।

(छ) और (ज) मुआवजा प्राप्त करने के लिए अमरीकी अदालत में दायर शिकायत वादों की संख्या से संबंधित न होकर भोपाल गैस विभीषिका के सभी पीड़ितों के लिए थी।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों की घोषणा

2060. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) किन-किन राज्यों ने अपने कुछ क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी और रेणुका क्षेत्रों में रहने वाले हती समुदाय से उनके क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का कोई आवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एस.के.ओ./एल.डी.ओ. वितरण

2061. श्रीमती कमला रानी :
श्री अशोक प्रधान :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय एस.के.ओ./एल.डी.ओ. वितरकों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन एजेंसियों को उपलब्ध कराई गई किरासन/लाइट डीजल तेल की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या हाल ही में भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा कम मात्रा के आवंटन के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन रिफाइनरी लिमिटेड की पाइपलाइन

2062. श्री के. येरननायडू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में स्थित मौजूदा एच.पी.सी.एल. पाइपलाइन की आर्थिक स्थिति पर हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन रिफाइनरी पर क्या असर पड़ने की संभावना है; और

(ख) क्या आरंभिक स्तर पर नई पाइपलाइन का क्षमता से कम उपयोग होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन का इसकी जारी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की विशाखा विजयवाड़ा पाइपलाइन परियोजना अथवा इसके निर्धारित यांत्रिक रूप से पूरे किए जाने विषयक कार्यक्रम के अर्थतंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) पाइपलाइनों का अभिकल्पन परवर्ती वर्षों की मांग वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लंबी समयावधि के लिए थ्रुपुट जुटाने हेतु किया जाता है। इसलिए आरंभिक वर्षों में क्षमता उपयोग अपेक्षाकृत कम होगा। विशाख-विजयवाड़ा चरण-1 की 4.107 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वर्ष 2006-2007 तक के थ्रुपुट के लिए अभिकल्पित है।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

2063. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पोते एवं पोतियों को आश्रित प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या मार्ग-दर्शन अपनाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार उन स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को पेंशन देने पर विचार कर रही है जो कर्नाटक के गोर्टा (बी) गांव में 1948 में मारे गए थे; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली में अपराध

2064. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष में विभिन्न पुलिस थानों के अंतर्गत जेब तराशी, हत्या और अन्य अपराधों की घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1996, 1997 और 1998 (30.4.98 तक) के दौरान विभिन्न थानों वार दर्ज, जेब तराशी, हत्या और अन्य जघन्य अपराधों के मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या		
	गिरफ्तार व्यक्ति	चालान किए व्यक्ति	दोषसिद्ध व्यक्ति
1996	76671	69904	17022
1997	68439	40218	10254
1998 (30.4.98 तक)	14372	2793	1056

(ग) ऐसे अपराधों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ, बीट गश्त को गहन करना, महत्वपूर्ण स्थानों में सशस्त्र पिकटें तैनात करना, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों के छिपने के संभावित स्थानों पर निगरानी और लगातार छापे मारना, हिस्ट्री सीटर अपराधियों पर निगरानी, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक करना, प्रत्येक पुलिस जिला में आतंकवादी-विरोधी प्रकोष्ठ स्थापित करना, चलती बसों, बाजारों, व्यवसायिक इलाकों में और अन्य अपराध बहुल्य क्षेत्रों में सादे कपड़ों में पुलिस कर्मी तैनात करना शामिल है।

विवरण

उत्तर पश्चिम जिला

	डकैती			हत्या			हत्या की कोशिश			लूटमार			दंगे			छीनना			घायल करना		
पुलिस स्टेशन	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
माडल टाउन	–	1	–	8	5	–	4	3	–	7	12	1	–	1	–	15	21	3	16	30	8
मुखर्जी नगर	–	–	–	4	5	1	4	3	2	–	6	5	–	2	1	7	11	1	15	10	6
आदर्श नगर	–	–	–	4	2	4	2	4	3	4	7	6	2	–	–	4	3	4	26	23	9
जहांगीर पुरी	1	–	–	5	15	3	11	16	8	7	3	3	1	–	–	–	3	3	62	51	36
शालीमार बाग	–	–	–	4	4	2	5	4	2	6	13	3	2	–	1	26	35	8	28	26	11
रोहिणी	–	–	–	9	11	2	4	6	3	1	7	4	–	1	–	18	28	17	20	18	10
नरेला	1	1	1	7	7	5	18	9	6	3	8	4	8	2	1	2	1	2	18	38	8
अलीपुर	2	2	–	1	7	4	2	5	–	8	11	2	3	–	–	–	–	–	14	8	5
समयपुर बावली	1	1	–	13	14	12	7	9	3	21	6	2	3	3	–	3	–	–	27	33	12
अशोक विहार	–	–	1	5	3	3	12	6	2	5	8	7	–	–	–	12	8	4	34	54	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
केशवपुरम	–	1	–	3	5	1	–	3	1	3	3	3	–	–	–	5	2	3	8	7	10
सरस्वती विहार	–	–	–	9	7	3	2	4	1	1	5	1	–	–	1	12	13	6	23	33	8
मंगोलपुरी	–	3	–	15	11	5	9	6	6	5	5	1	–	–	–	5	13	2	41	55	15
सुल्तानपुरी	–	3	1	23	24	5	24	21	13	12	14	5	–	1	1	3	1	3	82	76	22
कंझावला	–	–	–	4	3	1	2	2	1	4	1	–	2	–	1	–	–	–	2	7	1

उत्तर पश्चिमी जिला

पुलिस स्टेशन	सेंधमारी			जेब तराशी			अन्य चोरी			अन्य भा.दं. संहिता			भा.द.सं. के कुल मामले			कुल अधिनियम		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
माडल टाउन	19	23	8	7	9	5	124	301	111	266	238	83	572	646	219	121	118	34
मुखर्जी नगर	30	20	7	5	11	1	159	167	25	232	158	75	463	394	124	80	69	14
आदर्श नगर	8	21	6	17	18	12	129	179	85	242	280	87	446	540	216	152	161	37
जहांगीरपुरी	20	25	6	6	11	6	68	112	43	219	209	101	407	452	209	280	185	31
शालीमार बाग	58	49	33	6	9	9	263	303	113	320	292	135	723	739	317	106	110	22
रोहिणी	24	47	26	5	13	12	195	254	67	194	231	122	474	621	260	97	94	79
नरेला	26	32	10	–	–	–	151	156	57	251	240	83	490	490	177	68	74	24
अलीपुर	18	19	5	–	–	–	110	174	43	218	277	90	379	407	149	63	68	19
समयपुर बादली	49	63	25	6	1	1	200	193	68	458	435	186	798	773	309	171	132	29
अशोक विहार	29	42	23	4	4	1	263	265	107	256	254	58	622	646	216	213	237	69
केशवपुरम	17	11	6	6	1	1	106	134	68	141	145	48	295	312	141	36	25	10
सरस्वती विहार	62	47	25	12	14	6	186	132	98	222	340	115	533	696	264	191	695	71
मंगोलपुरी	19	63	23	7	17	10	177	332	131	401	343	152	689	870	345	695	392	186
सुलतानपुरी	63	71	15	1	4	–	253	200	102	412	367	107	906	835	374	605	295	80
कंझावला	1	4	1	–	–	–	32	24	16	86	98	24	133	137	45	38	25	3

उत्तरी जिला

पुलिस स्टेशन	सेंधमारी			हत्या			हत्या की कोशिश			लूटमार			दंगे			छीनना			घायल करना		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
कोतवाली	–	–	–	6	3	4	3	1	1	20	10	4	4	1	–	13	5	3	36	3	10
चांदनी चौक	–	–	–	1	2	–	1	1	–	4	4	2	1	–	–	2	2	3	8	9	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
लाहौरी गेट	–	–	–	2	3	–	4	2	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	4	10	4
सदर बाजार	–	–	1	1	1	–	2	1	–	6	1	1	–	3	2	–	2	–	17	21	7
कश्मीरी गेट	–	–	–	3	3	2	3	3	1	16	8	2	1	1	–	5	5	10	7	9	7
बा.डि.राव	–	–	–	–	1	–	–	4	1	4	5	1	2	2	2	2	–	–	14	21	5
सब्जी मंडी	–	–	–	–	2	3	3	9	1	11	7	4	1	–	–	2	6	1	47	57	19
सराय रोहिल्ला	–	–	–	5	4	2	3	9	5	8	6	3	2	–	–	14	7	3	25	37	11
प्रताप नगर	–	–	–	–	–	–	2	2	1	2	1	1	2	1	–	1	1	–	15	14	1
सिविल लाईन	–	–	–	4	3	1	2	1	3	1	7	1	2	3	–	3	6	–	15	17	9
तिमारपुर	–	1	–	8	10	7	4	10	7	9	11	6	5	4	3	1	4	–	16	26	8
रूप नगर	–	2	–	3	2	–	4	3	1	5	3	2	7	3	1	8	6	3	5	11	5
मौरिस नगर	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	–	2	2	3	1	2	–	3	4	1

उत्तरी जिला

पुलिस स्टेशन	सेंधमारी			जेबतराशी			अन्य चोरी			भा.दं.स.के अन्य मामले			भा.द.सं. के कुल मामले			कुल अधिनियम		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
कोतवाली	5	2	–	79	75	19	314	225	33	711	524	112	1191	876	186	379	332	153
चांदनी चौक	6	13	4	13	14	4	155	119	46	292	124	24	370	288	46	135	132	46
लाहौरी गेट	5	23	6	23	11	2	120	121	37	200	177	75	362	349	124	58	77	27
सदर बाजार	2	7	1	15	17	14	106	113	31	281	222	62	430	388	119	163	163	42
कश्मीरी गेट	11	16	–	84	70	8	259	275	61	483	469	73	874	862	154	209	164	37
बा.डि.राव	13	10	8	17	13	7	107	96	35	155	135	30	317	291	89	88	76	18
सब्जी मंडी	7	13	9	22	18	3	225	234	7	284	217	56	604	568	156	91	129	50
सराय रोहिल्ला	35	17	7	11	13	3	125	130	45	311	304	88	539	536	167	97	134	50
प्रताप नगर	13	7	4	3	1	1	10	6	10	158	146	34	226	225	52	52	71	37
सिविल लाईन्स	7	14	3	8	16	1	103	87	28	271	288	83	425	444	129	68	74	26
तिमारपुर	21	16	10	2	4	2	99	95	31	358	328	122	531	517	196	95	94	46
रूप नगर	13	16	3	17	19	4	157	194	56	212	118	25	433	381	100	55	45	12
मौरिस नगर	1	10	2	4	2	–	70	76	38	99	102	32	182	178	71	6	12	6

केन्द्रीय जिला

पुलिस स्टेशन	डकैती			हत्या			हत्या की कोशिश			लूटपाट			दंगा			छीनना			चायल करना		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
दरियागंज	–	–	–	4	1	1	4	2	–	20	6	1	–	–	–	3	1	1	3	7	6
जामा मस्जिद	–	–	–	3	1	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	7	3
चांदनी महल	–	–	–	6	6	1	1	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	14	19	14
कमला मार्किट	–	–	–	1	2	–	1	6	2	11	6	–	3	–	–	4	4	2	8	13	4
हौजकाजी	–	–	–	–	–	–	8	5	2	3	2	1	–	2	1	–	2	1	11	17	5
आई.पी. इस्टेट	–	1	–	6	3	–	1	4	–	5	3	5	5	2	2	5	2	1	6	10	5
पहाड़गंज	–	–	–	4	2	2	3	1	2	7	11	4	–	–	1	4	5	1	28	22	–
नबीकरीम	–	–	–	4	4	4	4	1	1	3	3	3	2	–	–	2	1	–	20	21	8
दे.ब. गुप्ता रोड़	–	–	–	5	3	2	3	2	2	7	11	4	2	–	–	3	3	3	15	19	4
लबाग	–	–	–	1	4	2	11	–	1	3	7	1	–	2	1	1	3	2	17	7	6
राजेन्द्र नगर	–	–	–	3	–	–	2	–	1	3	2	1	–	–	–	1	3	3	3	2	–
प्रसाद नगर	–	3	–	2	4	–	2	1	1	1	6	5	–	3	1	–	3	1	27	22	8

केन्द्रीय जिला

पुलिस स्टेशन	सेंधमारी			जेबतराशी			अन्य चोरी			अन्य भा.दं. संहिता के मामले			भा.दं.सं. के मामले			कुल		अधिनियम
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
दरियागंज	10	4	–	18	24	14	186	185	56	400	501	197	650	731	276	114	225	116
जामा मस्जिद	–	1	–	3	4	1	30	24	12	49	66	22	94	107	39	168	10	56
चांदनी चौक	1	2	3	1	1	2	35	34	31	111	146	65	171	213	116	78	97	41
कमला मार्किट	6	14	3	30	15	3	82	82	26	153	170	88	307	316	128	313	282	64
हौज काजी	15	16	4	1	3	5	92	79	32	100	90	23	236	216	74	179	166	48
आई.पी.इस्टेट	6	3	6	9	6	2	118	108	55	421	389	119	584	534	195	109	107	37
पहाड़ गंज	6	12	5	11	11	4	150	165	54	399	270	47	620	508	135	347	288	65
नबी करीम	5	8	6	15	12	5	71	52	10	198	105	66	333	213	103	280	279	117
दे.ब.गुप्ता रोड़	12	12	5	33	19	6	114	148	14	392	369	84	566	488	124	173	143	29
करोल बाग	22	16	8	15	13	1	345	280		325	288	182	741	621	201	114	95	11
राजेन्द्र नगर	5	8	5	2	1	–	103	154	75	226	111	81	258	361	166	19	3	4
प्रसाद नगर	5	11	4	3	2	1	77	99	33	1774	229	163	292	389	217	125	96	44

पूर्वी जिला

पुलिस स्टेशन	डकैती			हत्या			हत्या की कोशिश			लूटपाट			दंगा			छीनना			घायल करना		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
गांधी नगर	–	–	–	4	1	2	1	1	1	3	7	3	2	–	–	2	–	–	20	16	5
कृष्णा नगर	–	–	1	5	7	2	3	7	1	6	9	3	2	1	2	7	6	6	42	37	16
गीता कालोनी	–	–	–	4	4	2	1	3	–	3	–	1	1	1	2	1	6	4	14	10	8
विवेक विहार	1	1	1	6	2	3	2	7	1	2	5	1	2	–	–	2	8	3	16	29	4
आनन्द विहार	1	–	2	2	6	4	1	1	3	4	3	2	–	1	1	7	4	1	12	10	4
प्रीत विहार	1	1	–	2	–	2	1	–	2	2	4	–	1	1	–	6	12	1	13	14	7
शकरपुर	–	2	–	5	6	2	5	4	–	3	7	3	1	3	–	4	10	3	33	20	10
कल्याणपुरी	–	–	–	10	6	11	4	7	2	4	9	4	1	5	1	1	4	–	50	66	21
त्रिलोकपुरी	–	–	–	8	7	5	7	10	3	8	11	9	4	3	2	5	23	4	43	46	15

पूर्वी जिला

पुलिस स्टेशन	सेंधमारी			जेब काटना			अन्य चोरी			अन्य भा.द.सं. के मामले			कुल मा. दं.सं. के मामले			कुल अधिनियम		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
गांधीनगर	12	13	1	4	1	–	96	7	22	66	73	28	224	172	62	122	100	9
कृष्णा नगर	25	29	12	6	15	5	168	184	68	230	249	89	492	549	205	145	97	10
गीता कालोनी	8	4	5	4	2	–	61	66	27	71	76	36	172	175	85	85	64	4
विवेक विहार	23	13	10	2	2	5	92	144	43	114	123	32	266	236	103	205	202	29
आनन्द विहार	35	39	20	10	2	4	78	104	43	156	116	41	251	287	125	93	65	10
प्रीत विहार	45	21	13	5	5	2	167	141	31	163	132	45	407	334	102	52	44	7
शक्करपुर	38	30	11	15	7	2	161	208	75	241	266	87	508	572	193	158	98	8
कल्याणपुरी	25	35	18	1	13	2	97	154	53	214	271	83	415	576	195	229	219	34
त्रिलोकपुरी	28	66	28	11	18	1	187	285	116	361	390	178	669	866	361	170	175	12

उत्तर पूर्व जिला

पुलिस स्टेशन	डकैती			हत्या			हत्या की कोशिश			लूटपाट			दंगा			छीनना			घायल करना		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
शाहदरा	1	–	–	5	8	4	6	5	2	11	9	10	2	4	–	14	13	1	39	45	18
वैलकम	–	–	–	5	2	–	6	3	1	–	8	4	2	2	–	2	1	–	20	35	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
मानसरोवर पार्क	–	–	–	1	2	–	1	4	1	5	3	–	6	–	–	–	1	–	9	15	4
सीलमपुर	–	1	1	10	16	9	25	27	7	15	26	13	2	5	2	6	13	3	58	88	43
भजनपुरा	2	–	–	10	7	6	11	15	7	6	8	12	2	2	–	5	4	6	40	41	18
गोकुलपुरी	–	–	1	10	21	8	11	11	11	13	15	5	5	–	2	4	–	3	72	73	32
सीमापुरी	–	2	–	5	11	9	10	11	4	9	16	12	3	5	2	7	24	10	44	60	27
नन्द नगरी	–	–	2	20	17	9	25	15	10	19	15	5	6	4	2	4	2	3	70	95	32

उत्तर पूर्व जिला

पुलिस स्टेशन	सेंधमारी			जेबतराशी			अन्य चोरी			अन्य भा.दं.सं. के मामले			कुल भा.दं.सं. के मामले			कुल अधिनियम		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
शाहदरा	25	42	13	13	9	5	153	188	92	408	439	104	684	634	249	92	77	20
सैलकम	7	10	4	2	3	2	32	45	20	237	161	46	318	267	91	160	225	36
रोवर पार्क	11	16	18	1	2	–	57	49	15	223	109	30	315	205	68	89	70	7
सीलम पुर	29	59	36	8	28	16	129	155	79	497	412	149	784	849	358	130	112	13
भजनपुरा	36	53	13	8	11	10	153	238	98	506	382	116	786	767	286	129	104	17
गोकुलपुरी	69	69	24	–	6	1	150	182	86	466	338	155	819	732	328	182	111	21
सीमापुरी	35	43	22	4	7	8	137	181	91	414	364	113	673	728	298	258	192	29
नंद नगरी	65	70	17	10	9	2	120	156	90	524	383	139	744	774	311	182	117	26

नई दिल्ली जिला

पुलिस स्टेशन	डकैती			हत्या			हत्या की कोशिश			लूटपाट			दंगा			छीनना			चायल करना		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	121	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
पार्लियामेंट स्ट्रीट	–	–	–	1	–	–	1	2	2	–	–	–	4	8	2	–	6	1	3	2	1
मंदिर मार्ग	–	–	–	–	1	4	2	4	–	6	2	3	2	1	3	5	8	5	12	19	6
कनाट प्लेस	–	–	–	2	2	–	4	3	–	6	–	1	1	2	–	8	5	–	7	13	3
तिलक मार्ग	–	–	–	1	3	1	3	3	–	3	2	4	1	1	1	10	18	–	14	12	3
चाणक्यपुरी	–	–	–	4	3	–	1	2	1	4	3	2	–	6	2	1	2	1	9	8	–
तुगलक रोड़	–	–	–	1	3	–	1	–	1	2	–	1	3	4	1	2	1	2	3	4	3

नई दिल्ली जिला

पुलिस स्टेशन	सेंधमारी			जेब तराशी			अन्य चोरी			दं. संहिता के मामले			भा.दं.सं. के मामले			अधिनियम		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
पार्लियामेंट स्ट्रीट	6	11	3	23	13	6	229	254	128	252	263	63	520	560	206	6	6	–
मंदिर मार्ग	23	16	4	20	18	7	259	275	82	321	331	122	152	678	236	53	58	8
कनॉट प्लेस	10	23	14	82	107	36	511	652	285	571	614	115	1202	1423	454	181	125	8
तिलक मार्ग	17	13	13	40	30	7	348	374	151	641	420	113	774	879	293	28	21	6
चाणक्यपुरी	9	7	5	10	10	3	90	149	30	190	175	14	320	367	58	12	23	9
तुगलक रोड़	10	7	4	6	7	2	147	199	68	195	172	51	371	400	133	9	15	2

दक्षिणी जिला

पुलिस स्टेशन	डकैती			हत्या			हत्या की कोशिश			लूटपाट			दंगा			छीनना			घायल करना		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
हौज खास	–	–	–	2	2	2	9	1	10	11	10	5	3	5	1	9	9	1	13	24	3
मालवीय नगर	1	1	–	10	6	4	3	3	1	5	8	1	1	1	1	15	13	1	24	20	8
मेहरौली	1	1	–	4	12	5	12	5	1	12	7	–	5	14	5	4	–	–	13	17	8
डिफेन्स कालोनी	1	–	–	6	–	2	4	4	3	5	7	4	1	1	2	6	12	4	10	30	7
लोधी कालोनी	–	–	–	2	4	–	4	4	–	6	3	1	–	–	–	3	12	8	7	11	8
के.एम.पुर	–	–	–	7	3	1	7	1	–	3	5	–	3	3	–	1	5	2	12	15	8
लाजपत नगर	–	–	–	1	3	1	2	2	2	7	7	2	1	1	–	17	7	4	23	11	5
श्रीनिवास पुरी	1	–	–	9	10	3	8	9	2	11	16	6	8	5	1	4	5	–	41	26	7
हजरत निजामुद्दीन	–	–	–	1	5	1	2	2	1	5	6	1	–	2	–	7	6	–	23	19	3
कालकाजी	–	–	–	8	6	2	10	5	1	11	9	6	–	1	–	14	12	4	22	29	16
ओखला	1	3	1	15	14	13	8	8	5	5	8	1	5	6	1	2	3	–	30	30	24
बदरपुर	–	1	1	10	7	3	2	4	1	11	7	–	11	5	1	2	2	3	19	22	5
ग्रेटर कैलाश	1	1	–	–	2	1	1	1	–	5	1	4	–	1	–	7	8	3	2	4	2
अंबेडकर नगर	–	–	–	6	13	1	10	10	1	16	7	–	15	12	–	6	2	2	60	48	8
सी.आर. पार्क	2	–	–	1	–	1	–	–	–	8	5	1	2	2	–	9	5	3	4	2	2

दक्षिणी जिला

पुलिस स्टेशन	सेंधमारी			जेब तराशी			अन्य चोरी			अन्य भ.द.सं. के मामले			कुल भ.द.सं. के मामले			कुल अधिनियम		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
हौज खास	57	35	11	12	19	6	568	558	201	308	412	108	996	1086	338	32	50	9
मालवीय नगर	41	26	13	6	17	–	497	627	188	367	482	111	974	1211	338	34	139	17
मेहरौली	34	33	16	2	6	2	222	241	44	306	318	49	619	660	130	43	79	31
डिफेन्स कालोनी	76	63	19	10	13	3	617	718	247	387	498	121	1126	1354	412	50	51	16
लोधी रोड़	26	22	6	4	9	3	210	287	66	249	240	55	512	595	139	33	24	12
के.एम.पुर	32	25	9	13	9	3	227	205	80	410	318	92	722	590	195	74	56	23
लाजपत नगर	42	48	9	8	8	2	604	700	255	566	440	97	1276	1236	377	108	89	19
श्रीनिवासपुरी	45	27	18	13	4	2	485	486	174	709	720	218	1344	1313	431	76	118	19
इजरत निजामुद्दीन	35	14	7	14	9	–	242	299	81	314	407	106	648	780	200	65	71	19
कालकाजी	23	29	23	20	18	7	263	293	159	308	378	176	693	789	394	148	153	39
	24	44	22	–	2	–	194	239	80	297	334	151	591	701	298	123	157	67
	24	23	17	12	9	1	224	214	100	428	348	149	750	652	281	164	180	48
ग्रेटर कैलाश	26	21	11	1	1	–	338	289	112	169	143	50	553	472	183	14	16	6
अंबेडकर नगर	40	31	9	14	11	3	179	199	80	423	415	92	785	761	195	256	287	23
सी.आर.पार्क	43	37	14	4	4	–	–	–	154	149	126	36	661	548	211	21	22	4

दक्षिण-पश्चिम

पुलिस स्टेशन	डकैती			हत्या			हत्या की कोशिश			लूटपाट			दंगा			छीनना			घायल करना		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
वसन्त विहार	1	–	–	1	5	3	1	3	–	2	3	4	–	3	–	7	3	2	11	8	10
आर.के.पुरम	–	–	–	2	4	2	1	4	2	5	8	2	1	2	1	9	12	3	17	15	6
सरोजनी नगर	–	–	–	5	–	3	2	2	1	2	3	–	2	2	1	11	6	2	14	18	3
दिल्ली कैन्ट	–	–	–	1	8	3	4	7	1	3	4	2	–	4	–	4	6	–	18	20	4
वसन्त कुंज	1	–	–	4	5	1	6	4	1	3	11	2	16	6	1	6	1	2	14	21	5
नारायणा	–	–	–	2	3	–	3	1	1	11	1	1	1	–	–	–	3	4	8	9	3
मायापुरी	–	–	–	3	3	2	2	1	–	1	–	–	2	2	2	1	4	–	11	8	3
इन्द्रपुरी	–	–	–	2	4	1	–	1	–	3	5	1	9	–	2	–	3	–	7	10	2
नजफगढ़	1	1	1	11	23	5	8	9	1	8	12	12	2	16	–	1	3	4	41	30	6
डाबरी	–	1	–	9	14	4	10	7	4	5	8	1	25	2	2	–	2	2	39	33	10
जे.पी. कलां	–	–	–	3	5	–	1	2	2	3	2	3	–	1	1	2	–	3	11	10	6

दक्षिण-पश्चिम

पुलिस स्टेशन	सेंधमारी			जेब तराशी			अन्य चोरी			अन्य भ.द.सं. के मामले			कुल भ.द.स. के मामले			कुल अधिनियम		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
वसन्त विहार	16	28	9	3	6	2	119	232	91	193	250	58	446	545	169	12	22	7
दिल्ली कैन्ट	13	13	19	4	6	2	90	103	38	384	352	102	535	524	162	40	58	17
सरोजनी नगर	56	53	8	9	9	–	298	293	109	181	234	46	584	630	173	59	91	10
आ.र.के. पुरम	57	100	27	11	19	1	275	266	121	385	569	120	772	1001	285	103	119	24
वसंत कुंज	31	27	15	1	2	–	194	235	116	330	281	102	611	612	245	22	46	19
नारायणा	14	30	7	8	13	3	166	205	33	252	265	93	470	535	145	22	47	14
मायापुरी	6	17	8	2	6	5	69	52	17	235	244	119	332	342	156	55	97	27
इन्द्र पुरी	12	9	1	–	1	1	56	91	54	241	184	29	332	311	92	88	91	34
नजफगढ़	43	47	19	3	2	–	40	45	68	370	343	110	655	663	214	103	123	21
डाबरी	62	46	18	2	3	1	110	129	43	417	417	157	694	676	242	111	208	43
जे.पी. कलां	1	5	2	–	–	–	17	23	18	73	81	25	111	130	57	16	33	2

पश्चिमी जिला

पुलिस स्टेशन	डकैती			हत्या			हत्या की कोशिश			लूटपाट			दंगा			छीनना			घायल करना		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
तिलक नगर	1	–	–	4	4	–	10	8	4	5	1	–	–	2	1	4	7	1	55	42	11
जनक पुरी	–	1	–	14	14	7	13	13	2	8	9	3	–	–	–	7	13	3	37	37	20
विकास पुरी	1	–	–	7	11	2	9	7	6	4	7	2	2	2	1	8	10	2	29	39	5
राजोरी गार्डन	–	–	–	6	7	–	7	6	3	–	2	1	–	–	–	11	11	9	41	27	9
हरीनगर	–	–	–	3	5	2	7	7	3	–	1	–	1	2	–	15	15	7	70	80	39
कीर्ति नगर	–	–	–	3	2	3	–	3	–	–	2	1	–	3	1	2	3	–	16	27	10
पंजाबी बाग	–	–	–	9	8	3	2	–	3	6	6	1	1	1	–	9	3	2	25	14	5
नांगलोई	–	1	–	17	13	11	16	8	6	5	3	4	1	–	–	2	–	–	65	53	18
पश्चिम विहार	–	–	–	6	4	1	5	3	1	4	7	1	–	1	–	12	20	9	14	23	7
पटेल नगर	–	–	–	5	4	3	3	9	1	8	6	1	1	1	–	9	6	3	30	40	15
मोती बाग	–	–	–	2	7	–	4	3	3	1	5	1	–	1	–	–	–	–	36	30	2
आनंद पर्वत	–	1	–	3	2	1	5	5	2	2	3	1	1	2	–	1	–	–	28	24	7

पश्चिमी जिला

पुलिस स्टेशन	सेंधमारी			जेब तराशी			अन्य चोरी			अन्य भा.दं.सं. के मामले			कुल भा.द.सं. के मामले			कुल अधिनियम		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
तिलक नगर	5	16	7	5	10	1	171	172	55	412	451	119	681	727	199	295	330	47
जनक पुरी	42	85	38	2	10	1	156	279	46	554	521	107	949	996	379	307	421	23 6
विकास पुरी	31	29	28	6	10	–	178	192	68	305	294	130	588	606	244	180	193	88
राजौरी गार्डन	21	28	18	6	13	6	228	249	91	445	311	145	775	658	282	434	443	81
हरी नगर	23	31	15	2	–	2	233	239	111	462	466	125	820	847	304	311	207	41
कीर्तिनगर	10	13	5	2	2	2	117	139	46	333	206	91	485	404	159	152	178	16
पंजाबी बाग	12	14	6	14	9	2	192	182	56	565	462	226	842	706	304	366	397	96
नांगलोई	39	38	15	12	4	–	160	169	–	463	438	153	777	746	249	298	311	98
पश्चिम विहार	36	42	22	4	4	6	331	276	90	517	444	90	934	825	227	186	209	72
पटेल नगर	28	19	12	7	7	1	286	309	91	628	504	157	101	911	284	243	266	57
मोती नगर	7	18	6	2	5	2	140	123	19	254	346	122	439	516	155	182	200	47
आनंद पर्वत	12	17	5	1	1	–	45	65	26	285	153	39	331	278	81	106	105	49

आई.जी.आई. एयरपोर्ट

	डकैती			हत्या			हत्या की कोशिश			लूटपाट			दंगा			छीनना			घायल करना		
पुलिस स्टेशन	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
आई.जी.आई. एयरपोर्ट	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	1	4	2
पालम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
महीपालपुर	1	–	1	1	2	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	1	–	3	4	3 4
आर.एम.डी.	2	1	–	6	5	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	9	2	2	2	7	1
एन.डी.एल.एस	5	–	1	4	6	1	1	3	3	23	10	1	2	1	–	16	11	6	6	7	7

आई.जी.आई.एयर पोर्ट

पुलिस स्टेशन	सेधंमारी			जेब तराशी			अन्य चोरी			अन्य भा.द.सं. के मामले			कुल भा.द.सं. के मामले			कुल अधिनियम		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
आई.जी.आई. एयर पोर्ट	–	–	1	2	–	1	48	29	16	474	371	239	526	408	260	19	14	8
पालम	–	–	–	–	–	–	28	35	13	17	35	11	47	71	25	2	4	3
महीपाल पुर	–	–	–	–	–	–	22	17	5	49	42	12	79	69	22	9	5	1
आर.एम.डी.	–	–	–	21	43	14	143	182	93	48	53	14	231	296	126	120	99	39
एन.डी.एल.एस.	–	2	–	101	135	63	965	523	213	160	110	52	784	808	347	144	101	85

नारकोटिक्स सैल

पी.एम. नारकोटिक्स 8.5.96 से अस्तित्व में है/पी.एस. नारकोटिक्स द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम के वर्ज किए सूचित मामले

1996 (8.5.98 से)	1997	1998 (30.4.98 तक)
17	22	8

कुल : 107 पुलिस स्टेशन

[अनुवाद]

खाद्यान्न का आयात

2065. श्री अमरपाल सिंह :
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान खाद्यान्नों का आयात किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी खाद्यान्नवार ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्यान्नों के आयात के कारण क्या हैं;

(घ) इनका आयात किन-किन देशों से और कितनी-कितनी मात्रा में किया गया;

(ङ) क्या सरकार का विचार 1998 के दौरान खाद्यान्नों का आयात करने का है;

(च) यदि हाँ, तो ऐसे प्रत्येक खाद्यान्न की मात्रा और उसकी प्राक्कलित लागतें पृथक-पृथक क्या है; और

(छ) किन-किन देशों से इनका आयात किए जाने की संभावना है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (घ) सरकार विहित न्यूनतम बफर मानदण्डों, देश में खाद्यान्नों का उत्पादन, वसूली प्रवृत्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकता, खुले बाजार मूल्य आदि की तुलना में केन्द्रीय पूल में रखे खाद्यान्नों के स्टाक की निरन्तर समीक्षा करती रहती है और समग्र स्थिति के आधार पर खाद्यान्न आयात करने का निर्णय लिया जाता है। 1996-97 के दौरान देश में गेहूं का कम उत्पादन होने के कारण सरकार ने घरेलू बाजार में मूल्यों को नियंत्रित रखने की दृष्टि से देश में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रत्येक वर्ष 20 लाख टन गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है। राज्य व्यापार निगम ने आस्ट्रेलिया, कनाडा और अर्जेंटीना से गेहूं का आयात करने के लिए निम्नानुसार ठेके किए हैं :

देश	मात्रा लाख टन में	मूल्य/प्रति टन (अमरीकी डालर में)	ठेके की तारीख
1996-97			
आस्ट्रेलिया	10.00	148.00 जहाज तक निष्प्रभार	10.12.96
	1.25	156.00 जहाज तक निष्प्रभार	31.01.97
	2.00	156.00 जहाज तक निष्प्रभार	14.2.97
कनाडा	2.50	152.50 जहाज तक निष्प्रभार	11.12.96
अर्जेंटीना	1.00	173.00 सी एण्ड एफ	4.2.97
1997-98			
आस्ट्रेलिया	2.50	153.40 जहाज तक निष्प्रभार	26.3.97
	7.50	152.65 जहाज तक निष्प्रभार	26.3.97

(ङ) जी, हाँ। सरकार ने रबी मौसम 1997-98 के दौरान गेहूं के स्तर की समीक्षा करने के पश्चात् निर्णय लिया है कि 1998-99 के दौरान 20 लाख टन तक गेहूं का आयात किया जाए।

(च) और (छ) राज्य व्यापार निगम ने 1998-99 के दौरान जहाज तक निष्प्रभार 142.50 अमरीकी डालर की दर पर आस्ट्रेलिया से 15 लाख टन गेहूं आयात करने का ठेका किया है। 15 लाख टन गेहूं की अनुमानित लागत 214 मिलियन अमरीकी डालर (1 अमरीकी डालर = 40 रुपए की दर पर लगभग 855 करोड़ रुपए) बैठती है। सरकार ने निर्णय लिया है कि फिलहाल शेष 5 लाख टन गेहूं का आयात न किया जाए।

संतोष दुग्गल कमेटी

2066. श्री वी. वी. राघवन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संतोष दुग्गल कमेटी ने जेल सुधारों संबंधी कुछ सिफारिशें की थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) संतोष दुग्गल समिति ने तिहाड़ जेलों में कैदियों के वर्गीकरण का यौक्तिकरण'' पर अपनी रिपोर्ट समिति में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(1) वर्गीकरण की प्रचलित प्रणाली जिसे अधिसूचना संख्या एफ.9 (75)/87 एच.जी. (IV) दिनांक 18.04.88 के द्वारा दिल्ली जेल मैनुअल के नियम 34 और 38 के द्वारा प्रतिष्ठापित - दिल्ली

जेल (दाखिला, वर्गीकरण, पृथकीकरण, परिहार, कैदियों की सजा और रिहाई) नियम, 1988 को संवैधानिक और मानवाधिकारों के आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है तथा इसे समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।

(2) कैदियों के पृथकीकरण हेतु मुख्य मानदण्ड निम्न प्रकार होने चाहिए :

(I) दोषसिद्ध

(II) विचारणाधीन

(III) लिंग

(IV) आयु

(V) अपराध की किस्म

(VI) पिछला इतिहास - आदतन है या अनियत

(VII) कैदियों की अवधि

(VIII) सजा की किस्म

(IX) राष्ट्रीयता

(X) सिविल कैदी

(XI) निरूद्ध किए गए

(XII) सुरक्षा की अपेक्षाएं

(XIII) प्रशासनिक और अनुशासनात्मक अपेक्षाएं

(XIV) सुधारात्मक, शैक्षिक और चिकित्सा की आवश्यकताएं।

(3) कैदियों का पृथकीकरण तर्कसंगत होना चाहिए तथा उपचारात्मक उपायों में, अन्य के साथ-साथ, अनिवार्य सहायक स्टाफ समेत पर्याप्त संख्या में जेल वार्डनों की व्यवस्था करना न्यायिक लॉक-अप में कैदियों के पृथकीकरण हेतु उपाय, दोषसिद्ध अधिकारियों की सावधानी पूर्वक संवीक्षा और चुनिन्दा प्रयोग शामिल हैं।

(4) कैदियों को दी जाने वाली सुविधाएं सभी कैदियों को एक समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार तथा कैद के उद्देश्य के अनुरूप विशिष्ट होनी चाहिए, जैसे कि निवारक-व-दण्ड तथा पुनर्वास के प्रयोजनार्थ सुधारात्मक उपाय तथा अपराध व्यसन से बचाव।

(5) जेलों की स्थिति इस तरह की होनी चाहिए कि ये बुनियादी मान मर्यादा के अनुरूप हो तथा रहने के लिए स्थान, पौष्टिकता, स्वास्थ्य, सफाई और स्वच्छता के दृष्टिकोण से सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करती हों।

(6) जेलों में भीड़भाड़ तथा संकलन को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। चूंकि इससे कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं और जेल प्रशासन अथवा कैदियों में सुधार के किसी भी प्रयास अथवा रणनीति में बाधा उत्पन्न होती है।

(7) चूंकि जरूरत के अनुसार कैदियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए, बंदियों के साथ संपर्क कायम करने और बन्दियों अथवा बन्दी ग्रुपों के सामने आ रही समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराए जाने के लिए कुछ और समाज कल्याण अधिकारियों को तैनात किया जाना चाहिए। एक जेल के लिए कम-से-कम तीन समाज कल्याण अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए और मुख्य कल्याण अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को पदनामित करके, मुख्यालय में तैनात किया जाना चाहिए।

(8) कैदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और जेल अधिकारियों को परामर्श देने के लिए प्रत्येक जेल में अभि[illegible] ब्रांच में अभियोजक के रैंक का एक विधि अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए और उसे उस जेल के अधीक्षक के साथ लगाना चाहिए और वरिष्ठ अभियोजक के रैंक का एक अधिकारी, मुख्य विधि अधिकारी पदनामित किया जाना चाहिए और उसे मुख्यालय में तैनात किया जाना चाहिए।

(9) जेल के निचले संवर्ग के कर्मचारियों को, पदोन्नति के अवसरों के अलावा, अन्य सुअवसर दिए जाने चाहिए ताकि उनके दृष्टिकोण को अधिक उत्तरदायी और सकारात्मक बनाया जा सके। दण्ड न्याय प्रणाली से जुड़ी अन्य एजेन्सियों के साथ परस्पर विचार-विनियम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उन्हें नए-नए विचारों और बदलती प्रवृत्तियों से अवगत कराया जा सके।

(10) वर्तमान और भविष्य के न्यायालय परिसरों तथा न्यायिक लॉक-अप की निकटता को अधिमान देते हुए अतिरिक्त जेल भवनों के निर्माण की योजना बना कर उनका निर्माण उच्च प्राथमिकता और तत्कालिकता के आधार पर करना चाहिए। इससे जेलों में भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी, जिससे उनके डाइवर्सीफिकेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा और बेहतर जेल और न्याय प्रशासन किया जा सकेगा।

(11) छोड़ दिए गए कैदियों के पुनर्वास के लिए समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही स्कीम को और सुदृढ़ किया जाए तथा अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए धन की कमी न होने पाए।

(12) नियमों में संशोधन करके अल्प-कालिक उद्देश्य जैसे मौजूदा सुविधाओं, और आधारभूत व्यवस्था के बेहतर प्रबंध तथा जैसे भोजन, रहने की जगह, बिस्तर, कपड़े आदि न्यूनतम मानक के अनुसार उपलब्ध करने जैसे दीर्घकालीन उद्देश्यों, दोनों के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसा करते हुए न्यायमूर्ति मुल्ला समिति द्वारा दिए गए सुझावों को भी ध्यान में रखा जाए।

(13) व्यापक दिल्ली जेल मैनुअल तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए और अलग-अलग अधिकारियों को वैयक्तिक पदल

पर निर्भर रहने की अपेक्षा जेल प्रशासन में सुधार लाने की पद्धति को स्थिर बनाया जाए।

(14) कैदियों के लिए खाना या अन्य खाद्य सामग्री बाहर से लाने की अनुमति देने की व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिए। तथापि, इससे होने वाली परेशानी को कम करने के लिए विचाराधीन कैदी को अपने खर्चे से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए न केवल खाना बल्कि कपड़े और दैनिक प्रयोग में आने वाले अन्य सामान को जेल कैन्टीन से लाने की अनुमति दी जाए क्योंकि विचाराधीन कैदी जेल में दण्ड के कारण नहीं है बल्कि वह विचारण के लिए उपलब्ध रहने या उसकी अथवा समाज की सुरक्षा के लिए जेल में है।

(15) जहां तक कैन्टीन सुविधाओं के उपयोग का प्रश्न है दोषसिद्ध कैदियों को भी विचाराधीन कैदियों की तरह सुविधाएं मानवता के आधार पर समान रूप में दी जानी चाहिए और उन्हें खाना या रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली अन्य वस्तुएं भुगतान करने पर कैंटीन से लेने की अनुमति भी दी जानी चाहिए।

(16) प्रशासनिक व्यवहार्यता और औचित्य तथा सुरक्षा आवश्यकताओं के अध्ययधीन सांस्कृतिक कार्यक्रम पंचायत, संपर्क सभाएं, खेल, ध्यान लगाना, प्रार्थना सभाएं, मनोरंजन (आंतरिक और बाह्य) आदि जैसी गतिविधियों को व्याप्ति और विषय वस्तु दोनों की दृष्टि से और मजबूत किया जाना चाहिए।

(17) (1) (काउन्सलर) (2) व्यवसायिक गाईडों और व्यायाम अनुदेशक (3) आचरण वैज्ञानिक (4) मनोबल और नैतिक मूल्यों के अध्यापक और ऐसे ही अन्य समूहों के साथ यदि किसी और अंतः क्रिया या समूह गतिविधि आयोजित करने के बारे में विचार किया जाये तो वह कैदी आत्म सुधार करने की संभावना उसके सुधार और पुनर्वास को दृष्टिगत रखते हुए की जानी चाहिए।

(18) इस समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कैदियों के इलाज के सम्बन्ध में बनाए गए नियमों को हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं के साथ बहुसंख्यक कैदियों की भाषा में भी जेल भवनों पर विधिवत् प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(19) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि समिति की सिफारिशों के अनुसार कैदियों के वर्गीकरण की वर्तमान प्रणाली को समाप्त करने और उनको पृथकीकरण के लिए नयी श्रेणियां प्रारंभ करने का कार्य पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है। एक नये जेल विधेयक और व्यापक जेल मैअनुअल का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तिहाड़ जेल में भीड़भाड़ को कम करने के लिए 6 नई जेलों का निर्माण किया जा रहा है। कैदियों को खेल-कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस दिशा में अन्तर-वार्ड और अन्तर-जेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। तथापि, कैदियों को बाहर से पका हुआ भोजन लेने की अनुमति देने की परिपाटी को समाप्त करने संबंधी समिति की सिफारिश स्वीकार नहीं की गयी है।

मस्तिष्क ज्वर सहित महामारी

2067. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के बेसगरी जिले में गत दस वर्षों के दौरान मस्तिष्क ज्वर जापानी एनसेफालाईटिस से कितने बच्चों की मौत हुई;

(ख) इनमें से कितने बच्चों की मौत वर्ष 1997 के दौरान हुई;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को राज्य में राष्ट्रीय जीवाणु विज्ञान संस्थान की शाखा की स्थापना करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ताकि मस्तिष्क ज्वर सहित महामारी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई परियोजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित परियोजना पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोई धनराशि स्वीकृति की है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान कर्नाटक के बेल्लारी जिले में जापानी एन्सेफालाइटिस (जे.ई.) के कारण 0-14 वर्ष की आयु वर्ग के 114 बच्चों की मृत्यु हुई। इनमें से 40 बच्चों की मृत्यु 1997 के दौरान हुई।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् को राज्य में राष्ट्रीय जीवाणु विज्ञान संस्थान की शाखा स्थापित करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अधीन राष्ट्रीय जीवाणु विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय स्टेशन पहले से ही मैसूर तथा बैंगलूर में कार्य कर रहे हैं और जापानी एनसेफालाइटिस की समस्या से जूझ रहे हैं।

(घ) से (छ) यह प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कॉरोनरी-एंजियोग्राफी सुविधा उपलब्ध न होना

2068. श्री बाबा चाचूराव परांजपे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों को राज्य में कारोनरी एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उपचार के लिए

अन्य राज्यों में जाना पड़ता है तथा अपने उपचार में काफी खर्च करना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को राज्य में यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा राज्य में यह सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बजिल एजिलमजाई) : (क) से (घ) जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इस समय राज्य में कारोनरी एंजियोग्राफी करने के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं, अतः मध्य प्रदेश से कुछ रोगियों को ऐसे उपचार के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कारोनरी एंजियोग्राफी और ओपन हार्ट सर्जरी के लिए केथेटेराइजेशन प्रयोगशाला और संबंधित सुविधाएं स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से विचार किये जाने की बात सूचित की गई है।

राज्यों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

2069. श्री प्रभात चन्द्र तिवारी :
श्री नृपेन गोस्वामी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और विशेषकर बिहार तथा असम में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य रक्षा योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार इन योजनाओं के लिए सरकार ने कितना धन आवंटित किया तथा राज्य सरकारों को जारी किया तथा इसमें से उनके द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बजिल एजिलमजाई) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य परिचर्या योजना जैसी कोई योजना नहीं है जिसे देश में विशेष तौर से बिहार और असम में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाया जाता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं और चावल की आपूर्ति में विलम्ब

2070. श्री सी.पी.एम. गिरिजम्मा : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बड़ी संख्या में उचित मूल्य की दुकानें भारतीय खाद्य निगम से गेहूं तथा चावल की आपूर्ति में अत्यधिक विलम्ब के कारण प्रभावित हुई हैं, जैसा कि 17 मई, 1998 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के द्वारा उचित मूल्य की दुकानों को समय पर तथा उचित मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली में गेहूं, चावल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता तथा खपत कितनी थी?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुछ उचित दर दुकानों को मई, 1998 के प्रथम पखवाड़े में खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं मिली। तथापि, भारत सरकार द्वारा किए गए खाद्यान्नों के आवंटन इस आवंटन के माह के पूर्ववर्ती महीने के पहले दिन से आवंटन के माह के अंतिम दिन तक लागू रहते हैं ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राशि जमा कराने, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों का उठान करने और इसका उपभोक्ताओं को वितरण करने के लिए 60 (साठ) दिन का पर्याप्त समय दिया जा सके। उचित दर दुकानों के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति और उनके कार्य निष्पादन की वास्तविक मानिटरिंग करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में पर्याप्त स्टाक रखा हुआ है। दिनांक 1.5.98 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में 57,551 टन चावल और 1,89,517 टन गेहूं रखा हुआ है जबकि अतिरिक्त आवंटन सहित कुल मासिक आवंटन 12,890 टन चावल और 50,400 टन गेहूं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपने मासिक कोटे के प्रति अप्रैल और मई, 1998 के दौरान निम्नलिखित मात्रा में खाद्यान्नों का उठान किया है :

(हजार टन में)

	गेहूं		चावल	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
अप्रैल, 98	50.4	35.4	12.89	7.9
मई, 98	50.4	34.9	12.89	8.4

(घ) 1995-96, 1996-97 और 1997-98 की अवधि के दौरान दिल्ली में चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल का वर्षवार आवंटन और उठान का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान दिल्ली द्वारा चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

वर्ष	चावल		गेहूं		चीनी		खाद्य तेल		मिट्टी का तेल	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1995-96	240.00	26.40	840.00	153.30	130.36	*	3.30	2.66	240.96	241.99
1996-97	240.00	113.60	700.00	576.90	149.70	*	3.60	2.95	243.66	241.92
1997-98	174.30	100.34	661.47	532.02	147.34	*	2.12	1.40	246.02	242.90

*ऐसा माना जाता है कि लेवी चीनी का 100 प्रतिशत उठान होता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों से अग्रिम भुगतान की मांग

2071. श्री अमर राय प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में विभिन्न सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम्स में हृदय रोग से संबंधित विभिन्न बीमारियों के उपचार के किए कितना-कितना शुल्क लिया जाता है;

(ख) क्या कारण है कि ऐसे मरीजों से, जो कि सरकारी कर्मचारी है तथा जिन्हें सी.जी.एच.एस. डिस्पेन्सरी द्वारा अथवा उनके कार्यालय प्रमुख द्वारा ही ऐसे अस्पतालों में भेजा जाता है, आपरेशन के लिए अथवा उपचार के लिए अग्रिम राशि मांगी जाती है;

(ग) सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी अस्पतालों/निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम्स में उपचार कराने तथा उपचार पर खर्च हुई राशि की पुनः अदायगी किए जाने के संबंध में सरकार की नीति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे अस्पतालों को मार्गनिर्देश जारी करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है जो इस संबंध में सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) सरकारी अस्पतालों में हृदय रोगों के विभिन्न प्रकार के उपचार की दरें उपलब्ध नहीं हैं लेकिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की दरें विवरण-I में और के.स.स्वा. योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों के लिए अनुमोदित दरें विवरण-II में दी गई हैं, जो सेमी-प्राइवेट वार्ड के लिए हैं जनरल वार्ड के लिए इन दरों को लागू करने के लिए इन दरों में 10 प्रतिशत में कमी करनी होगी और इसी प्रकार प्राइवेट वार्डों के मामले में इन दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी।

(ख) से (घ) 18 सितम्बर, 1996 के आदेशों के अंतर्गत सरकार ने दिल्ली में रेफरल प्रयोजनों के लिए 24 प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता प्रदान की है जो कि सेवारत और पेंशनभोगी लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं के रूप में है। इस आदेश में विभिन्न चिकित्सीय प्रक्रियाओं और जांचों के लिए प्रतिपूर्ति हेतु पैकेज डील रेट्स/सीलिंग रेट्स का भी उल्लेख है। तदनुसार के.स.स्वा. योजना के लाभार्थियों (सेवारत और पेंशनभोगी दोनों) को प्रतिपूर्ति अनुमोदित सीमाओं अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के आधार पर की जाती है। विभिन्न चिकित्सीय प्रक्रियाओं/जांचों के लिए के.स.स्वा. योजना द्वारा निर्धारित उक्त सीमा दरों से अधिक राशि की प्रतिपूर्ति लाभानुभोगी द्वारा स्वयं वहन की जानी होगी और के.स.स्वा. योजना द्वारा इस राशि की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

के.स.स्वा. योजना के विशेषज्ञ की आरंम्भिक सलाह के बाद सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को रेफर करने संबंधी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे उपचार के लिए एक अनुमति पत्र प्रदान किया जाता है। आपाती स्थिति में के.स.स्वा. योजना के संबंधित औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सीधे ही (अर्थात् विशेषज्ञ की सलाह से पहले भी) सी.जी.एच.एस. पेंशनर को आगे के और उपचार के लिए, विवरण दर्ज करने के बाद प्राइवेट मान्यता प्राप्त अस्पताल को भेज सकता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल लाभानुभोगियों से अग्रिम भुगतान की मांग कर सकते हैं और इसके लिए सरकारी दरों के 90 प्रतिशत तक अग्रिम चिकित्सा उपचार राशि स्वीकृत की जाती है जो बिलों को प्रस्तुत करने और अंतिम समायोजन की शर्त पर स्वीकृत किया जाता है। सरकारी दरों और प्राइवेट अस्पताल द्वारा दी गई दरों के बीच के अन्तर को लाभानुभोगियों द्वारा वहन किया जाना होता है।

सरकार ने देशभर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में उपचार करने में के.स.स्वा. योजना लाभार्थियोंइ को आ रही कठिनायों तथा उनके चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति और लाभार्थियों को सहयोग प्रदान करने के संबंध में हाल ही में सभी प्राइवेट अस्पतालों को अनुदेश जारी किए हैं।

विवरण-I

जांच का नाम, उपचार विधि	कैटरैक्ट के बिना	कैटरेक्ट सहित
1	2	3
ई.सी.जी.	60	
2डी इको विद कलर डोपलर		1000
ट्रांस ओसोफेडरल इको (टीईई)		1500
ट्रेडमिल टेस्ट (टीएमटी)	600	
होल्टर एनालिसिस	800	
ब्लड प्रेशर रिपोर्टर	800	
कोरोनरी एंजीयोग्राफी	12000	
स्ट्रेस थलियम	6000	
मूगा (रेस्टिंग)	1200	
मूगा (स्ट्रेस)	1500	
कोरोनरी बाइपास सर्जरी	99000	
कोरोनरी बाईपास सर्जरी पोस्ट	99000	
कोरोनरी बालून एंजीओप्लास्टी	70000	
बलून एंजीओ प्लास्ट्स-विद् वाल्वोटमी	52000	
ओपन हार्ट प्रोसीजर	99000	
पेंशट डक्टस आर्टिरियोसस	55000	
टोटल करेक्ट ऑफ टेट्रालोजी ऑफ फ्लोट	99000	
रसव करक्शन	99000	
टापवक करेक्शन	99000	
ओपन एस्ड वेस्ड	99000	
ओपन प्लमोनरी वाल्वोटमी	99000	
कारेक्टेशन ऑफ ओरटा		
बलाकेलोक टेसिंग ओपरेशन	57000	
मिटरल वाल्वोटोमी		
ओपन मिट्रल वाल्वोटमी	99000	
मिट्रल वाल्वो रिप्लेसमेंट	99000	
ओपिटक वाल्व रिप्लेसमेंट	99000	
डबल वाल्व रिप्लेसमेंट		
क्लोज्ड वाल्वोटोमी	57500	
अरोटा रिप.आफ.ब्लक		
टसिंग शट	57500	
बी.टी.शट	57500	
पेरिकार्डियोस्टोमी	57500	
पेरिकार्डियोक्ट्री	57500	
पेरिकार्डियोक्ट्री सेन्टोसिस	57500	
	1600	
परमानेंट पेसमेकर इम्पलांटेशन	8000	(साथ में पेसमेकर की लागत)
टेम्परेरी पेसमेकर इम्पलार्टेशन	6000	(साथ में पेसमेकर की लागत)
पार्शियल पेरिकार्डेक्टोमी	9000	

विवरण-II

विशेष प्रक्रियाएं सी.टी.बी.एस.	दर	प्राइवेट वार्ड रेट (उपभोज्य प्रभार)
1	2	3
ए.एस.डी.	37000.00	*(30000.00)
एंजीओप्लास्टिक	5000.00	
एसंडींग अरोटा रिपलेसमेंट	140000.00	*(120000.00)
एर्टियल सेप्टोस्टोमी	8000.00	
बी.टी.शंट	21000.00	*(12000.00)
सी.ए.बी.जी.	74000.00	*(60000.00)
सी.ए.बी.जी. + डबलवाल्व रिप्लेसमेंट	132000.00	*(120000.00)

1	2	3
सी.ए.बी.जी. + आई.ए.बी.बी.	105000.00	*(85000.00)
सी.ए.बी.जी. + सिंगल वाल्व रिपलेसमेंट	118000.00	*(100000.00)
सी.एम.वी.	7000.00	*(3000.00)
कंडयूक रिपेयर	54000.00	*(40000.00)
कार्कटेशन कोआक्शन ऑफ ओर्टा	21000.00	*(12000.00)
कोइल इम्बोलाइजेशन	2000.00	
डी.एस.ए.	2000.00	
डबल वाल्व रिपलेसमेंट	132000.00	*(120000.00)
इम्बोलेक्टोमी	5000.00	
फाटन प्रोसीजर फान्टेन प्रोसीजर	58000.00	*(40000.00)
इम्प्लांट	2000.00	
मिनरल बालूनव वाल्वोप्लास्टी	20000.00	*(11000.00)
पी.डी.ए.	7000.00	*(3000.00)
पेरीफेरल एंजीओप्लास्टी	5000.00	
प्लुमोनरी आर्टिक वाल्वोप्लास्टी	20000.00	
रिप्लांट	250.00	
सिंगल वाल्व रिप्लेसमेंट	89000.00	*(80000.00)
टी.ओ.एफ.	47000.00	*(35000.00)
वी.एस.डी.	44000.00	*(35000.00)

इन दरों में प्रत्येक प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले उपभोज्य मदों के प्रभार शामिल हैं और प्रकोष्ठ में दिए गए हैं। ये राशियाँ सी.टी.सेंटर के अस्पताल स्टोर को अपेक्षित सामग्री की खरीद के लिए स्थानान्तरित की जानी हैं जो आवश्यक इंडेंट के अनुसार रोगियों के उपयोग के लिए जारी की जाएगी।

[हिन्दी]

गैस एजेंसियों के लिए चयन बोर्ड

2072. श्री बाबर चन्द गेहलोत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीकृत गैस एजेंसियों के स्थापित करने संबंधी निर्णय हेतु एक चयन बोर्ड गठित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) 14 राज्यवार/क्षेत्रवार डीलर चयन बोर्डों का गठन सितंबर/अक्तूबर, 1997 में किया गया था और वे अभी तक कार्यरत हैं। चयन के भारी बकाया को निपटाने के लिए और डीलर चयन बोर्डों का सृजन करने की योजना है। फिलहाल विज्ञापनों के प्रति प्राप्त आवेदनों की जांच प्रगति पर है और डीलरों के चयन के लिए साक्षात्कार शीघ्र ही आरंभ होने वाले हैं।

[अनुवाद]

गेहूं का आयात

2073. श्री चन्द्रशेखर साहू :
श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा :
श्री आर. साम्बासिवा राव :
डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री चन्दूलाल अजमीरा :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री मोहन सिंह :
श्री एस.एस. ओवेसी :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री चिन्ता मोहन :
श्री कृष्ण लाल शर्मा
डॉ० राम कृष्ण कुसमरिया :
श्री के. येरननायडू :
श्री चमन लाल गुप्त :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान आस्ट्रेलिया और अन्य देशों से गेहूं आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितना गेहूं आयात किया जाएगा और किस दर पर आयात किया जाएगा और उस पर कुल कितनी लागत आएगी;

(घ) क्या किसानों ने इस निर्णय पर चिन्ता प्रकट की है;

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या आस्ट्रेलिया से गेहूं आयात के समझौते पर 1997 के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे;

(छ) यदि हाँ, तो क्या आस्ट्रेलिया से जितना गेहूं आयात करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे वह सब अब तक भारत पहुंच गया है;

(ज) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(झ) क्या इस विलम्ब के कारण गेहूं की कीमत बढ़ी है;

(ञ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आस्ट्रेलिया से समझौते का पूरा गेहूं कब तक आयात करने की संभावना है;

(ट) आयातित गेहूं की सुपुर्दगी लेने और उसके वितरण हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ठ) क्या सरकार ने शेष परिमाण के लिए ठेके को स्थगित करने का निर्णय लिया है; और

(ड) यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) सरकार बफर स्टाक रखने के निर्धारित मानदण्डों, देश में खाद्यान्नों के उत्पादन, वसूली की प्रवृत्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं और अन्य कल्याण योजनाओं, खुले बाजार मूल्यों आदि की तुलना में केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की स्टॉक स्थिति की निरन्तर समीक्षा करती है और समूची स्थिति पर निर्भर करते हुए खाद्यान्नों का आयात करने का निर्णय लिया जाता है। बुवाई मौसम के दौरान असामयिक वर्षा के कारण कृषि मंत्रालय ने वर्तमान रबी मौसम 1997-98 के दौरान आरम्भ में 64.51 मिलियन टन गेहूं के उत्पादन का अनुमान लगाया था जबकि पिछले वर्ष 69.27 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। सरकार ने 1997-98 के दौरान गेहूं के उत्पादन की स्थिति की समीक्षा करने के बाद मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए देश में गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए 1998-99 के दौरान 20 लाख टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया था। राज्य व्यापार निगम ने ऑस्ट्रेलिया से 142.50 अमेरिकी डालर प्रति टन जहाज तक निष्प्रभार दर पर 15 लाख टन गेंहू का आयात करने का ठेका पहले ही कर लिया है। 15 लाख टन गेहूं की कुल अनुमानित लागत 214 मिलियन अमेरिकी डालर बैठती है। (1 अमेरिकी डालर - 40 रुपये की दर पर अनुमानतः 855 करोड़ रुपये)।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) सरकार द्वारा गेहूं की वसूली मूल्य समर्थन योजना के अधीन की जाती है। मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसानों द्वारा बिक्री के लिए पेश की गई निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप गेहूं की सभी मात्राएं सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्य पर सरकार/सरकारी एजेन्सियों द्वारा खरीद ली जाती हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय गेहूं की उत्पादन लागत और किसानों को मिलने वाले लाभ के उचित मार्जिन को ध्यान में रखता है। रबी विपणन मौसम 1998-99 के लिए गेहूं का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 455/- रुपये प्रति क्विंटल है। इसके अलावा, सरकार ने 1.4.98 से 10 जून, 1998 की अवधि के दौरान वसूली एजेन्सियों को बिक्री के लिए पेश किए गए गेहूं के लिए 55/- रुपये प्रति क्विंटल का बोनस घोषित किया है। किसान, सरकार और उसकी एजेन्सियों को निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्य पर अथवा खुले बाजार में जो भी मूल्य उन्हें प्राप्त हो सकता है उस मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः गेहूं का आयात करने के निर्णय से किसानों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्पादन आदि में कमी के कारण देश में गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए गेहूं के आयात का सहारा लिया जाता है।

(च) से (ञ) 1996-97 के दौरान 20 लाख टन तक गेहूं का आयात करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति राज्य व्यापार निगम ने आस्ट्रेलिया, कनाडा और अर्जेन्टीना से 16.75 लाख टन गेहूं के आयात के लिए ठेका किया था। इसमें से 12.25 लाख टन गेहूं 1996-97 के दौरान आस्ट्रेलिया से आयात करने का ठेका किया गया था। 1996-97 के दौरान आयात के लिए गेहूं की समस्त ठेकाबद्ध मात्रा पहुंच गई है।

(ट) आयातित गेहूं केन्द्रीय पूल में शामिल किया जाता है। आयातित गेहूं सहित केन्द्रीय पूल में गेहूं का स्टाक गैर गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में नियमित आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम को कोचीन, मंगलौर, तूतीकोरिन, चेन्नई, पांडिचेरी, काकीनाडा, विजाग, जे. एम.पी. (मुंबई) और कांडला बन्दरगाहों पर आयातित गेहूं के जहाज प्राप्त हो रहे हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए जारी करने हेतु दक्षिण जोन और महाराष्ट्र तथा गुजरात में स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में स्टाक भंडारित किया जा रहा है।

(ठ) 1998-99 के दौरान 20 लाख टन तक गेहूं का आयात करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति राज्य व्यापार निगम ने 15 लाख टन गेहूं के आयात के लिए ठेका किया है। ठेकाबद्ध समस्त मात्रा का आयात किया जा रहा है।

(ड) प्रश्न नहीं उठता।

सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग के कारण त्वचा रोग

2074. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौंदर्य प्रसाधनों, साबुनों, शैम्पू के आधुनिक समाज में अत्यधिक उपयोग के कारण कई त्वचा रोग हो जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वल्लित एजिलमलाई) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि त्वचा रोगों का मुख्य कारण प्रसाधन सामग्री, साबुन और शैम्पू का उपयोग है।

(ख) और (ग) उपयोग किए गए रसायनों की निरापदता पहलू को ध्यान में रखने के पश्चात भारतीय मानक ब्यूरो शैम्पू, साबुन और अन्य प्रसाधन सामग्री के मानक तैयार करता है और निर्माताओं को बाजार में अपने उत्पाद को बिक्री के लिए रिलीज करने से पहले अपने औषध योगों की त्वचा विज्ञानीय निरापदता सुनिश्चित करनी होती है।

खानों में श्रमिकों की सुरक्षा

2075. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खानों की सुरक्षा के संबंध में गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खानों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जायेंगे ?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में पहले ही विद्यमान हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय भी सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिए प्रबंधनों को परिपत्रों के रूप में दिशा-निर्देश जारी करता है। इन प्रावधानों को खान प्रबंधनों द्वारा अनुपालित करना अपेक्षित होता है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति की निगरानी करने के लिए खानों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और चूक की दशा में खान अधिनियम, 1952 के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करते हैं।

विधायी उपायों के अतिरिक्त, सरकार अन्य अनेक तरीकों से सुरक्षा को बढ़ावा दे रही है, जैसे :

(क) खानों में सुरक्षा संबंधी सम्मेलन

(ख) प्रबंधनों द्वारा स्वतः विनियमन

(ग) सुरक्षा प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता

(घ) विभिन्न स्तर पर त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय समीक्षाएं

(ङ) कामगारों का प्रशिक्षण

(च) सुरक्षा सप्ताह का मनाया जाना और सुरक्षा अभियान और

(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान)।

[हिन्दी]

मिलों को खाद्यान्नों की आपूर्ति

2076. श्री मोहन सिंह : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने 1995 के बाद से अब तक पंजाब से खाद्यान्न खरीदा है और इसे सस्ती दरों पर मिलों को बेच दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को कितनी हानि हुई;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए और बेचे गए खाद्यान्नों की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

इसके अलावा 1994-95 में वसूल की गई 7.44 लाख टन धान की मात्रा भारतीय खाद्य निगम द्वारा जून, 1997 तक खुले बाजार में बेची गई है। विशिष्ट रूप से केवल मिल मालिकों को कोई मात्रा नहीं बेची गई है। खुली बिक्री के दौरान यदि मिल मालिक मौजूद होते तो उनको भी उन्हीं दरों का लाभ मिलता जो दरें अन्य बोलीदाताओं/खरीददारों के लिए थीं।

(घ) और (ङ) कुछ प्रैस रिपोर्टों के आधार पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वतः ही एक लोकहित याचिका (संख्या 915/97) दाखिल की थी जिसमें यह अभिकथन था कि गेहूं की खुले बाजार की बिक्री योजना में कुछ अनियमितताएं हुई थीं। दिनांक 25.7.1997 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसरण में पंजाब और हरियाणा के उपायुक्त द्वारा इस मामले की जांच की गई थी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच की थी और अब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 13 प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की हैं।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1995 से पंजाब में वसूल किये गये खाद्यान्न की मात्रा

(लाख टन में)

वर्ष	गेहूं	धान	चावल लेवी
1994-95	23.89	27.45	9.09
1995-96	22.83	17.58	0.41
1996-97	16.64	17.18	7.88
1997-98	14.97	29.11	13.04
1998-99	18.12 (1.6.1998 तक)		

भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1995 से पंजाब में बेचे गये खाद्यान्न की मात्रा

(लाख टन में)

	गेहूं	चावल
1994-95	3.25	0.25
1995-96	7.69	0.36
1996-97	(*)5.32	0.26

(*) इसके अतिरिक्त, पंजाब विशेष योजना के अधीन विभिन्न खरीदारों को 8.75 लाख टन गेहूं जारी किया गया था।

[अनुवाद]

प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए केन्द्रीय सहायता

2077. श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री सतनाम सिंह कैंथ :
श्री रामपाल उपाध्याय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में अभी तक खोले गए प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों और परिवार नियोजन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार वर्ष 1998-99 के दौरान राज्यवार स्थापित किए जाने वाले प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर जोर दे रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार उप केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रत्येक राज्य को अनुदान/विशेष सहायता उपलब्ध कराए जाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वजित एजिजमलाई) : (क) योजना आयोग राज्य सरकारों से परामर्श लेते हुए 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे रहा है।

(ख) बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अन्तर्गत निर्धारित की गई सात प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता वर्ष 2000 तक शत-प्रतिशत सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं प्रदान करना है।

(ग) से (ङ) योजना आयोग 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में उपकेन्द्रों की स्थापना करने के लक्ष्यों को अन्तिम रूप दे रहा है। निधियां सीधे राज्य सरकारों को दी जाएंगी और उन्हें अपनी प्राथमिकताओं का पता लगाने की छूट होगी।

रक्त का संग्रहण/संरक्षण के वर्तमान नियमों में संशोधन

2078. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिना लाइसेंस के रक्त का संग्रहण/संरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु विद्यमान नियमों में कोई संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अस्पतालों/रक्त बैंकों में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) रक्त की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वजित एजिजमलाई) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) देश में स्वैच्छिक रक्त दान के माध्यम से प्राप्त किए गए रक्त की सामान्य कमी है। राज्य सरकारों और राज्य रक्तधान परिषदों को भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी इत्यादि जैसे स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से शिविरों का आयोजन करके स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ाने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक नीति

2079. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रसायन और उर्वरक नीति की मुख्य बातें और इसमें शामिल मुद्दे क्या हैं;

(ख) इस नीति की घोषणा कब तक होने की संभावना है और क्या इस नीति को संसदीय स्थाई समिति ने स्वीकृति दे दी थी;

(ग) क्या नई नीति से उर्वरक उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना के विकास में विदेशी और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) से (घ) रसायन क्षेत्र के लिए पृथक नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है।

यूरिया को राजसहायता देने की मौजूदा पद्धति की समीक्षा करने तथा वैज्ञानिक एवं पारदर्शिता पद्धति पर आधारित वैकल्पिक बोर्ड का सुझाव देने के लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समिति की सिफारिशों पर इस उद्योग के साथ अन्तरमंत्रालीय परामर्श तथा बातचीत की प्रक्रिया जारी है। नयी उर्वरक नीति, इस प्रक्रिया के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी जिसका उद्देश्य इस उद्योग में दक्षता बढ़ाने के साथ वृद्धि की अनिवार्यताओं में सामंजस्य स्थापित करना होगा।

[अनुवाद]

कर्नाटक में मान्यता प्राप्त डेन्टल कालेज

2080. श्री ए. सिवराजू : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा चलाये जा रहे मान्यता प्राप्त/गैर-मान्यता प्राप्त डेन्टल कॉलेजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि गैर-मान्यता प्राप्त डेंन्टल कालेजों ने सभी शर्तें पूरी की हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में कर्नाटक में आवश्यक शर्तें पूरी करने वाले गैर-मान्यता प्राप्त डेन्टल कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बजिल एजिलनजाई) : (क) से (ग) दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र सरकार दन्त चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करती है। केन्द्र सरकार की अनुमति ऐसे समय तक वार्षिक आधार पर नवीकृत की जाती है जब तक प्रविष्ट किए गए छात्रों का पहला बैच अन्तिम परीक्षा में बैठे और उस समय तक कालेज को संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 10(2) के अन्तर्गत की बी.एस. डिग्री को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन कर देना चाहिए। केन्द्र सरकार ने दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम 1993 के लागू होने के समय से संलग्न विवरण-I में दी गई सूची के अनुसार कर्नाटक में दस दन्त चिकित्सक कालेजों की स्थापना करने के लिए अपनी अनुमति दे दी है।

जहां तक 1.6.92 अर्थात दन्त चिकित्सा कालेज जो दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन से पहले स्थापित किए गए थे से पहले कर्नाटक में स्थापित किए गए दन्त चिकित्सक कॉलेजों का संबंध है भारतीय दन्त परिषद् ने सूचित किया है कि संलग्न विवरण-II में दी गई सूची के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे 28 दंत चिकित्सा कॉलेज थे।

विवरण-I

भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्

कर्नाटक राज्य में दंत कॉलेजों की सूची जिसे दन्त अधिनियम की धारा 10क के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति दी गई है।

1. ऑक्सफोर्ड डेन्टल कॉलेज बेंगलूर
2. के.एल.ई. सोसायटी बेंगलूर
3. आर.वी. डेन्टल कॉलेज बेंगलूर
4. मराठा मंडल डेन्टल कॉलेज बेंगलूर
5. सरस्वती डेन्टल कॉलेज शिमोगा
6. फारूकिया डेन्टल कॉलेज मैसूर
7. श्री सिद्धार्थ डेन्टल कॉलेज टुम्कूर
8. राजेश्वरी डेन्टल कॉलेज बेंगलूर
9. कृष्णदेवराय डेंटल कॉलेज बेंगलूर

विवरण-II

कर्नाटक राज्य में दन्त कॉलेजों की सूची जिनकी स्थापना दन्त्य संशोधन अध्यादेश 1992 लागू करने से पहले की गई है

क्र.सं.	कॉलेज का नाम	मान्यताप्राप्त/गैर मान्यताप्राप्त
1	2	3
1.	गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बेंगलूर	मान्यता प्राप्त
2.	कॉलेज ऑफ डेन्टल कालेज सर्जरी के.एम.सी. मनिपाल	मान्यता प्राप्त

1	2	3
3.	बापू जी डेन्टल कॉलेज एण्ड हास्पिटल देवेनगेरे	मान्यता प्राप्त
4.	के.एल.ई. सोसायटी डेंटल कॉलेज, बेलगाम	मान्यता प्राप्त
5.	ए.वी.शेट्टी मेमोरियल इन्सटीट्यूट ऑफ डेन्टल साइंसेस मंगलौर	मान्यता प्राप्त
6.	जे.एस.एस. डेन्टल कॉलेज मैसूर	मान्यता प्राप्त
7.	एस.डी.एम. कॉलेज ऑफ डेन्टल सांइस धारवाड़	मान्यता प्राप्त
8.	एस.जे.एम. डेन्टल कॉलेज एण्ड हास्पिटल चित्रदुर्ग	मान्यता प्राप्त
9.	एच.के.ई. डेन्टल कॉलेज गुलबर्गा	मान्यता प्राप्त
10.	कॉलेज ऑफ डेनटिस्टरी के.एम.सी. मंगलौर	मान्यता प्राप्त
11.	वी.एस. डेन्टल कॉलेज बेंगलूर	मान्यता प्राप्त
12.	एम.आर.ए. डेन्टल कॉलेज बेंगलूर	मान्यता प्राप्त
13.	पी.एम.नड्डगौड़ा डेन्टल कालेज एण्ड [illegible]टल, बागलकोट	मान्यता प्राप्त
14.	कालेज ऑफ डेन्टल साईंसिस देवेनगेरे	मान्यता प्राप्त
15.	के.वी.जी. डेन्टल कॉलेज सुलिया	मान्यता प्राप्त
16.	बेंगलूर इन्स्टीट्यूट ऑफ डेन्टल साईंसिस बेंगलूर	मान्यता प्राप्त
17.	दयानंद सागर कॉलेज ऑफ डेन्टल साईंसिस बेंगलूर	मान्यता प्राप्त
18.	एस. निजलिंगप्पा इन्सटीट्यूट ऑफ डेन्टल साइंसेस हासन	मान्यता प्राप्त
19.	एम.एस. रमैयया डेन्टल कॉलेज बेंगलूर	मान्यता प्राप्त
20.	येनोपोया डेन्टल कालेज मंगलौर	मान्यता प्राप्त
21.	के.जी.एफ. कॉलेज आफ डेन्टल साईंसिस कोलार फील्ड	मान्यता प्राप्त
22.	ए.एम.ई. डेन्टल कॉलेज रामचूर	मान्यता प्राप्त
23.	एम.वी. पाटिल इन्सटीट्यूट ऑफ डेन्टल साइंसेस एण्ड रिसर्च वीदर	मान्यता प्राप्त
24.	अल-अमीन डेन्टल कॉलेज बीजापुर	मान्यता प्राप्त
25.	एच.के.डी.ई.टी. डेन्टल कॉलेज हुमनाबाद	मान्यता प्राप्त
26.	डॉ0 श्यामला रेड्डी डेन्टल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, बेंगलूर	मान्यता प्राप्त
27.	अल-बदर चैरिटेबिल ट्रस्ट डेन्टल कॉलेज गुलबर्गा	मान्यता प्राप्त
28.	राजीव गांधी कॉलेज ऑफ डेन्टल साइंसिस बेंगलूर	इसे बी.डी.एस. पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारतीय दन्त परिषद द्वारा अनुमति दी गई है।

*भारत सरकार की ओर से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की जा रही है कि क्या इन कॉलेजों की स्थापना वास्तव में 1.6.1992 से पहले ही दी गई थी।

ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख हेतु विश्व बैंक की सहायता

2081. श्री हरिन पाठक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देख-रेख हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान दी गई धनराशि का वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) विश्व बैंक ने निम्नलिखित स्वास्थ्य परिचर्या परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है:

I. शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम

II. क्षेत्र परियोजनाएं (भारत जनसंख्या परियोजना IV, V, VI, VII, VIII, IX)

III. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

IV. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

V. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

VI. नया क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

VII. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

VIII. राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना

IX. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

(ख) विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IX में दिया गया है।

विवरण-I

शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम

विश्व बैंक (आई.डी.ए.) से शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त हुई थी। इस कार्यक्रम को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के सभी कार्यकलापों को व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम को साथ मिलाकर 1992-93 में आरम्भ किया गया था। शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम को वर्ष 1996-97 में देश के सभी जिलों को चरणवार ढंग से कवर करने के लिए कार्यान्वित किया गया था।

विश्व बैंक से शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार को सहायता प्राप्त हुई थी और आई.डी.ए. क्रेडिट सं0 2300 - इन (सी.एस.एस.एम. प्रोग्राम) की सम्पूर्ण राशि का 1996-97 में उपयोग किया गया था। पिछले 3 वर्षों में आई.डी.ए. सहायता का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है -

वर्ष	दावा की गई राशि	प्रतिपूर्ति राशि
1995-96	252.47	197.07
1996-97	182.71	136.61
1997-98**	-	-

** वर्ष 1996-97 में एस.डी.आर. 160.0 मिलियन की सारी आई.डी.ए. क्रेडिट सुविधा का उपयोग किया जा चुका है।

विवरण-II

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विश्व बैंक सहायता प्राप्त क्षेत्र परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान रिलीज निधियों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा

वर्षवार रिलीज राशि (करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
आन्ध्र प्रदेश	11.34	13.49	-
उत्तर प्रदेश	12.00		
मध्य प्रदेश	3.00	3.43	-
पंजाब	2.65	1.00	-
हरियाणा	0.66	-	6.00
बिहार	18.00	-	-
जम्मू और कश्मीर	1.71		
गुजरात	1.26	-	9.00
असम	3.00	14.50	23.00
कर्नाटक	20.00	24.66	-
राजस्थान	20.00	26.54	-
	93.62	83.62	38.00

विवरण-III

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

विश्व बैंक प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस खाते में प्रतिपूर्ति अभी दर्ज की जानी है। यह कार्यक्रम 9वीं योजना के दौरान शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम तथा अन्य प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यकलापों और आर.टी.आई. और एस.टी.आई. के अतिरिक्त घटकों को मिलाकर 15.10.97 को ही आरम्भ किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रथम चरण के लिए 248.30 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता प्रदान की है। इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 1997-98 और 98-99 के लिए बजट परिव्यय क्रमशः 150 करोड़ रुपए और 758 करोड़ रुपए हैं।

विवरण-IV

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

विश्व बैंक सहायता प्राप्त दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के आरम्भ से विभिन्न राज्य सरकारों को रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा

(मिलियन रुपए)

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98	योग
आन्ध्र प्रदेश	29.064	00.000	19.750	48.814
मध्य प्रदेश	32.026	40.037	21.012	93.075
महाराष्ट्र	31.292	36.026	9.456	76.774
उड़ीसा	21.860	06.718	31.144	59.722
राजस्थान	26.832	06.372	3.972	37.176
तमिलनाडु	30.630	10.654	44.366	85.650
उत्तर प्रदेश	08.377	70.006	11.20	89.583
योग	180.081	169.813	140.900	490.794

विवरण-V

विश्व बैंक सहायता से वृहत मलेरिया नियंत्रण परियोजना के बारे में सूचना (30.9.97 तक परियोजना कार्यान्वयन है)

1. कुल परियोजना लागत 891.04 करोड़ रुपये
2. वर्ष 1997-98 तक हुआ व्यय 4.14 करोड़ रुपए

विवरण-VI

क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या के लिए विश्व बैंक की सहायता

विश्व बैंक ने 15 राज्यों को कवर करते हुए 102 जिलों में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 142.4 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्रदान की। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों की अवधि में कुल 271.2 मिलियन लोग लाभान्वित हुए हैं।

विश्व बैंक के साथ विकास ऋण करार (डी.सी.ए.) पर मई 1997 में ही हस्ताक्षर किए गए। पहले वर्ष में संशोधित कार्यनीति देश के 39 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इनमें से दो जिले नामतः गुजरात के वलसाड़ तथा केरल के वेनाड़ आदिवासी जिला क्षेत्र हैं। विकास ऋण करार (डेवलपमेंट क्रेडिट एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने के बाद इन दो जिलों में जिला क्षयरोग समितियों को रिलीज की गई निधियां क्रमशः 29.03 लाख रुपए तथ 8.93 लाख रुपए हैं। 39 जिलों, जिनमें शहरी ग्रामीण तथा आदिवासी जनसंख्या तथा उनके संबंधित राज्य मुख्यालयों को कवर किया गया है, को रिलीज धनराशि 1185.33 लाख रुपए है।

विवरण-VII

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां रिलीज किए जाने का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	रिलीज अनुदान	रिलीज अनुदान	रिलीज अनुदान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	432.00	425.00	425.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	65.81	80.00	25.00
3.	असम	92.70	100.00	100.00
4.	बिहार	0.00	25.00	50.00
5.	गोवा	0.00	25.00	50.00
6.	गुजरात	131.26	300.00	250.00
7.	हरियाणा	0.00	130.00	75.00
8.	हिमाचल प्रदेश	156.75	115.00	225.00
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	25.00	25.00
10.	कर्नाटक	120.00	350.00	175.00
11.	केरल	172.62	225.00	100.00
12.	मध्य प्रदेश	137.00	425.00	150.00
13.	महाराष्ट्र	300.00	900.00	950.00
14.	मणिपुर	113.58	200.00	150.00
15.	मेघालय	18.00	35.00	25.00
16.	मिजोरम	74.00	150.00	100.00
17.	नागालैंड	107.00	190.00	155.00
18.	उड़ीसा	0.00	50.00	75.00
19.	पंजाब	80.00	225.00	75.00
20.	राजस्थान	90.00	375.00	225.00
21.	सिक्किम	25.00	50.00	50.00
22.	तमिलनाडु	650.00	1700.00	2000.00
23.	त्रिपुरा	38.00	50.00	50.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	450.00	495.00
25.	पश्चिम बंगाल	288.82	600.00	100.00
26.	पांडिचेरी	55.04	400.00	0.00
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	50.59	7.00	31.09
28.	चंडीगढ़	51.70	45.91	28.00
29.	दादर एवं नगर हवेली	42.00	46.93	16.00
30.	दमन एवं दीव	43.05	17.00	24.22
31.	दिल्ली	164.00	19.00	25.00
32.	लक्षद्वीप	53.54	16.71	15.42
	कुल	3552.46	7752.55	6239.73

विवरण-VIII

राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाओं के अंतर्गत 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रस्तेपित, आवंटित तथा वास्तविक रूप से उपगत निधियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	परियोजना की अवधि	शुरू होने आबंटन का वर्ष लाख रु0 में	व्यय								
			1995-96			1996-97			1997-98		
			*प्रस्ते.	*आ.	*वा.	*प्रस्ते	*आ	*वा	*प्रस्ते	*आ.	
			(करोड़ रु0 में)								
1. आन्ध्र प्रदेश	6 वर्ष	1995 608.32 43.9 6.00 5.83	71.37	31.00	30.83	117.02	92.00	91.58	150.01	125	
2. कर्नाटक	5 वर्ष	1996 546.00	58.6	55.0	1.77	115.51	77.00	60.57	एन.ए.	192.6	
3. पश्चिम बंगाल	5 वर्ष	1996 701.46	53.53	21.37	2.58	115.87	18.82	11.71	211.78	100	
4. पंजाब	5 वर्ष	1996 441.88	46.20	40	1.75	89.20	45.00	26.06	112.60	126.56	

प्रस्ते. - प्रस्तेपित आ. - आवंटित वा. - वास्तविक

विवरण-IX

ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या परियोजनाओं पर विश्व बैंक की सहायता के बारे में संसद प्रश्न संख्या 2081 हेतु सामग्री

विश्व बैंक ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को 85 मिलियन अमेरिकी डालर (3.2 करोड़ रुपए) की सहायता प्रदान की। यह सहायता 4.2.1994 अर्थात् वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान मंजूर की गई। देश के सभी 490 जिले इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए गए हैं और ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए जिला कुष्ठ सोसायटियों के माध्यम से निधियों का उपयोग किया जाता है।

विश्व बैंक निधियों की वर्ष वार रिलीज इस प्रकार है :

1995-96	21.42 करोड़ रुपए
1996-97	29.27 करोड़ रुपए
1997-98	40.20 करोड़ रुपए

पैराफिन वैक्स

2082. श्री वी.एम. सुधीरन :
श्री ए.सी. जोस :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को पैराफिन वैक्स आवंटन किए जाने का कोई कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किए गए आवंटन का विवरण क्या है;

(ग) क्या केरल तथा अन्य राज्य सरकारों से पैराफिन वैक्स के कोटे में वृद्धि हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सरकार ने पैराफीन मोम किस्म-1 को 3.1.1997 से मुक्त व्यापार उत्पाद घोषित कर दिया था। परन्तु, मोमबत्ती बनाने और माचिस की डिब्बी बनाने के क्षेत्रों में किस्म-II और किस्म-III मोम को आबंटन के अंतर्गत ही बनाए रखा गया। कलैन्डर वर्ष 1996 की अंतिम तिमाही में प्रचलित किस्म-II और किस्म-III के मोम के तिमाही आबंटन की मात्रा स्थिर कर दी गई और उसका वही स्तर बनाए रखा गया। वर्ष 1994, 1995 और 1996 के लिए पैराफीन मोम के राज्यवार आवंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

अब सभी श्रेणियों का पैराफीन मोम मुक्त व्यापार उत्पाद है, और इसके मूल्य और वितरण को 1.4.98 से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। तेल कंपनियों को वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार इसका विपणन करने की स्वतंत्रता है।

विवरण

विभिन्न राज्यों के लिए पैराफीन मोम के कलैंडर वर्षवार आबंटन का ब्यौरा

आवंटन मीट्रिक टन में

राज्य	1994			1995			1996		
	किस्म 1 और 2	किस्म 3	योग	किस्म 1 और 2	किस्म 3	योग	किस्म 1 और 2	किस्म 3	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	2600	0	2600	2600	600	3200	2600	550	3150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	4000	240	4240	4000	240	4240	4000	240	4240
अरूणाचल प्रदेश	40	0	40	40	0	40	40	0	40
बिहार	520	1200	1720	520	1200	1720	520	1200	1720
गुजरात	2000	400	2400	2000	400	2400	2000	400	2400
हरियाणा	160	0	160	160	30	190	160	0	160
हिमाचल प्रदेश	40	0	40	40	0	40	40	0	40
जम्मू और कश्मीर	5100	2400	7500	5100	2400	7500	5100	2400	7500
कर्नाटक	2400	0	2400	2400	0	2400	2400	0	2400
केरल	4000	320	4320	4000	820	4820	4000	320	4320
महाराष्ट्र	11600	400	12000	11600	400	12000	11600	400	12000
मध्य प्रदेश	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000
[illegible]	480	0	480	480	0	480	480	0	480
	20	0	20	20	0	20	20	0	20
नागालैंड	800	0	800	800	0	800	800	0	800
उड़ीसा	1080	80	1160	1080	80	1160	1080	80	1160
पंजाब	2760	0	2760	2760	0	2760	2760	0	2760
राजस्थान	600	0	600	600	0	600	600	0	600
सिक्किम	32	0	32	32	0	32	32	0	32
तमिलनाडु	5612	4440	10052	5612	4440	10052	5612	4440	10052
त्रिपुरा	400	0	400	400	0	400	400	0	400
उत्तर प्रदेश	3920	1120	5040	3920	1120	5040	3920	1120	5040
पश्चिम बंगाल	9600	280	9880	9600	280	9880	9600	280	9880
अंडमान और निकोबार	40	20	60	40	20	60	40	20	60
चंडीगढ़	120	0	120	120	0	120	120	0	120
दादरा और नगर हवेली	40	0	40	40	0	40	40	0	40
दिल्ली	3600	0	3600	3900	0	3900	3900	0	3900
गोवा	320	0	320	320	0	320	320	0	320
दमन और दीव	80	0	80	80	0	80	80	0	80
मिजोरम	180	0	180	180	0	180	180	0	180
पांडिचेरी	460	160	620	460	160	620	460	160	620
लक्षद्वीप	20	0	20	20	0	20	20	0	20
योग	63624	11060	74684	63924	12190	76114	63924	11610	75534

पुलिस अकादमियों की स्थापना

2083. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंतकवाद से प्रभावित राज्यों में पुलिस अकादमी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में अब भी विद्यमान पुलिस अकादमियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अकादमियों के कार्य क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''पुलिस व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं अतः यह अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों का कार्य है कि वह आतंकवाद की चुनौतियों और अन्य समस्याओं का सामना करने के लिए अपने पुलिस बलों को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक पुलिस प्रशिक्षण ढांचा उपलब्ध कराए। तथापि केन्द्र सरकार ने, पूर्वोत्तर राज्यों के हित के लिए मेघालय में एक पुलिस अकादमी स्थापित की है।

विभिन्न राज्यों में स्थित पुलिस अकादमियों के नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। जिन राज्यों में पुलिस अकादमी अभी स्थापित की जानी है, उनमें पुलिस अकादमियों का कार्य पुलिस प्रशिक्षण कालेजों द्वारा किया जा रहा है।

पुलिस अकादमियों के कार्य निम्न प्रकार हैं :

(क) उप-निरीक्षक और इससे ऊपर के रैंक के पुलिस कार्मिकों को बुनियादी और सेवाकालीन प्रशिक्षण देना;

(ख) उच्च रैंकों के पुलिस कार्मिकों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण देना;

(ग) आवश्यकता आधारित थेमेटिक पाठ्यक्रम आयोजित करना;

(घ) राज्यों में, विश्वविद्यालय के सहयोग से पुलिस से संबंधित विषयों पर शिक्षा और अनुसंधान सुविधा को बढ़ावा देना;

(ङ) राज्य के पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण नीति तैयार करना;

(च) पुलिस हित के मामलों पर सेमीनार/कार्यशालाएं/अध्ययन/सर्वेक्षण आयोजित करना; और

(छ) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम आयोजित करना।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित पुलिस अकादमियां हैं

1. आन्ध्र प्रदेश पुलिस अकादमी,
   हिमायत नगर, आर.आर. जिला,
   हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

2. शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी,
   उधमपुर (जम्मू और कश्मीर)

3. कर्नाटक पुलिस अकादमी,
   मैसूर (कर्नाटक)

4. जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी,
   सागर (मध्य प्रदेश)

5. महाराष्ट्र पुलिस अकादमी,
   नासिक (महाराष्ट्र)

6. राज्य पुलिस अकादमी,
   कटक (उड़ीसा)

7. पंजाब पुलिस अकादमी,
   महाराजा रणजीत सिंह फोर्ट,
   फिल्लोर (पंजाब)

8. राजस्थान पुलिस अकादमी
   नेहरू नगर,
   जयपुर (राजस्थान)

9. डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी,
   मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

10. पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी,
    बारापानी, मेघालय

बाल श्रम के विरुद्ध अभियान

2084. श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खतरनाक उद्योगों के विरूद्ध चलाए गए अभियान के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है जिनमें बाल श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) बाल श्रम के विरुद्ध अभियान द्वारा नई दिल्ली में 30 मार्च, से 1 अप्रैल, 1997 तक एक सार्वजनिक सुनवाई तथा बाल श्रम पर राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया था। इसके निर्णयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल थे कि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 में पाए जाने वाले "जोखिमकारी" और "गैर-जोखिमकारी" व्यवसायों तथा भारत सरकार की नीति में अन्तर को समाप्त किया जाए, क्योंकि बालकों के सभी रोजगार उनकी भलाई के लिए स्वतः जोखिमकारी हैं।

(ग) बाल श्रम की समस्या की व्यापकता और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा एक क्रमिक, परिणामी और एकीकृत दृष्टिकोण शुरू किया गया है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध सात व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध न किये गये व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन की शर्त को विनियमित किया जाता है। चूंकि बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन अंतिम लक्ष्य है अतः प्राथमिकता के मामले के रूप में सर्वप्रथम जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बच्चों को हटाए जाने व उनके [illegible]र्वाई प्रारम्भ की गयी है। 1.5 लाख कामकाजी बच्चों [illegible] लिए अभी तक 76 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का मजूरी प्रदान की गयी है।

महिला कल्याण

2085. श्री वसुदेव आचार्य : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि पत्थर की खदानों में लगे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है और गर्भवती महिलाओं को कोई अवकाश नहीं मिलता है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके वैधानिक अधिकार दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जब कभी किसी नियोजन में मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम भुगतान के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है और यदि कम भुगतान पाया जाता है तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियुक्त, प्राधिकारी के समक्ष दावा मामले दायर किये जाते हैं, जो पक्षों को सुनकर मजदूरी/समयोपरि भत्ते की बकाया राशि और ऐसी बकाया राशि के दस गुणा के बराबर मुआवजे के भुगतान का आदेश देता है। इसके अलावा निरीक्षकों द्वारा सामान्य निरीक्षण किये जाते हैं और ऊपर बताये गये अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। इसके प्रवर्तन के आंकड़े और उसके परिणाम, विशेषकर पत्थर खानों में वर्ष 1994, 1995 और 1996 के लिए नियोजन के बारे में संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

पत्थर खानों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन के आंकड़े

क्रम संख्या	निरीक्षणों की संख्या	पायी गयी अनियमितताएं	दावर मामलों की संख्या अग्रनीत आंकड़ों सहित	मामलों की संख्या	प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णित राशि (क्षतिपूर्ति सहित)
1.	1994-1867	1994-22645	1994-558	1994-284	1994-1466209
	1995-2527	1995-26075	1995-581	1995-216	1995-2590327.85
	1996-2800	1996-32746	1996-2161	1996-595	1996-5800764.49

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याण नीति

2086. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई नीति बना रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार और वित्तीय अवसरों के सृजन के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार किए हैं।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा समान भागीदारी अधिनियम, 1995 की धारा 33 में एक प्रावधान है कि उचित सरकार प्रत्येक स्थापना में तीन प्रतिशत से कम विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं करेगी जिसमें से निम्नलिखित प्रत्येक से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए गए पद में 1 प्रतिशत आरक्षण होगा :

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि

(ख) श्रवण विकलांगता, तथा

(ग) चलने संबंधी (लोकोमोटर) विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात। इस कानून के लागू होने से पहले ही समूह ''ग'' तथा ''घ'' में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण था। इस प्रावधान के अनुसरण में, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह ''क'' तथा ''ख'' में 3 प्रतिशत आरक्षण के विस्तार के लिए दृष्टि, श्रवण तथा अस्थि विकलांगता प्रत्येक में एक प्रतिशत आरक्षण के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र संख्या 36035/16/91-स्थापना (एस.सी.टी.) दिनांक 18.2.1997 के तहत अधिसूचित किया गया है।

(2) विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार पाने में सहायता देने के लिए अनन्यरूप से 50 विशेष रोजगार कार्यालय तथा 39 विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार कार्यालय भी उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों को सहायता करते हैं।

(3) विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन करने, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने तथा उन्हें रोजगार में रखने के लिए सत्रह व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(4) निम्नलिखित के माध्यम से स्व-रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है :

(क) बिक्री के स्टालों, कियोस्कों तथा दुकानों का कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंबटन;

(ख) रियायती ब्याज दरों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण;

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के आबंटन में तरजीह;

(घ) पेट्रोल पंपों, मिट्टी के तेल के डिपो आदि के वितरण में आरक्षण;

(5) विकलांग व्यक्तियों को स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना करने के लिए आसान शर्तों पर कौशल विकास तथा ऋण सहायता के लिए अवसर प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत दिनांक 24.1.97 को पंजीकृत किया गया।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

2087. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुर्दे, कैंसर, हृदय और आंत की बीमारी से पीड़ित भारी संख्या में निर्धन व्यक्ति प्रतिदिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में इलाज के लिये आते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन्हें प्रधान मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राहत कोष से कुछ वित्तीय सहायता मिलती है, लेकिन इलाज का खर्च वहन करने के अत्यल्प साधनों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उक्त बीमारियों से पीड़ित निर्धनतम व्यक्तियों के निःशुल्क इलाज के लिये कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वलित एजिलमलाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) ऐसे निर्धन और जरूरतमंद रोगियों को अधिकतम 20000/- (बीस हजार रुपए) तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो भारत के किसी भी अस्पताल में विशेषज्ञ उपचार/मंहगे शल्य चिकित्सीय उपचार आपरेशन पर होने वाले खर्च की आंशिक पूर्ति के लिए स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान निधि से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करते हैं। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय रूग्णता सहायता निधि की भी स्थापना की है और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों और प्रमुख जीवन-घातक रोगों से पीड़ित रोगियों के चिकित्सीय उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश तैयार किए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसी तरह से रूग्णता सहायता निधियां स्थापित करने की सलाह दी गई है। इस सलाह के अनुसार जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निधियां स्थापित की जाती हैं उन्हें केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान रिलीज करने का भी निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दुर्घटना विभाग में सभी रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जाता है, जिसमें प्रक्रियाएं और जांचें भी शामिल हैं। ''अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की निर्धन रोगी निधि'' से औषधियों की खरीद आदि के लिए निर्धन रोगियों की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निर्धन रोगियों को अस्पताली प्रभारों में छूट देने का भी प्रावधान है।

उपयोग संरक्षण अधिनियम, 1986 का दुरुपयोग

2088. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मेडीकर एसोसिएशन (आई.एम.ए.) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दुरूपयोग के संबंध में लिखा है जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सकों/संबंधित अस्पतालों की प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति हो रही है तथा साथ ही इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या प्रथम दृष्टतया लापरवाही का मामला बनता है मेडीकल और कानूनी विशेषज्ञों का एक जांच निकाय बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक के अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलिराम एंजिलमलाई) : (क) जी हाँ।

(ख) भारतीय चिकित्सा संघ ने निम्नलिखित उपाय सुझाव हैं:

(I) एक स्वायत्तशासी शीर्षस्थ निकाय तैयार करना ताकि अस्पतालों को उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के अनुसार दर्जा प्रदान किया जा सके।

(II) उपभोक्ता न्यायालयों के सभी स्तरों पर चिकित्सा तथा विधि विशेषज्ञों के एक जांच निकाय की स्थापना यह जांच करने के लिए की जाए कि क्या डॉक्टर/अस्पताल द्वारा प्रथम द्रष्टया लापरवाही का मामला बनता है अथवा नहीं।

(III) यदि उपभोक्ता न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं होता तो शिकायतकर्त्ता उसके द्वारा दावा की गई राशि का 50 प्रतिशत धन राशि का भुगतान चिकित्सा व्यवसायी अस्पताल को करना चाहिए।

(IV) भारतीय चिकित्सा संघ ने सुझाव दिया है कि मानव पीड़ा तथा हानि के मामले में ऊपरी सीमा निर्धारित की जा सकती है।

(ग) और (घ) सभी सेवाएं यदि वे किसी प्रतिफल के लिए दी गई हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनिमय 1986 के अंतर्गत कवर की गई हैं। दो वर्ष पहले माननीय उच्चतम न्यायायल ने 1993 की सिविल अपील सं० 688 में अपने निर्णय में अधिनियम के उपबंधों को ठीक माना था। इस अधिनियम को और प्रभावकारी तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 1991 और 1993 में संशोधन किया गया है।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की कमी

2089. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न राज्यों में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) 1.1.98 की स्थिति के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत संवर्ग संख्या 3442 है और इसकी तुलना में 3111 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पदासीन हैं।

(ग) 1997 की सिविल सेवा परीक्षा से 84 अधिकारियों की भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने की संभावना है। राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नति के फलस्वरूप 136 अधिकारियों की 1998 में भारतीय पुलिस सेवा में आने की संभावना है। भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश की योजना, रिक्तियों को ध्यान में रखकर, तैयार की जाती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति यूनियन को मान्यता

2090. प्रो० जोगेन्द्र कवाड़े : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्य मजदूर यूनियन कल्याणकारी संघ तथा अन्य विभागीय संगठनों को सरकारी तौर पर मान्यता दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो श्रम संगठनों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संघों को मान्यता देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) ट्रेड यूनियन की मान्यता श्रम कानूनों द्वारा नियंत्रित है। विभागीय स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संघ को मान्यता) नियम, 1993 द्वारा नियंत्रित होती है नियम 5(च) के अनुसार सर्विस एसोसिएशन को हितों के प्रतिनिधित्व के लिए या किसी जाति, जनजाति या धार्मिक पंथ या ऐसी जाति, जनजाति या धार्मिक पंथ के अंतर्गत किसी समूह या भाग के आधार पर नहीं बनाया जाएगा।

महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय

2091. श्री दत्ता मेघे : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों की संख्या स्थान-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार का राज्य में नौवीं योजना के दौरान कुछ और कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के पास निम्नलिखित कार्यालय हैं :

मुंबई स्थित आंचलिक कार्यालय।

मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय।

नागपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय।

निम्न स्थानों पर जिला कार्यालय स्थित हैं :

1. पनवल

2. मुंबई सिटी गोडाउन

3. बोरीविल्ली

4. मनमाड

5. पूना

6. नागपुर

7. जनरल मोटर्स (मुंबई)

8. बाम्बे डाक्स

(ख) जी, नहीं। फिलहाल किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

अनुसंधान पर खर्च की गई राशि

2092. **श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :**
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि बनाने वाली कम्पनियां अनुसंधान पर बहुत कम राशि खर्च कर रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में अनुसंधान पर कितने प्रतिशत राशि खर्च की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस राशि को बढ़ाने के लिए औषधि बनाने वाली कम्पनियों को कोई निवेश जारी करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार कब तक यह निवेश जारी करेगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) और (ख) औषधों का निर्माण करने वाली सभी कम्पनियां अनुसंधान और विकास पर खर्च नहीं करती हैं। फिलहाल, कुछेक औषध कंपनियां अनुसंधान पर खर्च करती हैं और उन्नति कंपनियां अपने वार्षिक कारोबार का 9 प्रतिशत अनुसंधान और विकास पर खर्च करती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर परिषद् का पुनर्गठन

2093. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री भीम वाडाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पूर्वोत्तर परिषद् का पुनर्गठन कर सिक्किम को इसका अभिन्न अंग बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त परिषद् की कितनी बैठकें हुई; और

(घ) इन बैठकों में कितनी मुख्य समस्याओं पर चर्चा की गई और क्या सिफारिशें की गई ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान्। पूर्वोत्तर परिषद् का पुनर्गठन, सिक्किम को शामिल करके और योजना आयोग के उपाध्यक्ष को इसके अध्यक्ष पद् पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में अपेक्षित विधेयक शीघ्र ही संसद में लाया जाएगा।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर परिषद की तीन बैठकें हुई। इन बैठकों के दौरान की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में सम्मिलित हैं :- सिक्किम को शामिल करके पूर्वोत्तर परिषद् का पुनर्गठन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक और औद्योगिक नीति अपनाना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू करना, पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए प्राथमिकता देना, पूर्वोत्तर परिषद् की निधि से निर्मित सड़कों के रख-रखाव के लिए धन की व्यवस्था और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डे के विकास के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना।

भेषज मूल्य निर्धारण नीति

2094. **श्री जी. गंगा रेड्डी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भेषज मूल्य निर्धारण नीति आरंभ करने जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में जड़ी-बूटी से बनी औषधियों के उत्पादन की मूल्य निर्धारण नीति क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) और (ख) "औषध नीति, 1986 में संशोधन" सितम्बर, 1994 में घोषित किए गए थे और उन पर आधारित भेषज मूल्य निर्धारण नीति पहले ही विद्यमान है।

(ग) विद्यमान मूल्य निर्धारण नीति में केवल एलोपैथी औषधें शामिल हैं।

कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन

2095. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में तथा विशेष रूप से महाराष्ट्र में श्रेणी-वार, खान/कृषि मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य में इन मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित की गयी है;

(ग) इनके मजदूरी में पिछली बार कब संशोधन किया गया था; और

(घ) न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए किन-किन बातों पर विचार किया गया है ?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1943 के अधीन केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अनुसूचित रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण/संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। विभिन्न खानों में रोजगार के संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है। 1993 की स्थिति के अनुसार कोयला खानों सहित विभिन्न खानों में नियोजित कर्मकारों की राज्य वार संख्या और खानों में विभिन्न श्रेणियों के रोजगारों के लिए 1.4.98 के संशोधन के अनुसार मजदूरी की चालू न्यूनतम दरें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। तथापि कृषि कर्मकारों के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत करने/संशोधित करने के लिए मुख्यतः राज्य सरकारें समुचित सरकारें हैं। विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अकुशल कामगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर, कर्मकारों की संख्या और पिछले संशोधन की तिथि संबंधी जानकारी भी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने के लिए कोई समान मानदण्ड नहीं है। राज्य सरकार मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित करते समय विभिन्न कारकों पर विचार करती है जैसे सामाजिक-आर्थिक दशा और निपणन संबंधी कारक आदि। तथापि, 1957 में भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा अनुशंसित किए गए पांच मानदण्डों को मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करने के लिए सामान्यतः अपनाया जाता है। इन मानदण्डों में ऐसी मजदूरी दर की व्यवस्था की गई है जो तीन इकाइयों वाले परिवार की भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, प्रकाश और उपभोग की अन्य मदों की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। न्यूनतम मजदूरी के हिस्से के रूप में परिवर्ती महंगाई भत्ते की व्यवस्था है जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के परिवर्तन के अनुसार प्रत्येक छह माह के अन्तराल में संशोधन किया जाता है।

विवरण-I

खान कर्मकारों की संख्या और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों को दर्शाने वाला विवरण

(क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में खान कर्मकारों की संख्या:

राज्य/संघ शासित प्रदेश	कर्मकारों की संख्या (हजारों में)
आंध्र प्रदेश	85
अरूणाचल प्रदेश	01
असम	19
बिहार	228
गुजरात	23
हरियाणा	05
हिमाचल प्रदेश	01
जम्मू और कश्मीर	01.
कर्नाटक	22
केरल	02
मध्य प्रदेश	128
महाराष्ट्र	38
मेघालय	@
मणिपुर	@
नागालैंड	-
उड़ीसा	55
पंजाब	-
राजस्थान	29
तमिलनाडु	19
उत्तर प्रदेश	7
पश्चिम बंगाल	111
संघ शासित क्षेत्र	
दिल्ली	2
गोवा	4
त्रिपुरा	@

(ख) **खानों में नियोजन के लिए मजदूरी की मौजूदा कुल न्यूनतम दरें (1.4.98 की स्थिति के अनुसार)

श्रेणी	मजदूरी की दर	
	भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे
1	2	3
1. अकुशल	28.00 रुपये	34.00 रुपये
2. अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	34.0८ रुपये	41.00 रुपये
3. कुशल	41.00 रुपये	50.00 रुपये
4. लिपिकीय	41.00 रुपये	-
5. उच्च कुशल	50.00 रुपये	60.00 रुपये

टिप्पणी : *खोत खान सुरक्षा महानिदेशालय

** न्यूनतम मजदूरी की दरों में परिवर्ती मंहगाई भत्ता का घटक भी शामिल है जो अन्तिम बार 1.4.98 को संशोधित किया गया था।

@ 500 कामगारों से कम।

विवरण-II

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि कर्मकारों के लिए नियत न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दरें

1.4.98 की स्थिति के अनुसार

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कर्मकारों की संख्या (हजारों में)	अकुशल कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	11625	30.00 रु० से 36.50 रुपये प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (12.2.96)
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	21.00 रु० से 23.00 रुपये प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (1.11.90)
3.	असम	845	1134.00 रु० प्रतिमाह या 984.00 रुपये प्रतिमाह जमा भोजन आवास और कपड़े (1.8.89)
4.	बिहार	9513	27.30 रु० प्रतिदिन (21.12.95)
5.	गोवा	35	46.00 रुपये प्रतिदिन (8.5.95)
6.	गुजरात	3231	34.00 रुपये प्रतिदिन (1.4.96)
7.	हरियाणा	897	60.12 रुपये प्रतिदिन (भोजन सहित या 64.12 रुपये प्रतिदिन बिना भोजन (1.1.98)
8.	हिमाचल प्रदेश	59	45.75 रुपये प्रतिदिन (1.3.96)
9.	जम्मू और कश्मीर	-	30.00 रुपये प्रतिदिन (13.3.95)
10.	कर्नाटक	5000	26.00 रुपये प्रतिदिन (28.3.94)
11.	केरल	2120	30.00 रुपये प्रतिदिन हल्के कार्य के लिए
			40.20 रुपये प्रतिदिन भारी कार्य के लिए (31.3.92)
12.	मध्य प्रदेश	5863	38.50 रुपये प्रतिदिन (1.4.96)
13.	महाराष्ट्र	8317	20.00 रु० से 29.00 रुपये प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (26.6.94)
14.	मणिपुर	47	47.65 रुपये प्रतिदिन "पहाड़ी" क्षेत्रों के लिए
			44.65 रुपये प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा (8.7.95)

1	2	3	4
15.	मेघालय	89	45.00 रुपये प्रतिदिन (16.3.94)
16.	मिजोरम	10	45.00 रुपये प्रतिदिन (10.7.97)
17.	नागालैंड	7	25.00 रुपये प्रतिदिन (6.7.92)
18.	उड़ीसा	2967	30.00 रुपये प्रतिदिन (15.8.96)
19.	पंजाब	1453	54.07 रुपये प्रतिदिन भोजन सहित
			60.62 रुपये प्रतिदिन बिना भोजन (1.7.95)
20.	राजस्थान	1392	44.00 रुपये प्रतिदिन (19.11.1997)
21.	सिक्किम	13	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी लागू किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	7899	29.00 रुपये प्रतिदिन (10.3.97)
23.	त्रिपुरा	188	32.00 रुपये प्रतिदिन (4.12.96)
24.	उत्तर प्रदेश	7833	47.00 रु0 से 49.00 रुपये प्रतिदिन (31.10.96)
25.	प0 बंगाल	5055	45.22 रुपये प्रतिदिन व्यस्कों के लिये
			34.06 रुपये प्रतिदिन बच्चों के लिए (13.8.82)
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	37.00 रुपये प्रतिदिन (अण्डमान)
			40.00 रुपये प्रतिदिन (निकोबार) (15.9.94)
27.	चण्डीगढ़	2	52.09 रुपये प्रतिदिन, भोजन सहित
			60.15 रुपये प्रतिदिन, बिना भोजन (4.11.95)
28.	दादरा व नगर हवेली	6	40.00 रुपये प्रतिदिन (18.5.95)
29.	दिल्ली	25	74.50 रुपये प्रतिदिन*
30.	दमन व दीव	1	35.00 रुपये प्रतिदिन (8.5.95)
31.	लक्षद्वीप	-	30.00 रुपये प्रतिदिन (1.1.95)
32.	पाण्डिचेरी	7	
	(I) पांण्डिचेरी क्षेत्र		20.00 रुपये से 22.00 रुपये प्रतिदिन (24.7.95)
	(II) माहे क्षेत्र		30.00 रुपये प्रतिदिन हल्के कार्य के लिए
			40.20 रु. प्रतिदिन भारी कार्य के लिए (24.7.95)
	(III) खनज क्षेत्र		19.25 रु0 से 26.25 रुपये प्रतिदिन (24.7.95)
	(IV) कराईकल		20.00 से 22.00 रुपये प्रतिदिन (24.7.95)
33.	केन्द्रीय क्षेत्र		64.04 रु0 से 71.84 रुपये प्रतिदिन (12.7.94)

टिप्पणी : 1. न्यूनतम मजदूरी में, जहां कहीं प्रावधान हो, परिवर्ती मंहगाई भत्ता भी शामिल है।
2. कॉलम (4) में कोष्ठक में दर्शाई गई तिथि कुल मजदूरी में पिछले संशोधन की तिथि है।
3.* मजदूरी की न्यूनतम दरों के साथ परिवर्ती मंहगाई भत्ते का प्रावधान दर्शाता है।

[हिन्दी]

"मिनरल वाटर" की शुद्धता की जांच की व्यवस्था

2096. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि आज कल "मिनरल वाटर" अथवा "प्योर वाटर" विभिन्न ब्रान्डों की बोतलों और डिब्बों में उपलब्ध है और किसी भी जांच सुविधा के अभाव में लोग ऊंचे दामों पर इसे खरीद रहे हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का "मिनरल वाटर" अथवा तथाकथित "प्योर वाटर" की जांच के लिए व्यवस्था करने का विचार है ताकि लोगों को इनकी शुद्धता का पता लग सके;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बजित एजिजमलाई) : (क) से (घ) मिनरल वाटर तथा सीलबंद पीने का पानी दोनों बाजार में उपलब्ध हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में मिनरल वाटर के मानक पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं/खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के उपबंधों को लागू करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य स्वास्थ्य अधिकारी बाजार से मिनरल वाटर के यादृच्छिक (रेन्डम) नमूने लेकर तथा राज्यों/स्थानीय निकायों में कार्य कर रही खाद्य प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण करके मिनरल वाटर की गुणवत्ता पर नज़र रखते हैं।

इस समय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के उपबंधों के अन्तर्गत पानी तथा सीलबंद और पैक किए गए पीने के पानी को कवर नहीं किया जाता है।

मध्य प्रदेश में बेगा समुदाय को निधियों का आवंटन

2097. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के मांडला जिले के बेगा अनुसूचित जनजाति समुदाय के विकास के लिए निधियां उपलब्ध कराई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निधियों से बेगा समुदायों के कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(घ) क्या इस समुदाय के विकास हेतु सरकार को कोई विशेष योजना प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निधियां प्रदान करती है। निधियों को जाति या समुदायवार निर्मुक्त नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी मेडिकल कॉलेज

2098. श्री भीम वाडावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने निजी मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को सिक्किम, मनिपाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज स्थापित करने हेतु स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बजित एजिजमलाई) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद् के अनुसार देश में 53 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कार्य कर रहे हैं। ऐसे कॉलेजों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) गंगटोक में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सिक्किम, मनिपाल स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्ताव में भारतीय चिकित्सा परिषद् और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा विनियमों में निर्धारित (अर्हक मानदंडों के संदर्भ में कमी पाई गई है) किए गए मानक/प्रतिमान पूरे नहीं किये गए हैं और अतः राज्य सरकार से इन कमियों को पूरा करने के लिए कहा गया है।

विवरण

प्राइवेट/मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेजों की सूची

राज्यों का नाम	कालेजों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	2
2. गुजरात	1
3. जम्मू व कश्मीर	1
4. कर्नाटक	15
5. महाराष्ट्र	16
6. मणिपुर	1
7. पांडिचेरी	1
8. पंजाब	3
तमिलनाडु	5
उत्तर प्रदेश	2

राज्यों में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त कॉलेज

1. जम्मू व कश्मीर	1
2. महाराष्ट्र	2
3. बिहार	2
4. हरियाणा	1

[हिन्दी]

लघु क्षेत्र की रसायन परियोजना

2099. श्री शांतिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु क्षेत्र रसायन परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कितने राज्यों ने किया;

(ख) अप्रयुक्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत राशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन राज्यों ने ऋण के लिए आवेदन किया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) यह मंत्रालय ऐसा कोई कार्यक्रम लागू नहीं कर रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

राजमार्गों पर पेट्रोल पंप

2100. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पेट्रोल पंप कार्य कर रहे हैं;

(ख) देश में इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पंप खोलने की संभावना का आंकलन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कितने तथा किन-किन स्थानों पर ये पेट्रोल पंप खोले जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 340 पेट्रोल पंप कार्यरत हैं।

(ख) तेल उद्योग नई खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की स्थापना के लिए "मात्रा दूरी मानकों" का पालन करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुदरा बिक्री केन्द्रों को "घ" श्रेणी के बाजार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और नए खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाते हैं :

- वर्तमान बिक्री केन्द्रों से राजमार्गों के आस-पास 15 कि.मी. के भीतर कोई बिक्री केन्द्र तब तक नहीं खोला जा सकता है, जब तक 15 कि.मी. के भीतर राजमार्ग पर स्थित प्रत्येक बिक्री केन्द्र का औसत संयुक्त थ्रुपुट 80 कि.ली. प्रतिमाह के भीतर हो।

- यदि औसत बिक्री 80 कि.ली. प्रतिमाह से अधिक होती है, तो अतिरिक्त बिक्री केन्द्र औचित्यपूर्ण है, बशर्ते प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान न्यूनतम अनुमानित बिक्री निम्नानुसार हो:

  केवल एच.एस.डी. – 50 कि.ली. प्रतिमाह

  एम.एस./एच.एस.डी-दोनों – एम.एस.-5 कि.ली. प्रतिमाह

  – एच.एस.डी-50 कि.ली. प्रतिमाह

(ग) से (ङ) तेल आयोग बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों सहित पूरे देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने के लिए स्थानों की पहचान करने हेतु उपर्युक्त "मात्रा दूरी मानकों" के अनुसार व्यवहार्यता सर्वेक्षण करता है। 1996-98 की खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना में बिहार में राजमार्गों पर 36 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थान शामिल कर लिए गए हैं।

अन्य पिछड़े वर्गों की संबंधित सूची में शामिल करना

2101. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवड़ा, कुन्बी, डांगेर और युलीप जैसे अन्य पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने के लिए गोवा सरकार से प्राप्त हुआ प्रस्ताव लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) गोवा सरकार ने गौड़ा कनबी धांगर तथा वेलिप समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है अनुसूचित जातियों की नहीं।

(ग) इस प्रस्ताव पर ऐसे अन्य मामलों के साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में विचार किया जा रहा है।

लू लगने के मामले

2102. डॉ० उल्हास वासुदेव पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस गर्मी के दौरान लू लगने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इसका कारण आणविक विस्फोट से उत्पन्न उच्च वातावरणीय तापमान है; और

(ग) यदि हाँ, तो उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में लू से पीड़ित मरीजों को अस्पतालों में विशेष वातानुकूलित वार्ड प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) इस मंत्रालय द्वारा ऐसी किसी सूचना का संकलन नहीं किया जाता है। तथापि, दिल्ली के अस्पतालों से लू लगने के 66 मामलों की सूचना दी गई है। इनमें से 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) चूंकि "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है, इसलिए लू लगने के रोगियों को अस्पतालों में वातानुकूलित वार्डों में पलंग प्रदान करने की व्यवस्था करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। तथापि केन्द्र सरकार के अस्पतालों नामतः डॉ० राममनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों में लू लगने के रोगियों को वातानुकूलित वार्ड/आपाती वार्ड में पलंग प्रदान करने के लिए प्रबंध किए गए हैं।

आन्ध्र प्रदेश में अस्पताल स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सहायता

2103. डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन की कमी के कारण आन्ध्र प्रदेश में अस्पतालों का स्थापित किया जाना प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 400 अस्पताल स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सहायता देना मंजूर कर लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार राज्य सरकार को इस संबंध में कितनी धनराशि उपलब्ध कराएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य ने प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर अवसंरचना संबंधी अन्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया था और इन्हें उन्नत करने के लिए सहायता की मांग की थी।

(ख) से (घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्वास परियोजना के प्राथमिक स्वास्थ्य घटक को विश्व बैंक द्वारा धन देने का प्रस्ताव किया था। परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ 416 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नए भवन के निर्माण तथा विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नवीकरण तथा विस्तार की बात कही गई है। परियोजना की कुल लागत 243.33 करोड़ रुपए (लगभग) है। इस पर पहले ही बातचीत हो चुकी है और विश्व बैंक ने परियोजना को धन देने के बारे में अपने निर्णय के बारे में बताना है।

शीशा रहित पेट्रोल विक्रय केन्द्र

2104. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा शीशा रहित पेट्रोल के लिए राज्यवार कितने विक्रय केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में अब तक केवल एक विक्रय केन्द्र खोला गया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि सरकार का आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में ऐसे और विक्रय केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विक्रय केन्द्र कब तक खोले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सीसा रहित पेट्रोल बिक्री कर रहे खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश में सीसा रहित पेट्रोल बिक्री कर रहे 15 खुदरा बिक्री केन्द्र है। तेल उद्योग का निम्नांकित स्थानों पर 23 और ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है :-

स्थान	खोले जाने के लिए प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
हैदराबाद	17
विजयवाड़ा	2
विजाग	1
अनंतपुर	1
कर्नूल	1
नीरमाल (जिला आदिलाबाद)	1

(ङ) हैदराबाद में प्रस्तावित 17 खुदरा बिक्री केन्द्रों के 30 जून, 1998 तक आरंभ होने की आशा है तथा उनके जो शेष स्थानों के लिए प्रस्तावित हैं, 31 जुलाई, 1998 तक आरंभ होने की आशा है।

विवरण

सीसा रहित पेट्रोल बिक्री कर रहे खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र.सं	राज्य	सीसा रहित पेट्रोल वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	दिल्ली	257
2.	हरियाणा	59
3.	पंजाब	94
4.	हिमाचल प्रदेश	13
5.	जम्मू और कश्मीर	8
6.	राजस्थान	49
7.	चंडीगढ़	19
8.	उत्तर प्रदेश	194
9.	असम	2
10.	पश्चिम बंगाल	133
11.	बिहार	19
12.	उड़ीसा	8
13.	मेघालय	2
14.	अंडमान और निकोबार	1
15.	मणिपुर	1
16.	नागालैंड	1
17.	त्रिपुरा	1
18.	मिजोरम	1
19.	अरूणाचल प्रदेश	1
20.	सिक्किम	2
21.	कर्नाटक	13
22.	आन्ध्र प्रदेश	15
23.	तमिलनाडु	115
24.	केरल	23
25.	पांडिचेरी	2
26.	मध्य प्रदेश	10
27.	गुजरात	21
28.	गोवा	2
29.	महाराष्ट्र	215
30.	दादरा व नगर हवेली	1

केरल में राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि

2105. श्री टी. गोविन्दन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों से केरल सरकार के अनुरोधानुसार राज्य को राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष मंजूर किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकार को कितने प्रतिशत राशि दी गई ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों को ई.एस.आई. लाभ

2106. डॉ० अर्पत रंगपी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संगठनों द्वारा राज्यवार अलग-अलग भविष्य निधि और ई.एस.आई. योजना हेतु कितनी धनराशि दी जानी है;

(ख) चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार ई.एस.आई. अधिनियम में उपर्युक्त संशोधन करने का है जिससे बंद पड़े, संगठनों के कर्मचारियों तथा जिन संगठनों में कार्य नहीं हो रहा है वहां के कर्मचारियों को भी निर्बाध रूप से ई.एस.आई. योजना का लाभ मिल सकें;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(च) ऐसा संशोधन कब तक किया जाएगा ?

श्रम मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया देय राशियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) चूककर्ता प्रतिष्ठानों से बकाया देय राशियों को वसूल करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत प्रावधान किए गए अनुसार आवश्यक कानूनी और दण्डात्मक एवं जहां कहीं आवश्यक होता है भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 तथा 409 के अन्तर्गत भी पहले ही आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ग) से (च) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आश्रित लाभ एवं स्थायी पूर्ण विकलांगता लाभ क्रमशः पत्नी और कर्मचारी की जीवन पर्यन्त संदेय है। विस्तारित रुग्णता लाभ तालाबंदी की अवधि सहित 2 वर्षों तक के लिए सब संदेय है यदि यह योजना के अनुरूप स्वीकार्य हो। चिकित्सा लाभ, तालाबंदी के दौरान अथवा सेवा समाप्ति के पश्चात् भी यदि रुग्णता की अवधि पात्रता अवधि के दौरान शुरू हो जाती है और पात्रता अवधि के बाद भी इलाज अपेक्षित हो, स्वीकार्य है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना सीमित संसाधनों के साथ अंशदायी स्वरूप की है। इस प्रकार, अबाध गति से और अनिश्चित अवधि के लिए कामगारों को क.रा.बी. लाभ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क.रा.बी. अधिनियम में प्रावधान लाभ वित्तीय रूप से कठिन है।

विवरण

(क) क.रा.बी. बनाम देय राशियां (31.3.1998 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र का नाम	चूक की राशि (लाख रुपये में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2657.20
2.	असम	470.20
3.	बिहार	1102.52
4.	दिल्ली	420.04
5.	गुजरात	2192.18
6.	हरियाणा	619.49
7.	कर्नाटक	1396.74
8.	केरल	1006.67
9.	मध्य प्रदेश	2140.87
10.	मुंबई	4522.20
11.	नागपुर	442.77
12.	पूना	2112.55
13.	गोवा	262.00
14.	उड़ीसा	735.53
15.	पंजाब	1284.33
16.	राजस्थान	407.81
17.	तमिलनाडु	1170.67
18.	पांडिचेरी	84.57
19.	कोयम्बटूर	294.71
20.	मदुराई	702.54
21.	उत्तर प्रदेश	407.37
22.	पश्चिम बंगाल	1003.69
	कुल योग	38100.65

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि बनाम देय राशियां (31.3.1998 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र का नाम	चूक की राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1699.25
2.	बिहार	1606.24
3.	दिल्ली	268.01
4.	गुजरात	2390.30
5.	हरियाणा	2393.58

1	2	3
6.	कर्नाटक	734.01
7.	केरल	500.59
8.	मध्य प्रदेश	4150.19
9.	महाराष्ट्र	4626.38
10.	उत्तर पूर्व क्षेत्र	166.63
11.	उड़ीसा	1671.82
12.	पंजाब	910.97
13.	राजस्थान	646.58
14.	तमिलनाडु	1802.47
15.	उत्तर प्रदेश	5406.03
16.	पश्चिम बंगाल	18324.86
	योग	46397.91

अन्तिम

अल्पसंख्यकों की सहायता हेतु निगम

2107. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु किन-किन निगमों की स्थापना की गई है तथा इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) इन निगमों द्वारा अब तक कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है तथा इन निगमों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ग) अल्पसंख्यकों को पूर्व में उपलब्ध कराये गये ऋण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा निगमों द्वारा जारी किए गए ऋण का प्रतिशत क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सितम्बर, 1994 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) की स्थापना 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत अंश पूंजी के साथ अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। आज की तारीख तक एन.एम.डी.एफ.सी. की प्रदत्त पूंजी 145.76 करोड़ रुपए है।

(ख) एन.एम.डी.एफ.सी. ने अपने राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा अब तक 90,000 से अधिक लाभार्थियों को 104 करोड़ रुपए का संवितरण किया है।

(ग) एन.एम.डी.एफ.सी. ने राज्य माध्यम एजेंसियों को 104 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं। राज्य माध्यम एजेंसियों ने आगे लाभार्थियों को 38.36 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए हैं। राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा निर्मुक्त ऋणों की प्रतिशतता 85 प्रतिशत है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय सदस्यों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन में विलम्ब

2108. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय सदस्यों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतनमानों के क्रियान्वयन में विलम्ब से इस संस्थान के अध्यापन कर्मचारियों के बीच भारी आक्रोश है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय सदस्यों के वेतनमानों को संशोधित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) सरकार ने 24 फरवरी, 1998 के आदेश के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ की संकाय के वेतनमानों के संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देश यह निर्विष्ट करते हैं कि स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रस्तावित लाभों का अन्तिम पैकेज केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान वर्गों की देय सीमा के अन्तर्गत होगा। चूंकि वेतनमानों तथा विभिन्न अन्य भत्तों के बारे में दोनों संस्थानों द्वारा की गई मांगें समिति के कार्यक्षेत्र से काफी बाहर हैं, इसलिए इस मामले में वित्त मंत्रालय की सलाह मांगी गई है।

दुर्गा बिल्डर्स द्वारा भूखण्ड धारकों के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी

2109. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गा बिल्डर्स, 9, सिंधिया हाउस, नई दिल्ली के विरुद्ध एडिन वर्ग सिटी-1 (ओखला इन्कलेव-1) में सक्षम प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त किए बगैर प्लाटों के लिए अत्यधिक विकास शुल्क लेने तथा आब्रंटन और कब्जे के संबंध में धोखाधड़ी और जालसाजी करने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुर्गा बिल्डर्स द्वारा प्लाटों के आवंटन में अनियमिताएं, धोखाधड़ी और जालसाजी की जा रही है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध दिल्ली पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) दिल्ली पुलिस को दुर्गा बिल्डर के खिलाफ निवेशकों द्वारा जमा कराई गई पूंजी को वापस न करने, धन के दुरूपयोग धोखाधड़ी जैसे आरोप लगाते हुए 13 लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें धोखाधड़ी से संबंधित शिकायत भी शामिल हैं, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने भा.द.सं. की धारा 420 और 406 के अंतर्गत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। इन सभी शिकायतों की जांच पड़ताल करायी गयी परन्तु की गई जांच पड़ताल से ऐसा कोई पता नहीं चलता है कि इस बिल्डर द्वारा कोई अपराध किया गया है। तथा कथित धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज सामान्य मामले को भी रद्द कर दिया गया था।

अर्द्धसैनिक बलों में आनुपातिक भर्ती

2110. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती का राज्यवार अनुपात होता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भर्ती का राजस्थान का हिस्सा पूरा कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) केन्द्रीय सैनिक बलों में कांस्टेबलों/राइफलमैनों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए वार्षिक रिक्तियां जनसंख्या के आधार पर आंबटित की जाती हैं।

(ख) अनुपात ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों में राजस्थान का समुचित प्रतिनिधित्व है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

क्रम.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मात्रा
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.86
2.	असम	2.64
3.	अरूणाचल प्रदेश	0.10
4.	बिहार	10.23
5.	गोवा	0.14
6.	गुजरात	4.88
7.	हरियाणा	1.93
8.	हिमाचल प्रदेश	0.61
9.	जम्मू व कश्मीर	0.91
10.	कर्नाटक	5.31
11.	केरल	3.44
12.	मध्य प्रदेश	7.84
13.	महाराष्ट्र	9.33
14.	मणिपुर	0.22
15.	मेघालय	0.21
16.	मिजोरम	0.08
17.	नागालैंड	0.14
18.	उड़ीसा	3.73
19.	पंजाब	2.39
20.	राजस्थान	5.20
21.	सिक्किम	0.05
22.	तमिलनाडु	6.59
23.	त्रिपुरा	0.32
24.	उत्तर प्रदेश	16.44
25.	पश्चिम बंगाल	8.06
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.03
27.	चंडीगढ़	0.08
28.	दादरा व नागर हवेली	0.02
29.	दमन व दीव	0.02
30.	दिल्ली	1.11
31.	लक्षद्वीप	0.01
32.	पांडिचेरी	0.09
	कुल	100

केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की मरम्मत

2111. **श्री ए.सी. जोस :** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों की मरम्मत करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी गोदामवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मवेलिक्कारा, चालाक्कुड़ और वेस्ट हिल में कार्यरत भारतीय खाद्य निगम के कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली के अंतर्गत लाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। ठेका श्रम प्रणाली की बजाय श्रमिकों को काम में लगाए जाने वाली विधि में परिवर्तन करना कानून के अधीन अनुमत है जो उपयुक्त सरकार अर्थात् श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करना, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के गोदामों/डिपुओं में ठेका श्रम के नियोजन पर प्रतिबंध लगाना जैसे कारकों पर निर्भर करता है। उक्त मंत्रालय ने अभी तक इस प्रयोजनार्थ इन डिपुओं को अधिसूचित नहीं किया है।

नई स्वास्थ्य नीति

2112. **श्री के.एस. राव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के सुझाव प्राप्त हुए हैं कि स्वास्थ्य रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पादन के वर्तमान 3 प्रतिशत से बढ़ाकर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत मानदण्डों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के बराबर किया जाए ताकि सरकार को सभी के लिए स्वास्थ्य की सांविधिक प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार "स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र" को मुख्य क्षेत्र के रूप में घोषित करने का है ताकि उससे जुड़े प्रोत्साहन और लाभ मिल सकें;

(घ) क्या हैल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से वर्तमान स्वास्थ्य नीति की समीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार देश में स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अन्य सामाजिक संगठनों से प्राप्त सुझावों को समाविष्ट करते हुए नई स्वास्थ्य नीति तैयार करने का है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलिन एजिलनजाई) : (क) और (ख) 1981 में विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनाए गए विश्वव्यापी सूचकों में कई देशों में स्वास्थ्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कम से कम 5 प्रतिशत खर्च किए जाने की बात पर सहमति हुई। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 1993 के अनुसार भारत स्वास्थ्य पर अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करता है जिसमें स्वास्थ्य पर सार्वजनिक तथा निजी दोनों प्रकार का व्यय शामिल है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ ने अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की समीक्षा करने, कार्य-निष्पादन का वास्तविक मूल्यांकन और देश में स्वास्थ्य समस्याओं के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की है।

(च) और (छ) स्वास्थ्य नीति की समीक्षा करना और नीति के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना एक सतत् प्रक्रिया है और इस पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों के विचार नियमित रूप से प्राप्त किए जाते हैं।

[हिन्दी]

हनुमंत राव समिति

2113. **श्री चिंता मोहन :**
प्रो० पी.जे. कुरियन :
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ :
श्री आर. साम्बासिवा राव :
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री एस.एस. ओवेसी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में उर्वरक के लिए राज सहायता कुल कितनी है;

(ख) क्या उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी हुनमंत राव समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हाँ, तो समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या उक्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम चलाया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो उक्त सिफारिशों का कार्यान्वयन कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) क्या सरकार को प्रस्तुत की गई उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी रिपोर्ट की अर्थशास्त्रियों और विनिवेश आयोग द्वारा आलोचना की गई है;

(छ) यदि हाँ, तो क्या उनके अनुसार उच्चस्तरीय समिति ने समग्र कृषि प्रणाली को ध्यान में न रखते हुए केवल नियम और शर्तों का ही ध्यान रखा है;

(ज) क्या उर्वरक विनिर्माताओं ने सरकार को यह चेतावनी दी है कि राज सहायता का पुनर्निधारण करने से पहले सरकार इस पर उद्योग से भी विचार विमर्श करे; और

(झ) यदि हाँ, तो उनके द्वारा की गई मुख्य आपत्तियों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान नियंत्रित उर्वरकों पर राज सहायता व्यय 7426 करोड़ रुपए था तथा अनियंत्रित फास्फोटिक तथा पोटासिक उर्वरकों पर विशेष रियायत को योजना के अंतर्गत वितरित की गई धनराशि 2595.85 करोड़ रुपए थी।

(ख) जी, हाँ।

(ग) उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति समिति की सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (झ) समिति की सिफारिशों के संबंध में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए गए हैं, लेकिन अनिवेश आयोग ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय, अन्तर-मंत्रालय परामर्शों तथा उद्योग के साथ बातचीत चल रही प्रक्रिया के निष्कर्षों तथा सूचित विश्लेषकों के मतों को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे।

विवरण

उच्च अधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों का सारांश

1. यूरिया एककों के लिए एकक-वार प्रतिधारण मूल्य स्कीम बंद की जानी चाहिए।

2. संतुलित उर्वरकीकरण की प्रोन्नति सरकार के समक्ष प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए और उर्वरकों के सापेक्ष मूल्य निर्धारण में वांछनीय एनपीके अनुपात प्रतिबिम्बित होना चाहिए।

3. विभिन्न फीड स्टाक के चालू सापेक्ष मूल्य निर्धारण को ध्यान में रखते हुए भावी उर्वरक उत्पादन घरेलु प्राकृतिक गैस तथा एलएनजी पर उपयुक्त रूप से आधारित होना चाहिए और नेफथा, एफओ तथा कोयले पर आधारित मौजूदा संयंत्रों को अधिक ऊर्जा दक्ष फीड स्टॉक की ओर बढ़ने के लिए आपको पुर्नगठित करने के वास्ते प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

4. उर्वरक उद्योग को अनियंत्रित कर देना चाहिए और फार्मगेट मूल्यों की अधिकतम सीमा के अध्यधीन एककों को अपने फुटकर मूल्यों को निर्धारित करने की अनुमति होनी चाहिए जिसे कृषकों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप से अधिसूचित किया जाये।

5. कारोबार कर, क्रय कर तथा अतिरिक्त बिक्री कर जैसे स्थानीय कर अधिकतर फार्मगेट मूल्य पर होने चाहिए।

6. सामान्य निर्दिष्ट मूल्य (एन.आर.पी.) अधिसूचित अधिकतम सीमा फार्मगेट मूल्य के भीतर उर्वरकों की बिक्री पर दी जाने वाली राज सहायता तय करने के लिए लांग रन मार्जिनल कास्ट (एल.आर.एम.सी.) पद्धति पर आधारित मौजूदा एककों के लिए निर्धारित किया जाये।

7. राजसहायता, एनआरपी जमा व्यापारियों का लाभ तथा औसत भाड़ा तथा एफजीपी के बीच के अन्तर की सीमा तक बेचे गये उर्वरकों के पीएमटी के अनुसार निर्माताओं के माध्यम से दी जाये।

8. 1.1.98 की स्थिति के अनुसार यूरिया का कारखाना बाह्य एनआरपी 6050 रुपये प्रति मी० टन तथा डीएपी का 11900 पीएमटी निर्धारित किया जाये और व्यापारियों के लाभ तथा औसत भाड़ा शामिल करने के पश्चात् फार्मगेट पर सुपुर्दगी हेतु मूल्य क्रमशः 6500 रुपये प्रति मी. टन तथा 12800 रुपये प्रति मी. टन निर्धारित किये जायें।

9. 1.1.1998 की स्थिति के अनुसार बेचे गये यूरिया का 1750 रुपये प्रति मीटर टन और 1300 प्रति मीटर टन तक की फीड स्टॉक विभेदक लागत प्रतिपूर्ति (एफ.डी.सी.आर.) 5 वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः नेफथा/कोयला तथा एफओ/एलएसएचएस का उपयोग करने वाले एककों को दी जाये।

10. नियामक संदर्भ मूल्य और राजसहायता का उपयुक्त रूप से आवधिक संशोधन किया जाना चाहिए।

11. यूरिया का आयात 5 वर्ष की अवधि के लिए सरणीबद्ध रूप से कायम किया जा सकता है।

12. रबी 1998-99 से उर्वरकों का वितरण अनियमित करना।

13. इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किये गये सुदूर और दुर्गम स्थानों पर स्थिति एककों को वितरित किये उर्वरकों से अतिरिक्त भाड़ा और माल की सूची लागत पर प्रतिपूर्ति करना।

14. कार्यनीति विचारार्थ स्थापित किये गये नये एककों के उत्पादन को एलआरएमसी पर आधारित उच्चतर लागत को पूरा करने हेतु अतिरिक्त राजसहायता दी जाये।

15. ''एन'' को छोड़कर अन्य उर्वरकों के सापेक्ष फार्मगेट मूल्यों को उनके सापेक्ष उत्पादकता के संदर्भ में यूरिया में ''एन'' के मूल्य से प्राप्त किया जायेगा।

16. एमओपी के एफजीपी के अन्तर जो पूर्ण आयातित है तथा इसका सीमान्त मूल्य चरणों में पूरा किया जायेगा।

17. काम्पलेक्स उर्वरक, कम विश्लेषित उर्वरकों और एसएसपी पर राजसहायता उपर्युक्त आधारों पर उनके पोषक घटकों के संदर्भ में, प्राप्त की जायेगी।

18. निकट भविष्य में फार्मगेट मूल्यों में बढ़ोत्तरी और यौक्तिकरण को द्विस्तरीय अभिगम द्वारा नियमित करने की आवश्यकता है, जिससे सापेक्ष मूल्य निर्धारण पद्धति द्वारा उत्पाद मूल्य के अनुपात और यौक्तिकरण मूल्यों को ध्यान में रखकर उपभोगता के लिए (अक्टूबर 17 में हुई वृद्धि सहित) आगामी इन्पुट मूल्यों में वृद्धि को मंजूरी दी जा सके।

19. सरकार को फार्मगेट मूल्यों में भविष्य में होने वाली वृद्धि हेतु छोटे और सीमान्त कृषकों के लिए क्षतिपूर्ति पद्धति शामिल करना चाहिए। छोटे और सीमान्त कृषकों के लिए उर्वरक हेतु साख उपलब्धता को बढ़ाया जाना चाहिए।

20. राजसहायता में किसी भी प्रकार की बचत को कृषि अनुसंधान, सिंचाई परियोजनाओं आदि में उपयोग किया जाना चाहिए।

21. विस्तृत सेवाओं के पैकेज द्वारा उर्वरक बढ़ोत्तरी हेतु विकासशील निकटवर्ती सघन क्षेत्रों में एककों को स्थापित किया जाना चाहिए।

22. एककों को शामिल करने के साथ, पर्याप्त बफर स्टॉक पद्धति विशेषतः दुर्लभ क्षेत्रों में सेवा हेतु, का सृजन का किया जाना चाहिए।

23. वरीय शिपिंग के अत्यधिक उपयोग के लिए उर्वरक संचलन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

24. पत्तनों में बल्क गोदामों के उपयोग में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए ताकि दीर्घावधि खरीद की जा सके और उर्वरकों का यौक्तिक संचलन किया जा सके।

25. उर्वरकों के संचलन हेतु अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत आबंटन और समीकृत भाड़ा स्कीम रबी 1998-99 से बन्द कर दी जाये। ईसीए आबंटन केवल अधिसूचित कमी, सुदूर क्षेत्रों और अन्य आपात परिस्थितियों के लिए ही किया जाये।

26. उद्योग को सुपर ग्रेन्यूलेटिड यूरिया, एनपीके पीलेट, तरल उर्वरकों आदि की उन्नत किस्म जिनके लिये आरपीएस पद्धति में कोई प्रोत्साहन नहीं है, के प्रचार-प्रसार के लिए सक्रिय भूमिका अपनानी चाहिये।

27. फास्फेटिक उद्योग के लिए रॉक फास्फेट के स्त्रोत अर्थात विदेशी संयुक्त उद्यम के रूप में ग्रीनफील्ड परियोजनाएं स्थापित की जायें। इस क्षेत्र में लम्बे समय से चल रहे आयातों पर निर्भरता में कमी लाने हेतु सरकार को अन्वेषण और अनुसंधान तथा विकास प्रयासों में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए।

28. सरकार को न केवल रुग्ण एककों को उपार्जित अतिरिक्त राजस्व को अलग रखने हेतु अपितु पुराने एककों के आधुनिकीकरण और पुरूद्धार के वित्त पोषण में बराबर का अंशदान करने हेतु एकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही साथ प्रबंधकीय सुधारों तथा यौक्तिकरण कार्य बल नीति के बारे में उपाय किये जाने चाहिए।

29. उद्योग के लिए ऋण साम्य अनुपात का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए न कि नियामक आधार पर।

30. आयातों को मात्र आवश्यकता और स्वदेशी उत्पादन के बीच अन्तर को पूरा कराने के लिये एक अवशिष्ट तत्व के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए अपितु इसका उपयोग कमी वाले क्षेत्रों में कमी को दूर करने तथा बफर स्टॉक करने हेतु किया जाना चाहिए।

31. भारत में गैस की कमी तथा उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए विदेशों में प्रचुर फीड स्टॉक उपलब्धता स्त्रोत के समीप संयुक्त उद्यम को आने वाले वर्षों में नीतिगत मामले के रूप में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

32. समिति ने पाया है कि आयात सम मूल्य उनके लिए अतिरिक्त अस्थिरता के कारण जरूरू निवेश निर्णयों के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक के रूप में कार्य नहीं

करते। यूरिया उद्योग के लिए अनुशासित कोई भी नीति रूपरेखा सुस्थिर सिद्ध होना चाहिए और खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में इसकी अनुकूल प्रकृति को मान्यता दी जानी चाहिए। तद्नुसार नया निवेश आकर्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक लंबे समय में प्राप्त हुए आत्मनिर्भरता के स्तर में अस्वीकार्य स्तरों तक गिरावट नहीं आयी है, एक सकारात्मक नीति की आवश्यकता पर जोर दिया है। भावी नीति निर्धारण में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आत्मनिर्भरता का न्यूनतम स्तर पर क्या है, जिसका कृषि के लिए इस महत्वपूर्ण इन्पुट के सम्बन्ध में देश को अनुपालन करना चाहिए।

33. नए एककों के उत्पादन हेतु पन्द्रह वर्षों की अवधि के लिए गारन्टी मूल्यों की घोषणा सरकार द्वारा अग्रिम रूप में, दक्ष मानदण्डों पर सबसे अधिक दक्ष फीड स्टॉक और संचलन पर आधारित परियोजनाओं को एलआरएमसी सिद्धांत से सम्बद्ध की जाए।

34. यदि कोई मौजूदा उद्योग उत्पादन लागत के वास्तविक अनुमान से कम उत्पादन कर रहा तो उसे उर्वरकों के अत्यधिक संग्रहण से बचाया जाए जिससे उद्योग रुग्ण न हों।

35. उर्वरक क्षेत्र की नीतियों में संसजकता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री/विशेषज्ञ के अन्तर्गत उर्वरक नीति योजना बोर्ड की स्थापना, सरकार के लिए नीति विकल्पों को तैयार करने जिससे उद्योग के लिए दीर्घकालीन संदर्श उपलब्ध कराया जा सके. की जानी चाहिए। इस बोर्ड को मौजूदा एफआईसीसी द्वारा सेवाएं दी जानी चाहिए और इसे समुचित रूप से सुदृढ़ और उन्नत किया जाना चाहिए।

चीनी मिलों की स्थापना

2114. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक नामदेव राव मोहोल :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री माधवराव पाटील :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मार्च, 1998 तक देश में चीनी मिलों की स्थापना के लिए प्राप्त हुए प्रस्तावों की राज्यवार और स्थानावार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से स्वीकृत किए गए/लंबित पड़े हुए आशय पत्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) शेष मामलों को अनुमोदित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या नौवीं योजनावधि के दौरान नई चीनी मिलों की स्थापना के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) नौवीं योजनावधि के दौरान स्थापित किए जाने वाली मिलों की राज्यवार और स्थानावार संख्या कितनी है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) वर्ष 1995, 1996, 1997 तथा 1998 (मार्च तक) के दौरान देश में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों की राज्यवार और स्थानवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त वर्षों के दौरान नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए प्राप्त आवेदनों तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आशय पत्रों की राज्यवार संख्या दर्शाने-वाला विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

लम्बित मामलों की स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब होने का मुख्य कारण राज्य सरकारों, विशेषकर महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से सिफारिशें तथा स्पष्टीकरण प्राप्त न होना है।

(च) केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिलें स्थापित नहीं करती हैं। तथापि, यह नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करती है।

विवरण-I

चीनी का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु मार्च, 1998 तक प्राप्त हुए आवेदन पत्रों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा

राज्य	स्थान	1995	1996	1997	1998 (मार्च तक)
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश					
	करीमनगर	2	-	-	-
	नेल्लोर	5	-	2	-
	प्रकाशम	1	2	-	-
	पूर्वी गोदावरी	1	-	-	-
	श्रीकाकुल्लम	-	-	1	-
	अनन्तपुर	-	-	-	-
	चित्तूर	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6
बिहार					
	सीतामढ़ी	1	–	–	–
	पूर्वी चम्पारन	–	2	1	–
	पश्चिम चम्पारन	–	1	–	–
	मधुबनी	–	2	1	–
	गोपालगंज	–	1	–	–
गुजरात					
	वलसाड	–	–	2	–
	सूरत	–	–	1	–
हरियाणा					
	पानीपत	1	–	–	–
	यमुना नगर	–	–	1	–
	जींद	–	1	2	–
	करनाल	–	–	–	1
हिमाचल प्रदेश					
	कांगड़ा	–	–	1	–
	ऊना	–	–	1	–
जम्मू और कश्मीर		–	–	1	–
	डसन	5	2	–	–
कर्नाटक					
	बंगलौर	3	–	–	–
	बंगलौर (ग्रामीण)	–	1	–	–
	मांड्या	9	1	–	–
	बीजापुर	7	1	–	–
	उत्तरी कन्नड	1	–	–	–
	शिमोगा	2	–	–	–
	धारवाड़	8	1	–	–
	मैसूर	5	3	–	–
	बेलगांव	12	3	1	1

1	2	3	4	5	6
	बेल्लारी	1	–	–	–
	चित्रदुर्ग	1	–	–	–
	रायचूर	1	–	–	–
	गुलबर्गा	2	–	–	–
	बिदर	1	–	–	–
	तुमकुर	1	2	–	–
	कोलार	1	–	–	–
	खरगोन	1	–	–	–
मध्य प्रदेश					
	नरसिंहपुर	4	–	–	1
	खंडवा	2	–	–	–
	धार	2	–	–	–
	होशंगाबाद	1	–	–	–
	रायसेन	1	1	1	–
	सिडोर	1	–	–	–
	रायपुर	2	–	–	–
	जबलपुर	1	–	–	–
	मोरेना	1	–	–	–
	दतिया	–	–	1	–
	बिलासपुर	–	1	–	–
	गुना	–	1	–	–
	रायगढ़	–	–	2	–
महाराष्ट्र					
	सांगली	2	4	2	–
	शोलापुर	2	–	3	–
	कोल्हापुर	2	–	1	–
	जलगांव	1	–	–	–
	पुणे	–	–	4	1
	थाणे	–	–	–	–
	प्रभानी	–	1	–	–
	नासिक	–	1	–	–
	ओस्मानाबाद	–	3	1	–

1	2	3	4	5	6
	अहमदनगर	–	–	1	–
	नानदेड	–	1	1	–
	जगतसिंह पुर	1	–	–	–
उड़ीसा					
	पुरी	2	–	–	–
	क्योंझर	1	–	–	–
	मलकानगिरी	1	–	–	–
	केन्द्रपारा	1	–	–	–
	जाजपुर	1	–	–	–
	मयूरभंज	1	–	–	–
	बालासोर	1	–	–	–
	सुन्दरगढ़	1	–	–	–
पंजाब					
	जालन्धर	2	–	–	–
	होशियारपुर	1	–	–	–
	लुधियाना	1	–	1	–
	अमृतसर	1	–	–	–
	फतेहगढ़	–	–	1	–
	नवां शहर	–	–	1	–
	रोपड़	–	1	–	–
	पटियाला	–	1	–	–
पांडिचेरी					
	थिरूनल्लई	–	1	–	–
	पांडिचेरी	1	–	–	–
राजस्थान					
	चित्तौड़गढ़	–	–	1	–
तमिलनाडु					
	तिरूनेलवेल्ली	1	1	3	–
	विलुपुरम–रामास्वामी	2	4	1	–
	पछाचियार	1	1	–	–
	सलेम	2	–	1	–
	पेरियार	1	–	–	–

1	2	3	4	5	6
	पी.एम.टी.	1	–	–	–
	थंजावुर	2	1	–	–
	नगर्ज्यु अहड मिल्लथ	2	–	–	–
	चेंगई एम.जी.आर.	1	2	2	–
	कोयमबेट्टूर	1	–	1	–
	करूर डीसीजी	–	–	1	–
	एस.ए. वेल्लुर	–	–	1	–
	साउथ एरोट	–	4	2	–
	इरोडे	–	–	1	–
	कन्याकुमारी	–	1	–	–
	तनजौर	–	1	–	–
	कमरजर	–	1	–	–
	पुडुकोट्टई	–	3	–	–
	परमबयूर	–	2	1	–
उत्तर प्रदेश					
	लखीमपुर	4	–	–	–
	बिजनौर	12	4	5	1
	सहारनपुर	7	1	3	–
	अलीगढ़	5	–	–	–
	बाराबंकी	1	–	–	–
	शाहजहांपुर	4	1	1	–
	बुलन्दशहर	2	–	–	–
	मुरादाबाद	3	2	1	–
	गौंडा	1	1	1	–
	देवरिया	3	–	–	–
	मुजफ्फर नगर	5	4	1	–
	बदायूँ	9	1	–	–
	पीलीभीत	3	2	–	–

1	2	3	4	5	6
	मेरठ	6	1	–	–
	बरेली	2	2	1	–
	फतेहगढ़	1	–	–	–
	हरिद्वार	1	–	1	–
	मथुरा	2	–	–	–
	पड़रौना	1	2	–	–
	रामपुर	1	–	–	–
	सीतापुर	–	–	2	–
	जलौन	–	–	1	–
	फर्रूखाबाद	–	1	–	–
	बस्ती	–	1	–	–
	फतेहपुर	–	1	–	–
	आजमगढ़	–	1	–	–
	उन्नाव	–	1	–	–
	गाजियाबाद	–	–	–	1
पश्चिम बंगाल					
	नादिया	1	–	–	–

विवरण-II

जनवरी, 1995 से मार्च, 1998 तक चीनी का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों/जारी किए गए आशय-पत्रों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य का नाम	प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या				जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या			
	1995	1996	1997	1998 (3/98 तक)	1995	1996	1997	1998 (3/98 तक)
आन्ध्र प्रदेश	11	2	3	0	0	8	4	0
बिहार	1	6	2	0	0	11	5	0
गुजरात	0	0	3	0	0	3	4	0
हरियाणा	1	1	3	1	0	1	2	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	2	0	0	0	2	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	1	0	0	0	1	0
कर्नाटक	60	14	1	1	0	38	15	0
मध्यप्रदेश	16	3	4	1	0	2	9	0
महाराष्ट्र	7	10	13	1	0	29	8	0
उड़ीसा	10	0	0	0	0	1	9	0
पांडिचेरी	1	1	0	0	0	1	0	0
पंजाब	5	2	3	0	0	5	1	0
राजस्थान	0	0	1	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	14	21	14	0	0	9	7	1
उत्तर प्रदेश	73	26	17	2	2	53	25	0
पश्चिमी बंगाल	1	0	0	0	0	0	1	0
कुल	200	86	67	6	2	161	93	1

उर्वरकों से नियंत्रण हटाना

2115. प्रो० पी.जे. कुरियन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं योजना के दौरान यूरिया समेत हर तरह के उर्वरकों पर से नियंत्रण हटाने और वर्तमान मूल्य नीति को पुनर्गठित करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी फैसला क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यूरिया, डी.ए.पी., एस.एस.पी. और अन्य नाइट्रोजिन्स फार्म न्यूट्रिएन्ट सहित सभी उर्वरकों पर एक समान राजसहायता देने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो राजसहायता मानदण्ड निर्धारित करने पर जिन बातें पर ध्यान दिया गया है उनका ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) से (घ) फास्फेटिक पोटाशिक और कम विश्लेषित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक नियंत्रणमुक्त हैं। यूरिया को नियंत्रणमुक्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

कृषकों को फास्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की स्कीम के तहत, रियायत के स्तर पर निर्धारण सरकार द्वारा उनके निर्माण/आयात तथा बिक्री मूल्यों में निहित लागत को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यूरिया के मामले में, एककवार प्रतिधारण मूल्य (अर्थात् सरकार द्वारा मूल्यांकित उत्पादन लागत जमा शुद्ध पूंजी पर उचित लाभ) और अधिसूचित बिक्री मूल्य के बीच अन्तर की अदायगी राजसहायता के रूप में की जाती है।

रसोई गैस कंपनियों का कार्यनिष्पादन

2116. श्री रामदास आठवले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की एल.पी.जी. कंपनियों और निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इस समय देश में रसोई गैस की पूर्ति के लिये कार्य कर रही निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एकाधिकार बनाये रखने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सरकार समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र की एल.पी.जी. विपणन कर रही तेल कंपनियों के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा करती है। निजी कपंनियों के संबंध में, आयातित एवं बिक्री की गई एल.पी.जी. की मात्रा, इनके द्वारा विकसित एल.पी.जी. आयात सुविधाओं से संबंधित सूचनायें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एकत्रित की जाती है। 30 अप्रैल, 1998 तक, समानांतर विपणन योजना के तहत 18 निजी पक्षकारों ने लगभग 355 हजार मीट्रिक टन एल.पी.जी. थोक मात्रा में तथा 2 निजी पक्षकारों ने इसकी लगभग 0.19 हजार मीट्रिक टन डिब्बा बंद मात्रा का आयात किया है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम हजीरा में अपने नाफ्था क्रेकर से उत्पादित एल.पी.जी. का विपणन कर रही है और इसने अप्रैल 1998 तक इसकी लगभग 91 हजार मीट्रिक टन मात्रा की बिक्री की है। निजी पक्षकार, अब तक, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के एल.पी.जी. विपणन पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं डाल सके हैं। वर्तमान में उनकी बाजार हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों की 95.40 प्रतिशत हिस्सेदारी की तुलना में केवल 4.60 प्रतिशत है।

(ग) 129 पक्षकारों ने अलग-अलग समयावधियों में स्वयं को एल.पी.जी. से संबंधित कार्यव्यापार में लगाने के विषय में संशोधित एल.पी.जी. नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के मुताबिक ''रेटिंग'' प्राप्त की है। तथापि, 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार केवल 46 पक्षकारों ने अधिसूचित एजेंसियों द्वारा जारी वैध ''रेटिंग'' प्रमाण पत्र अब प्राप्त कर लिया है।

(घ) एल.पी.जी. की समानांतर विपणन योजना की शुरूआत के परिणामस्वरूप एल.पी.जी. विपणन के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों का कोई एकाधिकार नहीं है और न ही ग्राहकों के लिए प्रतियोगी मूल्य एवं अपेक्षाकृत अच्छी सेवा के हित में इसका कोई इरादा है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही स्वास्थ्य परियोजनाएं

2117. श्री माधवराव पाटील :
श्री अशोक नामदेवराव मोडोल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ की गई स्वास्थ्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर विश्व बैंक द्वारा अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) क्या राज्य में विश्व बैंक की सहायता से कुछ और स्वास्थ्य परियोजनाओं के आरंभ किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त एक परियोजना प्रस्ताव सहायता हेतु विश्व बैंक के समक्ष रखा जा चुका है। ऐसी राज्य परियोजनाएं विश्व बैंक के साथ विस्तृत विचार-विमर्श से तैयार की जाती हैं और पिछले अनुभव से पता चलता है कि इन के फलीभूत होने में 12 से 14 माह का समय लगता है जो परियोजना के आकार पर निर्भर करती है। (राज्य द्वारा डिजाइन तथा परियोजना तैयार करने में लगाया गया समय) राज्य प्राधिकारियों को विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ विचार- विमर्श के दौरान प्रत्येक स्तर पर शामिल रखा गया है लेकिन इस अवस्था में परियोजना के अन्तिम आयाम पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों पर राजसहायता योजना

2118. श्री मदेश कनोडिया :
डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में प्रत्येक परिवार को केन्द्र द्वारा निर्धारित मूल्यों से आधी दर पर 10 किलोग्राम खाद्यान्न देने की योजना प्रभावी हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार किस मूल्य पर खाद्यान्नों को उपलब्ध कराया जाएगा; और

(घ) जिन राज्यों में इस योजना को लागू नहीं किया गया है उनके नाम क्या हैं और अभी तक विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) गरीबी रेखा से नीचे के पहचान किए गए परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो जनू, 1997 से शुरू की गई थी, के अधीन 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर जारी किए जाते हैं। दिल्ली और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वयनाधीन है।

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं :

(रुपये प्रति क्विंटल)

	गेहूं	चावल	
		साधारण	ग्रेड "ए"
गरीबी रेखा से नीचे	250	350	350
गरीबी रेखा से ऊपर	450	450	700

राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के खुदरा मूल्य केन्द्रीय निर्गम मूल्य के ऊपर 50 पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक निर्धारित न करें और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों में मामले में राज्य खुदरा मूल्य निर्धारित करने के संबंध में स्वतंत्र हैं।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली दिल्ली और लक्षद्वीप में अभी क्रियान्वित की जानी है क्योंकि उनके द्वारा गरीबों की पहचान करने और विशेष कार्ड जारी करने संबंधी कार्य अभी पूरा नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा संबंधी कार्यक्रम

2119. श्री सी.डी. गामीत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा संबंधी योजनाएं शुरू करने के लिए कोई प्रबंध किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का जबरदस्त अभाव है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस नीति तैयार की है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने राज्यों के लिए किसी केन्द्रीय कोष की स्थापना की है जो राज्यों को निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, हाँ। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में सुधार लाने के लिए आदिवासी उप-योजना और विशेष घटक योजना कार्यान्वित की जा रही है। हाल ही में आरम्भ किए गए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार लाने, कवरेज बढ़ाने और असमानता को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात के सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इन क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से और सुधार लाया जा रहा है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में आदिवासी, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों को खोलने के मानदण्डों में ढील दी गई है। राज्य सरकारों को ऐसे आदिवासी क्षेत्रों/अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों में उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने में और ढील देने पर विचार करने की सलाह दी गई है जो निकटतम स्वास्थ्य प्रदाय स्थल से 5 किलोमीटर से अधिक दूर हैं। राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति वाले ऐसे गांवों में, जहां पर 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं कम से कम 15 प्रतिशत उप-केन्द्रों और आदिवासी क्षेत्रों में 7.5 प्रतिशत उपकेन्द्र खोलने की सलाह दी गई है।

(छ) और (ज) मंत्रालय ने गंभीर और घातक बीमारियों से पीड़ित गरीबी रेखा के नीचे वाले रोगियों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रुग्णता निधि स्थापित की है। राज्यों के लिए न्यूनतम बुनियादी सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में सुधार लाने और जहां कहीं जरूरी है, आधारभूत ढांचे में अन्तर को पाटने के लिए अतिरिक्त योजना सहायता उपलब्ध है।

फाइलेरिया उन्मूलन

2120. **श्री एन. डेनिस :**
श्री रंजीत बिस्वाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को देश में विशेष रूप से उड़ीसा में लागू किया जा रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और राज्य में स्थापित किए गए फाइलेरिया नियंत्रण केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने देश में फाइलेरिया प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाया है;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार ने देश में फाइलेरिया को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (उड़ीसा सहित) में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 206 नियंत्रण युनिटों और 199 फाइलेरिया क्लिनिकों द्वारा किए गए आवर्ती लार्वा-रोधी उपायों से लगभग 48 मिलियन लोगों का बचाव किया गया है। यह कार्यक्रम 1997 में अन्य स्थानों के साथ-साथ उड़ीसा ने खुर्दा और पुरी जिलों में सफलतापूर्वक चलाया गया था।

(घ) से (छ) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित व्यय हुआ :

वर्ष	व्यय (लाख रुपए)
1995-96	1260.00
1996-97	1262.00
1997-98	1323.00

कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे फाइलेरिया नियंत्रण यूनिटों, और फाइलेरिया क्लिनिकों तथा सुरक्षित किए गए लोगों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ज) फाइलेरिया नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

— रोगाणुवाहक मच्छर के नियंत्रण के लिए लार्वानाशी के साथ आवर्ती लार्वारोधी उपाय।

— मच्छर प्रजनन नियंत्रण के लिए पर्यावरणिक उपाय, जिनमें गढ्ढों, खाइयों निचले क्षेत्रों, को भी भर कर स्रोतों में कमी लाना तथा नालियों की साफ-सफाई करना शामिल है।

— जैविक कारकों, विशेष रूप से लार्वानाशी मछलियों के द्वारा मच्छर प्रजनन पर जैविक नियंत्रण।

— माइक्रो फाइलेरिया वाहकों का पता लगाकर और उपचार करके तथा फाइलेरिया क्लिनिकों के माध्यम से डी.ई.सी. गोलियों के सेवन से परजीवी-रोधी उपाय।

— सात स्थानिक मारी वाले राज्यों-आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल के चुने हुए जिलों में डी.ई.सी. की एकल खुराक के द्वारा उपचार।

विवरण

फाइलेरिया नियंत्रण यूनिटों-सर्वेक्षण यूनिटों, फाइलेरिया क्लिनिकों की संख्या तथा सुरक्षित किए गए लोगों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सुरक्षित किए गए लोग (मिलियन में)	फाइलेरिया नियंत्रण यूनिट	सर्वेक्षण यूनिट	फाइलेनिया क्लिनिक
1.	आंध्र प्रदेश	5.46	29	2	5
2.	असम	0.29	1	1	0
3.	बिहार	7.61	35	2	38
4.	गोवा	0.34	4	0	6
5	गुजरात	3.54	9	0	7
	कर्नाटक	0.65	6	1	19
7.	केरल	4.02	16	2	9
8.	मध्य प्रदेश	0.66	9	3	8
9.	महाराष्ट्र	5.91	16	6	10
10.	उड़ीसा	2.30	15	2	15
11.	तमिलनाडु	8.54	21	1	42
12.	उत्तर प्रदेश	6.64	29	2	34
13.	पश्चिम बंगाल	1.39	10	4	3
14.	पांडिचेरी	0.49	2	0	0
15.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.05	1	1	1
16.	दमन और दीव	0.03	2	0	2
17.	लक्षद्वीप	0.01	1	0	0
	कुल	47.93	206	27	199

बम कांड

2121. डॉ० विजय सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1990 के बम कांड के संबंध में किसी भी अभियुक्त को दोषी ठहराने में पुलिस की विफलता के कारण न्यायालय को उन्हें छोड़ना पड़ा;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस संबंध में मुकद्दमें की कार्यवाही की सही ढंग से जांच-पड़ताल न करने की जांच करेगी और भविष्य में रिहाई को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि 1990 के दौरान दिल्ली में बम विस्फोट की 10 घटनाएं हुई। इनमें से पांच मामलों में न्यायालय ने अभियुक्त को बरी कर दिया था।

(ख) और (ग) अभियोजन निदेशालय (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) और दिल्ली पुलिस के बीच होने वाली नियमित बैठकों के दौरान, मामलों की जांच-पड़ताल/अभियोजन के दौरान रह गयी उन कमियों और खामियों पर व्यापक तौर पर चर्चा की जाती है जिनके परिणामस्वरूप कैदी दोषमुक्त सिद्ध हो गए ताकि इनकी पुनरावृत्ति न हो।

[हिन्दी]

सिपाहियों द्वारा पैसा ऐंठना

2122. श्री राम टहल चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के सिपाहियों द्वारा पटरी पर सामान बेचने वाले लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसे कितने सिपाहियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) विगत तीन वर्षों में दिल्ली पुलिस के एक हैड कांस्टेबल और छह (6) कांस्टेबलों के विरुद्ध 6 विशेष शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने फेरीवालों, रेहड़ीवालों आदि को तंग किया था, उनसे धन ऐंठा था। इनमें से चार कार्मियों को निलम्बित किया गया और इन सभी सातों कर्मियों के विरुद्ध करायी गयी विभागीय जांच अब समाप्त हो गयी है तथा एक कांस्टेबल की दो वर्ष की सेवा कम की गयी है और दूसरे कांस्टेबल की ''परिनिन्दा'' की गयी है। तीसरे मामले में आरोपित कांस्टेबल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई पूरी होने तक उसे एक किया गया। शेष मामलों में गठित विभागीय कार्रवाई पूरी होने के विभिन्न चरणों में है।

जापानी लड़की का अपहरण

2123. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अप्रैल, 1998 के दैनिक जागरण में ''इस्कॉन मंदिर के पास से जापानी युवती का अपहरण'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि 8.4.98 को प्रातः 5.00 बजे सुश्री मिरीको कोसेकी नामक एक जापानी नागरिक को इसकान मंदिर के निकट के गढ़ी क्षेत्र में एक गहरी नीली मारुति कार में सवार चार लोगों ने उसका उस समय अपहरण कर लिया जब वह सुबह सैर कर रही थी। थाना लाजपत नगर, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 365/354/34 के अधीन, एक मामला एफ.आई.आर. संख्या 264/98 दर्ज किया गया। बाद में सुश्री कोसेकी, मण्डावली क्षेत्र में मुख्य सड़क पर अकेली पाई गई। इस महिला की स्वामी दयानंद अस्पताल, दिल्ली, में चिकित्सीय जांच कराई गई थी। तथापि, इस घटना के कारण पहुंचे सदमें और मानसिक आघात के कारण वह कोई बयान नहीं दे सकी। जापानी दूतावास के अधिकारी उसे इस आश्वासन पर ले गए कि उसके बयान दे सकने की स्थिति में आते ही वे उसे अपना बयान रिकार्ड कराने के लिए ले जाएंगे। तथापि, पुलिस को कोई बयान दिए बगैर ही सुश्री कोसेकी 11.3.98 को देश छोड कर चली गई।

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र में कामगार

2124. श्री चन्दू लाल अजमीरा
श्री रति लाल कालीदास वर्मा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित क्षेत्र के कामगारों के साथ भागीदारी बढ़ाने के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगारों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विशेषज्ञ चिकित्सकों का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य औषधालयों में निर्धारित दिन आना

2125. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सी.जी.एच.एस. औषधालयों को निर्धारित दिन पर अनियमित रूप से आने/कभी कभी आने के कारण योजना के लाभार्थियों को सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हृदय रोग तथा रक्त चाप के मरीजों के लिए कोई उपचार कराने से पहले ई.सी.जी. कराना आवश्यक है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के उनके सम्बन्ध औषधालय में ऐसी व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी औषधालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन औषधालयों में डाक्टरों के नियमित रूप से आने के लिए समय की पाबन्दी सुनिश्चित करने तथा इन औषधालयों में ई.सी.जी. सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों, जिन्हें ''नोडल'' केन्द्रों के रूप में नामित किया गया है, का दौरा करते हैं। ऐसे नोडल केन्द्र विशेष परामर्श के प्रयोजन के लिए 3 सेफ औषधालयों को इकट्ठा करने बनाए गए हैं। तथापि, अपरिहार्य परिस्थितियों यदि कोई हो, के कारण विशेषज्ञ औषधालय का दौरा करने में असमर्थ है। तो ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थ सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों के पास जा सकते हैं।

(ख) यह निर्णय करना कि क्या उपचार के अंग के रूप में जी. करना अपेक्षित है, उपचार करने वाले विशेषज्ञ का काम

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कुछेक औषधालयों में ई.सी.जी. मशीनों की व्यवस्था की गयी है।

जब भी डॉक्टरों की अनियमित उपस्थित के बारे में कोई शिकायत मिलती है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है और डॉक्टरों की समय-पाबन्दी को सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

अवैध मानव व्यापार

2126. श्री सुशील कुमार शिन्दे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1998 के ''टाइम्स ऑफ इंडिया'' में होशियारपुर में ''भय्या मंडी'' के जरिए नियमित रूप से मानव व्यापार किए जाने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में इस समाचार के संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे अवैध व्यापार को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (ङ) पंजाब सरकार से प्रैस रिपोर्ट में निहित आरोपों तथा इस मामले में जांच की अवस्था के संबंध में सूचना पंजाब सरकार से मांगी जा रही है तथा सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों को रोजगार

2127. श्री आर. एस. गवई : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई स्वरोजगार योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1996-97 के दौरान इस योजना के अंतर्गत युवाओं को कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान कितनी धनराशि के आवंटन का प्रावधान किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम महाराष्ट्र सहित सम्पूर्ण देश में राज्य माध्यम एजेंसियों के जरिए अन्य पिछड़े वर्गों के पात्र सदस्यों को रियायती ब्याज दरों पर स्वरोजगार उधमों के लिए ऋण प्रदान करता है।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र में राज्य माध्यम एजेंसियों को 1.483 करोड़ रुपए का वितरण किया गया था।

(ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य वार कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री जाखड़ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिला है.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लिए जाएंगे।

[हिन्दी]

डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है।.....*(व्यवधान)* इस पर आप बहस कराइये।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैंने अयोध्या के बारे में स्थगन प्रस्ताव किया है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नागरिकता अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) की अंतर्गत नागरिकता (संशोधन) नियम, 1998, जो 19 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 141 (अ) में प्रकाशित हुए थे कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 541/98]

(2) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1998 जो 18 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 137 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 542/98]

(3) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 543/98]

(4) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत आयुध (संशोधन) नियम, 1997 जो 3 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 1 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 544/98]

फर्टीलाइजर एंड कैमीकल्स त्रावणकोर लिमिटेड आदि और उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) फर्टीलाइजर एण्ड कैमीकल्स त्रावणकोर लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 545/98]

(दो) पायराइट्स, फासफेट्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 546/98]

(तीन) मद्रास फर्टीलाइजर लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 547/98]

(चार) पारादीप फास्फोट्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 548/98]

(पांच) राष्ट्रीय कैमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 549/98]

(छह) नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड (एन.एफ.एल.) और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 550/98]

(सात) हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 551/98]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 552/98]

शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : महोदय मैं डॉ० सत्यनारायण जटिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1997 जो 13 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 404 में प्रकाशित हुए थे तथा तत्संबंधी शुद्धि-पत्र, जो 18 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 88 में केवल हिन्दी में प्रकाशित हुआ था।

(दो) शिक्षु (संशोधन) नियम 1997 जो 21 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 269 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) शिक्षु (संशोधन) नियम 1997 जो 19 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 293 में प्रकाशित हुए थे तथा तत्संबंधी शुद्धि-पत्र जो 27 सितम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 339 में केवल हिन्दी में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 553/98]

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1998-99 के लिए वित्तीय प्राक्कलन और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 554/98]

(3) बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, 1996 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत बिल्डिंग एंड अदर कन्सट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस नियम, 1998 जो 26 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 149 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी शुद्धि पत्र जो 20 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 257 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 555/98]

खान विभाग की वर्ष 1998-99 की अनुदानों की मांगें

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) खान विभाग, इस्पात और खान मंत्रालय की वर्ष 1998-99 के लिए विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 556/98]

(2) इस्पात मंत्रालय की वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 557/98]

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 1998 का प्रतिवेदन (रक्षा सेवाएं) सैन्य और आयुध कारखाने

रसायन और उर्वरक तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : महोदय मैं श्री यशवन्त सिन्हा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1998 का संख्याक 7) (रक्षा सेवायें) सैन्य और आयुध कारखाने।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 558/98]

(दो) 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत

के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (1998 का संख्याक 9) (रेल)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 559/98]

(तीन) 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1998 का संख्यांक 8) (रक्षा सेवायें) वायु सेना ओर नौसेना।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 560/98]

(2) वर्ष 1996-97 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं (संघ सरकार) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 561/98]

(3) वर्ष 1996-97 के लिए भारतीय रेलवे के विनियोग लेखाओं, भाग-1 (समीक्षा) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 562/98]

(4) वर्ष 1996-97 के लिए भारतीय रेलवे के विनियोग लेखाओं, भाग-2 विस्तृत विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 563/98]

(5) वर्ष 1996-97 के लिए भारत सरकार, रेलवे के ब्लॉक लेखे (ऋण लेखाओं वाले पूंजी विवरण के साथ), तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 564/98]

डाक विभाग की वर्ष 1998-99 की अनुदानों की मांगें

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): महोदय, मैं श्रीमती सुषमा स्वराज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) डाक विभाग के वर्ष 1998-99 के लिए विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 565/98]

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 566/98]

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखों और कार्यकरण की समीक्षा की एक प्रति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 567/98]

(3) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन यूनानी मेडीसिन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन यूनानी मेडीसिन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 568/98]

(5) (एक) लाला राम स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड एलाइड डिजीजिज, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखें।

(दो) लाला राम स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड एलाइड डिजीजिस, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 569/98]

(7) (एक) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 570/98]

(9) (एक) पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 571/98]

(11) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूअन्तपुरम के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 572/98]

(13) (एक) आचार्य हरिहर रीजनल कैंसर सेन्टर, कटक के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आचार्य हरिहर रीजनल कैंसर सेन्टर, कटक के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 573/98]

(15) (एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 574/98]

(17) (एक) कैंसर इन्स्टीट्यूट (डब्ल्यू.आई.ए.), मद्रास के वर्ष 1996 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर इन्स्टीट्यूट (डब्ल्यू.आई.ए.), मद्रास के वर्ष 1996 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 575/98]

(19) (एक) रीजनल कैंसर सेंटर कमला नेहरू मेमोरियल हास्टिपल, इलाहाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कैंसर सेंटर कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्टिपल, इलाहाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने

में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 576/98]

(21) (एक) गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अग्रेंजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 577/98]

नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि मेंटली हैंडीकैप्ड सिकन्दराबाद आदि के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखाओं और कार्यकरण की समीक्षा की एक प्रति

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती मेनका गांधी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि मेंटली हैंडीकैप्ड सिकन्दराबाद का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि मेंटली हैंडीकैप्ड सिकन्दराबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 578/98]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार विज्युअली हैंडीकैप्ड, देहरादून, के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार विज्युअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 579/98]

(5) (एक) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 580/98]

(7) (एक) शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 581/98]

(9) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 582/98]

(11) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि हियरिंग हैंडीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि हियरिंग हैंडीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 583/98]

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) आर्टीफीशियल लिम्बस् मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टीफीशियल लिम्बस् मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 584/98]

(15) (एक) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(दो) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 585/98]

(17) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21 की उपधारा (4) के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के लिए दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 586/98]

(19) कमीशनर फॉर लिंग्युस्टिक माइनोरिटीज इन इंडिया के जुलाई, 1992 से जून 1993 तक की अवधि के लिए तेतीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित प्रतिवेदन की व्याख्यात्मक टिप्पणी की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 587/98]

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की अनुदानों की मांगें

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 1998-99 के लिए विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 588/98]

कोयला मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की अनुदानों की मांगें

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

कोयला मंत्रालय की वर्ष 1998-99 के लिए विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 589/98]

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 का समझौता ज्ञापन आदि

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 462/98]

(2) (क) (एक) इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 463/98]

(दो) इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 464/98]

(तीन) इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 465/98]

(चार) इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 466/98]

(पांच) इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 467/98]

(छह) इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 468/98]

(सात) इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, लखनऊ के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 469/98]

(आठ) इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 470/98]

(नौ) इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, अहमदाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 471/98]

(दस) इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 472/98]

(ग्यारह) इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 473/98]

(बारह) इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 474/98]

(तेरह) इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 475/98]

(चौदह) इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलाजी, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 476/98]

(पन्द्रह) डा. अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़ के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 477/98]

(सोलह) इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, गुरूदासपुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 478/98]

(सत्रह) इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 479/98]

(अट्ठारह) इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 480/98]

(उन्नीस) नेशनल काउंसिल फार होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 481/98]

इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, गोवा, कलकत्ता, बंगलौर, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, जयपुर, भोपाल, ग्वालियर, तिरूअनन्तपुरम, चंडीगढ़, गुरूदासपुर, श्रीनगर, गुवाहाटी और नेशनल काउंसिल फार होटल मेनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 482/98]

[हिन्दी]

तेल उद्योग विकास बोर्ड आदि के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखाओं और कार्यकरण की समीक्षा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 590/98]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 591/98]

(दो) आयल इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 592/98]

(तीन) कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 593/98]

(चार) बामर लारी एण्ड कंपनी लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 594/98]

(पांच) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 595/98]

(छः) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 596/98]

(सात) आई.बी.पी. कम्पनी लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 597/98]

(4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 598/98]

(5) कंपनी अधिनिमय 1956 की धारा 619क की उपधारा (I) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 599/98]

(ख) (एक) बीको लारी लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीको लारी लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षिक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 600/98]

(ग) (एक) आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 601/98]

(घ) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलिमय कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 602/98]

(ङ) (एक) भारतीय तेल निगम लिमिटेड के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय तेल निगम लिमिटेड के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 603/98]

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम. 1986 की धारा 39 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा-शर्तें) संशोधन विनियम, 1997 जो 9 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 374 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) (संशोधन) विनियम, 1997 जो 4 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 634 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 1997 जो 5 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 635 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त और अन्य पदों के लिए भर्ती) (संशोधन) विनियम, 1997 जो 5 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 636 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा-शर्तें संशोधन विनियम, 1997 जो 15 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 649 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा-शर्तें) (संशोधन) विनियम, 1997 जो 31 दिसंबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 725 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त और अन्य पदों के लिए भर्ती) (संशोधन) विनियम, 1997 जो 31 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 726 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा-शर्तें) संशोधन विनियम, 1998, जो 20 फरवरी, 1998 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 79 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 604/98]

(2) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (पैकेज्ड कमोडिटीज) (संशोधन) नियम, 1998 जो 29 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 60 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 605/98]

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, बहुत हो गया। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया है। बहुत हो गया।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 12.02 बजे

इस समय की लालू प्रसाद और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अपराह्न 12.05 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4(छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनिमय, 1956 की धारा 4 (छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निवेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आप सारे कामकाज को रोककर इस पर बहस कराइये।.....*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, इससे इम्पोर्टमेंट मसला कोई और नहीं है। .....(व्यवधान) यह बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है।.....*(व्यवधान)* इस पर आप तुरंत बहस कराइये।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जहां से हमने चुनाव लड़े हैं महिलाओं को नंगा दौड़ाया जाता है और निर्दयता से मार दिया जाता है। उनका बलात्कार किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा शून्य काल पर चर्चा करेंगी। कुमारी ममता बनर्जी कृपया शांत रहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं इस बात की निंदा करती हूँ.....*(व्यवधान)* श्री जयपाल रेड्डी जी कृपया मुझे बोलने दें. .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, कृपया समझने की कोशिश कीजिए। सहमति को रोक दिया गया है। कृपया स्थिति को समझिए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सहमति को रोक दिया गया है। कृपया, बैठ जाइए।

श्री जी.एम. बनातवाला : कृपया अपने निर्णय पर पुनः विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में करेंगें। कृपया बैठ जाइए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं इसकी एक अन्य प्रक्रिया है।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी के अभिभाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*.....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम बुलाऊंगा। मैंने कुमारी ममता बनर्जी को बोलने की अनुमति दी है। उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं सभा से अपील करती हूँ कि मेरी बात सुनें और मेरा समर्थन करें। महिलाओं पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और आसमान छू रहे हैं। महिलाओं पर इस प्रकार के अत्याचारों की निंदा करते हुए मैं विपक्ष के तथा सत्ता पक्ष के अपने मित्रों से अपील करना चाहूंगी कि वे इस बात को जानें कि क्या हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : हमने पश्चिम बंगाल में पंचायतों के चुनाव लड़े हैं। पश्चिम बंगाल में महिला उम्मीदवारों को नंगा दौड़ाया गया। महिलाओं की हत्या की जाती है। उन्हें निर्दयता से मार दिया जाता है। वे मर रही हैं। उनका बलात्कार किया जाता रहा है। महिला उम्मीदवारों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों जैसे अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा है। उनका सामूहिक बलात्कार किया जाता रहा है। कल तक मरने वाली महिलाओं की संख्या 92 थी। तृणमूल कांग्रेस की 56, भाजपा की 14, रासपा की 5, फारवर्ड ब्लॉक की 4, तथा सी.पी.आई. और एस.यू.सी.आई. की एक-एक महिला को मार दिया गया है। इतनी सारी मौतें हुई हैं।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी के अभिभाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*.....(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : आप महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं, परंतु संरक्षण नहीं दे रहे हैं। यह महिलाओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सबसे पहले आप उन्हें संरक्षण दीजिए उसके बाद आरक्षण। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे। हम भारतीय संविधान के क्षेत्राधिकार के अंदर इस मामले में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप चाहते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। केन्द्र सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे इस प्रकार के अत्याचार बंद हों। गृह मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए। वे हमें बताऐं कि वे क्या करने जा रहे हैं।

अगर यही राजस्थान या भारत के अन्य भागों में होता है तो हम इसकी निंदा करते हैं। जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है वह उससे कुछ अलग नहीं है। क्या पश्चिम बंगाल राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से अलग है।

वहां कोई संसदीय प्रजातंत्र नहीं है।** वे निचले स्तर पर प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर निचले स्तर पर प्रजातंत्र की हत्या की जाती है तो प्रजातंत्र की रक्षा वे किस प्रकार करेंगे?. *.....(व्यवधान)* महोदय, मेरे पास दस्तावेज हैं। मेरे पास वीडियों कैसेट हैं। कृपया इसे देखिए। हम न्याय चाहते हैं.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाओ।

.....(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : हम न्याय चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपनी बात पूरी करें।

.....(व्यवधान)

अपराह्न 12.09 बजे

इस समय श्री सुदीप बंधोपाध्याय और एक अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर लौट जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर लौट जाइये।

.....(व्यवधान)

अपराह्न 12.09½ बजे

इस समय श्री सुदीप बंधोपाध्याय और अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

कुमारी ममता बनर्जी : हम न्याय चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य कृपया बैठ जाइए। नहीं-नहीं, कृपया बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** सभापति के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य कृपया बैठ जाइए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, 93 महिलाएं मारी गई हैं. .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप क्या कहना चाहते हैं ?

अब मैनें श्री बसुदेव आचार्य को अनुमति दी है। कृपया समझिए। कृपया बैठ जाइए। कृपया अपने सदस्यों से कहिए कि वे बैठ जाएं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री धनजंय कुमार, कृपया बैठ जाइए।

अपराह्न 12.13 बजे

इस समय कुमारी ममता बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर लौट जाइये।

अपराह्न 12.31 बजे

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर लौट जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

(लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई)।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, कृपया गृह मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति दें।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गंभीर विषय की ओर सदन की ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इसे आज नहीं कल लेंगे।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। रेल मंत्री इस बहस का उत्तर देंगे।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री जी, क्या आप उत्तर देना चाहेंगे ?

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य इस तरह व्यवहार न करें। कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले, आप सभी बैठ जाइए। सदन में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र जी, बहुत हो गया। कृपया अपने स्थान पर चले जाइए।

.....*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा० शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) अध्यक्ष जी, गंदा पानी पीने से कई लोगों की मौतें हो गई हैं.....*(व्यवधान)*

अपराह्न 2:05 बजे

इस समय डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइए। यह क्या हो रहा है? आप अपने स्थानों पर जाइए। यह सही तरीका नहीं है।

अपराह्न 2.06 बजे

इस समय डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदय : आज सभा में महत्वपूर्ण मुद्दों को पूरा किया जाना है। कृपया बैठ जाए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, कृपया बैठ जाइए। श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको अपनी बात कहने का अवसर दूंगा।

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम पश्चिम बंगाल में हमारी सुरक्षा चाहते हैं.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब, रेल मंत्री उत्तर देंगे।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। हमें रेल बजट पर चर्चा को पूरा करना है। अभी पांच विधेयक और हैं।

आपको उन विधेयकों पर भी चर्चा करनी है। यह अच्छा व्यवहार नहीं है। कृपया बैठ जाएं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकुल वासनिक, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह क्या है? आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकुल वासनिक, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकुल वासनिक, यह सही प्रक्रिया नहीं है। यह शून्य काल नहीं है। कृपया मेरी बात सुनिए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, अपने स्थान पर आपको प्रक्रिया का पता होना चाहिए। आपको ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने श्री बूटा सिंह को अनुमति दी है।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 खण्ड 5 उपखण्ड (क) और (ख) से उत्पन्न होता है। क्या मुझे एक प्रति मिल सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री बूटा सिंह : मुझे एक प्रति मिलने दीजिए।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : श्री बूटा सिंह का आशय संभवतः तमिलनाडु के लिए अनुच्छेद 356 से है।

श्री बूटा सिंह : संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रपति को, देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की जान माल की रक्षा के विशेष कर्त्तव्य का, आदेश है। इस खण्ड के अन्तर्गत, भारत के राष्ट्रपति ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग को नियुक्त किया है। खण्ड 5 के उप खण्ड (क) में निम्नलिखित उल्लेख है।

> "(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करना और निगरानी रखना और ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना।"

आजकल प्रत्येक राज्य में आम बात हो गयी है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं पर अमानवीय अत्याचार किए जा रहे हैं। केवल राजस्थान में ही पिछले सप्ताह दलित समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री बूटा सिंह : यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया मेरी बात सुनें। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया मेरी बात सुनें।. .....*(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : क्या यही व्यवस्था का प्रश्न है ? आपका वास्तव में कौन सा व्यवस्था का प्रश्न है ?.....*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : क्या आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का कल्याण करने के इच्छुक नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि अनुसूचित जातियों की महिलाओं का बलात्कार हो ?

राजस्थान के एक गांव में अनुसूचित जातियों की दो नवयुवतियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। उनके हाथ-पैर बंधे हुए थे। उन्हें पेड़ से लटकाया गया। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में दो अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के साथ बलात्कार किया गया था.....*(व्यवधान)* कई महिला अभ्यर्थियों का खुले में, लोगों के सामने बलात्कार किया गया और सरकार एवं पुलिस ने दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अनुमति दी है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

.....*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : यह बात समाचार-पत्रों में छपी है। क्या आप समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं ? यह दिल्ली से निकलने वाले समाचार पत्र 'स्टेट्समैन' के मुखपृष्ठ पर छपा है। इसने इस समाचार को छापा है।

मेरा आपसे और आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह निवेदन है कि आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ-साथ राष्ट्रीय महिला आयोग एवं अल्पसंख्यक आयोग से एक विशेष टीम को भेजकर स्थिति का पता लगाइए.....*(व्यवधान)* यह समाचार-पत्र में छपा है।

मेरा माननीय गृह मंत्री से अनुरोध संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत है, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग को तथ्यों को एकत्रित कर भेजने का निर्देश दें जिससे कि सभा को विश्वास में लिया जा सके। सब बातों को सभा के समक्ष लाया जा सके।

महोदय, आप संविधान के संरक्षक हैं आप इससे निपटने में भी सक्षम हैं आप को एक सर्वबलीय टीम को बनाना चाहिए जिसमें विशेष रूप से महिलाएं हों। उन्हें सभी राज्यों, वहां भी जिसका कि मैं उल्लेख कर चुका हूं। मैं वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा जाना चाहिए जिससे कि माननीय गृह मंत्री को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सभा निर्देशित कर सकें।

माननीय गृह मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति देने से पूर्व मेरा आपसे और आपके माध्यम से भारत सरकार, विशेषकर माननीय प्रधान मंत्री से निवेदन है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह संविधान का उल्लेख कर रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री बूटा सिंह : प्रधानमंत्री हमेशा देश के दलितों, कमजोर वर्गों और महिलाओं के हित के पक्षधर रहे हैं। उनका एक विशेष दावा है। आज देश की सारी महिलाएं कुमारी ममता बनर्जी पर दृष्टि लगाए हुए हैं क्योंकि वे सभा में इस बात को उठा रही हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप गृह मंत्री से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कहिए। मैं आपसे इस सत्र में एक विशेष दिन नियत करने का अनुरोध करता हूँ जिससे कि हम महिलाओं और दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर विचार-विमर्श कर सकें। यह मेरा निवेदन है। कृपया मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर विनिर्णय दीजिए.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री अब उत्तर देंगें।

.....*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, यह सब क्या है? मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। माननीय गृह मंत्री खड़े हैं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने गृह मंत्री को अनुमति दी है।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है। कृपया अपने सदस्यों से अपने स्थान पर बैठ जाने के लिए कहिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : माननीय अध्यक्ष के विनिर्णयों और कार्यसंचालन और प्रक्रिया नियमों के अनुसार सभी को सभा में मर्यादानुकूल आचरण करना चाहिए। आज बार-बार सभा के भीतर अव्यवस्थित दृश्य उत्पन्न हुए जिससे सभा का सम्मान, प्रतिष्ठा और ख्याति पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

सभा में बार-बार लगातार अव्यवस्था उत्पन्न होने से सभा का सम्मान और प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है.....*(व्यवधान)* आप सभा के संरक्षक हैं हम आपसे सभा के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने का अनुरोध करते हैं। सभा के किसी सदस्य की इच्छा के चलते सभा में अव्यवस्था को उत्पन्न होने नहीं दी जा सकती .....*(व्यवधान)* सभा के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा अध्यक्षपीठ द्वारा की जानी चाहिए। लगातार बार-बार उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था से सभा की मर्यादा और सम्मान को ठेस पहुंची है। महोदय, हम इस पर आपका विनिर्णय चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह सभा के कार्य संचालन से जुड़ा मुद्दा नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : प्रक्रिया नियम और अध्यक्ष के विनिर्णयों का कुछ सदस्यों की इच्छा के चलते उल्लंघन हो रहा है..... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले नेता विपक्ष ने राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार का उल्लेख किया था और आज एक सम्माननीय सदस्या और श्री बूटा सिंह जी ने फिर से महिलाओं पर अत्याचार का उल्लेख किया है और अनुसूचित जाति-जनजाति का विशेष उल्लेख किया है। जिन दो प्रदेशों का नाम लिया गया है राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान से तुरंत मैंने समाचार मंगाए और न केवल वहां से समाचार आए, उन्होंने यह भी कहा कि जयपुर और कोटा में हुई घटनाओं की जांच सी.बी.आई. से कराएं तो अच्छा हो.गा।

कुमारी ममता बनर्जी : वेस्ट बंगाल का भी करवाइए।.... ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से राजस्थान से समाचार मंगवाए हैं, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल से भी समाचार मंगवाएंगे।. .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब रेल मंत्री इस बहस का उत्तर देंगें।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वामी जी, कृपया बैठ जाइए। आज हमें रेल बजट पर चर्चा पूरी करनी है। रेल मंत्री के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण (कराड़) : महोदय, आज की कार्यसूची पत्र में उल्लेख किए गए ध्यानाकर्षक प्रस्ताव के संबंध में आपका क्या कहना है?

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हम मंत्री जी के उत्तर के बाद चर्चा करेंगे।

.....*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यमूर्ति जी, कृपया बैठ जाइए। श्री मुथैया कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने रेल मंत्री को उत्तर देने के लिए कहा है आपको नहीं। श्री स्वामी जी आपको पता होना चाहिए कि यह शून्य काल नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, यह शून्य काल नहीं है। हमें एक महत्वपूर्ण कार्य पर चर्चा पूरी करनी है। कृपया समझने की कोशिश कीजिए। आप अपनी बात कल कह सकते हैं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वामी जी, कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप मुझे इस मुद्दे को कल उठाने देंगे ? जब मैं आपके चैंबर में आया था तो आपने कहा था कि आप इसके लिए समय निर्धारित करेंगे। यह राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह शून्यकाल नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अध्यक्ष महोदय, सदन में कोई व्यवस्था नहीं है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं शामिल नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सभी बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में हम कल सोचेंगे। कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप कल मुझे बोलने की अनुमति देंगे ?.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप कृपया 'कल' के बारे में निश्चित रूप से कहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है कल होगा। अब रेल मंत्री जी बोलेंगे।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चव्हाण जी, कल हमने फैसला किया था कि रेलमंत्री जी दो बजे अपना उत्तर देंगे। इस समय 2.20 बजे चुके हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम) : महोदय, मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया कृपया बैठ जाइए। आप यह मुद्दा कल उठा सकते हैं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री जी, आप अपना उत्तर जारी रखें।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री के अभिभाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, रेल बजट पर हुई सामान्य चर्चा में करीब 108 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और कुल 20 घंटे 29 मिनट चर्चा हो चुकी है।.....*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री के अभिभाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया अपनी बात जारी रखें।

.....*(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, गृह मंत्री जी हैदराबाद और मुरादाबाद के बारे में अपना वक्तव्य कब देंगें... ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे चार बजे देंगे।

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विषय सूची में आपने सबसे पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है और उसके बाद उत्तर। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अगर इसे कार्यसूची में शामिल किया जाता है तो आपको सभा की सहमति लेनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : कल इसका फैसला सभा की सहमति से किया गया था।

श्री पी.एम. सईद : प्रक्रिया के अनुसार आपको सभा की सहमति लेनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की सहमति लेता हूँ। क्या यह सभा की सहमति है कि रेलमंत्री के उत्तर के बाद हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे ?

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरा साथ दीजिए। कल हमने फैसला किया था कि रेल मंत्री जी दो बजे उत्तर देंगे।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल आप अपराह्न सत्र में उपस्थित नहीं थे।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : उस स्थिति में, इसे कार्यसूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा से अनुरोध करता हूँ। क्या यह सभा का विचार है कि रेल मंत्री अपना उत्तर दे सकते हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री नीतीश कुमार : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? श्री जयपाल रेड्डी जी ?.....*(व्यवधान)* हम सभी रातभर जाग रहे थे और आप अपने शयनकक्ष में सो रहे थे।.....*(व्यवधान)* यह सब क्या है ?

[हिन्दी]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : साल में एक बार तो जागना पड़ता है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : नहीं, नहीं आप सभी अपने शयनकक्ष में सो रहे थे।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : चैन पुलिंग करेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी ?.....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : चैन पुलिंग नहीं करिए, नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

अपराह्न 2.26 बजे

रेल संबंधी स्थिति पत्र पर विचार करने के बारे में प्रस्ताव

बजट (रेल) 1998-99 – सामान्य चर्चा और अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल)* 1995-96 – *जारी*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अध्यक्ष महोदय, रेल बजट पर हुई सामान्य चर्चा में और इसके साथ ही सदन के पटल पर रखे गए भारतीय रेलों के संबंध में स्टेटस पेपर पर करीब 108 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और कुल 20 घंटे 29 मिनट चर्चा हो चुकी है। जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, सबसे पहले मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

उन्होंने स्टेटस पेपर और रेल बजट की सामान्य चर्चा में हिस्सा लिया और दिलचस्पी दिखाई। बजट प्रस्ताव जो रखे गए हैं उसी पर यह सामान्य चर्चा है। इसके बाद डिमान्ड फार ग्रान्ट्स पर रेलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति विचार करेगी और फिर डिमान्ड्स पर इस सदन में मतदान जुलाई माह में संभव हो पायेगा। बजट

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[श्री नीतीश कुमार]

पर सामान्य चर्चा हुई और इसके साथ-साथ 1995-96 वर्ष में जो कुछ ज्यादा खर्च हुए थे उसके एप्रोप्रिएशन के संबंध में एक प्रस्ताव रखा गया था, उस पर भी चर्चा हुई है। स्टेटस पेपर हमने रखा कि रेल की स्थिति पर रेल के सामने क्या चुनौतियां हैं और रेल की क्या समस्याएं और सीमा हैं। हर व्यक्ति की अपेक्षा रेल से है और जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और जो सदस्य हिस्सा नहीं ले सके, उन सब लोगों की कुछ न कुछ अपेक्षाएं हैं। क्या भारतीय रेल उन अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है। भारतीय रेलों की आर्थिक स्थिति क्या है और इस पर किस प्रकार का बोझ है और किन चुनौती भरे माहोल में इसको आपरेट करना पड़ता है। इन तमाम बातों की जानकारी तमाम माननीय सदस्यों को है। हमने स्टेटस पेपर तैयार करके इस पर चर्चा करना मुनासिब समझा और इसी तरह दूसरे सदन में भी इस पर चर्चा हुई। मैं चाहूंगा कि सदन के बाहर भी चर्चा हो और जो आज रेल के सामने चुनौतियां हैं और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर सहमति बने तो उसी के आधार पर रेलों का संचालन हो सके।

ीय रेल की स्थिति ऐसा होती चली जा रही है और
ईंग प्रोजेक्टस हैं और जिनको हाथ में लिया जा चुका
ं, अगर उन प्रोजेक्ट्स को जिसमें नयी रेल लाईनों और गेज कनर्वसन तथा विद्युतीकरण के प्रोजेक्टस को मिला लें तो 35 हजार करोड़ से अधिक की धनराशि के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कह सकते हैं कि पेन्डिग प्रोजेक्ट्स हैं। उनको पूरा करने लिए रेल के पास धन कहां है। इस बार बजट में पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ाया है। अतंरिम बजट के स्तर पर योजना का आकार हमने 8300 करोड़ रुपए का इंडिकेट किया था लेकिन उसको बढ़ाकर 9500 करोड़ रुपए का योजना आकार तय किया गया। केन्द्र सरकार ने पिछले साल की तुलना में ज्यादा बजटीय समर्थन दिया है और इसके अलावा सेवा-निवृत्ति की उम्र बढ़ा दी गई है। उसके चलते पेंशन में कम भुगतान करने की जवाबदेही है। उसके चलते भी पेंशन मद में जितना प्रावधान करना हमारे लिए आवश्यक था, उससे कम करने का प्रावधान करने की जरूरत पड़ी। इन सबको मिलाकर 9500 करोड़ का योजना आकार तय कर पाए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आकार है। हमने इस प्रकार का बजट बनाया कि नयी योजनाओं को न लें। हमारा आग्रह है कि जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाए। हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं हैं कि नयी योजनाओं का भार डालते जाएं, इसका भी ख्याल रखा है। हमने नयी सेवाएं चालू करने की बजाए इस मुनासिब समझा कि जो सेवाएं हैं उनको कंसोलिडेट किया जाए और उसमें वृद्धि लाई जाए। इसलिए हमने कई नई ट्रेन चलाई हैं जिनका उल्लेख मैंने बजट भाषण में किया है।

इस बार ऐसी स्थिति है जो कि लांग डिस्टेंस और सुपर-फास्ट ट्रेन्स हैं उनमें कोच की संख्या 24 तक बढ़ा देंगे जिससे यात्री उसमें ज्यादा सफर कर पाएंगे और 25 प्रतिशत उनकी यात्री वहन क्षमता में वृद्धि करने की कोशिश की है। जो सामान्य दर्जे के यात्री हैं उनकी असुविधाओं के दूर करने के लिए जो नए डिब्बे तमाम गाड़ियों में लगाए जाएंगे उसमें आधे डिब्बे दूसरी श्रेणी के सामान्य किस्म के डिब्बे लगाए जाएंगे जिससे आम आदमी को सहूलियत हो सके। स्टेटस पेपर के जरिए हमने बता दिया है कि रेल की स्थिति क्या होती जा रही है और क्रॉस सबसिडाईजेशन बढ़ता जा रहा है। पिछले तीन सालों से कोई ज्यादा यात्री किराए में वृद्धि नहीं की है। लेकिन माल-भाड़े में वृद्धि की जाती रही है। पिछले तीन सालों में शायद राजनैतिक कारणों से यह निर्णय लिया जाता रहा है। कई चुनाव आए और उसको ध्यान में रखकर उस समय की सरकारों ने निर्णय लिया होगा। यात्री किराए में वृद्धि यह सेवा-शुल्क है। हम जो सेवा देते हैं, उसका शुल्क लेते हैं। रेल-गाड़ी आपको दूसरी जगह पहुंचा देती है तो यह सेवा है। जिस तरह रुपए का अवमूल्यन होता है तो अन्य चीजों के दाम बढ़ते हैं। उसके साथ-साथ यात्री भाड़े में भी एडजस्टमेंट होता रहना चाहिए। इसको हर बार राजनैतिक विषय बना दिया जाता है। हर बार माल-भाड़े में वृद्धि कर दी जाती है। जो सामान ढोया जाता है, उसका भार किस पर पड़ता है। आम आदमी पर उसका भार पडता है। अप्रत्यक्ष रूप से उसका भार पड़ता है और लोग महंगाई की मार झेलते हैं। हमने रेल मंत्रालय का काम संभालने के बाद ऐसा महसूस किया कि हम ऐसी सीमा पर पहुंचे हैं कि जहां से माल-भाड़े को बढ़ाना संभव नहीं है क्योंकि तेजी से रेल ट्रेफिक से रोड़ ट्रेफिक की ओर डाईवर्सन हो रहा है, उसको रोकना होगा। अगर रेलों का चलाना है तो जहां से आमदनी होती है, वह जरिया सूख न पाए। अगर वह सूख गया तो आप चाहे जितनी मांग करते रहें तो किसी खास इलाके में नयी रेल लाईनें कैसे चलेंगी और कहां से गेज कनर्वसन होगा और कहां से दोहरीकरण होगा तो जहां से पैसा आता है तो उसका ख्याल रखना होगा। हमने माल-भाड़े में माईनर एडजस्टमेंट किया है। यात्री भाड़े में जो घाटा होता है उसको दूर करने के लिए माल-भाड़े में वृद्धि की जाती रही है। क्रास सबसिडाईजेशन की लिमिट 2800 करोड़ पर पहुंच गई है। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं हैं। हमने निर्णय लिया कि ऐसी स्थिति में कोई विकल्प नहीं था। हम सिद्धांत के तौर पर क्रास सबसिडाईजेशन कम करेंगे। माल और यात्री भाड़े को सबसिडाईज न करें, कम से कम करें, इसकी नौबत कम आए तो इस दिशा में हमने एक प्रयास किया है और बहुत मामूली वृद्धि की है। इस वृद्धि से 450 करोड़ की आमदनी रेलवे को होगी। पचास किलोमीटर तक 80 प्रतिशत यात्रियों को एक रुपया ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। हर चीज का दाम बढ़ रहा है और लोग हर चीज में खर्च करते हैं लोग पान खाकर थूक देते हैं या बीड़ी-सिगरेट पीकर धुंआ उड़ा देते हैं। जब गाड़ी में चलेंगे तो एक रुपया ज्यादा देना पड़ेगा तो इससे ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। लेकिन सिद्धांत के रूप में इसको प्रतिष्ठित किया जाना आवश्यक था। क्रॉस सबसिडाईजेशन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता इसलिए हमने उस दिशा में कदम बढ़ाया है। थोड़ी वृद्धि करने के साथ हमने यह प्रयास किया है कि सेवाएं इम्प्रूव करें।

इसलिए पिछले साल की तुलना में पैसेंजर एमेनिटीज पर हम लोगों ने ज्यादा खर्च रखा है। इसके अलावा हम 24 कोच की गाड़ियां चलायेंगे और इसी साल हमारा विचार है कि हम कुछ चुनिंदा गाड़ियों में 24 कोच से बढ़ाकर 26 कोच की गाड़ियां चलायेंगे। इसके लिए प्लेटफार्म की फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी और जो ट्रेफिक फैसिलिटी

में उनमें सुधार की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अन्य वर्षों की तुलना में ज्यादा वृद्धि ट्रेफिक सुधार के लिए की गई है। हमने पिछले साल का तुलना में रोलिंग स्टाक, चल स्टाक के लिए चाहे कोच हो, वैगन हो और चाहे लोकोमोटिव्स हों, उनके लिए ज्यादा धनराशि की प्रावधान किया है। सभी माननीय सदस्य संरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। ट्रेक रीन्यूअल होना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में मैंने इसी सदन को बताया है कि लगभग 10 हजार किलोमीटर के लगभग बैकलॉग है, जिस ट्रेक का रीन्यूअल होना चाहिए। ट्रेक रीन्यूअल के लिए पिछले सालों की तुलना में ज्यादा धराशि की व्यवस्था इस साल की गई है। इस प्रकार से एक सम्यक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह बजट प्रस्तुत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, रेलों के सामने जो समस्याएं है उनको सबको समझना पड़ेगा। हर जगह से मांगें होती हैं और वे स्वाभाविक मांगें हैं कि रेल लाईन बिछनी चाहिए और जहां रेल लाइनें जाएंगी वहां विकास होगा और हर जगह रेल लाइनों का पहुचंना आवश्यक भी है, जहां भी संभव है वहां रेल लाइनें पहुंचनी चाहिए। जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां का विकास बहुत आवश्यक है। पिछड़े क्षेत्र यदि पिछड़े रह जायेंगे, वहां रेलें नहीं जायेंगी तो वे विकास की दौड़ में पिछड़ते चले जायेंगे। इसलिए पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि वहां रेल लाइनें बिछाई जाएं। लेकिन जब पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछाई जाती हैं तो उनका रेट ऑफ रिटर्न निगेटिव होता है या बहुत कम होता है। उसका पैसा रेल के पास कहां से आयेगा। केन्द्र सरकार जो सामान्य राजस्व से रेलों के लिए पैसा देती है, उस पर रेल डिविडेंड अदा करती है और डिविडेंड का क्या प्रतिशत होगा इसको तय करने के लिए संसद की दोनों सदनों की समिति होती है जिसको रेलवे कंवेंशन कमेटी कहा जाता है। वह तय करती है कि कितना डिविडेंड हम अदा करेंगे। संसद की संयुक्त समिति जो तय करती है उतना डिविडेंड वह देती है। शुरू से लेकर आज तक जब से भी केन्द्रीय राजस्व से रेल को सहायता मिली है, हर सहायता पर सात प्रतिशत की दर पर आज डिविडेंड लिया जा रहा है। हम बाजार से मार्केट बोरोइंग करते हैं, वह बहुत ही कास्टली बोरोइंग है। 16-17 प्रतिशत के करीब उसका खर्च आता है। तो क्या 16-17 प्रतिशत देकर के धन खर्च करके जो हम धन की उगाही करते हैं, उस पैसे का वहां क्या इस्तेमाल हो जहां से रिटर्न आने वाला नहीं है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमने स्टेटस पेपर में उभारा है। इसलिए इन मुद्दों को उभारा है कि सदन को इस पर चर्चा करनी चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों का विकास जरूरी है लेकिन उन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए रेल के भरोसे रहना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि स्टेटस पेपर पर एक व्यापक जनमत बने और इस प्रकार के जो इलाके हैं उन इलाकों के विकास के लिए रेल लाइनें बिछनी चाहिए। लेकिन कम से कम इतनी बातें तो आनी चाहिए कि इस मामले में जो रेल के ऊपर दायित्व है कि वह डिविडेंड अदा करें कम से कम उससे उसकी मुक्ति होनी चाहिए। लेकिन ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए और ज्यादा धनराशि की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके बारे में जनमत बनेगा, कांसेंसस बनेगा, सर्वानुमति बनेगी, तभी जाकर इस पर अमल हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपने इलाके के सवालों को उठाया है। मैंने उसके सवालों को गंभीरतापूर्वक सुना है, नोट्स भी लिये गये हैं। जिन सवालों को माननीय सदस्यों ने उठाया है कि उनमें से हर एक पर हम क्या-क्या कर सकते हैं, क्या करने की स्थिति में है, उसका विस्तृत जवाब हम उनको देंगे। हमारे नार्थ ईस्ट के एक साथी ने सवाल उठाया। नार्थ ईस्ट का जहां तक सवाल है, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, केन्द्र सरकार का यह फैसला है कि जो बजटीय सहायता है उसकी दस प्रतिशत की धनराशि का व्यय नार्थ ईस्ट इलाके में होना है। हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस वादे की पूर्ति होगी। हम इस बार के बजट में जो हमारे पास क्लियर्ड प्रोजेक्ट्स थे, उन्हीं पर हम पैसा दे सकते थे। लेकिन जिनमें क्लियरेंस नहीं मिला है उस पर हम टोकन प्रोविजन भी कर सकते थे, जो हमने किया है। क्लीयरेंस लेने के लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं और क्लियरेंस लेकर जो हम खर्च करने के लिए वचनबद्ध हैं, वह खर्च जरूर किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर के बारे में सवाल उठाये गये. .....*(व्यवधान)* एक-एक करके सारी बात हो जायेगी, आप मेरी बात सुनिये। जम्मू कश्मीर के हमारे साथी बोल रहे थे। उस पर मैंने इंटरवीन करके इसकी चर्चा की है और भी जो दूसरे प्रोजेक्ट्स के संबंध में चर्चा आई है उसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे कि उनके लिए अधिक से अधिक व्यवस्था हो सके।

यदि और जरूरत पड़ेगी तो हम प्रयत्न करेंगे कि उनके लिए अधिक से अधिक व्यवस्था हो सके। यदि फिर भी जरूरत पड़ेगी तो हम सदन के समझ आयेंगे। लेकिन हम इस सदन से जो उम्मीद करते हैं, जो समर्थन की अपेक्षा रखते हैं, वह यह है कि इन सारे मामलों पर एक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अब यह नहीं समझ लेना चाहिए कि रेलें जो चाहें सब कुछ कर सकती हैं। रेलों की भी कठिनाइयां हैं और उन कठिनाइयों के प्रति भी सदन को ध्यान देना होगा और कठिनाइयों से उबारने के लिए भी कदम बढ़ाना होगा, हम यह उम्मीद करते हैं। अपनी सीमित संसाधनों से रेलों से जो कुछ भी बन पड़ रहा है वह सेवाएं जारी रख रही हैं। कई घोषणाएं की गई हैं - जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको सुविधाएं दी गई हैं। जो बेरोजगार युवा वर्ग इंटरव्यू के लिए जायेगा, उसको भी हमने सुविधा प्रदान की है। रेलवे के अंदर जो ओ.बी.सी. एसोसिएशंस हैं, उनको भी रेलवे के स्तर पर मान्यता दी जायेगी। जिस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको जिस प्रकार से अपनी बात रखने का अधिकार मिला है, उसी प्रकार से ओ.बी.सी. ग्रुप को भी अधिकार मिलेगा, इसका प्रावधान किया है। यह अधिकार कि उनकी बढ़ोत्तरी कैसे हो, प्रांत लैवल पर यह अधिकार उनको कैसे मिले, इसके बारे में हम सब लोग कदम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा नियुक्ति में जो बैकलांग हैं उस बेकलॉग को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में भी कदम उठाये जा रहे हैं और उन सब चीजों के बारे में भी चर्चा की है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : माइनोरिटीज को भी इंक्लूड कर दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : है, नीचे के लैवल पर, हर जगह रिक्रूटमेंट के लैवल पर उनके लिए व्यवस्था है। रेलवे में पिछले दिनों कुछ कदम उठाये गये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर सवाल भी उठाये। कई प्रकार की शिकायतें सुनने में आ रही थी+ यहां सदन के अंदर भी लोगों ने शिकायतें की थी, सदन के बाहर भी शिकायतें हो रही थी। एक चर्चा का विषय बन गया था कि रेलवे में रोजगार देना भी एक रोजगार बन गया है। इसलिए उस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये और कुछ कदम उठाये हैं। उसी निर्णय के तहत रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 19 हैं, उसमें दो चैयरमैन यू.पी.एस.सी. के माध्यम से बहाल हुए थे, उनको छोड़कर बाकी 17, जिनमें 12 गैर-सरकारी थे और पांच सरकारी थे, उन लोगों को एक साथ बदलने का फैसला लिया। .....*(व्यवधान)* आप पूरी बात सुन लीजिए। हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन पूरी बात संक्षेप में ही हम रख देना चाहते हैं। हमने उसमें यह प्रयास किया कि इसमें पारदिर्शता आये, इसकी विश्वसनीयता बने। हमें शिकायतें मिलती थीं कि ब्लैंक कापी एग्जामिनेशन हाल में जमा हो जाती है और कंप्यूटर में जाने के पहले उसको भर दिया जाता है। इस तरह से यह धंधा चल रहा था। हम लोगों ने एक नया प्रयोग किया है, अब परीक्षा में जो शीट दी जायेगी वह कार्बनलैस डुप्लीकेट कापी होगी और ऊपर के पेज पर लिखा जायेगा उसका एक दूसरी कापी पर इनप्रिंट आ जायेगा। हम लोगों ने 19 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऊपर इनको नियंत्रित करने के लिए उनको दिशा-निर्देश देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए रेलवे बोर्ड के स्तर पर रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड बनाया है जब एग्जामिनेशन हाल में परीक्षार्थी परीक्षा देगा, परीक्षा देने के बाद वह कापी पर जो भी लिखेगा, वह जितना ऊपर होगा, उतना ही कार्बनलैस डुप्लीकैट कापी पर नीचे अंकित हो जायेगा। नीचे वाली डुप्लीकेट कापी एग्जामिनेशन सैंटर से ही सील्ड कवर में दिल्ली रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड के पास आंसर शीट चली आयेगी, ऊपर की ओरिजनल कापी एग्जामिनेशन सैंटर से ही सील्ड कवर में इवेलुएशन सैंटर में जायेगी। वे कापियां रेलवे के चेयरमैन या अधिकारी के घर में नहीं जायेगीं, क्योंकि सारा गोरखधंधा किसी के घर में कापियां जाती थी, वहीं से शुरू होता था।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : क्वश्चन के बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री नीतीश कुमार : क्वश्चन तो ऑब्जेक्टिव होता है। क्वश्चन चार प्रकार के होंगे। माननीय सदस्यों को अखबार भी पढ़ना चाहिए और अगर वे चाहें तो चार-पांच पेज की गाइडलाइंस हैं उनको भी पढ़ लें। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है तो चार सेट क्वश्चन पेपर होंगे और अगल-बगल के परीक्षार्थियों को चार भिन्न किस्म के सैट दिये जायेंगे। ताकि वे कदाचार का प्रयोग न कर सकें और इसके बाद भी अगर बड़े पैमाने पर कोई कदाचार होता है तो विजिलैंस के लोग एग्जामिनेशन सैंटर पर नजर रखेंगें। अगर वहां कदाचार हुआ है, अगर अनफेयर मीन्स अडाप्ट किया गया है तो उस सैंटर के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया जायेगा, यह निर्णय भी लिया जा चुका है। इस तरह से जिस तरह बीमारी थी, सोच-समझकर हम लोगों ने उसका इलाज करने की कोशिश की है। लेकिन कहावत है - अलीगढ़ में ताला निकलता है तो साथ-साथ चाभी भी निकलती है। अब हम लोगों ने नया प्रयोग किया है। अब तक जितनी चोरियां, जितनी बेईमानी होती थी, उसका इलाज हमने निकालने की कोशिश की है। आगे यदि कोई धांधली करने की कोशिश करेगा, हम उसका भी यथोचित उपाय निकालने की कोशिश करेंगे। फिर भी, पहले रिक्रूटमेंट के मामले में जैसा वातावरण था, हमने उसमें सुधार लाने की कोशिश की है ताकि रेलवे में मैरिट और सिर्फ मैरिट के आधार पर चयन हो सके। इसके अलावा जो खास वर्ग के लोग हैं, जिन्हें आरक्षण के द्वारा संरक्षा दी गई है, उनके हितों की अवहेलना न हो, उनके हितों की अनदेखा न किया जाए, इसके लिए उन वर्गों के एक-एक प्रतिनिधि को हमने इंटरव्यू बोर्ड में रखा है जो उनके हितों की रक्षा के लिए वहां मौजूद रहेगा। रिक्रूटमेंट में 85 प्रतिशत अंक रिटिन टैस्ट के होंगे और 15 परसैंट अंक इंटरव्यू के लिए रखे गए हैं तथा ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की गई है ताकि रिक्रूटमेंट में पारदर्शिता लाकर, विश्वसनीयता लाकर, रेलवे में मैरिट और सिर्फ मैरिट के आधार पर ही नौकरी मिले। यदि इसमें कोई धांधली करने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा हमने इंतजाम करने की कोशिश की है। इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।

पर्यावरण के सवाल को लेकर लोगों का चिन्तित होना स्वाभाविक है। पौलीथीन के बढ़ते प्रयोग से लोगों को चिन्ता होती है, जिसके चलते पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है क्योंकि पौलिथीन विनष्ट नहीं होता। रेलवे में बड़े पैमाने पर पोलिथीन का प्रयोग हो रहा था, बैडरोल्स भी पौलिथीन में पैक करके दिए जाते थे जिससे नुकसान होता था। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि रेलवे में पोलिथीन के प्रयोग को कम-से-कम किया जाए, न के बराबर कर दिया जाए, रेलवे में पौलिथीन का प्रयोग न हो, इस संबंध में फैसला लिया जा चुका है। अब रेलों में जितने बैडरोल्स दिए जा रहे हैं, वे कागज में पैक करके दिए जाएंगे।

पहले रेलों में मिट्टी के कुल्हड़ में दही दिया जाता था, उसके बाद पतले प्लास्टिक के गिलास मे दिया जाने लगा लेकिन पिछले महीने से हमने प्लास्टिक के गिलासों की विदाई कर दी है और अब दही मिट्टी के कुल्हड़ में दिया जा रहा है ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। हमने फिर से मिट्टी के कुल्हड़ का अधिक से अधिक प्रयोग करने का निश्चय किया है। हमारा प्रयास होगा कि चाय भी मिट्टी के कुल्हड़ में दी जाए। इन सब बातों को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से यात्री विभिन्न वर्गों के होते हैं, कुछ लोगों के मन में लगता है कि कुल्हड़ में हम चाय आदि न लें।

श्री जाबू प्रसाद (मधेपुरा) : इससे कुम्हार लोगों को रोज़गार मिलेगा, यह अच्छा काम आपने किया है।

श्री नीतीश कुमार : इसीलिए ऐसा कदम उठाया गया है कि अब पतले प्लास्टिक के गिलास के स्थान पर बायो-डिग्रेडेबल मैटिरीयल का इस्तेमाल किया जाए ताकि पर्यावरण को किसी तरह का खतरा उत्पन्न न हो।

श्री जाबू प्रसाव : चार गिलास मिलकर एक गिलास बनता था।

श्री नीतीश कुमार : इसमें पैसे की बर्बादी के साथ-साथ, यह पर्यावरण को भी प्रदूषित करता था। किसी दूसरे विषय में आप भले ही हमारा विरोध करें, इस मामले में आप हमारा समर्थन कर रहे हैं।

श्री जाबू प्रसाव : हमने इसलिए कहा क्योंकि आप स्वदेशी की बात करते हैं, कुल्हड़ भी स्वदेशी है और इससे कुम्हार लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री नीतीश कुमार : आपने ठीक फरमाया और हम इसीलिए कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ रेलवे में जितना कपड़ा परचेज किया जाता है, उसके संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि अब रेलवे में हैंडलूम का कपड़ा ही इस्तेमाल किया जाए ताकि इससे दस्तकारों को काम मिल सके - ऐसी व्यवस्था हमने की है। ऐसे ही एक-से-एक खूबसूरत शक्ल में आजकल पत्तल आ रही हैं, हमने निश्यच किया है कि अब पत्तल के दोने का इस्तेमाल करने की तरफ आगे बढ़े. .....*(व्यवधान)*

मैं उस पर आ रहा हूँ, उसके संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से प्लास्टिक और पौलिथीन की पर्यावरण से दुश्मनी है, इससे हमारे नेता विरोधी दल को कोई ऐतराज नहीं होगा।

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : रेलों के स्थान पर आप देश में बैलगाड़ी शुरू करा दीजिए।.....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आप अपने पहले के भाषण की याद कीजिए। ऐसा मत करिए कि खिसकते-खिसकते उधर ही चले जाएं। आपका इधर आना ज्यादा बेहतर रहेगा।

यहां एक सवाल सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर उठाया जाता है। सेफ्टी के मामले में मोडर्नाईजेशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, सिगनलिंग एंड टेली-कम्यूनिकेशन के क्षेत्र में पहले की तुलना में हमने काफी अधिक धन की व्यवस्था की है।

ट्रैक रिन्यूअल के लिए, जैसा मैंने पहले कहा कि मानवीय भूलों के चलते आजकल ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा ट्रैक रिन्यूअल तथा ट्रैक मेन्टेनैंस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसके साथ-साथ एम्पलाइज की ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जाए, उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो - इस ओर भी हम ध्यान दे रहे हैं।

इसके अलावा सिक्योरिटी के मामले पर सैबोटेज की चर्चा होती है। सिक्योरिटी ऐसी चिन्ता का विषय है जिसके चलते ट्रेनों में घटनाएं होती हैं, रेलवे ट्रैक पर भी घटनाएं होती है। जो हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। इसे राजनैतिक विषय नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह ऐसा विषय बन गया है जिसपर सभी चिन्तित हैं। इसका समाधान होना चाहिए। अगर कहीं कोई सैबोटियर या मिसक्रिऐंट अपना काम कर देता है, उससे बदनामी रेलवे की होती है। आज रेलवे के पास कोई अख्त्यार नहीं है। रेलवे के पास रेलवे प्रोटैक्टशन फोर्स है लेकिन उसका दायित्व सिर्फ रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा करना है। उनके पास पुलिस के अधिकार नहीं हैं, वे कोई इन्वैस्टीगेशन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यह दायित्व गवर्नमैंट रेलवे पुलिस का है, जिसका 50 प्रतिशत खर्च रेलवे विभाग वहन करता है। उनके साथ हमारी कई मीटिंग होती रहती है तथा होम मिनिस्ट्री लेवल से भी उन्हें निर्देश दिए जाते हैं। इन सबके बावजूद परिस्थिति कुछ बिगड़ती जा रही है जो सबके लिए चिन्ता का विषय है। इस विषय में राज्य सरकारों, रेलवे विभाग और केन्द्रीय सरकार सबको मिलकर कोई फैसला लेना पड़ेगा ताकि रेलों में, पटरियों पर कहीं कोई सेबौटेज कर दे तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही हो, किस प्रकार रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा की जाए।

चलती ट्रेनों में जो अपराध होते हैं, चूंकि आर.पी.एफ. का दायित्व सिर्फ रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा करना है, लेकिन गाड़ी को एस्कोर्ट करने के लिए, गार्ड करने के लिए आर.पी.एफ. का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन अकेले आर.पी.एफ. इस काम को नहीं कर सकती। जी.आर.पी.एफ. की टोली में भी आर.पी.एफ. के जवान होते हैं लेकिन नियंत्रण और नेतृत्व जी.आर.पी. के हाथ में रहता है। ऐसी स्थिति में, सुरक्षा के सवाल को लेकर बार-बार चिन्ता व्यक्त की जा रही है और वह चिन्ता जैन्यूइन है। इस मामले में रेलवे के पास उस ढंग के अधिकार नहीं है, वैसे रेलवे के अधिकारी दौड़-दौड़ कर सब जगह जाते हैं, को-आर्डिनेशन मीटिंग्स भी होती है, कभी सूचना प्राप्त करने में कठिनाई होती है लेकिन हर सवाल का जवाब रेलवे को देना पड़ता है। इसलिए स्टेटस पेपर में मैंने इसकी चर्चा की है। अभी नेता विरोधी दल ने कुछ बातें उधर से कही, इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए और दलगत भावना से ऊपर उठकर, सभी को इस दिशा में सोचना होगा अन्यथा क्राइम करने वाले लोग क्राइम करते रहेंगे और हम लोग इसी विवाद में पड़े रहेंगे कि यह दायत्वि किसका है, कौन इसे ठीक करेगा, कौन कार्यवाही करेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि हमें इस सवाल पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : सरकार को अगले सत्र में स्थिति पत्र लाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हम इस पर डिस्कशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इसीलिए हमने इसे सदन में रखा है। इस सवाल पर अगर अलग से चर्चा होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए कि किसके क्या अधिकार हों। इसमें रेलवे रनिंग स्टाफ के लोगों को कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके संबंध में कानून होते हैं लेकिन जब उस पर कोई सर्वानुमति बनेगी तभी किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है।

श्री वसुदेव आचार्य : आर.पी.एफ. की एसोसिएशन का जो सवाल है, उसे भी देखिए।

श्री नीतीश कुमार : वह आपका परमानेंट विषय है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। हमारे यहां कुछ राज्य और क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ यूनियन टैरिटरी ऐसी हैं। जहां अभी तक रेलें नहीं पहुंची है। खासकर लक्षद्वीप से मांग की जाती है कि वहां रेलें चलाई जाएं। अंडमान निकोबार तथा सिक्किम के लोगों की तरफ से भी ऐसी मांग उठती है। यहां पी.एम. सईद साहब बैठे हैं जो इस सदन के सबसे वरिष्ठ संसद-सदस्यों में एक हैं। मनोरंजन भक्त साहब भी बैठे हैं। उनकी तरफ से भी चर्चा की जाती है। अंडमान में पहले रेल हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। सईद साहब के यहां बच्चों को दिखाने के लिए कि रेल क्या होती है, टॉय ट्रेन दिखा दी जाती है। हम कोई तारीख तो नहीं बता सकते कि कब तक उनके यहां रेल पहुंच जाएगी लेकिन अंडमान में सर्वे चल रहा है।..... *(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : अंडमान निकोबार के [illegible] देश में कई ऐसे जिले और क्षेत्र हैं जहां लोगों ने अभी [illegible] नहीं देखी हैं, आप उनकी भी बात कीजिए।

श्री नीतीश कुमार : अभी आइलैंड की बात हो रही है, इनलैंड की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। *.....(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

श्री नरेश पुगलीया (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष महोदय, वह नक्सलाइट्स अफैक्टेड एरिया है।.....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : अब अध्यक्ष महोदय, हम आइलैंड की बात कर रहे हैं, तो ये इनलैंड पर आ गए हैं। मुत्तेमवार साहब, क्या आप नहीं चाहते कि हम आइलैंड के बारे में कुछ बताएं। जो हमारे देश की एकता का एक हिस्सा है, क्या हम उस पर कुछ नहीं कहें ?.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके संबंध में कहना चाहता हूं कि हमारी जो बात हुई है और जो उनकी भावना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह फैसला किया है कि एक ट्रेन के नाम के साथ सिक्किम का नाम जोड़ा जाए, एक ट्रेन के साथ लक्षद्वीप का नाम जोड़ा जाए और एक के साथ अंडमान का नाम जोड़ दें।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय, से अनुरोध है कि अकेला ''अंडमान'' नहीं बल्कि ''अंडमान निकोबार'' जोड़ा जाए। *.....(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, निजामुद्दीन-कोच्चीन-मंगला एक्सप्रैस का नाम ''अंडमान-मंगला एक्सप्रैस'' करने जा रहे हैं। नई दिल्ली-जलपाईगुड़ी एक्सप्रैस का नाम ''महानन्दा-सिक्किम एक्सप्रैस'' कर रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्वीलोन) : क्या ये नई रेलगाड़ियां हैं ?.....(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : हम वर्तमान रेलगाड़ियों को पुनः नाम दे रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : हम एक नई रेलगाड़ी की मांग कर रहे हैं.....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।. .....*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : उन्हें कुछ नई रेलगाड़ियों की घोषणा करनी चाहिए।.....(व्यवधान) इसका क्या उपयोग है ?..... *(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : हम इसका विरोध करते हैं। पुनः नामकरण की तत्काल आवश्यकता क्या है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, कृपया बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश जी, कृपया पीठासीन अधिकारी को संबोधित करें, सदस्यों को नहीं।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जम्मू तवी-ऊधमपुर-नई दिल्ली चैन्नई एक्सप्रैस का नाम ''अंडमान-ऊधमपुर'' एक्सप्रैस कर रहे हैं। इसके अलावा.....*(व्यवधान)* विलास मुत्तेमवार जी, आपको यह बात कल रात को बतानी चाहिए थी। कल हम दोनों मंत्रियों ने रात को बैठकर सभी माननीय सदस्यों की बातें सुनीं और नोट्स लिए, लेकिन कल आपने ये बातें नहीं बताई। आपने तो नींद पर सो लिया और अब आप यहां ये बातें पता रहे हैं।. .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, जो प्रमुख आइलैंड्स हैं इनको कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन देने के बारे में भी हम लोगों ने फैसला किया है। इसके बारे में कार्रवाई भी हो रही है। जो लोकल स्टेशंस हैं उनके साथ टाईअप किया जाएगा और उनके साथ बातचीत की जाएगी। इस फेसिलिटी को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाया वह है अनमैंड रेलवे क्रांसिग को मैन्ड किए जाने और रोड ओवर ब्रिज बनाए जाने के बारे में हैं। जो आज तक की [illegible]

है उसके अनुसार रेलवे क्रांसिग पर मैनिंग के लिए भी राज्य सरकारों को आगे आना होगा। उनको भी खर्च वहन करना होगा। इसी प्रकार से अगर रोड़ ओवर ब्रिज बनाना है, तो भी राज्य सरकार क

आधा खर्च वहन करना होगा। मांगें आती हैं, लेकिन उनकी कास्ट शेयर करने के प्रस्ताव को राज्य सरकारों की ओर से आने चाहिए वे नहीं आते हैं या उनको पैसा देने में दिक्कतें आती हैं। इसलिए इस पर भी हम आपके साथ बात करके सहमति बनाना चाहते हैं। उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह काम अकेले रेल की सामर्थ्य नहीं है। इसके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जब कभी आगे माननीय सदस्यों को इस पर चर्चा करने का अवसर मिले, तो इस पर भी विचार करें और चर्चा करें कि इसके बारे में किसी प्रकार का सैस लगाकर एक विशेष फंड क्रिएट किया जा सकता है या नहीं, ताकि जो राज्य सरकारें आज ऐसे कामों के लिए पैसा देने में दिक्कतें महसूस कर रही हैं या जो राज्य सरकारें नहीं दे पाती हैं, उसके चलते ये काम नहीं हो पाते हैं। इस पर हमें विचार करके कोई सैस लगाकर इस प्रकार का फंड क्रिएट करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में सदन में एक राय बने, उस पर चर्चा हो और एक निर्णय हो सके।.. .....*(व्यवधान)*

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : अध्यक्ष महोदय, आज गांवों की स्थिति बहुत खराब हैं लोग गांवों में जा नहीं पाते हैं। सैकड़ों गांव आज भी राजस्थान में ऐसे हैं जहां रेलें नहीं है। मेरा आग्रह है कि रेल राज्य मंत्री राजस्थान के गांवों को रेलों से जोड़ने के लिए विशेष पग उठाएं।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, रेलों में सेवाओं को लेकर, व्यक्तियों को लेकर शिकायतें बहुत आती हैं। उन शिकायतों का पिछले दिनों संतोषजनक निष्पादन न होने की शिकायतें मिलती रही हैं। इसलिए हम लोगों ने यह भी फैसला किया है कि जो शिकायतें हों उनको भी हम कंप्यूटराइज्ड प्रणाली से जोड़ दें। कोई भी शिकायत आऐगी, वह कंप्यूटर में दर्ज होगी और उसके निष्पादन के बारे में मानिटरिंग की जा सकेगी कि उसका निष्पादन हुआ या नहीं। इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो ग्रीवेसिंस है उनका भी समाधान निकले। इसके लिए व्यवस्था की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री महोदय, के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मुझे मिला है और मैं उनके दिशा-निर्देश के अंतर्गत, नए विचारों के साथ, रेलवे के अंदर अनेक नई योजनाओं को लेकर चलना चाहते हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इन योजनाओं को आपका समर्थन मिलना चाहिए। स्टैटस पेपर के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके बारे में भी बहस होनी चाहिए और एक सर्वानुमति बननी चाहिए और उसके आधार पर रेलों का परिचालन हो।..... *(व्यवधान)*

श्री शीश राम ओला (झुंझुनू) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रान्त है।.....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : ओला जी, केवल मांग ही नहीं आनी चाहिए, बल्कि रेलवे की मांगों को भी पढ़िए, स्टेट्स पेपर को भी पढ़िए कि आज रेलों की क्या हालत है और उसके अलावा मैंने इतने कम समय में जो भी संसाधन थे, उनको लेकर रीजनल इम्बैलेंस कम करने की कोशिश की है और जो भी कमियां रह गई हैं, उनको आगे आपके समर्थन और सहयोग से दूर किए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग यह सोचे बैठें हैं या जिनकी यह शंका है कि यह सरकार अब जाने वाली है या तब जाने वाली है, वे ऐसी बातें न सोचें। उनकी ये सभी आशंकाएं निर्मूल सिद्ध होंगी। क्योंकि यह सरकार आगे भी चलने वाली है और अपने पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि देश की रेलें आधुनिक गति के साथ, नई गति के साथ आगे बढ़ेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि जो रेलों की जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उनको स्वीकार करें और उनको पास करें।.....*(व्यवधान)*

कश्मीर की रेलवे बनाएंगे। कश्मीर के बारे में चर्चा भी हुई है। 24 जून, 1998 को गृह मंत्री जी ने कश्मीर में एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में रेल के अधिकारी और हम लोग भाग लेने जा रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

मैं पश्चिम बंगाल के संबंध में एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा, हालांकि पिछले साल से बजट आउटले इस साल ज्यादा है, लेकिन हमें सुश्री ममता बनर्जी ने मिलकर बताया है और एकलाखी-बलूरघाट-दीघा तथा मेट्रो प्रोजेक्ट दमदम-दरिया के बारे में बात की है। हम बंगाल के तमाम साथियों को और सुश्री ममता बनर्जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस मामले में प्रगति के लिए जो भी आवश्यक धनराशि की जरूरत होगी, उसके अनुसार धनराशि दी जाएगी। पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी और मैट्रो सिस्टम के लिए जो भी केन्द्र सरकार को पहल करना है वह करेगी। मेरा आग्रह है कि राज्य सरकार को भी आगे आना चाहिए और उसके हिस्से का जो पैसा बनता है, वह उसे देना चाहिए जिस प्रकार से मैट्रो सिस्टम में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, उस प्रकार से राज्य सरकार को अपना हिस्सा देना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शीश राम ओला : अध्यक्ष महोदय, हमारा राजस्थान प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्षेत्रफल और आबादी में सबसे बड़ा दूसरा प्रदेश है, लेकिन दूसरे सबसे बड़े प्रान्त के लिए रेलवे की सबसे कम सुविधाएं राजस्थान में हैं और सबसे कम धन दिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान को ज्यादा धन दिया जाए ताकि राजस्थान में रेलवे का कुछ विकास हो सकें।. .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : मैंने पूर्वोत्तर परियोजनाओं के बारे में पहले ही कह दिय है। पूर्वोत्तर में बजटीय सहायता का दस प्रतिशत खर्च किया जाना है।.....*(व्यवधान)* पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आप परियोजनाएं नहीं चाहते? क्या आप मुझे बोलने ही नहीं देगे? फिर मैं बैठ जाता हूं। यह क्या है?.....*(व्यवधान)*

मैं पहले ही कह चुका हूं कि पूर्वोत्तर परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं। हम स्वीकृति मिलते = पर धन खर्च करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी मांग संख्या 8,12,13 और 14 के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ-3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1995-96 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त अनुदानों की मांग की राशि
1	2	3
8	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	7,77,16,373
12	विधि संचालन व्यय	4,96,23,241
13	भविष्य निधि पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	37,90,57,456
14	निधियों में विनियोग	552,63,28,939
	जोड़	603,27,26,009

[अनुवाद]

अपराह्न 3.12 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक*

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों के आधिक्य में व्यय की गई रकमों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों के आधिक्य में व्यय की गई रकमों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों के आधिक्य में व्यय की गई रकमों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों के आधिक्य में व्यय की गई रकमों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 में दिनांक 9.6.1998 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित तथा प्रस्तुत।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 03.15 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आस्ट्रेलिया से हानिकारक गेहूं का आयात

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज वा. चव्हाण (कराड़) : मैं खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

"पिछली सरकार द्वारा अत्यधिक कीमत पर किए गए अनुबंध के अंतर्गत आस्ट्रेलिया से 15 लाख टन खतरनाक गेहूं का आयात करने के सरकारी निर्णय से उत्पन्न स्थिति तथा इसके संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

रसायन और उर्वरक तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : महोदय, गेहूं के किए जा रहे आयात पर वक्तव्य देने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। तदनुसार सरकार निर्धारित न्यूनतम बफर मानदंड, देश में खाद्यान्न उत्पादन, उत्पादन-प्रवृत्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकता, खुले बाजार मूल्य आदि की तुलना में केन्द्रीय पुल में खाद्यान्न की स्टॉक-स्थिति की निरन्तर समीक्षा करती है। खाद्यान्नों के आयात का निर्णय उन घटकों से उत्पन्न स्थिति के आधार पर लिया जाता है जिसका उल्लेख मैंने अभी किया है। 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रत्येक वर्ष में सरकार ने 20 मिलियन टन तक गेहूं आयात करने का निर्णय लिया था। इस प्राधिकार के प्रति आस्ट्रेलिया, कनाडा और अर्जेन्टीना से 1996-97 और 1997-98 के दौरान क्रमशः 17.51 लाख टन और 10.18 टन गेहूं का आयात किया गया था।

जनवरी, 1998 में, तत्कालीन सरकार ने रबी मौसम 1997-98 के दौरान गेहूं उत्पादन के अनुमानों की समीक्षा की थी। यह निर्णय लिया गया था कि मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त रिजर्व बनाने हेतु राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 20 लाख टन गेहूं का तत्काल आयात करना वांछित होगा। तदनुसार, दिनांक 19.2.1998 और 27.2.1998 को राज्य व्यापार निगम से इन आयातों की व्यवस्था करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

मैं अब गेहूं के उत्पादन के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। रबी मौसम 1997-98 के दौरान गेहूं उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य 68.50 मिलियन टन था जबकि पिछले वर्ष 69.27 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। तथापि, बुवाई मौसम के दौरान खराब मौसम और बेमौसमी वर्षा होने के कारण कृषि मंत्रालय ने अनुमान लगाया था कि केवल 64.51 मिलियन टन उत्पादन होने की संभावना है। इसका अर्थ यह था कि उत्पादन में लगभग 5 मिलियन टन की कमी होगी। केन्द्रीय पुल के लिए गेहूं की वसूली मुख्यतया वर्ष विशेष के दौरान वास्तविक उत्पादन पर निर्भर करती है। अतः चूंकि गेहूं उत्पादन में कमी होने की संभावना थी, इसलिए केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की वसूली में भी तदनुरूपी कमी हो सकती थी। ऐसा 1996-97 में हुआ था जब उत्पादन में लगभग 3.5 मिलियन टन की कमी हुई थी और वसूली में भी 4.00 मिलियन टन की गिरावट आई थी।

1996-97 और 1997-98 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए क्रमशः 81.44 लाख टन और 93 लाख टन की वसूली हुई थी। जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शुरू होने के बाद ऐसा अनुमान लगाया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के पोषण के लिए लगभग 110 लाख टन गेहूं की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, मूल्यों में वृद्धि के दौरान सरकार मूल्यों को नियंत्रित रखने के उपाय के रूप में खुले बाजार में गेहूं की अतिरिक्त मात्रा रिलीज करती है।

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

अतः देश की जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं का पर्याप्त रिजर्व बनाना अनिवार्य है और जब कभी घरेलू उत्पादन में कमी होने की संभावना होती है, आयातों का सहारा लिया जाता है।

अब मैं स्वदेशी गेहूं और आयातित गेहूं की सापेक्ष लागतों की तुलना करना चाहूंगा। आयातित आस्ट्रेलियाई गेहूं का सी. एंड एफ. मूल्य लगभग 6420/- रुपये प्रति टन है। इसमें 142.50 अमेरिकी डालर प्रति टन की अनाज लागत, जिसका जहाज तक निष्प्रभार आधार पर ठेका किया गया, और 18 अमेरिकी डालर प्रति टन का अनुमानित भाड़ा प्रभार शामिल है अर्थात् यह लागत 160.50 अमरीकी डालर प्रति टन है। एक अमेरिकी डालर को 40 रुपये के बराबर माना गया है। 1996-97 और 1997-98 के पहले के ठेकों में आस्ट्रेलियाई गेहूं के सी. एंड एफ. मूल्य 170 अमेरिकी डालर और 178 अमेरिकी डालर प्रति टन सी. एंड एफ. के बीच अलग-अलग थे। वर्तमान सी. एंड एफ. मूल्य 1996 और 1997 के दौरान आस्ट्रेलिया से की गई खरीदारी की तुलना में लगभग 10 से 17 अमेरिकी डालर कम है। सदस्यों की सूचना के लिए मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि 1996-97 के दौरान कनाडा और अर्जेन्टीना से क्रमशः 189 अमेरिकी डालर, सी. एंड एफ. और 173 अमेरिकी डालर प्रति टन सी. एंड एफ. की दर पर गेहूं का आयात किया गया था। यदि हम आयातित गेहूं के सी. एंड एफ. मूल्य की तुलना स्वदेशी गेहूं की वसूली लागत से करते हैं तो ये लागतें पर्याप्त रूप से तुलनीय हैं। अनाज की लागत, वसूली प्रभार और सम्भाल प्रभार को जोड़ते हुए भारतीय खाद्य निगम की स्वदेशी गेहूं की वसूली लागत 6521 रुपये प्रति टन के बराबर बैठती है।

अब मैं आप सबको आयात की मौजूदा स्थिति से अवगत कराने की अनुमति चाहता हूँ। जून, 1998 तक जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के ट्रांसचार्ट द्वारा 10.64 लाख टन गेहूं की मात्रा के लिए पहले ही 32 पोत निर्धारित किए गए हैं। आस्ट्रेलिया के पत्तनों से 7.53 लाख टन मात्रा लेकर 22 पोत पहले ही चल चुके हैं। 6 लाख टन पहले ही भारतीय बन्दरगाहों पर पहुंच चुका है और शेष मात्रा के जून और जुलाई के शुरू में पहुंचने की आशा है जिसके लिए जहाजों का नामांकन किया जा चुका है। इस संबंध में बनाई गई अनुसूची के अनुसार जुलाई, 1998 में 10.5 लाख टन गेहूं आएगा और शेष 4.5 लाख टन गेहूं का लदान आस्ट्रेलिया से मानसून के पश्चात् किया जाएगा।

अब में आयातित गेहूं की गुणवत्ता के संबंध में माननीय सदस्यों की उचित चिंता के बारे में कहना चाहूंगा। जहां तक आस्ट्रेलिया के गेहूं में विदेशी खर-पतवार होने का संबंध है, कृषि मंत्रालय ने राज्य व्यापार निगम को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया है कि परेषण पूर्णतया पौध फसल और बीज (एफ.सी.एस.) आदेश, 1989 और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबंधों के अनुरूप हों। खर-पतवार किसी भी फसल का अभिन्न हिस्सा है और मुझे सूचित किया गया है कि किसी भी मूल के गेहूं के खर-पतवारों को पूर्णतया समाप्त करना संभव नहीं है। तथापि आस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड के साथ किए गए ठेके में राज्य व्यापार निगम ने यह निर्दिष्ट किया है कि यह गेहूं पौध फल और बीज आदेश तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अनुरूप होगा और यह भी शर्त है कि भारत को भेजे जाने वाले गेहूं के परेषण में विक्रेता विदेशी खर-पतवार के बीजों की उपस्थिति को न्यून करने के प्रयास करेगा।

राज्य व्यापार निगम के साथ किए गए ठेके के अनुसार आस्ट्रेलिया से ऐसा गेहूं आयात किया जा रहा है जो आस्ट्रेलियन ठोस मानक श्वेत गेहूं है और जो शुष्क और स्वच्छ हालत में है, कीट, जन्तु-बाधा से मुक्त होने के साथ-साथ मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। भारतीय पत्तनों पर आयातित गेहूं के पहुंचने पर इसका खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम के गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाता है। हमारे गुण नियंत्रण अधिकारियों की पहली निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ये स्टाक ठेके में उल्लिखित विनिर्दिष्टयों और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबंधों के अनुरूप पाए गए हैं। आपूर्तिकर्ता (आस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड), आस्ट्रेलिया सरकार कर एक प्राधिकरण, भी प्रमाण-पत्र मुहैया कर रहा है कि जहाज में लादा गया गेहूं ठेके में निर्धारित ग्रेड और गुणवत्ता संबंधी विनिर्दिष्टयों के अनुसार है और आस्ट्रेलिया में लदान बन्दरगाह पर प्रत्येक जहाज के संबंध में यह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। भारतीय बन्दरगाह पर आयातित गेहूं के प्रत्येक परेषण का निरीक्षण कृषि मंत्रालय के पी.पी.क्यू. प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है और यह निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकारियों की सहायता से सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा भी किया जाता है। जब कभी ये परेषण बन्दरगाहों पर पहुंचते हैं तो बन्दरगाहों पर आयातित गेहूं का सीधे निरीक्षण करने की वर्तमान प्रणाली में इस प्रकार काफी नियंत्रण और संतुलन विद्यमान हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं देश के हितों की सुरक्षा करने के बारे में सदन की चिन्ता में पूर्णतया भागीदार हूँ। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय अपने देश के किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करता रहेगा।

श्री पृथ्वीराज बा. चव्हाण : सभापति महोदय, मंत्री का वक्तव्य मेरे विचार से इस देश में किए गए, सबसे कलंकात्मक ठेके के कई नाजुक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर मौन है।

सभापति महोदय : श्री चव्हाण वाद-विवाद की अनुमति नहीं दी जाती है। आप केवल कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं।

पृथ्वीराज बा० चव्हाण : यह ठेका तब किया गया जब लोक सभा चुनाव हो रहे थे और नई सरकार सत्ता संभालने वाली थी, निविदा प्रक्रिया पूर्णतः अपारदर्शी थी, यह ठेका बिना पारदर्शिता के भारतीय खाद्य निगम, कृषि मंत्रालय और खाद्य विभाग की आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए बहुत ही जल्दबाजी में किया गया। गेहूं आयात करने की कतई जरूरत नहीं थी, इस गेहूं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेंहू के मूल्य में काफी ऊंचे मूल्य पर आयात किया गया जिससे देश के खजाने को बहुत नुकसान हुआ इस गेहूं

की आवक उस समय स्वीकार की गई जब हमारी रबी फसल बाजार में आ रही थी जिससे भारतीय किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

गेहूं आयात की निविदा अन्ततः आस्ट्रेलियाई गेहूं बोर्ड को दी गई जो एक सरकारी प्राधिकरण है। इस ठेके में सिंगापुर के आरकॉ नामक एक कंपनी बिचौलिया थी। ठेके में दंड संबंधी खंड बाद में जोड़ा गया। मूल निविदा में यह खंड नहीं था, यह बाद में केवल इसलिए जोड़ा गया ताकि नई सरकार इस आदेश को आसानी से रद्द न कर सके। भारतीय कृषि को नष्ट कर सकने की क्षमता वाले हानिकारक और खतरनाक खरपतवार के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षोपाय नहीं किए गए क्योंकि सरकार ने उद्भिज्ज-स्वच्छता परीक्षण न करने का निर्णय किया। ठेके में खरपतवार कटौती फार्मूला का प्रावधान नहीं किया गया है जिसके कारण गेहूं के मूल्य कम हो सकते थे। राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष, जिन्हें सरकार ने उस सौदे को करने का निर्देश दिया था, ने अपने वित्त और विधि निदेशकों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह सौदा किया। आस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त को इस सौदे के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई, यह पूर्णतः गुमराह करने वाला सौदा है। यह तो पिछली सरकार की भूमिका के बारे में है किंतु वर्तमान सरकार की भूमिका के भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस सरकार ने सत्ता संभाली इसने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। संपूर्ण घटनाक्रम पर प्रकाश डालने पर मैं केवल एक मिनट लूंगा।

16 फरवरी को देश में लोक सभा चुनावों को पहले चरण के लिए मतदान हुआ। 19 फरवरी को सरकार में गेहूं आयात करने का निर्णय किया, 21 फरवरी की समिति निविदा प्रवर्तित की गई और 25 फरवरी को जिस दिन महाशिवरात्रि की छुट्टी थी, आदेश को अंतिम रूप दिया गया था। 26 फरवरी को ऑस्ट्रेलियाई गेहूं बोर्ड से 10 लाख टन गेहूं का आयात करने का आदेश दिया गया था। मेरे पास निविदा तुलनात्मक चार्ट है। जो नौ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उनमें से पांच प्रस्ताव आस्ट्रेलियाई गेहूं बोर्ड के प्रस्ताव से कम मूल्य के थे किंतु उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया और सप्ताहान्त छुट्टी के दिन गुप-चुप तरीके से आस्ट्रेलियाई गेहूं बोर्ड से 10 लाख टन गेहूं के आयात का आदेश दिया गया। यही नहीं, आरंभ में 19 तारीख को जब सरकार ने राज्य व्यापार निगम को लिखा तो सरकार 10 लाख टन गेहूं आयात करना चाहती थी किंतु निविदा 2 लाख टन की दी गई। पता नहीं ऐसा क्यों किया गया। उसके बाद 10 लाख टन गेंहू के आयात के लिए आदेश दिया गया, अगले ही दिन 27 फरवरी को सरकार ने चाहा कि आदेश दो गुना किया जाए। राज्य व्यापार निगम के अधिकारी आस्ट्रेलिया गए किंतु आस्ट्रेलिया सरकार 20 लाख टन गेहूं की आपूर्ति नहीं कर सकती थी। इसलिए अन्ततः 1.5 मिलियन टन गेहूं के आयात का आदेश दिया गया जो निश्चित तौर पर उस समय विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से ऊंचे मूल्यों पर दिया गया।

मेरे पास निविदा तुलना चार्ट है। आस्ट्रेलियाई गेहूं बोर्ड का प्रस्ताव कोलम्बियन ग्रेन, शिकागों की कॉन्टिनेंटल ग्रेन कंपनी और सिंगापुर के प्रस्तावों से ऊंचे मूल्य पर था। उसके बावजूद सरकार ने केवल एक कंपनी का पक्ष लेने का निर्णय किया। यह प्रस्ताव कनाडा के गेहूं बोर्ड, कारगिल और अमेरिका के कान्टिनेंटल ग्रेन कंपनी प्रस्तावों से ऊंचे मूल्य पर था। यह प्रस्ताव यूनाइटेड ग्रेन ऑफ अमेरिका के प्रस्ताव से ऊंचे मूल्य पर था। इन सब कंपनियों ने कम मूल्य दर्शाये थे। फिर भी राज्य व्यापार निगम ने आस्ट्रेलियाई गेहूं बोर्ड का पक्ष लिया। इस मामले में कई विवादास्पद मुद्दे उभरे हैं। यह आदेश भारतीय खाद्य निगम की आपत्तियों के बावजूद दिया गया। भारतीय खाद्य निगम की आपत्ति क्या थी? भारतीय खाद्य निगम की आपत्ति यह थी कि इस गेहूं को आयात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें विदेशी खरपतवार है, यह उत्तरी भारत में उपयोग के लिए नहीं था क्योंकि इससे उत्तरी भारत में समस्याएं पैदा हो सकती थी। यह दक्षिण भारत में खपत के लिए था। दक्षिण भारत में गेहूं की खपत क्या थी? एक लाख टन प्रतिमाह। और दक्षिण भारत में 5 लाख टन गेहूं का भंडारण था। इसलिए गेहूं आयात की आवश्यकता नहीं थी इसके अलावा पत्तन सुविधा तथा भंडारण सुविधा का अभाव था तथ बोरियों की कमी थी, इन सब आपत्तियों को अस्वीकार किया गया था।

वे ऐसी जल्दीबाजी में इसलिए थे कि उन्हें डर था कि नई सरकार सत्ता संभालेगी ओर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वे इतनी जल्दी में थे कि वे चाहते थे कि जब घरेलू गेहूं बाजार में आए उसी समय आयातित गेंहू की आए, जब यह गेहूं आता है तो घरेलू गेहूं के मूल्यों में गिरावट आ जाती है। राज्य व्यापार निगम ने यह सौदा आठ दिनों में किया जब देश में चुनाव हो रहे थे और सभी राजनीतिक नेता व्यस्त थे राज्य व्यापार निगम को ऐसा करने का निर्देश किसने दिया, उस समय जिस मंत्री के पास राज्य व्यापार निगम का प्रभार था वह मंत्री कौन था? उस समय जिस मंत्री के पास राज्य व्यापार निगम का प्रभार था वह तेलुगू देशम पार्टी का था उस मंत्री ने राज्य व्यापार निगम को यह करने का निर्देश दिया और सरकार ने इसकी स्वीकृति दी।

महोदय, अब मैं मूल्य के पहलू पर आता हूं। जैसा मैने पहले कहा इस आदेश के कारण कृषि मूल्यों पर प्रभाव के अलावा देश को कम से कम 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, 900 करोड़ रुपये के इस सौदों में 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सात या आठ दिनों में छुट्टी के दिनों, उन दिनों जब चुनाव हो रहे थे। 900 करोड़ रुपये के इस सौदे को करने का क्या औचित्य है? इस मुद्दे में कई और नैतिक प्रश्न शामिल हैं जिन्हें सभा को गंभीरता से लेना चाहिए। उनमें से एक प्रश्न यह है कि एक कार्यवाहक, पंगु सरकार किस सीमा तक जा सकती है।

इस सौदे का एक अन्य रोचक पहलू भी है। निविदा के समय ठेके में भारत सरकार के विरुद्ध कोई दंड संबंधी खंड नहीं था। गेहूं की देरी से आपूर्ति के लिए प्रतिमाह 2.5 डालर प्रति टन का दंड संबंधी खंड बाद में जोडा गया ताकि उत्तरवर्ती सरकार के लिए यह ठेका रद्द करना कठिन हो जाए। मैं चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट करे कि क्या यह सत्य है या नहीं कि राज्य सरकार निगम के निवेशक (विधिक) ने आपत्तियां लगाई थी। मेरे पास पेपर है और मैं उन्हें दिखा सकता हूं। राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी) के निदेशक (वित्त) ने आपत्ति की थी कि उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया था। भारतीय खाद्य निगम ने पूरे सौदे पर आपत्ति की

[श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण]

है। इस पूरे सौदे से एस.टी.सी. के अध्यक्ष ही अकेले संबंद्ध थे। क्या यह सच नहीं है कि तात्कालीन वाणिज्य मंत्री और एस.टी.सी. के अध्यक्ष ने 1 से 4 सितम्बर तक आस्ट्रेलिया का दौरा किया था? उसके बाद क्या हुआ? अचानक चुनाव आ गए, सौदे को किसी भी तरह कार्यान्वित किया जाना था और उन्होंने आखिरकार की यह सौदा तब किया जब चुनाव चल रहे थे। इसके गंभीर परिणाम हुए। प्रत्येक व्यक्ति को अंधेरे में रखा गया था।

मैं इस सरकार से इसमें इसकी भूमिका के बारे में पूछना चाहूंगा। तारीखें यहां पर काफी महत्वपूर्ण हैं। यह ठेका 27 फरवरी को किया गया था। सरकार 19 मार्च को शपथ लेने वाली थी। 19 मार्च को एस.टी.सी. बोर्ड की इस सौदे को रिकार्ड में दर्ज करने के लिए बैठक हुई। परन्तु एस.टी.सी. बोर्ड ने इस सौदे को रिकार्ड में लेने से मना कर दिया था क्योंकि निदेशक (वित्त) ने इस पर आपत्ति की थी। परन्तु बाद में, श्री बरनाला, जो स्वयं एक किसान है तथा जो किसानों के हितेषी हैं, ने स्वयं.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चव्हाण, कृपया अपनी बात समाप्त

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। महोदय, इसमें 100 करोड़ रुपये शामिल हैं।

श्री बरनाला के खाद्य मंत्री बनने के पश्चात् 27 मार्च के 'इकोनोमिक टाइम्स' में एक रिपोर्ट छपी थी। इसमें लिखा था, ''बरनाला गेहूं आयात ठेके को समाप्त करेंगे।'' श्री बरनाला को यह करना चाहिए था। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा था कि आस्ट्रेलिया के साथ गेहूं आयात का ठेका समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मामले पर खाद्य मंत्री से एक स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा क्योंकि इसके गंभीर कानूनी और कूटनीतिक प्रभाव हो सकते थे। श्री वाजपेयी ने खाद्य मंत्री, श्री बरनाला के साथ 25 तारीख को एक बैठक की। 27 मार्च को सरकार को विश्वास प्रस्ताव का सामना करना था। 25 तारीख को प्रधानमंत्री ने खाद्य मंत्री के साथ एक बैठक बुलाकर इस मामले पर एक लिखित नोट मांगा था तथा यह कहा था कि विश्वास मत के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने क्या निर्णय लिया?

मैं 'द इकोनोमिक टाइम्स' में छपी रिपोर्ट का उद्धरण देता है। इसमें कहा गया है : ''खाद्य मंत्री श्री बरनाला ने यह कहते हुए कि यदि आवश्यक हुआ तो आयात किया जाएगा, अपना मत व्यक्त किया कि आंकड़े (अर्थात् गेंहू की उपलब्धता संबंधी आंकड़े) पर्याप्त गेहूं भंडार के बारे बताते हैं, इसलिए आयात की कोई आवश्यकता नहीं थी।''

वे अप्रैल में खरीद मौसम के दौरान गेहूं के आयात से भी चिंतित थे। क्योंकि इससे किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिलती। आयातित गेहूं से भारतीय खाद्य निगम में भंडारण की समस्या हो जाएगी जिसमें पहले ही 5.9 बिलियन टन गेहूं का सुरक्षित भंडार है। खाद्य मंत्री ने पद्भार संभालने के बाद यही कहा था।

आप 6 अप्रैल का 'द इकोनोमिक टाइम्स' देखिए। इसमें कहा गया है कि श्री वाजपेयी ने अविवादित गेहूं के आयात के मामले को तुरंत स्वीकृति दे दी थी। सरकार ने विश्वास मत के तुरंत बाद गेहूं के आयात को महत्वपूर्ण मानते हुए इसकी अनुमति दे दी।

दिनांक 3 अप्रैल के कलकत्ता से प्रकाशित 'द टेलीग्राफ' में एक अन्य रिपोर्ट है। इसमें लिखा है कि इस नई सरकार ने पिछली सरकार द्वारा हस्ताक्षरित 141 मिलियन डालर का गेहूं के सौदे की जांच शुरू कर दी है। अन्वेषण अधिकारियों का भी यही कहना है। उन्हें यह आरोप बताया गया कि 90 करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में दिए गए थे और इस सरकार ने इस सौदे जांच के आदेश दिए हैं। इसमें आगे बताया गया है कि आस्ट्रेलियाई सौदे को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया गया था। अन्वेषण अधिकारियों का ऐसा कहना है। यहां तक कि राज्य व्यापार निगम जो इस मामले में एक खरीददार एजेन्सी है, अंतिम समय तक इस सौदे के बारे में नहीं जानती थी। उनसे केवल हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। किसने राज्य व्यापार निगम से हस्ताक्षर के लिए कहा था तथा कौन इस ठेके के हर पहलू से जुड़ा था। इसमें कुछ राजनैतिक चाल का पता चलता है तथा यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।

सभापति महोदय : चव्हाण जी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : हमारे उच्चायुक्त को इस बारे में कुछ पता नहीं था। शुरू में यह सरकार सी.बी.आई. की जांच करवाने का आदेश देना चाहती थी, परन्तु बीच में कुछ हो गया। विश्वास मत प्राप्त किया गया। कुछ राजनैतिक दलों ने सरकार को समर्थन दिया था। सरकार को बचाने का निर्णय एक राजनैतिक दल द्वारा लिया गया। आपको याद होगा कि वह राजनैतिक दल आपके साथ था और उस विशेष राजनैतिक दल ने अचानक भाजपा का समर्थन करने का निर्णय लिया। भाजपा, सरकार विश्वास मत जीत गई और कोई सी.बी.आई. की जांच नहीं हुई। इस सौदे को दबा दिया गया और कुछ नहीं हुआ।

यहां कई मुद्दे शामिल हैं। सरकार से मेरा प्रश्न है : क्या आप सी.बी.आई. जांच करवा रहे हैं या नहीं? क्या अनवरत सहयोग के लिए यह तेलगू देशम पार्टी पर खतरे की तलवार साबित हो रही है? किसी न किसी प्रकार का सौदा हो रहा है। इसमें एक सौ करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। सात-दिनों में जिनमें दो छुट्टियाँ भी हैं, 900 करोड़ रुपये के सौदे को अंतिम रूप दिया गया था। शनिवार और महाशिवरात्री दो छुट्टियां थी तथा उस समय लोक सभा के चुनाव हो रहे थे। यह सब क्या है? इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस पूरे सौदे की सी.बी.आई. जांच करवाई जाए। मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि संसदीय संयुक्त समिति का भी गठन किया जाए।

यही नहीं, इसमें नैतिक तथा लोकाचार के प्रश्न भी शामिल हैं। क्या एक पंगु सरकार, जो घंटों का कुछ दिनों में ही त्यागपत्र देने वाली है, हजारो करोड़ों रुपयें का सौदा करके कुछ सौ करोड़ रुपयों का घाटा उठा सकती है? इस सौदे में किसको लाभ हुआ?

क्या सरकार सी.बी.आई. जांच करवा रही है या नहीं ? क्या इस सरकार और तेलुगू देशम पार्टी के बीच कोई राजनैतिक समझौता है। इस सरकार का कायम रहना उस तेलुगू देशम पार्टी के सतत् सहयोग पर निर्भर है जिसके मंत्री पूरी तरह से इस सौदे में शामिल हैं।

सभापति महोदय : श्री अजीत जोगी, आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई चर्चा या बहस नहीं कर सकते।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : मैं केवल प्रश्न पूछ सकता हूँ।

[हिन्दी]

महोदय, यूं तो इस सदन में बहुत से घोटालों पर चर्चा हुई है, पर जिस घोटाले पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसकी अलग खासियत है, भिन्नता है। इतने कम समय में, इतने कम अधिकारियों ने इतना बड़ा घोटाला देश के इतिहास में कभी नहीं किया, इसलिए मैं कुछ प्रश्न आपकी अनुमति से पूछना चाहता हूँ।

जिस बात का उल्लेख अभी किया गया कि ऐसे समय में यह सौदा किया गया जब कि पूरा देश चुनावों में व्यस्त था। हम सब 16, 22 और 28 फरवरी के चुनाव के मतदान के बाद चुनकर आये हैं। समयावधि के बारे में मैं 4-5 चीजें मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

ऐसा कौन सा कारण था, आप यह पता लगाने का कष्ट करें कि जब देश चुनाव में व्यस्त था, तब इस सौदे को क्यों अंतिम रूप दिया गया ? 21 फरवरी को टैंडर बुलाते हैं और 25 फरवरी को अंतिम रूप दे देते हैं। चार दिनों में 900 करोड़ रुपये का सौदा किस तरह से एस.टी.सी. ने पूरा किया, इसकी क्या आप तहकीकात कराएंगे ? जिस दिन आप टैंडर बुलाते हैं, वह दिन छुट्टी का दिन था और जिस दिन टैंडर को अंतिम रूप देते हैं, वह भी छुट्टी का दिन था। छुट्टी के दिन एस.टी.सी. के चेयरमैन, एम.डी. और अधिकारियों को इतना काम करने की क्या आन पड़ी थी कि इस टैंडर को अंतिम रूप दिया गया ? आप जानते हैं कि 15-20 दिन के बाद नई सरकार आने वाली थी। हम सब सरकार में रहे हैं, सब जानते हैं कि इतना बड़ा सौदा जब नई सरकार आने वाली हो, तो पूरा नहीं किया जाता। आप एस.टी.सी. के अधिकारियों की जवाबदारी तय करिए कि उन्होंने ऐसे समय में क्यों इन सौदों को अंतिम रूप दिया, जबकि 20 दिन के बाद नई सरकार पद ग्रहण करने वाली थी ? इसकी भी जांच कराएं कि यह टैंडर चुपचाप क्यों बुलाया गया ? यह कहकर कि इंटरनेशनल वीट प्राइस बढ़ जाएंगे, केवल कुछ चुने हुए लोगों से ही टैंडर क्यों बुलाया गया, सीमित टैंडर क्यों बुलाए गए ? जब कमेटी आफ सेक्रेट्रीज ने जनवरी में फैसला किया था कि हमें गेहूं की जरूरत होगी, हम कहते हैं कि यह फैसला गलत था, पर मान लीजिए उन्होंने यह फैसला किया कि हमें जरूरत है तो जनवरी से लेकर फरवरी तक क्यों रुके ? ऐसे समय के लिए क्यों रूके रहे, जबकि देश चुनाव में जा रहा था, सारे देश का ध्यान चुनाव में था ? जनवरी में यह क्यों नहीं किया गया ? क्या इसका कारण यह है कि जनवरी में गेहूं की कीमतें कम थी ? क्या इसका कारण यह है कि एस.टी.सी. जिससे गेहूं खरीदना चाहती थी, वे आपको कीमत नहीं दे पा रहा था और जो किकबैक का सौदा होने वाला था वह जनवरी माह में पूरा नहीं हुआ था ? क्या इसकी जांच की जाएगी कि जनवरी से फरवरी तक ए. टी सी. के अधिकारी बैठे रहे और फरवरी में क्यों इसे अंतिम रूप दिया गया ?

मेरे प्रश्न का 'ब' हिस्सा कीमतों के बारे में है। एस.टी.सी. के चार्ट पर चार बड़े अधिकारियों वी.डी. जैन, एस.के. कपूर, एम. राव और के.के सूद के दस्तखत हैं। इसमें नौ फार्मों के कोटेशंस हैं, उनकी कीमतें दर्शाई गई हैं, मैं सबको पढ़ना नहीं चाहता। उसमें अधिकांश की कीमतें जिससे आपने खरीदा, उससे प्रथम दृष्टतया कम दिखती हैं। जब कम दर पर अधिक शैल्फ लाइफ का गेहूं उपलब्ध था तो क्यों एस.टी.सी. ने यह गेहूं अधिक दर पर खरीदा ? इसकी भी जवाबदारी तय की जाए। जब अमेरिका के राजदूत ने एक पत्र लिखकर हमारे कामर्स मिनिस्टर और फूड मिनिस्टर को आपत्ति दर्ज कराई कि यह सौदा गलत हो रहा है, उसके बाद क्या जांच की गई और क्या उनको उत्तर दिया गया ?

यह पूरा सौदा किसान विरोधी सौदा था। आप चूंकि किसानों की रहनुमाई करते रहे हैं, किसान आपको अपना नेता मानते हैं इसलिए मैं किसानों के सदर्भ में तीन चीजें जानना चाहूंगा। पहली तो यह कि आप देश के किसानों को 510 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं और आस्ट्रेलिया जहां से आप खरीद रहे हैं, वहां 850 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं, क्या आप इसको किसान विरोधी सौदा नहीं मानते ? ऐसे समय में इसकी डिलीवरी क्यों तय की गई, जबकि देश की मंडियों में गेहूं की आवक सबसे ज्यादा रहती है ? अधिकांश डिलीवरी मार्च और अप्रैल के महीने में तय की गई। यह ऐसा समय है जबकि लेवी का गेहूं देश में सबसे ज्यादा मंडियों में आता है। इसलिए ऐसे समय में ऐसा गेहूं क्यों बुलाया गया ? ऐसा गेहूं जिसमें जहरीला खरपतवार है, जो अभी तक हमारे देश में नहीं पहुंचा। ऐसे बीज हैं जो हमारे गेहूं बोने वाले क्षेत्र में आ गए तो देश को आने वाले कई वर्षों तक इसका नुकसान होगा। ऐसे गेहूं को क्यों देश में आने दिया गया, जबकि इस पर आपत्ति दर्ज की गई थी ?

अब मैं अपने प्रश्न का 'स' हिस्सा पूछना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : आपके तीन सवाल हो गए।

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी : यह प्रश्न संख्या 1 (क), (ख) और (ग) है। अभी (घ) भी बाकी है। मैं कुछ और प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ जिनका उत्तर नहीं दिया गया है। मैं उनका भी जवाब चाहूंगा।

[हिन्दी]

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी यह पता लगाएंगे कि सितम्बर 1997 में श्री एस.एस. दीवान जो एस.टी.सी. के चेयरमैन हैं, उस समय वह पी.ई.सी. के चेयरमैन थे, उनका चयन एस.टी. सी. के चेयरमेन के रूप में हो गया था, वे तात्कालीन मंत्री श्री रमैया के साथ आस्ट्रेलिया गए। वहां उन्होंने हमारे राजदूत से सम्पर्क

[श्री अजीत जोगी]

नहीं किया। वहां वे ए.एन.जेड. बैंक के अतिथि रहे। यह आप जांच करके पता लगा सकते हैं कि उन्होंने ठहरने का, होटल का, गाड़ी का इंतजाम ए.एन.जेड. बैंक ने किया। जिससे आपने अंत में गेहूं खरीदा है, वहां के एजेंट, उसके बैंकर के द्वारा इंतजाम किया गया। क्या इस बात का पता लगाएंगे कि श्री रमैया और श्री दीवान सितम्बर 1997 में आस्ट्रेलिया में थे, क्या उनकी इनसे बातचीत नहीं हुई और क्या यह पूरा सौदा और इसके पीछे जो किकबैंक है, उसको सितम्बर 1997 में अंतिम रूप नहीं दिया गया? जब सौदा हो रहा था, उसके ठीक पहले श्री ए.के. बहल जो जनरल मैनेजर, इंजार्च थे, उनको जनरल मैनेज वीट एस.टी.सी. ने बदला और उसकी जगह दूसरे मैनेजर श्री सूद को नियुक्त किया गया, बिल्कुल सौदे के थोड़ा पहले नियुक्त किया गया। सौदे के थोड़ा पहले क्यों सूद को बहल की जगह लिया गया और क्यों सूद से यह सारा काम कराया गया, इसकी भी आप हमें जानकारी दें?

[अनुवाद]

मेरे पास विषय से संबंधित तीन या चार प्रश्न है। जैसा कि कहा है, यह एक अनुसूचित सौदा है जिससे तीन-चार अधिकारियों ने धोखाधड़ी की है।

सभापति महोदय : डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : मैं यह जानना चाहूंगा कि सूद को जनरल मैनेजर बनाया गया, क्या वे जिनिवा और ज्यूरिख में जनवरी 1998 में गए और उन्होनें स्विस बैंक से चर्चा की, उसके जूनियर मैनेजर से चर्चा की, इसका सत्यापन किया जाए? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जब-जब जांच का आदेश होता है, तब-तब यह जांच एक बार विजिलेंस कमीशन ने करने की कोशिश की, अभी सी.बी.आई. ने कागज मांगे हैं। मुझे अधिकृत रूप से पता चला है कि सी.बी. आई. के अधिकारियों ने बताया है, विजिलेंस के अधिकारियों ने बताया है और मैं सदन में बताना चाहूंगा कि उनका कहना है कि हम इनसे कागजात मांग रहे हैं, ये पूरे कागजात नहीं दे रहे हैं, हम जांच नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या कारण है कि एस.टी.सी. के अधिकारी जो कागजात देने चाहिए, वे न तो सी.बी.आई. को उपलब्ध करा रहे हैं और न विजिलेंस को उपलब्ध करा रहे हैं? यह कागजात कब तक सी.बी.आई. के अधिकारियों को उपलब्ध करा दोगे, जिससे वे अपनी जांच पूरी कर सकें? इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसके पीछे इतना बड़ा राजनैतिक कारण है जो मेरे पूर्व वक्ता ने स्पष्ट किया कि एक बड़ी कीमत इस सरकार को तेलुगू देशम पार्टी का समर्थन प्राप्त करने के लिए देनी पड़ी। जो 100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, उस पर हम जांच नहीं कराएंगे, इसी आश्वासन के आधार पर तेलुगू देशम पार्टी का समर्थन आपको मिला। अगर यह बात असत्य है तो आप समस्त कागजात सी.बी.आई. को उपलब्ध कराएं, अन्यथा इस सदन और दूसरे सदन के सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति बनाएं जो इस 100 करोड़ रुपये के घोटालें की जांच करे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो देश यह मानेगा कि यह वह कीमत है इस भ्रष्टाचार को छिपाने की वह कीमत है जो भारतीय जनता पार्टी ने तेलुगू देशम पार्टी के समर्थन के लिए विश्वास मत प्राप्त करने की दी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी। केवल एक प्रश्न, श्री रेड्डी।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापट्नम) : महोदय, अधिक क्यों नहीं? श्री जोगी और मुझसे क्या अंतर है। मैं सभापति से जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कोई अंतर नहीं है।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : अगर आप नहीं चाहते है कि मै बोलू, तो में बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : जी, नहीं, कृपया बोलिए।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय यह ठीक नहीं है।.. .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : आप इस सरकार के बारे में प्रश्न लाए हैं जबकि यह स्कैंडल जिस सरकार का है उसका आप.....*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : हम कहते हैं कि आप इसके बारे में .....*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : इसमें तो आपकी पार्टी शामिल है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : चौबे जी, आप बैठिये।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : आप क्या इसे स्कैंडल मानते हैं?

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : माननीय मंत्री खुराना जी ने उठ करके हाउस में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यहां का नहीं है, उस सरकार का स्कैंडल है। अब स्कैंडल मान लिया गया है, यह बात स्वीकृत हो गयी है। अब बात है कि जांच किससे कराएं, नहीं कराएं .....*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति जी, घोटाले की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि यह काम किसके समय में हुआ। यह उस समय हुआ जबकि आपकी पार्टी सरकार का समर्थन कर रही थी।.....*(व्यवधान)* कांग्रेस के नेता उसमें शामिल हैं।..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : चौबे जी, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैं माननीय मंत्री श्री खुराना जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रभु द्वारा रचित इस दुनिया में, सरकारें आती और जाती हैं, परंतु मामले कायम रहते हैं। मेरे लिए इस समय सरकार के बारे में बोलने का समय नहीं है। मैं केवन उन घटनाओं के बारे में बोलना चाहता हूँ जो पिछले कुछ महीनों के दौरान घटित हुई। मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने अच्छा उत्तर दिया कि दो और दो चार होते हैं।

[हिन्दी]

हम फ्रूट खाएं तो मीठा होता है, वे खाएं तो खट्टा होता है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि वाणिज्य मंत्रालय ने गेहूं के आयात का फैसला किस वजह से किया सबसे पहले, जनवरी में, उन्होंने एक मिलियन टन गेहूं, का आयात करने का फैसला किया उसके बाद 21 फरवरी को फिर उन्होंने निविदाएं जारी की तथा 26 फरवरी को उन्होंने निविदाएं खोलीं। हमारा देश लाल फीता-शाही से भरा हुआ है। जब कोई निविदा जारी की जाती है तो इसमें तीन चार महीने लग जाते हैं। परन्तु यहां, निविदाएं 24 घंटों के अदंर खोली जाती है। संभवतः गत पचास वर्षों के भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 950 करोड़ रुपये के सौदे को तुरंत कार्यान्वित किया गया। इसके बाद 27 तारीख को, 24 घंटों के अंदर आदेश पारित हुआ—जो आपने नहीं, आपकी सरकार ने किया था। तभी अचानक उन्हें सपना आया कि दस लाख टन गेहूं पर्याप्त नहीं है, यह बीस लाख टन होना चाहिए। 20 लाख होना चाहिए, नहीं तो देश को मुश्किल हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तुरंत 24 घंटों के अंदर, उन्होंने इसे दो मिलियन टन कर दिया और तुरन्त उन्होंने ठेके को आस्ट्रेलिया को दे दिया। एक मिलियन टन की जगह उन्होंने दो मिलियन टन कहा। परन्तु आस्ट्रेलिया के लोगों ने कहा कि वे दो मिलियन टन की आपूर्ति नहीं कर सकते। केवल 1.5 मिलियन टन गेहूं की आपूर्ति कर सकते हैं। इसलिए यह 950 करोड़ रुपये का सौदा हुआ। इसमें 950 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा शामिल है। दूसरा यह कि भारतीय खाद्य निगम ने जोरदार, प्रभावी ढंग से और सीधे-सीधे कहा था कि गेहूं का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में नई फसल आने वाली है। फिर सरकार को फरवरी में गेहूं का आयात करने के बारे में क्यों सोचना पड़ा? वे जानते थे कि चुनाव होने वाले हैं और मार्च में नई सरकार बनने वाली हैं। कोई कहर टूटने वाला नहीं था। अगर ऐसी बातें होंगी तो भारत के लोगों के मन में निश्चय ही संदेह पैदा होगा। भारत की 90 करोड़ जनता हैरान है कि गेहूं के आयात का यह सौदा किसलिए किया गया। दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दि इकोनोमिक टाइम्स, दि इंडियन एक्सप्रेस, दि टेलीग्राफ प्रत्येक समाचार पत्र ने गेहूं आयात घोटाले पर प्रकाश डाला है।

क्या उन्होंने समाचार पत्र नहीं पढ़े हैं? इसी तरह वाणिज्य मंत्री ने हाल ही में राज्य सभा को सूचित किया कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दस्तावेजों को देखा है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसका तात्पर्य है उन्होंने भी इसकी जांच की थी। जब तक कोई घोटाला न हो, केन्द्रीय जांच ब्यूरो या अन्य को उन दस्तावेजों को क्यों देखना पड़ा? मंत्री कहते हैं कि सब कुछ ठीक है और सरकार केवल इसलिए गेहूं आयात करना चाहती थी कि देश को इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि खरीफ की फसल अच्छी नहीं हुई थी और देश में पर्याप्त गेहूं होना चाहिए।

आरंभ में, देश में 64 मिलियन टन गेहूं के उत्पादन की संभावना थी, यकायक उन्होंने कहा कि 64 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है और फिर उन्होंने कहा कि देश में ही 66.5 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। ये आंकड़े केवल खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं, मुझे इन आंकड़ों को देखकर हैरानी हुई। जब फसल मौसम में देश में 64 मिलियन टन गेहूं उपलब्ध है तो हमें केवल 2 मिलियन टन की और आवश्यकता थी। इसलिए मुझे 2 मिलियन टन गेहूं के आयात के आधार के बारे में संदेह है। यह अत्यधिक काल्पनिक, अस्पष्ट, कृत्रिम, बेहूदा और निरर्थक आधार था।

एक और बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत ने भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय पर अप्रसन्नता व्यक्त की है जिसमें अमेरिका के गेहूं व्यापारियों को समान अवसर देने की बात स्वीकार करने के बाद भी अमेरिका के व्यापारियों को यह अवसर नहीं दिया गया, यह बहुत ही गंभीर मामला है। निश्चित तौर पर, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में उत्पादित गेहूं की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, किंतु इससे कोई सहमत नहीं होगा, यह बहुत ही गंभीर मामला है। हमें इस बात पर भी विचार करना होगा।

अन्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब विदेशी गेहूं हानिकारक पाया गया तो उन्होंने कहा कि खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस बारे में उन्हें एक गोपनीय प्रतिवेदन कुछ दिनों पहले भेजा था। वे कहते हैं कि यह आम बात है कि जब गेहूं का आयात किया जाता है तो विदेशी हानिकारक खरपतवार भी उसके साथ आ जाता है। चूंकि दक्षिण भारत में लोग गेहूं का उत्पादन नहीं करते हैं, यह दक्षिण भारत भेजा गया था। भारतीय खाद्य निगम कह रहा है कि दक्षिण भारत में उनके पास उस गेहूं के भंडारण के लिए गोदाम नहीं है क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों की गेहूं की मांग प्रतिमाह एक लाख टन है वे पांच लाख टन गेहूं का भंडारण नहीं कर सकते हैं।

इसी तरह, जिन परिस्थितियों में 950 करोड़ रुपये का यह सौदा हुआ है, वे विद्वेषपूर्ण है और ऐसा लगता है कि इसमें कोई घोटाला हुआ है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। यदि सरकार मानती है कि सब कुछ ठीक और नियमानुसार है तो यह बहुत अच्छी बात है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। फिर सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से या संयुक्त संसदीय समिति से जांच क्यों नहीं करवाई और स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं किया? वे राम राज्य की बात करते हैं। इसलिए उन्हें भारत की जनता को यह बताना चाहिए उन्होंने नियमों का पूरी तरह पालन किया है। वर्तमान सरकार को किस बात ने यह कहने के लिए बाध्य किया कि सब कुछ ठीक है और गेहूं के आयात सम्बन्धी सौदे को रद्द करने की आवश्यकता

[डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी]

नहीं है। एक और बात यह है कि यदि गेहूं का आयात समय पर नहीं किया गया तो प्रतिटन 2.5 डालर के जुर्माने का प्रावधान है। वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। वे पांच लाख टन से अधिक आयात नहीं कर सकते हैं। यह सर्वाधिक हैरानी और दुःख की बात है। अब सरकार जुर्माना भी भर रही है। इसलिए इन सब बातों से एक धारणा यह बनती है जैसा श्री खुराना ने कहा, पर वह नहीं होता है, खाली मन में इंट्रेस्ट है, पर्सनल इंट्रेस्ट है तभी होता है।

सभापति महोदय : ठीक है, डॉ० रेड्डी।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैंने एक भी प्रश्न नहीं पूछा है।

सभापति महोदय : ठीक है आप अपना प्रश्न पूछिये।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय मैं पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बारे में बोलूंगा।

महोदय, मैंने बिना किसी पेपर को पढ़े बोला है क्या ऐसा नहीं

सभापति महोदय : जी, हाँ।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है और अनेक बार यह कहा गया है कि भारत की स्वाधीनता के 50 वर्ष बाद भी देश में लालफीताशाही चल रही है। कृपया इसे समाप्त करें। लालफीताशाही को समाप्त कर हमें देश को समृद्ध बनाना चाहिए। किंतु हमें वाणिज्य मंत्रालय को विशेष पुरस्कार देना चाहिए क्योंकि उसने 24 घंटे के भीतर आदेश दिया। यदि ऐसा प्रत्येक मंत्रालय में होता है तो शायद भारत की शानदार सफलता विश्व इतिहास में बेमिसाल और बेजोड़ होगी। हमने नहीं किया, किसी और ने किया। हम मानेंगे कि वे बहुत अच्छा बोले।

इसलिए मैं अपने अच्छे और आदरणीय मित्र श्री बरनाला से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले की विस्तार से जांच करे और केवल इन्हीं बातों से निर्देशित न हों। हेगड़े साहिब, एक बहुत ही परिपक्व वाणिज्य मंत्री है, यह वाणिज्य मंत्रालय, राज्य व्यापार निगम और खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा भी किया गया। उन्हें भविष्य के लिए सबक लेना चाहिए और उन्हें देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता के अनुमान और मूल्यांकन के बारे अधिक सतर्क रहना चाहिए क्योंकि भारत की जनता और देश के लिए विदेशी मुद्रा दुर्लभ है।

अपराह्न 4.00 बजे

हम केवल यह अनुमान नहीं लगा सकते कि हमें दो मिलियन टन गेहूं की आवश्यकता है। पहले एक मिलियन टन कहने का क्या आधार था? फिर से दो मिलियन टन करने का क्या आधार था? दोबारा इसे 1.5 मिलियन टन करने का क्या आधार था? यह कहने का आधार क्या था कि मार्च के महीने में देश में 68.5 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होगा? इसे 64.5 मिलियन टन करने का आधार क्या था?.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। अब कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दे रहा हूँ।

जैसा मेरे मित्र ने सही कहा है कि कुछ गलत अवधारणाएं, गलत शुरूआत और संशयपूर्ण पूर्व-धारणाएं हैं, यह ध्यान में रखना सबसे महत्वपूर्ण है कि वास्तविक सूचना क्या है। जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो, विवरण के लिए कहती है तो आपको उन्हें सभी सम्बद्ध दस्तावेज दिखाने चाहिए। उन्हें उत्पीड़न नहीं करने दिया जाना चाहिए जैसा कि उन्होंने बिहार में भी लालू प्रसाद यादव के मामले में किया है। उन्हें यह देखने के लिए सब कुछ ठीक है, सारी जांच नियमों के अन्तर्गत करनी चाहिए और जनता को सच्चाई बतानी चाहिए।

मीडिया के लोग यहां मौजूद हैं। प्रत्येक समाचार पत्र आश्चर्य कर रहा है कि इस 950 करोड़ रुपये के घोटाले का क्या हुआ इसलिए अन्त में मैं इस सरकार से अपनी क्षमता, स्वच्छता, गतिशीलता, सत्य के प्रति वचनबद्धता दिखाने का अनुरोध करता हूँ। वे सच्चाई को सामने लाएं। धर्मम् कर्मम् गच्छम्।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, आज चार बजे गृहमंत्री को एक वक्तव्य देना था। क्या हम इसे अभी लें या ध्यानाकर्षण पर चर्चा समाप्त होने के बाद?

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : गृह मंत्री, क्या आप अभी वक्तव्य देना चाहते हैं?

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, पहले माननीय गृह मंत्री को मुरादाबाद और हैदराबाद में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में वक्तव्य देने दें। उसके बाद हम ध्यानाकर्षण पर पुनः चर्चा करेंगे।

हाँ, माननीय गृह मंत्री।

अपराह्न 4.01 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मुरादाबाद और हैदराबाद में साम्प्रदायिक स्थिति

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : 7-9 मई, 1998 की अवधि के दौरान मोहर्रम के अवसर पर ताजिया जुलूस निकालने के मामले पर मामूली साम्प्रदायिक गड़बड़ी उस समय हुई जब कुछ शरारती तत्वों ने बहुमंजिली इमारत से ताजियां जुलूस पर तेजाब

की बोतलें फेंकी। अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हवा में गोली चलानी पड़ी। शहर में 4 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत गड़बड़ी वाले इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। इसके अतिरिक्त, इन घटनाओं में 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और 16 व्यक्ति जख्मी हो गए। पुलिस ने 242 व्यक्तियों को पकड़ा। प्रभावित क्षेत्रों में साम्प्रदायिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस के अलावा त्वरित कार्रवाई बल की तीन कम्पनियां तैनात की गयी। हालांकि, विक्षुब्ध क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से कर्फ्यू उठा लिया गया लेकिन शहर में तनाव बना हुआ है। इस समय स्थिति नियंत्रण में है और उस पर सतत् निगरानी रखी जा रही है।

1.6.1998 को हैदराबाद के पुराने शहर के शमशेर गंज इलाकें में एक अत्याधिक आपत्तिजनक इश्तिहार परिचालन में पाया गया था। एक स्थानीय विधायक द्वारा इस इश्तिहार को हैदराबाद के पुलिस आयुक्त की जानकारी में लाया गया तथा यह अंदेशा प्रकट किया गया कि यदि इस प्रकार की गतिविधियाँ जारी रहती हैं, तो शहर में साम्प्रदायिक गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

2 जून की रात को कुछ शरारती तत्वों ने इश्तिहारों के परिचालन के विरोध में पुराने शहर के शालीबांदा इलाके में दो परिवहन बसों पर पथराव किया। दिनांक 5 जून को चारमीनार की मक्का मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के फौरन बाद कुछ उपद्रवकारियों ने वहां से गुजरने वाले लोगों और उस परिसर में तैनात पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। मस्जिद के सामने दो व्यक्तियों को चाकू मारे गए तथा एक शराब की दुकान को लूट लिया गया तथा दुकान के मालिक पर हमला कर उसे घायल कर दिया गया। हिंसक भीड़ ने चारमीनार बस डिपो पर राज्य परिवहन की 10 बसों को क्षति पहुंचाई। पथराव के कारण करीब 7 पुलिस कर्मी भी घायल हो गए। पुराने शहर के अन्य भागों में भी हिंसा और आगजनी की कुछ घटनाएं हुई। 5 जून को हुई हिंसा की घटनाओं के दौरान, 24 व्यक्ति घायल हुए, पुराने शहर के विभिन्न इलाकों में दो समुदायों की 5 दुकानों, दो मकान और तीन वाहनों को क्षति पहुंचाई गई।

6 जून को साम्प्रदायिक हिंसा और भड़क गयी जिसमें कुछ 32 व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से पांच गंभीर रूप से घायल हैं। एक मस्जिद और एक मंदिर को क्षति पहुंची। एक पुलिस उप निरीक्षक सहित दो व्यक्ति पुलिस की गोली बारी में मारे गए। दो अन्य व्यक्तियों को चाकू मार कर हत्या कर दी गयी और एक ऑटो रिक्शा चालक को जलाकर मार डाला गया। गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति की बाद में मृत्यु हो गयी जिससे कुछ मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गयी। हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर 60 चक्र गोली चलायी। 13 पुलिस थानों के अंतगर्त आने वाले इलाकों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। आगजनी और मकानों को लूटने की घटनाएं लगातार जारी रही। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/आर.ए.एफ. की 18 और कंपनियों की मांग करने के अलावा सेना को भी सतर्क कर दिया। पुलिस ने लगभग 100 व्यक्तियों को ऐतियात के तौर पर नजरबंद किया है।

7 जून को हैदराबाद के पुराने शहर में साम्प्रदायिक स्थिति तनावपूर्ण परंतु नियत्रंण में रही। हिंसा/आगजनी की छुट-पुट घटनाएं जारी रहीं। पथराव के कारण कुछ और व्यक्ति घायल हुए। 83 व्यक्ति घायल होने के अलावा इन घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर अब तक 7 हो गई है। पुराने शहर में 7 और 8 जून, 1998 को अलग चरणों में कर्फ्यू में ढील दी गई। जनता में विश्वास जगाने के लिए पुलिस की गश्त बढ़ाने के अतिरिक्त, नाजुक और साम्प्रदायिक रूप से अति संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी कराया गया। 6 और 7 जून, 1998 को शांति समिति की बैठक भी की गई। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सभी साम्प्रदायिक-अपराधों की जांच विशेष जांच टीम द्वारा की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार ने साम्प्रदायिक रूप से प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को अब तक 8 आर.ए.एफ. कंपनियों सहित केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की 11 कम्पनियां उपलब्ध कराई हैं। राज्य सरकार द्वारा शांति और साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नियमों के अन्तर्गत, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता है, अब भी साम्बासिवा राव बोलेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मुझे अभी ताजा स्थिति के बारे में सूचना मिली है, इन घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या आठ है। कुल 85 लोग घायल हुए हैं। आज प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है तथा स्थिति नियंत्रण में है.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नियमों के अन्तर्गत, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री मोदन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, विशेष परिस्थितियों में एकाध स्पष्टीकरण की इजाजत दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : नहीं किया जा सकता। आप नोटिस दे दीजिए, आप नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए सूचना दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय, हम चाहते है। कि कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल हैदराबाद भेजा जाए। गृह मंत्री ने इस मांग पर प्रतिक्रिया नहीं की है। मुझे विश्वास है वे हैदराबाद जा रहे हैं और उनके साथ अधिकारियों का एक दल भी जाएगा।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोदन सिंह : विशेष, परिस्थितियों में आपकी तरफ से स्पष्टीकरण की इजाजत मिलती रही है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप नोटिस दे दीजिए।

श्री मोडन सिंह : सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुरादाबाद के अधिकारी जो दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह प्रथा है कि जहां भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वहां के कलेक्टर और एस.एस.पी. को तत्काल निलंबित कर दिया जाता है।

सभापति महोदय : मोडन सिंह जी, नियम के मुताबिक स्टेटमेंट के बाद कोई क्लेरीफिकेशन नहीं किया जा सकता।

श्री मोडन सिंह : कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में आपने अलाऊ किया है।

सभापति महोदय : आप नियम 193 के तहत नोटिस दे दीजिए।

श्री मोडन सिंह : हम नोटिस दे देंगे तो क्या आप चर्चा करवा देंगे।

सभापति महोदय : आप नोटिस दे दीजिए, करेंगे।

डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, मुरादाबाद के बारे में हम कुछ पूछना चाहते हैं।

सभापति महोदय : आप नियम 193 के तहत नोटिस दे दीजिए।

डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क : ठीक है।.....*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. ओवेसी (हैदराबाद) : सभापति महोदय, जिन लोगों ने बसों और मकानों को जलाया है, पंफलेट शाया किए हैं, वे कौन सी पार्टी के हैं, यह जानकारी मिलनी चाहिए।

شری سلطان صلاح الدین اُویسی (حیدرآباد) : اسپیکر صاحب، جن لوگوں نے بسوں اور مکانوں کو جلایا ہے، پمفلٹ شائع کئے ہیں، وہ کون سی پارٹی کے ہیں، یہ جانکاری ملنی چاہیئے۔

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मंहोदय, यह बहुत निराशाजनक वक्तव्य है। इस वक्तव्य में, इस पूरे मामले के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं की उपेक्षा की गई है।

सभापति महोदय : बनातवाला जी, आप चर्चा के लिए सूचना दे सकते हैं।

श्री नादेन्डला भास्कर राव (खम्माम) : महोदय, हमने पहले ही नोटिस दे दिया है और गृह मंत्री ने केवल उसी नोटिस पर कार्यवाही की है। हम सभी द्वारा नोटिस दिये जाने के बाद ही गृहमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है।

सभापति महोदय : आप नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए एक अन्य नोटिस दे सकते हैं।

श्री नादेन्डला भास्कर राव : फिर यही सब होगा। हम केवल कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री पी. उपेन्द्र : हम कुछ और भी जानना चाहते हैं। केन्द्र सरकार का क्या विचार है और एजेंसियां क्या कह रही हैं? केन्द्र सरकार की हैदराबाद में अपनी एजेंसियां है। आपकी सूचना क्या है?.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : लोक सभा में इसकी अनुमति नहीं है। आप नियम जानते हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नादेन्डला भास्कर राव : यह निरन्तर चलने वाला मामला है जो कि हर वर्ष होता है। दो अथवा तीन वर्षों से ऐसा बार-बार हो रहा है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने श्री आर. साम्बासिवा राव का नाम पुकारा है।

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है और शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, जो कि सिकन्दराबाद के निवासी है, भी वहां गए है।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री आर. साम्बासिवा राव का नाम पुकारा है।

श्री कोनिजेटी रोसैया : क्या आप हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने नहीं देंगे?

श्री नादेन्डला भास्कर राव : यह एक भिन्न मामला है। हम स्पष्टीकरण चाहते हैं। प्रत्येक दो अथवा तीन वर्ष में ऐसा हो रहा है। गृह मंत्री क्या स्थायी कदम उठाना चाहते हैं? मन्दिरों को गिराया गया है। मस्जिदों को नष्ट किया गया है। गृह मंत्री ऐसे कौन से कदम उठाना चाहते हैं ताकि फिर ऐसी घटनाएं न हों?

सभापति महोदय : इन सब बातों पर चर्चा की जाएगी। आप नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए नोटिस दे दीजिए।

श्री पी. उपेन्द्र : यह एक साधारण मांग है। आप एक केन्द्रीय दल भी भेज सकते हैं.....*(व्यवधान)*

श्री नादेन्डला भास्कर राव : तनाव कम करना होगा। इस तनाव को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार क्या कदम उठाना चाहेगी?

डॉ० रवि मल्लू (नगर कुरनूल) : क्या समाचार-पत्रों में दी गई सूचना के आधार पर जानकारी देना ही गृह मंत्री का कार्य है अथवा उन्हें यह बताना चाहिए कि क्या इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति के बारे में उन्हें कोई जानकारी है अथवा अब तक क्या सूचना प्राप्त हुई है और इत्यादि इत्यादि?

श्री पी. उपेन्द्र : गृह मंत्री केन्द्रीय एजेंसी भेजकर उनसे सूचना एकत्रित क्यों नहीं कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : गृह मंत्री के पास जो भी सूचना है, वे आपको बता रहे हैं।

डॉ० रवि मल्लू : वह सारी सूचना समाचार-पत्रों में उपलब्ध है। गृह मंत्री को इन सब बातों को कहने की आवश्यकता नहीं है।

अपराह्न 4.03 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आस्ट्रेलिया से खानिकारक गेहूं का आयात - *जारी*

[अनुवाद]

श्री आर. सम्बासिवा राव (गुंटूर) : मैं गेहूं के आयात के संबंध में पूर्व वक्ता द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक या दो प्रश्न पूछना चाहूंगा।

सभापति महोदय : आप केवल एक ही प्रश्न पूछें।

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ने एस.टी.सी. अथवा वाणिज्य मंत्रालय से एक मिलियन टन अथवा दो मिलियन टन गेहूं का आयात करने के लिए कहा है।

माननीय मंत्री महोदय से जो दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा वह यह है कि आस्ट्रेलियन गेहूं को उठाने में विलम्ब के कारण भारत को कुल कितनी राशि दंड के रूप में देनी पड़ेगी। जब वर्तमान सरकार को इस संदिग्ध सौदे के बारे में पता चला तो प्रधानमंत्री जी ने फाइले मंगवाई और फिर सौदे को स्वीकृति प्रदान कर दी। यह पता चला है कि सौदे को स्वीकृति प्रदान करने के बाद मुख्य सतर्कता आयुक्त ने आस्ट्रेलियन गेहूं के आयात सौदे की जांच की और उन्हें इस सौदे के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। यदि हाँ, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या मुख्य सतर्कता आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले हैं तथा इस सौदे का क्या होगा ?

सभापति महोदय : अब श्री मनोरंजन भक्त बोलेंगे। यह न ही चर्चा है और न ही वाद-विवाद।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह): मैं चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ — क्योंकि श्री मदन लाल खुराना पहले ही कह चुके हैं कि यह एक घोटाला है और जब यह घोटाला है तो उससे निपटना सरकार की जिम्मेवारी तथा कर्त्तव्य है। इस बात का पता नहीं है कि वास्तव में क्या कदम उठाए गए है क्योंकि 90 करोड़ रुपये रिश्वत मिलने का आरोप है। यह आरोप समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। तत्पश्चात् जैसा कि आप जानते हैं मेरे साथी ने सब कुछ विस्तारपूर्वक समझा दिया। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। जो मैं पूछना चाहता हूँ, वह यह है कि कनाडा तथा अमरीका द्वारा अपनी निविदा में उद्धृत कम मूल्यों को अस्वीकर क्यों कर दिया गया था।

तत्पश्चात् एक प्रश्न उत्पन्न होता है। जहां तक मुझे जानकारी है, प्रत्येक विदेशी सौदे में उच्च आयुक्तों से परामर्श किया जाता है और उन्हें विश्वास में लिया जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस मामले में कनाडा में नियुक्त भारतीय उच्चायुक्त को विश्वास में लिया गया था अथवा नहीं।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री तीनों ने मिलकर इस संबंध में कोई बैठक की और संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया था कि आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं यह प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस सौदे में 900 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि शामिल है।

मैं अब दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि इस संबंध में काफी सावधानी बरती गई थी और स्वास्थ्य अधिकारियों, पत्तन अधिकारियों तथा अन्य लोगों ने इस बात की जांच की थी कि क्या आस्ट्रेलिया का गेहूं खाने के लिए अच्छा है अथवा नहीं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई प्रयोगशाला परीक्षण किया गया था अथवा केवल खाद्यान्न देखकर ही यह कह दिया गया था कि यह गेहूं खाने के लिए अच्छा है। क्या ऐसे खाद्यान्नों का परीक्षण करने के लिए कोई प्रणाली अथवा तरीका है ? मैं जानना चाहूंगा कि क्या उसे अपनाया गया था अथवा नहीं।

मूल रूप से, मैं इस सरकार से केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। सर्वप्रथम सरकार ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि यह एक घोटाला है। विगत में, हमने भ्रष्टाचार दूर करने के अनेक वायदों के बारे में सुना था।

यदि यह सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए गंभीर और वचनबद्ध है तो क्या यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा संयुक्त संसदीय समिति जिस किसी के द्वारा ही उचित जांच करावाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। जब जनता के सामने कुछ मामले और कथन आए हैं तो इस सरकार के लिए अपनी स्थिति को स्पष्ट करना अनिवार्य हो जाता है कि उसने इस स्थिति का समर्थन क्यों कर रही है किया है ऐसे हल्के-फुल्के तरीके से यह सौदा क्यों किया गया और यह सौदा इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया था। मेरे ये प्रश्न हैं यदि माननीय मंत्री जी इतना उत्तर देंगे तो हमें प्रसन्नता होगी।

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : सभापति महोदय, कई सवाल उठाए गए जिनमें पहला सवाल यह था कि इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्यों कर लिया। यह तो सबको

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

पता है कि यह फैसला हमारा फैसला नहीं था। यह तो हमारे से पहली सरकार का फैसला था और किन हालात में फैसला किया गया तो यह मैंने बताने की कोशिश की। आयात की ज़रूरत तब पड़ती है जब देश में अनाज की कमी होगी। यह पहली बार नहीं बल्कि कई बार इम्पोर्ट किया है। 6.9.97 को यानि 1997-98 में आयात किया। सरकार को फैसला लेना पड़ा कि पांच मिलियन टन अनाज की कमी हो रही है। यह बहुत बड़ी मात्रा होती है। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया था कि दो मिलिटन टन अनाज आयात कर लेंगे।

श्री रामविलास पासवान : इकोनोमिक सर्वे में है कि 6 मिलियन टन की आवश्यकता थी।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : ऐसी स्थिति में यह फैसला किया गया कि आयात करना जरूरी था। यह ऐतराज आया कि मार्च-अप्रैल में फसल आने वाली है तो इंतजार क्यों नहीं किया। फसल की रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही थी क्योंकि व्हीट सोईंग के समय मौसम खराब हुआ था।

और वर्षा की वजह से कुछ लेट हो गया। मौसम की वजह से यह लगता था कि अनाज कम होगा, इस वजह से यह अटकलें लगाई जा रही है। दूसरा एतराज यह किया गया है कि यह बहुत ही जल्दी में कर लिया गया, इसकी इत्तिला नहीं की गई, इसका कुछ और करना चाहिए था। रेड्डी साहब ने कहा कि चार-पांच महीने का टेंडर देना चाहिए था, दुनिया भर को इत्तिला की जाती है कि इमें इतना व्हीट चाहिए, हम इम्पोर्ट करना चाहते हैं। आओ कौन आता है, कौन नहीं आता है, विड कौन करता है और कौन नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा जब कोई देश करता है और हमारी परम्परा रही है कि जब भी हमें इम्पोर्ट करना होता है तो बहुत खामोशी से करते हैं, शोर मचाकर नहीं करते, बहुत लो की पर करते हैं। पता भी नहीं लगने देते, उससे उनकी कीमतें स्थिर रहती हैं। अगर पता लग जाए कि दो मिलियन टन इनको चाहिए तो कीमतें एकदम बढ़ जाती है। इसलिए बहुत आराम से और चुपके से करते हैं। ऐसा मैनें देखा है, मेरे पास रिकार्ड मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूं कि पहले 1996-97 तथा 1997-98 में इम्पोर्ट किया है, बताया यह गया है कि हमें 50 हजार टन चाहिए जबकि इम्पोर्ट 20 लाख टन करना था लेकिन कम बताया गया और वहां से बात शुरू करके मार्केट एंटर करते हैं ताकि मार्केट एकदम से फ्लेअर न कर जाए, इसलिए कॉशसली ऐसा किया जाता है और अब भी ऐसा किया गया। हमें 20 लाख टन चाहिए था लेकिन दो लाख टन की बात की। इस पर यह एतराज हुआ कि यह बहुत खामोशी से कर लिया गया बहुत से लोगों को बताया नहीं गया। ऐसी बात नहीं है। मेरे पास इत्तिला है कि दुनिया भर के जो बड़े व्हीट सप्लायर्स हैं, उनको सबको इत्तिला दी गई। व्हीट के 21 टोटल सप्लायर्स हैं, उन सबको इत्तिला दी गई।

[अनुवाद]

विश्व प्रसिद्ध गेहूं में 21 आपूर्तिकर्त्ताओं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया गेहूं बोर्ड, कनाडा गेहूं बोर्ड, यूरोपियन व्यापारी और अमरीका के व्यापारी सम्मिलित हैं को सीमित निविदाएं जारी की गई थी।

[हिन्दी]

उनके नाम दिये हुए हैं कि वे कौन-कौन से हैं और ट्रेडर्स के नाम दिये हुए हैं। 21 ट्रेडर्स को इत्तिला दी गई जिनमें से आठ लोग आगे आये कि हम सप्लाई कर सकते हैं। उनमें से चार अमरीकन छोड़ गये कि आपकी प्रीवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट की जो शर्तें हैं। वे बहुत सख्त हैं, हम इनकी कम्पलाएंस नहीं कर सकते। हमारा फैसला यह है कि अगर कोई फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कम्पलाएंस नहीं करता तो उसका अनाज देश में नहीं आने दिया जाता। इन्होंने कहा कि हम माइक्रो टॉक्सिन का सर्टीफिकेट आपको नहीं दे सकते कि इसमें वह नहीं है या जो आपकी स्पेसीफिकेशन्स हैं उनकी कम्पएलाएंस नहीं कर सकते। इसलिए वे तो बाहर चले गये और जो रह गये, उनमें आस्ट्रेलिया और कनाडा का मुकाबला था। कनाडा की सी.एंड.एफ. बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर जहाज का किराया 27 डालर के करीब लगता है। आस्ट्रेलिया में 18 डालर के करीब लगता है इसलिए उसकी कीमत बढ़ जाती है। उनकी कीमत ज्यादा थी और बढ़ जाती इसलिए अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया से खरीदने का फैसला किया गया और यह पहली दफा नहीं है कि आस्ट्रेलिया से व्हीट खरीदा जा रहा है। इससे पहले भी आपने जब व्हीट परचेज की तो वह आस्ट्रेलिया से परचेज की। मेरे पास एक चार्ट है जिसमें दिखाई दे रहा है कि मंहगे खरीदते आये हैं। जैसे दिसम्बर 1996 में ऑस्ट्रेलिया से 148 डालर के हिसाब से खरीदा। उसके बाद 11 दिसम्बर 1996 को कनाडा से 156 डालर के हिसाब से खरीदा। 3 जनवरी, 1997 को आस्ट्रेलिया से 156 डालर के हिसाब से खरीदा। अभी मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मार्च 1997 में ऑस्ट्रेलिया से 154 डालर में खरीदा था। अब 142 डालर में खरीदा गया है। इसकी इंटरनेशनली जो लो प्राइस मिल सकती थी, वे मिली और ऐसा नहीं है कि पहली दफा यह व्हीट आया है। यह पहले भी कई दफा आयी है। ऐसा देखने में आया था कि अर्जेन्टीना से करीब 1 लाख टन व्हीट खरीदी गयी थी। वह पंसद नहीं की गयी और वह अभी तक पड़ी हुई है उसमें से करीब 11-12 या 16 हजार टन के आसपास पड़ी हुई है। इसलिए अर्जेन्टीना का फैसला कर दिया गया था कि वहां से व्हीट नहीं मंगवायेंगे।

यह भी कहा गया कि इसमें कोई एजेंट लगाये गये। जहां तक मुझे इत्तला मिली है, एस.टी.सी. ने कोई एजेंट नहीं लगाया, कोई एजेंट उधर से भी नहीं लगा। इनकी सीधी डील जैसे भी होनी थी, वह हो गयी। यह भी जिक्र आया कि यह बहुत जल्दी में हुआ और छुट्टी के दिन हुआ। हमारी छुट्टी चाहे वह शिवरात्रि की हो या कोई ओर हो, वह इंटरनेशनल टैंडर में काई मायने नहीं रखती। उनके लिए वह छुट्टी नहीं होती और जब भी इंटरनेशनल डील हुई हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है।..... .(व्यवधान) यहां भी इतना टाइम था कि हमें उनके डाकूमैंट्स आ सकते थे, जो कि आयी। ऐसा नहीं है कि डाकूमैंट्स नहीं आये, डाकूमैंट्स को एग्जामिन किया गया और एग्जामिन करने के बाद कार्यवाही हुई। एक जिक्र यह भी आया कि यह किसान विरोधी डील हुई। मुझे किसान का हर वक्त ख्याल रहता है कि किसान

को कोई फायदा हो। इसलिए मैं बता रहा था कि उसमें ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा जिक्र आया है कि वहां पर ज्यादा दाम दे दिये और यहां पर दाम कम मिलते हैं तो उसके बारे में मैंने अपने स्टेटमैंट में कहा — "आस्ट्रेलिया से आयात किये गए गेहूं की ढुलाई लागत लगभग 6,420 रुपये प्रतिटन हैं।

वह आठ, साढ़े आठ हजार की बात कर रहे थे। वह नहीं है। 6,420 रुपये टन सी. एंड एफ. इसमें किराया डालकर इतना ही बनता है और यहां पर जो एफ.सी.आई. एक्यूजीशन प्राइस है, वह 6,521 हो जाती है। चूंकि यह सारा सर्दन एरिया में जाना था, यह सारा हिसाब लगाकर मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि किसी किसान के साथ कोई धोखा हुआ हो। इसका एक असर जरूर हुआ है, जो मेरे देखने में आया है कि इस दफा जो प्रोक्योरमैंट मंडियों में हुई है, वह थोड़े समय में प्रोक्योरमैंट हो गयी और इसमें बहुत से ट्रेडर्स का हिस्सा नहीं रहा। इस दफा मंडियों में ट्रेडर्स बहुत नहीं आये, चूंकि उनको ऐसा लग रहा था कि प्राइसेस बहुत बढ़ेंगे नहीं, प्राइसेस में फ्लक्चुएशन नहीं आयेगी इसलिए ट्रेडर्स ने ज्यादा नहीं खरीदा। जो हिसाब हमने लगाया है उसके मुताबिक शायद चार-पांच लाख टन ट्रेडर्स अनाज लेकर गया है, बाकी सारा का सारा प्रोक्योरमेंट में आया था, मंडियों में आया था। इसलिए यह गुंजाइश नहीं रही थी ट्रेडर्स के हाथ में अनाज आ जायेगा और फिर ट्रेडर्स अपनी मर्जी से इसको ऊपर नीचे करता रहेगा, उससे फायदा उठाता रहेगा। ये जो डील हुई है, ये ट्रेडर्स फ्रैंडली भी हुई है। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मेरे कई दोस्त उधर से बोल रहे थे और उन्होंने शक जाहिर किया, मैं उस पर इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी तो डील नहीं थी, लेकिन डील हमारे समय में हुई है। जहाज हमारे समय में आ रहे हैं। हम अनाज उतार रहे हैं और बांटने की कोशिश करते हैं। जो हमारे समय में हो रहा है उसकी रिस्पांसिबिलिटी हमारी है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि कहीं गलती हो गई है, किसी ने कोई गलती कर ली है तो इंक्वायरी की हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी किस्म की इंक्वायरी हो सकती है.....*(व्यवधान)* सी.बी.आई. को कहा था.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : क्या यह सरकार द्वारा किया गया आश्वासन है?

डॉ० असीम बाला (लक्षद्वीप) : यह सर्वेक्षण किसने किया था?

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : ऐसा भी कहा गया..... .*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिये.....*(व्यवधान)* यहां जिक्र आया है कि आप कागज नहीं दे रहे हैं, सी.बी.आई. को आप फाइलें दे देते मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी.बी.आई. जब इंक्वायरी करना चाहे, हमारी सारी फाइलें उनके पास रहेंगी।.....*(व्यवधान)* हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम यह भी नहीं चाहेंगे कि इसी की इंक्वायरी हो। हम यह भी चाहेंगे कि 1996-97, 1997-98 में जो डील हुई थी, उनकी भी इंक्वायरी हो जाए। जो तीन डील्स हुई हैं उनकी भी इंक्वायरी हो जाए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं सारे मैम्बर्स से और आपसे यही कहना चाहता हूँ।..... *(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : आप इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : इससे ज्यादा आपको क्या एश्योरेंस चाहिए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : आप किस प्रकार आगे की कार्यवाही करना चाहते हैं?

सभापति महोदय : मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है।

अपराह्न 4.30 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा 8 जून, 1998 को सभा में प्रस्ताव किये गए कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 8 जून, 1998 को सभा में प्रस्तुत किये गए कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.32 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश स्थित डा० सर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के मुख्यालय में स्थित डॉ० सर हरिसिंह गौर विश्व-विद्यालय एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण विश्व-विश्वविद्यालय है जिसे

डा० सर हरिसिंह गौर ने अपने अथक परिश्रम से सागर विश्व-विद्यालय के नाम से स्थापित किया था एवं डॉ० हरिसिंह गौर की वसीयत के अनुसार सागर विश्वविद्यालय के नाम से ही इसकी पहचान बनी।

अनेक विषयों का अध्ययन पूर्व में इस विश्व-विद्यालय में ही होता था जिनमें अध्ययन करने विदेशों से भी अनेक विद्यार्थी आते थे। इस विश्व-विद्यालय को केन्द्रीय विश्व-विद्यालय बनाए जाने की मांग यहां के विद्यार्थियों, पूर्व-विद्यार्थियों, छात्र संगठनों, जन-प्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को द्वारा लम्बे समय से की जाती रही है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सागर शहर की पहाड़ियों के रमणीक स्थल पर स्थित डा० सर हरिसिंह गौर विश्व-विद्यालय के शैक्षणिक विकास एवं विस्तार के लिए सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य को अपने हाथ में लेकर इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्व-विद्यालय बनाकर, डा० गौर के सपनों को साकार करने एवं सागर के विद्यार्थियों एवं नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करने का कार्य शीघ्र पूर्ण करे।

(दो) रॉबर्ट्सगंज संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में केन्द्रीय परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों को मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामशकल (राबर्ट्सगंज) : सभापति जी, मैं राबर्ट्सगंज, उत्तर प्रदेश संसदीय क्षेत्र से चुनकर आता हूँ जहाँ 80 प्रतिशत अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। यहा भारत सरकार की एन.टी.पी.सी. तथा उत्तर प्रदेश सरकार और निजी क्षेत्र की बहुत सी परियोजनाएं चल रही है। वहां के स्थानीय लोगों को उनकी जमीन से उजाड़ दिया गया, परियोजनाओं के माध्यम से उचित मुआवजा नहीं दिया गया तथा उन परियोजनाओं में नौकरी भी नहीं दी गई। वहां का विस्थापित परिवार दर-दर भटक रहा है, आज भी रोजी-रोटी के लिए परेशान है।

मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि पुनः सर्वेक्षण करवाकर इन परियोजनाओं के माध्यम से विस्थापित परिवार के लोगों को उचित मुआवजा दिलाया जाए तथा इन परियोजनाओं में स्थानीय विस्थापित लोगों को सहभागिता निश्चित की जाए।

(तीन) कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 सितम्बर, 1993 को राजपत्र जारी अधिसूचना में क्रमांक 46 में उल्लिखित शब्द "तेली" (राठौर) में उचित संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : सभापति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लागू आरक्षण सूची में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए तेली जाति के आगे कोष्टक में राठौर लिखे जाने के कारण ऐसी विसंगति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण बड़ी संख्या में प्रतिभावान उम्मीदवारों के भविष्य के सामने प्रश्नचिह्न लग गया है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावशील अखिल भारतीय सेवाओं में सिविल सर्विसेज के लिए आरक्षण श्रेणी में सूची क्रमांक 46 में ओ.बी.सी. के लिए क्रमांक 46 में तेली (राठौर) अंकित है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा विशेष निवेदन है कि 10 सितम्बर, 1993 के कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना में आवश्यक संशोधन कर मात्र तेली शब्द, जिसमें यदि, अथवा जोड़ा जाए, तो साहू अथवा राठौर शब्द को कोष्टक में जोड़कर यथासंशोधित करने की सहृति कृपा करें।

अपराह्न 4.34 बजे

(चार) वाराणसी जिले में बलुआ में गंगा नदी पर पुल के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को समुचित राशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री आनन्द रत्न मौर्य (चंदौली) : वाराणसी (उत्तर प्रदेश) जिले में बलुआ पर गंगा नदी पर पुल का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। पक्के पुल का निर्माण न होने के कारण वहां के निवासियों, किसानों और मजदूरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे उनमें भारी असंतोष व्याप्त है। नदी पर पुल का निर्माण वहां के निवासियों के लिए वरदान सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त इस पुल के निर्माण से बिहार से सीधे सम्पर्क भी स्थापित हो जाएगा।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह बलुआ पर गंगा नदी पर पक्के पुल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराए जिससे किसानों और मजदूरों में व्याप्त भारी असंतोष को शीघ्र दूर किया जा सके।

[अनुवाद]

(पांच) स्वदेशी तेल उद्योग को बचाने के उद्देश्य से खाद्य तेलों के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : सभापति महोदय पिछले कई वर्षों में बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों के आयात से हमारे स्वदेशी तेल उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कभी पहले, हमारा देश पॉमोलिव तेल का आयात किया करता था। सौभाग्य से, पॉम तेल के आयात को रोक दिया गया। लेकिन खाद्य तेलों के आयात में निरन्तर वृद्धि हुई और इससे हमारे तेल उद्योग काफी हद तक नष्ट हो रहे हैं। इस समय हमारे देश में 1000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं जो खाद्य तेलों का उत्पादन कर रही है। लगभग 500 अतिरिक्त इकाईयों को हाल ही में शुरू किया गया। विशेषकर कर्नाटक में स्थिति अत्यन्त गंभीर है।

तेल उत्पादकों ने वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया है और सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन इन इकाईयों में कुछ भी कार्य नहीं है। सभी श्रमिक बिना काम के खाली बैठे हैं। लगभग सभी खाद्य तेल उत्पादन करने वाली इकाईयां रुग्ण हो गई है। तेल उत्पादक बुरी तरह प्रभावित हैं। चूंकि वे इन वित्तीय

संस्थाओं को ऋण की किश्ते अदा नहीं कर पा रहे हैं। इससे स्वदेशी खाद्य तेल के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है। हमारे तेल के लिए कोई बाजार नहीं है। यदि स्थिति को इसी प्रकार चलने दिया गया तो कई तेल उत्पादक शीघ्र ही कंगाल हो जाएंगे।

अतः, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि तेल के आयात विशेषकर खाद्य तेल के आयात पर रोक लगा दी जाये। और तेल उत्पादकों की रक्षा की जाये।

(छः) राजस्थान में चुरू में भूमिगत जल में व्याप्त प्रदूषण को दूर करने तथा पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चूरू) : सभापति जी, राजस्थान के मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरू की तहसील लाडनूं में उपलब्ध भू-गर्भीय जल आसपास के करीब 80 गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति करता है जिसमें सुजानगढ़, लाडनूं, छापर, चाड़वास, जसवन्तगढ़ निम्बी जैसे शहर भी आते हैं। और वे इसी पानी पर निर्भर करते हैं। यहां के पानी के रासायनिक परीक्षणों से पता चला है कि इस पानी में घुलनशीलता तथा अघुलनशील कतिपय लवणों तथा अन्य यौगिकों, जैसे फ्लोराइड, सल्फेट तथा नाइट्रेट की मात्रा निरापद सीमा से बाहर जा रही है तथा कुछ लवण या यौगिक ऐसे भी हैं जिनका अभी तक विश्लेषण भी नहीं हो पाया है। इसके कारण पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में हड्डियों की विकृतियों, जोड़ो का दर्द, गठिया, आंत्र रोग तथा शरीर के विभिन्न अंगों में अनेक प्रकार की पथरियां होने के कारण हर जगह बीमारियां असामान्य रूप से बढ़ी हैं तथा हृदयघात जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं।

मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि इस क्षेत्र के पानी की सघन रासायनिक जांच कराकर इस समस्या के निराकरण का संतोषजनक व स्थाई समाधान किया जाए ताकि मेरे क्षेत्र के लोग दूषित पानी को पीने के कारण बीमार न हों और उन्हें शुद्ध पेय जल उपलब्ध हो सके।

[अनुवाद]

(सात) पश्चिम बंगाल के उलूबेरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के महत्वपूर्ण नगरों में रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री इन्नाज मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खाना पकाने वाली रसोई गैस की बढ़ती हुई मांग से गंभीर समस्याएं पैदा हो रही है चूंकि शहरी आपूर्ति बहुत कम है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के बीच अधिक आय वाले लोगों की संख्या में वृद्धि से ऐसी मांगों में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। सभी 'ब्लाक' नगरों में कम से कम एक रसोई गैस आपूर्ति केन्द्र को यथाशीघ्र खोला जाना चाहिए।

उदया नारायणपुर, अमता, उलुबेरिया और श्यामपुर के ब्लाक मुख्यालयों पर अतिशीघ्र रसोई गैस बिक्री केन्द्रों को खोला जाए ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की मांगों को पूरा किया जा सके।

मैं सरकार से ऐसे बिक्री केन्द्रों को तत्काल खोलने का अनुरोध करता हूँ।

(आठ) योजना आयोग द्वारा अपनाई गई गरीबी रेखा की नई परिभाषा के कारण उत्पन्न विसंगति को दूर करने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि मेहताब (कटक) : महोदय, लाकड़ा वाला समिति की रिपोर्ट के आधार पर योजना आयोग द्वारा अपनायी गई गरीबी रेखा की परिभाषा से उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यह मामला भारत सरकार के साथ बार-बार उठाया गया है। वर्ष 1991-92 में गरीबी रेखा की परिभाषा के अनुसार ग्रामीण परिवार की आय 11,000 रुपये प्रतिवर्ष मानी गई थी। मुद्रा स्फीति के हिसाब किताब के पश्चात् इसे वर्ष 1997-98 के लिए 19,910 रुपये निकाला गया। भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान परिभाषा में यह 249.69 रुपये प्रति माह प्रतिव्यक्ति है। यदि आप एक ग्रामीण परिवार में 5 सदस्यों के औसत से हिसाब लगाते हैं तो यह 14,982 रुपये प्रति परिवार आती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक परिवार जिसकी आय, 14,982 रुपये के अधीन है और 19,190 रुपये से कम है तो वह परिवार परिभाषा में परिवर्तन होने के कारण न कि उनके रहन-सहन के प्रकार में कोई सुधार होने के कारण 'गरीब नहीं' है। परिभाषा में 'परिवार' के स्थान पर 'प्रति व्यक्ति' होने के कारण कई विसंगतियां उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए, दो सदस्यों वाले परिवार, जिनकी आय 10,000 रुपये प्रतिवर्ष है, को 1991-92 में गरीब घोषित किया गया था लेकिन वही परिवार यदि उनकी वर्तमान आय को घटाकर 7,000 रुपये कर दिया जाए तो वह परिभाषा के संशोधन के कारण अब 'गरीब नहीं' घोषित किया जाएगा। नयी कार्यविधि भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न परिभाषाएं अपनाती हैं। उदाहरण के लिए चण्डीगढ़ में 300.90 रुपये मासिक आय वाला व्यक्ति गरीब होगा लेकिन उड़ीसा में 249.70 रुपये मासिक आय वाला व्यक्ति 'गरीब नहीं' होगा। गरीबी रेखा वर्तमान परिभाषा के अनुसार लक्षद्वीप के लिए 327.48 रु0, केरल के लिए 327.48 और हरियाणा के लिए 289.31 रु0 है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि यथाशीघ्र इस विसंगति को दूर करे और कृतार्थ करे।

(नौ) राज्य स्तर के मजदूर संगठनों को मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : महोदय, बदले हुए राजनीति परिप्रेक्ष्य में, जहां क्षेत्रीय दलों की सहायता से साझा सरकारें बनाई जाती है और राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं राज्य स्तर के मजदूर संगठनों को केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जा रही है जब केन्द्र स्तर पर श्रम सम्बन्धी मामलो को त्रिपक्षीय वार्ता में उठाया जाता है वो राज्य स्तर के मजदूर संगठनों को अनदेखा किया जाता है। जिनका उनके संगठनों में काफी प्रभाव होता है और इसके बड़ी संख्या में मजदूर

सदस्य होते हैं। राज्य स्तर के संगठनों द्वारा प्रतिनिधित्व किये जा रहे बड़ी संख्या के मजदूरों की भावनाओं की कद्र नहीं की जाती जबकि उसके ऊपर निर्णय थोपे जाते हैं।

बेहतर श्रमिक-औद्योगिक सम्बंधों को बनाने और वार्ता में अधिकाधिक श्रमिकों को शामिल करने के लिए मैं सरकार और श्रम मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे चुनाव द्वारा श्रमिकों की संख्या के आधार पर निर्धारित राज्य स्तर के मजदूर संगठनों को मान्यता प्रदान करे जैसे लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन है जो कि तमिलनाडु में डी.एम.के पार्टी का श्रमिक स्कंध है।

(दस) बान्द्रा (पूर्व) में पर्याप्त डाक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई, खेरवाड़ी विधान सभा क्षेत्र का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण इलाका है, जहां पर 4.5 लाख लोग रहते हैं। बान्द्रा (पूर्व) में स्थित डाकघर में टेलिग्राफ और 'स्पीड पोस्ट' की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। बान्द्रा (पूर्व) के डाकघर से किए गए टेलिग्राफों को गन्तव्य ने के लिए पहले दूसरे डाकघर को भेजा जाता है। यह ोषजनक नहीं है और इससे आम जनता को असुविधा ाता ह। बान्द्रा (पूर्व) की डाक सेवाओं का दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

इस मुद्दे पर माननीय संचार मंत्री के साथ बात की गई थी और उन्होंने यह वादा किया था कि अप्रैल, 1997 तक सभी डाक सुविधाऐं उपलब्ध करा दी जाएंगी। अभी तक ऐसा नहीं किया गया है।

डाक विभाग के पास बान्द्रा (पूर्व) में सभी आधुनिक सेवाओं से युक्त डाकघर स्थापित करने के लिए पर्याप्त भूमि है। एक आशंका है कि यदि इस भूमि का डाक सेवाओं की स्थापना और विस्तार के लिए प्रयोग नहीं किया गया, तो इस पर भी झुग्गी-झोपड़ी वाले अवैध कब्जा कर सकते हैं।

चूंकि बान्द्रा-कुर्ला काम्पलेक्स का बहुत तेजी से विकास किए जाने की संभावना है और मुम्बई शहर की अधिकांश वाणिज्यिक गतिविधियों को भी इस काम्पलेक्स में ले जाए जाने की संभावना है, इसलिए वहां पर डाक और संचार सेवाओं की ज्यादा मांग होगी।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस मुद्दे को उच्च प्राथमिकता देने की मांग करता हूँ। इससे संचार विभाग लोगों को सेवाएँ प्रदान कर सकेगा और साथ ही बेहतर अधिप्राप्तियां प्राप्त भी कर सकेगा।

(ग्यारह) केरल के वायनाड जिले में जनजातीय लोगों के लिए टी.वी. कार्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु माननथुडी में एक कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : केरल का वायनाड जिला राज्य का सर्वाधिक पिछड़ा जिला है इस जिले में सबसे ज्यादा जनजातीय लोग निवास करते हैं। ये निर्धन और अभागे जनजातीय लोग अत्यधिक निर्धनत और अज्ञान के अंधकार में जीवन यापन कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की गई प्रगति अभी राज्य के इस सुदूर क्षेत्र तक नहीं पहुंची है। यहां तक कि त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित किए जाने वाले मलयाली कार्यक्रम वायनाड के माननथुडी क्षेत्र तक नहीं पहुंचते हैं। अनेक मौकों पर इस मामले को कई सूचना और प्रसारण मंत्रियों के ध्यान में लाया गया। अन्ततोगत्वा सरकार द्वारा सभा में और सभा के बाहर आश्वासन दिया गया था कि वायनाड जिले के माननथुडी में एक कम शक्ति का ट्रांसमीटर लगाया जाएगा परन्तु पुस्तावित कम शक्ति के ट्रांसमीटर का कार्य आरम्भ करने के लिए अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

मैं इसीलिए माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से इस परियोजना का कार्य आरम्भ कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ, जिससे कि इसे यथा समय पूरा किया जा सके।

अपराह्न 4.47 बजे

विद्युत विनियामक आयोग अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और विद्युत विनियामक आयोग विधेयक

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। पिछली बार जब इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत किया गया था, तब इसे स्थायी समिति को सौंपा गया था। स्थायी समिति ने भी विधेयक पर विचार-विमर्श किया है। परन्तु लोक सभा भंग हो जाने के कारण इस पर विचार-विमर्श नहीं हो पाया था।

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : महोदय, मेरे विचार से उन्हें प्रक्रिया की जानकारी है।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा सुझाव है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को ऊर्जा सम्बन्धी स्थायी समिति को सौंपा जा सकता है। श्री करूणाकरण के सभापतित्व में स्थायी समिति का गठन पहले ही हो चुका है। इसलिए, अब भी इसे स्थायी समिति को सौंपा जाना चाहिए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : क्या मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूं। अध्यक्ष महोदय ने इस सांविधिक संकल्प के सम्बन्ध में पहले ही निर्णय ले लिया है। महोदय, वे अब सांविधिक संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं उसे प्रस्तुत करूंगा।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया है, अन्यथा यह सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता।

श्री वसुदेव आचार्य : नहीं। यह प्रस्तुत हो सकता है और सभा यह निर्णय कर सकती है कि क्या इसे स्थायी समिति को सौंपा जाय या नहीं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : पहले रिजोल्यूशन मूव किया जाए।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : मैं सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करता हूँ:

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित विद्युत विनियामक आयोग अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्याक 14) का निरनुमोदन करती है।"

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना विद्युत टैरिफ, सहायिकियों के संबंध में पारदर्शी नीतियों, दक्षतापूर्ण और पर्यावरणीय हितकर नीतियों के संवर्धन के सुव्यवस्थीकरण और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं विद्युत विनियामक आयोग विधेयक, 1998 को विचारार्थ प्रस्तुत* करता हूँ और मैं आज इसमें कुछ संशोधन भी पेश करना चाहता हूँ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विधेयक भारतीय विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को सुधारने में सहायता करेगा और इसे उत्पादन, प्रेषण और वितरण सुविधाओं में वृद्धि के लिए अत्यावश्यक निवेश करने के लिए इसे समर्थ बनाएगा और भारतीय विद्युत क्षेत्र में प्रतियोगिता, क्षमता और पारदर्शिता के एक नए युग का सूत्रपात करेगा। इससे पहले कि मैं इस विधेयक की विशेषताएं बताऊं, यह आवश्यक है कि मैं देश की विद्युत की स्थिति को स्पष्ट करूं जिसके चलते इन सुधारो की आवश्यकता पड़ी।

भारतीय विद्युत क्षेत्र समस्याओं से घिरा हुआ है जो आर्थिक उदारीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की तेजी से बढ़ रही मांग को पूरा करने में इसकी क्षमता के आड़े आ रही है। सुधार करने की इच्छा और आरंम्भिक उपायों को क्रियान्वित करने के बावजूद भी गंभीर समस्याएं अभी भी हैं। जैसे-जैसे विद्युत क्षेत्र की समस्याएं गंभीर होती जाएगी वैसे ही सुधार लाना भी अत्यधिक कठिन हो जाएगा जो कि निर्णयपूर्वक और बिना किसी विलंब के कार्य करने पर जोर देता है। यह अत्यावश्यक है कि सरकार महत्वपूर्ण सुधारों को कार्यान्वित करते समय विद्युत क्षेत्र के सम्मुख प्रस्तुत आधारभूत मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करे जोकि अव्यवस्थित खुदरा शुल्क व्यवस्था, प्रतिकूल राजसहायताओं का उच्च स्तर, निम्न स्तर का नियोजन और प्रचालन, उपभोक्ता की उपेक्षा, निजी क्षेत्र के संसाधनों और विशेषज्ञता सहित अन्य स्रोतों का सीमित भागीदारी औ एकाधिकारात्मक प्रवृत्तियों को विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था का अभाव है। भारतीय विद्युत क्षेत्र की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के विद्युत क्षेत्र में नियोजित क्षमता में कमी आई है। योजना आयोग ने प्रत्याशित मांग, चालू और नई परियोजनाओं से व्यावहारिक क्षमता वृद्धि तथा आठवीं योजनावधि में विद्युत क्षेत्र के निष्पादन में किए जा सकने वाले संभावित सुधार को ध्यान में रखने के बाद आठवीं योजना के लिए 30538 मेगावाट की क्षमतावृद्धि करने का प्रस्ताव किया था। तथापि आठवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षमता में 30,538 मेगावाट की प्रस्तावित वृद्धि की तुलना में कुल 16,423 मेगावाट अर्थात् आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित क्षमता की 50 प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि हुई है। पारेषण और वितरण के क्षेत्रों में बहुत कम निवेश किया गया है जिसके परिणामस्वरूप ग्रिड आपूर्ति दशा खराब हुई है। इसका और परिणाम ग्रिड में बढ़ती खराबी है। अभी, कुछ क्षण पूर्व हमने बिजली की कमी का असर संसद में भी देखा है जब जनरेटर चलाए गए हैं। बिजली की इस कमी का एक कारण राज्य विद्युत सेवाओं की खराब वित्तीय स्थिति और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका और बिगड़ जाना है। इसका मुख्य कारण राज्य विद्युत सेवाओं का अनुचित टैरिफ ढांचा है। शुल्क के माध्यम से जिनकी औसत लागत वसूली लगभग 75 प्रतिशत रही है अर्थात् 100 रुपये मूल्य की बिजली के वितरण पर वे केवल 75 रुपये वसूल पाए हैं। यदि वर्तमान टैरिफ दर के आधार पर पूरी वसूली की जाती है तब यह स्थिति है। 1992-93 में राज्य बिजली बोर्डों का कुल वाणिज्यिक घाटा केवल - यदि में 'केवल' शब्द का प्रयोग करूं तो, बिना राजसहायता के 4560 करोड़ रुपये था। 1996-97 में यह घाटा बढ़कर 9798 करोड़ रुपये हो गया। 31 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्ड विभिन्न केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की 12,139 करोड़ रुपये की राशि के देनदार हैं। अकेला दिल्ली विद्युत बोर्ड भारत सरकार के स्वामित्व वाले बदरपुर ताप विद्युत गृह का 6000 करोड़ रुपये का देनदार है। 31.1.1998 के अनुसार विद्युत बोर्डों की रेल मंत्रालय को बकाया देय राशि 1083 करोड़ रुपये है। हालांकि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में राज्य बिजली बोर्डों से अपनी स्थिर आस्तियों पर कम से कम तीन प्रतिशत आय आर्जित करना अपेक्षित है किंतु वर्तमान टैरिफ ढांचा उन्हें विभिन्न प्रकार के टैरिफों के कारण जिन पर राजसहायता दी जाती है, इस अपेक्षा को पूरा करने की अनुमति नहीं देता है। एक स्वतंत्र विनियामक न केवल यह सुनिश्चित करेगा कि खुदरा टैरिफ ढांचे को इस प्रकार समायोजित किया जाए ताकि वह इस अपेक्षा को पूरा करे अपितु यह भी सुनिश्चित करेगा कि राज्य बिजली बोर्डों को उनकी परिचालनात्मक कुशलता और उपभोक्ता सेवाओं के लिए जवाबदेह बनाया जाए।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1996-97 के दौरान कृषि और घरेलू क्षेत्र को कुल 19200 करोड़ से अधिक की राजसहायता दी गई है। इसमें से राज्य सरकारों ने बजटीय अनुदान के माध्यम से केवल 2634 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान किया। यह प्रभावी राजसहायता का केवल 12.7 प्रतिशत है जिसे राज्य बिजली बोर्डों को वर्तमान टैरिफ स्तर पर कृषि और घरेलू क्षेत्र को देना पड़ता है। राज्य बिजली बोर्डों ने प्रति राजसहायता के माध्यम से 8035 करोड़ रुपये वसूल किये। इस प्रकार कम कृषि व घरेलू टैरिफ के कारण राज्य बिजली बोर्डों को 8500 करोड़ रुपये

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री पी.आर. कुमार मंगलम]

का घाटा हुआ। यह बिजली की बिक्री से राज्य बिजली बोर्डों के कुल राजस्व का लगभग 20 प्रतिशत है। राज्य विद्युत सेवाओं की इस असंतोषजनक वित्तीय हालत के निम्न क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं।

(एक) सकारात्मक आन्तरिक संसाधन जिनका निवेश किया जा सकता था पैदा करने के बजाए राज्य बिजली बोर्डों के पास नकारात्मक आन्तरिक संसाधन रह गए हैं। राज्य बिजली बोर्डों के योजना और नए निवेश करने के लिए आवश्यक आंतरिक संसाधन 1992-93 में (-) 161.6 करोड़ के नकारात्मक स्तर से 1996-97 में (-) 4482 करोड़ रुपये तक पहुंच गए हैं। दूसरे शब्दों में, राज्य बिजली बोर्डों के महत्वपूर्ण कार्यकलापों जैसे नवीकरण और अनुरक्षण, प्रणाली सुधार योजनाओं आदि में निवेश की क्षमता में काफी गिरावट आई है। इसके अलावा वे नई उत्पादन क्षमता में निवेश करने में अक्षम रहे हैं। इसने कुछ राज्यों में वर्तमान विद्युत को प्रत्यक्षतः प्रभावित किया है जिससे पारेषण और वितरण धिक क्षति हुई। लगभग सभी राज्यों में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता प्रभावित हुई है और उनके चालू विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के समय और लागत में वृद्धि हुई है।

(दो) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को देय भारी बकाया राशि का एक प्रतिकूल प्रभाव केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अपने ही क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों में निवेश करने पर पड़ा है। इसने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से मंहगे ऋण पर निर्भर रहने के लिए बाध्य किया है।

(तीन) राज्य बिजली बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति का परिणाम यह भी रहा है कि भावी निजी निवेशक और विकासकर्ता उन विद्युत परियोजनाओं के लिए सरकारी (सोवरन) गारंटी की मांग कर रहे हैं, जिन्हें देश के विभिन्न भागों में स्थापित करने का उन्होंने प्रस्ताव किया है। राज्य बिजली बोर्डों की कुल अनुबंधित क्षमता 10000 मेगावाट तक नहीं होगी और इसमें राज्य बिजली बोर्डों को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी विकास-कर्ताओं के प्रति वचनबद्धता को भी पूरा करना है। राज्यों की सीमित अनुबंधित क्षमता के राज्यों में नई क्षमता वृद्धि में एक बड़ी अड़चन का कार्य किया है।

राज्य बिजली बोर्डों की असंतोषजनक वित्तीय स्थिति से विद्युत क्षेत्र में एक न संभलने वाली स्थिति पैदा हो गई हैं अत्यधिक अन्तर-क्षेत्र प्रति राजसहायता के कारण अधिकतर राज्य बिजली बोर्ड अपने औद्योगिक उपभोक्ताओं से भारी प्रभार ले रहे हैं। परिणामस्वरूप उद्योगों अन्य क्षेत्रों के लिए रक्षित बिजली के उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है जो कई राज्यों में उद्योगों के लिए यह ग्रिड विद्युत से सस्ती साबित हो रही है। बदले में इससे राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय संसाधनों का और क्षय हो रहा है क्योंकि जो ग्राहक भुगतान करते है वे इस तंत्र से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए राज्य बिजली बोर्डों को कृषि उपभोक्ताओं और घरेलू उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक टैरिफ को उचित स्तर पर रखना महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य बिजली बोर्डों द्वारा निवेश न कर पाने के परिणामस्वरूप राज्य बिजली बोर्डों के कार्यनिष्पादन को अनुकूलतम करने की गुंजाइश बुरी तरह प्रभावित हुई है और राज्य बिजली बोर्डों की पारेषण और वितरण क्षति बढ़ रही है। इससे राज्य बिजली बोर्डों का परिचालन मंहगा होता जा रहा है और उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अधिकतर राज्य बिजली बोर्ड ग्रिड के सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से अनुरक्षण और परिचालन के लिए पर्याप्त यंत्रों को स्थापित करने की स्थिति में भी नहीं हैं। इसने प्रणाली की क्षमता को भी बुरी तरह प्रभावित किया है जिसे समन्वित तरीके से चलाया जाना था ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध क्षमता का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इन असंतुलनों को दूर करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब इस क्षेत्र में सुधार के कार्य को और जटिल बना देगा।

भारतीय विद्युत क्षेत्र इन वास्तविकताओं का सामना कर रहा है और यदि हमें इस क्षेत्र में सार्थक प्रगति करनी है तो इन पर निर्णायक रूप से और अविलम्ब ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आज हमारी सरकार पर इन समस्याओं के समाधान की भारी जिम्मेवारी है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमने तिहरी रणनीति अपनाने का निर्णय किया है।

पहली संक्रमणकालिक रणनीति है। तत्काल संक्रमणकालिक रणनीति के रूप में, हम नवीकरण और अनुरक्षण योजनाओं महत्वपूर्ण पारेषण लाइनों में निवेश, प्रणाली सुधार योजनाएं और चालू विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले इस कार्यक्रम के लिए विद्युत वित्त निगम रियायती दर पर ऋण दे रहा है।

अपराह्न 5.00 बजे

वस्तुतः ब्याज राज सहायता के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपये की राजसहायता दी जाती है ताकि राज्य बिजली बोर्ड वर्तमान स्थिति को संभाल सकें।

उत्पादन और पारेषण क्षमता में वृद्धि के संबंध में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और राज्य विद्युत सेवाएं अगले चार-पांच वर्षों के दौरान 22,656 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की योजना बना रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी 17569 मेगावाट विद्युत उत्पादन की योजना है पेट्रोलियम शोधन कारखाने की अगले पांच वर्षों के दौरान 2000 मेगावाट और विद्युत उत्पादन की योजनाएं बना रहे हैं। इसके अलावा, हम अनेक वृहद विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने कई पारेषण परियोजनाओं पर कार्य आरंभ किया है। इसके अलावा हम पारेषण में निजी और सरकारी निवेश से अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लाइनों की स्थापना की योजना बना रहे हैं। इसके लिए कतिपय विधायी संशोधनों की आवश्यकता है। पारेषण क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए अधिक सरकारी और निजी निवेश हेतु मैं इसी सत्र में एक अलग विधेयक पुरःस्थापित करूंगा। महोदय,

विद्युत क्षेत्र की स्थिति में सुधार लाने के लिए हमें जो नीतिगत पहल करने की आवश्यकता है उनमें से प्रमुख हैं जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि करना, विद्युत उत्पादन के लिए तरल पैट्रोल ईंधन के इस्तेमाल सम्बन्धी नीति, अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए वितरण क्षेत्र में सुधार करने के उपाय, बेहतर कार्य निष्पादन के लिए उपलब्ध शुल्क का लगाया जाना और ग्रिड के संचालन में अधिकाधिक अनुशासन बरतना आदि। मौजूदा विधेयक विनियामक आयोगों की स्थापना करने के लिए ऐसे नीतिगत कदम उठाने का मार्ग प्रशस्त करता है जिसके लिए मेरी सरकार और पूर्व सरकारों ने भी कदम उठाए हैं। मेरे मंत्री पद पर आसीन होने के 37 दिनों के भीतर, राष्ट्रपति महोदय ने विद्युत विनियामक आयोग अध्यादेश प्रख्यापित किया और अगले 38 दिनों के भीतर मैं इस अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाने के उद्देश्य से संसद के सन्मुख प्रस्तुत हुआ हूं।

मैं समझता हूं कई माननीय सदस्यों ने इस अध्यादेश को लाने के लिए कारण जानने चाहे हैं। उन्हें शिकायत यह है कि इसे जल्दबाजी में पेश किया जा रहा है। मैं उन्हें स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आजकल हम विद्युत क्षेत्र में गंभीर वित्तीय परिस्थिति से गुजर रहे है। निसन्देह, कुछ सदस्यों ने मुझसे उन परिस्थितियों के बारे में पूछा भी था जिसके अन्तर्गत इसे न्यायोचित ठहराया गया है। मैंने पहले ही राज्य विद्युत बोर्डों की खराब और तेजी से बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति के बारे में बताया है। यदि विद्युत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को चलते रहने दिया गया तो राज्य विद्युत बोर्डों को अपने संचालनात्मक कार्य निष्पादन में कोई सुधार लाने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और जब तक उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं होगा वह सीमित क्षमता वृद्धि कार्यक्रम को भी कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे जिन्हें अगले चन्द वर्षों के दौरान राज्य क्षेत्र में आरंभ किया जाना है। यह बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि किसी विद्युत संयंत्र को स्थापित करने की अवधि 3½ वर्ष से 5 वर्ष के बीच की होती है। अतः यदि इसमें इतना समय लगता है तो हमें क्षमता वृद्धि कार्यक्रम को भी इसमें जोड़ लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बताना भी उचित होगा कि इस उद्योग में प्रति राजसहायता के बढ़ते हुए भार के कारण थे। केप्टिव उत्पादन पर धीरे-धीरे निर्भर होते जाएंगे और आने वाले वर्षों में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति ओर भी खराब हो जायेगी। संक्षेप में, यदि विद्युत क्षेत्र में विद्यमान स्थिति को चलते रहने दिया गया, तो राज्य विद्युत बोर्डों की भरोसेमंद तरीके से उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली सप्लाई करने की क्षमता तेजी से कम होती जाएगी। आपको ऐसी स्थिति का सामना भी करना होगा जहां कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़कर बिल्कुल भी बिजली नहीं होगी।

कृषि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सहायता पर विचार न करके यह संवेदास्पद है कि क्या राज्य विद्युत बोर्ड इस स्थिति में होंगे कि कृषि क्षेत्र में विद्युत की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकेंगे। जबकि राज्य सरकारों के पास कृषि उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता देने की अपनी मजबूरियां है यह बात संदेहास्पद है क्या कृषि उपभोक्ता अन्ततः लाभान्वित होंगे क्योंकि उनके पम्पसेट ग्रिड की अनिश्चितता की चपेट में होंगे और उनमें से कईयों को आकस्मिक उपाय के रूप में वैकल्पिक डीजल पम्पसैटों पर फालतू निवेश करना होगा। दूसरे शब्दों में अविश्वसनीय और निम्न गुणवत्ता वाली बिजली के कारण कृषि उपभोक्ता को अविश्वसनीय और सीमित आपूर्ति पर प्राप्त राज सहायता की कीमत ऐसी सहायता से अधिक बैठेगी। इसके साथ राज्य विद्युत बोर्डों की खराब दशा का विपरीत प्रभाव कुटीर ज्योति जैसे इसके विस्तार कार्यक्रमों को आरम्भ करने की इनकी क्षमता पर भी पड़ेगा।

मुझे विश्वास है कि माननीय सभा को पता है कि 85 प्रतिशत गांवों को इसके भीतर लाने के बावजूद केवल 30 प्रतिशत घरों को ही बिजली की आपूर्ति की जाती है। इस स्थिति को ग्रामीण वितरण में निवेश के द्वारा बदला जा सकता है। ग्रामीण विद्युतीकरण पर ब्याज सहायता देने संबंधी एक प्रस्ताव हमारे मंत्रालय के विचाराधीन हैं लेकिन यह तभी दिया जाएगा जब राज्य विद्युत बोर्ड इस सहायता को खपाने में वित्तीय तौर पर समर्थ होंगे।

इस समय तो उनकी वित्तीय स्थिति उन्हें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से सीमित राशि भी उधार लेने से मना करती है और उनके बकाया भी काफी अधिक है। इसे विद्युत क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों जहां वितरण अंतराल बहुत अधिक है के विकास के हित में रखना चाहिए।

शुल्क सुधारों में और विलम्ब केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनिश्चित वित्तीय स्थिति को और खराब करेगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है 10,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि के लिए गारंटी देने के वित्त मंत्री के प्रस्ताव में सुरक्षा उपाय होगा ताकि यह देखा जाए कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इस समय इस कठिनाई से उभर सकें।

संयुक्त मोर्चा सरकार ने इस परिस्थिति को समझा है और यह इस पर आधारित है कि उन्होंने मुख्यमंत्रियों के एक नहीं दो सम्मेलन एक अक्टूबर और ग्यारह दिसम्बर 1996 में आयोजित किये और विद्युत क्षेत्र के सभी मामलो पर चर्चा की। श्री आचार्य जी ने इसकी आलोचना की लेकिन उन्हें स्वयं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता होना चाहिए। इन सम्मेलनों के परिणामस्वरूप विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्यवाही योजना को अपनाया गया। आपका सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्यवाही योजना के लिए जज्बा हैं उनको यह भाषा अच्छी लगी।

सी.एम.एन.पी.पी. ने स्वीकार किया कि विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है और यह मान लिया गया है कि राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति में तेजी से गिरावट आ रही है। इस पर विचार किया गया कि विद्युत क्षेत्र के विकास का भविष्य राज्य विद्युत बोर्डों को सक्षम बनाए बिना और उनके संचालनात्मक कार्यनिष्पादन में सुधार किये बिना जारी नहीं रखा जा सकता। निसंदेह इस दिशा में विनियामक आयोगों के गठन का पता लगाना एक प्रयास है कि विशेष रूप से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोग के गठन का प्रावधान किया है।

[श्री पी.आर. कुमारमंगलम]

मैं दोहराता हूं कि राज्यों के बीच सहमति थी कि खुदरा विद्युत दरों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए तथापि यह सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि कोई भी क्षेत्र आपूर्ति की औसत लागत का 50 प्रतिशत से कम का भुगतान भी करेगा। यह भी निर्णय किया गया था कि कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत दर प्रति के.डब्ल्यू.एच. 50 पैसे से कम नही होगी जिसे बढ़ाकर तीन वर्ष के भीतर लागत का 50 प्रतिशत किया जाना था। यह हमारी सरकार का निर्णय नहीं था। यह आपकी सरकार का सभी मुख्यमंत्रियों की सहमति से लिया गया निर्णय था, और मैं यह संसद के कार्यवाही में रिकार्ड कराना चाहता हूं और जब हम इसे लाए तो हमने 50 पैसे यह करते हुए छोड़ दिया कि यह राज्य के क्षेत्राधिकार में होना चाहिए और हमने कहा सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जानी चाहिए।

यह उपरोक्त सहमति के अनुसार ही किया गया था कि विद्युत विनियामक आयोग विधेयक 1997 को 14 अगस्त 1998 में लोक सभा में पुरस्थापित किया गया था। यह विधेयक विद्युत सम्बन्धी [illegible]ी समिति को भेजा गया था यही वह विधेयक है जिसे आप [illegible]मिति से भेजना चाहते हैं। इसका अभिप्राय है कि इस देश [illegible]द्युत नहीं है। समिति ने सरकार को सलाह दी कि इस विधेयक को सभी राज्यों को परिचालित किया जाए ताकि उनके विचार जाने जाएंगे। यह किया गया। उनके विचार को विधेयक को दुबारा तैयार करते हुए ध्यान में रखा गया जो कि स्थायी समिति विद्युत मंत्रालय के विचारों को स्वीकार कर लेने के लिए पुनः समवेत नहीं की जा सकी क्योंकि सभा भंग हो गयी थी। इसके परिणामस्वरूप विनियामक आयोग की स्थापना करने में विलंब हुआ जिससे विभिन्न वर्गों के मन में शुल्क सुधारों और विद्युत क्षेत्र के पुर्नगठन के सम्बन्ध में हमारी सरकार की वचनबद्धता के बारे में आशंकाए उत्पन्न हुई। भारत सरकार एक निरंतर प्रक्रिया है कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें विद्युत क्षेत्र में लगाये जाने वाले सार्वजनिक और निजी संसाधनों के प्रवाह में भी कमी हुई।

विधेयक का संसद में पुरःस्थापित किये जाने पर पर्याप्त समय लगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि राज्य विद्युत सेवाओं की वित्तीय स्थिति में तेजी से आ रही गिरावट और विलम्ब में सुधार करने से विपरीत निहितार्थ के कारण समय नहीं मांग है कि इस पर शीघ्र और अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए। साधारण तौर पर यदि मैं विधेयक पुरस्थापित करता तो इस वर्ष के अन्त तक ही मैं ऐसा कर पाता और अगले वर्ष के अन्त तक ये विनियामक आयोग की स्थापना हो पाती और यदि यह कार्य अगले वर्ष तक आरंभ हो पाता है इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती जिसे कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता।

अतः यह आवश्यक समझा गया कि विनियामक आयोग के शीघ्र गठन को सुनिश्चित किया जाए और चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था, यह अध्यादेश प्रख्यापित करना पड़ा। 'शुभस्य शीघ्रम्' प्राचीन कथन में मेरा दृढ़ विश्वास है जो कुछ भी अच्छा हो उसे जल्दी से जल्दी आरंभ करना चाहिए जिसमें श्री आचार्य जी भी विश्वास रखते हैं। यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि विनियामक आयोग की समाधान करना भी ऐसे अच्छे कार्यों में से ही एक है जिसे और अधिक टाला नहीं जाना चाहिए।

क्योंकि हमने अध्यादेश प्रख्यापित किया था सी.ई.आर.सी. की स्थापना के लिए किये गए उपाय लगभग पूरे होने जा रहे हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सी.ई.आर.सी. की स्थापना निर्धारित समय अर्थात् 25 जुलाई, 1998 में पहले की जा सकेगी।

सच बात तो यह है कि कई राज्य विनियामक आयोगों के गठन के पक्ष में हैं जो कि कई राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और हरियाणा द्वारा उठाए गए कदमों से स्पष्ट है। यह एक उत्साहवर्द्धक प्रवृत्ति है कि कम से कम उन्होंने वास्तविकता को समझा जबकि कुछ लोग वास्तविकता से अवगत होना नहीं चाहते हैं।

मैं अब इस विधेयक की विशेषताओं को स्पष्ट करूंगा। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का प्रमुख कार्य केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली या उनके नियंत्रण में आने वाली विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले शुल्क को विनियमित करना पारेषण के शुल्क सहित अन्तर्राज्यीय पारेषण को विनियमित करना, बड़ी मात्रा में एक राज्य से दूसरे राज्य को बिजली की बिक्री को विनियमित करना, बिजली शुल्क नीति बनाने में केन्द्र सरकार की सहायता करना और परामर्श देना इत्यादि है। आरंभ में राज्य विद्युत विनियामक आयोग के प्रमुख कार्य थोक, बड़ी मात्रा में, ग्रिड और खुदरा बिजली के लिए राज्य के भीतर शुल्क का निर्धारण करना पारेषण सुविधाओं के द्वारा उपयोग के लिए भुगतान योग्य शुल्क को निर्धारित करना, पारेषण उपयोगकर्ताओं की अधिप्राप्ति प्रक्रिया और विद्युत खरीद आदि को विनियमित करना होगा। इसके बाद, जब कभी प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचित करे, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को अन्य विनियामक कार्य भी सौंपे जाएंगे। इससे राज्य विनियामक आयोग न केवल शुल्क को यथार्थ और तर्क संगत तरीके से निर्धारित कर पाएंगे अपितु लाइसेंस देने वालों तथा राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण को भी विनियमित कर पाएंगे जो कि वे तब तक ऐसा नहीं कर पाएंगे जब तक कि विधि के अन्तर्गत उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं दे दिया जाता है। आयोग द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा इस प्रकार की जाएगी कि राज्य विद्युत उपयोगिताओं के प्रचालन की कार्यकुशलता पर जोर दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उचित मूल्य पर बिजली उपलब्ध करायी जाएगी।

इसका आशय मूल्य वृद्धि करना नहीं है। इसका आशय लागत और आपूर्ति को पारदर्शी बनाना है। सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस मूल्य पर विद्युत का उत्पादन होता है और किस मूल्य पर इसका वितरण किया जाता है जिसमें वितरण की लागत भी सम्मिलित है। प्रति राज सहायता कहां है, किसे विद्युत किस मूल्य पर मिल रही है, और सरकार कितनी राज सहायता दे रही है। विद्युत क्षेत्र के मामले सबको स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। इस समय हम सब संकट का सामना कर रहे हैं। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा है कि लगभग प्रत्येक राज्य में विद्युत की कमी क्यों है। लोग इसके बारे में शिकायत कर रहे हैं। हमारे समक्ष आज यह स्थिति है कि हमारे पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में बिजली में कटौती की जा रही है। यदि पूर्वी

क्षेत्र में बिजली की कटौती नहीं की जा रही है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि उनके पास विद्युत की औद्योगिक खपत उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। यदि पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक विकास अतिरिक्त क्षमता उत्पादन के विकास के समान हुआ होता जिसकी कि योजना बनाई गई थी तो आज वहां पर भी यही समस्या होती। इस संबंध में सच यह है कि हम एक संकट की स्थिति में हैं। मेरा विश्वास है कि उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त विद्युत उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए एक मात्र अत्यधिक उपाय विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना करनी होगी। यदि हम पर्याप्त विद्युत उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो इसका कोई उपयोग नहीं है यदि हम अपने राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण में सुधार लाकर उन्हें बेहतर बनाते हैं। तो हम सभी हमारे कृषि उपभोक्ताओं को, यदि आवश्यक हुआ तो निःशुल्क विद्युत दे सकते हैं; हमारे घरेलू उपभोक्ताओं को सच्चाई और ईमानदारी से विद्युत दीजिए, हमारे औद्योगिक घरानों को विद्युत दीजिए। जिससे कि वे उत्पादन कर सके उन्हें विकास करने और रोजगार देने की अनुमति दीजिए।

हमेशा नकारात्मक विचार रखने से क्या फायदा होगा? हम इस देश में प्रगति नहीं करना चाहते हैं। हम देश का पीछे धकेलना चाहते हैं। यह उपयुक्त समय है जब एक गंभीर दृष्टिकोण अपनाया जाए। मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य भाड़ा विद्युत क्षेत्र में व्याप्त संकटपूर्ण स्थिति को समझेगें। हम पूरे देश में विद्युत कटौतियों का सामना कर रहे हैं। वास्तव में हम इस समय पूर्वी क्षेत्र से विद्युत को सीधे दक्षिण भेज रहे हैं क्योंकि दक्षिण में विद्युत की आपूर्ति कम है। केरल को 100 मेगावाट विद्युत मिल रही है। उत्तर को भी पूर्वी क्षेत्र से विद्युत मिल रही है क्योंकि वहां पर अधिशेष विद्युत उपलब्ध है। वहां पर उत्पादन के लिए मदद की जा रही है। एक ऐसे नेटवर्क जिसमें अधिशेष विद्युत को, जो कि वहां उपलब्ध है, अन्य केन्द्रों को भेजना सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना नहीं थी। इस समय ऐसी स्थिति है एक ओर जहां देश के बाकी हिस्सों में और दूसरी ओर पूर्वी क्षेत्र में आपूर्ति में कमी है, विद्युत उत्पादन संयंत्रों को बन्द किया जा रहा है क्योंकि उनसे विद्युत का उत्पादन नहीं हो सकता है। हम एक संकट की स्थिति में है जहां हमें निवेश की आवश्यकता है। इस समय योजना आयोग द्वारा वर्ष 2002 के लिए अतिरिक्त क्षमता उत्पादन के रूप में 50,000 मेगावाट की आवश्यकता मानी गई है।

इस समय आमतौर पर चार करोड़ मेगावाट के लिए 200,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कर रहे हैं। विद्युत कोई ईश्वर प्रदत्त वस्तु नहीं है। इसका उत्पादन किया जाता है। यह पवन नहीं है। यह जल भी नहीं है जिसे प्रकृति ने पैदा किया हैं इसका उत्पादन किया जाना है। उत्पादन के लिए लागत की आवश्यकता होती है। इसको वितरित करने के लिए आपको इसके उत्पादन की लागत को वहन करना होगा।

इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैं इस विधेयक को इस सम्मानित सभा के समक्ष लाया हूं। मुझे विश्वास है, सदस्य इसको समझेंगे क्योंकि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं - यह विधेयक पहला कदम है - कि यदि हम परिस्थिति के अनुसार अपने को नहीं ढाल पाते हैं, इस बात को नहीं समझते कि कार्यकुशलता क्या है, प्रचालन कार्यकुशलता क्या है, पारेषण और वितरण घाटो को कम नहीं कर पाते हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी को नहीं लाते हैं। यह सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि प्रत्येक नागरिक को विद्युत मिले तब तक मैं नहीं समझता कि हम एक देश के रूप में अपने मूलभूत कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं।

बिना बिजली के कोई भी देश आधुनिक नहीं बन सकता और मेरे विचार में हमें इस वास्तविकता को समझना चाहिए। जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि इस समय हमारे देश के केवल 30 प्रतिशत घरों में ही विद्युत है। देश के 70 प्रतिशत घरों में बिजली नहीं है और हम अपनी मौलिक समस्या को समझे बिना यहां बैठ कर इधर-उधर की बातें करते हैं।

महोदय, मैं दो, संशोधन भी प्रस्तुत करूंगा जिनका कि मैं उल्लेख कर चुका हूँ। पहला धारा 17(1) से सम्बन्धित है जिसमें उल्लिखित है :

> "राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तीन महीनों के भीतर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिये.. . . . .(राज्य का नाम) विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना कर सकेगी।" -

जब अध्यादेश परिचालित किया गया था तो कुछ राज्यों ने .....*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : क्या आप एक संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ मुझे इसकी अनुमति दी जाए। आप दोनों पर विचार कीजिए.....*(व्यवधान)* मैं इस समय विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ.....*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : एक अन्य माननीय सदस्य ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है.....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : इस सभा में शिष्टाचार हम सामान्य रूप में पाते हैं.....*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : परन्तु उस संशोधन के सम्बन्ध में सभा द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।.....*(व्यवधान)* क्या उनका संशोधन पूरा है अथवा नहीं?.....*(व्यवधान)* केवल तभी आप अपने संशोधन को प्रस्तुत कर सकते हैं।.....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं इन बातों से सहमत हूँ कि मेरे विद्वान वरिष्ठ साथी केरल के श्री वारकला राधाकृष्णन प्रक्रिया को जानते हैं। मेरे विचार से वे इससे पहले विधान सभा अध्यक्ष रह चुके हैं.....*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत उन्होंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। वह सभा के समक्ष हैं। एक निर्णय लेना होगा। तभी आप अपना संशोधन पेश कर सकते हैं और तभी आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं.....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : इस समय आप मुझे क्षमा करेंगे ? मुझे एक विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। उसके साथ, मैं एक संशोधन भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मानक प्रक्रिया है।

अब हमने सुना कि कई राज्य सरकारें बता रही है कि उन्हें तीन महीने की समयावधि के भीतर राज्य विद्युत विनियामक आयोग स्थापित करने में कठिनाइयां है। वे विस्तृत रूपरेखा बनाने के लिए और अधिक समय चाहती हैं। पूर्वोत्तर राज्य ऐसे राज्य हैं जिनके लिए पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक सांझा विनियामक आयोग ज्यादा किफायती होगा क्योंकि इनमें से कुछ राज्य इतने छोटे हैं कि वे एक विनियामक आयोग के भार को वहन नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों पर विचार करने पर इस विधेयक की धारा 17 (1) में निम्नानुसार प्रकार संशोधित किये जाने का प्रस्ताव है :

> "राज्य सरकार, यदि उचित समझे, तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिये .... (राज्य का नाम) विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना कर सकेगी।"

इस संशोधन से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना ऐच्छिक है न कि बाध्यतामूलक। तथापि, मैं सभी राज्यों से अपील करूंगा कि रा.वि.वि.आ. की स्थापना यथाशीघ्र की जाए। मुझे विश्वास है कि वे एक स्वंतत्र विनियामक आयोग की स्थापना से होने वाले लाभ को पहचानेंगे। वर्तमान विधेयक में ऐसे आयोग की तैयार आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराता है। चूंकि, हमारा समेकित जाल है, इसलिए यह आवश्यक है कि सभी क्षेत्र मिल कर काम करें और यह तभी संभव है जब सभी राज्य एकसमान पद्धति अपनाएं।

दूसरा संशोधन कृषि टैरिफ से संबंधित उपबन्ध के बारे में है। मैं विधेयक की धारा 29 (3) नहीं पढ़ रहा हूँ। जब संयुक्त मोर्चा सत्ता में था, तब मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हुई आम सहमति के आधार पर इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया था — मैं इसे दुहराता हूँ कि आम सहमति के आधार पर किया गया था।

हमें मालूम है कि इस प्रकार की कोई विशेष निश्चित उपबन्ध नहीं है जैसा कि भारत सरकार की स्वीकृति से उड़ीसा और हरियाणा सुधार अधिनियमों के खंड 29 (3) में किया गया है। न ही आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पारित आंध्र प्रदेश विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान है। तथापि, हमने विशेष रूप से रा.वि.वि. आ. के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए यह प्रावधान किया था कि क्रॉस सबसिडाइजेशन को पचास प्रतिशत से कम रखा जाए जैसा कि सी.एम.एन.पी.पी. ने उसके लिए प्रावधान किया है। चूंकि इस उपखंड के निर्वचन के संबंध में कुछ राज्यों ने आशंकाएं व्यक्त की थी, इसलिए मैंने 20 मई, 1998 को राजनैतिक दलों के नेताओं और विभिन्न माननीय सदस्यों के साथ एक बैठक की थी। भाग लेने वालों में श्री एस.एस. बरनाला, श्री राम जेठमलानी, डॉ० मनमोहन सिंह, श्री एम. मुथैया, श्री ओमाक अपांग, श्री सैफुद्दीन सोज और श्री जे. चिंतरंजन शामिल थे। हम इस बैठक में दिए गए सुझावों के अनुसार सभी आशंकाओं को दूर करने के और अधिक स्पष्टता लाने के लिए इस खंड के निरुनमोदन का प्रस्ताव करते हैं। अब यह विनियामक प्रथा राज्य सरकार की मर्जी पर है कि वे कृषि उपभोक्ताओं या उपभोक्ताओं के किसी भी समूह के लिए टैरिफ का निर्धारण करेंगे।

श्री वारकला राधाकृष्णन : इसका परिणाम क्या होगा ?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मुझे अपना भाषण समाप्त करने दें। मूल विचार यह है कि आखिर, विद्युत एक समवर्ती विषय है। यह सच है कि केन्द्र सरकार अपना कानून लागू कर सकती है। इससे कोई समस्या नहीं है। परंतु आखिर, विद्युत या बिजली ऐसा आधारभूत मुद्दा है कि इसमें रजनीति नहीं आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह उचित समय है जब हम सबको यह समझना चाहिए कि यह एक मूलभूत आधार संरचना है जो राजनीति से अलग होनी चाहिए। आज समय की यही मांग है। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह समझता हूँ कि यह एक अनुरोध कि ऐसा अधिनियम है जो शक्ति प्रदान करता है, जो ऐसा अधिनियम नहीं है जिसका गहन विचार द्वारा निर्वचन किया जाए या इसे एक बाध्यतामूलक अधिनियम माना जाए। यह अधिनियम राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करता है। अगर कोई राज्य सरकार इसे सही नहीं पाती, तो उनके पास विधायी शक्ति है। और वे अपना अधिनियम बना सकते हैं। परन्तु अगर वे इसे सही उपयुक्त मानते हैं तो वे उन राज्यों को जो सुधार चाहते हैं, जो विद्युत की अपनी समस्या का हल चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं तथा जो इस राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता से खिलवाड़ नहीं करना चाहते, यह अधिनियम लागू करने या न करने का अधिकार है। अपने दरवाजे बंद न करें। इस देश को हल्की रोशनी से गहरे अंधकार में न भेजें।

विनियामक आयोग की स्थापना से टैरिफ को युक्ति संगत बनाने में सहायता मिलेगी तथा जहां जरूरी है प्रति राजसहायता भी प्रदान करने में मदद मिलेगी जिससे राज्य विद्युत इकाइयां वित्तीय रूप से सक्षम बनेंगी। विनियामक आयोगों की स्थापना राज्य सरकारों को कृषि के लिए राज सहायता देने से नहीं रोकती, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक क्षेत्र है। मैं सेलम से संबंधित हूँ जहाँ पंपों से सिंचाई होती है वहां कोई नहर या नदी नहीं है। इसलिए मैं यह समस्या समझता हूँ। राज्य सरकारें विनियामक आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों से भी अधिक राजसहायता प्रदान कर सकती हैं। ये राजसहायताएं कृषि, कमजोर वर्ग आदि को मुफ्त बिजली इत्यादि भी इस शर्त पर दे सकती है कि राज्य सरकारें रा.वि.बोर्ड की पर्याप्त बजटीय सहायता द्वारा क्षतिपूर्ति करेंगी। जब टैरिफ युक्ति संगत बना दिया जाएगा और बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी, तो राज्य विद्युत बोर्ड महत्वपूर्ण कार्यों में निवेश करके अपनी वित्तीय स्थिति तथा अपनी क्षमता को सुधारेंगे। इससे अब की तुलना में विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से संसाधनों की आमद होगी जिससे विद्युत की स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा।

महोदय, वर्तमान उत्पादन सुविधाओं के नवीकरण और आधुनिकीकरण, पारेषण और वितरण व्यवस्था इत्यादि जैसे

आवश्यक तथा महत्वपूर्ण कामों में निवेश करने के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को सक्षम बनाने से दीर्घावधि सहायता मिलेगी।

दीर्घावधि में इससे प्रचालनगत निष्पादन का ईष्टतमीकरण, पारेषण और वितरण में होने वाले घाटे में कमी, समेकित ग्रिड प्रचालन का संवर्द्धन, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार तथा उपभोक्ताओं के टैरिफ में कमी भी होगी।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं अपने माननीय मित्रों से यह बताना चाहूंगा, जो यह सोचते हैं कि मैं उन्हें एक गलत तरीके से उन पर थोपने या उनकी बात दबाने की कोशिश कर रहा हूँ जो उनके हितों के विरुद्ध हैं ऐसा नहीं है इसके विपरीत, मैंने ऊर्जा मंत्री के रूप में कई बार कहा है कि मैं रा.वि.बो. को सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी उपयोगिताओं के लिए अपना सह-संगठन समझता हूँ तथा यह राज्य सरकारों की ही तरह मेरी भी जिम्मेवारी है कि इन समस्याओं के समाधान के बारे में सोंचे। हमारी राष्ट्रीय ग्रिड है। हम एक राष्ट्र हैं, हमारे अलग-अलग ग्रिड नहीं हैं। हम एक दूसरे से जुड़े है। अगर बिहार में 'फ्रिकवेंसी' या वोल्टेज में कमी आती है, तो उत्तर प्रदेश तुरंत प्रभावित होता है अगर उत्तर प्रदेश में 'फ्रिकवेंसी' या वोल्टेस में कमी आती है तो दिल्ली प्रभावित होती है। हम एक दूसरे से जुड़े हैं। चार राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रिड सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सभी एक दूसरे पर निर्भर है। हमें इस गंभीर स्थिति को समझना चाहिए।

मैं विपक्षी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया यह समझिए कि हम सभी चट्टान के किनारे पर खड़े हैं। हम जितनी देर करेंगे हम उतनी ही ऊंचाई से गिरेंगे जिससे हम फिर उठ नहीं सकेंगे।

इन शब्दों के साथ में आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : मंत्री जी, क्या आप खंड 29 (3) और 29 (5) को रद्द कर रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : खंड 29 (5) रहेगा।

श्री टी.आर. बालू : यह व्यर्थ हो गया है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैंने जो संशोधन परिचालित किया कृपया उसे पढ़िए। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं, तो मैं यह आपके बोलने के बाद स्पष्ट कर सकता हूँ। पहले मेरा संशोधन पढ़िए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित विद्युत विनियामक आयोग विधेयक, 1998 (1998 की संख्या 14) का निरनुमोदन करती है।"

"कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना, विद्युत टैरिफ, सहायिकियों के संबंध में पारदर्शी नीतियों, दक्षतापूर्ण और पर्यावरणीय हितकर नीतियों के संवर्द्धन के सुव्यवस्थीकरण और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह विधेयक 15 सितम्बर, 1998 (4) तक राय जानने के उद्देश्य से परिचालित किया जाए।"

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैं पहले बोलूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपको रिप्लाई देने का पूरा अधिकार है, उस समय आप बोलना। अभी माननीय सदस्य बोलेंगे। मैं श्री के.एस. राव को बुला रहा हूँ। आपका अंत में जवाब होगा।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मुझे पहले बोलना है। विधायी संकल्प मेरे नाम से है। मैंने इसे केवल प्रस्तुत किया है, परन्तु इसे प्रस्तुत करते समय कुछ नहीं बोला।

[हिन्दी]

मैंने एक शब्द भी नहीं बोला है। मुझे बोलना है।

सभापति महोदय : अभी नहीं। आपको मौका दिया गया था। अब जवाब के समय बोलें। अभी आप और माननीय सदस्यों की बात सुनें कि वे क्या कहना चाहते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : आपने हमें बोलने नहीं दिया।

सभापति महोदय : अब अंत में बोलना।

श्री वसुदेव आचार्य : अंत में कैसे बोला जाता है। हमारा स्टैचुटरी रिजोलुशन है।

सभापति महोदय : आपने मूव किया, उसी समय बहस की गुंजाइश थी।

श्री वसुदेव आचार्य : आपने हमें मौका ही नहीं दिया।

सभापति महोदय : आपको पर्याप्त समय मिलेगा।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : हम लोगों का जो तौर तरीका रहा है, जनरली स्टैचुटरी रिजोलुशन में वे मूव करते हैं।

लेकिन जो बिल मूव करते हैं उनको आमतौर पर कंसीडिरेशन ऑफ बिल पर बोलने के लिए मौका दिया जाता है और अंत में भी बोलने के लिए मौका दिया जाता है।

सभापति महोदय : ठीक है, मौका देंगे।

श्री बी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : अभी तो जब उनकी टर्न आयेगी तभी बोलेंगे।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : वे अब बोलना चाहते हैं।

श्री बी. धनन्जय कुमार : वे अभी नहीं बोल सकते। न ही संकल्प पर, न ही विधेयक पर, इस सभा की यही प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है, सभी माननीय सदस्यों की राय ली जायेगी।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (मछलीपतनम) : सभापति महोदय, किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के निर्धारण में विद्युत उत्पादन महत्वपूर्ण निभाता है, विद्यमान अधिनियम में पूरी गंभीरता के साथ निच्छा से कुछ संशोधन करने होंगे, माननीय मंत्री द्वारा किए गए विधेयक को पढ़ने के बाद मेरी राय है कि इस विधेयक को यहां हमारे देश के विद्युत क्षेत्र में तत्काल कुछ परिवर्तन करने के लिए उनकी चिंता और उतावलेपन के कारण लाया गया है, मुझे आंशका है कि हो सकता है अपने को कार्यकुशल मंत्री साबित करने के उतावलेपन में वे आम आदमी के जीवन से जुड़े कई अन्य पहलुओं पर ध्यान दिए बिना इस विधेयक को ला रहे हैं। फिर भी यदि ये सभी संशोधन विद्युत उत्पादन की लागत को विनियमित करने के लिए लाए जाते तो कुछ समझ में आता किंतु ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कृषक समुदाय और समाज के वंचित वर्ग को दी जा रही राज सहायता में कटौती का प्रावधान भी किया है। साथ ही जब माननीय मंत्री इस विद्युत विनियामक विधेयक को पेश कर रहे हैं। उसी समय यदि कृषि मंत्री भी कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण के बारे में प्रावधान करने के लिए संशोधन लाते तो कुछ बात समझ में आती। हम कृषक समुदाय के बारे में सोच रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिए जा रहे हैं।

यदि कोई राज्य सरकार समाज के वंचित वर्ग के बाद कृषक समुदाय को बिजली पर राज सहायता देती है जैसी कि हरिजनों और समाज के निर्धन वर्गों को दी जाती है तो यह उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर ही दी जाती है, किंतु हमारे माननीय मंत्री इन सब बातों के बारे में नहीं सोचते हैं, वे केवल विद्युत और व्यावसायिक सिद्धांत पर न केवल विद्युत उत्पादन अपितु समाज के उन अभागे वर्गों को उसकी आपूर्ति के लाभकारी मूल्य प्राप्त करने पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

श्री राधाकृष्णन ने पहले ही दिन शोर मचाया था कि यह भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अथवा यह सरकार के विश्वास में नहीं है और यह समवर्ती सूची में है आदि, उसके बाद मंत्री जी एक संशोधन लाने के लिए सहमत हुए थे जो वे यहां लाए हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : यह गलत है। मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं। मैंने यह कभी नहीं कहा।

प्रो० पी.जे. कुरियन : उनका उत्तर अंत में होगा।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : गलत वक्तव्य को सही किया जाना चाहिए।

प्रो० पी.जे. कुरियन : आप इसे अन्त में सही करना। आप इसे अभी सही करना क्यों चाहते हैं?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : बात यह है कि मेरे मित्र ने गलत वक्तव्य दिया है उन्होंने आपत्ति की है कि हमारी कोई अधिकारिता नहीं है। समवर्ती अधिकारिता है। यह संशोधन इस कारण नहीं लाया गया.....*(व्यवधान)* यह गलत है।

श्री के.एस.राव : मेरी राय है कि मूल्य नियत करते समय भी वितरण या राजसहायता पर समाज के वंचित वर्गों को देने पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाए उत्पादन लागत कम पर ध्यान केन्द्रित कर सकते थे, उदाहरणार्थ जब विद्युत क्षेत्र में निजीकरण की अनुमति दी गई थी तो किसी अधिकारी या सरकार के पास कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी कि निजीकरण सही तरीके से किस प्रकार किया जाए। यदि कोई इसके बारे में सोचता है तो दयनीय स्थिति सामने आती है। निजीकरण के आंरभिक चरण में अनेक कपंनियों ने प्रति मेगावाट उच्च लागत पर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का लाभ उठाया है।

उन दिनों जैसा वे चाहते थे वैसा होता था। यदि कोई उद्योगपति 5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की लागत पर विद्युत परियोजना स्थापित करने की सोचता तो सरकार उसे अनुमति दे देती थी। यदि कोई दूसरा उद्योगपति साढ़े चार करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की लागत पर विद्युत परियोजना स्थापित करना चाहता तो उसे भी अनुमति दी जाती थी और यदि कोई अन्य उद्योगपति 4 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की लागत से विद्युत परियोजना स्थापित करना चाहता था तो उसे भी अनुमति दी जाती थी। अब दो-तीन साल बाद वे ऐसी अवस्था में आ गए है जहां पर वे तीन करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की लागत पर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए तैयार हैं।

मंत्री ने अधिनियम या शासन व्यवस्था में खामी का लाभ उठाते हुए इसके किए गए शोषण के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। इसलिए यदि वे कहते कि वे इस विसंगति और वैयक्तिक या बहुराष्ट्रीय विद्युत कंपनियों द्वारा शोषण कम करने के बारे में कहते हैं तो हम अति प्रसन्न होते और उनका फूलमालाओं से स्वागत करते। उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया। किसी को, किसी भी वर्ग की कोई राजसहायता नहीं दी जानी चाहिए।

देश में सर्वत्र बिजली की दरों में एकरूपता नहीं हो सकती है। विद्युत उत्पादन की लागत स्थान-स्थान पर भिन्न होती है। बिहार जैसे विशेष राज्य में जहां पर कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। स्रोत में कम लागत पर विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, विभिन्न अन्य पहलुओं के संबंध में बिहार सरकार के पास विकास

सुविधाएं नहीं हैं। वह राज्य में किसानों को बहुत कम दर पर विद्युत आपूर्ति करना चाहती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरे राज्यों में जहां कोयला उपलब्ध नहीं है यदि वे विद्युत उत्पादन करना चाहें तो इसकी लागत अधिक होगी। यदि विद्युत आपूर्ति उच्च लागत पर की जाती है तो परिवहन लागत और अन्य कारणों से अधिक होगी। इसलिए संपूर्ण देश में बिजली की दरें एक समान नहीं हो सकती है। यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। महराष्ट्र और गुजरात आर्थिक दृष्टि से विकसित और अग्रणी राज्य हैं। उनके लिए यह आसान है। वहां पर निवेश करने और कम लागत पर विद्युत उत्पादन करने में लोगों में प्रतियोगिता हो सकती है। हम विकसित और अल्पविकसित राज्य में तुलना नहीं कर सकते है। इसलिए क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना होगा।

देश में उत्पादित विभिन्न वस्तुओं के मूल्य भी उसी सिद्धांत पर नियत किए जाने चाहिए जिस सिद्धान्त पर विद्युत दरें नियत की गई। पहले एक सत्र में जब श्री देवीलाल उपप्रधानमंत्री थे मैंने उनसे पूछा कि क्या वे कृषि उत्पादों का मूल्य भी उसी प्रकार नियत करने जा रहे हैं जिस प्रकार उन्होंने औद्योगिक माल के मूल्य नियत किए हैं? उन्होंने मुझ से पूछा, ''क्यों?'' यदि कोई पूंजीपति टायर निर्माण या यहां तक विद्युत उत्पादन के लिए अपना धन निवेश करता है तो वह किसी विशेष उत्पाद के मूल्य नियतन में विद्युत, निवेश, ब्याज जो वह निवेश कर देगा, को ध्यान में रखेगा। वे मूल्यग्रहण का भुगतान भी करेंगे। यदि विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी का स्वामी या भागीदार उनके कार्मिकों की सेवाएं लेता है और उन सेवाओं के लिए भुगतान करता है, जो एक बड़ी राशि हो सकती है, तो इन सब बातों को भी जोड़ा जाएगा, फिर उनके आदान लाभ, ये सारी बातें भी मूल्य में जोड़ी जाएंगी। तब मैंने उपप्रधानमंत्री से पूछा, ''यदि किसी किसान के पास एक एकड़ भूमि हो जिसकी कीमत एक लाख है। क्या वह अपने उत्पादों के मूल्य नियतन में भूमि की लागत पर ब्याज को भी जोड़ेगा? किसान सुबह से शाम तक काम करता है। न केवल स्वयं अपितु उसकी पत्नी और बच्चे भी सुबह छह बजे से रात दस बजे तक काम करते हैं। क्या आप उनके द्वारा दी गई सेवाओं को आदान के रूप में शामिल करेंगे? लाभ को छोड़िए। केवल आदान और पूंजी को लीजिए। पूंजी भूमि है। तब उन्होंने कहा, ''हाँ।'' किंतु कुछ भी नहीं किया गया। आज भी यदि इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो अभी भी किसानों को उसके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है।

अब यदि माननीय विद्युत मंत्री यकायक कहें कि विद्युत उत्पादन की लागत बहुत ऊंची है, यह कम मूल्य पर किसानों को नहीं दी जा सकती और वे पूरी लागत लेना चाहते है तब किसानों का क्या होगा? क्या वह फसल उगा पाएगा? विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में जहां पर पानी 300 से 500 फीट की गहराई से निकालना पड़ता है, विद्युत उत्पादन के हिसाब से उसे अधिक मूल्य देना पड़ता है। और फिर उसे मोटर या अन्य उपकरणों की लागत पर ब्याज देना पड़ता है और तब उसे बिजली का अपना हिस्सा अवश्य मिलना चाहिए। किंतु कृषि मंत्री कुछ नहीं करते हैं।

इस आधार पर हम कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित नहीं करते। माननीय मंत्री जी मूल्य नियत करना चाहते हैं। क्या बिजली के आधार पर मूल्य निर्धारित करने का कोई औचित्य है। क्या मंत्री महोदय को इस देश के विभिन्न वर्गों के लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में नहीं रखना चाहिए?

आज जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में गांवों में जाते हैं तो 'दलित लोग' हम से पूछते हैं कि हमारी बस्तियों में स्ट्रीट लाइट के लिए पैसा कौन देगा। इसलिए कुछ वंचित वर्गों को उच्च रियायती दरों पर बिजली दी जानी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि राज्य सरकार को उन सब मदों के लिए बजटीय सहायता देने का वचन देना है। यदि पिछले 50 वर्षों के दौरान इन बातों को लागू किया गया होता तो माननीय मंत्री महोदय को यह संशोधन लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने स्वयं कहा है कि 1948 के अधिनियम के अन्तर्गत सभी विद्युत बोर्डों को निवेश के तीन प्रतिशत का लाभ देकर एक मूल्य निर्धारित करना है। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। भारत सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की और भारत सरकार तथा राज्यों में भी अनेक गलत बातें होती रहीं। अब मंत्री महोदय ने एक प्रस्ताव रखा है लेकिन यह प्रस्ताव व्यापक नहीं है उन्होंने विद्युत के अलावा और किसी अन्य बातों पर विचार नहीं किया है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि, केवल विद्युत, विद्युत उत्पादन की लागत और वितरण के अतिरिक्त अन्य बातों पर विचार किए बिना जल्दबाजी न करे। एक व्यापक विधेयक तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब वे जल्दीबाजी न करें। कृपया कुछ समय दीजिए, केवल मुख्यमंत्रियों से ही राय न लीजिए बल्कि विद्युत संबंधी समिति के सदस्यों सहित अनेक सदस्यों की राय लें। उन्हें कहने दीजिए कि वे ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं। उन्हें विस्तार-पूर्वक चर्चा करने दीजिए। यह क्या है? इस विधेयक के प्रभाव क्या होंगे? माननीय मंत्री महोदय को यह नहीं सोच लेना चाहिए कि उन्हें आज ही यह विधेयक पारित करना है जैसा कि उन्होंने पहले सुझाव दिया था। इसे विद्युत संबंधी स्थायी समिति को भेजने दीजिए। इस संबंध में उन लोगों के साथ विस्तृत चर्चा होने दीजिए जिनको इसकी जानकारी है और जो सब पहलुओं को ध्यान में रख सकते हैं। .....*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : कितनी बार?

श्री के.एस.राव : जन हित में चाहे जितनी भी बार हो। हम उन लोगों को नहीं भूल सकते हैं जो इन सुविधाओं से वंचित हैं। हमने कुछ दिनों पहले अनेक कृषकों की मृत्यु के बारे में चर्चा क्यों की थी? उन्होंने आत्महत्या क्यों की?.....*(व्यवधान)* एक कृषक आत्महत्या कैसे करेगा? वह केवल निराशाजनक स्थिति में ही आत्महत्या करेगा। अब माननीय मंत्री महोदय इस विधेयक को पारित करना चाहते हैं और कल से 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से शुल्क प्राप्त करना चाहते हैं। उनका यह कहना है कि यह छूट भी केवल तीन वर्ष के लिए ही दी जा सकती है। यह ठीक है। देश की स्थिति पूर्णतः बदल जाएगी और तीन वर्ष के बाद प्रत्येक कृषक धनी हो जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से यह उल्लेख किया है कि इस छूट में कमी 50 प्रतिशत से अधिक नहीं की जा सकती है और वह भी केवल तीन वर्ष के लिए इससे अधिक नहीं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : उसे समाप्त कर दिया गया है .....*(व्यवधान)*

श्री के.एस.राव : निसंदेह मैं इस बात को मानता हूँ कि माननीय मंत्री जी को इस विधेयक को पारित करने की जल्दी है। .....*(व्यवधान)* बहुराष्ट्रीय कम्पनियां विद्युत उत्पादन में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए आगे नहीं आ रही हैं। हम भारत सरकार के इरादों के बारे में स्पष्ट नहीं है और न ही इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में स्पष्ट हैं कि क्या लाल फीताशाही कायम रहेगी, क्या सरकार सहायता देगी, जैसा कि वह जनता के सामने कह रही है। क्या सरकार इस संबंध में विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है ताकि यह साबित कर सकें कि उनके इरादे स्पष्ट हैं और वे लाभ कमा सकते हैं ? माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखकर इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सही है लेकिन वे कृषकों तथा समाज के इन साधनों से वंचित वर्गों के हितों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं।

महोदय, मैंने विधेयक की विभिन्न धाराओं को पढ़ा है। खंड ६ (१) में कहा गया है कि सभापति तथा सदस्यों का कार्यकाल ...ा। अब, उन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया है। वे अपनी ...भापति नियुक्त करते हैं। कल यदि सरकार बदल जाती ह ता सभापति वही व्यक्ति बना रहेगा। तब, क्या होगा ? उस स्थिति के सरकार को क्या करना चाहिए ? अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसी भी सभापति के लिए पांच वर्ष का कार्यकाल बहुत अधिक है। यह कोई नीति नहीं है। सरकार द्वारा नीति का निर्णय यहां लिया जाता है। उनका कार्य केवल उसे कार्यान्वित करना होता है। जबकि उस व्यक्ति को चुनने के कुछ तरीके है फिर भी यह सब जानते हुए कि किस तरह से समाज अथवा सरकार में घटनाक्रम में बदलाव आते रहते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि उसमें परिवर्तन अवश्य हो।

उन्होंने आज एक संशोधन किया है और सबसे पहले जो शब्द उन्होंने बदला है वह है कि राज्य सरकारें यदि 'चाहें' न कि 'अवश्य'। इसका अर्थ है एक बार फिर वह यह नहीं चाहते कि राज्य सरकारें आयोग गठित करे। सरकार द्वारा राज्य की शक्तियों को पूर्णतः छीना जा रहा है। तो संघवाद कहां रहा है ? विधेयक का उद्देश्य जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, कहना है कि ऐसा 'स्वामित्व प्राप्त करने अथवा नियंत्रित' उत्पादन करने वाली कम्पनियों का शुल्क नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक मुद्दा भारत सरकार के अन्तर्गत है। यह न केवल स्वामित्व प्राप्त करना ही है, यह नियंत्रित भी है। कोई भी राज्य सरकार, जो कि परियोजना आरंभ करना चाहती है, उसे किसी न किसी तरीके से भारत सरकार से अनुमति अवश्य लेनी होगी। इसका अर्थ है कि यह किसी न किसी तरीके से भारत सरकार द्वारा ही नियंत्रित होगा। इसे भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही आना होगा। कोई भी राज्य सरकार अपनी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। इसका अर्थ है कि केन्द्र सरकार एक बार विद्युत के मसले पर विचार-विमर्श करेगी। राज्य सरकारों का महत्व भारत सरकार के समक्ष गौण हो जाएगा। उसी तरह उपरोक्त खंड में ही यह कहा गया है। ''स्वामित्व प्राप्त तथा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित कम्पनियों के अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन करने वाली कम्पनियों का भी शुल्क नियमित करने के लिए।'' इसका अर्थ है कि वह यह चाहते हैं कि पूरे अधिकार भारत सरकार के विद्युत मंत्री के हाथों में सीमित हो जाएं। हम हमेशा बिहार, बंगाल इत्यादि की बात करते रहते हैं। प्रत्येक इस बात के लिए लड़ रहा है कि हमें शासन की संघीय पद्धति चाहिए ताकि राज्य सरकारों के अधिकारों को कोई अतिक्रमण न कर सके। लेकिन यहां पूर्ण अतिक्रमण हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इन मुद्दों पर कुछ और संशोधन करने पर विचार करें और जल्दी न करें। संशोधन करने के बाद हम विधेयक पारित कर सकते हैं।

माननीय मंत्री महोदय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर संशोधन प्रस्तुत किया है, जो खंड 29 है जिसका उद्देश्य सदस्यों को संतुष्ट करना है। वे कुछ ऐसी बातों को निकाल रहे हैं जिससे वह मूल सिद्धांत तथा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा जिसके लिए उन्होंने उस विधान को प्रस्तुत किया है और उसके पारित करवाने की जल्दी में हैं।

महोदय, अनेक अन्य बातें हैं जिन पर यहां चर्चा की जा सकती है लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं कि समय की मजबूरी है इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आज ही विधेयक को पारित करवाने की जल्दी न करें और एक विस्तृत चर्चा के लिए अवसर दें, राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण न करें और आम व्यक्ति को उस सुविधा से वंचित न करे जो पहले उसके पास थी।

***श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या** (तुमकुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं कन्नड़ में बोल रहा हूँ। यह दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण भाषा है। किसी भी देश की प्रगति में विद्युत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है विशेषकर औद्योगिक तथा कृषि के क्षेत्र में। विद्युत की सहायता से कृषि के क्षेत्र में अद्भुत परिणाम प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विद्युत उत्पादन में वृद्धि की बहुत आवश्यकता है। कृषकों को विद्युत का वितरण भी क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। दुर्भाग्यवश, विद्युत की कमी है और कृषकों को पर्याप्त विद्युत नहीं मिल रही है। कर्नाटक राज्य में विद्युत की कमी के कारण प्रत्येक माह तथा प्रत्येक वर्ष बहुत हानि हो रही है। वहां पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं और इससे विशेष रूप से कृषकों को विद्युत के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कई बार बिजली के खम्भे दिए जाते हैं लेकिन कृषकों को बिजली की तारों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार उन्हें दो से तीन वर्ष तक के लिए इन्तज़ार करना पड़ता है। उन्हें अन्य उपकरणों के लिए भी इन्तज़ार करना पड़ता है। विद्युत की वितरण प्रणाली अनियमित होने के कारण कृषि क्षेत्र में काफी नुकसान हो रहा है।

कर्नाटक में, जब स्वर्गीय श्री आर. गुंडु राव मुख्यमंत्री थे तो कृषकों को विद्युत की आपूर्ति खुलेतौर पर की जाती थी। भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री एस. बंगारप्पा ने भी कृषकों को मुफ्त बिजली सप्लाई कर उनकी काफी सहायता की। भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों की इन कोशिशों के बावजूद कर्नाटक के कृषकों को इतना लाभ नहीं मिला क्योंकि

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण में अंग्रेजी अनुवाद हिन्दी रूपांतर।

विद्युत की आपूर्ति नियमित नहीं थी। प्रतिदिन बिजली की आपूर्ति में दो से तीन घंटे के लिए रूकावट आती थी। उससे कृषकों को उनकी फसलें प्राप्त नहीं हो सकी और वर्ष दर वर्ष नुकसान बढ़ता गया। ऐसी परिस्थितियाँ कृषकों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है और वास्तव में इन दिनों आत्महत्या करने वाले कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक ओर उन्हें समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है और दूसरी ओर वह ऋण की किश्त अदा करने में समर्थ नहीं है। बैंक और सहकारी समितियां भी ऋण की वसूली के लिए कृषकों को परेशान करती हैं। वह सम्मानपूर्वक जीवन यापन नहीं कर सकता और अन्ततः वो आत्महत्या करने का निर्णय ले लेता है। मैं महसूस करता हूँ कि भविष्य में ऐसी मौतों की संख्या बढ़ सकती है।

कर्नाटक में विशेषकर, तुमकुर, चित्रदुर्ग, कोलार, बंगलौर देहात, गुलबर्गा, बिदर और रायचूर जिलों में वर्षा कम होती है। मेरे राज्य के किसान हमेशा से वर्षा पर आधारित रहे हैं। इसके अलावा वहां पर बिजली की उचित आपूर्ति भी नहीं होती है। वहां पर्याप्त वोल्टेज उपलब्ध नहीं है। एक दिन में दो से तीन घंटों के लिए बिजली की आपूर्ति बन्द कर दी जाती है। कभी-कभी मोटर जल जाती हैं। किसान को मोटर को बनवाने के लिए 300 से 400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यह हमारे देश, विशेषकर कर्नाटक राज्य के किसान की दयनीय स्थिति है।

राज्य बिजली बोर्ड उद्योगों और कृषि को और अधिक बिजली की आपूर्ति करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। धन की कमी के कारण वे पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। यदि मैं राज्य बोर्ड के सम्बन्धित अधिकारियों तथा प्रशासकों की नेकनीयती पर प्रश्न चिह्न लगाऊं, तो इससे उन्हें कष्ट होगा। राज्य विद्युत बोर्ड नए विद्युत स्टेशन खोलना चाहते हैं। वे हरिजन बस्तियों को और ज्यादा बिजली प्रदान करना चाहते हैं। इन सब कार्यों को करने के लिए कहा है ? किसानों को मात्र दो से तीन इंच पानी की आपूर्ति उपलब्ध है। उसे 5 से 8 एकड़ भूमि के लिए पानी हेतु वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक किसान इन परिस्थितियों में कैसे प्रगति कर सकता है।

अब हम शुल्क निर्धारित करना चाहते हैं। इस विधेयक का आशय केन्द्र और राज्य स्तर पर आयोगों का गठन करना है। आज कल निजी क्षेत्र बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आगे आ रहा है। उन्हें भूमि और अन्य सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। विद्युत उत्पादन केन्द्र के आस-पास के पर्यावरण और पारिस्थितिकी संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो इन परियोजनाओं पर शीघ्रता से अविलंब निर्णय लिया जाना चाहिए। वास्तव में हम सब चाहते हैं कि ऐसी योजनाओं को तुरंत स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। मैं पिछले 25 वर्षों से विपक्ष में हूँ। वास्तव में मैं इस समय में सत्तारूढ़ पार्टी में हूँ। मैं दोनों सरकारों के कार्य निष्पादन की तुलना कर सकता हूँ। मेरा कार्य निष्पादन का आकलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हमारे कार्य निष्पादन को सुधारने की महती आवश्यकता है।

सरकारें थोड़े-थोड़े समय के बदल रही हैं। परन्तु हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या इस कार्यों से संबंधित अधिकारियों और प्रशासकों के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन आया है।

अब श्री कुमारमंगलम ने विद्युत मंत्री के रूप में कार्य भार संभाला है। मैं उनसें कई अवसरों पर मिला हूँ। मैंने कर्नाटक के लिए विद्युत हेतु अनुरोध किया है क्योंकि वहां बिजली की भारी कमी है। वे हमारे राज्य का कई बार दौरा कर चुके हैं। वे हमारे अत्यधिक करीबी है क्योंकि वे होसुर से हैं और वे हमारे राज्य की विद्युत समस्या से पूरी तरह अवगत है। माननीय मंत्री महोदय ने विद्युत विनियामक आयोग विधेयक, 1998 प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का आशय एक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन करना है। यह कुशल और पर्यावरण हितकर नीतियों का समर्थन भी होगा। इसका आशय शुल्क (टैरिफ) को तर्क संगत बनाना है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि इससे किसानों को सहायता मिलेगी। मेरे विचार से किसानों को निशुल्क बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिए। विधेयक के अनुसार केन्द्र सरकार टैरिफ का निर्धारण करेगी और किसानों को 50 प्रतिशत का भुगतान करना आवश्यक होगा। यह किसानों को लिए अत्यंत कठिन होगा। आदानों की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किसान दिन भर खेत में पसीना बहाकर अन्न का उत्पादन करते हैं। वे सब्जियों, फलों, दूध इत्यादि की आपूर्ति करते हैं। आप सभी स्तरों पर कृषक की सेवाओं को उपयोग में ला रहे हैं परंतु किसान के प्रति सरकार का रुख क्या है ? उसका पूरी तरह शोषण किया जा रहा है। हम सोचते हैं कि हम हमारे पिछले जन्म के पापों के कारण किसानों के घर में पैदा हुए हैं।

किसान की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। किसान एक कार को तभी खरीद सकता या एक घर को तभी बना सकता है। जब वह कोई एजेंसी ले या कोई अन्य व्यवसाय करे। कुछ मामलों को छोड़कर वह एक कार या अच्छे बने मकान की कल्पना भी नहीं कर सकता। अपनी अन्तिम सांस तक किसान कर्जदार बना रहता है और यह 100 प्रतिशत सही है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। यदि देश में कृषि को आगे बढ़ाना है, तो हमारे समाज के सभी वर्गों द्वारा किसानों का समर्थन किया जाना चाहिए। कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य एक आवश्यकता है। कृषक को बिजली निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी चाहिए। किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और केवल तभी हमारे देश में किसी प्रगति के बारे में सोच सकते हैं।

मैं पिछले 25 वर्षों से विधायक हूँ। मैंने एक खेतिहर मजदूर के रूप में कार्य किया हूँ और अपने खेतों में काम करता रहूंगा। मैं औपचारिकताओं की परवाह नहीं करता हूँ। इन दिनों मजदूर मिलना बहुत ही कठिन हो गया है। हमारे खेतों में इस प्रकार की परिस्थितियां व्याप्त हैं। हमें कृषकों की दशा पर सहानुभूतिपूर्वक और मानवीय संवेदनापूर्ण ढंग से विचार करना चाहिए। वे कड़ी मेहनत करते हैं और ''कार्य ही पूजा है'' की भावना में विश्वास करते हैं। वे गणना करना नहीं जानते है। वे केवल काम पर ही ध्यान देते हैं।

वित्तीय रूप से एक पान-बीड़ी की दुकान वाला या सिगरेट माचिस बेचने वाला इत्यादि किसान से बेहतर वित्तीय स्थित में होते

[श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या]

हैं। दुर्भाग्यवश किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय है। मैं माननीय मंत्री जी से हमारे किसानों की सहायता करने के लिए अनुरोध करता हूँ, जो सारे देश को भोजन प्रदान करते है और साथ ही वह हमें खाद्यान्न और कपास, सिल्क इत्यादि वस्तु नियत करने में समर्थ बनाता है। उसे कृषक होने के कारण पछताना नहीं चाहिए। हमारे देश में सरकार का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी 100 एकड़ भूमि वाले किसान से ज्यादा खुश रहता है। सरकारी दफ्तर के एक परिचारक या एक द्वितीय श्रेणी के क्लर्क को भी लगभग 5,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। उन्हें कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे आवास चिकित्सा इत्यादि। सरकारी कर्मचारी खुशी से जीवन यापन करते है, परन्तु किसी भी किसान को 2,000 प्रति माह से ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। इस प्रतिष्ठित सभा में कई ऐसे राजनीतिक नेता है जो किसानों की समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं। इन राजनेता ने अपने जीवन में इन समयाओं का सामना किया है और यह अच्छी बात है। मैं 10वीं लोक सभा का सदस्य था और मेरे कई साथी वास्तव में किसान थे। वे देश में किसान की मूल समस्याओं को बता रहे हैं।

[illegible] के समय में कोई भी अपनी लड़की का विवाह एक [illegible]ेगा। यहां तक कि डाक व तार विभाग के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी अपने विवाह के लिए आसानी से वधू खोज सकते हैं। उसे दहेज भी मिल जाएगा। हमारे समाज का किसान के प्रति दृष्टिकोण बदलने की अत्यंत आवश्यकता है। उसे इस प्रकार को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। पिछले वर्षों से मिल रही राज सहायता उसे भविष्य में भी मिलती रहनी चाहिए। यदि किसान गेहूं, धान, सब्जियों, फलो, दूध इत्यादि का उत्पादन नहीं करेंगे तब आप क्या करेंगें। इसीलिए किसानों का शोषण कभी नहीं किया जाना चाहिए। हमारे देश का भविष्य किसानों पर निर्भर है। इसीलिए, हमारी सरकार को किसानों के कल्याण को प्रमुखता देनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह विधेयक किसानों के हितों की रक्षा में प्रमुख भूमिका निभायेगा।

एक बार फिर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और सभापति महोदय को इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

अपराह्न 6.00 बजे

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : सभापति महोदय, मैं विधेयक के गुणदोषों पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे कई मित्रों को अपने विचार व्यक्त करने हैं।

मैं माननीय मंत्री के पिताजी को जानता हूँ। वे देश के महान अधिवक्ता और प्रखर बुद्धि के वकील थे। मैं अपने मित्र को सांसद के रूप में जानता हूँ। परन्तु में उन्हें एक वकील के रूप में नहीं जानता। मैं उनके ध्यान में कुछ उपबन्धों को लाना चाहता हूँ जो दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारूपण में लापरवाही हुई है या कुछ ऐसी बातों पर विचार नहीं किया गया जिन पर विचार किया जाना चाहिए था। पृष्ठ 3 के खण्ड 4 (2) में कहा गया है "उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त कर सकेगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है।"

इस प्रकार, किसी व्यक्ति को, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हूँ और सेवानिवृत्त हो चुका है, को भी खण्ड 4 (2) के अधीन नियुक्त किया जा सकता है। परन्तु यदि खण्ड 6 परन्तुक (1) को देखें जिसमें उल्लिखित है :

"परन्तु अध्यक्ष या कोई सदस्य पद धारण नहीं करेगा यदि उसने

(क) अध्यक्ष की दशा में, 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।"

मैं समझता था कि मेरे मित्र एक अच्छे वकील हैं। मैं जानता हूँ कि उनकी पत्नी उनसे बेहतर वकील है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है और यदि आप खण्ड 4 (2) के अधीन, एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं, जो न्यायाधीश रह चुका है, तो इसका अर्थ हुआ कि उसकी नियुक्ति 65 वर्ष की आयु के पश्चात् होगी। परन्तु 6(1) में यह उल्लिखित है कि 65 वर्ष की अधिक आयु वाले व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसी बात है जिस पर आपको विचार करना है। किसी भी तरह आपको इसे संशोधित करना पड़ेगा।

अपराह्न 06.03 बजे

[श्री के. येरननायडू पीठासीन हुए]

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या : यदि 65 वर्ष की आयु से पूर्व किसी व्यक्ति को पद से हटाया जाता है, तो उसकी नियुक्ति की जा सकेगी।

श्री पी. शिवशंकर : किंतु यहां जो शब्द हैं, वे हैं : "जो हो रहा है"। इसलिए जो व्यक्ति 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, उसे कैसे नियुक्त किया जा सकता है?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, यह सत्य है कि विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय यह बात मेरे ध्यान में आई थी। मूलतः आयु सीमा 67 और 65 वर्ष थी, फिर सामूहिक रूप से यह महसूस किया गया था कि आयु सीमा बढ़ाते रहने की आदत या जैसे अनेक आयोगों के मामले में कोई आयु सीमा न रखने से अच्छा है अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की जाए। आमतौर पर यह 65 वर्ष या 62 वर्ष माना गया, मैं मानता हू कि यह एक मुद्दा रहा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक न्यायाधीश सामान्यतः 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाता है। किंतु ऐसे भी मामले हैं जहां आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेते हैं। इसलिए, इस बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है।

श्री पी. शिवशंकर : किंतु सामान्यतः एक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : यह साधारण न्यायालयों के संबंध में है। विशेष न्यायालयों के संबंध में ऐसा नहीं है।

श्री पी. शिवशंकर : कैसे ?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : आप एक मामले के बारे में जानते हैं।

श्री पी. शिवशंकर : यह त्यागपत्र देने का केवल एक उदाहरण है और बस यही है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मेरे विचार से आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ।

श्री पी. शिवशंकर : कृपया इस पर गौर करें। यह खराब प्रारूपण है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैंने गौर किया है जो आप कह रहे हैं उसके अनुसार यह खराब प्रारूपण नहीं है किंतु खराब दृष्टि है।

श्री वैको (शिवकाशी) : जो कुछ भी है इसे ठीक करना होगा।

श्री के. वापीराजू (नरसापुर) : आप ऐसे व्यक्ति का स्वागत करना चाहते हैं जो न्यायाधीश के रूप में 65 वर्ष तक सेवा नहीं कर सका। ऐसे व्यक्ति का स्वागत करने की क्या आवश्यकता है जो 65 वर्ष तक सेवा न कर सका हो ?

श्री पी. शिवशंकर : सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि लगता है कि मंत्री महोदय झूठी प्रतिष्ठा के बूते पर खड़े हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे विचार से यदि उन्हें सद्‌बुद्धि आए, तो उस पर विचार करेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि उनके पिताजी होते, तो उन्होंने इसमें तत्काल संशोधन कर देना था। मैं उन्हें निकटता से जानता था। अनेक मामलों में मुझे उनकी सहायता करने का अवसर मिला था, इसीलिए मैं जानता हूँ कि वे कैसे व्यक्ति थे।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने आपको 'नहीं' कहा था।

श्री पी. शिवशंकर : आपने मेरी कभी सहायता नहीं की। मुझे इस बात पर गर्व है कि आपने मेरी कभी सहायता नहीं की क्योंकि यदि आप इस प्रकार की गलतियां करते, तो मुझे विश्वास है मैं भी ऐसी ही गलतियां कर देता।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : ये लांछन ठीक नहीं है। श्री शिवशंकर जी मुझे खेद है कि ये लांछन ठीक नहीं है। आप दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुनते और उसके बारे में निर्णय दे देते हैं। मैं नहीं जानता आपने न्यायपीठ में क्या किया होगा।

श्री पी. शिवशंकर : कुछ भी हो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसे यहीं पर समाप्त करता हूँ।

दूसरा पहलू खंड 17 (1) के संबंध में है। इस खंड में 'करेगी' के स्थान पर 'कर सकेगी' शब्द लाए गए हैं। मैं उनके ध्यान में मात्र यह बात लाना चाहता हूँ कि न्यायालय ये शब्द किस संदर्भ में आए है उसके अनुसार अक्सर ''कर सकेगी'' की व्याख्या 'करेगी' और 'करेगी' की व्याख्या 'कर सकेगी' के रूप में करते हैं। मैं संविधि या उस सब की व्याख्या के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। किंतु न्यायालय उस तरह से व्याख्या करते हैं। एक बार आप कहते हैं कि ''राज्य सरकार इस विधेयक के आरंभ होने के तीन माह के भीतर एक आयोग की स्थापना करेगी. . . .।'' यह संभव है, मैं विस्तार में नहीं गया हूँ।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : संशोधन इससे भिन्न है।

श्री पी. शिवशंकर : यह संभव है कि समय के देखते हुए वे 'कर सकेगी' की व्याख्या 'करेगी' के रूप में करें। मेरे विचार से आपने विकल्प रखा है किंतु राज्यों के लिए कोई विकल्प नहीं है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : वस्तुतः संशोधन इससे भिन्न है। कृपया संशोधन देखिए।

श्री पी. शिवशंकर : एक अन्य पहलू जिसके बारे में मैंने सोचा है कि मुझे उसे उनके ध्यान में लाना चाहिए वह उद्देश्यों और कारणों का कथन है। इसमें जो कुछ कहा गया है वह लाए गए संशोधन के विरुद्ध है। जो संशोधन लाया गया है इसका आवश्यक रूप से उद्देश्यों और कारणों पर प्रभाव पड़ेगा और उस संबंध में भी समुचित संशोधन करने होंगे।

मेरे विचार से इन सब बातों को उनके ध्यान में लाया जाना चाहिए। अन्यथा वास्तविकता यह है जब मेरे अन्य मित्र बोल रहे होंगे मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा।

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : सभापित महोदय माननीय मंत्री जी एक ऐसा विधेयक सभा के समक्ष लाए हैं जिसका स्वरूप निर्दयी है और जिसमें राज्य सरकारों के अधिकारों पर अध्यारोही शक्तियों का प्रभाव है। खंड 22 (3) में कहा गया है :

> ''राज्य आयोग अपने कृत्यों का निर्वहन राष्ट्रीय विद्युत योजना अनुरूप करेगा।''

यह राज्य सरकारों को धमकी देने की तरह है कि मानों केन्द्र सरकार स्वामी है और राज्य सरकारें उसके सेवक हैं। माननीय मंत्री महोदय का दृष्टिकोण निरंकुश है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार पर अध्यारोही शक्तियां प्राप्त नहीं है।

साथ ही माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा है, ''कि यह हवा नहीं है जो मुफ्त दी जाए। यह पानी नहीं है जो मुफ्त दिया जाए।'' महोदय, यदि मंत्री महोदय का यह रवैया है तो किसान धान का उत्पादन कर रहा है उसकी उत्पादन लागत क्या है ? बीज, खाद और श्रम की लागत क्या है ? इस प्रकार धान का उत्पादन भी किसानों द्वारा किया जाता है। हमारी सरकार किसानों को शत-प्रतिशत सब्सिडी का लाभ देती है।

[श्री टी. आर. बालू]

1971 के बाद 7 लाख से अधिक पम्प सेट स्थापित किये गये है और किसानों को निःशुल्क बिजली दी गई है। उन्हें शत-प्रतिशत राजसहायता दी जाती है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों से बिजली के पैसे लिए जाएं तो क्या होगा। सामान्य पूल में केन्द्र सरकार धान की खरीद करती है, यदि सरकार बिजली पर राज सहायता समाप्त करती है, तो किसानों को धान की लागत में बिजली की लागत भी देनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं है ? औद्योगिक उत्पादों की लागत में श्रम, बिजली और सब कुछ जोड़ा जाता है और साथ ही कृषि उपज को भी बिजली के प्रभार को लेना होगा। यदि राजसहायता न हो, तो स्वाभाविक रूप से किसान उस लागत की अपेक्षा करेंगे जो उसने बिजली, श्रम, बीज आदि चीजों की दी है। उसी तरह एक प्रकार से केन्द्रीय सरकार को किसी न किसी रूप मे भुगतान करना ही पड़ेगा। वर्तमान विद्युत मंत्री ने सभा के समक्ष विधेयक में संशोधन या विधेयक लाने में शीघ्रता दिखाई। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में क्या हो रहा है ? विद्युत भार कारक क्या है। आप उस विद्युत कारक के बारे में जानते हैं जिसमें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम काम कर रही है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : यह आपके राज्य से बेहतर है।

आर. **बालू** : यह मेरे राज्य से बेहतर नहीं है। मैं चुनौता दता हूँ, क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।. .....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : यह अन्य राज्यों से बेहतर है. .....*(व्यवधान)* यदि आप अनुमति दें, माननीय सदस्य मुझे चुनौती दे रहे हैं।

श्री टी.आर. बालू : मैं तथ्यों के बारे में माननीय मंत्री को चुनौती देता हूँ।

महोदय, माननीय मंत्री द्वारा यथा प्रस्तुत खंड 29 (3) में कहा गया है कि किसी भी उपभोक्ता को उत्पादन लागत के 50 प्रतिशत से कम प्रभार लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी भी राजसहायता की प्रतिपूर्ति राज्य बिजली बोर्डों को की जानी चाहिए और यह तीन वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी।

दूसरा, अब इसके स्थान पर संशोधन लाया गया है। माननीय मंत्री ने कहा है कि राज्य आयोग इस अधिनियम के अधीन टैरिफ का निर्धारण करते समय विद्युत के किसी उपभोक्ता की अनुचित अधिमान नहीं देगा किंतु किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उपभोक्ता के प्रभार विद्युत ऊर्जा के कुल उपभोग के आधार पर विभेद कर सकेगा।

इस बात पर मैं सहमत हूँ। आपने प्रति राज सहायता की अनुमति दी है। क्या मैं फिर कह सकता हूँ कि आपने प्रति राज सहायता की अनुमति दी है ? उस स्थिति में मैं जानना चाहता हूँ कि विद्युत उत्पादन और कुल प्रति राज सहायता का निर्धारण आयोग करेगा या उत्पादक।

अनेक निजी उत्पादक विद्युत क्षेत्र में आए हैं। केवल सरकार और राज्य बिजली बोर्ड ही विद्युत उत्पादन नहीं कर रहे हैं। उनके स्वतंत्र विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई है। वे निश्चित तौर पर बिजली बोर्डों के वर्तमान शुल्क से अधिक की मांग करेंगे। उस स्थिति में सरकार क्या करेगी ? मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ।

एक बात और है। खंड 29, उपखंड (4) में, जोकि एक नया खंड है, वे कहते हैं :

"प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी और ऐसे अन्य व्यक्ति जिनके अंतगर्त राज्य में थोक, प्रपुंज या फुटकर में विद्युत का पारेषण, विक्रय, वितरण या प्रदाय करने के लिए बोर्ड या उसका प्राधिकृत उत्तराधिकारी निकाय भी है, उन प्रभारों से जिन्हें वसूल करने के लिए वह अनुज्ञात है, प्रत्याशित राजस्व की संगणना करने में और उन राजस्वों को वसूल करने के लिए टैरिफ का निर्धारण करने में समय-समय पर राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट वर्गीकरण और प्रक्रिया का पालन करेगा।

उपखण्ड (5) में कहा गया है :

"यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन राज्य आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ में कोई सहायिकी प्रदान करने की अपेक्षा करती है तो राज्य सरकार सहायिकी अनुदत्त करने से प्रभावित व्यक्ति को ऐसी रीति से प्रतिकर की रकम का संदाय करेगी जैसा राज्य आयोग अनुज्ञप्तधारी या राज्य सरकार द्वारा उपबंधित सहायिकी को कार्यन्वित करने के लिए संबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के लिए शर्त के रूप में निदेश दें।

उस स्थिति में, राज्य आयोग को केन्द्र सरकार के आयोग द्वारा केन्द्र सरकार को दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करना होगा। क्या यह सच है या नहीं ? खंड 22 उप खंड (3) का अध्ययन कीजिए जिसमें सरकार ने राज्य विद्युत आयोग को प्रस्तावित केन्द्रीय विद्युत आयोग के निर्देशों तथा इच्छाओं के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया है। क्या यह सच नहीं है ? मंत्री जी क्या आप मुझसे सहमत है या असहमत हैं। मैं आपसे खड़े होकर यह बताने का अनुरोध करता हूँ कि आप मुझसे सहमत हैं या नहीं। मैं आपको मौका देता हूँ।.....*(व्यवधान)*

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : चूंकि, उन्होंने मुझसे स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है, अतः मैं हस्तक्षेप करना चाहूंगा।

सभापति महोदय : प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत देने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई सही तरीका नहीं है। आप इसे अपने भाषण में बता सकते हैं।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, यह किसान विरोधी है। यह गरीब विरोधी है और प्रजातंत्र विरोधी है। यह राज्य की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करता है। इसलिए मैं सेलम जिले, मैं मंत्री महोदय, जो सेलम जिले के रहने वाले, जहां तमिलनाडु सरकार ने किसानों के लिए काफी पम्प सेट लगाए हैं, से अनुरोध करता हूँ कि धैर्य

रखें। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इस विधेयक का अध्ययन स्वयं करें न कि अपने अधिकारियों से करवाएं। जैसा कि अभी भी श्री शिव जी ने कहा है कि इस विधेयक में काफी गलतियां हैं। मै उनसे अनुरोध करता हूँ कि इसे स्थायी समिति या चयन समिति को सौंप दें। यह समिति इस विधेयक का खंड वार अध्ययन करके फिर वे इसे सभा में लाए हैं। अन्यथा किसान और कृषक समुदाय निश्चय ही आंदोलन करेंगे क्योंकि इससे उन्हें नुकसान होगा। इस समय मैं यही कह सकता हूँ। इसलिए, मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे या तो इस विधेयक को वापिस ले लें या इसे स्थायी समिति को भेज दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

सभापति महोदय : श्री बी. राधाकृष्णन।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कई नाम हैं। मैं एक-एक करके बुला रहा हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं है।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। यह इसलिए नहीं कि मैं इसके उद्देश्यों के विरुद्ध हूँ बल्कि इसलिए कि जिस ढंग से इसे प्रस्तुत किया गया वह ठीक नहीं है.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय नियत किया गया है। कृपया संक्षेप में कहें। आप कोई नई बातें कह सकते हैं।

.....(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हैं इसके लिए कम से कम चार घंटों की आवश्यकता है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह निर्णय सर्वदलीय बैठक में लिया गया था। यह निर्णय मैंने नहीं लिया था। आपके दल के प्रतिनिधि भी वहां थे।

.....(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन : इस विधेयक को प्रस्तुत करने के तरीके का मैं विरोध करता हूँ। सबसे पहले, यह विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राज्य सरकारों की शक्तियों को कम करता है। दूसरे यह विधेयक जल्दबाजी में तैयार किया गया है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि और साक्ष्य के लिए इस विधेयक को समिति के समक्ष भेजना पड़ेगा।

जैसा कि हम सभी जानते हैं विधि निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशेष स्थिति में किसी सामाजिक आवश्यकता को पूरा किया जाता है।

उस दृष्टि से कोई विधान नहीं है। हम जानते हैं कि अधिनियम, 1948 मूल अधिनियम है। यह टैरिफ, टैरिफ नीति, टैरिफ लगाना इत्यादि-इत्यादि जैसी बातों से संबंधित है। वे सभी मामले अधिनियम, 1948 में दिए गए हैं। इस स्तर पर आपके कानून का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय विनियामक आयोग और राज्य विनियामक आयोगों की स्थापना है। ये संस्थाएं विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से टैरिफ नीति के निर्धारण के लिए गठित की गई है।

उद्देश्य अच्छे हैं। इसके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं कि समवर्ती सूची में होने के कारण यह राज्य तथा केन्द्र दोनों का ही विषय है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि व्यापक कानून बनाने से पहले वे सभी राज्यों से सलाह करें। मैं नहीं कहता कि आपने उनसे सलाह नहीं की है। उन्होंने समिति से सलाह ली है और स्थायी समिति का मत तथा सिफारिशें भी ली हैं। अब वर्तमान स्थायी समिति शेष कार्य को कम समय में कर सकती है। आप इस समिति को काम पूरा करने की अनुमति क्यों नहीं देते? आखिर, कानून को सामान्य प्रक्रिया से गुजरना होगा। परन्तु आप इस कानून को सामान्य प्रक्रिया से नहीं गुजरने देना चाहते। आप यह कानून जल्दबाजी में बनाना चाहते हैं। आप इस कानून में शामिल सभी मुद्दों पर विचार नहीं करना चाहते।

आप मुझे कह रहे हैं कि आप जल्दी में हैं। आप कह रहे हैं कि विद्युत उत्पादन की आवश्यकता के कारण किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया जा सकता। अब परिस्थितियां बदलने के कारण आप कहते हैं कि इस विधेयक को बिना विलम्ब के पारित किया जाना चाहिए। अब आपने इसे बाध्यतामूलक या ऐच्छिक बना दिया है।

पिछली बार जब मैंने विधेयक रखे जाने पर आपत्ति की थी, तो माननीय मंत्री जी ने संशोधन करने का आश्वासन दिया था। अब माननीय मंत्री जी ने संशोधन प्रस्तुत कर दिया है। इस संशोधन के उद्देश्य दोहरे हैं। पहला, यह एक ऐच्छिक मामला बन गया है। दूसरा, मंत्री जी ने टैरिफ नीति के संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं। मंत्री जी ने संशोधन के ये दो उद्देश्य बताए हैं। मैं इस कानून का विरोध करता हूँ क्योंकि यह गलत है क्योंकि यह एक विशेष स्थिति से निबटने के लिये लाया गया है। सत्तारूढ़ दल और आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बीच एक सौदा है। क्या आप इस सत्य से इन्कार कर सकते हैं? आप इस सत्य से इंकार नहीं कर सकते। आप इस संशोधन के साथ विधेयक लाए हैं। यह एक गलत कानून है।.....*(व्यवधान)*

श्री वैको : सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री वारकला राधाकृष्णन जी जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, ने कहा है कि आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम और सरकार के बीच एक सौदा हुआ है। यह वाक्य सही नहीं होना चाहिए क्योंकि यह बिल्कुल सच नहीं है। सबसे पहले, ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ है। जो भी इस प्रावधान से प्रभावित हुआ है चाहे यह आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम हो या अन्य सहयोगी दल - उसने इसका विरोध किया है। सत्ता दल के कई वर्गों के बीच यह विरोध सरकार द्वारा लाए जाने के कारण हुआ है। ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय सदस्य अपना यह विचार बदलेगें कि ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ है।.....*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं इस पर विवाद नहीं करता।. .....*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम) : महोदय, माननीय सदस्य अपना वह शब्द वापिस लें। 'सौदा' शब्द से आपका क्या आशय है।

सभापति महोदय : श्री मुथैया जी, मैं समझता हूँ श्री वैको ने इसका उत्तर दे दिया है।

.....*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं स्थिति स्पष्ट कर सकता हूँ। परिस्थितिजन्य सदस्य ऐसा है कि यह निश्चय ही इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, क्योंकि अखबारों में ऐसी खबर छपी है कि बताया कि इस विधेयक को माननीय मंत्री जी द्वारा ने आल इंडिया अन्ना द्रविड़ कज़गम के नेता की सलाह के बिना यह विधेयक लाया गया आपने शायद इसे पढ़ा नहीं है। .....*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : महोदय, मेरा प्रश्न है कि क्या आप 'सौदा' शब्द को कार्यवाही में शामिल करने की अनुमति देंगे.....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : *श्री मुथैया जी, माननीय मंत्री जी को अपनी* बात कहने दीजिए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, यह इस सभा का सामान्य शिष्टाचार और नियम है कि सभा में उन व्यक्तियों का नाम नहीं लिया जाता जो सदन में उपस्थिति नहीं हैं। मेरे वरिष्ठ साथी जो केरल विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं को शायद यह मालूम नहीं है लेकिन हम इस बारे में काफी नियमनिष्ठ हैं कि उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाना चाहिए जो अपना बचाव करने के लिए सदन में उपस्थित नहीं हों।.....*(व्यवधान)* उन्होंने नाम लिया है. .....*(व्यवधान)*

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया है।

श्री आर. मुथैया महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे नेता के लिए कहा है कि यह संशोधन ए.आई.ए.डी.एम.के. के साथ समझौता करने के कारण पुरःस्थापित किया गया है.....*(व्यवधान)* क्या आप इसकी अनुमति दे रहे हैं?

श्री वसुदेव आचार्य : यह असंसदीय नही है।

श्री आर. मुथैया : यह ठीक नहीं है। महोदय इस पर हम आपका निर्णय चाहते हैं।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया, वैको जी ने आप सब की ओर में इससे इंकार किया है। इसलिए आप कृपया बैठ जाइए।

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय मैं जो निवेदन कर रहा हूँ वह समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर आधारित है जिसे आज तक अस्वीकार नहीं किया गया है। तमिलनाडु में किसानों को सहायता दी गई है और वह सहायता केन्द्रीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा दी गई है। यही मेरी सूचना है।

अब, माननीय सदस्य ने उसी विषय में संबंधित संशोधन प्रस्तुत किया है। इसका दूसरा और तीसरा पैराग्राफ राज सहायता से सम्बन्ध रखता है। उसकी मुख्य दलील यह है कि किसानों को दी जाने वाली सहायता का मानकीकरण नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप मेरे विद्वान मित्र द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को पढ़ते हैं वहां यह स्पष्ट है कि इन सहायता राशियों को बिना किसी अवरोध के जारी रखा जाएगा। ऐसा संशोधन इस समय पर क्यों लाया जा रहा है? इसीलिए मेरा मत है कि यह राजनीतिक संवाद के कारण विधान में संशोधन किया गया है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस परिस्थिति में सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विधान बनाना चाहिए। लेकिन स्थिति क्या है? अब स्थिति यह है कि मांगों को पूरा करने के लिए वह* ..... कि किसानों को दी जाने वाली *सहायता को समाप्त नहीं करना चाहिए। यही वहां की स्थिति है* .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, आपको इस सभा में उनका नाम नहीं लेना चाहिए। वह इस सदन का सदस्य नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही वृतांत में यह नाम हटा रहा हूँ। अब कोई समस्या नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

श्री वैको : आप गुण-दोष के आधार पर इस मामले पर विचार कर रहे हैं। आप इस पर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? .....*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैंने कभी भी किसी को नाराज नहीं किया है। लेकिन मैंनें तो वही कहा जो वहां की परिस्थितियां हैं। एक संशोधन लाया गया है यदि मंत्री जी यह संशोधन नहीं लाते तो मैं इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करता।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया विषय पर आइए।

श्री वैको : इनका कहना है कि उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ यह मामला उठाया है। वह ठीक है। यह उनका विचार है..... *(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : यह तो कई बातों में से एक है। अब मैं अन्य बहुत और महत्वपूर्ण बातों पर आता हूँ। यह तो गौण बात है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि मेरे मित्र ने अपनी आदत के अनुसार हमें जारी रखा.....*(व्यवधान)* मैं उनकी राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक आवश्यकता को समझ सकता हूँ। लेकिन भारत की क्या आवश्यकता है? वह राज्य के

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं। इस अतिक्रमण को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे संशोधन इस विचार के साथ लाए गए हैं ताकि यह इन विशेष प्रक्रियाओं को हटा सके जिसके द्वारा राज्यों पर किया गया अतिक्रमण हटाया जायेगा। मेरा यही मत है। उसी उद्देश्य हेतु ये संशोधन प्रस्तुत किये गए हैं।

अब, इस विधेयक में, जिसे सदन के समक्ष रखा गया है, दो बातें है। एक मुख्य उद्देश्य पहले एक केन्द्रीय आयोग स्थापित करना है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। दूसरा केन्द्रीय आयोग का सभापित उच्चतम न्यायालय का पदेन न्यायाधीश होगा इस पर भी किसी को आपत्ति नहीं है। मेरे मित्र आपने गलत समझा है। उच्चतम न्यायालय का पदेन न्यायाधीश केन्द्रीय आयोग का सभापति होगा। उच्च न्यायालय का पदेन न्यायाधीश राज्य आयोग का सभापति होगा और यह दोनों आयोग शुल्क, नीति का निर्धारण करेंगे। यही इस विधेयक का निष्कर्ष है।

लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया है कि ऐसे विधेयक को लाने की जल्दबाजी क्यों है। सभी अन्य कार्य विद्यमान अधिनियम 1948 के अनुसार आसानी से किये जा सकते थे। इतना ध्यान लगाकर सुनने के पश्चात् भी मैं इस जल्दबाजी को नहीं समझ सका जिसके अनुसार उन्होंने इस विधेयक को बनाया है। आपने इसे स्थायी समिति अथवा लोगों की राय जानने के लिए उनके पास क्यों नहीं भेजा ताकि हमें उन सभी लोगों अर्थात् उपभोक्ताओं के विचार पता चल जाते जिसके लिए यह बनाया गया है उनके विचारों को रिकार्ड किया जाना चाहिए था। आपने इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया है और अनावश्यक जल्दबाजी दिखाई है। आपने जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? उसी को मैने राजनीतिक आवश्यकता का नाम दिया है। अन्यथा मैं इस प्रकार की राय नहीं बनाता। इस मामलें में राजनीतिक आवश्यकता ही अनावश्यक जल्दबाजी के साथ इस विधेयक को बनाने का मुख्य कारण बनी। हम उसमें शामिल नहीं है।

उनकी दलीलें कि विद्युत उत्पादन ही इसकी आवश्यकता है और उसे विद्युत उत्पादन के लिए ही तुरंत उपाय करने पड़े हैं को सुनने के बाद भी हम आश्वस्त नहीं हुए हैं। यदि यह कारण है तो मेरे मित्र ने यह क्यों कहा कि राज्यों के पास चुनने का अधिकार है। उन्हें प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने तक की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया है कि कोई राज्य कोई भी निर्णय ले सकता है। मैं उस प्रस्ताव की सिफारिश करता हूँ। लेकिन आवश्यकता क्या थी। क्या कारण थे जिसके कारण वह इस जल्दबाजी में विधेयक को लाए। उन्होंने आश्वस्त करने वाला उत्तर नहीं दिया है। केन्द्र सरकार ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? अन्य सभी बातें विद्यमान विधेयक के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती थी। राज्य विद्युत बोर्डों को बुलाया जाना चाहिए था ताकि विचार-विमर्श किया जा सकता और आम सहमति बनाई जा सकती थी। यह सब किए बिना ही उन्होंने इस विधेयक को लाने में इतनी जल्दबाजी दिखाई उन्होंने प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने और उस पर चर्चा करने के अधिकार का उल्लंघन करके और राज्यों द्वारा इस विधेयक पर चर्चा करने के उनके अधिकारों का उल्लघंन किया। इन सब पर मेरी आपत्ति है।

सभापति महोदय : इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय भी आपने बहुत अधिक समय लिया था। आप इन सभी बातों पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं और वह सब कार्यवाही में रिकार्ड की गई है। आपको वहीं सब बातों को पुनः कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी उस समय भी यहां उपस्थित थे। कोई माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात अब समाप्त करें।

श्री वारकला राधाकृष्णन : जिस तरीके से संशोधनों को लाया गया है उसकी तरफ में सभापति महोदय जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। कृपया पृष्ठ 13 उपखंड 3 को देखिए इसमें कहा गया है :

"राज्य आयोग, इस अधिनियम के अधीन टैरिफ निर्धारित करते समय विद्युत के किसी के प्रति अनुचित झुकाव नहीं दिखाएगी"....

इसमें ऐसा क्यों कहा गया है? क्या इसका अर्थ यह है कि राज्य आयोग अनुचित वरीयता देगा? राज्य आयोग का नेतृत्व उच्च न्यायालय का न्यायाधीश करेगा। वह ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि राज्य आयोग अनुचित वरीयता दर्शाएगा। इसमें स्पष्ट किया जाना चाहिए। क्या एक आत्मसम्मान रखने वाला व्यक्ति विशेषकर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य आयोग का सभापति बनने के लिए तैयार होगा?

श्री वसुदेव आचार्य : उस शब्द का लोप कीजिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैंने उस प्रयोजनार्थ एक संशोधन प्रस्तुत किया है।

इसीलिए कि वे राज्य विषय से सम्बंध रखते हैं। वह अत्यंत अप्रजातांत्रिक तरीके से सभी उपलब्ध सामान्य प्रक्रियाओं को ध्यान में रखे बिना ही इससे निबट रहे हैं। आपको अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। आपको सभी राज्यों के प्रति बेहतर सौहार्द दिखाना चाहिए। आपको यह भी समझना चाहिए कि आप जब विधेयक लाएं तो आपको धैर्य रखना चाहिए और आपको राज्यों के प्रति अधिक सहिष्णुता दिखानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं समाप्त करता हूँ।

श्री आर. मुथैया : महोदय, आरम्भ में मैं, इस विधेयक से खंड 29 (3) को हटाने हेतु संशोधन प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूँ। अन्यथा, मुझे मूल रूप में पूरे विधेयक का विरोध करना पड़ता। इसलिए, जब अध्यादेश जारी किया गया। प्रैस में प्रकाशित हुआ तो, हमारी नेता पुरावच्ची थल्लवी जयललिथा ने इसका विरोध किया था और यहां इस विधेयक को प्रस्तुत करने में आपत्ति की थी।

हमने उसके मूल रूप का विरोध किया था, क्योंकि हमारी राय में मूल रूप में यह विधेयक इस देश के गरीब कृषकों पर सीधा प्रहार था। इसलिए हमने इस विधेयक का उसके मूल रूप में विरोध किया था। लेकिन, बाद में माननीय मंत्री महोदय ने उस विधेयक

[श्री आर. मुथैया]

में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए और हम उस कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। हालांकि, हम इस सरकार का एक हिस्सा हैं फिर भी हमें किसी ऐसी बात का विरोध करने में संकोच नहीं करना चाहिए जो कि इस देश के गरीब कृषकों के हित के विरुद्ध है। इसलिए हमने यूरिया की कीमतों में वृद्धि का भी विरोध किया था और सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है। हम उस बात का विरोध करते हैं जो कि हमारी राय में निर्धनों के हितों के विरुद्ध हैं। जब हम ऐसे पहलुओं का विरोध करने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो सरकार हमारे अनुरोध और हमारी मांगों को स्वीकार करती हैं। तत्पश्चात् वे उस पर कार्यवाही करते हैं। कोई भी माननीय सदस्य यहां यह कैसे कह सकता है कि यह सौदा था? जब हम देश के लाभ के लिए, गरीबों के लाभ के लिए किसी बात की मांग करते हैं, तो क्या यह सौदा है?

माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण के आरम्भ में यह माना हमारी विचारधारा कुछ प्रगतिशील होनी चाहिए। मैं उनके इस विचार से सहमत हूँ। हमारी कुछ प्रगतिशील विचारधारा होनी चाहिए। उनके निर्वाचन-क्षेत्र में कृषकों की क्या दशा है? उनके निर्वाचन क्षेत्र में कृषक तीन अथवा चार पम्प सेटों की सहायता से गहरे कुओं से पानी लेते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हमें तीन अथवा चार कुओं से बहुत थोड़ा पानी मिलता है। पहले इन कुओं का पानी एक कुंए में इकट्ठा करते फिर हम कम्प्रैसर का इस्तेमाल कर पानी ले रहे हैं। केवल एक क्षेत्र में सिचांई के लिए हम तीन अथवा चार पम्प-सेटों का उपयोग कर रहे हैं। सरकार इन कृषकों को क्या सहायता प्रदान करने जा रही है? इसलिए हम इस बात पर ज़ोर दे रहे है कि कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति जारी रखनी चाहिए और हमारे नेता ने इस विधेयक के मूल रूप का विरोध किया था।

चाहे कुछ भी हो, अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। अन्यथा हमने इस विधेयक का विरोध किया होता। केवल इस संशोधन के कारण ही हम इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी माननीय मंत्री महोदय से यह हार्दिक अपील है। कि कृपया कृषि को उद्योग जैसे अन्य क्षेत्रों के समान न मानें। उन्होंने अपने भाषण के आरम्भ में कृषि और उद्योग को एक समान माना है। जबकि कुछ उद्योगपति ग्रिड प्रणाली से परे जा रहे हैं लेकिन कृषक केवल हमारे ग्रिडों से ही बिजली ले रहे हैं।

कृपया उन्हें एक समान न मानें। यह मेरी आपसे हार्दिक अपील है। यदि यह संशोधन न किए होते, तो हमने इस विधेयक का विरोध करना था। चूंकि यह संशोधन प्रस्तुत कर दिए गए हैं, इसलिए हम इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री वारकला राधाकृष्णन : माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि यह उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए है न कि कृषकों के हितों के संरक्षण के लिए हैं.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय बाद में स्पष्टीकरण देंगे। कृपया बहस न करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी पिछली सरकार द्वारा तैयार किया हुआ एक विधेयक, जो अध्यादेश की शक्ल में यहां लाए हैं, मेरी मंशा उसका विरोध करने की नहीं है। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो पिछली सरकार में मंत्री थे, उन्होंने इस विधेयक को बनाया, उसको इस सदन के सामने पेश किया और जब आप इधर बैठ गए तो खड़े होकर उसका विरोध कर रहे हैं। मैं इसे कोई राजनैतिक नैतिकता नहीं मानता।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है और उसके समर्थन में जो भाषण किया है, मुझे ऐसा लगा है कि उनको इस बात की गलतफहमी हो गई है कि यदि इस तरह का रैगुलेटरी कमीशन राज्यों ओर देश में बन जाएगा, तो बिजली की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आप इस तरह की किसी गलतफहमी के शिकार हैं तो मेहरबानी करके उसको अपने दिमाग से निकाल दें। मैं इस बात के बहुत ही खिलाफ हूँ कि हर चीज की दवा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज है और हर इन्कवायरी सी.बी.आई. और पुलिस सही ढंग से करती है। इस देश को एक बहुत बड़ा रोग लग गया है कि कोई भी कमीशन बनाया जाए, तो उसका कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज अध्यक्ष बना दिया जाए। यह रैगुलेटरी कमीशन है जो ट्रांसमीशन से संबंधित, जो बिजली के टैरिफ से संबंधित, जो बिजली के प्रबंधन से संबंधित सारी चीजों का इंतजाम करने के लिए है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की कौन सी विशेषता है जो उसे हल कर लेगा, यह मेरी समझ से बाहर है।

एक बात और कहना चाहता हूँ कि केवल टैरिफ का यह रैगुलेशन क्यों? क्योंकि यह बात बार-बार पूरे देश में वातावरण बनाकर कही जाती है कि चूंकि विद्युत बोर्ड को गरीब और दलित को मुफ्त में बिजली देनी होती है, सुदूर गांव में विद्युत का इंतजाम करना होता है, किसान को आसान किश्तों पर बिजली दी जाती है, इसलिए विद्युत बोर्ड पर दुनियाभर का कर्ज और दुनियाभर की देनदारी बढ़ती जा रही है। यह एक भ्रांतिपूर्ण उदाहरण है, इसे खत्म करना चाहिए। मेरी निश्चित मान्यता है कि यह रैगुलेटरी कमीशन केवल टैरिफ को रैगुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि मैं निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि जो विद्युत बोर्ड के इंजीनियर्स हैं, उनका वेतन दूसरे विभाग में काम करने वाले इंजीनियर से ढाई गुना ज्यादा है। मैं निश्चित तौर पर अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूँ कि विद्युत बोर्डों में काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं, वे जितना चाहें उनको विद्युत की आपूर्ति बिना किसी शुल्क के और बिना किसी टैरिफ दिए हुए होती है, इसके ऊपर भी सोचना होगा। क्या यह सही नहीं है कि जब हम सभी विद्युत बोर्ड के ट्रांसमीशन लॉस पर चर्चा करते हैं, तो उस ट्रांसमीशन लॉस में दस फीसदी बिजली ऐसी है जो उस चोरी की है और वह चोरी विद्युत विभाग के कर्मचारियों के बिना संभव नहीं है? यदि आप रैगुलेटरी कमीशन बना रहे हैं, तो इस बात का भी रैगुलेशन होना चाहिए कि विद्युत बोर्ड की जो कमी है, विद्युत बोर्ड का जो घाटा

है, वह घाटा केवल मुफ्त में बिजली देने के कारण है यह उसकी चोरी के कारण है। विद्युत बोर्ड के ऊपर वेतन का, उनकी सुविधा का, उनके पैसे का, उनकी मिली हुई साजिश चोरी का, जो ब्यूरोक्रेटिक दबाव है, उसको रैगुलेट करने की भी व्यवस्था इस रैगुलेटरी बोर्ड के जरिए आनी चाहिए, मैं आग्रह के तौर पर यह कहना चाहता हूँ।

जहां तक निजी क्षेत्र को बिजली देने की बात है, दुनिया के लोग हमारे देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखकर आए। औद्योगिक विकास के लिए, भारत की तरक्की के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उस क्षेत्र में हमने बहुत कोशिश की कि निजी क्षेत्र अपना निवेश करे, विदेशी पूंजी हमारे देश में आएं। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, हमारे सूबे के एक इलाके में निजी क्षेत्र को बिजली का उत्पादन और उसका वितरण दिया गया। आज पूरे नोएडा के लोग रो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का विद्युत परिषद् जिस कीमत पर उनको विद्युत सप्लाई करता था, उसके ठीक चार गुनी कीमत पर निजी क्षेत्र का वह व्यक्ति, जिसके जिम्मे बिजली का इंतजाम दिया गया, आपूर्ति करने के लिए तैयार है लेकिन लोग उससे बिजली लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करके पूरे विद्युत के नियोजन पर सोचने की आवश्यकता है। पन बिजली का उत्पादन, मैं निजी अनुभव से कह सकता हूँ, पिछले बाइस वर्षों से टेहरी परियोजना किन्हीं न किन्ही कारणों से, किन्हीं न किन्ही अवरोधों के चलते रुकी हुई है, नहीं होती। हमारे देश में पन बिजली का सबसे बड़ा स्रोत हिमालय है और उसका कितना हिस्सा हम दोहन कर पा रहे हैं, मंत्री जी इस बारे में आपको सोचने की जरूरत है। इसलिए ऐटॉमिक पावर और पानी की बिजली से अधिकतम उत्पादन पर जोर दिया जाना चाहिए और हमारी थर्मल पावर की जो पारम्परिक व्यवस्था है, जो हमें निश्चिततौर पर घाटे की बिजली देती है, उसके बारे में आप विचार करें और एक समग्र नियोजन बनाकर, क्योंकि केवल इस विधेयक के जरिए आपका भाषण सुनकर मेरे अंदर गलतफहमी पैदा हुई कि शायद सरकार इस गलतफहमी का शिकार है कि इस रैगुलेटरी बोर्ड से ही बिजली की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह विधेयक आप सीमित बात के लिए लाए हैं, मैं इसका समर्थन करता हूँ। आप इसे पास करिए लेकिन उसके साथ ही पूरे देश में टैरिफ की जो व्यवस्था है, कुछ ऐसे सूबे हैं जहां किसानों को मुफ्त में बिजली की आपूर्ति होती है, कुछ ऐसे सूबे हैं जहां के किसानों को अपनी बिजली बकाया के लिए आंदोलन करके शहादत देनी पड़ती है, गोलियां चलती हैं, मारे जाते हैं। पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था नहीं है। इसमें आप एक तरह की व्यवस्था बनाएं।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैंने दसवीं लोक सभा में भी उन्हीं कुर्सियों पर माननीय मंत्री जी को बैठे देखा और बारहवीं लोक सभा में भी माननीय मंत्री जी को उन्हीं कुर्सियों पर बैठे देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। आपकी उधर की कुर्सी स्थायी बने और आप देश की सेवा के लिए कुछ अच्छे काम करें, इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार (मैंगलोर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में विचाराधीन विद्युत विनियामक आयोग विधेयक का समर्थन करता हूँ। जिसे माननीय विद्युत मंत्री ने प्रस्तुत किया था।

महोदय, आरम्भ में मैं विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों के विचार जानना चाहूंगा। वे राज्य विद्युत बोर्डों की क्षमता के संबंध में बहुत जोरदार बहस कर रहे थे। मैं उन्हें एक बात याद दिलाना चाहूंगा। हमें अनेक निजी उद्योगपतियों का अनुभव है जो विद्युत उत्पादन में निवेश के लिए आगे आए। किसी भी निवेशक ने राज्य विद्युत बोर्डों पर विश्वास व्यक्त नहीं किया और उनमें से प्रत्येक निवेशक *भारत सरकार से काउन्टर गारंटी चाहता था। ऐसा क्यों है ? यदि* राज्य विद्युत बोर्डों में इतनी क्षमता है कि वे उन निवेशको को संतुष्ट कर सके कि निवेश की गई धनराशि सुरक्षित है, तो ऐसा नहीं होता।

श्री टी.आर. बालू : उन्हें सर्वोच्च गारंटी की आवश्यकता है।

श्री वी. धनंजय कुमार : यह काउंटर गारंटी है। आप इसे सत्यापित कर सकते हैं। प्रत्येक निवेशकर्त्ता भारत सरकार से काउंटर गारंटी चाहता था। इससे राज्य विद्युत बोर्डों की स्थिति का पता चलता है। महोदय, आज पूरे देश में अनुमानतः 15,000 मेगावाट विद्युत की कमी है और प्रति वर्ष मांग में अनुमानित वृद्धि की दर 7000 मेगावाट है।

श्री डी.सी. श्रीकांतप्पा (चिकमंगलूर) : यह 15,000 मेगावाट नहीं है। यह गलत है। कर्नाटक में 12,500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। 3500 मेगावाट बिजली उपलब्ध है।

सभापति महोदय : कृपया मंत्री महोदय को यह बात स्पष्ट करने दीजिए।

श्री वी. धनंजय कुमार : मुझे उपलब्ध सूचना के अनुसार आज देश में 15,000 मेगावॉट बिजली की कमी है। प्रतिवर्ष 7,000 मेगावॉट बिजली की मांग में वृद्धि हो रही है। इस दर से, हमें राष्ट्रीय ग्रिड में 6000 मेगावॉट बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। आज, जब मंत्री महोदय बोल रहे थे, तो उन्होनें यह कहकर लागत बढ़ा दी थी कि एक मेगावॉट बिजली के उत्पादन की लागत 4 करोड़ रुपये आती है लेकिन इसका लगभग 3.5 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। 3.5 करोड़ रुपये की दर पर एक मेगावॉट विद्युत के उत्पादन के लिए हमें 2002 के अन्त तक अनुमानित 50,000 मेगावॉट विद्युत की अतिरिक्त मौंग को पूरा करने के लिए 1,75000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यह पैसा कहा से आएगा ? अब, मेरे मित्र, श्री मोहन सिंह एक मिनट पहले यह तर्क दे रहे थे कि मंत्री महोदय अथवा सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि केवल केन्द्रीय विद्युत विनियामक प्राधिकरण अथवा आयोग गठित करके ही विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत आपूर्ति की स्थिति सुधर जाएगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : भाषण ऐसा ही दिया.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार : इस बारे में कोई शक नहीं है। किसी का भी ऐसा विश्वास नहीं है लेकिन यह केवल अधिक संसाधन उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। जब तक आप पूरे देश में विद्युत पर शुल्क युक्तियुक्त नहीं करते, जबकि हमारी राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली है, तब तक आप हमारी मांगों को पूरा करने के लिए अधिक संसाधन उत्पन्न नहीं कर सकते।

महोदय, ट्रांसमिशन की स्थिति ठीक नहीं है। पुरानी लाइनों और अन्य लगे हुए उपकरणों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। पूरे सप्लाई नेटवर्क का पुनर्गठन करना होगा।

[illegible] प्रणाली में अवश्य सुधार होना चाहिए। नवीकरण, [illegible] इत्यादि के लिए काफी धन की आवश्यकता है। इससे अधिक प्रत्येक उपभोक्ता अच्छी बिजली की सप्लाई चाहेगा। जब तक आपको अच्छी बिजली की सप्लाई नहीं होगी, आप उसका उपयुक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते।

श्री टी.आर. बालू : यह मंत्री महोदय को एक अच्छी सलाह है.....*(व्यवधान)* मैं केवल आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं।

श्री वी. धनंजय कुमार : मेरे मित्र, श्री बालू बहस कर रहे हैं।.....*(व्यवधान)* मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : क्या आप सरकार की ओर से बोल रहे हैं? यह विशेषाधिकार का हनन होगा.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया हस्तक्षेप न करें। कृपया बैठ जाइए। श्री धनंजय कुमार, कृपया अपना वक्तव्य समाप्त करें।

श्री वी. धनंजय कुमार : हम सबको मिल-बैठकर देश के बिजली संकट पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। आज यह संकट क्यों है? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर उत्तरोत्तर सरकारें इस संकट का समाधान करने में असफल रही। हमें इस बात को स्वीकारना होगा। किसी भी सरकार के पास सर्वाधिक विकास के लिए दीर्घावधि योजना नहीं थी। मैं जानता हूं कि आज भी मेरे राज्य कर्नाटक के शिन्सा में 16 पैसा प्रति मेगावाट की नाममात्र की लागत पर अत्यधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना से बिजली पैदा की जा रही है। 19वीं शताब्दी के आरम्भ में स्थापित की गयी यह सबसे पुरानी परियोजना है। शिम्सा में जल विद्युत परियोजना स्थापित की गयी थी। हमारे पास सभी प्रकार के अन्य संसाधन भी उपलब्ध हैं जिसमें बिजली पैदा की जा सकती है। उत्तरोत्तर सरकारों के पास सदंर्शी दीर्घावधि योजना नहीं होने से आज हम संकट का सामना कर रहे हैं। आज हमें अत्यधिक महंगे दामों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। हमें 3.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तक की धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाने वाला विनियामक आयोग अवश्य ही देश में विद्युत टैरिफ को तर्कसंगत बनाने का प्रयास करेगा। इससे राज्यों को बिजली मिलेगी। राज्य सरकारें भी विनियामक आयोगों का गठन कर पाएगी। सलाहकार समितियों की समर्थ सहायता से वे टैरिफ को बेहतर ढंग से निर्धारित कर पाएंगी।

अब मैं एक बात स्पष्ट कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। एक गलत बात प्रसारित हो रही है कि कृषि क्षेत्र को निःशुल्क या अत्यधिक कम दरों पर बिजली की आपूर्ति की जा रही है और राज्य विद्युत बोर्डों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है। औसतन कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले बिजली का प्रतिशत 15 से 16 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। यदि मात्र इसी के कारण विद्युत बोर्ड नुकसान उठा रहे हैं, तो हमें केवल भगवान ही बचा सकता है।

इन विनियामक आयोगों की स्थापना के द्वारा बिजली की आपूर्ति का अधिकार राज्य सरकारों और राज्य विद्युत बोर्डों के पास होगा। यदि वे चाहें, तो वे कृषकों को सस्ती दरों पर या निःशुल्क भी बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। इस अधिकार को छीना नहीं जा रहा है। इसीलिए हमें इस सम्बन्ध में कोई गलत धारणा नहीं होनी चाहिए।

मैं नहीं जानता कि क्यों मेरे माननीय मित्र, विशेषकर कम्युनिस्ट, इस विधेयक पर विचार किए जाने का इतना बड़ा विरोध कर रहे हैं।

सभापति महोदय : नहीं, ऐसा मत बोलिए, इन सब बातों का उत्तर मंत्री देंगे।

श्री वी. धनंजय कुमार : क्या वे अब भी चाहते हैं कि देश को अन्धकार में रखा जायें? मैं हमारे मित्रों के बौद्धिक स्तर को नहीं जानता हूं। इसीलिए मैं उनसे इस विधेयक को पूरा समर्थन प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। यह एक स्वागत योग्य उपाय है। इसका सभा के सभी वर्गों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए जिससे कि औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और घरेलू उपयोग और व्यावसायिक उपयोग की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। 2002 के आखिर तक, देश अधिक विद्युत के उत्पादन में सक्षम हो पाएगा। तभी हम उत्पादित विद्युत की समुचित रूप से प्रयोग में ला सकते हैं और प्रत्येक उपभोक्ता को किफायती दर पर बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, सरकार के द्वारा, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, अगर लोक हित में कोई कानून बनाने का बिल पेश किया जाये तो मैं समझता हूं कि सदन को उस पर एकमत रहना चाहिए।

लोकहित का सवाल जो मैंने उठाया, वह सवाल हिन्दुस्तान के किसानों से था। लोक शब्द का सम्बन्ध हिन्दुस्तान में रहने वाले लोग, जो गांवों में किसान करते हैं, उनसें मैं आम तौर से समझता

हूँ। यह जो बिल लाया गया है, किसानों को मुफ्त बिजली देने के सवाल पर या बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए या बिजली से सम्बन्धित सवालों को हल करने के लिए, मैं इसमें विद्युत मंत्री जो कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

यह बिल तो पहली सरकार का ही था, लेकिन आपने इसमें संशोधन करके इसे सदन में पेश किया है। मैं समझता हूँ कि संशोधन करके आपने जो यह बिल इस सदन में पेश किया है, निश्चित रूप से आपने सोचा होगा कि इस बिल के द्वारा हिन्दुस्तान के गांवों में रहने वाले किसानों का क्या हित हो सकता है। मैं कुछ सुझाव, जो आपको देने के लिए कह रहा था, वे सुझाव ये हैं।

सांय 7.00 बजे

जहां विद्युत पैदा होती है और जहां से वितरण होता है, विसंगति वहीं है। आज भी उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में विद्युत के वितरण की व्यवस्था सही नहीं है। मैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने की दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तर भारत में बिजली पैदा होती है, यहां जितने भी विद्युत उत्पादन के केन्द्र हैं चाहें एन.टी.पी.सी. हो, चाहे बिहार के केन्द्र हों या उत्तर प्रदेश के केन्द्र हों, ट्रांसमिशन लाइन इतनी नहीं बनाई गई है जिससे विद्युत का सही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। जहां 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की व्यवस्था है वहां ट्रांसमिशन लाइनें इतनी नहीं है कि इतनी बिजली का ट्रांसमिशन कर सकें, लिहाजा वह उत्पादित बिजली दक्षिण भारत में देनी पड़ती है। यह अक्सर देखने में आता है। इसी कारण किसानों को बिजली देने में आमतौर पर परेशानी होती है।

हम लोग गांव के रहने वाले हैं। इस सदन में ज्यादातर खेती के जानने वाले और खेती करने वाले लोग हैं। बिजली पैदा करने के लिए कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, इनमें से एक प्राकृतिक साधन जल के माध्यम से बिजली पैदा करने का भी है हमारे देश में तमाम नदियां है। जिनके माध्यम से बिजली पैदा की जा सकती है और गांव के किसानों को देकर उन्हें सिंचाई मुहैया कराई जा सकती है। लेकिन जल विद्युत पैदा करने की व्यवस्था को मंहगी बताकर योजना को ठप्प कर दिया जाता है और ताप बिजली बनाने की योजना बनाई जाती है। अगर इस तरफ ध्यान दिया जाता है और पूरे हिन्दुस्तान में जल विद्युत बनाने की व्यवस्था सही की जाती तो देश के किसानों को बिजली की सुविधा मिल जाती, जिससे वे सिंचाई कर पाते।

जब किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात आती है तो तमाम तरह के सवाल यहां खड़े किए जाते हैं। यह कहा जाता है कि उन्हें मुफ्त दाम पर या कम दाम पर बिजली नहीं देनी चाहिए, अगर दी जाती है तो उस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। लेकिन यह कोई नहीं कहता कि कारखानों के सरमाएदारों को मुफ्त या सस्ती दर पर बिजली नहीं देनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि उन पर कर लगाना चाहिए। एक बड़ा कारखानेदार अपने कारखाने को चलाने के लिए अपना विद्युतघर लगाता है। आज से 50 साल पहले के एग्रीमेंट के अनुसार उसको उसी दाम पर ताप बिजलीघर चलाने के लिए कोयला मिलता है। लेकिन जब गांव के किसान को कम दर पर बिजली देने की बात आती है तो तमाम तरह के सवाल यहां खड़े किए जाते हैं। हिन्दुस्तान के गांव का किसान अगर मुफ्त में बिजली नहीं पाएगा तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी मरने के बाद हमारे दिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदा है। उन्होंने हिन्दुस्तान के इतिहास में बरदोली में इसी बात को लेकर किसानों के साथ आंदोलन किया था और अंग्रेज हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। कोई भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन हमारे देश में किसानों को मुफ्त बिजली देने के अधिकार से उस वंचित रखा है। 45 साल से ज्यादा समय तक इधर बैठने वाले लोगों ने इस देश पर शासन किया, लेकिन इन्होंने कभी किसानों की सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब हमारी अपनी सरकार है इसलिए देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था होनी चाहिए। जब देश का किसान धनवान बन जाएगा तो भारत को स्वावलम्बी बनने से कोई रोक नहीं सकता। फिर चाहे अमेरिका, जर्मनी या पाकिस्तान कितने ही परमाणु विस्फोट कर लें, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह किसान की शक्ति को जगाए, क्योंकि वही असली शक्ति है।

यही कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के किसानों को मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था सरकार करे।

[अनुवाद]

डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी (आदिलाबाद) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योकि यह किसी भी देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कई माननीय सदस्यों ने बिजली की कमी पर आक्रोश व्यक्त किया है। बिजली नहीं होगी, तो उद्योग नहीं होगा और बिना किसी उद्योग के रोजगार के अवसरों का सृजन भी नहीं होगा। कई सदस्यों ने इस तथ्य को कई मंचों पर उठाया है। जब हम सुधार करते हैं तो हमें सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप विकसित देशों की ओर देखेंगे तो पता चलता है कि उनके पास पूर्णतः विकसित मूलभूत सुविधाएं हैं जोकि भारत में नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर संयुक्त मोर्चे की सरकार ने एक वर्ष में सभी मुख्यमंत्रियों के दो सम्मेलन आयोजित किये। इन सम्मेलनों को आयोजित करने के पश्चात् तत्कालीन सरकार ने विद्युत के लिए एक न्यूनतम साझी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना बनायी थी। इन दो सम्मेलनों में लगभग सभी राज्यों के नेताओं ने भाग लिया था और एक सर्वसममति पर पहुंचने के पश्चात् सरकार ने विद्युत के लिए न्यूनतम साझी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना तैयार की थी। इस कार्रवाई योजना में सभी मुख्यमंत्रियों के विचारों को सम्मिलित किया गया था।

अगस्त, 1997 के महीने में इस विधेयक को लोक सभा में पेश किया गया था। अब यह विधेयक अध्यादेश का स्थान लेने के लिए लाया गया है। जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं उन पर विचार-विमर्श आवश्यक नहीं क्योंकि इस विधेयक का क्षेत्र सीमित है। इसका आशय केवल अध्यादेश का स्थान लेना है

[डा. एस. वेणुगोपालाचारी]

वर्तमान सरकार ने भी कुछ संशोधनों के आधार पर परिवर्द्धित किया है। मैं श्री शिवशंकर की तरह विधेयक पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसके के लिए समर्थ नहीं हूं। मैं कहता हूं कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए सुधार, विशेषकर विद्युत क्षेत्र में अति आवश्यक है। भारत और पाकिस्तान में निजीकरण साथ-साथ आरंभ हुआ था परंतु हम प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। सामान्य विद्युत मानक के विरुद्ध मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर 20 प्रतिशत का है। परन्तु पाकिस्तान के पास लगभग 3000 मेगावाट अतिरिक्त है। यह इसका उदाहरण है कि एक पड़ौसी देश ने सुधार लाकर किस प्रकार विकास किया है। जब बारी भारत की आती है, तो यहां चारों तरफ रूकावटें आ जाती हैं। हमें इस बारे में गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। बिना बिजली कोई औद्योगिक विकास नहीं होगा और बिना उद्योग के रोजगार नहीं उपलब्ध होगा। सुधार अत्यंत आवश्यक है परन्तु तर्कसंगत टैरिफ और प्रति राज
का ऊंचा स्तर.....*(व्यवधान)* मैं दो मिनट में अपनी बात
गा। माननीय मंत्री ने सही कहा है कि नौंवी पंचवर्षीय
का एक वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। यह विधेयक एक वर्ष पहले पेश किया गया था परन्तु लोक सभा के विघटन के कारण इस पर विचार नहीं हो सकता। मैं सभी माननीय सदस्यों से इसका समर्थन करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि पहले ही पारेषण और वितरण में नुकसान हो रहा है और सी.ई.बी. की देनदारियां भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सुधारों के बेहतर कार्यान्वयन और विद्युत क्षेत्र में तेजी से विकास के लिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसे स्थायी समिति को नहीं भेजा जाना चाहिए।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : सभापति महोदय, माननीय विद्युत मंत्री द्वारा प्रस्तुत विद्युत विनियामक आयोग का मैं दिल से समर्थन करता हूं। यह विधेयक देश में बिजली समस्या की बुनियादी बातों को समझेगा और नौंवी योजना के आखिर तक विद्युत सुधारों का कार्यान्वयन करेगा और बिजली की उपलब्धता को सुधारेगा।

यह अनुमान लगाया गया है कि आठवीं योजना अवधि के दौरान देश में 30,000 अतिरिक्त मेगावाट्स बिजली का उत्पादन होगा। परंतु यह देखा गया है कि लगभग 15,000 मेगावाट्स बिजली की कमी थी। जिसके कारण विकास के लिए क्षेत्र में कार्य धीमा पड़ा।

प्रस्तुत किए गए विधेयक से आशा है कि इससे विभिन्न बिजली बोर्डों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। यह देखा गया है कि सभी बिजली बोर्ड संकट का सामना कर रहे हैं। इसीलिए पारेषण उत्पादन और वितरण की स्थिति में सुधार लाने के लिए और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह विधेयक माननीय मंत्री द्वारा पेश किया गया है। हम आशा करते हैं कि आज से पांच वर्ष की अवधि के भीतर देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार आएगा।

ये देखा जा सकता है कि 1947 में देश में केवल 13,062 मेगावाट्स बिजली का ही उत्पादन होता था। 1992 में यह 69,082 मेगावाट्स हुई और 1997 में यह 99,620 मेगावाट्स तक पहुंची। 1995-96 में बिजली उत्पादन में 2124 मेगावाट्स अतिरिक्त उत्पादन हुआ। 1996 में मात्र 1000 मेगावाट्स ही अतिरिक्त उत्पादन हुआ। यह देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि, जो कि आजकल की दुनिया की आवश्यकता बन गई है, की निराशाजनक स्थिति को दर्शाता है।

पिछली सरकार इस विधेयक को लाना चाहती थी। संयुक्त मोर्चा में यह विधेयक तैयार हुआ था, परन्तु उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे इसे प्रस्तुत कर सकें। आज इस विधेयक को प्रस्तुत कर माननीय मंत्री महोदय ने विद्युत क्षेत्र के विकास की दिशा में एक सशक्त कदम उठाया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

आप जानते हैं कि देश में विद्युत के अधिकांश भाग का उत्पादन ताप ऊर्जा क्षेत्र से किया जाता है। यहां मैं उड़ीसा राज्य को एक परीक्षण के तौर पर प्रस्तुत कर सकता हूं। किसी को भी यह जानकार आश्चर्य होगा कि उड़ीसा में विनियामक आयोग का गठन होने से पहले राज्य के सभी ताप ऊर्जा संयंत्र घाटे में चल रहे थे। ताप ऊर्जा संयंत्र का संयंत्र भार पहले केवल 26 प्रतिशत था। परन्तु विनियामक आयोग बनाए जाने के पश्चात् इसके संयंत्र भार में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.....*(व्यवधान)* इसे कांग्रेस सरकार ने प्रस्तुत किया था। उड़ीसा ने रास्ता दिखाया है। इस प्रकार के विनियामक आयोग के केन्द्र में गठन किए जाने से देश में विद्युत की स्थिति में अवश्य ही सुधार होगा।

मैं कहना चाहूंगा कि देश में जल विद्युत उत्पादन की स्थिति खराब है। एन.टी.पी.सी. के पास धन की कमी नहीं है वे और ज्यादा विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकते हैं परंतु जल विद्युत उत्पादन के मामले में यह कहा जा सकता है कि 'अप्पर इन्द्रावती', सरदार सरोवर जैसी अधिकांश बड़ी परियोजनाएं धनराशियों की कमी और पर्यावरणीय समस्याओं के चलते लम्बित है। सभी लम्बित जल विद्युत परियोजनाओं की एक सघन जांच और उचित संदर्श किया करना होगा क्योंकि यह विद्युत उत्पादन का सबसे कम खर्चीला माध्यम है।

सभापति महोदय : श्री देव, अपना भाषण पूरा करें।

श्री विक्रम केशरी देव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से देश में विद्युत की बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए जलविद्युत पर जोर देने का अनुरोध करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय विद्युत मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

मुझे समय देने के लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय : पांच और सदस्य बोलने वाले हैं।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रत्येक माननीय सदस्य बोलना चाहता है।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आप इस विधेयक की तुलना अन्य विधेयकों से करते हैं तो यह केवल एक छोटा विधेयक है। यह एक नया विधेयक है किंतु सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

.....*(व्यवधान)*

डॉ० उल्हास वासुदेव पाटील (जलगांव) : सभापति महोदय, मैं विद्युत विनियामक आयोग विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो विवादों में घिर गया है, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अनेक विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा की गई थी और इस विधेयक को लाने का निर्णय किया गया था। ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को तैयार करते समय इस क्षेत्र के विशेषज्ञों, कृषि विशेषज्ञों और अन्य लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। इस विधेयक को इस सभा के समक्ष लाने से पूर्व उनसे परामर्श किया जाना चाहिए था।

विधेयक में अनेक विभेद हैं। विधेयक में प्रचालन निष्पादन का उल्लेख नहीं हैं इस विधेयक के कारण राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी। उपभोक्ता कल्याण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इस संबंध में सविस्तार स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

कृषि के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 90 प्रतिशत किसान बिजली पर निर्भर हैं। उन्हें सप्ताह में दो या तीन दिन ही बिजली की आपूर्ति की जाती है, शेष चार या पांच दिनों बिजली की आपूर्ति नहीं होती है। जलगांव केला उत्पादक क्षेत्र है जहां पर निरन्तर विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र में बिजली के बिलों का भुगतान न कर पाने के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने के कुछ मामले और कुछ मौतों के मामले प्रकाश में आए हैं। इस विधेयक में किसानों को अच्छा अवसर नहीं दिया गया है। उनके लिए राज सहायता का प्रावधान नहीं है। सुरक्षा उपायों को भी शामिल नहीं किया गया है।

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भ्रष्टाचार का है, यदि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कदम उठाते हैं तो अधिक टैरिफ या राजस्व संग्रहण के आसार अधिक होंगें। विधेयक में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है, जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों को बिजली के बिलों के भुगतान की शत-प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। इसे भी विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

इस विधेयक में सतर्कता दस्ते का प्रावधान किया जाना चाहिए था।

इस विधेयक में यह उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा और उसका कार्यकाल पांच वर्ष होगा। मेरे विचार से उसका कार्यकाल दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए अथवा केवल एक वर्ष होना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या 31 है। विधेयक में कहा गया है कि केन्द्रीय सलाहकार समिति में इकत्तीस से अधिक सदस्य नहीं होगें। किन्तु मेरा मानना है कि केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या 31 से अधिक होनी चाहिए।

इन सब बातों पर विचार करते हुए मैं किसान विरोधी, जनजातीय लोगों के विरोधी इस विधेयक का जिसमें गैर-सरकारी संगठनों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, विरोध करता हूँ।

श्री वैको : सभापति महोदय, 'हम बिजली उत्पादन करें तो राष्ट्र संपन्न होगा।' ये शब्द महान व्यक्ति लेनिन के हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया था।

यदि मैं अपने विचारों को व्यक्त नहीं करता और उन्हें इस सभा के कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं करता कि राज्यों के अधिकारों को आघात पहुंचाने के किसी भी प्रयास का विरोध होना चाहिए तो मैं अपन कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा हूँ। हम राज्यों की स्वायत्तता के पक्षधर हैं और इस देश की अखंडता के लिए संघवाद की अवधारणा का शब्दशः पालन किया जाना चाहिए।

इस विधेयक को पूर्ववर्ती सरकार ने तैयार किया था और ग्यारहवीं लोक सभा में पुरःस्थापित भी किया गया था किंतु यह पारित नहीं हो पाया।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : यहां यह प्रथा है कि कार्यवाही के आरंभ में यदि गणपूर्ति हो तो कार्यवाही चलती रहती है।

श्री अजीत जोगी : नहीं महोदय, मैंने गणपूर्ति का प्रश्न उठाया है.....*(व्यवधान)* सत्तापक्ष के सदस्य उपस्थित नहीं हैं...*(व्यवधान)*

श्री वैको : मैं श्री जोगी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी पार्टी के सदस्यों से सभा में लाएं.....*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : महोदय, आप विनिर्णय दें कि सभा बिना गणपूर्ति के कार्य कर सकती है फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है. .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : सभापति जी अजीत जोगी जी को गिनती करनी नहीं आती है, हाउस में कोरम पूरा है।

डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, हम भी जानते हैं कि छः बजे के बाद जब भी सदन बैठता है तो कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जाता है। वैसे इस वक्त कोरम पूरा है।.. .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी : मैं अध्यक्षपीठ से विनिर्णय चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों से। ,

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप इस ओर क्यों आ रहे हैं? मार्शल गिन रहा है।

.....*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : महोदय, कृपया आप अपना विनिर्णय दें.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभा में गणपूर्ति है। कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री वैको : मुझे खेद है कि श्री अजीत जोगी सभा को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

अजीत जोगी : मेरे अनुसार सभा में गणपूर्ति नहीं है।

श्री वैको : अध्यक्षपीठ ने अपना विनिर्णय दे दिया है।

श्री अजीत जोगी : महोदय, मैं पुनर्गणना का अनुरोध करता हूं।

श्री वैको : पुनर्गणना की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : श्री वैको कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री वैको : सभापति महोदय, जब मैंने यह समाचार सुना कि राज्यों के टैरिफ निर्धारित करने के अधिकार छीने जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने इस प्रयास के विरुद्ध प्रैस में बयान दिया। उसके तत्काल पश्चात् माननीय मंत्री श्री कुमारमंगलम ने कृपा कर प्रस्तावित विधेयक की प्रति सहित मुझे फैक्स संदेश भेजा।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री, अन्य माननीय मंत्रियों और श्री पी.आर. कुमारमंगलम के ध्यान में भी यह लाया गया था कि खंड 29 (3) राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री एक संशोधन लाए हैं। किंतु अभी भी समस्या है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में आप पाएंगे कि बल प्रति-राजसहायता के उच्च स्तर पर दिया गया है। उद्देश्यों और कारणों के अंतिम पैरा में कहा गया है :

"अतः राज्य आयोग के लिए इस रीति से टैरिफ निर्धारित करना अनिवार्य बनाया गया है कि किसी भी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग से आपूर्ति की औसत लागत के पचास प्रतिशत से कम प्रभारित नहीं किया जाएगा।" महोदय, फिर इसमें संशोधन करने से पूर्व उल्लेख था, "..... यह किसी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को अध्यादेश आरंभ होने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए पचास प्रतिशत से कम प्रभारित करने की अनुमति दे सकेगा।" अब वे कह सकते हैं कि वे संशोधन लाए हैं। हमें सम्पूर्ण विधेयक पर विचार करना होगा विशेष रूप से उद्देश्यों और कारणों के कथन पर।

प्रस्तावित संशोधन, जिसे मंत्री महोदय लाए हैं, में कहा गया है:

"(3) राज्य आयोग, इस अधिनियम के अधीन टैरिफ निर्धारित करते समय, विद्युत के किसी उपभोक्ता के प्रति अनुचित अधिमान दर्शित नहीं करेगा ..... ।" महोदय, फिर भी एक शरारत है। मैं यही बात कहना चाहता हूं। इससे कोई भी न्यायालय में जा सकता है। उद्देश्यों और कारणों के कथन और विधेयक के उक्त हिस्से का उद्धरण दिया जाएगा कि क्या किसानों या किसी अन्य वर्ग को अनुचित अधिमान तो नहीं दिया गया है।

जब हम यह स्वीकार करते हैं कि किसानों की तुलना अन्य उपभोक्ताओं से नहीं की जानी चाहिए, जब हम स्वीकार करते हैं कि राज्य सरकारों को टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार है, किसानों को लाभ देने का अधिकार जारी रहना चाहिए तो अनुचित अधिमान शब्द का प्रयोग क्यों किया गया?

हमें एक बात को नहीं भूलना चाहिए। किसान कठिन श्रम करता है और करोड़ों लोगों के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन करता है। जब वे पम्प सेटों का प्रयोग करते हैं तो बिजली में उतार-चढ़ाव के कारण उनके पम्पसेट खराब हो जाते हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैंने एक संशोधन पेश किया है। क्या आप इसका समर्थन करेंगे.....*(व्यवधान)*

श्री वैको : मैं उस बात पर आ रहा हूं। मैं किसी बात से नहीं चूकूंगा।

जब उनके पम्पसेट खराब होते हैं तो उनकी मरम्मत पर उन्हें 4000 रुपये से 5000 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं, उनकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा। इसलिए राज्य सरकार को किसानों को रियायत देने का अधिकार होना चाहिए। अतिक्रमण का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों के अधिकारों को आघात पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में श्री वारकला राधाकृष्णन द्वारा पेश किए गए संशोधन को स्वीकार करें 'अनुचित अधिमान' शब्दों का लोप किया जाना चाहिए।

जब माननीय मंत्री ने संशोधन लाने की कृपा की है और हमारी मांग को स्वीकार किया है तो उनके संशोधन को स्वीकार करने में क्या हर्ज है? मुझे यह कहने के लिए इसलिए विवश होना पड़ा क्योंकि मैं किसानों के हित की बात कर रहा हूं। इसमें कोई राजनीति नहीं है यह किसानों के हित की बात है। महोदय, इसलिए मैं अपना विरोध व्यक्त करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री रामदास आठवले को बोलने के लिए बुलाता हूं। कृपया अपनी बात तीन मिनट में समाप्त करें। सामान्यतः आपको अधिक समय मिलता है। कृपया सहयोग करें।

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : महोदय मेरी पार्टी के चार सदस्य हैं कृपया मुझे बोलने के लिए दस मिनट का समय दें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मंत्री महोदय द्वारा जो यह बिल लाया गया है, यह राज्य सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाला बिल है। यह बिल जो इतनी जल्दबाजी में लाया गया है, क्या राजनैतिक दबाव से लाया गया है? इलैक्ट्रिसिटी से ही किसी देश के मानव की प्रगति होती है।

इस बिल में इलैक्ट्रिसिटी के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके लिए कोई योजना बनाने की जरूरत है। कमीशन बनाने का काम नहीं चलने वाला है। कमीशन बहुत से बनते हैं लेकिन इससे प्रगति होने वाली नहीं है। आपने कहा है कि कमीशन का चैयरमेन 65 वर्ष का सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर उसमें इतनी ज्यादा उम्र का चैयरमेन रहेगा तो काम ठीक से नहीं होगा। 60 साल से ऊपर की उम्र का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। चेयरमैन का कार्यकाल पांच साल का होगा, मेरे हिसाब से ये तीन साल का होना चाहिए।

आजादी के पचास साल बाद भी बहुत से लोग अंधेरे में रहते हैं। मुम्बई में स्लम्स में काफी लोग अंधेरे में रहते हैं। उनको बिजली देने के सम्बंध में विचार करने की जरूरत है। इसके साथ-साथ ग्रामीण इलाकों के किसान बिजली के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो उनको बिजली नहीं मिलती। उनको जल्दी से जल्दी बिजली देने के सम्बन्ध में विचार करना जरूरी है। जब बिजली का करैंट लग जाने से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मुआवजा देने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए। हमारे मंत्री जी को बहुत अच्छा अनुभव है। उन्हें यहां का भी अनुभव हैं उन्हें वहां का अनुभव हो जाएगा। वह एक ऐक्टिव मिनिस्टर है। इस बिल के सम्बन्ध में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं हैं ऑल इंडिया लैवल पर इसकी चर्चा करने की जरूरत है। आप सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस संबंध में चर्चा करें। आज आपको इस बिल पर अपनी सहयोगी पार्टियों का और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का भी समर्थन प्राप्त नहीं है।

आज हर स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, उसके चेयरमैन और मैम्बर्स हैं। आज ऐसे कमीशन को बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का विरोध करता हूँ। मैं कुमारमंगलम जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बिल को वापस लेने का प्रयत्न करें और इसमें संशोधन करके अगले सैशन में यह बिल लाने का प्रयत्न करे। आप इसके लिए संसदीय समिति नियुक्त करने की घोषणा करें। उसमें दोनों साइड्स के मैम्बर्स हों। इसके बाद इस पर विस्तार से बहस होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ में इस बिल का विरोध करता हूँ। मेरे और भी बहुत से प्वाइंट्स थे..... *(व्यवधान)* आज शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को बिजली नहीं मिलती है।.....*(व्यवधान)* मुझे अभी और बोलने का समय दिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आठवले कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। इस विधेयक पर चर्चा के लिए आवंटित समय एक घंटा है किंतु हमने पहले ही बहुत समय ले लिया है। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

श्री रामदास आठवले : महोदय मैं सहयोग कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। जब तक मंत्री जी इस बिल को वापस नहीं लेते, तब तक मैं कैसे बैठ जाऊं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्य वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : माननीय सभापति महोदय, यह विद्युत विनियामक आयोग विधेयक सदन के समक्ष उस समय प्रस्तुत किया गया है जबकि हमारा देश विद्युत की भारी कमी का सामना कर रहा है।

मैं इस विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ क्योंकि इस विधेयक को राष्ट्रीय सम्मति प्राप्त नहीं हुई है। इस विधेयक के निहितार्थ एवं परिणाम दूरगामी हैं। अतः यदि इस विधेयक को विपक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार-विमर्श किए बिना जल्दी में पारित कर दिया जाता है तो यह 73वें में तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों में दिए गए नियमों के विरुद्ध होगा जिसका यह देश अनुकरण कर रहा है।

हम विकेन्द्रीकरण के युग में रह रहे हैं। यह एक ऐसा विधेयक है जिसका उद्देश्य है विद्युत का केन्द्रीयकरण में माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा और उनसे अपील करूंगा कि वह इस विधेयक पर विचार-विमर्श करने और इसे पारित करने की जल्दी न करें और राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने के बाद ही प्रवर समिति अथवा ऊर्जा सम्बन्धी स्थायी समिति को इस पर आगे चर्चा के लिए अथवा साक्ष्य के लिए भेजा जाना चाहिए।

यह तो राज्यों को दिए गए अधिकारों को पूर्णतः समाप्त करना तथा उनका अतिक्रमण करना हुआ। इस संबंध में कोई संदेह नहीं हैं जिसका पहले ही यहां उल्लेख किया जा चुका है।

मैं इस सदन को यह बताना चाहूंगा कि खंड 13 (ख) को केन्द्र सरकार का स्वामित्व प्राप्त अथवा केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित विद्युत का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य कम्पनियों का शुल्क नियमित करने के लिए बनाया गया है जिनको इस खंड में विनिर्दिष्ट किया गया है, बशर्ते यह उत्पादन करने वाली कम्पनियां एक राज्य से अधिक राज्य में विद्युत उत्पादित करने के लिए एक संयुक्त योजना बनाती है। अथवा संयुक्त योजना में विशेषता रखती हों।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री के. एन. प्रेमचन्द्रन]

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। यदि किसी एक राज्य विशेष में विद्युत का उत्पादन होता है और उस राज्य में विद्युत के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है और जहां पड़ोसी राज्य को विद्युत देने का स्वायत्त अधिकार भी विद्यमान हैं वहां यदि कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो यह राज्यों को उनके स्वायत्त अधिकारों से वंचित रखना होगा। इसलिए मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि यह एक ऐसा विधेयक है जो कि राज्यों को दिए गए अधिकारों को समाप्त करता है अथवा उनका अतिक्रमण करता है।

मैं खंड 29 (3) तथा (5) का भी उल्लेख करना चाहूंगा और मैं श्री वी. राधाकृष्णन तथा श्री वैको द्वारा पहले से ही व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करता हूँ तथा अनुमोदन करता हूँ। वह अनुचित अधिमान देने के संबंध में हैं अनुचित अधिमान का क्या अभिप्राय है ? विद्युत के लिए राज-सहायता अथवा इस देश के दलित तथा निर्धन लोगों को दी जाने वाली कोई राज-सहायता अथवा — यह अनुचित अधिमान है ? लोगों पर तथा राज्य पर लगाया गया है कि उन्हें यह करना चाहिए। इससे लाभ है ? देश विद्युत की कमी का सामना कर रहा है, मैं इस बात से सहमत हूँ। इस विधेयक से शुल्क तथा अन्य ऐसी बातें नियमित की जाएंगी। क्या विधेयक का उद्देश्य अधिक विद्युत का उत्पादन करना है, ऐसा नहीं है। इस विधेयक का उद्देश्य राज-सहायता कम करना है। इस विधेयक के अनुसार कृषकों को दी जा रही राज सहायता अनुचित है। यह इस विधेयक से पता चला है।

अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि इन राज-सहायताओं को जारी रखना चाहिए और राज्यों को दिए गए स्वायत्त अधिकारों तथा अन्य अधिकारों को छीनना नहीं चाहिए। जहां तक विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण का संबंध है, पारेषण प्रक्रिया में भारी हानि हो रही है। हालांकि हम अधिक विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। राज्यों से उनके अधिकार छीने बिना इनमें सुधार किया जाना चाहिए।

मैं केन्द्रीय पूल वितरण के संबंध में भी कुछ कहना चाहूंगा। केरल राज्य में विद्युत की अत्यधिक कमी है। हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि वे केन्द्रीय पूल से विद्युत का आबंटन करें। अब तक इसका आबंटन नहीं हुआ है और मैं क्यामकुलम थर्मल परियोजना की क्षमता को 2500 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूँ। मैं इस बात की भी प्रशंसा करता हूँ और एक बार फिर मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा और अपील करूंगा कि वे इस विधेयक को प्रवर समिति अथवा ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को आगे चर्चा तथा साक्ष्य के लिए भेजें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (सैल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे विद्युत विनियामक आयोग बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे दिल की तरफ से माननीय मोहन सिंह जी आदि सम्मानित सदस्य बोले। उन्होंने इस बिल का विरोध किया। माननीय मंत्री जी ने विद्युत विनियामक आयोग बनाने की बात कही है। मुझे यह बात सही नहीं लगती।

जहां तक राज्य सरकारों पर बोझ डालने की बात है, मैं सुझाव के तौर पर एक बात यह कहना चाहूंगा कि आयोग में यदि सलाहकारों की नियुक्ति हो तो ज्यादा अच्छा था। इसमें संसद सदस्यों और विधान सभा परिषद् के सदस्यों को रखा जाए। मंत्री जी ने जिस प्रकार से आयोग बनाने की बात कही है, मैं माननीय मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूँ कि अनपरा विद्युत परियोजना फिरोज गांधी ताप विद्युत परियोजना, शक्ति नगर, सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश के बार्डर पर है, वहां की उत्पादन क्षमता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।

मैं किसानों से जुड़ी बिजली की बात के सम्बंध में भी कुछ कहना चाहूंगा। आज किसानों को बिजली की दरों में छूट नहीं दी जा रही है और उन्हें बहुत तंग किया जा रहा है। सही मायनों में प्रदेश की सरकारें जो 18 घंटे बिजली देने की बात कहती हैं, वह उन्हें नहीं मिल पाती है और उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सब-स्टेशनों की हालत बहुत खराब है। आप जहां भी देखें वहां स्टाफ की बहुत कमी है, सब-स्टेशन सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं। विद्युत वितरण प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

रात्रि 7.41 बजे

[श्री वी. सत्यमूर्ति *पीठासीन हुए]*

सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो विद्युत की कटौती है वह शहरों में की जाए, देहात के एरियाज में ज्यादा बिजली देने की जरूरत है। चूंकि देश के 76 प्रतिशत किसान गांव में निवास करते हैं। चाहे उनकी सिंचाई से संबंधित समस्या है या कटाई, मढ़ाई से संबंधित समस्या है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बिजली से जुड़ी हुई हैं मैं जल विद्युत पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि हमारे यहां बहुत सी नदियां हैं, जिनसे बिजली का उत्पादन करके हम जल विद्युत की उत्पादन क्षमता को ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से थर्मल पावर पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे कि उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। कभी-कभी विद्युत का निजीकरण करने की बात कही जाती है, जो कि बहुत गलत है। जो व्यवस्थाएं हमारे सामने हैं, चाहें जो भी इस विभाग की दिक्कतें या सहूलियतें हैं, लेकिन इसका निजीकरण नहीं करना चाहिए। प्रतिवर्ष हर पंचवर्षीय योजना में बजट बढ़ाया जाता है। इनको नियंत्रित करते हुए जितने भी थर्मल पावर स्टेशन या विद्युत की व्यवस्थाएं हैं वह विद्युत विभाग ही करें। अतः इसका निजीकरण न किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बिल का मैं विरोध करता हूँ।

[अनुवाद]

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : माननीय सभापति महोदय, अब यह तो फुटबाल के मैच की तरह हो गया

हैं कुछ सदस्य इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और कुछ सदस्य इसे पारित करने के लिए कह रहे हैं.....*(व्यवधान)* मैं समझता हूँ कि विचार-विनियम का अभाव है। विधेयक का उद्देश्य विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण को नियमित करना है। हम सब इसकी सराहना करते हैं लेकिन इसके साथ ही इसमें अनेक कमियां भी हैं। अनेक माननीय सदस्य घबराए हुए हैं और चिन्तित हैं कि कहीं यह विधेयक कृषकों को राज सहायता देने में रुकावट न बन जाए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कृषकों और निर्धनों के कल्याण के कार्यों में इच्छुक हैं।

सत्तारूढ़ दल विधेयक पारित करने जा रहा है क्योंकि उनका बहुमत है। हमारे सभी मित्र चाय और कॉफी पीने गए हैं और वे यहां उपस्थित नहीं हैं।.....*(व्यवधान)* हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री मदन लाल खुराना एक बहुत ही चालाक व्यक्ति हैं.....*(व्यवधान)*

मैं यह कहना चाहूंगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन में केवल 17,000 मेगावाट की वृद्धि हुई थी। जहां तक नवीं पंचवर्षीय योजना का संबंध है, एक वर्ष बीत चुका है और सरकार का प्रस्ताव 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का है। शायद यह कठिन होगा। पूरा देश विद्युत की कमी से जूझ रहा है। इस देश की समृद्धि तथा प्रगति विद्युत उत्पादन पर निर्भर करती है। अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी 545 सदस्यों को विद्युत उत्पादन का समर्थन करना चाहिए।

सभापति महोदय : डॉ० रेड्डी, आपके पास असाधारण शक्ति है। आप अपना योगदान दे सकते हैं।

.....*(व्यवधान)*

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं केवल चार घंटे सोता हूँ क्योंकि मेरे पास अतिरिक्त शक्ति है। मैं 20 घंटे विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहता हूँ।.....*(व्यवधान)*

मैं माननीय सदस्य श्री वारकला राधाकृष्णन से संशोधन को उद्धरित करता हूँ "अनुचित अधिमान प्रदर्शित न करें।" यह अंग्रेजी ठीक नहीं है। हमारे माननीय मंत्री महोदय, श्री पी.आर. कुमारमंगलम को सभी भाषाओं का ज्ञान है। वे इतनी भिन्न अंग्रेजी क्यों बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति साधारण भाषा पसन्द करता है। इस विधेयक द्वारा कृषकों तथा निर्धनों को दी जाने वाली राज-सहायता समाप्त नहीं होनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय इस राष्ट्र की मदद करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका यह आशय है। हालांकि, हमारे लोग सोच रहे हैं कि इससे उनको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए इसे साधारण बनाना चाहिए।..... *(व्यवधान)* चाहे कुछ भी है, सरकार इस विधेयक को पारित कराने जा रही है क्योंकि उनका बहुमत है।

मेरा निवेदन यह है कि नवीं पंचवर्षीय योजना में 40,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होना चाहिए। यह माननीय मंत्री जी को एक चुनौती है। हमारे माननीय मंत्री महोदय एक कर्मठ व्यक्ति हैं.....*(व्यवधान)* हमारा स्वप्न है लेकिन इसके बावजूद कोई नयी परियोजना आरंभ नहीं हो रही है। कुछ लाल-फीताशाही है और कुछ समस्याएं हैं। कुछ राज्य सरकारें सहमत होती है लेकिन केन्द्र सरकार सहमत नहीं होती है। अन्यथा वित्त मंत्री सहमत नहीं होते। यदि तीनों सहमत होते हैं तो विदेशी सहयोग की समस्याएं होंगी। इसलिए कुछ न कुछ रास्ते में रूकावट आती रहेगी और कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारे भगवान ईश्वर अल्लाह हमारी मदद करें और बिना किसी प्रयत्न के हमारे पूरे राष्ट्र को विद्युत प्रदान करें।

इस विद्युत नियामक विधेयक में उन्हें एक बात यह भी जोड़नी चाहिए। आज भारत में विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पारेषण में केवल 30 प्रतिशत क्षमता प्राप्त की जा रही है जबकि उन्नत देशों में अस्सी प्रतिशत क्षमता प्राप्त की जा रही है। तो श्री कुमारमंगलम की कर्मठता से यह क्षमता कम से कम 60 प्रतिशत तो बढ़नी चाहिए। इस बात को उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। श्री बालू क्या आप मुझसे सहमत हैं अथवा नहीं ?

श्री टी.आर. बालू : नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि वह इस स्तर तक क्षमता नहीं बढ़ा सकते हैं।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : निश्चय ही, वह ऐसा कर सकते हैं। क्यों नहीं ? उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह इसे सिद्ध कर देंगे। श्री कुमारमंगलम को कम नहीं समझिए। आप उन्हें क्या समझते हैं ? वे निश्चत ही ऐसा कर देंगे। जब श्री जोगी ने गणपूर्ति के बारे में उल्लेख किया। तत्काल ही वहां गणपूर्ति हो गई। अतः उनके लिए क्या असंभव है ?

प्रश्न यह नहीं है कि विधेयक पारित हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। विधेयक पारित हो जाएगा फिर भी मुझे इसका विरोध करना है क्योंकि हमने इसका विरोध करने का नीति निर्णय लिया है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि ऐसा एक अच्छे उद्देश्य से किया जा रहा है। विद्युत का उत्पादन फिल्म बनाने जैसा नहीं है, विद्युत मानव जीवन और आधुनिक समाज का महत्वपूर्ण अंग है। विद्युत उत्पादन तथा पारेषण के बिना कोई आधुनिक कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए, आइए एक होकर इस समस्या से लड़े। सरकार के समक्ष यह एक बहुत बड़ा काम है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय विपक्ष के सभी सदस्यों, जो कि बुद्धिमान भी हैं और संसद सदस्य भी हैं, द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर विचार करें। यदि आप श्री राधाकृष्णन् के संशोधन पर विचार करेंगे तो उन्हें भी अच्छी नींद आएगी। वह अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। उनकी चिंता केवल यह है.....*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : अनुचित अधिमान।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : अनुचित अधिमान एक अस्पष्ट सा शब्द है। 'अनुचित अधिमान' का क्या अर्थ है ? श्री कुमारमंगलम ने एक बार कहा था कि राज्य सरकारों को राजसहायता देने की खुली छूट है। यदि बिजली बोर्ड राज-सहायता देते हैं तो उन्हें रुग्ण नहीं बनाना चाहिए राज्य सरकारों को उसकी प्रतिपूर्ति करनी चाहिए और राज्य विद्युत बोर्डों को उतना मजबूत बनाना चाहिए जितना

[डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी]

कि हमारा सत्तारूढ़ दल मजबूत है। यह है जो वह चाहते हैं। हमें कुछ परिवर्तनों के बाद विपक्षी दल, कांग्रेस दल की तरह एक अधिक मजबूत सत्तारूढ़ दल की आवश्यकता है क्योंकि इन सभी वर्षों में कांग्रेस दल सबसे मजबूत दल के रूप में सामने आया है। अतः जबकि मंत्री महोदय ने इसका प्रस्ताव रखा है और हमारे विभिन्न मित्र इसका समर्थन कर रहे हैं इसलिए जागरूक होकर और पूरी समझदारी से मैं भी यह महसूस करता हूँ कि इस नियामक विधेयक का मूल नियम तथा उद्देश्य विद्युत की पारेषण, वितरण और उत्पादन प्रणाली को अधिक सक्षम बनाना है और समस्या को सुलझाना है जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सभी सांसदों के संशोधनों तथा परिवर्तनों को स्वीकार कर सभी को खुश कर दें और इसे इस तरह से एक पूर्ण तथा पंचशक्ति बना दें कि यह विधेयक राष्ट्र की समृद्धि में मदद कर सके। अतः, मैं इन संशोधनों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूँ तथा बिना संशोधनों के इसका विरोध करता हूँ।

ात **सत्पथी** (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, इस ा पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो न केवल सांसदो कि दिमाग में ही सर्वप्रथम आया है बल्कि आम आदमी द्वारा भी इस पर चर्चा की जा रही है।

महोदय मैं इस विधेयक का पूर्णरूप से समर्थन करता हूँ लेकिन विधेयक पर इसकी मंशा के बारे में मुझे कुछ संदेह है। भारत में, जब से हम इसके बारे में जानते हैं इस विचार के सबसे प्रबल समर्थक महात्मा गांधी थे - कि लघु सुन्दर होता है इसलिए विकेन्द्रीकरण एक भावना है जो अभी पूरे विश्व में छाई हुई है। हम भी प्रत्येक क्षेत्र में इसे लाने का प्रयास कर रहे हैं।

लेकिन ऐसा लगता है कि यह विधेयक हो सकता है इसका अभिप्राय वह न हो - विकेन्द्रीकरण की भावना के विरुद्ध जा रहा है। यदि हम केन्द्रीय विनियामक प्राधिकरण और राज्य विनियामक प्राधिकरणों के बारे में बात करते हैं तो पहला शब्द 'विनियामक' ही कुछ खटकता है कि हम किसका विनियमन कर रहे हैं? हम उत्पादन विनियमन नहीं कर रहे हैं हम वितरण का विनियमन भी कर रहे है हम कुशलता का विनियमन नहीं कर रहे हैं और हम खराब पारेषण के कारण पूरे भारत के सभी राज्य विद्युत बोर्डों में हो रही हानि का विनियमन नहीं कर रहे हैं। हमें पारेषण के कारण भारी हानि उठानी पड़ी है और मुख्य कारण राज्य विद्युत बोर्डों की अत्यंत खराब कार्यकुशलता है। हम सभी जानते है कि पूरे विश्व में यदि विद्युत न हो तो आज के समय में कुछ भी जीवन (गतिविधियां) नहीं हैं।

केवल किसान ही नहीं है जो रियायती दरों पर बिजली प्राप्त करने में इच्छुक रहा है लेकिन भारत जैसे देश में जहां का औद्योगिकीकरण और पिछड़े कुछ राज्यों में विशेषकर देश के पश्चिमी भाग में विशेष समूह को छोड़ कर के उद्योगविहीन समूह के लिए जान की बाजी लगाकर प्रयास कर रहे हैं। हम अत्यंत इच्छुक हैं कि विद्युत की तेज गति से और एक ऐसी दर पर आपूर्ति की जाए जिस दर को न केवल किसान बल्कि एक उद्योगपति भी देने में समर्थ हो। लेकिन यदि आप इस विधेयक का अध्ययन करें तो आप पाएगें कि इसमें टैरिफ (शुल्क) में समानता लाने का प्रयास किया गया है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ लेकिन प्रश्न यह है कि किसके साथ समानता? मान लीजिए कि माननीय मंत्री जी यह निर्णय लेते हैं कि वह एनरोन की दरों के साथ समानता लाएंगे जिस दर पर यह कम्पनी महाराष्ट्र में बिजली बेच रही है। तो मैं नहीं समझता कि उड़ीसा अथवा बिहार, पश्चिम बंगाल अथवा उत्तर प्रदेश जैसे अन्य पिछड़े राज्यों के किसान अथवा लघु स्तर के उद्योगपति उस दर को अदा कर पाएंगे। इसलिए समानता किसके साथ है? वह संयुक्त राज्य अमरीका के साथ समानता ला सकते हैं अथवा श्रीलंका, पाकिस्तान के साथ समानता ला सकते हैं इसलिए यह मुख्य मुद्दा है जिस पर मैं आशा करता हूँ, यदि माननीय मंत्री जी मेरी बात सुन रहे हैं तो वह इसको स्पष्ट करेंगे और हमें बताएंगे कि समानता के अर्थ के बारे वह क्या समझते हैं।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा में स्वर्गीय बीजू पटनायक परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति थे और विद्युत क्षेत्र में वही निजीकरण लाने वाले पहले व्यक्ति थे। उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड जिसे 'ग्रिडको' कहा जाता है को अब. . . . .

सभापति महोदय : बहुत हो गया।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

निजीकरण की तरफ अनेक कदम उठाए गए हैं लेकिन हम देखते हैं कि हालांकि निजीकरण हुआ है लेकिन जहां तक संगठन में कुशलता सुनिश्चित करने का सम्बन्ध है, इस कार्य में पारदर्शिता नहीं है अतः जब तक इस संगठन में कुशलता नहीं होती। विद्युत उत्पादन में वृद्धि नहीं होती और किसान और छोटे उद्योगपतियों को महत्व नहीं दिया जाता तो विद्युत विनियामक आयोग जिसे दिल्ली के स्तर पर केन्द्रीकरण करने का प्रयास किया है अलाभकारी सिद्ध होगा।

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना, विद्युत टैरिफ, सहायिकियों के संबंध में पारदर्शी नीतियों, दक्षतापूर्ण और पर्यावरणीय हितकर नीतियों के संवर्धन के सुव्यवस्थीकरण और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, जैसा यहां सदन में ज्यादातर माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया है और विशेषरूप से विपक्ष ने सुझाव दिया है कि इस बिल को संसद की स्थायी समिति को विचार के लिए भेज दिया जाए, मैं भी उसी विचार का हूँ। यदि इसे संसद की स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाएगा, तो वह इस पर अच्छी प्रकार से विचार करके अपने सुझाव दे सकती है।

सभापति महोदय, मैं यहां हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन की बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। हिमाचल में पानी से पन बिजली 20 हजार मेगावाट तक बनाई जा सकती है जिससे न केवल हिमाचल की आवश्यकता की पूर्ति होगी अपितु संपूर्ण उत्तर भारत को बिजली भेजी जा सकेगी। इसमें सरकार का कोई विशेष खर्च भी नहीं होना है।

सभापति महोदय, रीआर्गेनाइजेशन के बाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा बने, लेकिन केन्द्र सरकार ने हमेशा हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय किया और उसके 7.19 प्रतिशत बिजली का जो हिस्सा देना तय हुआ था, वह अभी तक नहीं दिया गया है। आज तो आपकी ही सरकार वहां है और आपकी ही सरकार यहां है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप विशेषरूप से हिमाचल प्रदेश के हिस्से की बकाया बिजली की धनराशि को दिलाएं ताकि उस पैसे से प्रदेश के विकास का काम किया जा सके।

सभापति महोदय, यहां खुराना साहब नहीं बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का पिछले दिनों एक सम्मेलन हुआ था उसमें यह बात आई थी कि हिमाचल प्रदेश हमें बिजली दे। हमारा जिन राज्यों पर बकाया है, वे हमारा पैसा नहीं दे रहे है। न पंजाब हमारा बकाया दे रहा है और हरियाणा दे रहा है। जो एक्ट के अंदर प्रावीजन किया गया, जो एग्रीमेंट के समय तय हुआ, यह हिस्सा ही हमें अभी तक नहीं मिला।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : बिजली हमें नहीं देंगे, तो इतनी बिजली का क्या करेंगे ?.....*(व्यवधान)*

श्री के.डी. सुल्तानपुरी : जहां तक जज की बात है, आप उसको भी नहीं मान रहे हैं। आप महिलाओं को भी रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। आपने वहां पुरूषों का ही हवाला दिया है। मेरा कहना है कि महिलाएं भी उसमें शामिल नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से आप काम करना चाहते हैं, यह बिल्कुल चलने वाला नहीं है। यह सरकार ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है। मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत के हिसाब से बकाया राशि को आप दिलाएं। हमारी 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की जो क्षमता है उसका दोहन करने के लिए केन्द्र सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार की मदद करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का वापस लिए जाने की प्रार्थना करता हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वैसीमुथियारी, यह इस चर्चा के अंतिम वक्ता हैं और इनके बाद माननीय मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री सानसुमा खुंगुर वैसीमुथियारी (कोकराझार) : सभापति महोदय, माननीय विद्युत मंत्री और इस सभा के विद्वान सदस्यों मैं आपका ध्यान असम सरकार और राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों की उपेक्षा के कारण बोडोलैंड के लोगों को जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा रहा है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। सुदूर क्षेत्रों के लिए विद्युत के लिए कोई सुस्थापित आधारभूत ढांचा नहीं है। उदाहरण के लिए मेरे अपने मूल गांव जिसे गोदावरी के नाम से जाना जाता है और यह बोंगाई गांव जिले में है यहां कोई बिजली नही हैं और इस सुविधा के अभाव में करोड़ों दलित, स्वदेशी जनजातीय लोगों को अपने सामाजिक आर्थिक जीवन, अपनी खेतीबाड़ी, सिचांई और अपनी औद्योगिक गतिविधियों के सम्बन्ध में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

रात्रि 8.00 बजे

प्रस्तावित बोडोलैंड क्षेत्र में हमारे पास एक ताप विद्युत घर है जिसे बोंगाई गांव ताप विद्युत घर के नाम से जाना जाता है और यह जालाकाटी में स्थित है। यह परियोजना 1980 के दौरान स्थापित की गई थी। एक विद्युतघर को लगाने से पहले असम सरकार ने स्वदेशी जनजातीय लोगों को आश्वस्त किया था कि वह कथित परियोजना को लगाने के लिए अपनी भूमिगत परिसम्पति उधार दे दे। अधिक आशा और सुविधाएं प्राप्त करने की अपेक्षाओं के कारण स्थानीय लोगों ने अपनी भूमिगत परिसम्पतियां दे दी। उसी परियोजना के नाम पर बड़ी वन सम्पदा को नष्ट किया गया अब क्या हो रहा है ? सम्बन्धित अधिकारियों के विशेष षडयंत्र के कारण ये परियोजना समाप्त हो गई। यह परियोजना बोडोलैंड क्षेत्र के भीतर आती है। असम सरकार की पराजयवादी मानसिकता हो गई कि बोडोलैंड बनाया जा रहा है और यदि यह कठिन परियोजना किसी अन्य विदेशी कम्पनी को पट्टे पर दी जाए अथवा बेच दी जाए तो असम सरकार को भारी हानि उठानी पड़ेगी। वह योजना बना रहें है कि बोडोलैंड में स्थित इस विशाल विद्युत घर को अमरीकी कम्पनी को पट्टे पर दे दिया जाए। लेकिन इस विद्युत विनियामक आयोग विधेयक 1998 में इस स्थिति को बचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे असम सरकार को इस प्रकार के हानिकारक विचार को छोड़ देने का निर्देश दें। हम सभी स्वदेशी जनजातीय क्षेत्र, विभिन्न व्यापारिक संघों, श्रमिक संघों, कर्मचारी संगठनों और संस्थाओं के लोग इस प्रस्ताव का घोर विरोध करते हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी किसानों को रियायती दरों पर रियायती बिजली उपलब्ध कराई जाए। पूरे देश के सम्पूर्ण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्रों के लोगों के लिए एक सुपरिभाषित ग्रामीण विद्युत व्यवस्था कर इसमें प्रावधान किया जाना चाहिए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैं सबसे पहले उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप पहले ही इस विधेयक को पुरःस्थापित करते हुए इस पर एक घंटा बोल चुके हैं। इसलिए माननीय सदस्य इस पर अत्यंत संक्षिप्त स्पष्टीकरण चाहते हैं।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : सभापति महोदय, मुझे भी इस बिल पर बोलना है। आप मुझे दो मिनट बोलने दीजिए।.....*(व्यवधान)* मैं नागपुर की फ्लाईट से सीधा यहीं आ रहा हूँ।.....*(व्यवधान)* आप मुझे बोलने नहीं दे रहे।.....*(व्यवधान)* यह क्या बात है?. .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया सभा को चलाने में सहयोग दें। मंत्री जी ने पहले ही अपना उत्तर देना शुरू कर दिया है। आप सदन में बिल्कुल उपस्थित नहीं थे। आपके आने से पहले मैंने मंत्री जी को बोलने के लिए बुलाया था।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : निर्धारित समय एक घंटा था आप तीन [illegible] हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : यह उचित नहीं है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : मेरे हाथ में कुछ नहीं है।.....*(व्यवधान)* मैं नागपुर से सीधा यहां पर आ रहा हूँ।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि इस प्रक्रिया को माना जाए तो सभा की कार्यवाही उचित प्रकार से नहीं चल सकती। अध्यक्षपीठ द्वारा उत्तर देने के लिए मंत्री जी को पहले ही बुला लिया गया है।.. .....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैंने प्रस्ताव किया था कि विधेयक पर विचार किया जाए।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप अपना भाषण जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : सभापति जी, आप मुझे केवल दो मिनट बोलने का समय दीजिए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० पी.जे. कुरियन : सभापति महोदय, कृपया आप उन्हें केवल दो मिनट बोलने की अनुमति दीजिए।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह माननीय सदस्य उपलब्ध नहीं थे।

.....*(व्यवधान)*

प्रो० पी. जे. कुरियन : महोदय मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उन्हें केवल दो मिनट बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : आप निवेदन कर रहे हैं लेकिन यह उचित नहीं होगा। आप भली भांति जानते हैं कि मैंने श्री बैसीमुथियारी को अन्तिम वक्ता घोषित किया था जब मैंने कहा था कि वह अन्तिम वक्ता हैं तो उस समय यह उपस्थिति नही थे जब माननीय सदस्य ने अपना भाषण समाप्त किया उस समय भी यह यहां उपस्थित नहीं थे इसलिए मैंने मंत्री जी से बोलने के लिए कहा था।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैंने केवल एक साधारण प्रश्न उठाना है कि केवल शुल्क ही क्यों? जनरेटर्स से सम्बन्धित, विद्युत के उत्पादन की लागत आदि से सम्बन्धित कोई विनियमन क्यों नहीं है। मैं माननीय सदस्य जी का ध्यान विधेयक की धारा 22 (ग) और (घ) की ओर दिलाता हूँ यह बहुत विशेष है स्पष्टत है.....*(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे : महोदय, मैं इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूँ।

सभापति महोदय : यह आपका अधिकार है।

रात्रि 8.00 बजे

(इस समय श्री दत्ता मेघे बाहर चले गए)

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय धारा 22 (ग) में कहा गया है :

> विद्युत के क्रय और पारेषण उपयोगिताओं और वितरण उपयोगिताओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को विनियमित करना जिसके अन्तर्गत उस कीमत को विनियमित करना भी है जिस पर विद्युत उत्पादन कम्पनियों, उत्पादन केन्द्रों या राज्यों में पारेषण, विक्रय, वितरण और आपूर्ति के लिए अन्य स्रोतों से उपाप्त की जाएगी;

कुछ लोगों को आंशका है क्या राज्य आयोग.....*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : आप मुझसे उत्तर देने के लिए भी अनुरोध नहीं करें।

सभापति महोदय : आपको अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि मंत्री जी आपकी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मंत्री जी आप अपना उत्तर जारी रख सकते हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या आप हमारा सहयोग नहीं चाहते? यह बहुत गलत बात है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : आप मुझसे उत्तर देने का अनुरोध भी नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : मंत्री जी को किसी का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी से उम्मीद है कि वे विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। मैं केवल यही कह रहा हूँ कि सरकार को विपक्ष के सहयोग की भी आवश्यकता है। प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में आपसी सहयोग महत्वपूर्ण है। हमने आपको आश्वासन दिया है कि हम सभी विधेयकों को पारित करने में आपको पूरा सहयोग देंगे।

हमारे एक माननीय सदस्य, जिनका जहाज लेट हो गया था, हवाई अड्डे से सीधे सदन में आए हैं। उन्होंने केवल दो मिनट ही बोले हैं। मुझे इस बात का दुःख है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के ऐसे अनुरोध को भी नहीं मान रहा है। सरकार के काम करने का यह तरीका सही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यह सही तरीका नहीं है।

सभापति महोदय : विपक्ष के नेता को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। चर्चा समाप्त करने के समय संबंधित सदस्य इस सदन में उपस्थित नहीं थे।

प्रो. पी.जे. कुरियन : हमने इसीलिए आपसे अनुरोध किया है।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अभी तो यह प्रथम वाचन है। उस समय वे कुछ कह सकते हैं। वे केवल पहले वाचन का उत्तर दे रहे हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं समझता हूँ मुझे यह स्पष्ट करना चाहिए कि मैं बहुत सावधानीपूर्वक बोल रहा था।..... *(व्यवधान)* आप उन्हें इसी समय बुला सकते हैं।

कई लोगों ने यह सोचा कि यह विधेयक टैरिफ के अलावा और किसी बात से संबंधित नहीं है, परंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह गलत धारणा है। वास्तव में, खंड 22 (ग) और (घ) दोनों ही में ही स्पष्ट रूप में कहा गया है कि वे न केवल उत्पादन और पारेषण लागत बल्कि पारेषण तथा राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यकुशलता से भी संबंधित है। अनुमान यह है कि इस मामले पर व्यापक रूप से विचार किया जा सकता है और उपभोक्ता के हितों का खंड 26 में विशेष प्रावधान किया गया है। आज ऐसा कोई मंच नहीं है जहां जाकर कोई उपभोक्ता अपील कर सके और लागत के संबंध में अपनी सुनवाई करवा सके।

जहां तक इस मुद्दे का प्रश्न है कि क्या यह राज्य के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप है, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि वास्तव में विद्युत क्षेत्र से संबंधित यह पहला विधेयक है तथा जो एक समवर्ती विषय है, जिसमें राज्य को विकल्प दिया गया है। मैं समझता हूँ कि विपक्ष के माननीय वरिष्ठ सदस्य, जो इस समय उपस्थित नहीं है ने ''सकता है'' शब्द का अर्थ ''होगा'' मान लिया है। क्योंकि एक वकील होने के नाते मुझे यह पता है कि ऐसा अर्थ लगाना संभव है, मैंने कहा ''अगर यह उचित लगे'' जिससे राज्य सरकारें 'सकने' को उचित ठहरा सकें तथा विकल्प उचित विकल्प बना है। अब मेरे संशोधन करने पर इस विधेयक के अंतर्गत राज्य सरकार को यह विकल्प प्राप्त है कि इसे लागू करें या न करें। यह राज्य सरकारों को समर्थ बनाने वाला प्रावधान है। अगर वे चाहें, तो उड़ीसा सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार जैसी राज्य सरकारें अपने-अपने कानून बना सकती हैं। हमने उन विधेयकों को अपना पूरा समर्थन दे दिया है जिससे हम यह बता सकें कि हम उनके समवर्ती कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। अनुचित अधिमान देने वाले प्रावधान के संबंध में, जैसा कि मेरे मित्र श्री वैको ने कहा है वे भी उठकर चले गए हैं — मैं समझता हूँ मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार है :

> ''राज्य आयोग, इस अधिनियम के अधीन टैरिफ निर्धारित करते समय, विद्युत के किसी उपभोक्ता के प्रति अनुचित अधि ामान दर्शित नहीं करेगा किन्तु विभेद कर सकेगा।''
>
> यह बहुत स्पष्ट है
>
> ''परन्तु उपभोक्ताओं या लोड फैक्टर के अनुसार विभेद कर सकता है।''
>
> निम्नलिखित उनके लिए है जो बिजली की बहुत अधिक या कम खपत करते हैं।
>
> ''किसी विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसे किसी समय के दौरान ऊर्जा के कुल उपभोग के अनुसार जिसमें आपूर्ति अपेक्षित है या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति।''
>
> उदाहरण के लिए यह जनजातीय क्षेत्र के बारे में है।
>
> ''आपूर्ति की प्रकृति''
>
> आपूर्ति की किस्म क्या यह उच्च टेन्शन वाली है या कम टेन्शन वाली है।
>
> ''और उस प्रयोजन के आधार पर जिसके लिए आपूर्ति अपेक्षित है।''

उदाहरण के लिए, अगर यह कृषि के लिए है, अगर यह झोपड़ी में रहने वाले गरीब के लिए है, जिसके लिए हमारे पास राजसहायता प्रणाली है, तो विभेद किया जा सकता है।

''अधिमान के अधीन'' जैसे शब्द असल में कोई ऐसे शब्द नहीं है जिन्हें विद्युत अधिनियम में पहली बार प्रयोग किया गया है। यह विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा भाग 49 (4) में स्पष्ट रूप से कहा गया है। यह शब्दशः वहां से लिया गया है। वास्तव में ''केवल विभेद कर सकता शब्द जोड़े गए हैं पहली दो पंक्तियां शब्दशः धारा 49 (4) से ली गई है। मैंने यह कोई नया नियम नहीं बनाया है।.....*(व्यवधान)* मूल धारा 49 (4) में यह कहा गया है कि टैरिफ और बिजली की शर्तों और निबंधनों का निर्धारण करते समय यह किसी व्यक्ति को अनुचित अधिमान नहीं देगा।

श्री वारकला राधाकृष्णन : इसका प्रयोग दूसरे संदर्भ में किया गया है। इसीलिए मैंने संशोधन प्रस्तुत किया था।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : इसका प्रयोग टैरिफ के संदर्भ में किया गया है धारा 49 में कहा गया है :

"बोर्ड द्वारा लाइसेंस धारियों के अलावा लोगों को बिजली की बिक्री का प्रावधान।"

अर्थात् उपभोक्ता ये शब्द धारा 49 (4) में प्रयोग किये गये हैं। मुझे इसका विशेष ध्यान है। मैंने ये कोई नए शब्द नहीं कहे हैं। ये शब्द मेरे मस्तिष्क की उपज नहीं है। ये शब्द 1948 के बिजली बोर्ड अधिनियम की धारा 49 के उपभाग (4) में हैं।

मुझे विश्वास है कि मैने जो उप खंड (3) जोड़ा है वह कृषि जैसे कार्य के लिए की जाने वाली आपूर्ति में विभेद करने की अनुमति देने के संबंध में काफी स्पष्ट है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस अधिनियम का उद्देश्य यह कहना बिल्कुल नहीं है कि कृषि को इमदादी टैरिफ नहीं देनी चाहिए या झोपड़ी में रहने वाले या गरीबों या जनजातीय लोगों [illegible] बिजली नहीं दी जानी चाहिए। परंतु इसमें एक ही बात अगर आप प्रति राज सहायता देते है; जो आप [illegible] संबंधी कुल मुफ्त विद्युत की आपूर्ति के बीच करते हैं, तो यदि कोई बकाया रहता है और यह अपेक्षित होता है कि राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए राज सहायता दी जानी चाहिए कि विद्युत बोर्ड को वित्तीय घाटा न हो क्योंकि अगर उत्पादन हो रहा है तो हमारे सामने भविष्य भी पड़ा है। अगर किसी राज्य में बिजली ही नहीं होगी, तो कैसी मुफ्त बिजली की आप आपूर्ति करेंगे? हमें मूर्ख बनाने की कोशिश करने का क्या लाभ है? आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि इसे ध्यान में रखते हुए आपको सहयोग करना चाहिए।

हमारे उद्देश्य स्पष्ट हैं। हम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां राज सहायता दी जानी हो, तो उस राज सहायता को, प्रति राजसहायता के पश्चात् राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मूल अधिनियम में ऐसा कहा गया है। मूल अधिनियम बाध्यता न होने के कारण लागू नहीं किया जा सका। जब राज्य सरकार राज्य विद्युत बोर्ड के निवेश पर तीन प्रतिशत का वसूली का घाटा पूरा नहीं कर सकी, तो इसे लागू करने का कोई तरीका नहीं था। आज, इसे इस अधिनियम के अंतर्गत एक विनियामक द्वारा लागू किया जा रहा है। यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत के क्षेत्र में कुछ स्थिरता बनी रहे जिससे इस राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित हो सके। हम काफी सचेत हैं।

जैसा कि मैंने खुलेआम कहा था कि भारत में केवल 30 प्रतिशत परिवारों में बिजली है। भारत में 70 प्रतिशत घरों में बिजली नहीं हैं क्या आप यह नहीं सोचते कि यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेवारी है कि प्रत्येक नागरिक के घर में कम से कम एक बल्ब तो जले। हमारी एक स्कीम "कुटीर ज्योति" है। केन्द्र सरकार प्रति झोपड़ी 1000 रुपये की दर से राज सहायता देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि हमारा यह मानना है कि गरीबों की सहायता की जानी चाहिए। हम यह मानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में, गरीब किसानों को सहायता की आवश्यकता है। हम इसका विरोध नहीं करते। परन्तु आप केवल उतनी ही सहायता कर सकते हैं जितनी आपकी क्षमता है। यदि आप अपने संसाधनों से अधिक सहायता करेंगे तो आखिरकार आप एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जैसे आज हो गई है। आज विद्युत के क्षेत्र में 15 प्रतिशत की प्रत्यक्ष कमी है। अधिकतम विद्युत के संबंध में वे कहते हैं कि यह 12 प्रतिशत है। हमारी स्थिति ऐसी है।

रात्रि 8.18 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरे मित्र श्री बालू रामगुण्डम ताप विद्युत केन्द्र में ग्रिड में 45 'साइकिलों' वाली बारम्बारता की बात कर रहे थे। मुझे एक संक्षिप्त तकनीकी ब्यौरे के बारे में बताने दीजिए। दक्षिणी ग्रिड में और 48 साइकिल जोड़िए.....*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : कृपया सुधार कीजिए कि 48 'साइकिल' हैं 50 नहीं। मेरा ख्याल है आप मेरी बात से सहमत हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : आप ठीक कह रहे हैं। सचमुच यह 50 नहीं है जब आप तमिलनाडु में 500, आंध्र प्रदेश में 800, कर्नाटक में 600, केरल में 250 की कमी की बात करते हैं तो आप पूरे दक्षिणी क्षेत्र में कमी के औसत पर होते हैं। जब तक आप विद्युत का पर्याप्त उत्पादन नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी तरह 50 साइकिल पूरे नहीं कर सकते। आप भी इसे जानते हैं और मैं भी। यही वास्तविकता है। परन्तु कब तक हम इस वास्तविकता से नुकसान उठाते रहेंगे? मेरा यही अनुरोध है। यह कोई मतदान का प्रश्न नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि यह विधेयक एक समर्थकारी विधेयक है। यह विधेयक उन राज्यों को समर्थ बनाने के लिए लाया गया है जो अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करने के लिए सुधार करना चाहते हैं कि उनके पास अधिक उत्पादन क्षमता हो सके। वे राज्य यह बात बड़ी ईमानदारी के साथ कहते हैं कि वे उन लोगों को राजसहायता प्रदान करेंगे। मैं समझता हूँ कि यह उनकी पहली वरीयता है। चाहे किसानों की बात हो या झुग्गी-झोपड़ियों की बात हो, यह नीतिगत निर्णय की बात है। किसी भी प्रकार की राजसहायता देना वर्तमान सरकार का नीतिगत निर्णय है - चाहे यह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार।

मैं आपको एक बात कह सकता हूँ। जहां तक हमारी बात है, हम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से राज्य विद्युत बोर्डों को इमदादी ऋण देने वाले हैं। यह प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। आज ऐसी स्थिति है कि कई राज्य विद्युत बोर्ड ऋण लेने की स्थिति में नहीं है। उनमें ऋण लेने की क्षमता भी नहीं है। मुझे राज्यों के नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति काफी खराब है। मैं समझता हूँ कि मैंने काफी समय ले लिया है। इसलिए इस पर ज्यादा समय न लेते हुए मैं श्री शिवशंकर द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का ही उत्तर दूंगा। मैं समझता हूँ कि उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैंने भी वही प्रश्न पूछा था जो कि उन्होंने उठाया है परन्तु उस समय एक तर्क महत्वपूर्ण था। यह भी संभावना है कि कोई न्यायधीश स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दे और उसकी उम्र 65 वर्ष से भी कम हो। वे बोले, "आप उस विकल्प को क्यों समाप्त

कर रहे हैं ?'' मैंने कहा, ''ठीक है, यह मेरे लिए सही नहीं है कि किसी विकल्प को समाप्त किया जाए। परंतु कोई न्यायाधीश अनिवार्य नहीं है। न्यायाधीश का होना राज्य और केन्द्र दोनों ही स्तरों पर वैकल्पिक है। यह उस विशेष स्तर पर मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से दिया गया विकल्प है।''

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे इस विधेयक पर विचार करें और इसे पारित करने के उद्देश्य से सभा में रखने की मुझे अनुमति दें। मैं अपने माननीय मित्र श्री बसुदेव आचार्य जो अपने विधायी संकल्प का उत्तर देने वाले हैं, से बताना चाहूंगा कि मैं कुछ भी थोपना नहीं चाहता। यह एक विकल्प है। यदि कोई राज्य सरकार यह सोचती है कि यह नियम उनके लिए सही नहीं है तो वह अपना नियम उसी तरह से बना सकती है जैसे हमने अनुमोदन के लिए पूरी स्वीकृति दी है। मैं समझता हूं कि वे इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि हमारी राज्यों के अधिकारों में कटाती करने में कोई रुचि नहीं है। हम राज्यों को अधिकार संपन्न बना रहे हैं।

आपकी अनुमति लेकर मैं इस सभा से विधेयक को पारित करने का अनुरोध करूंगा।

श्री वैको : क्या आप श्री वी. राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर विचार करेंगे ?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मेरा ख्याल है कि जब मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था तब आप उपस्थित नहीं थे। मैं कह सकता हूं कि न तो कोई गलत शब्द कहे गए हैं न ही कोई अनुचित तरजीह

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, जब आप सदन में नहीं थे तब उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था।

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उन्होंने अच्छा सुझाव दिया है। विपक्ष के सभी सदस्यों ने भी यह सुझाव दिया है कि इस विधेयक को शीघ्रता से पारित न किया जाए। सरकार व मंत्रिमण्डल ने 25 अप्रैल को संसद की बैठक बुलाने का निर्णय लिया था। मंत्रिमण्डल द्वारा संसद की बैठक बुलाने के अगले दिन अर्थात् 26 अप्रैल को अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था।

यह विधेयक 14 अगस्त, 1997 को लाया गया था और उस हालत में भी हम बाहर से सरकार का समर्थन कर रहे थे। हमने उस समय भी यह आशंका व्यक्त की थी और हमारे विरोध के कारण उस समय यह विधेयक स्थायी समिति में भेजा गया था। भाजपा विपक्ष में थी। वे भी यह चाहते थे कि इस विधेयक को गहन अध्ययन और संवीक्षा के लिए स्थायी समिति में भेजा जाए। स्थायी समिति ने इस विधेयक पर विचार विमर्श करके दो निर्णय लिए। पहला यह था कि राज्य सरकार की राय ली जाए तथा दूसरा यह था कि यह विधेयक जनमत संग्रह के लिए परिचालित किया जाए क्योंकि यह हमारे देश के लाखों लोगों से संबंधित है।

हमें बिजली चाहिये। यह वास्तव में सच्चाई है कि अभी हमारी 30 प्रतिशत जनसंख्या तक ही बिजली पहुंचती है। इस पंचायती चुनावों में हमारा क्या अनुभव रहा है ?

सभी गांव सड़कों द्वारा बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। अब लोग केवल बिजली चाहते हैं। अब प्रत्येक गांव में स्कूल हो गया है। परंतु अब भी ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है। ग्रामीण लोगों की केवल यही मांग है, 'हमें बिजली दो, हमें जीवन दो।'

इन सभी कारणों से हम चाहते हैं कि इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाए। जब विधेयक लाया गया था तब भी मतभेद था। कुछ सहयोगी दल विधेयक के कुछ प्रावधानों के विरुद्ध थे। सरदार सुरजीत सिंह बरनाला भी इस विधेयक के कुछ प्रावधानों के विरुद्ध थे। आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम और कुछ अन्य दलों ने भी मतभेद व्यक्त किए थे। श्री वैको ने इस विधेयक के एक प्रावधान पर अपने विचार व्यक्त किए थे। जब सहयोगी दल तक इसका विरोध कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने आज यह संशोधन प्रस्तुत किया है। उन्हें आगामी 15 दिनों के लिए इंतजार भी करना पड़ा तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का गठन हो चुका है और वे इस विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है। वे विचार और चर्चा कर सकते हैं। और राज्य सरकारों का मत भी जान सकते हैं।

इस विधेयक का मसौदा तैयार होने से पहले मुख्यमंत्रियों की दो बैठकें हो चुकी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह केवल गरीबों के लिए न्यूनतम कार्यक्रम के संबंध में हुए सम्मेलन की सिफारिश ही है। समस्या यह है कि अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड खराब हालत में है। क्या इसी कारण किसानों को सस्ते दामों पर विद्युत की आपूर्ति की जा रही है अगर ऐसा है तो दिल्ली में बिजली का संकट क्यों है जहां किसानों को इमदादी दर पर बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है ? इसलिए यही एक मात्रा कारण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, विधेयक प्रस्तुत करते समय उन्होंने मेरे राज्य की बिजली की स्थिति का उल्लेख किया था। यह सच नहीं है कि वहां मांग नही है और इसी कारण पश्चिम बंगाल में विद्युत की अधिकता है। एक दशक पहले यह स्थिति नहीं थी। दस वर्ष पहले पश्चिम बंगाल में भी विद्युत का संकट था। मेरे शहर में संथाल विद्युत केन्द्र नामक एक ताप विद्युत केन्द्र है जिसका संयंत्र भार तत्व 22 प्रतिशत है। उस विद्युत संयंत्र में आज 'प्लांट लोड फैक्टर' क्या है ? अब यह 56 प्रतिशत से भी अधिक है। यही बात बंडेले और किलाघाट व अन्य विद्युत गृहों के मामले में भी लागू होती है। अब राज्य बिजली बोर्डों के सभी संयंत्रों का प्लांट लोड फैक्टर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। यह सब कुछ राज्य बिजली बोर्डों में किसी प्रकार के सुधारों के बिना किया जा सका है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : संकल्प पेश करते समय मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसलिए मुझे कम से कम दो गुना समय दिया जाना चाहिए। मंत्री जी 45 मिनट तक बोले। उन्होंने हमें विश्वास दिलाने के लिए 15 पृष्ठ पढ़ डाले तथा 45 मिनट तक बोलने के बाद भी वे हमें अपनी बात से सहमत नहीं करा पाए।

[श्री वसुदेव आचार्य]

श्री वारकला राधाकृष्णन ने एक बहुत ही साधारण संशोधन पेश किया है कि किसी को भी अनुचित अधिमान नहीं दिया जाना चाहिए। श्री वैको ने उस संशोधन का समर्थन किया। डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी ने भी इसका समर्थन किया है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में विधेयक प्रस्तुत करने का क्या आशय बताया गया है? इसमें कहा गया है :

"राज्य आयोग के लिए इस रीति से टैरिफ निर्धारित करना अनिवार्य बनाया गया है कि किसी भी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग से आपूर्ति की औसत लागत के पचास प्रतिशत से कम प्रभारित नहीं किया जाएगा, यह राज्य सरकारों को कमजोर वर्गों को इस शर्त पर राज सहायता प्रदान करने के विकल्प का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है राज्य सरकारें राज सहायता के माध्यम से राज्य बिजली बोर्डों को प्रतिपूर्ति करेंगी।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार के लिए कोई उपबंध अनिवार्य बनाया जा सकता है? तथापि, उन्होंने एक संशोधन पेश किया है किंतु उन्होंने उद्देश्यों और कारणों के कथन को नहीं बदला है। उसमें लिखा है कि राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य होगा। यह राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण है। अनेक लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई है मुझे भी इस पर आपत्ति है। मुझे यह आशंका है तथा मुझे अपनी आशंका व्यक्त करनी है। उन्होंने हमारी आशंका दूर नहीं की है।

श्री वी. धनंजय कुमार : किस नियम के अंतर्गत उन्हें इतने लम्बे समय तक बोलने की अनुमति दी गई है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सांविधिक संकल्प पेश किया है। उन्हें बोलने से नहीं रोका जाना चाहिए। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दो।

श्री वसुदेव आचार्य : यदि पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड बिना किसी विनियामक आयोग के अपने कार्य निष्पादन, अपने विद्युत संयंत्रों की क्षमता में सुधार कर सकता है तो इन उपायों की क्या आवश्यकता और तात्कालिकता है?

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कम से कम इस विधेयक को स्थायी समिति को सौंपने के हमारे सुझाव पर गौर करें। स्थायी समिति इस सत्र के दूसरे भाग के पहले सप्ताह तक हमें अपना प्रतिवेदन दे देगी। कम से कम इस सुझाव को अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। अन्यथा स्थायी समितियां गठित करने का क्या लाभ है? पूर्ववर्ती स्थायी समिति अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप नहीं दे सकी थी। इसलिए इस समय मैं माननीय मंत्री से इस विधेयक को स्थायी समिति को सौंपने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य, क्या आप अपना सांविधिक संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री वसुदेव आचार्य : जब तक मंत्री महोदय श्री राधाकृष्णन के साधारण संशोधन को तथा इस विधेयक को स्थायी समिति को सौंपने के मेरे सुझाव को स्वीकार नहीं करते मैं इसे कैसे वापस ले सकता हूं? मैं अपना सांविधिक संकल्प वापस नहीं ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित विद्युत विनियामक आयोग अध्यादेश (1998 का सख्यांक 14) का निरनुमोदन करती है।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : श्री वारकला राधाकृष्णन, क्या विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव संबंधी अपने संशोधन संख्या 4 को आप वापस ले रहे हैं?

.....(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : वे अपने संशोधन पर नहीं बोले हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मुझे खेद है कि कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें कहा गया है कि उन्हें अपने संशोधन पर बोलना पड़ेगा।

श्री वसुदेव आचार्य : किंतु उन्होंने इस पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : वे पहले ही बोल चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना संशोधन संख्या 4 वापस ले रहे हैं?

श्री वारकला राधाकृष्णन : जी नहीं, मैं अपने संशोधन पर जोर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री वारकला राधाकृष्णन द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 4 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को इस पर 15 सितम्बर, 1998 तक राय जानने के प्रयोजन से परिचालित किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना, विद्युत टैरिफ, सहायिकियों के संबंध में पारदर्शी नीतियों, दक्षतापूर्ण और पर्यावरणीय हितकर नीतियों के संवर्धन के सुव्यवस्थीकरण और उससे संशक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, क्या आप अपना संशोधन संख्या 5 पेश कर रहे हैं?

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, मुझे कुछ बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : इस समय आप नहीं बोल सकते हैं। क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं या इसे वापस ले रहे हों?

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 3, -

पंक्ति 6 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंतःस्थापित किया जाए:*

"(ग) राज्य विद्युत आयोग का अध्यक्ष पदेन सदस्य होगा।"

(5)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री वारकला राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं इस संशोधन पर कुछ बोलना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया में इसकी अनुमति नहीं है। इस समय आप कैसे बोल सकते हैं, संशोधन पहले ही अस्वीकृत हो चुका है।

.....(व्यवधान)

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : अब इस पर बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। यह पहले ही अस्वीकृत हो चुका है।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खंड 4 से 12 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गए।

अध्यक्ष महोदय : खंड 13 पर एक संशोधन है। श्री वारकला राधाकृष्णन, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 7, -

पंक्ति 24 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अन्तः स्थापित किया जाए:*

"संबद्ध राज्यों की सहमति से।" (6)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री वारकला राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 6 को मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खंड 14 से 16 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 17

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 9, पंक्ति 7 से 9 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित किया जाये —*

"17. (1) राज्य सरकार यदि उचित समझे, तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक आयोग की स्थापना कर सकेगी जो (राज्य का नाम) विद्युत विनियामक आयोग के नाम से ज्ञात होगा।" (1)

(श्री पी.आर. कुमारमंगलम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 17, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खंड 18 से 28 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 से 28 विधेयक से जोड़ दिए गए।

खंड 29

संशोधन किया गया

पृष्ठ 15, पंक्ति 29 से 44

और

पृष्ठ 16, पंक्ति 1 से 17 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित किया जाये —*

"(3) राज्य आयोग इस अधिनियम के अधीन टैरिफ निर्धारित करते समय, विद्युत के किसी उपभोक्ता के प्रति अनुचित अधिमान दर्शित नहीं करेगा किन्तु वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसे किसी समय के दौरान उपभोक्ता के प्रभार तथ्य, विद्युत के तथ्य, ऊर्जा के कुल उपभोग के अनुसार जिसमें आपूर्ति अपेक्षित है या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और उस प्रयोजन के आधार पर जिसके लिए आपूर्ति अपेक्षित है, विभेद कर सकेगा।

(4) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी और ऐसे अन्य व्यक्ति जिनके अंतर्गत राज्य में थोक, प्रपुंज या फुटकर में विद्युत का पारेषण, विक्रय वितरण या प्रदाय करने के लिए बोर्ड या उसका प्राधिकृत उत्तराधिकारी निकाय भी है, उन प्रभागों से जिन्हें वसूल करने के लिए वह अनुज्ञात हैं, प्रत्याशित राजस्व की संगणना करने में और उन राजस्वों को वसूल करने के लिए टैरिफ का निर्धारण करने में समय-समय पर राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट वर्गीकरण और प्रक्रिया का पालन करेगा।

(5) यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में कोई सहायिकी प्रदान करने की अपेक्षा करती है तो राज्य सरकार सहायिकी अनुदत्त करने से प्रभावित व्यक्ति को ऐसी रीति से प्रतिकार की रकम का संदाय करेगी जैसा राज्य आयोग अनुज्ञप्तिधारी या राज्य सरकार द्वारा उपबंधित सहायिकी को कार्यान्वित करने के लिए संबंध किसी अन्य व्यक्ति के लिए शर्त के रूप में निदेश दें।" (2)

(श्री पी.आर. कुमारमंगलम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 29, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 30 से 36 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30 से 36 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 37

अध्यक्ष महोदय : खंड 37 के लिए एक संशोधन है। श्री वारकला राधाकृष्णन जी क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 17, पंक्ति 32 के *अन्त में* निम्नलिखित *जोड़ा जाए* :

"और इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना हेतु पर्याप्त उपबन्ध होगा।" (7)

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं श्री वारकला राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 37 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 37 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 38 से 50 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38 से 50 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 51

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 19, पंक्ति 37 के पश्चात् -

"परन्तु यह कि विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग तिथियां नियत की जा सकेगीं।" *अंतःस्थापित किया जाये।* (3)

(श्री पी.आर. कुमारमंगलम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 51, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 51, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 52 से 61 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 26 और 27 पर विचार करेगी।

.....*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया अब सभा स्थगित करें। हम इस पर कल विचार करेंगे.....*(व्यवधान)*

श्री के. वापीराजू (नरसापुर) : महोदय, कृपया इसे अब न करें।.....*(व्यवधान)*

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : महोदय, यह निर्णय लिया गया था कि उन विधेयकों को बिना चर्चा के पारित कर दिया जाएगा। वे हैं भविष्य निधि तथा उपदान.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य, कृपया बात को समझिए। यह सब छोटे-छोटे विधेयक हैं और इन पर कोई विवाद भी नहीं है। हम इन्हें बिना चर्चा के पारित कर सकते हैं। .....*(व्यवधान)*

श्री के. वापीराजू : कृपया ऐसा मत कहिए, चाहे वह छोटे हैं अथवा बड़े हैं। प्रत्येक मुद्दा महत्वपूर्ण है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य, आप संवैधानिक संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, हम इस पर कल चर्चा कर सकते है। और आज नहीं.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एक छोटा सा संकल्प है

.....*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, आज सुबह इस बात का उल्लेख किया गया था कि ये अध्यादेश हैं, जिन्हें भूतपूर्व सरकार द्वारा जारी किया गया था। केवल एक नया अध्यादेश वह है जिसे हमने अभी पारित किया है। अन्यथा, अन्य विधेयक पहले अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए हैं। अतः इस बात पर सहमति हुई थी कि हम इन्हें बिना चर्चा के पारित करेंगे..... *(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : नहीं। बिना चर्चा के ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास अनेक संशोधन हैं.....*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उस स्थिति में, हमारे पास सामान्य बजट पर चर्चा के लिए कम समय रह जाएगा।.....*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : हम इस पर कल चर्चा कर सकते हैं .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य, आपको एक बात अवश्य समझनी चाहिए। कल हमें सामान्य बजट पर चर्चा करनी है, जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य है। कृपया स्थिति समझिए। .....*(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : यदि हम इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, तो हमें सामान्य बजट पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा के लिए केवल दो दिन है।

.....*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : अब तक, आप हमें कुछ विधेयकों को बिना चर्चा के पारित करने के लिए कह रहे थे। अब आपने हमें अध्यादेशों के लिए भी यही कहना शुरू कर दिया है। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह पुराने अध्यादेश हैं न कि नए।

.....*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मैं सभी माननीय सदस्यों से एक बार फिर अपील करूंगा। ये वे अध्यादेश है जिनको भूतपूर्व सरकार द्वारा जारी अध्यादेशों के लिए जारी किया गया था।.....*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : हम जानते हैं।.....*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मेरा मुद्दा यही है आप उन्हें बिना चर्चा के पारित करने के लिए सहमत हैं, तो हम उन्हें कल पारित कर सकते हैं।.....*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : नहीं कृपया ऐसा नहीं कहिए।... ....*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : फिर सामान्य बजट पर चर्चा के लिए कम समय रह जाएगा।.....*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : कृपया आज उस पर जोर मत दीजिए क्योंकि सभा 9 बजे स्थगित होनी है.....*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : हमारे पास दस मिनट और हैं जिनमें हम इन्हें पारित कर सकते हैं.....*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : इसे दस मिनट में नहीं किया जा सकता है.....*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : हम सोच रहे थे कि आप हमें अपना सहयोग देंगें.....*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : कम से कम थोड़ी देर के लिए तो विपक्ष को अपने विश्वास में लीजिए।.....*(व्यवधान)*

श्री अजय मुखोपाध्याय : यह ठीक नहीं है.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. शकील अहमद (मधुबनी) : जब इधर थे तो कहते थे कि डिस्कशन होना चाहिए, आज वहां बैठे हैं तो कहते हैं कि डिस्कशन नहीं होना चाहिए। बगैर डिस्कशन के बिल पास नहीं होना चाहिए, कभी भी बिना डिस्कशन के बिल पास नहीं होना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री द्वारकनाथ राधाकृष्णन : जब कोई महत्वपूर्ण विधेयक हो, तो हमें उस पर बोलने का पूरा अधिकार है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें कल सामान्य बजट पर चर्चा आरम्भ करनी है।

श्री वसुदेव आचार्य : इन मदों को दोपहर के भोजन से पहले निपटाया जा सकता है।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि सभा 9 बजे तक बैठेगी और यह भी निर्णय लिया गया था कि हम इन विधेयकों को पारित कर देंगे। अब, विद्युत विनियामक आयोग विधेयक में अधिक समय लग गया है। जैसा कि माननीय गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, मेरा सुझाव भी यही है कि इन विधेयकों को पारित किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अध्यादेश जारी किए गए थे। उनको बिना चर्चा के पारित किए जाने पर जोर देने की बजाए, हम एक लघु चर्चा कर सकते हैं और आज ही एक और विधेयक पारित कर सकते हैं। उपदान संशोधन विधेयक को पारित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपदान की अधिकतम सीमा को 1 लाख रुपये से 4 लाख रुपये तक बढ़ाने के लिए है। मैं यह सुझाव दूंगा कि हमें इस विधेयक पर आज ही चर्चा करके इसे आज ही पारित कर देना चाहिए। कल एक घंटे या इससे थोड़े से अधिक समय में हम अन्य दो विधेयकों को भी पारित कर सकते हैं। यह भी एक तरीका हो सकता है क्योंकि वे भी उन पर कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया है कि सभा 9 बजे स्थगित हो जानी चाहिए। अब, केवल 6-7 मिनट ही बचे हैं। मैं दस मिनट बोलूंगा और फिर श्री मुखोपाध्याय भी और दस मिनट का समय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, कृपया इसमें थोड़ा सहयोग कीजिए।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल) : इस बात पर सहमति हुई है कि हम इन दो विधेयकों को पारित करेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : श्री खण्डूड़ी जी, कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि सभा 9 बजे तक बैठ सकती है .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, आप हमेशा घड़ी देखते रहते हैं, पीठासीन अधिकारी को नहीं देखते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : यदि सभा 9 बजे स्थगित होनी है तो मैं अपना वक्तव्य पांच मिनट में समाप्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे अनेक बातें कहनी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले सांविधिक संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं प्रस्तुत करूंगा और बोलूंगा भी। लेकिन जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लिया गया है कि सभा 9 बजे स्थगित हो जानी चाहिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि कर्मचारी वर्ग से संबंधित यह दो विधेयक पारित हो जाने चाहिए।.....*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : हमने आपसी विश्वास पर समझौता किया था। यदि आप उसे नहीं मानना चाहते तो ठीक है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, कृपया इसमें थोड़ा सहयोग कीजिए।

श्री वसुदेव आचार्य : लेकिन सभा को 9 बजे तब बैठना चाहिए।

श्री राम नाईक : 9 बजे तक ही क्यों? आप इस पर कल चर्चा कर सकते हैं।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य सूची में मद संख्या 26 पर दिए गए संकल्प को प्रस्तुत कर रहे हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : क्या आप क्रम बदलना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हमें सूची में दिए गए क्रम के अनुसार ही चलना है।

श्री राम नाईक : हम मदों का क्रम बदलने के लिए सहमत नहीं है।.....*(व्यवधान)*

रात्रि 8.55 बजे

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक*

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 9.6.98 में प्रकाशित।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक के विरुद्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करना है। उसके बाद, आप बोल सकते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्याक 8) का निरनुमोदन करती है।"

मैं 8.33 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 12 प्रतिशत तक अंशदान बढ़ाने के लिए भविष्य निधि विधेयक का समर्थन करता हूं। इसका उद्देश्य अच्छा है। लेकिन समस्या यह है कि बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भविष्य निधि जमा ही नहीं की जाती है। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं। मेरे राज्य में कई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं। सैकड़ों कर्मचारियों के मामले में भविष्य निधि के लिए की गई कटौतियों को जमा नहीं किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् भविष्य निधि और उपदान जैसे सेवानिवृत्ति लाभों को लेने के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है। आप भविष्य निधि में अंशदान बढ़ा सकते हैं। लेकिन श्रम कानूनों में कमियां हैं।

[हिन्दी]

ससंदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : आचार्य जी ने नौ बजे तक हाउस एडजर्न करने के लिए कहा था। नौ बज रहे हैं, अब एक घंटा और बढ़ाया जाना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : वह क्या कहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभा की राय जान ली है।

सभा की राय समय को एक घंटा और बढ़ाने के पक्ष में है।

श्री वसुदेव आचार्य : नहीं, महोदय.....*(व्यवधान)* मैं अपना वक्तव्य कल जारी रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य जी, ये विधयेक राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित किए जा चुके है।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं जानता हूं। दोंनो भविष्य निधि तथा उपदान विधेयकों पर राज्य सभा में काफी देर तक चर्चा की गई थी। श्री मदन लाल खुराना जी, आप लोक-सभा के सदस्यों को इस अवसर से कैसे वंचित रख सकते हैं?.....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं जानना चाहता हूं कि इन विधेयकों पर चर्चा

के समय के बारे में हमें भी कुछ बताएं। सभी नेता यहां मौजूद हैं वे कल इन पर कितना समय लेंगे?

श्री वसुदेव आचार्य : एक घंटा।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : कुल चार विधेयक है..... *(व्यवधान)* इन अध्यादेशों को दोबारा जारी किया गया है। ये संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा जारी किए गए हैं और कांग्रेस दल का इन्हें समर्थन प्राप्त है।

रात्रि 9.00 बजे

यह वे अध्यादेश हैं जो कि दलगत नीत से परे स्वीकार्य हैं। हैरानी वाली बात यह है कि वे उस समय को कम रहे हैं जो हमें बजट पर चर्चा करने के लिए मिलेगा। मेरे विचार में, उन्हें समझना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं.....*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, कल दोपहर का भोजनावकाश * सभी विधेयक कल अपराह्न 2 बजे तक पूरे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, कृपया इसमें अपना सहयोग दें। हम आज सभा का समय एक घंटा और बढ़ायेंगे।

.....*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया आज सभा का समय नहीं बढ़ाइए।.....*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : महोदय, आप सदस्यों की रुचि का भी ध्यान रखें.....*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, आज सभा सुबह 6 बजे तक चली। मैं रात्रि 3 बजे तक सभा में उपस्थित था।.....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, होगा क्या कि सामान्य बजट पर चर्चा के लिए समय नहीं मिलेगा और वे ही इसके लिए जिम्मेवार होंगे.....*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, ये सब विधेयक कल 2 बजे तक पारित हो जायेंगे.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : फिर कल 'शून्य-काल' नहीं होगा। हम कल 'शून्य-काल' के लिए समय नहीं देंगे।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, यदि आप कल 'शून्य काल' के लिए समय चाहते हैं तो इन विधेयकों को कल बिना चर्चा के पारित करना होगा।

.....*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया ऐसा मत कीजिए। हममें से प्रत्येक केवल पांच मिनट लेगा।.....*(व्यवधान)*

श्री के. वापीराजू (नरसापुर) : महोदय, इसे बिना चर्चा के पारित नहीं करना चाहिए.....*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता : महोदय, यह आज नहीं करना चाहिए क्योंकि आज सुबह 6 बजे तक हम सभा में बैठे थे.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनें।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि अगर यह कल बिना चर्चा के बिल को पास करना चाहते हैं या जीरो आवर नहीं करना चाहते.....*(व्यवधान)* यह कल फिर और दूसरा मुद्दा लेकर आ जाएंगे और जीरो आवर में फिर मंदिर का मामला लेकर आ जाएंगे।.....*(व्यवधान)* अगर जीरो आवर करना है तो लेट बैठना पड़ेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि यह बजट का समय कम करना चाहते हैं।.....*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : हम बजट पर चर्चा करने का समय कम नहीं करना चाहते। हम लोग लंच ब्रेक में बैठेंगे। .....*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, आप कल कमरे में पार्टी लीडर्स की मीटिंग करके कुछ तय कर लें।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब सभा कल 10 जून, 1998 को ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 10 जून, 1998/20 ज्येष्ठ, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
नेशनल प्रिंटर्स, 20/3, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008 द्वारा मुद्रित।